

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S No. | DUE DATE | SIGNATURE |
|-------------------|----------|-----------|
| | | |

मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

(Labour Policy & Social Security)

सामग्री



प्रो. सी. एम. चौधरी

गहायक
प्रकाश जैन

रिसर्च पब्लिकेशन्स
त्रिपोलिया, जयपुर-2

11



© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers

Published by Research Publications, Tripolia Bazar, Jaipur-2

Printed at Hema Printers, Jaipur.



प्रकाशकीय

‘मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा’ का यह नवीन संस्करण नए परिवेश में आगे संगठन प्रस्तुत है। नवीनतग आंकड़ो और अनेक स्थलों पर नई सामग्री का समावेश कर पुस्तक को आधिक समृद्ध और उपयोगी बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। पुस्तक 10 अध्यायों में विभाजित है जिनमें मजदूरी नीति और सामाजिक सुरक्षा के संद्वान्तिक तथा व्यावहारिक पहलुओं पर विवेचन किया गया है। दिप्य-सामग्री भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के मन्दर्भ में है। विषय-सामग्री के संयोजन की दिप्पति से पुस्तक की उपादेयता निर्मिति है। इसमें श्रम-बाजार, श्रम की मांग एवं पूर्ति, मजदूरी के मिछान्तो, श्रम के शोपण, मजदूरी तथा उत्पादकता, राष्ट्रीय आय-वितरण में श्रम का योगदान, मजदूरी-मुग्ठतान की पद्धतियों और रीतियों, मजदूरी के राजकीय नियमन, श्रमिकों के जीवन-स्तर, मजदूरी नीति, रोजगार तथा आधिक विकास, रोजगार सेवा मंगठन, श्रमिक भर्ती, मानव-शक्ति नियोजन, सामाजिक सुरक्षा के संगठन और वित्तीयन, कारखाना अविनियम, श्रमिकों के आवास, श्रम-कल्याण योजनाओं आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश ढाला गया है। पुस्तक के अन्त में, कुछ अध्ययन योग्य परिशिष्ट जोड़े गए हैं जिनमें देश के श्रम मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मंगठन तथा वर्तमान श्रम कानूनों में संशोधन पर प्रकाश ढाला गया है। भारत सरकार के विभिन्न स्तरों से प्रचुर सहायता ली गई है जिसमें पुस्तक की उपयोगिता विशेष रूप से बढ़ गई है।

गुघार हेतु सुभाव सहयं आमन्त्रित हैं। जिन प्रामाणिक स्तरों से सहायता ली गई है उनके लिए प्रकाशक हृदय से आभारी हैं।

—प्रकाशक



अनुक्रमणिका

1 थम बाजार को विशेषताएँ, थम की मांग एवं पूर्ति

(Characteristics of Labour Market, Labour Demand and Supply)

थम का अर्थ और महत्व (2) थम की विशेषताएँ (4) थम का वर्गीकरण (7) थम की कार्यक्षमता और उसको प्रभावित करने वाले तत्व (8) थम की मांग एवं पूर्ति (12) थम बाजार (15) थम बाजार की विशेषताएँ (15) भारतीय थम बाजार (16) थम बाजार का मजदूर पक्ष (17) प्रबन्ध और थम बाजार (17) भारत में अधिकों का विभाजन कार्यशील जनसंख्या (18)

2 मजदूरी के सिद्धान्त, सीमान्त उत्पादकता, संस्थात्मक और शैदेकारी सिद्धान्त, थम का शोषण, मजदूरी में अन्तर के कारण

21

(Wage Theories, Marginal Productivity, Institutional and Bargaining Theories, Exploitation of Labour, Causes of Wage Differentials)

मजदूरी का अर्थ (21) मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी (22) वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व (23) मजदूरी का महत्व (24) मजदूरी निर्धारणके सिद्धान्त (24) मजदूरी का जीवन-निवाह सिद्धान्त अथवा जीह सिद्धान्त (25) मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (26) मजदूरी कोष मिद्धान्त (27) मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (28) मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (29) मजदूरी का बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (31) मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त अथवा मजदूरी का मांग व पूर्ति का सिद्धान्त (32) मजदूरी का सीदाकारी सिद्धान्त (33) अधिक शोषण की विचारधारा (36) आधुनिक विचारधारा (38) मजदूरी में अन्तर के कारण (39) मजदूरी में अन्तरों के प्रकार (41)

3 मजदूरी और उत्पादकता, ऊंची मजदूरी की मितव्ययता, राष्ट्रीय आय-वितरण में थम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ

42

(Wage and Productivity Economy of High Wages, Labour Share in National Income, Distribution Methods of Incentive Wage Payment Systems of Wage Payment in India)

मजदूरी और उत्पादकता-(42) थम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व (44) थम उत्पादकता की आलोचना (46) उत्पादकता सम्बन्धी विचारों के प्रकार (46) भारत में थम उत्पादकता एवं उत्पादकता आन्दोलन (47) भारत में उत्पादकता आन्दोलन (47) ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता (50) मजदूरी मुगतान की रीतियाँ (52) सागरानुसार मजदूरी (52) कार्यानुसार पढ़ति (54) कार्यानुसार पढ़ति के कुछ रूप (56) प्रेरणात्मक मजदूरी मुगतुन की रीतियाँ (57) एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी की विशेषताएँ (61) प्रेरणात्मक मजदूरी योजना की बुराइयों के सम्बन्ध में सावधानियाँ (62) लाभांश-भागिता (63) लाभांश-भागिता की बुँद्धनीयता (63) लाभांश भागिता योजना की सीमाएँ (64) भारत में लाभांश (बोनस) योजना इनिहास और ढाँचा (64) युद्ध बोनस (65) मजदूरों का अधिकार (65) वर्षई उच्च न्यायालय का फैसला (66) बोनस विवाद समिति (66) विचारार्थ विषय (66) समिति के निष्कर्ष (66) अहमदाबाद की समस्या (67) स्वैच्छिक मुगतान (67) अमिक अधिकार (67) 'अनजाने सागर' की यात्रा (68) अमिक अपीलीय ट्रिब्यूनल कार्मूता (68) बोनस अयोग (70) 1969 में बोनस अधिनियम में संशोधन (72) राष्ट्रीय थम आयोग की सिफारिशें (73) बोनस पुनरीक्षण समिति की गठन (73) 1972-73 व 1973-74 के लिए न्यूनतम बोनस (75) बोनस मुगतान (संशोधन) अव्यादेश 1975 का जारी होना (76) बोनस. प्रन्तिम फैसला (अगस्त 1977) 1980 से 1985 तक की स्थिति (77) थम भवालय के अनुसार 1985-86 में मजदूरी नीति और उत्पादकता (79) मजदूरी का प्रमाणीकरण (80)

4 ड्रिटेन, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन; भारत में श्रौद्धोगिक एवं कृषि मजदूरों की मजदूरी; भारत में थमिकों का जीवन-स्तर

(State Regulations of Wages in U. K., U. S. A. and India; Wages of Industrial and Agricultural Workers in India; Standard of Living of Workers in India)

मजदूरी का राजकीय नियमन (81) मजदूरी निर्धारण करने के सिद्धान्तों की आवश्यकता (83) राजकीय हस्तक्षेप की रीतियाँ (84) मजदूरी नियमन के मिदान (85) मजदूरी की विचार-

धारा (86) न्यूनतम उचित एवं पर्याप्त मजदूरी की विचार-
धारा एँ (87) न्यूनतम मजदूरी (87) न्यूनतम मजदूरी का महत्व
(88) न्यूनतम मजदूरी के उद्देश्य (89) न्यूनतम मजदूरी के
क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ (90) पर्याप्त मजदूरी (93) उचित
मजदूरी का निर्धारण (95) कठिनाइयाँ (95) मजदूरी का नियमण
(95) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (96) भारत में मजदूरी का
राजकीय नियमन (97) थमजीवी पत्रकार अधिनियम (98)
पालेकर न्यायाधिकरण (98) ठेका मजदूरी (99) स्वीकृत
पुरुष श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक (99) (क) न्यूनतम
मजदूरी अधिनियम 1948, अधिनियम का उद्गम (100)
अधिनियम की सूचिटि, उसकी मुख्य व्यवस्थाएँ (102)
(ख) अधिकरण के अंतर्गत मजदूरी नियमन (105) (ग) वेतन
मण्डलों के अंतर्गत मजदूरी नियमन (105) वेतन मण्डलों की
सीमाएँ (107) (घ) मजदूरी मुगातान अधिनियम 1936 (109)
आलोचना (110) अधिनियम में सशोधन (112) (ड) वाल
श्रमिक (नियेष व नियमन) विधेयक 1986 (112) समीक्षा
(114) कृपि उद्योग में न्यूनतम मजदूरी (115) नए बोस सूत्री
कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन (116) ग्रामीण श्रमिकों की
स्थिति (117) कृपि श्रमिकों की कम मजदूरी के कारण (118)
कृपि श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर का कारण (120) कृपि
श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सुझाव (120) खेतिहर मजदूरों
पर सरकारी कार्यनीति और कार्यान्वयन को एक समीक्षा (122)
बन्धुआ मजदूर, मुक्ति की चुनौतियाँ (127) कानून का विकास
(128) बन्धुआ मजदूरी क्या है? (129) खोज की कार्य-प्रणाली
का अभाव (131) 'मुक्ति' की कार्य-विधि (132) जरूरत है
नई दृष्टि की (132) समर्पण की भावना आवश्यक (133)
स्वतन्त्र किए यए व्यक्तियों का पुनर्वास (133) पुनर्वास का
स्वरूप (134) कार्यक्रम कारनार हो (134) कमियाँ (136)
साम (139), घरकुका मजदूरों की संख्या (140), इंग्लॅण्ड और मजदूरों
का नियमन (142) अमेरिका में मजदूरी का नियमन (143)
न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम कार्य के धण्डे और श्रमिक (144)
भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी (147) भारत में मजदूरी
की समस्या का महत्व (147) ऐतिहासिक सिंहावलोकन (148)
भारतीय कारखानों में श्रमिकों की मजदूरी (150) मजदूरी की
नवीनतम स्थिति (1985-86) पर सामूहिक दृष्टि (151)
जीवन-स्तर की अवधारणा (157) जीवन-स्तर का अर्थ (157)



जीवन-स्तर के निर्धारक तत्व (158) जीवन-स्तर का माप (160) भारतीय श्रमिकों का जीवन-स्तर (162) भारतीय श्रमिकों के निम्न जीवन स्तर के कारण (163) जीवन-स्तर ऊँचा करने के उपाय (165)

5 मजदूरी नीति, रोजगार एवं आर्थिक विकास 168

(Wage Policy, Employment and Economic Development)

मजदूरी नीति (168) भारतीय श्रमिक सम्बन्धी नीति के आधार-भूत तत्व (169) मजदूरी नीति के निर्णय में समस्याएँ (170)

मजदूरी और आर्थिक विकास (172) विकासशील अर्थ-व्यवस्था से मजदूरी नीति (173) पचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी नीति (175) समीक्षा (179) सातवीं योजना में हमारी श्रम नीति: कितनी सार्वक (187) मजदूरी नीति और राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट (1969) श्रम और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलन तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले (1985-86) (191) अन्तर्राष्ट्रीय बैठकें और सम्मेलन (192) राष्ट्रीय सम्मेलन (197)

रोजगार (205) पूर्ण रोजगार की जरूरतें (206) बेरोजगारी के प्रकार (207) भारत में रोजगार की स्थिति का एक चित्र (209) रोजगार की अभिनव योजना (212) व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की आवश्यकता व्यापों? (213) व्यावसायिक संस्थान का प्रारूप (214) योजना पर अनुमानित व्यय (215) योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विन्दु (215)

6 ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ; भारत में धनिक भर्ती की पद्धतियाँ; भारत में रोजगार सेवा-संगठन 217

(Organisation, Functions & Achievements of Employment-Service Organisation in the U. K. and U. S. A. in General; Methods of Labour Recruitment in India; Employment Service Organisation in India)

रोजगार या नियोजन सेवा संगठन (217) रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य (218) रोजगार दपतरों के कार्य (219) रोजगार दपतरों का महत्व (220) इम्पॉर्ट में रोजगार सेवा संगठन (221) अमेरिका में रोजगार सेवा संगठन (222) भारत में श्रम भर्ती के तरीके (223) मध्यस्थो द्वारा भर्ती (223) मध्यस्थो द्वारा भर्ती के गुण-दोष (224) मध्यस्थो द्वारा भर्ती की वर्तमान स्थिति और भविष्य (225) (ग) ठेकेदारों द्वारा भर्ती (226) (ग) प्रत्यक्ष भर्ती (227) (ग) बदली प्रथा (227) (ड) श्रम अधिकारियों

द्वारा भर्ती (227) थम संगठनों व रोजगार के दपतरों द्वारा भर्ती
 (228) विभिन्न कारखानों में भर्ती (228) भारत में रोजगार
 सेवा संगठन (230) रोजगार कार्यालयों की शिवा राव समिति
 का प्रतिवेदन (231) भारत में रोजगार व प्रशिक्षण महा-
 निदेशालय का संगठन (232) क्षेत्र कार्यालय दर्शाते हुए संगठनात्मक
 संरचना का विवरण (233) राष्ट्रीय रोजगार सेवा की कार्य-
 प्रगति (235) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधि-
 सूचना) अधिनियम 1959 (239) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय
 दिल्ली (240) फालतू छेंटनी घोषित किए गए केन्द्रीय सरकार के
 कर्मचारियों की नियुक्ति करना (241) रोजगार बाजार सूचना
 (241) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना)
 अधिनियम 1959 (246) रोजगार कार्यालयों का आलोचनात्मक
 मूल्यांकन (247) सुझाव (247)

7 मानव-शक्ति नियोजन: अवधारणा और तकनीक, भारत में मानव-
 शक्ति नियोजन

248

(Man-power Planning : Concepts and Techniques;
 Man-power Planning in India)

मानव शक्ति नियोजन (249) भारत में मानव शक्ति नियोजन
 (253) भारत में शिक्षण प्रशिक्षण (258) थम मन्त्रालय की
 वापिक रिपोर्ट : 1985-86 के अनुसार थमिकों की शिक्षा और
 उनके प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम (261)
 शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (262) औद्योगिक कर्मकारों के लिए
 'अशकालिक' कक्षाएँ (264) भूतपूर्व संनिकां का प्रशिक्षण (264)
 शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (265) व्यवसाय परीक्षा (267)
 स्नातक तथा तकनीशियन शिक्षा (268) शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण
 (269) उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण (270) इलैक्ट्रॉनिक्स एंड
 प्रोसेस इंस्ट्रमेटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम (271)
 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान बगलीर और जमशेदपुर (272)
 व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसन्धान, कर्मचारी प्रशिक्षण
 और प्रशिक्षण सामग्री का विकास (273) राष्ट्रीय थम
 संस्थान (274)

8 सामाजिक सुरक्षा का संगठन और वित्तीयन; फ़िटेन, संयुक्त राज्य
 अमेरिका और सोवियत संघ में जामाजिक सुरक्षा का सामाज्य
 विवरण; भारत में सामाजिक सुरक्षा को व्यक्ति
 (Organisation and Financing of Social Security in
 U. K., U. S. A. and U. S. S. R. General Position of
 Social Security in India)

277

सामाजिक सुरक्षा का धर्य (277) सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (279) सामाजिक सुरक्षा का देश (279) सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य और विकास (280) इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा (281) प्राचीन व्यवस्था (281) वेवरिज योजना से पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था (283) वेवरिज योजना और अन्य व्यवस्थाएँ (285) योजना देश (285) योजना के अतिरिक्त अशोष्य (286) योजना के लाभ (286) इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति (288) कलिपय नए सामाजिक सुरक्षा गम्बन्धी लाभ (290) अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा (290) रूस में सामाजिक सुरक्षा (294) रूस में सामाजिक वीमे की विजेपत्राएँ (295) भारत में सामाजिक सुरक्षा (297) भारत में सामाजिक सुरक्षा वी.वर्तमान अवस्था (298) (1) अधिक क्षतिधूति प्रधिनियम 1923 (301) लाभ एवं व्यवस्था (302) दोष (303) (2) भारतीय लाभ या प्रसूति प्रधिनियम 1961 (304) (3) कर्मचारी राज्य वीमा प्रधिनियम 1948 और उसके अधीन बनाई गई योजना (305) (4) कर्मचारी भविष्य निधि और विविचार पेन्शन निधि प्रधिनियम 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ (308) (5) कर्मचारी 'जमा सम्बद्ध (लिवड) वीमा योजना 1976 (313) (6) उपदान मुगतान प्रधिनियम 1972 (314) सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना (315)

9 भारत में वर्तमान कारखाना प्रधिनियम

317

(Salient Features of Present Factory Legislation in India)

कारखाना प्रधिनियम 1881 (318) कारखाना प्रधिनियम 1891 (319) कारखाना प्रधिनियम 1911 (319) कारखाना प्रधिनियम 1922 (319) कारखाना प्रधिनियम 1934 (320) सशोधित कारखाना प्रधिनियम 1946 (320) कारखाना प्रधिनियम 1948 (321) भारतीय कारखाना प्रधिनियम 1948 के दोष (324)

10 भारत में धर्मिकों का आवास; नियोजक व धर्म-संघों तथा सरकार द्वारा दो गई धर्म कल्याण सुविधाएँ

326

(Housing of Labour in India; Labour Welfare Facilities Provided by Employers, Trade Unions and Government)

भारत में धर्मिकों का आवास (326) लराब आवास व्यवस्था के दोष (328) आवास: किसका उत्तरदायित्व (329) गन्दी वस्तियों की समस्या (320) भारत में धर्मिकों तथा अन्य वर्गों के



111708

अनुक्रमणिका vii

आवास पर भारत सरकार का विवरण 1985-86 (331)
 आवास आवश्यकताएँ (332) पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत
 आवास योजनाएँ (333) सामाजिक आवास योजनाएँ (333)
 आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना (334) आवास वित्त
 (335) शहरी विकास (335) अम मन्त्रालय वार्षिक रिपोर्ट
 1985-86 का विवरण (336) आवास समस्या के हल के लिए
 निर्माण एजेन्सियाँ और सरकारी योजनाएँ (337) निर्माण
 एजेन्सियाँ (337) औद्योगिक आवास से सम्बन्धित विधान
 (339) आवास योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण (339)
 महायता प्राप्त औद्योगिक आवास की सफलता हेतु उपाय (340)
 अम कल्याण की परिभाषा और क्षेत्र (341) अम-कल्याण के
 निदान (342) अम-कल्याण बायर्स का चर्चिकरण (344)
 अम-कल्याण कार्य के उद्देश्य (345) भारत में कल्याण कार्य की
 आवश्यकता (345) भारत में कल्याण कार्य (346) 1 केन्द्रीय
 सरकार द्वारा सायोजित कल्याण कार्य (347) काम की शर्तें
 और कल्याण (348) वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 का विवरण
 (350) चिकित्सा एवं दैवरेख (351) राज्य सरकारों द्वारा किए
 गए अम-कल्याण कार्य (355) नियोजकों या मालिकों द्वारा
 कल्याण कार्य (356) अम संघो द्वारा कल्याण कार्य (357)
 समाज-सेवी संस्थाओं द्वारा कल्याण कार्य (358) नगरपालिकाओं
 द्वारा अम-कल्याण कार्य (359) अम-कल्याण कार्य के विभिन्न
 पहलू (359)

Appendix :

| | | | | |
|----------------------------------|------|------|------|-----|
| 1 अम मन्त्रालय का ढाँचा और कार्य | | | | 363 |
| 2 अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन | .. | .. | | 366 |
| 3 वर्तमान अम कानूनों में संशोधन | | | | 370 |
| 4 Select Bibliography | | | | 372 |

111708



अम-बाजार की विशेषताएँ, अम की माँग एवं पूर्ति

(Characteristics of Labour Market,
Labour Demand and Supply)

'अम' उत्पादन का एक सक्रिय (Active) और महत्वपूर्ण साधन है। एक देश में विभिन्न प्रकार के प्रचुर प्राकृतिक साधन देकार होंगे यदि अम द्वारा उनका समुचित प्रयोग न किया जाए। केरनकास के शब्दों में, "यदि भूमि अथवा पूर्जी का उचित प्रयोग नहीं होता तो केवल इन साधनों के स्वामियों को योड़ी आय की हानि होगी, किन्तु यदि अम का उचित प्रयोग नहीं होता (प्रथात् वह बेरोजगार रहता है अथवा उससे अत्यधिक कार्य लेकर उसका शोषण किया जाता है) तो इससे न केवल पुरुषों और स्त्रियों में ही निनता तथा निर्वन्ता का प्रतार होता है, बरन् सामाजिक जीवन के स्वरूप में ही गिरावट आती है।" अम के बढ़ते हुए महत्व ने ही 'अम अर्थशास्त्र' (Labour Economics) का विकास किया है प्रोर आज अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अम अर्थशास्त्र के अन्तर्गत अम सम्बन्धी समस्याएँ, सिल्हान्त और नीतियाँ सविहित हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में अम के योगदान में बहुदि करना किसी भी सरकार का मुख्य दायित्व है। उपयुक्त मात्रा में निपुण अम-शक्ति देश को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुँचाने की कुंजी है। एक देश की सम्पन्नता बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर है कि वहाँ के अम का किस तरह सृजनात्मक कार्यों में अधिकतम उपयोग किया जाता है।

प्राचीन समय में अम के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोणों की प्रधानता थी। प्रथम, वस्तु दृष्टिकोण (Commodity Approach)—जिसके अन्तर्गत अम को वस्तु की भाँति खरीदा और बेचा जा सकता है। अमिक को कम पारिश्रमिक देकर उसकी सहायता से अधिकतम लाभ अर्जित करना पूँजीपतियों का उद्देश्य रहा। द्वितीय,

2 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

उदारतावादी इटिकोण (Philanthropic Welfare Approach) — जिसके अन्तर्गत थ्रमिको को एक निम्न वर्ग और आधिक इटिक से दुर्बल माना जाता है और इसीलिए उनकी मदद करना धनिक वर्ग अपना कर्तव्य समझता है। आज के युग में मानवीय सम्बन्ध इटिकोण (Human Relation Approach) प्रधानता पाता जा रहा है, परम्परागत विचारधारा (Traditional Approach) का महत्व समाप्त हो रहा है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में जो थ्रम-नीति अपनाई गई है वह मानवीय सम्बन्ध इटिकोण पर आधारित है। देश की पौच्छी योजना में व्यूह-रचना इस प्रकार की गई है कि सभूएं अर्थ-व्यवस्था में थ्रम-जनित उत्पादकता बढ़ाने के निश्चित प्रयासों को निरन्तर बल मिले। "इस सम्बन्ध में योजना में अन्वेषण भोजन, पोषण तथा स्वास्थ्य के स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उच्च स्तर, अनुशासन तथा नैतिक आचरण में सुधार और अधिक उत्पादनशील तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक कार्यों की परिकल्पना की गई है।"¹

थ्रम का अर्थ और महत्व (Meaning and Importance of Labour)

थ्रम-बाजार और थ्रम की मौग एवं पूर्ति के विवेचन पर ये ने मे पूर्व थ्रम के अर्थ, महत्व और उसकी विजेषताओं पर इटिपात्र कर लेना प्रान्तिक होगा। अर्थशास्त्र में थ्रम का अभिप्राय उस शारीरिक और मानसिक प्रयत्न से है जो आधिक उद्देश्य में किया जाए। कोई भी कार्य चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, जिसके बदले से मौद्रिक पारिथमिक मिले, थ्रम कहलाता है। इस इटिक से मजदूर, प्रबन्धक, बैंकीत, प्रध्यापक, डॉक्टर, नौकर आदि सभी के प्रयत्न थ्रम के अन्तर्गत आ जाते हैं। मार्शल की परिभाषा के अनुसार "थ्रम से हमारा अर्थ मनुष्य के उस मानसिक और शारीरिक प्रयास से है जो अगत या पूर्णतया, कार्य से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाले मानव के प्रतिरिक्ष, किसी लाभ की इटिक से किया जाए।"² इस प्रकार थ्रम के लिए दो बातों का होना आवश्यक है—(क) मानवीय थ्रम में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के प्रयत्न मिमिन्ति है, एवं (ख) केवल वे ही प्रयत्न सम्मिलित हैं जिनके उद्देश्य आधिक हैं।

थ्रम का महत्व आज के युग में स्वयं स्पष्ट है। समाचार-पत्रों को उठा तीजिए, थ्रम-सम्बन्धी सूचनाओं की प्रमुखता पाई जाती है। थ्रम के बढ़ते हुए महत्व पर प्रो गेलब्रेय ने कहा था—“आजकल हमें अपने औद्योगिक विकास का अधिकांश, अधिक पूँजी विनियोग से नहीं बल्कि मानवीय प्रसाधन में उन्नति करने से उपलब्ध

1 पौच्छी योजना के प्रति इटिकोण (1974-79), भारत सरकार योजना आयोग (जनवरी, 1973), दृष्ट 54.

2 Galbraith : "Productivity" Spring Number 1968, p. 510

3 Marshall : Principles of Economics, p. 54.

होता है। इस प्रसाधन से हमें विनियोग की अपेक्षा कही अधिक प्रतिफल मिलता है।¹³ दर्याप्ति और कुशल श्रम के माध्यम से साधनों का अधिकतम उपयोग करके अर्थ-व्यवस्था को सम्पन्न और सफल बनाया जा सकता है। श्रमिकों की सहायता से देश की विभिन्न योजनाएँ पूरी को जाती हैं। श्रम के आधिक महत्व को इन बिन्दुओं में रखा जा सकता है—

1. अधिक उत्पादन की मांग (Demand for Increased Production)—
आधुनिक युग में उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने की मांग जोर पकड़ रही है। श्रीदोगिक विकास हेतु उत्पादन में वृद्धि होना आवश्यक है। श्रीदोगिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में श्रम की कार्यकुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि प्राप्तीलन चलाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council) की भी स्थापना की गई है।

2. तीव्र श्रीदोगीकरण (Rapid Industrialisation)—वर्तमान युग श्रीदोगीकरण का युग है। विश्व में तीव्र श्रीदोगीकरण की होड़ सी लग गई है। कृषि-प्रबान देशों, जैसे—चीन, भारत, पाकिस्तान आदि ने भी अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्थाओं का तीव्र श्रीदोगीकरण करने की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग अपनाया है। तीव्र श्रीदोगीकरण द्वारा देशवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत बनाया जा सकता है। उत्पादन के साधनों में श्रम और पूँजी, महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रम सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का साधन है। इसके सत्रिय सहयोग के बिना उत्पादन की कोई भी क्रिया सुचाह रूप से नहीं चलाई जा सकती।

3. आधुनिकीकरण (Modernisation)—‘वर्तमान युग’ में गला-काट प्रतिस्पर्धा (Cut-throat Competition) का बोलबाला है। इस प्रतिस्पर्धा में वही देश सफल हो सकता है जिसने तीव्र श्रीदोगीकरण के साथ-साथ उत्पादन के साधनों का आधुनिकतम उपकरणों, विधियों के साथ उपयोग किया है। आधुनिकतम उत्पादन के तरीकों से वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर निम्न लागत पर किया जा सकता है और वस्तु की किसी भी अच्छी होती है। इसके लिए श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण, नवीनीकरण, विवेकीकरण और प्रमापीकरण का सहारा लेना नितान्त आवश्यक है। विवेकीकरण व आधुनिकीकरण से श्रम प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप श्रम अधिक जापेहक हो गया है।

4. प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of Labour in Management)—प्राचीन समय में श्रीदोगिक साभ तथा उद्योग-धन्धों के प्रबन्ध का कार्य पूँजीपतियों व प्रबन्धकों के हाथ में था। उस समय ‘थ्रॉथ्रूठे का नियम’ (Rule of Thumb) का बोलबाला था। वर्तमान समय में इस विचारधारा में परिवर्तन किया गया है। अब श्रीदोगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) का विचार श्रीदोगिक क्षेत्र में पनपने लगा है। इसके अन्तर्गत श्रम को केवल मान-

4 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

उत्पादन का एक साधन ही नहीं समझा जाता बल्कि उसको श्रोद्योगिक प्रेज़ारन्च के अन्तर्गत प्रबन्ध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भागीदार समझा जाने लगा है। भारत सरकार ने भी अपनी श्रम नीति में एक नया 'मध्याय श्रमिकों को श्रोद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्धकों के साथ भागीदारी देकर जोड़ दिया है। श्रमिकों को 'प्रबन्ध में भागीदारी' न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ही दी है बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी यह भूमिका प्रदान की गई है।

5. श्रोद्योगिक शास्ति की आवश्यकता (Need for Industrial Peace) — तीव्र श्रोद्योगीकरण के माध्यम से देश का तीव्र आधिक विकास इस द्वारा पर निर्भर करता है कि उस देश में श्रोद्योगिक बातावरण कैसा है। श्रोद्योगिक उत्पादन में चृद्धि उत्पादन के साधनों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। उत्पादन में साधनों में श्रम और पूँजी महत्वपूर्ण भूमिका यदा करते हैं। इन दोनों साधनों में यदि सक्रिय सहयोग नहीं होगा तो उत्पादन में वाधा पड़ेगी। मालिक और मजदूरों में अच्छे सम्बन्ध न होने पर आए विनहड़तालें, दालाबन्दी, घेराव, धीमी गति से बाध्य करना आदि श्रोद्योगिक उत्पादन में बाधाएँ डालते हैं। इस आपसी-मतभेद को दूर कर, स्वच्छ एवं सधुर श्रोद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी चुनौती का भासवा प्रत्येक राष्ट्रीय सरकार के सामने है।

6. श्रम कानूनों की बाढ़ (Plethora of Labour Laws) — श्रमिकों के कार्य की दशाखंडों एवं उनके जीवन-स्तर को उन्नत करने को और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रत्येक देश में इस संगठन द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार को श्रम कानूनों ये सशोधन करने तथा नए कानून बनाने पड़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ वर्षों में सशोधन हुए हैं ताकि श्रमिक व उसके आधिकों को भविध की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े।

7. श्रमिकों की राजनीति में रुचि (Interest of Labour in Politics) — किसी भी देश में श्रमिकों का बाहुल्य होना स्वाभाविक है। वे अपने मताधिकार द्वारा देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इम्फैट में श्रमिकों की सरकार बनी है। हमारे देश में भी धमिक नेता विभिन्न दलों की ओर से चुनाव जीत कर संसद् तथा विधान-सभाओं में श्रमिकों का हित देखते हैं।

श्रम की विशेषताएँ

(Characteristics of Labour)

श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन है। यह अन्य साधनों की तुलना में भिन्न है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जो कि अन्य साधनों में नहीं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही श्रम सम्बन्धी विभिन्न समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। श्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन (Active Factor) — उत्पादन के अन्य साधन जैसे भूमि व पूँजी निःकिर्ण (Passive) साधन हैं। वे अपने आप उत्पादन

नहीं कर सकते, लेकिन धर्म बिना अन्य साधनों की सहायता से भी उत्पादन कर सकता है।

2. धर्म को धर्मिक से पृथक् नहीं किया जा सकता (*Labour is inseparable from the Labourer*)—उत्पादन के अन्य साधनों को उनके स्वामियों से पृथक् किया जा सकता है, जैसे भूमि को भू-स्वामी तथा पूँजी को पूँजीपति से पृथक् किया जा सकता है, लेकिन धर्म को धर्मिक से पृथक् नहीं किया जा सकता। यदि एक धर्मिक अपना धर्म वेचता चाहता है तो उसे स्वयं को जाकर कार्य करना पड़ेगा।

3. धर्मिक धर्म देचता है लेकिन स्वयं का मालिक होता है (*Labourer sells his labour but he himself is his master*)—धर्मिक अपना धर्म वेचता है। वह अपने को नहीं देचता तथा जो भी गुण व कुशलता उसमें होते हैं, उनका वह मालिक होता है। धर्म पर किया गया विनियोग (प्रशिक्षण व दक्षता) इस हिट से महत्वपूर्ण होता है।

4. धर्म नाशवान है (*Labour is perishable*)—धर्म ही एक ऐसा साधन है जिसका मंचय नहीं किया जा सकता। यदि एक धर्मिक एक दिन कार्य नहीं करता है तो उसका उस दिन का धर्म सदैव के लिए चला जाता है। इसी कारण धर्मिक अपना धर्म बेचने के लिए तैयार रहता है।

5. धर्मिक को सौदाकारी शक्ति दुर्बल (*Labour has got weak bargaining power*)—धर्मिक अपना धर्म बेचता है तथा धर्म के केना पूँजीपति होते हैं। मालिकों की तुलना में धर्मिकों की सौदा करने की शक्ति कमज़ोर होती है क्योंकि धर्म की प्रकृति नाशवान है, वह प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वह आर्थिक हिट से दुर्बल होता है, वह अज्ञानी, अजिजित व अनुभवहीन होता है। धर्म मगड़न दुर्बल होते हैं, बेरोज़गारी पाई जाती है। इन्हीं बातों के कारण धर्मिकों को निम्न मजदूरी देकर पूँजीपति उनका जोपण करते हैं।

6. धर्म की पूर्ति में तुरन्त कमी करना सम्भव नहीं (*Supply of labour cannot be curtailed immediately*)—मजदूरी में कितनी ही कमी क्यों न करदी जाए धर्म की पूर्ति तुरन्त घटायी नहीं जा सकती। धर्म की पूर्ति में तीन रूपों में कमी की जा सकती है—जनसंख्या को कम करना, कार्यक्षमता में कमी करना तथा धर्मिकों को एक व्यवसाय से हूँसरे व्यवसाय में स्थानान्तरित करना परन्तु इसमें समय लगेगा।

7. धर्म पूँजी से कम उत्पादक (*Labour is less productive than capital*)—धर्म को धर्मिक उत्पादन हेतु पूँजी का सहारा लेना पड़ता है। पूँजी की तुलना में धर्म कम उत्पादक होता है। मशीन से धर्मिक उत्पादन सम्भव होता है।

8. धर्म पूँजी से कम गतिशील (*Labour is less mobile than capital*)—धर्म मानवीय साधन होने के कारण कम गतिशील होता है। यह बातावरण, फैशन, आदत, रुचि, धर्म, भाषा आदि तत्त्वों से प्रभावित होता है जबकि पूँजी नहीं।

6 प्रजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

9. अम उत्पादन का साधन ही नहीं वर्तिक साध्य भी (Labour is not only a factor of production but is also an end of production)—अम न केवल उत्पादन में एक साधन के रूप में योग देता है वर्तिक यह अन्तिम उत्पादन वस्तुओं का उपभोग भी करता है तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का भी इसमें घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अम की निर्यनता, आवास समस्या, बेकारी की समस्या आदि भी उसे प्रभावित करती हैं।

10. अम मानवीय साधन (Labour is human factor)—अम एक मनीव उत्पादन का साधन होने के कारण यह न केवल शारिक पहलू से प्रभावित होता है वर्तिक नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और पार्यावरी पहलुओं का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अम समस्याओं के अध्ययन में इन सभी का समुचित समावेश करना होगा।

11. अम में पूँजी का विनियोग (Capital Investment In labour)—अत्य उत्पादन के साधनों के समान अम की कार्यकारीता में वृद्धि करनी पड़ती है। अम की कार्यकारीता ही उसके जीवन-स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। परम्परागत नियोजक (Traditional Employers) अम की कार्यकुशलता में वृद्धि पर किए गए व्यय को अपव्यय (Wastage) समझते हैं, लेकिन आधुनिक नियोजक (Modern Employers) अम की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कई कल्याणकारी कार्य (Welfare activities) और शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर व्यय करते हैं। इससे अमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और परिणामस्फूर्त न केवल अमिकों को ही लाभ होता है वर्तिक राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है तथा नियोजकों (Employers) को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह के व्यय को 'मानवीय पूँजी' (Human Capital) अवश्य मानवीय साधनों पर विनियोग (Investment on Human Factors) कहा जाता है। इसके अन्तर्गत कार्य की दशाओं में मुधार, आवास व्यवस्था में मुधार शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी मुद्रिधारों में वृद्धि आदि सम्मिलित हैं। यही कारण है कि भारत सरकार ने भी अमिकों की शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय बोर्ड (Central Board for Workers' Education) की स्थापना 1958 में की थी।

निष्कर्षः—अम के साथ एक वस्तु के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वस्तु की विशेषताएँ अम की विशेषताओं से भिन्न होती हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में कल्याणकारी तथा (Welfare State) की स्थापना में अम के अस्वभूत में परम्परागत विचाराधारा (Traditional Approach) जो कि वर्तुगत उत्पादन (Commodity Approach) कहलाता था उसका महत्व अब समाप्त हो गया है। इसके साथ ही आधुनिकतम उत्पादन, जिसे कि मानवीय सम्बन्ध उत्पादकोण (Human Relation Approach) कहा जाता है, का मार्ग धीरे-धीरे प्रगति हो रहा है। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अम-नीति में नए-नए अध्याय जोड़कर इसी विचारधारा की गुटिकी जा रही है।

श्रम का वर्गीकरण (Classification of Labour)

श्रम के मुख्य प्रकार निम्नलिखित बताए जाते हैं—

(1) उत्पादक तथा अनुपादक श्रम—इस मम्बन्ध में अर्थजास्त्रियों में मनभेद रहा है। विणिकवादी अर्थजास्त्रियों का मत था कि वही श्रम उत्पादक है जो नियोनक वस्तुओं का उत्पादन करता है। निवांचावादी अर्थजास्त्रियों ने प्राथमिक उद्योग (कृषि) में लगे श्रम को ही उत्पादक माना है। दाढ़ में प्रतिष्ठित अर्थजास्त्रियों ने भौतिक वस्तुओं (मिज, वर्तन, मशीन आदि) के उत्पादन में लगे श्रम को उत्पादक उत्तराया तथा अभौतिक वस्तुओं (डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएँ) में लगे श्रम को अनुपादक माना। मार्क्स ने उत्पादक श्रम का और अधिक विस्तृत विष्टिकोण निया और यह मन रखा कि जो प्रथत उपयोगिता का मृद्गन करता है और अपनी उद्देश्यन्वयन में सक्षम होता है उसे 'उत्पादक श्रम' कहना चाहिए, इसकी विपरीत दक्षात्रों में श्रम को अनुपादक मानता चाहिए।

आधुनिक अर्थजास्त्रियों ने, मार्क्स की माँति, उत्पादक श्रम का प्रथोग अधिक विस्तृत विष्टिकोण से ही किया है। आधुनिक मन के अनुमार वह कोई भी प्रथत जो उपयोगिता का मृद्गन करे उत्पादक श्रम है और जो उपयोगिता का मृद्गन न करे वह अनुउत्पादक श्रम है। यहाँ उपयोगिता का आशय है 'आवश्यक-यन्त्रिति की शक्ति' (Want satisfying power)। प्रो० टार्मस ने 'उपयोगिता मृद्गन' के स्थान पर 'मूल्य मृद्गन' (Production of Value) का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना है। उनका मत है कि भनेक वस्तुओं में उपयोगिता तो बहुत अधिक हो सकती है पर मूल्य का अभाव हो सकता है, अतः उन सभी शमों को जो मूल्य-मृद्गन करे (न कि उपयोगिता मृद्गन करे), उत्पादक श्रम कहा जाना चाहिए। कभी-कभी श्रम उत्पादक और अनुपादक नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि एक चोर चोरी करता है तो वह अपने उद्देश्य में तो सफल हो जाता है पर इस श्रम को उत्पादक नहीं कहा जाएगा क्योंकि यह काम समाज-विरोधी है। प्रो० टार्जिय ने ऐसे श्रम को समाज-विरोधी श्रम की सत्ता दी है।

(2) कुशल एवं अकुशल श्रम—सामाजिक एवं शारीरिक श्रम को पूरा करने में यदि जिता, प्रतिक्षण, निपुणता आदि की आवश्यकता है तो यह कुशल श्रम है, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, मशीन-चालक आदि का श्रम। दूसरी ओर अकुशल श्रम वह है जिसे करने के लिए किनी विभेद प्रतिक्षण, जात अवश्वा नियुक्ता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे घरेलू नौकरी, कूली, चपरामी आदि का श्रम। अकुशल श्रम की नाशत कम होने के कारण ही उसको मजदूरी कम होती है।

(3) मानसिक तथा शारीरिक श्रम—जिस श्रम में शरीर को अपेक्षा मस्तिष्क अवश्वा बुद्धि की प्रवानता हो उसे मानसिक श्रम कहा जाएगा जैसे वकील, डॉक्टर जैसे आदि का श्रम। दूसरी ओर जिस श्रम में मस्तिष्क अपश्वा बुद्धि की अपेक्षा शरीर का अधिक प्रयोग होता हो उसे शारीरिक श्रम कहा जाएगा, जैसे उद्योग में काम करने वाले मजदूर, कूली, घरेलू नौकर आदि का श्रम। यह बात

10 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

अग्रन्ति, अराजकता आदि के बातावरण में धमिकों की कार्यक्षमता का हास होता है।

(3) कार्य करने की दशाएँ—कार्य करने की दशाएँ धमिकों की कार्यक्षमता को अनुकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है—

(i) रुचि के अनुकूल कार्य—धमिकों को आपनी इच्छा और रुचि के अनुकूल कार्य मिलता रहे तो उनकी कार्यक्षमता विकसित होती है। अचिर्चिरुर्ज कार्यों से धमिकों की कार्यक्षमता का हास होता है।

(ii) उचित पारिथंशक—धमिक के अनुकूल उचित पारिथंशक मिलने पर धमिकों में कार्य के प्रति लगन और उत्साह बना रहता है। आप अधिक होने से मुख्य-सुविधाओं के कारण उनके स्वास्थ्य पर उचित प्रभाव पड़ता है जिसमें उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। बोतल, पेशन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा आदि की दशाएँ धमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

(iii) कार्य-स्थान—धमिक जिम स्थान पर कार्य करता है यदि वही का बातावरण गन्दा और प्रस्तावस्थकर है तो निश्चित रूप से उनकी कार्यक्षमता कम होगी। पर यदि स्थान मिठ्ठा है, हवादार और स्वास्थ्यकर है तो धमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती। वे प्रसन्नचित होकर काम करेंगे जिसमें उच्चारण भी अधिक होगा।

(iv) अच्छी मशीनें, अच्छे औजारों आदि की प्राप्ति—जिन धमिकों के पास काम करने के लिए अच्छी मशीनें, अच्छे औजार आदि उपलब्ध होने उनकी कार्यक्षमता उन मजदूरों की कार्यक्षमता से अधिक होगी जिनके पान काम करने के लिए पुरानी किसी की मशीनें हैं और जिनके औजार अच्छे नहीं हैं। अधिकांश भारतीय कारखानों का आधुनिकीकरण न होने से और कार्य करने की समुचित सुविधाओं का प्रमाण होने से धमिकों की कार्यक्षमता नीची है।

(v) कार्य की अवधि—धमिकों को यदि उचित समय से अधिक कार्य करना पड़े और विश्वाम तथा अवकाश की नियमितता न हो तो उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(vi) भावी उन्नति की दशा—धमिकों के लिए भावी उन्नति की आशा एक प्रेरक शक्ति होती है। यदि कार्य करते रहने पर भी भविष्य ने उन्नति की आशा न हो तो धमिक की कार्य के प्रति रुचि नहीं बनी रहेगी और न हा वह कार्य कुण्डलता पर ध्यान देगा।

(vii) कार्य-परिवर्तन एवं स्वतन्त्रता—यदि धमिकों के कार्य में धोड़ा-वहूत परिवर्तन किया जाता रहे तो कार्य के प्रति उनमें गुप्तता या उदासीनता के भाव जाप्रत नहीं होगे। कार्य करने की इच्छा बनाए रखने के लिए यह भी उचित है कि धमिकों को समुचित स्वतन्त्रता दी जाए।

(4) प्रबन्ध की योग्यता—धमिकों की कार्य-कुशलता सेंगठनकर्ता अथवा प्रबन्धकर्ता की योग्यता पर भी नियंत्र करनी है। यदि प्रबन्धक योग्य और अनुभवी

हैं तो वह धर्मिकों के बीच उनकी रुचि और योग्यता के अनुमान कार्य का वितरण करेगा। एक निपुण प्रबन्धकर्ता उत्पादन के अन्य साधनों के साथ धर्म को अनुकूलतम् अनुपात में मिलाने की चेष्टा करेगा और धर्मिकों को उचित मुद्रिधाएँ देने की व्यवस्था करेगा। इन सब बातों के फलस्वरूप धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति विकसित होगी। यदि प्रबन्धक अयोग्य और अकृशल हैं तब न तो वह धर्मिकों का उचित संगठन और समन्वय ही कर पाएगा और न ही ऐसी दशा उत्पन्न कर सकेगा जो धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति को बढ़ाती है।

(5) विद्यिध कारण—कुछ और भी तत्त्व हैं जो धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति को प्रभावित करते हैं। ये निम्न हैं—

(i) धर्मिक संघों का प्रभाव—विघटनकारी धर्मिक संघ धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति का ह्रास करेंगे जबकि व्यवस्थित और शक्तिशाली धर्मिक संघ धर्मिकों को सौदेगाजी की ज़रूरि को बढ़ा सकेंगे, उनके लिए स्वस्थ कार्य दशा उत्पन्न करा सकेंगे, और इस प्रकार धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति को विकसित करने में सहायक होंगे।

(ii) धर्मिकों तथा मालिकों में सम्बन्ध—यदि धर्मिकों और मालिकों के बीच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हैं तो धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति अधिक होगी और उत्पादन अच्छा और अधिक हो सकेगा। इसके विपरीत इन दोनों के सम्बन्ध तनावपूर्ण हैं तो हड्डियाँ, असहयोग आदि के दौर खलेंगे जिससे न केवल उत्पादन घटेगा बल्कि धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(iii) सरकारी नीति—सरकार उपयोगी धर्म अधिनियम वारित कर धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति में बूँदि कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विभार, धर्मिकों को शोषण से मुक्त करने सम्बन्धी कानूनों के निर्माण आदि द्वारा सरकार धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति में उल्लेखनीय बूँदि ला सकती है। पर यदि निष्ठिय है तो धर्मिकों के शोषण किए जाने के द्वार सदैव खुले रहेंगे।

(iv) धर्मिकों का प्रवासी होना—यदि धर्मिक किसी व्यवसाय में जमकर कार्य करने की अपेक्षा ‘लुडकर्ट लोट’ है और जल्दी ही जल्दी व्यवसाय तथा स्थान परिवर्तन करते हैं तो वे किसी भी काम में निपुण नहीं हो सकेंगे।

(v) भारत में धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति—भारत में धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति विकासित राष्ट्रों के धर्मिकों ही कार्यकृताभित्ति की तूलना में बहुत कम है। सर्वाधिकों आँकड़ों से पता चलता है कि लोह-इस्पात उद्योग में अमेरिकी धर्मिकों की कार्यकृताभित्ति अन्य देशों के धर्मिकों से लगभग 10 गुनी अधिक है। बहुत कुछ इनी प्रकार की विविधता अनेक दूसरे उद्योगों में है। भारतीय धर्मिकों में अशिक्षा, प्रशिक्षण की कमी, स्वस्थ कार्य-दग्धाओं की कमी, कम वेतन आदि विभिन्न कारणों से निराजन का बातावरण प्रवर्त है। उनकी कार्यकृताभित्ति में बूँदि के लिए राजनीतिक और आयिक परिस्थितियों, कार्यों की दशाओं, संगठन की योग्यता आदि विभिन्न तत्वों में प्रभावी परिवर्तन करने होंगे।

थम की माँग एवं पूर्ति (Demand and Supply of Labour)

थम की माँग (Demand of Labour)

थम की माँग किसी वस्तु या सेवा के उत्पादकों द्वारा की जाती है क्योंकि थम की सहायता से उत्पादन-कार्य सम्भव होता है। दूसरे शब्दों में थम की माँग उमड़ी उपयोगिता के कारण नहीं की जाती है, वर्तिक थम की उत्पादकता पर ही उसकी माँग निर्भर करती है अर्थात् थम की माँग एक व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) है। जिस वस्तु का उत्पादन थम की सहायता से किया जाता है उस वस्तु की माँग पर थम की माँग निर्भर करती है। यदि वस्तु की माँग अधिक है तो थम की माँग भी अधिक होगी अन्यथा नहीं। एक कर्म थम की उस समय तक माँग करती रहती है जब तक कि थम को दी जाने वाली मजदूरी उमड़ी सीमान्त आगम उत्पादकता (Marginal Revenue Productivity) से कम रहती है। एक दी हुई मजदूरी दर पर विभिन्न उत्पादकों द्वारा जितनी मात्रा में थम की माँग की जाती है उसके योग को थम की कुल माँग (Total Demand for Labour) कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक उद्योग की विभिन्न कर्मों के माँग वक्रों को मिलाकर सम्पूर्ण उद्योग का जो माँग वक्र बदेगा वही थम की माँग को बताएगा। थम की माँग को प्रभावित करने वाले तत्त्व निम्नलिखित हैं—

1. थम की उत्पादकता और उसको दिया जाने वाला पारिप्रसिक—थम की मजदूरी से यदि उसकी सीमान्त उत्पादकता का मूल्य (Value of Marginal Productivity or V.M.P.) अधिक होता है तो थम की माँग अधिक होगा।

2. उत्पादन की मात्रा—यदि किसी वस्तु का अधिक उत्पादन किया जाता है और उसमें अधिक अधिक लगाए जाते हैं है तो थम की अधिक माँग की जाएगी।

3. उत्पादन विधियाँ (Production Techniques)—जिस वस्तु का उत्पादन पूँजीगत उत्पादन विधि द्वारा होता है, उसमें मशीनें अधिक लगाई जाती हैं तथा थम की माँग कम की जाती है।

4. अधिक विकास का स्तर—ऊँची दर से आदिक विकास करने हेतु थम की अधिक माँग की जाती है तथा धीमी दर से विकास करने पर थम की माँग कम होती है।

5. उत्पादन के अन्य साधनों का पुरस्कार (Remuneration) तथा थम के प्रतिस्थापन की सम्भावना—यदि उत्पादन के अन्य साधन महेंगे हैं तथा थम को उनकी जगह लगाकर उत्पादन सम्भव होता है तो थम की माँग अधिक होगी। इसके विपरीत अन्य साधन सन्तु तथा थम के स्थानापन्न सम्भव न होने पर थम की माँग कम ही होगी।

एक उद्योग में थम की माँग विभिन्न कर्मों के माँग वक्र का योग होती है। उद्योग में थम का माँग वक्र (Demand Curve of Labour) बाईं से नीचे दाईं

और गिरता है जो मजदूरी तथा थम की मांग के बीच विपरीत सम्बन्ध को प्रदर्शित करता है अर्थात् ऊँची मजदूरी पर कम थम की मांग की जाती है तथा नीची मजदूरी पर अधिक थम की मांग होगी। थम की मांग अल्पकाल में बेलोचदार होती है जबकि दीर्घकाल ने यह ताचदार होती है।

थम की पूर्ति (Supply of Labour)

इसका अर्थ विभिन्न मजदूरी दरों पर किसी देश की कार्यशील जनसंख्या (Working Population) का कार्य करने के कुल घण्टों (Total working hours) पर कार्य करने के लिए तैयार होगा है। फिनी भी देश में थम की पूर्ति अनेक तत्त्वों पर निर्भर करती है, जैसे-मजदूरी का स्तर, देश की कार्यशील जनसंख्या, धर्मिकों की कार्यकुशलता, कार्य करने के घण्टों की संख्या और देश की जनसंख्या में वृद्धि की दर आदि। देश की जनसंख्या में वृद्धि होने पर तथा कार्यशील जनसंख्या का भाग अधिक होने पर थम की पूर्ति में वृद्धि होगी तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होने पर भी थम की पूर्ति के गुणात्मक पहलू (Qualitative Aspects) पर भी प्रभाव पड़ेगा। थम के कार्य-आराम अनुपात (Work-Leisure Ratio) तथा थम संघों (Trade Unions) का भी थम की पूर्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

थम की पूर्ति के निर्धारक तत्त्व—किसी भी देश में थम की पूर्ति के निर्धारक तत्त्व या उसे प्रभावित करने वाले तत्त्व (घटक) चार हैं—

1. जनसंख्या,
2. कार्य एवं आराम अनुपात,
3. धर्मिकों की कार्यकुशलता, एवं
4. वास्तविक मजदूरी की दर।

1. जनसंख्या तथा थम-पूर्ति—जनसंख्या और थम की पूर्ति में घनिष्ठ सम्बन्ध है—

(i) अन्य दातों के समान रहते हुए, जनसंख्या का आकार जितना अधिक होगा थम की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी। उदाहरणार्थ, भारत और बीन की जनसंख्या विषय में सबसे अधिक है और इन देशों में थम की पूर्ति भी सर्वाधिक है।

(ii) जनसंख्या बढ़ने की गति जितनी तीव्र होगी उतनी ही थम-शक्ति में भी तेजी से वृद्धि होगी। उदाहरणार्थ, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 2.5 प्रतिशत है और थम की पूर्ति में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।

(iii) थम की पूर्ति और जनसंख्या वृद्धि में सम्बन्ध (Time Lag) होता है। आज जो बच्चा जन्म लेता है वह लगभग 15 वर्ष बाद ही थम की पूर्ति में सहायक होगा है। यद्युपरि विकसित कृषि प्रवान अर्ध-अयवस्थाओं में अधिकांश यामीण क्षेत्रों के बच्चे स्कूल आदि नहीं जाते, अतः वे जनशी से ही थम में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी ओर उक्त द्वारा विकसित राष्ट्रों में बच्चे थम शक्ति में देर से प्रवेश करते हैं।

14 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

(iv) यदि कार्यशील जनसंख्या में मृत्युदर कम और जन्मदर अधिक है तो साथ ही वच्चों की मृत्युदर में भी कमी है तो श्रम की पूर्ति तीव्र बेग से बढ़ती है। पिछड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में वच्चों की मृत्युदर प्राय बहुत अधिक होती है और नए वच्चों में लगभग 50 प्रतिशत ही थम करने की आयु तक जीवत रहते हैं।

(v) जनसंख्या की आयु-वर्ग सरचना (Age Composition) भी श्रम की पूर्ति को ही प्रभावित करती है। आधिक इंटर्व्हू से प्राय 15-60 आयु-वर्ग को जनसंख्या उत्पादक मानी जाती है, यहाँ जिस देश में इस आयु-वर्ग का प्रतिशत जितना अधिक होगा वहाँ श्रम की पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी। एक अध्ययन के अनुसार विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं की लगभग 62 से 65 प्रतिशत जनसंख्या इस आयु-वर्ग में प्राप्ति है जबकि पिछड़े देशों में यह अनुपात 55 प्रतिशत के आसपास ही पाया जाता है। साथ ही जहाँ विकसित राष्ट्रों में इस आयु-वर्ग में काम न करने योग्य लोगों का प्रतिशत बहुत कम होता है वहाँ पिछड़े देशों में यह प्रतिशत काफी अधिक पाया जाता है।

(vi) जीवन काल का भी श्रम की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में औसत आयु कम है तो कार्यशील जनसंख्या में यह श्रम दर्दन कम समय तक रह पाएगा और यदि जीवन-काल अधिक है तो वह श्रम कार्यशील जनसंख्या में अधिक समय तक टिक सकेगा और श्रम की पूर्ति अपेक्षाकृत अधिक होगी। अर्द्ध-विकसित देशों में औसत आयु प्राय नीची पाई जाती है। भारत में 1951 में औसत आयु 32 वर्ष की थी जो 1971 में बढ़कर 52 वर्ष हो गई।

(vii) लोगों की प्रकृति और श्रम की पूर्ति में भी सम्बन्ध है। यदि कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्ति आलसी, कामचोर और कार्य करने के अनिच्छुक हैं तो श्रम की पूर्ति उसी सीमा तक कम हो जाएगी। वास्तव में लोगों में काम करने की रुचि और प्रबल इच्छा से श्रम-शक्ति में बृद्धि होती है।

(viii) देश की जनसंख्या का विदेशों में प्रवास होने से श्रम की पूर्ति कम होती है। जबकि देश में विदेशों से जनसंख्या का आप्रवास होने पर श्रम की पूर्ति बढ़ती है।

(ix) जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी श्रम की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि जनसंख्या का मानसिक स्तर ऊँचा है और जीवन आकर्षक और अभिताप्ताओं से पूर्ण है तो श्रम-शक्ति का विकास होगा और यदि जनसंख्या मनोवैज्ञानिक निराशा से पीड़ित है तो श्रम की पूर्ति कम होगी।

2 कार्य एवं आराम अनुपात—जिस प्रकार जनसंख्या श्रम की मात्रामें पूर्ति को प्रभावित करती है उसी प्रकार काम के घण्टों और शान्तिपूर्ति में भी सम्बन्ध है। यदि श्रमिक कम आराम और अधिक कार्य करना चाहता है तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और यदि अधिक आराम व कम कार्य करना है तो श्रम की पूर्ति घटेगी। मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक अधिक आराम भी कर सकता है परं अधिक कार्य कर सकता है। यह मजदूरी बढ़ने का प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitute Effect of

Unincreased Wage Rate) कहलाता है। इस स्थिति में मजदूरी में वृद्धि होने पर थम का पूर्ति दफ्तर की ओर उठेगा क्योंकि थमिक मजदूरी बढ़ने के कारण अधिक कार्य करेगा। दूसरी ओर मजदूरी बढ़ने पर थमिक अधिक आरामतनब भी हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप थम-पूर्ति वरु डफ्टर उठने की चेताव दाहूं और भुक्त हुग्रा (Backward Bending) होगा और यह मजदूरी वृद्धि का ग्राप प्रभाव (Income Effect) कहा जाएगा।

3. थम की कार्यकुशलता—कार्यकुशलता अधिक होने पर उत्पादन पर वैसा ही प्रभाव होगा जैसे कि थम की पूर्ति बढ़ाने पर अधिक उत्पादन सम्भव होंगा। इसके विपरीत कार्यकुशलता कम होने पर अधिक थमिक लगाते के बावजूद भी उत्पादन अधिक प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

4. वास्तविक मजदूरी की दर—सामान्यता मजदूरी की दर में वृद्धि थम की कुल पूर्ति को बढ़ाती है। प्राप्त होता यह है कि प्रारम्भ में वास्तविक मजदूरी की दर बढ़ाने के साथ-साथ थम की पूर्ति भी बढ़ती है अर्थात् थमिक प्रतिदिन अधिक घण्टे कार्य करते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद मजदूरी की दर में वृद्धि होने के फलस्वरूप थम की पूर्ति में कभी आरम्भ हो जाती है क्योंकि पहले की अपेक्षा कम समय तक काम करने पर ही, पहले जिन्हीं आप प्राप्त होने लगती हैं अन्यथमिकों में कम समय काम करने, अधिक अवकाश लेने और विधाम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकार आरम्भ में जहाँ थम की पूर्ति का वक्त आगे की ओर डफ्टर उठता हुआ होता है, वहाँ बाद में पीछे की ओर मुड़ता हुग्रा होता है अर्थात् एक सीमा के बाद थम की पूर्ति तथा मजदूरी की दर में अखण्डित सम्बन्ध हो जाता है—

- (i) जनसंख्या के प्राकार में वृद्धि होती है, और
- (ii) थम की कार्यकुशलता में वृद्धि से थम की पूर्ति बढ़ जाती है।

थम बाजार (Labour Market)

थम बाजार वह बाजार है जहाँ पर थम का क्य-विकल्प किया जाता है अर्थात् थम को बेचने वाले (थमिक) व थम को खरीदने वाले (मानिक-नियोजक) थम का सौदा करते हैं। थम के केना और विकेना के मध्यस्थ एक वस्तु के केना-विकेना की भाँति अस्थायी नहीं होते हैं। केना-विकेना जो कि थम का सौदा करते हैं, व्यक्तिगत तरहों में काफी प्रभावित होते हैं।

थम बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of Labour Market)

थम बाजार, जिसमें थम की मांग और पूर्ति वाले पक्षों का ग्राफ्यन किया जाता है, वे स्थानीय होते हैं और इस बाजार की अप्रलिखित विशेषताएँ हमें देखने को मिलती हैं—

16 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

1. थम मे गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। अमिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को गतिशील नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप मजदूरी मे विभिन्नताएँ पाई जाती हैं तथा मालिक भी उसको कम मजदूरी देकर उसका आविक शोषण करने मे सफल हो जाता है। गतिशीलता मे कभी थम की अविच्छिन्नता, अनभिन्नता, भावा, धर्म, रीति-रिवाज आदि कारणों का परिणाम होती है।

2. थम बाजार मे थम संघो के सुदृढ़ होने वाले स्थानों को घोड़कर प्रतिधिकारी (Monopsomy) की स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ थम सप सुदृढ़ होते हैं, वे अपनी पूर्ति पर नियन्त्रण करके प्रधिक मजदूरी लेने मे सफल हो सकते हैं और इस तरह एकाधिकारी (Monopoly) की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक जीवन मे हमें यह स्थिति अपवाद के रूप मे मिल सकती है। अधिकांशतः थम बाजार मे क्रेताधिकारी (Manopsomy) की स्थिति देखने को मिलती है। इसमे प्रबन्धक मालिक संगठित होकर थम का क्रय करते हैं तथा उसको कम मजदूरी पर खरीदते हैं।

3. थम बाजार एक अपूर्ण बाजार होता है जिसमे नामाभ्य मजदूरी (Normal Wages) देखने को नहीं मिलती है। मजदूरी की विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं।

भारतीय थम बाजार (Indian Labour Market)

भारत एक विकासशील और जनाधिक बाला (Overpopulated) राष्ट्र है जहाँ पर भारी बेरोजगारी भी है। इस विशेषता का प्रभाव यहाँ के थम बाजार पर भी पड़ता है। भारतीय थम बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हमे देखने को मिलती हैं—

1. भारतीय आर्थिकवस्था मे विभिन्न थोको मे अद्वै-बेरोजगारी (Under-employment) देखने को मिलती है। कृषि थोक मे देश की 80% जनसंख्या लगी हुई है लेकिन प्रो नर्कसे के अनुसार अद्वै-विकसित या विकासशील देशो मे 15 से 20% तक कृषि थोक मे छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised-unemployment) देखने को मिलती है। यहाँ तक कि थम की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) शून्य (Zero) है। गंर-कृषि थोको मे भी बेरोजगारी विचमान है।

2. भारतीय थम बाजार की दूसरी विशेषता यह है कि थम की पूर्ति सभी नौकरियों की सहया से अधिक होते हुए भी कुछ नौकरियों के लिए थम का अभाव है, जैसे तकनीकी व सुपरवाइजरी पदो के लिए अधिक अमिक नहीं मिल पाते हैं।

3. प्रस्तिर थम गति (Unstable Labour Force) भी भारतीय थम बाजार की एक विशेषता है जिसमे थमिक श्रीदोगिक कार्य हेतु तैयार नहीं होते

द्वयोकि वे अधिकांशत, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना व रहना पसंद करते हैं। अतः थ्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना तथा एक स्वायी धौदोगिक थ्रम शिवित तैयार करना भी एक समस्या बन गई है।

4. भारतीय थ्रम जनसंख्या (Labour Population) में अधिकांश थ्रमिक युवक हैं। इस प्रकार के थ्रमिकों के लिए सामाजिक विनियोग (Social Investment) शिक्षा, प्रभिक्षण, चिकित्सा सुविधाएं आदि के रूप में करना पड़ेगा।

थ्रम बाजार का मजदूर पक्ष

(The Employee Side of the Labour Market)

थ्रम बाजार भी अन्य बाजारों की भौति है, लेकिन जब भी हम थ्रम का अध्ययन करते हैं तब हमें पहला ध्यान रखना होगा कि हम कार्य करने वाले मानवीय पक्ष का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें थ्रम की मौग और पूर्ति दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना पड़ेगा। थ्रम बाजार के मजदूर पक्ष में हम थ्रम की पूर्ति पक्ष (Supply side of Labour-Employee) का अध्ययन करते हैं।

थ्रम शक्ति के रूप में सक्रिय भाग लेने की प्रवृत्ति जिसे थ्रम शक्ति प्रवृत्ति (Labour force propensity) भी कहा जाता है, न केवल जनसंख्या की वृद्धि की दर द्वारा ही प्रभावित होनी है, बल्कि जनसंख्या वृद्धि के लिए तथा इसके आयु एवं लिंग-वितरण (Age and Sex distribution) द्वारा भी प्रभावित होती है।

सामाजिक रीति-रिवाज भी जनसंख्या के कार्य करने वाले अनुपात को प्रभावित करते हैं। विकसित देशों में शिक्षा के अधिक प्रसार के कारण थ्रम शक्ति के रूप में जनसंख्या का भाग कम होने लगता है जबकि एक विकासशील देश (जैसे, भारत) में जहाँ जनसंख्या का अधिकांश भाग अशिक्षित होता है, थ्रम शक्ति में जनसंख्या का अनुपात कार्य के रूप में लगेगा।

व्यावरायिक परिवर्तन (Occupational shifts), साधनों का आवण्टन (Allocation of resources), तकनीकी परिवर्तन (Technological changes) आदि भी थ्रम शक्ति में जनसंख्या के लगाए जाने वाले भाग को प्रभावित करते हैं। उदाहरणात् एक विकासशील देश में जहाँ थ्रम-प्रधान उत्पादन के तरीके (Labour intensive techniques of production) अपनाए जाते हैं, वहाँ थ्रम की अधिक मौग होगी।

थ्रम की व्यावरायिक गतिशीलता तथा भौगोलिक गतिशीलता (Occupational and Geographical mobilities of labour) में वृद्धि मजदूरी बढ़ाने में की जा सकती है, लेकिन मजदूरी में वृद्धि के अतिरिक्त जो अधिक प्रभावशाली तत्व इसमें वाधक हैं, वे हैं—सामाजिक रीति-रिवाज, परिवार व स्थान से लगाव, घर्म, भाषा, रहन-सहन, खान-नान। अब आधुनिकता एवं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ गतिशीलता में वृद्धि हो रही है।

प्रबन्ध और थ्रम बाजार

(Management & Labour Market)

प्रबन्धक या नियोजक थ्रम की मौग करता है। थ्रम की महायता से मानिक

18 मजदूरी नीति एवं मानात्रिक सुरक्षा

उत्पादन करना है। एक गणितीय प्रबन्धवस्था में नियोजक थम की मौग करने से पूर्व यह अनुमान लगाएगा कि वित्ती उत्पादन उसे करना है। साथ ही उस काम की मौग, उत्पादन लागत, उस बन्धु का बाजार, जाम आदि सभी विषयों पर नियंत्रण करके थम की एक निश्चित गल्ला को रोजगार प्रदान करेगा।

प्रबन्धक व्यवसाय में गणठन के विषय में भी नियंत्रण लेगा कि गणठन वा आधार तथा प्रकार व्या होंगा? समृद्धन-Staff, या Line या Staff & Line प्रबन्ध विधानमुक्त समृद्धन (Functional Organisation) में से कोई भी प्रपत्राया जा सकता है।

मदेन्यवाहन (Communication), कार्य करने वाली टीम, नियोजकों वा समृद्धन या सघ (Association of Employers), नियोजकों ही अस्तिकों की पर्याप्ति (Recruitment), चयन (Selection), प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme), कामिक व्यवहार (Personnel Practice) आदि के सम्बन्ध में भी एक निश्चित नीति का नियांत्रण करना पड़ेगा। इन सबका प्रभाव न केवल व्यवसाय के समृद्धन पर ही पड़ता है वर्तिक वे दोनों पक्षों—मानिस व मजदूर पक्ष को भी प्रभावित करते हैं। इन सबके अनुरूप व मानव हीने पर मम्पुण्ड व्यवसाय या उद्योग गफल होगा जिसमें न केवल दोनों पक्ष वर्तिक उपभोक्ता, गमात व गट्ट मी नामान्वित होंगे।

इस प्रकार थम की विजेताएँ, थम बाजार की विजेताएँ यानिह प्रोर मजदूर दृष्टिकोण व व्यवहार तथा व्यवसाय का गणठन व ढाँचा एक-दूसरे पर पूर्ण हृषि में प्राप्ति हैं। वे एक-दूसरे को पूर्ण हृषि में प्रभावित करते हैं। पन वी ही हृषि मिति या दशाओं में उचित नीतियों व कार्यक्रमों की सहायता में इन्हीं भी उद्योग को सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है।

भारत में अस्तिकों का विभाजन : कार्यशील जनसंख्या (Distribution of Working Population in India)

देश के सविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों पर ही भारत की थम नीति मूल हृषि से आधारित है। नीति-निर्देशक तत्त्व ममान कार्य के निए समान बेनन, काम की समुचित और मानवीय विषयों और सभी मजदूरों के निए एक आजीविका मजदूरी का प्रादेश देते हैं। मरकार देश में मजदूरों के मन्त्रित धोनों के कल्याण को महत्व देती है, विशेष तौर पर स्वतन्त्रता के बाद से। यह उस तथ्य से भी प्रकाशित होता है कि 1947 के बाद मानात्रिक सुरक्षा, मुरक्षा आद वन्ध्याण आदि के धोन में एक बड़ी सख्ती में अधिनियम पारित हुए हैं जबकि घोयोगीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में थम नीति मुख्यतः थम दलों के मन्त्रित धोनों के साथ जुड़ी हुई थी। सम्भित धोनों के अस्तिकों की वाप्तिक आप और कार्य मिति के गुणार को ध्यान में रखते हुए, मानवकल व्यवस्थित धोनों के अस्तिकों के हितों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। प्रमगठित धोनों के निए भी मुख्य अधिनियम और नियम तैयार किए गए हैं। मूलतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को उस धोन के बहुत से अस्तिक वर्गों पर लागू किया गया है।

तदापि भारत की अर्थव्यवस्था के विश्वस्त आँकड़े केवल समठित क्षेत्र के बारे में उपलब्ध हैं। थमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पास किए गए अधिकांश कानून इसी क्षेत्र में थमिकों की भलाई के लिए है। इन थमिकों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी चल रही हैं। इनमें फैक्ट्री एक्ट, मजदूरी अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, जैसे—कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी भविष्य-निधि योजना, थमिकों और उनके परिवारों के लिए मृत्यु राहत और परिवार पेनशन समिलित है। कुछ नियम असमित क्षेत्र के लिए भी बनाए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 इस क्षेत्र के बहुत से थमिक वर्गों पर भी लागू होता है।

थम एक समवर्ती विषय है। थम कानून केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वानों के द्वारा बनाए जाते हैं और सचालित होते हैं। सामान्यतः थम कानूनों को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तथा ये कुछ केन्द्रीय क्षेत्रों में काम करने वाले थमिक जैसे रेलवे, बन्दरगाह, खान, बैंकिंग और बीमा-कम्पनियों सीधे केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भारत में थमिकों की संख्या 1981 में लगभग 24,46 करोड़ या देश की कुल जनसंख्या का 36.77 प्रतिशत थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के समठित क्षेत्र में सर्वाधिक थमिक फैक्टरियों में काम करते हैं।¹ 1981 में, चालू फैक्टरियों में, जिनके आँकड़े उपलब्ध हैं, प्रतिदिन का अनुमानित भ्रौसत रोजगार 72,71 लाख था।

महाराष्ट्र में फैक्ट्री कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी (12,53,755)। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल (9,25,053), तमिलनाडु (7,19,611), गुजरात (6,68,059) तथा आन्ध्र प्रदेश (5,62,390) आते हैं। 1978 में मध्य खानों में काम करने वाले थमिकों की प्रतिदिन आमतः संख्या 7,41,777 थी (3,10,170 खानों के अन्दर, 2,06,121 खान की सतह पर संख्या 2,25,486 खानों के बाहर) अग्रिम सारणी में थमिकों की स्थिति (लिंग और कार्यवार) दिखाई गई है²—

1 कैफट्री अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत फैक्ट्री की परिभाषा इस प्रकार की गई है—कोई भी एंटा स्थान, प्रांगण सहित, जहाँ पर 10 या 10 से अधिक थमिक कार्य कर रहे हों, या पिछले 12 महीनों में उसी दिन भी कार्य करते रहे हों, और उसके किसी भी भाग में निर्माण कार्य के लिए विजली का उपयोग किया जा रहा हो। जहाँ विजली का प्रयोग न किया जाता हो वहाँ थमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक होनी चाहिए।

अधिनियम से थमिक उस शक्ति को कहा गया है जिसका निर्माण प्रतिवाय में या किसी भूमिका या उसके द्वारा स्थान वी साझा भी न उपयोग किया जाता हो, या किसी ग्रन्थ प्रकार के काम में, जिसका सम्बन्ध निर्माण प्रक्रिया के विषय से सम्बन्धित हो और जिसकी सीधे या किसी एजेंसी के द्वारा नियुक्ति की जाती हो, चाहे उसे मजदूरी दी जाती हो या नहीं।

2 भारत 1985, पृ. 557-58.

20 मजदूरी नीति एव सामाजिक सुरक्षा

धनिक तथा गैर-धनिक संस्था का बेटवारा (1981 की जनगणना)

(ताल में)

| श्रेणी | पुरुष | | | महिलाएँ | | | योग कुल वर्षी जनसंख्या | पुरुष वर्षी जनसंख्या | महिला का प्रतिशत | योग का प्रतिशत |
|---------------------------|--------|--------------------|------------|---------|------------|------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | संस्था | कुल पुरुष जनसंख्या | का प्रतिशत | संस्था | कुल संख्या | का प्रतिशत | | | | |
| धनिक जनसंख्या | | | | | | | | | | |
| कुल (क+ख) | 1,810 | 52·65 | 636 | 19·77 | 2,446 | 36·77 | | | | |
| (क) कुल मूल धनिक | 1,775 | 51·62 | 450 | 13·99 | 2,225 | 33·45 | | | | |
| (i) कृषक | 776 | 22·56 | 149 | 4·65 | 925 | 13·9 | | | | |
| (ii) कृषक मजदूर | 347 | 10·10 | 208 | 6·46 | 555 | 8·34 | | | | |
| (iii) घोरल उद्योग | 56 | 1·64 | 21 | 0·64 | 77 | 1·16 | | | | |
| (iv) धनिक धनिक | 596 | 17·32 | 72 | 2·24 | 668 | 10·04 | | | | |
| (ख) सीमात धनिक | 35 | 1·03 | 186 | 5·77 | 221 | 3·32 | | | | |
| (ग) कुल गैर-धनिक जनसंख्या | 1,629 | 47·35 | 2,578 | 80·23 | 4,207 | 63·23 | | | | |
| (घ) कुल जनसंख्या (क+ख+ग) | 3,439 | 100·00 | 3,214 | 100·00 | 6,653 | 100·00 | | | | |

मजदूरी के सिद्धान्त, सीमान्त उत्पादकता, संस्थात्मक और सौदेकारी सिद्धान्त, अम का शोषण, मजदूरी में अन्तर के कारण

(Wage Theories, Marginal Productivity,
Institutional and Bargaining Theories,
Exploitation of Labour, Causes of
Wage Differentials)

थम-उत्पादन में बहुदि तभी स्वाभाविक है जब थमिकों को समुचित कार्य के लिए समुचित मजदूरी दी जाए। पर्याप्त मजदूरी के अभाव में अमजीवियों से सामान्यतः यह आशा नहीं की जा सकती कि वे लगन से काम करेंगे। अपर्याप्त मजदूरी का उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे उनमें अमन्त्रोप जाग्रत होता है और मालिकों अथवा नियोजकों तथा थमिकों के सम्बन्धों में फूरियाँ उत्पन्न होती हैं। वस्तुतः मजदूरी (Wages) वह धुरी है जिसके चारों ओर थम-समस्याएँ चक्कर लगाती हैं। अर्थात् वस्तुतः चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील, मजदूरी पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या प्रायः अधिक होती है और इस प्रकार समाज के आर्थिक ढाँचे में इन लोगों का प्रमुख स्थान होता है। विकसित देशों में मजदूरी पर निर्भर लोगों की संख्या विकासशील देशों की तुलना में प्रायः इसीनिए अधिक होती है कि विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है। 'मजदूरी' अर्थशास्त्रियों के लिए एक दिमागी कमरत रही है और इसके विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। मजदूरी के सिद्धान्तों के विवेचन पर आने से पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में आवश्यक है कि हम 'मजदूरी' के बारे और महत्व की मज्दूरी तरह समझ लें।

मजदूरी का अर्थ (Meaning of Wages)

'थम' उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। कुन उत्पादन में से 'थम' को जो भाग अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है उसे साधारणतया 'मजदूरी' कहते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पादन-प्रक्रियाओं के अन्तर्गत अधिक द्वारा दी गई सेवाओं का

22 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

जो मूल्य है वही 'मजदूरी' है। प्रो. फेल्प्स (Prof. Phelps) के अनुसार, "व्यक्तिगत सेवाओं के लिए दिया जाने वाला मूल्य ही मजदूरी है" प्रो. के. एन. वैद के अनुसार "एक व्यक्तिको किसी कार्य को मात्रा करने पर मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।"¹

प्रो. सबसेना के अनुसार, "मजदूरी एक प्रसविदा भाष्य (Contract Income) है जो कि मानिक व मजदूर दोनों के बीच निश्चित की जाती है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तिको मुद्रा या वस्तु के बदले अपना थम बेचता है। मजदूरी की एक विस्तृत परिभाषा में वे सभी पारिश्रमिक, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है और जो कि रोडगार के प्रसविदे के अनुसार एक व्यक्तिको को देय होते हैं।"² इन प्रकार मजदूरी में यात्रा भत्ता, प्रोविडेन्ट फण्ड में दिया गया योगदान, किसी मकान सुविधा या कल्याणकारी सेवाओं हेतु दिया जाने वाला द्रव्य का भाग शामिल नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द व्यापक है तथा इसके अन्तर्गत न केवल विभिन्न प्रकार के व्यक्तिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक ही सम्मिलित किया जाता है, वर्तिक फर्मों तथा फॉर्मिट्रों के मैनेजर, उच्च अधिकारी, सरकारी अफसरों को दिया जाने वाला वेतन, व्यावसायिक लोगों (Professional People) जैसे दक्षील, अध्यापक, डॉक्टर आदि को दिया जाने वाला पुरस्कार (Remuneration), बोनस (Bonus), रोयल्टी (Royalty) तथा कमीशन (Commission) आदि को शामिल किया जाता है।

मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी (Money Wages and Real Wages)

नकद या मौद्रिक मजदूरी वह मजदूरी है जो व्यक्तिको उसके थम के बदले में मुद्रा के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे 3 रुपये प्रति घण्टा, 10 रुपये प्रति दिन, 300 रुपये प्रति माह आदि। लेकिन नकद मजदूरी से हमें व्यक्तिकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं तगड़ा और इसलिए उसकी मौद्रिक मजदूरी के साथ-साथ उसकी वास्तविक मजदूरी के विषय में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

वास्तविक मजदूरी (Real Wages) वह मजदूरी है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिको उसकी सेवाओं के बदले कितनी वस्तु तथा सेवाएँ प्राप्त होती है अर्थात् व्यक्तिकी मौद्रिक मजदूरी के द्वारा व्यक्तिकी कितनी वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीद सकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्तिको अपनी नकद मजदूरी से व्यक्तिकी वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्राप्त होनी हैं और वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को यातानी से पूरा कर लेता है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी वास्तविक मजदूरी केंची है। इसके विवरीत यदि व्यक्तिको नकद मजदूरी के वावजूद भी वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं

1 Vard K N : State and Labour in India, p. 89.

2 Saxena R C. Labour Problems and Social Welfare, p. 512.

को पूरा नहीं कर पाता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी मौद्रिक आय की वास्तविक क्रय-शक्ति कम है। मुद्रा-स्फीत के अन्तर्गत मुद्रा की क्रय-शक्ति गिरने के कारण श्रमिक अधिक मौद्रिक आय की मांग करते हैं जबकि मुद्रा-मपस्फीति (Deflation) के अन्तर्गत मुद्रा की क्रय-शक्ति अधिक होने के परिणामस्वरूप श्रमिकों को आधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। वर्तमान समय में भारत में बढ़ती हुई कीमतें इस बात की दोतक हैं कि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी (Real Wages) में गिरावट आ रही है।

वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्त्व

एक व्यक्ति की वास्तविक आधिक स्थिति का ज्ञान उसकी नकद मजदूरी से नहीं बल्कि उसकी वास्तविक मजदूरी से होता है। विभिन्न व्यवसायों में वास्तविक मजदूरी भिन्न-भिन्न पाई जाती है। वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्त्व होते हैं—

1. मुद्रा की क्रय-शक्ति (Purchasing Power of Money)—यह वास्तविक मजदूरी को निर्धारित या प्रभावित करती है। यदि कीमतें नीची हैं तो अधिक वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदी जा सकेंगी, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। इसके विपरीत ऊँची कीमतों पर वस्तुओं व सेवाओं के मिलने पर मुद्रा की क्रय-शक्ति कम होने के कारण वास्तविक मजदूरी कम होगी।

2. अतिरिक्त आय (Extra Earnings)—यदि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ेगी। उदाहरणत एक प्राच्यपक को उसकी किताब पर मिलने वाली रोयलटी तथा श्रमिकों व मैनेजरों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इससे उनकी वास्तविक आय बढ़ेगी।

3. अन्य सुविधाएँ (Other Facilities)—किसी भी व्यक्ति या श्रमिक को मिलने वाली निःशुल्क चिकित्सा मुविवार्ए, उसके भक्तान, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आदि भी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि करने वाले तत्त्व हैं।

4. कार्य की दशाएँ अच्छी होने पर, कार्य रुचिकर होने पर, कार्य की नियमितता आदि से भी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है। यदि कार्य की दशाएँ अच्छी नहीं हैं, कार्य रुचिपूर्ण नहीं है, कार्य अस्थायी है, तो मौद्रिक मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम होगी।

5. प्रशिक्षण का समय तथा व्यय—व्यावसायिक सेवाओं (Professional Services) जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आदि के लिए प्रशिक्षण पर व्यय करना पड़ता है तथा इसमें समय भी लगता है। अत वास्तविक मजदूरी ज्ञात करते समय इस प्रकार के प्रशिक्षण हेतु किया गया व्यय तथा अवधि को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

6. भावी उन्नति के अवसर-जिस व्यवसाय या उद्योग में भविष्य जे उन्नति के अधिक अवसर हैं तो प्रारम्भ में कम नकद मजदूरी होने पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी।

मजदूरी का महत्व (Importance of Wages)

मजदूरी सम्बन्धी प्रश्न न केवल श्रमिकों के जीवन-स्तर तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के रूप में ही महत्वपूर्ण है, बल्कि मह उत्पादन में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। श्रमिक का जीवन-स्तर, उसकी कार्यकुशलता सभी मजदूरी पर नियंत्र करती है। मजदूरी श्रमिकों को उनकी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान है और वह उनकी आय है। दूसरी ओर नियोजक श्रमिकों की सहायता से उत्पादन क्रियाओं का सम्पादन करते हैं और उनके लिए यह उत्पादन लागत का एक अंग माना जाता है। श्रमिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब प्राचीन दृष्टिकोण—वस्तु दृष्टिकोण (Commodity Approach) बिलकुल समाप्त-सा हो गया है। अब श्रमिक अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति सजग हो गया है तथा नियोजकों से सोदा करने में फ़िल्हाल नहीं है। अब श्रमिक को उच्चोग में एक सामेदार के रूप में माना जाने लगा है। मजदूरी में न केवल आर्थिक पहलू ही आते हैं यद्यपि यह गैर-आर्थिक पहलूओं को भी प्रभावित करने वाला प्रश्न है जिसका अध्ययन श्रमिक अपनी आय के दृष्टिकोण से तथा नियोजक (Employers) अपनी उत्पादन-लागत के दृष्टिकोण से करते हैं। मजदूर आर्थिक मजदूरी तथा नियोजक आर्थिक लाभ चाहने वाले उद्देश्यों में फ़ंसे हुए हैं। इन दोनों पक्षों के उद्देश्य एक-दूसरे के विपरीत हैं। प्रो. जीन मार्क्स के अनुसार, “श्रमिक यह चाहते हैं कि मजदूरी को एक वस्तु का मूल्य नहीं माना जाना चाहिए बल्कि एक आय मानी जानी चाहिए, ताकि वे उच्चमियों के माध्यम से अपनी सेवाएं देकर एक पूर्व-निर्धारित जीवन व्यतीत कर सकें।”¹

प्रो. पन्त के अनुसार मजदूरी का उपभोग, रोजगार एवं कीमतों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।² अत यह किसी भी देश में श्रमिकों के लिए एक प्रभावपूर्ण एवं प्रमत्तिशील मजदूरी नीति-निर्धारण के लिए मजदूरी की समस्या का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है।

मजदूरी निर्धारण के सिद्धान्त (Theories of Wage Determination)

मजदूरी की समस्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात् सामान्य मजदूरी की समस्या (Problem of general wages) और तुलनात्मक मजदूरी की समस्या (Problem of relative wages)। सामान्य मजदूरी की समस्या का सम्बन्ध इस बात से है कि राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधन के रूप में श्रम को किस आधार पर हिस्सा दिया जाए। दूसरी ओर तुलनात्मक या सापेक्ष मजदूरी की समस्या इस बात का अध्ययन करती है कि विभिन्न स्थानों, समय तथा श्रमिकों की

1 Jean Marchal Wage Theory and Social Groups in Dunlop, J. T. (Ed.), The Theory of Wage Determination, p. 149

2 Paul S. C., Indian Labour Problems, p. 165-67.

मजदूरी विन आधार पर निर्धारित की जाएगी। मामान्य मजदूरी निर्धारण किन आधारों पर हो, इसका अध्ययन मजदूरी के सिद्धान्तों (Theories of wages) के अन्तर्गत किया जाता है। अतः यहाँ संक्षेप में उन सभी मजदूरी के सिद्धान्तों का अध्ययन करना है, जो विभिन्न प्रथशास्त्रियों द्वारा भिन्न-भिन्न कालों में प्रतिपादित किए गए हैं।

मजदूरी का जीवन-निर्वाह सिद्धान्त अथवा लौह सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages or the Iron Law of Wages)

सर्वप्रथम इस सिद्धान्त का प्रतिगादन फॉस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों (Physiocrats) ने किया था। उन्होंने फॉस में उस समय थ्रमिक के जीवन निर्वाह की स्थिति को व्याप में रखते हुए इस सिद्धान्त का निर्माण किया। यह सिद्धान्त 19वीं शताब्दी में सभी तोणों द्वारा माना गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रिकार्डो ने भी आगे चलकर माल-मूल के जनसंख्या के सिद्धान्त के आधार पर इस सिद्धान्त का समर्थन किया। समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने भी इसी सिद्धान्त के आधार पर खूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की और कालं मावर्यं ने इसे अपने शोपण के सिद्धान्त (Theory of Exploitation) पर आधारित किया। जर्मन अर्थशास्त्री लसाले (Lassalle) ने इसे 'लौह सिद्धान्त' (Iron Law of Wages) का नाम दिया।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्धारण थ्रमिक व उसके परिवार के जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम साधनों के आधार पर होता है। मजदूरी इतनी होती चाहिए जिससे थ्रमिक दो निर्वाह हेतु न्यूनतम राशि प्राप्त हो सके। जीवित रहने के लिए आवश्यक राशि के बराबर मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि मजदूरी इस न्यूनतम जीवन निर्वाह इय से अधिक दी जाती है तो थ्रमिकों को शादी करने का प्रोत्साहन मिलेगा और उनके परिवारों में तथा थ्रमिक समृद्धि में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप मजदूरी गिरकर जीवन निर्वाह के बराबर हो जाएगी। इयके विपरीत यदि मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह से कम दी जाती है तो गर्दियाँ और जन्म-दिन हतोत्साहित होंगे और कम पोषण से मृत्यु-दर बढ़ेगी और करनस्वरूप थ्रमिकों की पूर्ति में जिनवट आने से मजदूरी में वृद्धि होगी और पुनः मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर हो जाएगी।

आलोचना (Criticism)—यह सिद्धान्त बड़ा ही निराशावादी है और स्पष्ट भाल्यम के जनसंख्या सिद्धान्त पर आधारित है। यह आधार ही गलत है कि मजदूरी में वृद्धि के मायन्साय जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। यूरोपीय देशों का उदाहरण हमारे सामने है कि वहाँ मजदूरी और आय बढ़ने के साथ-साथ जनसंख्या में वृद्धि होने के स्थान पर जीवन-न्तर उत्तर दूआ है और जनसंख्या में कमी हुई है।

1. यह सिद्धान्त थ्रम के पूर्ति पक्ष पर आधारित है। इसमें थ्रम के मानव पक्ष की उपेक्षा की गई है। किसी भी वस्तु के मूल्य-निर्धारण में जिस प्रकार पूर्ति और मांग दोनों का होना आवश्यक है उन्मी प्रकार मजदूरी-निर्धारण में भी दोनों पक्षों का होना जरूरी है। अतः मजदूरी-निर्माण का यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (One-sided theory of wage determination) है।

26 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

2. यह सिद्धान्त विभिन्न व्यवसायों में पाई जाने वाली मजदूरी की विभिन्नताओं (Wage differentials) के कारणों की व्याख्या करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

3. यह सिद्धान्त मजदूरी में वृद्धि से श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के सम्बन्ध की उपेक्षा करता है। जब श्रमिकों की मजदूरी बढ़ेगी तो इससे उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा तथा परिणामस्वरूप श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा।

4. जीवन निर्वाह से अधिक मजदूरी देने से श्रमिकों की जनसंख्या में वृद्धि होगी और मजदूरी वापिस गिरकर जीवन निर्वाह व्यय के बराबर हो जाएगी—यह बास्तविकता से परे की वात है। आज हमारे सभी विभिन्न विकसित देशों का उदाहरण है कि वहाँ मजदूरी में वृद्धि करने से जीवन-स्तर में वृद्धि हुई है न कि जनसंख्या में वृद्धि।

5. यह सिद्धान्त उत्पादन के तरीकों में सुधार, श्रमिक सत्रोतथा आविष्कारों आदि के कारण मजदूरी में वृद्धि होने के कारणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। माध्यनिक समय में श्रमिक सघों, उत्पादन रीतियों में सुधारतथा विभिन्न आविष्कारों के कारण भी समय-समय पर मजदूरी दरों में परिवर्तन करने पड़ते हैं।

6. जीवन निर्वाह के स्तर को भी ज्ञान करना कठिन है कि विभिन्न श्रमिकों व उनके परिवारों का जीवन-निर्वाह-स्तर उनकी आवायकताओं, सदस्य संख्या आदि के कारण भिन्न-भिन्न होता है।

मजदूरी का जीवन-स्तर सिद्धान्त (The Standard of Living Theory of Wages)

यह सिद्धान्त जीवन निर्वाह सिद्धान्त का एक सुधारा हुआ रूप है। 19वीं शताब्दी के अन्त में 'जीवन-निर्वाह' के स्थान पर 'जीवन-स्तर' का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त माना जाने लगा। इस सिद्धान्त के प्रनुभार मजदूरी श्रमिक के जीवन निर्वाह के आधार पर निर्धारित न करके उसके जीवन-स्तर के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। जिस प्रकार के जीवन-स्तर ध्यतीत करने के श्रमिक प्रभ्यस्त हो गए हैं उसके अनुसार ही उनको मजदूरी दी जानी चाहिए। श्रमिक उनके जीवन-स्तर से नीची मजदूरी स्वीकार नहीं करेगे। ऊचा जीवन-स्तर श्रमिक की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, अत मजदूरी अधिक होनी चाहिए। मजदूरी के जीवन-स्तर के बराबर होने से एक और श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होगी तथा श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति (Bargaining Power) में भी वृद्धि होगी क्योंकि श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि और उच्च जीवन-स्तर से जनसंख्या पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

आलोचना—। इस सिद्धान्त में श्रम की मांग पक्ष की उपेक्षा की गई है। श्रम की पूति को ध्यान में रखकर ही मजदूरी निर्धारण करना एक-पक्षीय है।

2 जीवन-स्तर के अनुसार मजदूरी दी जाए अथवा मजदूरी के आधार पर जीवन-स्तर निर्धारित किया जाए—यह निष्ठय करना कठिन है। वास्तविक जीवन में श्रमिकों के जीवन-स्तर में बृद्धि करने के लिए मजदूरी में बृद्धि करना आवश्यक है।

3 जैसा जीवन-स्तर हो उसी के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए—यह भी गलत है क्योंकि केवल उन्होंना जीवन-स्तर ही नहीं बल्कि श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता में बृद्धि होने पर मजदूरी में बृद्धि सम्भव हो सकती है।

4 जीवन-स्तर स्थिर एक परिवर्तनशील तत्त्व है। इसमें समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण मजदूरी में परिवर्तन बरना पड़ेगा लेकिन इस विषय में इस मिहान्त में कुछ भी नहीं कहा गया है।

मजदूरी कोप सिद्धान्त

(The Wage Fund Theory)

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रारम्भ में कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) का हाथ रहा, लेकिन अन्तिम हप देने वाले प्रो. जे. एस. मिल (J S Mill) ही माने जाते हैं। प्रो. मिल के अनुसार मजदूरी जनसंख्या तथा पूँजी के अनुपात पर निर्भर करती है। यहाँ जनसंख्या का सम्बन्ध श्रमिकों की संख्या से है, जो कि कार्य करने के लिए तैयार हैं। पूँजी का एक भाग श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने हेतु रखा जाता है। मजदूरी में बृद्धि तभी सम्भव होती है जबकि मजदूरी कोप में बृद्धि की जाए अथवा श्रमिकों की संख्या में कमी हो। सिद्धान्त में मजदूरी कोप को निश्चित माना है। इसमें बृद्धि या कमी सम्भव नहीं है। मजदूरी 'मजदूरी कोप' (Wage Fund) में से दी जाती है जो कि पूँजीपति द्वारा निश्चित किया जाना है तथा जिसे स्थिर माना गया है। दूसरी ओर श्रमिकों की संख्या प्राकृतिक कारणों पर निर्भर है। अत मजदूरी की सामान्य दर (The general wage rate) मजदूरी कोप में श्रमिकों की संख्या का भाग लगाने से ज्ञात की जा सकती है—

$$\text{मजदूरी कोप} \\ \text{मजदूरी दर} = \frac{\text{मजदूरी कोप}}{\text{श्रमिकों की संख्या}}$$

उदाहरणत यदि मजदूरी कोप 1000 रु. है तथा श्रमिकों की संख्या 200 है तो मजदूरी दर 5 रु होगी।

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी में बृद्धि तब तक सम्भव नहीं जब तक कि जनसंख्या नियन्त्रण द्वारा श्रमिक अपनी संख्या पर नियन्त्रण नहीं करते। यदि किसी उद्योग विभाग में मजदूरी की दर में बृद्धि हो जाती है तो दूसरे उद्योगों में मजदूरों को कम मजदूरी पिलेगी क्योंकि मजदूरी कोप स्थिर या निश्चित है।

आलोचना—1. यह सिद्धान्त मजदूरी कोप को दिया हुआ मानता है। मजदूरी कोप पहले ही निर्धारित नहीं होता है। इसमें परिवर्तन होता रहता है।

2. मजदूरी में बृद्धि मजदूरी कोप तथा मजदूरों की संख्या के आधार पर सम्भव न होकर श्रमिक की कार्यकुशलता में बृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में बृद्धि होने से होती है।

28 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

3. यह मान्यता कि यदि मजदूरी अधिक दी जाएगी तो पूँजीपतियों का लाभ कम हो जाएगा, यहांत है। वस्तुस्थिति यह है कि मजदूरी बढ़ने में श्रमिक की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप न केवल श्रमिक की मजदूरी ही बढ़ती है, बल्कि पूँजीपतियों का लाभ भी बढ़ता है।

4. यह मान्यता भी कि मजदूरी में वृद्धि होने से श्रमिकों की सख्त्या में वृद्धि होगी, गलता है। मजदूरी में वृद्धि होने से जीवन-स्तर ऊँचा होगा और फलस्वरूप जनस्वास्थ्या में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

5. यह सिद्धान्त श्रमिकों की कार्य-कुशलता ने भिन्नता के कारण मजदूरी पाए जाने वाले अन्तरों (Differences) की व्याख्या करने में प्रसमर्थ रहा है।

6. इस सिद्धान्त ने सुहृद श्रमिक सघों (Strong Trade Unions) द्वारा सामूहिक सौदाकारी (Collective Bargaining) से मजदूरी में वृद्धि करने लेने की परिस्थितियों की पूर्ण उपेक्षा की है। जिन उद्योगों में मजदूर श्रमिक संघ हैं, वे मजदूरी बढ़ाने में सक्षम हो गए हैं।

मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धान्त (The Residual Claimant Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अवैज्ञानिक वालर (Walker) ने किया। वालर के अनुसार श्रमिक उद्योग के अवशिष्ट उत्पादन (Residual Product) का अधिकारी होता है। उद्योग के उत्पादन में से उन दिन के अन्य साधनों को लगान, व्याज तथा लाभ का भुगतान करने के प्रभाव जो अवशिष्ट भाग बचता है वह मजदूरी की मजदूरी के रूप में वितरित कर दिया जाता है। लगान, व्याज तथा लाभ का निवारण कुछ निश्चित नियमों द्वारा हुआ है, परन्तु मजदूरी निवारण में कोई निश्चित भिन्नान्त काम में नहीं निया जाना है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ती—

मजदूरी = कुल उत्पादन — लगान + व्याज + लाभ

आलोचना— 1. यह सिद्धान्त श्रमिकों की मार्ग-पक्ष का अध्ययन करता है न कि पूर्ति पक्ष (Supply side) का। मजदूरी निवारण में दोनों पक्षों का होना आवश्यक है। अत यह सिद्धान्त एक-पक्षीय (One-side Theory) है।

2. इस सिद्धान्त के अनुसार सबसे बाद में भुगतान मजदूर को मजदूरी के रूप में किया जाता है पर यह गलत है। वास्तविक जीवन में सबसे पहले भुगतान श्रमिक द्वा किया जाता है नथा अन्त में अवशिष्ट का अधिकारी (Residual Claimant) साहसी अथवा उद्यमी होता है।

3. यह सिद्धान्त श्रमिक सघों की मजदूरी को बढ़ाने के प्रयासों की उपेक्षा करता है।

4. जब लगान, व्याज तथा लाभ के लिए निश्चित सिद्धान्त काम में लाए जाते हैं तो फिर मजदूरी निवारण हेतु वहो नहीं इन्हीं सिद्धान्तों का उपयोग किया जाता है, यह बनाने में सिद्धान्त प्रसमर्थ है।

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory of Wages)

यह सिद्धान्त उत्पादन के सभी साधनों के मूल्य-निर्धारण के काम में लाया जाता है। अब चितरण के अन्तर्गत इस सिद्धान्त द्वारा भी उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है तब इसे वितरण का सामान्य मिद्धान्त (General Theory of Distribution) कहा जाता है। अमिक का पारिश्रमिक निर्धारित करते से इसे मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कहा जाता है। इस मिद्धान्त के अनुसार थमिक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (Remuneration) उसके सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) के बराबर होना चाहिए। यदि सीमान्त उत्पादकता अधिक है तो पारिश्रमिक भी अधिक होगा और यदि सीमान्त उत्पादकता कम है तो पारिश्रमिक भी कम होगा। सीमान्त उत्पादकता किसी उद्योग में एक अतिरिक्त थमिक को लगाने से कुल उत्पादन (Total Production) में जो वृद्धि होती, वही सीमान्त उत्पादकता होती। उदाहरणान् 100 थमिकों द्वारा किसी वस्तु की 4000 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तथा 101 थमिक उसी उद्योग में लगाने पर उत्पादन बढ़ कर 4050 इकाइयाँ हो जाता है तो ये 50 इकाइयाँ सीमान्त उत्पादन हुएँ।

मजदूर की मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Productivity i.e V M P) के बराबर होनी चाहिए। यदि थमिक को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम ($W < V M P$) दी जाती है तो थमिक का शोषण होता है तथा इससे अविक ($W > V M P$) होने पर साहसी को हानि उठानी पड़ेगी। अतः दीर्घकाल में मजदूरी (Wages) थमिक के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर ($W = V M P$) होती।

मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कुछ मान्यताओं पर आधारित है जो निम्नांकित हैं—

1. थम की सभी इकाइयाँ समरूप (Homogeneous) होती हैं। सभी इकाइयाँ कार्य-क्षमता में यमान होती हैं। उनमें अन्तर नहीं होता है।

2. यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition) की मान्यता पर आधारित है। साधनों का पूर्ण गतिशील, बाजार दशायों का पूर्ण ज्ञान, उद्योग में त्रेनिंग व छोड़ने की स्वतन्त्रता आदि इसके अन्तर्गत प्राप्त हैं।

3. माध्यन की इकाइयों में पूर्ण स्थानापन्न (Perfect Substitution) की स्थिति विद्यमान होती है।

4. साधन की मात्रा में दूसरे साधन के साथ वृद्धि व्यवहा कमी करता समझव है। एक साधन की मात्रा अधिक व्यवहा कम की जा सकती है।

5. यह सिद्धान्त पूर्ण रोजगार (Full Employment) की मान्यता पर आधारित है। सभी साधनों को रोजगार मिला हूँधा होता है।

6. यह मिदान्त उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) पर आधारित है। इसका धर्य यह है कि किसी साधन की मात्रा गेर-प्रानुप्रतिक रूप से बढ़ाने से कुन उत्पादन में घटती हृदि दर से बढ़ती है।

7. उत्पादन के साधन के रूप में श्रम पूर्ण गतिशील (Perfectly Mobile) होता है। जहाँ अधिक मजदूरी है वहाँ अभिक कम मजदूरी वाले उद्योग को छोड़कर आ जाते हैं।

8. दीर्घकाल में ही मजदूरी श्रम के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य ($W=V.M.P$) के बराबर होगी। अत्यकाल में इनमें असमुत्तुलन (Disequilibrium) हो सकता है।

9. किसी भी उत्पादन के साधन की सीमान्त उत्पादकता उसकी अतिरिक्त दकाई लगाने से ज्ञात की जा सकती है।

आलोचना—इस सिद्धान्त की प्राप्त ये आलोचनाएँ की जाती हैं—

1. यह मानना कि श्रम को सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं, गलत है। वास्तविक जीवन में हम यह देखते हैं कि कार्य-कुशलता के आधार पर श्रम के तीन भेद किए गए हैं—कुशल (Skilled), अर्द्ध-कुशल (Semi-skilled) और अकुशल (Un-skilled)।

2. मिदान्त द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता का मान्यता को लेकर चर्चना भी अस्यावत्तिरिक्त है क्योंकि व्यवहार में हमें अपूर्ण प्रतियोगिता ही देखते हैं। मिलनी है। बाजार की अपूरणताएँ (Market Imperfections) जैसे बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान न होना, कृतिम बाधाएँ आदि हमें देखने को मिलती हैं।

3. वोई भी मानन पूर्ण स्थानापन्न (Perfect Substitute) नहीं है। एक साधन की विभिन्न डिकाइयों में असमानताएँ पाई जाती हैं तथा विभिन्न साधनों में भी स्थानापन्न एक सीमा तक ही सम्भव है।

4. यह मानना कि एक साधन की मात्रा में वृद्धि अवश्य कभी दूसरे साधन के साथ सम्भव है, गलत है क्योंकि एक सीमा के पश्चात् साधन की मात्रा में वृद्धि या कभी से विभिन्न माध्यों के बीच असमुत्तुलन उत्पन्न करके उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

5. पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित यह मिदान्त व्यावहारिकता से दूर है क्योंकि धनी से धनी अवश्य विकसित में विकसित देश में भी 5 से 7 प्रतिशत बेरोजगारी पाई जाती है। बास्तव में पूर्ण रोजगार में कम (Less than full employment) की स्थिति हमें देखने को मिलती है।

6. इस मिदान्त द्वारा यह मानना कि हमेंवा उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू रहता है, प्रमत्य ग्रनीत होता है क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) भी उत्पत्ति के प्रारम्भिक काल में लागू होता है। इसके पश्चात् उत्पत्ति समता नियम (Law of Constant Returns) लागू होता है तथा अन्तिम स्थिति में उत्पत्ति हास नियम लागू होता है।

7 पूर्ण गतिशीलता की मान्यता मही नही है। क्योंकि थार्मक न केवल उत्पादन का साधन ही है, बल्कि वह एक मानव भी है। अत मजदूरी में बृद्धि करने मात्र से ही मजदूर कम मजदूरी से अधिक मजदूरी वाले स्थान की ओर गतिशील नही होना है बल्कि वह अन्य तर्फी जैसे भाषा, स्थान, बातावरण, धर्म, जानपहचान, वेशभूषा, रीति-रिवाज आदि से भी प्रभावित होता है, अत उसमें गतिशीलता नही पाई जाती है।

8 यह सिद्धान्त मजदूरी का निर्धारण केवल दीर्घकाल में ही करता है। अल्पकालीन मजदूरी निर्धारण इससे असम्भव है। जैसा कि प्रो. कीन्स ने कहा है कि "हमारी अधिकांश आर्थिक समस्याएँ अल्पकालीन हैं। दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं और कोई समस्या नही रहती है।"

9 कुछ उत्पादन के साधनों की सीमान्त उत्पादकता मापना सम्भव नहीं है। साहसी या प्रबन्धक उत्पादन के साधन के रूप में एक-एक ही होते हैं। किसी भी उद्योग में दूसरा प्रबन्धक या साहसी लगाया नही जा सकता है। अत साहसी या संगठनकर्ता की सीमान्त उत्पादकता मापने में यह सिद्धान्त असक्त रहा है।

10 सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण में थमिको की माँग को ध्यान में रखता है। लेकिन मजदूरी को प्रभावित करने में थमिक की पूर्ति भी महत्व रखती है। अत. यह सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण का एक-पक्षीय सिद्धान्त (One-sided Theory) है।

मजदूरी का बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त (The Discounted Marginal Productivity Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रो. टाउसिंग (Prof Taussig) ने किया। प्रो. टाउसिंग ने मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की आलोचना करते हुए अपना मजदूरी का सिद्धान्त दिया जिसके अन्तर्गत थमिक को मजदूरी उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम दी जाती है क्योंकि मजदूरी का मुगतान उत्पादन बस्तु की विक्री के पूर्व ही उद्योगति को करना पड़ता है। उद्योगति अद्वितीय रूप में भुगतान करते समय वर्तमान व्याज दर पर बट्टा काट कर मजदूर को मजदूरी उमके नीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम देता है। इसलिए इसे बट्टायुक्त सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी निम्न प्रकार दी जाएगी—

मजदूरी की सामान्य दर = सीमान्त उत्पादकता—वर्तमान व्याज दर से बट्टा

इस प्रकार पूँजीपति जब भी मजदूरी का मुगतान करता है तब वह वर्तमान व्याज की दर के आधार पर सीमान्त उत्पादकता में से बट्टा काट कर ही थमिक को मजदूरी चुकाता है क्योंकि वर्तमान में थम द्वारा उत्पादित बस्तु की विक्री करने में समय लगता है क्योंकि मजदूरी का मुगतान पहने ही करना पड़ता है।

आलोचना—इस सिद्धान्त की निम्नांकित आलोचना की गई है—

यह सिद्धान्त 'धूँधना एवं अमूल' (Dim and Abstract Theory)

कहा जाता है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में मजदूरी निर्धारण में इस सिद्धान्त की कोई उपयोगिता नहीं है।

2 उत्पादन के अथवा साधनों जैसे पूँजी, भूमि तथा साहसी को क्रमशः व्याज, लगान तथा लाभ प्रथम हानि के रूप में किए जाने वाले भुगतान में से बहुत क्यों नहीं काटा जाता है? मजदूरी का भुगतान करते समय ही बहुत क्यों काटा जाता है? इन प्रश्न के उत्तर हमें इस सिद्धान्त में नहीं मिलते हैं।

3 इस सिद्धान्त में थम की पूर्ति (Supply of Labour) को निश्चित या दिया हुआ मानकर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है जो कि एक-पक्षीय सिद्धान्त का एक नमूना है। दोनों पक्षों के बिना मजदूरी का निर्धारण सही तौर पर सम्भव नहीं हो पाता है।

4 इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त पर सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की सभी ग्रालोचनाएं लागू होती हैं।

मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त अथवा मजदूरी का माँग व पूर्ति का सिद्धान्त

यद्यपि मजदूर एक मानवीय उत्पादन का साधन (Human Factor of Production) है न कि एक वस्तु, किर इसका मूल्य निर्धारित करते समय हमें थम की माँग और थम की पूर्ति दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रो० मार्शल के अनुसार मजदूरी का निर्धारण थम की माँग और पूर्ति की शक्ति पर आधारित होगा जो कि विन्न-भिन्न पार्द जाती है।

किमी भी उद्योग में मजदूरी का निर्धारण उस विन्दु पर होगा जहाँ पर थम की माँग इसके पूर्ति वक को काटती है।

थमिक की माँग (Demand for Labour)—थमिक की माँग नियोजक या उद्योगपति द्वारा उत्पादन करने हेतु की जाती है। उत्पादक थम की माँग करते समय उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य (Value of Marginal Productivity or V M P) को ध्यान में रखता है। प्रत्येक उत्पादक थम की उस समय तक माँग करता रहेगा जहाँ तक कि थम को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उसमें सीमान्त उत्पादकता के 50 के बराबर ($W = V M P$) होता है। कोई भी उत्पादक थमिक को उसके सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से अधिक पारिश्रमिक देने की तैयार नहीं होगा क्योंकि इससे उसको हानि उठानी पड़ेगी।

थम की माँग एक व्युत्पन्न माँग (Derived Demand) है। यदि वस्तु की माँग अधिक है तो थमिक की भी अधिक माँग की जाएगी। इसके विपरीत थमिक की माँग कम होगी।

थम की माँग अन्य उत्पादन के साधनों की कीमतों द्वारा प्रभावित होती है। यदि अन्य साधनों की कीमतें अधिक हैं तो थमिक की माँग अधिक होगी अन्यथा कम।

अभिक को मांग तकनीकी दशाओं (Technical Conditions) द्वारा भी प्रभावित होती है। यदि उत्पादन का थम गहन तरीका (Labour Intensive Technique of Production) अपनाया जाता है तो अभिकों की मांग अधिक होगी और पूँजी गहन उत्पादन के तरीके (Capital Intensive Technique of Production) के अन्तर्गत अभिकों की मांग कम होगी।

थम की पूर्ति (Supply of Labour)—थम की पूर्ति का अर्थ है विभिन्न मजदूरी दरों पर कार्य करने वाले अभिकों की संख्या से अग्रग-दलम मजदूरी दर पर कितने-कितने अभिक कार्य करने हेतु तैयार होंगे। सामान्यतः थम की पूर्ति और मजदूरी दर में सीधा सम्बन्ध (Direct Relation) होता है अर्द्धात् अधिक मजदूरी पर प्रधिक अभिक तथा कम मजदूरी पर कम अभिक कार्य करने हेतु तैयार होंगे।

दीर्घकाल में मजदूरी अभिक के सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर होगी। अल्पकाल में यह कम अथवा अधिक हो सकती है। मजदूरी सीमान्त उत्पादन तथा औसत उत्पादन दोनों के बराबर ($W = M.P = A.P.$) होगी। यह पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकाल में ही होगी।

मजदूरी का सौदाकारी सिद्धान्त (Bargaining Theory of Wages)

प्रो. सिल्वरमैन (Prof. Silverman) के अनुसार सामान्यतः मजदूरी अभिक के सीमान्त उत्पादन के बराबर होती है, लेकिन यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती है। अतः वास्तविक मजदूरी का निर्धारण अभिकों व नियोजकों की सौदाकारी शक्तियों (Bargaining Powers of the Workers and Employers) द्वारा निर्धारित होता है। सीमान्त उत्पादन का मूल्य मजदूरी की अविकल्पीन सीमा निर्धारित करता है। यदि अपूर्ण प्रतियोगिता और अभिकों की सौदाकारी शक्ति (Bargaining Power of Workers) दुर्बल है तो मजदूरी सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम होगी।

प्रो. रुद्राज्ञसिंह के अनुसार आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओं में सामान्यतः मजदूरी तीन तरीकों से निश्चित की जाती है।¹ ये तरीके हैं—व्यक्तिगत सौदाकारी, सामूहिक सौदाकारी और कानूनी नियन्त्रण।

व्यक्तिगत सौदाकारी (Individual Bargaining) के अन्तर्गत प्रत्येक अभिक अपने नियोजक से व्यक्तिगत रूप से मजदूरी का सौदा करता है। एक व्यक्ति की सौदा करने की शक्ति कमज़ोर होने से उसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम मजदूरी मिलेगी और इस प्रकार व्यक्तिगत सौदाकारी के अन्तर्गत शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है।

सामूहिक सौदाकारी (Collective Bargaining) के अन्तर्गत थम के जैता (नियोजक) तथा विवेता (अभिक) सामूहिक रूप से मिनवर मजदूरी निर्धारण का

¹ *Roshu Raj Singh : Movement of Wages in India*, p. 27.

कार्य करते हैं। इसके अन्तर्गत मालिक शुल्क में न्यूनतम मजदूरी देना चाहेगा जबकि अधिक अधिकतम मजदूरी का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अन्तर्गत वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण अधिकों और नियोजकों की सीदाकारी शक्ति तथा उनकी दक्षता पर आधारित होता है। जो पक्ष जितना अधिक सुमर्गठित तथा सुट्ट (Well-organised and strong) होगा उन्होंने ही सफलता उसे अधिक मिलेगी। एक विकासशील देश (जैसे भारत) में सुमर्गठित तथा मुद्द अधिक सघों का अभाव होने से वहाँ के अधिकों की सीदाकारी शक्ति दुर्बल होने पर उनका जोपण होता है तथा मजदूरी दर नियोजकों या मालिकों के अधिक अनुकूल है। समूहिक सीदाकारी के अन्तर्गत निर्धारित वास्तविक मजदूरी किसी भी उद्योग या व्यवसाय में वहाँ के अधिकों की सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो सकती है तथा नहीं भी हो सकती है।

कभी-कभी नियोजक तथा अधिक समूहिक सीदाकारी द्वारा मजदूरी-निर्धारण में असफल हो जाते हैं तब मजदूरी का निर्धारण ऐच्छिक मुबह ग्रथवा पचकैमले (Arbitration) के आधार पर होता है। यह निर्धारण दोनों की सहमति तथा समझौते पर आधारित होने के कारण दोनों पक्षों की सीदेकारी शक्ति तथा कुशलता को प्रदर्शित करता है। पंचकैमले के अन्तर्गत जो भी पच नियुक्त होता है वह मजदूरी निर्धारित करते समय न केवल दोनों पक्षों की सीदेकारी शक्ति व कार्य-कुशलता को ही ध्यान में रखता है बल्कि वह उद्योग या नियोजक की मुगलान क्षमता, अधिकों की जीवन-निवाह लागत, अधिकों की उत्पादकता, वर्तमान में पाई जाने वाली मजदूरी दरें और राष्ट्रीय हित आदि बातों को भी ध्यान में रखता है।

इनके अतिरिक्त मजदूरी-निर्धारण का कार्य किसी वैधानिक मण्डल द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, हमारे देश में विभिन्न उद्योगों के लिए समय-समय पर वेतन मण्डल (Wage Boards) नियुक्त किए गए हैं तथा उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मजदूरी निश्चित की है। ये मण्डल मजदूरी निर्धारित करते समय देश के व्यायोगिक स्तर, प्रार्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारित करते हैं।

मजदूरी का सीदाकारी सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध शर्थशाल्वी वेद्य ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद से ही वह सिद्धान्त अधिक सघों का मूलभूत सिद्धान्त बन गया। प्रो. मिलिस एवं मोन्टगोमरी (Prof Millis & Montgomery) के अनुसार मजदूरी, कार्य के घट्टे और कार्य की दशा में दोनों पक्षों की सापेक्षिक सीदेकारी शक्ति का मामला है। मुमर्गठित प्रशासनों के माध्यम से मजदूरी, कार्य के घट्टों तथा अन्य महत्वपूर्ण अस प्रसविदों और उनके प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है।¹

हाल ही के बाद में, विशेष रूप से तीसा की महान् मन्दी के पश्चात् से ही सीदेकारी सिद्धान्त ने मजदूरी दरों तथा धर्मकानीन मजदूरी विभिन्नताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

¹ Millis H A & Montgomery R A . Organised Labour, p. 36.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रमिक अपनी मजदूरी बढ़वाने में प्रसमर्थ थे, लेकिन आधुनिक समय में समाजवादी विचारधारा और सुसंगठित तथा सुहृद श्रमिक संघों ने यह सिद्ध कर दिया है कि नियोजक (Employer) अपनी इच्छानुसार कार्य को दशाएँ, काम के घण्टे, मजदूरी, सगठन का प्रशासन आदि निर्धारित नहीं कर सकता। अब श्रमिक एक वस्तु की तरह कष्ट नहीं किया जा सकता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं को मानकर खलते थे जो कि व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धान्त के प्रनुसार श्रमिकों को सुमर्गठित तथा सुहृद होना चाहिए और मजदूरी में कमी करने के किसी भी दबाव का डटकर मुकाबला करना चाहिए। सामूहिक सौदे द्वारा ही श्रमिक अपनी मजदूरी, कार्य के घण्टे, कार्य की दशाओं आदि में महत्वपूर्ण सुधार करवाने में सफल हो सकते हैं। यह मिद्दान्त 'समगठन ही शक्ति है' (Union is Strength) पर आधारित है।

प्रो कीन्स की 1936 में 'सामान्य सिद्धान्त' नामक पुस्तक के प्रकाशित होने से प्रो वेल्स के सौदेकारी सिद्धान्त को एक महत्वपूर्ण सेंद्रान्तिक महारा मिला।

आलोचना—मजदूरी के सौदेकारी सिद्धान्त की भी उसी प्रकार से आलोचना की गई है जिस प्रकार में मजदूरी के सीमान्त उत्पादन की—

1. मह प्रश्न किया गया है कि वया मजदूरी निवारण करने में सौदेकारी सिद्धान्त उपयुक्त एवं बाह्यनीय प्रभाव ढालता है? मजदूरी निर्धारित करते समय उद्योग की मुग्नतान-अमर्ता, विभिन्न उद्योगों में पाई जाने वाली मजदूरी दर, सहकारी नीति आदि तत्व भी महत्वपूर्ण प्रभाव ढालते हैं।

2. नियोजक (Employers) इस सिद्धान्त की आलोचना करते हैं कि व्योक्ति का साधन-बाजार (Factor Market) में प्रतियोगिता के अभाव की मान्यता पर यह सिद्धान्त आधारित है। हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और ग्रन्थ तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी प्राप्त नहीं मिल पाते हैं।

3. सामूहिक सौदेकारी द्वारा मजदूरी में इतनी श्रीघ्र वृद्धि नहीं हो पाती है जितनी कि व्यक्तिगत सौदेकारी में—यह मान्यता भी गलत है क्योंकि व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत सौदेकारी के अन्तर्गत श्रमिक को उसकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी मिलती है जबकि सामूहिक सौदेकारी के अन्तर्गत पदि सुहृद एवं सुसमित्र (Strong and well organised) श्रमिक हैं तो मजदूरी कभी भी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम नहीं हो सकती है।

4. सामूहिक सौदेकारी के आधार पर हुए मजदूरी निवारण के समझौते की भी आलोचना की गई है क्योंकि सामूहिक सौदेकारी सिद्धान्त द्वारा निर्धारित मजदूरी जरूरी नहीं है कि सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो अथवा उद्योग की मुग्नतान-अमर्ता, राष्ट्रीय नीति आदि के अनुकूल हो। इस सिद्धान्त द्वारा हुए समझौते को सही नहीं मान सकते। चाहे इसे साधनों के कुशल आवण्टन, मूल्य-स्थिरता अथवा ममान कार्य हेतु समान मजदूरी को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाए।

5. सामूहिक सौदेकारी सिद्धान्त के अन्तर्गत हुए मजदूरी समझौतों की सामाजिक तथा आर्थिक लागतें (Social and economic costs of wage dispute settlements) भी होती हैं जो कि राष्ट्रीय प्रगति में बाधक होती हैं—जैसे हड्डालें, साना-बन्दियाँ, मध्यस्थता, पचकैसला आदि। इनको भी ध्यान में रखकर इस सिद्धान्त की उपशुल्कता का अध्ययन करना होगा।

6. सौदेकारी सिद्धान्त की सबसे प्रभावपूर्ण दुर्बलता इसका अवसरवाही गुण (Opportunistic Character) है। यह अपने आप में मजदूरी-निधारण का एक पूर्ण सिद्धान्त (Complete Theory) नहीं है क्योंकि यह दीर्घकालीन रूप रेखाएँ प्रस्तुत ही करता। जब दोनों पक्ष समझित हो और मजदूरी का निधारण सौदेकारी सिद्धान्त के आधार पर हो जाए तो फिर प्रागे क्या कार्यक्रम होगा—इसे बताने में यह सिद्धान्त असफल रहा है।

प्रो कीन्स के अनुसार मजदूरी न केवल सौदेकारी शक्ति द्वारा ही निर्धारित की जाए, बल्कि इसके अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित बातें भी ध्यान में रखनी होगी—

1. एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति (A National Wage Policy),
2. एक स्थिर नकदी मजदूरी स्तर (A Stable Money Wage Level),
3. दीर्घकाल में बढ़ता हुआ नकदी मजदूरी स्तर (A Rising Money Wage Level in the Long Run)।

अमिक शोषण की विचारधारा

(Concept of 'Exploitation of Labour')

अमिक शोषण की विचारधारा समाजवादी अर्थशास्त्रियों की देन है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Das Capital' में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को अमिक शोषण के लिए उत्तरदादी बताया है। उन्होंने इसी विचारधारा के आधार पर मूल्य का बचत सिद्धान्त (Surplus Theory of Value) प्रतिपादित किया है। इसके अन्तर्गत अमिक को पूँजीपति उसकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य से कम मजदूरी देकर उसका शोषण करते हैं। साथ ही पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में जो लाभ है वह अमिको के शोषण का परिणाम माना है।

अमिको का शोषण अमिको व मालिको की समसान सौदेकारी शक्ति के कारण होता है क्योंकि अमिक प्राय विकासशील देशों में मूल्य तंत्र सुसमझित न होने के कारण उनको भी नभाव करने की शक्ति (Bargaining Power) कमजोर होती है और उनको जो मजदूरी दी जाती है वह उनके कुल उत्पादन में किए गए योगदान (Contribution to total production) के मूल्य से कम होती है और इस तरह उनका शोषण होना रहता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (Classical Economists) वस्तु बाजार (Commodity Market) तथा साधन बाजार (Factor Market) में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को मान कर चते थे। अत उस समय किसी भी साधन के शोषण होने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता था, केन्द्रों हप वास्तविक जीवन में देखते हैं कि न तो वस्तु

बाजार और न ही साधा बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं जाती है। व्यवहार में अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण साधन के जोरण की स्थिति उत्पन्न होती है।

साधारण व्यक्ति की इच्छा में जब नाभ अधिक हो और मजदूरी काफी कम, थम का जोरण माना जाता है। अर्थशास्त्रियों ने थमिक का जोरण विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है। प्रो. पीयू के अनुसार, जब थमिक को उसके सीमान्त भौतिक उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Physical Product) से कम मजदूरी दी जाती है तो थमिक जोरण होगा जबकि श्रीमती जॉन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) ने थमिक के जोरण को सीमान्त विणुद्ध उत्पादकता (Marginal Net Productivity) के रूप में परिभाषित किया है। इसमें सीमान्त विणुद्ध उत्पादकता में अंतर है—सीमान्त भौतिक उत्पादकता को फर्म के सीमान्त आणम (Marginal Revenue or M.R.) से गुणा किया जाता। श्रीमती रोबिन्सन के प्रतुमार, थमिक का जोरण थम बाजार की अपूर्णताओं के कारण होता है जरूरि प्रो. पीयू की अपने जोरण सम्बन्धी विचारधारा व्यापक है। उसके अनुसार थमिक का जोरण न केवल थम बाजार की अपूर्णताओं का परिणाम है, बल्कि इस जोरण में वस्तु बाजार की अपूर्णताओं का भी हाथ है। वस्तु बाजार में जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है तो सीमान्त आणम कीमत से कम (Marginal Revenue is less than Price or MR < P) होता है।

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत थमिक जोरण के अध्ययन हेतु हमें सीमान्त आणम उत्पादकता (Marginal Revenue Productivity) को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तविक व्यवहार में हमें पूर्ण प्रतियोगिता न केवल साधन बाजार (Factor Market) में बल्कि वस्तु बाजार (Commodity Market) में भी देखने को नहीं मिलती है। परं नियोक्ता जीवी उत्पादन के साधनों को उनके सीमान्त उत्पादन के मूल्य (Value of Marginal Product) के बराबर मुगाड़ान कर देता है तो स्वयं उसका जोरण होता। थमिकों के जोरण के कारणों का अध्ययन अग्रलिखित विन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं—

I. अपूर्ण वस्तु बाजार (Imperfect Commodity Market) के कारण थमिक का जोरण होता है जोकि प्रत्येक उत्पादन के मावड़ का सीमान्त आणम उत्पादन इसके सीमान्त उत्पादन के मूल्य से कम (MRP < VMP or Marginal Revenue Product is less than Value of Marginal Product) होता है। इस प्रकार का जोरण सभी साधनों का होता है। जहाँ तक कुछ सीमा तक एकाधिकारी तत्व की स्थिति देखने को मिलती, थमिकों का जोरण भी होता रहेगा। इस स्थिति से मजदूरी बढ़ाने से जोरण समाप्त नहीं हिया जा सकता जोकि ऐसा करने से रोजगार तथा उत्पादन में कमी पा जाएगी। इस कमी से कारण मजदूरी बढ़ाने से उद्योग की उत्पादन सामग्री में बढ़ि दी जाती है। इस जोरण को समाप्त करने के तिए एकाधिकारी द्वारा उसी उत्पादन करना होगा जो कि उसकी औंडत लागत न भा जीमत दीती को बराबर (Average Cost = Price) करता

हो। यदि मजदूरी नीची है तो हम यह नहीं कह सकते कि अभिक शोपण होता है। यह तभी कहा जा सकता है जबकि अभिक की उत्पादकता को ध्यान में रखा जाए। उत्पादकता कम होने पर मजदूरी भी कम होती और इसे हम अभिक के शोपण के नाम से नहीं पुकार सकते।

2. थम बाजार (Labour Market) के अपूर्ण होने की स्थिति में भी थम का शोपण होता है वयोंकि इसके प्रबन्धन नियोत्तर मिलकर थम के क्षम हेतु समझौता कर लेने है। यह शोपण उस स्थिति में भी सम्भव है जहाँ पर थम की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम होती है। थम की पूर्ति पूर्ण लोचदार से कम उस स्थिति में हो सकती है—जब अभिक एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में गतिशील न हो और चालू मजदूरी-दरों पर कार्य करने को तत्पर न हो।

जहाँ व्येताधिकार (Monopsony) की स्थिति थम बाजार में विद्यमान होती है वहाँ अभिक का शोपण होता है। अभिक-संघ व्येताधिकारियों पर मजदूरी बढ़ाने हेतु दबाव डाल सकते हैं लेकिन उनको अधिक सफलता नहीं मिल सकती वयोंकि अधिक दबाव डालने पर अभिकों के रोजगार पर भी दिपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

3. अभिकों की विप्रता (Heterogeneity of Labour) के कारण भी अभिकों का शोपण सम्भव होता है वयोंकि अभिकों को अलग-अलग बर्गों में विभाजित किया जा सकता है—जैसे कुशल, अद्वैत-कुशल एवं अकुशल। कार्य-कुशलता के आधार पर विभिन्न बर्गों वाले अभिकों को अलग अलग परिवर्थिक दिया जाता है। एक ही बर्ग जैसे कुशल में भी कितने ही अभिक होते हैं। सबसे पटिया दक्षता वाले अभिक को जितनी मजदूरी दी जाती है और उतनी ही उमसे अधिक दक्षता रखने वाले अभिक को दी जाती है तो यह भी अभिक शोपण को उत्पन्न करता है।

आधुनिक विचारधारा

उपरोक्त मजदूरी-निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी मजदूरी-निर्धारण का सिद्धान्त अपने आप में पूर्ण एवं व्याख्यातिक नहीं है। इस तरह किसी भी रूपरूप में मजदूरी-निर्धारण सम्बन्धी कार्य एक जटिल विषय है। प्राचीन समय में मजदूर को एक बन्तु की भाँति समझकर मजदूरी का निर्धारण कर दिया जाता था लेकिन अब समाजवादी विचारधाराओं तथा कल्याणकारी राज्य की भूमिका ने मजदूरी-निर्धारण सम्बन्धी विचार को पूर्ण रूप से बदल दिया है। अब अभिक के बन्तु इन्टिकोल के स्थान पर मानवतावादी इन्टिकोल प्रणालय जाता है। अब अभिक का सम्बन्ध नियोक्ता के साथ मालिक-मजदूर का न रहकर सहभागिता (Partnership) का सम्बन्ध हो गया है। औद्योगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) के विकास से अभिक उद्योग के प्रशासन में भी हाफ वेटाते हैं। अधिकांश देशों में मजदूरी-निर्धारण में कई महत्वपूर्ण तत्त्व प्रभाव डालते हैं—जैसे थम की उत्पादकता अभिकों व नियोक्ताओं की सोडेकारी शक्ति, सरकारी विधान एवं हस्तक्षेप, शाविक विकास का

स्तर, राष्ट्रीय आय, जीवन निवाह लाभ, उद्योग की मुगतान क्षमता, सामाजिक लाभ नियोक्ता का उपभोग और विनियोग एवं उमसकी एकाधिकार तत्त्व की स्थिति आदि। मजदूरी निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।

मजदूरी में अन्तर के कारण (Causes of Wage Differentials)

मजदूरी से सम्बन्धित समस्या सापेक्षिक मजदूरी (Relative Wages) है। इसके अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारों, विभिन्न स्थानों में मजदूरी में अन्तर होने के कारणों का अध्ययन किया जाता है। भिन्न-भिन्न व्यवसायों में मजदूरी की दर समान नहीं होती है। एक ही व्यवसाय और विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी में पाए जाने वाले कारणों का अध्ययन करना उचित होगा। वे तत्त्व जिनके कारण विभिन्न व्यवसायों, विभिन्न रोजगारों तथा स्थानों में मजदूरी में अन्तर पाया जाता है, निम्नांकित है—

1. कार्यकुशलता में अन्तर (Differences in Efficiency)—एक ही व्यवसाय तथा विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी में भिन्नता का कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता में अन्तर का पाया जाता है। श्रमिक कुशल (Skilled), अर्ध-कुशल (Semi-skilled) एवं अकुशल (Unskilled) होते हैं। यह कार्यकुशलता का अन्तर जन्मजात गुणों (Inborn qualities), गिक्का, प्रशिक्षण एवं कार्य की दशायों आदि के कारण से होता है। अतः जब कार्यकुशलता अलग-अलग होगी तो मजदूरी में अन्तर होना भी स्वाभाविक है।

2. बाजार की अपूर्णताएँ (Market Imperfections)—थम का पूर्ण गतिशील न होना, एकाधिकारी तत्त्व तथा सरकारी हस्तक्षेप आदि बाजार की अपूर्णताओं को उत्पन्न करते हैं। इन्हीं अपूर्णताओं के कारण मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं। किसी व्यवसाय में सुदृढ़ अम-संघ का होना, सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिकों में भौगोलिक गतिशीलता का अभाव एवं थम की गतिशीलता में सामाजिक तथा स्थानगत बाधक तत्त्व आदि के कारण बाजार की अपूर्णताएँ पाई जाती हैं। परिणामस्वरूप मजदूरी में अन्तर देखने को मिलते हैं।

3. किसी व्यवसाय को सीखने की लागत अवधार कठिनाई के कारण किसी व्यवसाय विशेष में श्रमिकों की पूर्ण उनकी मार्ग वी तुलना में कम होनी है। परिणामस्वरूप उनकी मजदूरी अन्य वर्गों से अधिक होगी और मजदूरी में अन्तर पाए जाएंगे। उदाहरणतः डॉक्टर व इंजीनियर को एक साधारण स्नातक से अधिक बेतन मिलता है।

4. कार्य की प्रकृति (Nature of Work)—कुछ कार्य स्थायी होने हेतु तथा कुछ सामयिक (Seasonal) होते हैं। स्थायी कार्यों में लगे श्रमिकों की मजदूरी दर कम होनी है जबकि अस्थायी प्रकृति वाले कार्यों में लगे श्रमिकों को प्राप्त अधिक मजदूरी दी जाती है। ये सभी कारण मजदूरी में अन्तर को जन्म देते हैं।

5 भावी उन्नति में अन्तर (Differences in Future Prospects) के कारण भी मजदूरी में अन्तर पाए जाते हैं। जिस व्यवसाय या उद्योग में श्रमिकों को भविष्य में उन्नति के प्रधिक अवसर होते हैं, उनमें श्रमिक प्रारम्भ में कम मजदूरी पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन व्यवसायों में भावी उन्नति के आसार कम अथवा नहीं होते हैं, उनमें प्रारम्भ में श्रमिकों को ऊँची मजदूरी का मुगलान किया जाता है। अतः इस विभिन्नता के कारण अलग-अलग व्यवसायों में मजदूरी में अन्तर देखने को मिलेगे।

6 रोजगार का समाज में स्थान (Social Esteem of Employment)— निम्न कार्य के लिए अधिक मजदूरी देकर श्रमिकों को आकर्षित करना पड़ता है क्योंकि समाज में ऐसे कार्य करने वाले को हेय इंप्रिंट से देखा जाता है जबकि समाज में अच्छी निगाह से देखे जाने वाले रोजगार के लिए कम मजदूरी देने पर भी श्रमिक कार्य करने हेतु तैयार हो जाएंगे।

7. अवसाय की जोखिम (Risk of Occupation)— जिन व्यवसायों में कार्य अधिक खतरनाक अथवा जोखिमपूर्ण होते हैं, उनमें कार्य करने वालों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि मजदूरी और आसान कार्य करने वालों को कम मजदूरी दी जाती है। श्रमिक व सैनिक दोनों की मजदूरी में अन्तर मुख्यतः इसी कारण पाया जाता है।

8 निवाह लागत (Cost of Living)— जिन स्थानों या शहरों में जीवन-निवाह लागत अधिक होती है वहाँ पर कार्य करने वालों को ऊँचा वेतन दिया जाता है जबकि दूसरी और सस्ते जीवन-निवाह लागत वाले शहरों में मजदूरी कम दी जाती है। इस प्रकार जीवन-निवाह लागत मजदूरी में अन्तर उत्पन्न करती है।

मजदूरी में विभिन्नता एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण देन है। इस अर्थव्यवस्था का अर्थ-तत्त्व ही ऐसा है जो कि मजदूरों में अन्तर तथा शारिक असमानता को जन्म देने में सहायक होता है। फिर भी विभिन्न श्रमिकों की कार्य-कुशलता की विभिन्नताओं के कारण मजदूरी में अन्तर होना परमावश्यक (Inevitable) है। एक अमेरिका जैसी स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में मजदूरी का निर्धारण बाजार दशाओं के आधार पर होने के कारण मजदूरी की विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मजदूरी में पाइ जाने वाली विभिन्नताओं को अभी समाप्त नहीं किया जा सका है, यद्यपि इन देशों में उत्पादन के सभी साधन सरकारी स्वामित्व में हैं तथा निजी सम्पत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है।

मजदूरी में अन्तर श्रमिकों के शारीरिक और मानसिक गुणों के अलग-अलग होने का परिणाम है। श्रमिकों में भीलिक तथा प्राप्त गुणों के अन्तर के कारण उनकी दक्षता भी अलग-अलग होती है और स्वाभाविक है कि उनको मजदूरी भी अलग-अलग दी जाएगी। विभिन्न श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता भी इससे प्रलग-अलग होती।

मजदूरी-अन्तरों के प्रकार (Types of Wage Differentials)

मजदूरों में अन्तरों को निम्नांकित बगों में विभाजित किया जा सकता है¹—

1. रोजगार बाजार की अपूर्णताओं (Imperfections of the Employment Market) के कारण भी मजदूरी में अन्तर उत्पन्न होते हैं। अभिक को कार्य की जामकारी का तहोना, अभिक को भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता का प्रभाव आदि मजदूरी में अन्तर को प्रोत्साहन देते हैं।

2. लिंग, आयु आदि के कारण भी मजदूरी ने अन्तर पाया जाता है। न्यौ को पुरुष से दम मजदूरी दी जाती है और बालक को बदस्क में कन मजदूरी दी जाती है।

3. व्यावसायिक मजदूरी में अन्तर (Occupational Wage Differentials)—व्यवसायों को भी मानसिक तथा शारीरिक कार्य करने वालों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रोजगार बाजार में किन्तु ही पूर्णताएँ कर्मों न हों किर भी व्यावसायिक मजदूरी में अन्तर मिलें। किसी एक उद्योग के प्रबन्धक को वेतन तथा इसी संस्थान के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को मिलने वाला वेतन अलग-अलग होता है। शारीरिक कार्य करने वाले अभिकों की मजदूरी भी मानसिक कार्य करने वाले अभिकों से अलग होती है।

¹ Bhagolikar, T. N.: Economics of Labour & Social Welfare, p. 252.

3

मजदूरी और उत्पादकता, ऊँची मजदूरी की मितव्यिता, राष्ट्रीय आय वितरण में अम का भाग, प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ, भारत में मजदूरी भुगतान की पद्धतियाँ

(Wages and Productivity, Economy of High Wages, Labour Share in National Income Distribution, Methods of Incentive Wage Payment, Systems of Wage Payment in India)

मजदूरी और उत्पादकता (Wages and Productivity)

मजदूरी को प्रभावित करने में उत्पादकता का महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो यह सोचा जाता है कि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी अथवा नहीं। यद्यपि उत्पादकता के आधार पर ही मजदूरी में वृद्धि करना बाह्यनीय होगा, लेकिन स्वयं उत्पादकता को मापना बड़ा कठिन है। किसी वस्तु के उत्पादन में, उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग होता है। एक साधन द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में कितना योगदान रहा है, वह उस साधन की उत्पादकता होती है। अम की एक इकाई द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है वही उसकी उत्पादकता है। रोजगार की दी हुई मात्रा के साथ राष्ट्रीय आय की मात्रा अम की उत्पादकता पर निर्भर करती है। उत्पादन को अधिकतम करने हेतु हमें मानवीय शक्ति को रोजगार देकर उसमें अधिकतम उत्पादन करना होगा। अधिक रोजगार होने के बावजूद भी उत्पादन अधिकाम सम्भव नहीं हो पाता यदि श्रमिकों की उत्पादकता कम है।

उत्पादन के यन्त्रों, उत्पादन के तरीकों, प्रबन्ध-कुशलता, अन्य साधनों की पूर्ति आदि को दिया हुआ मानकर चलें तो हम कह सकते हैं कि श्रमिक उत्पादकता उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सीधा सम्बन्ध है। यदि कार्यकुशलता अच्छी है तो उत्पादकता में वृद्धि होगी अन्यथा नहीं। उत्पादकता की परिभाषा

(Definition of Productivity)

उत्पादकता किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और एक या अधिक उत्पादन के साधनों का अनुपात बताती है, जो कि मात्रा में ही मापी जाती है।¹ इस विचार के अनुसार उत्पादकता विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे—श्रम उत्पादकता, पूँजी उत्पादकता, शक्ति उत्पादकता एवं कच्चे माल की उत्पादकता, आदि।

प्रो. गांगुली (Prof H. C. Ganguli) के अनुसार, उत्पादकता का अर्थ सामान्यतया किसी सृजन करने की शक्ति या क्षमता से होता है (Productivity usually means possession or rise of the power to create)। उत्पादकता को निम्नांकित सूत्र से जात किया जा सकता है²—

$$\text{श्रम उत्पादकता} = \frac{\text{धन का उत्पादन (Output of Wealth)}}{\text{श्रम साधन (Input of Labour)}}$$

उपयोग और महत्व

(Uses and Significance)

श्रम उत्पादकता के उपयोग व महत्व को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

1. किसी भी देश में विकास और प्रगति की दर एक तम्बे समय तक किस तरह परिवर्तित रही है। उत्पादकता को किसी भी समाज की उन्नति का बैरोमोटर कहा जा सकता है। अधिक उत्पादकता है तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी।

2. उत्पादकता मूलकों को सहायता से विभिन्न सरकारी, व्यावसायिक एवं श्रम संघ नीतियों जिनका सम्बन्ध उत्पादन, मजदूरी, मूल्य, रोजगार, कार्य के घट्टों और जीवन निवाह से होता है, निर्धारण आमानी से किया जा सकता है।

3. मजदूरी दरों के सम्बन्ध में सौदा करने की सुविधा उत्पादकता के कारण ही सम्भव होती है क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि होते ही श्रमिक मजदूरी में वृद्धि करने की मांग कर सकते हैं।

4. उत्पादकता की सहायता से हम विभिन्न उद्योगों की उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं तथा यह पता लगा सकते हैं कि साहसी निम्न उत्पादकता उद्योग से अधिक उत्पादकता उद्योग में अपनी पूँजी निवेश करता है अथवा नहीं।

1 Beri, G. C. · Measurements of Production & Productivity in Indian Industry, p. 90

2 Ganguli, H. C. · Industrial Productivity and Motivation, p. 1.

5. उत्पादकता में हमें यह भी पता चलता है कि किसी धौधोगिक इकाई में वित्तीय, प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय एकीकृत नीति का उसकी उत्पादकता पर वया प्रभाव पड़ता है।

6. उत्पादकता सूचकांकों के स्थारे किसी भी धौधोगिक इकाई में विवेकी-करण (Rationalisation) तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध (Scientific Management) की योजनाओं के लागू करने से निकले परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं।

7. कारखाना प्रबन्धक उत्पादकता के माध्यम से नवीन मजदूरी मुग्धतान तथा प्रेरणात्मक मजदूरी मुग्धतानों की सफलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।

थम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्व

(Factors affecting the Productivity of Labour)

यद्यपि हम इन बात का अध्ययन करेंगे कि थम उत्पादकता किन-किन तत्त्वों से प्रभावित होती है। अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (International Labour Organisation) के अनुसार थम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।—

1. सामान्य तत्त्व (General Factors)—थम उत्पादकता को प्रभावित करने में सामान्य तत्त्व महत्वपूर्ण हैं। सामान्य तत्त्वों के अन्तर्गत जलवायु, कच्चे माल का भोगोलिक वितरण आदि आते हैं। जहाँ गर्म जलवायु होती है वहाँ के श्रमिक लम्बे समय तक कार्य नहीं कर पाते हैं तथा उनकी कार्य-क्षमता कम होने से उत्पादकता भी कम होती है। भारतीय श्रमिक यूरोपीय श्रमिक की तुलना में कम उत्पादकता देता है क्योंकि हमारे देश की जलवायु गर्म है। जहाँ कच्चा माल आमतौर से और शीघ्र सुलभ होता है वहाँ श्रमिक उत्पादकता अधिक होती और इसके विपरीत कम उत्पादकता होगी।

2. संगठन एवं तकनीकी तत्त्व (Organisation & Technical Factors)—थम की उत्पादकता उद्योग के संगठन तथा उनमें काम याइ गई तकनीकी द्वारा भी प्रभावित होती है। इसके अन्तर्गत कच्चे माल की किस्म (Quality of Raw Material), प्लान्ट की स्थिति एवं स्ऱ्यवता, मशीनों एवं धौतारों की विस्तार आदि आते हैं।

3. मानवीय तत्त्व (Human Factors)—मानवीय तत्त्वों में भी थम की उत्पादकता प्रभावित होती है। मानवीय तत्त्वों के अन्तर्गत थम-प्रबन्ध सम्बन्ध, कार्य की सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं, थम-संबंध व्यवहार आदि आते हैं। जिस संस्थान में थम-प्रबन्ध सम्बन्ध अच्छे एवं मधुर होते हैं वहाँ हड्डान, ताला-बनिर्दली, धोमें कार्य की प्रवृत्तियाँ आदि न होने से थम की उत्पादकता में हुद्दि होती है। इसके

¹ *Beri, G. C. : Measurements of Production & Productivity in Indian Industry, p. 9.*

विपरीत बातें होने पर थम की उत्पादकता घटती है। कार्य की दशाएं अच्छी होने पर तथा थम समस्याओं को मानवीय इण्टिकोए से देखने पर श्रमिकों की मनोदशा और समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ने से श्रमिक उत्पादकता में बढ़ि होती है। श्रमिक संघों का व्यवहार भी अच्छा होने पर उत्पादकता पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

थम-उत्पादकता की माप(Measurement of Labour Productivity)— थम उत्पादकता को कई तरीकों से मापा जा सकता है। किसी उद्योग में एक ही उत्पादन (Single Product) होने पर थम उत्पादकता ज्ञात करना आसान है। उत्पादकता मापने हेतु निम्नलिखित सभीकरण काम में लाया जाएगा—

$$P = \frac{q}{m}$$

P का ग्रंथि है उत्पादकता, q उत्पादन की मात्रा या इकाइयों तथा m मानव धण्डों की संख्या को प्रदर्शित करता है। दो समयों (Two Periods) में उत्पादकता में हुए परिवर्तनों को इस प्रकार लिख मकते हैं— $\frac{q_1/q_0}{m_1/m_0}$, इनमें q_0 और m_0 आधार वर्ष एवं चालू वर्ष को प्रदर्शित करते हैं।

लेकिन उपरोक्त सभीहरण द्वारा मापी गई उत्पादकता वास्तविक जीवन में मापी जाने वाली उत्पादकता से आसान है। वास्तविक जीवन में उत्पादकता मापना आमतर नहीं है क्योंकि एक ही उद्योग द्वारा एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं की भौतिक मात्रा तथा आकार-प्रकार अनेक-अनेक होते हैं। इस समस्या को दो विधियों द्वारा हल किया जा सकता है—

1. उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के सूचकांक आधार तथा चालू वर्षों के लिए तैयार किए जा सकते हैं और इनके आधार पर चालू वर्ष में आधार वर्ष के आधार पर हुए उत्पादकता के परिवर्तन के अनुपात को मापा जा सकता है। चालू वर्ष में हुए उत्पादकता के परिवर्तन को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा—

$$\frac{P_1/P_0}{E_1 E_0}$$

इस सूत्र में P तथा E उत्पादक सूचकांक तथा रोजगार सूचकांक को प्रदर्शित करते हैं।

2. थम उत्पादकता मापने की दूसरी विधि के अन्तर्गत प्रति मानव धण्डा उत्पादन (Output per man hour) का विपरीत (Reciprocal) उपयोग करके उत्पादकता मालूम की जा सकती है। इस प्रकार उत्पादन की प्रति इकाई पर किया गया मानव धण्डों का व्यय ज्ञात किया जाता है अर्थात् एक वस्तु की एक इकाई के उत्पादन में कितने मानव धण्डों (Man-hours) का व्यय हुआ। इसे हम 'इकाई थम जहरत' (Unit Labour Requirement) के नाम से भी पुकारते हैं।

थम उत्पादकता को आलोचना (Criticism of Labour Productivity)

1. यदि हम थमउत्पादकता का अध्ययन करते हैं तो इससे थम को ही उत्पादन बढ़ाने के लिए अनावश्यक महत्व दिया जाता है जबकि उत्पादन में वृद्धि हेतु न केवल थम की उत्पादकता में वृद्धि करना आवश्यक है, बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों के महत्व को भी स्वीकार करना है।

2. किसी भी स्थान, कर्म अथवा उद्योग से प्राप्त कुल उत्पादन को थम के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उद्योग अथवा कर्म की कार्यकुण्ठता भी भौतिक उत्पादन और थम प्रयासों के अनुपात के रूप में नापना कठिन है।

3. प्रति व्यक्ति घण्टे को उत्पादकता का सूचकांक मानकर चलना भी उचित नहीं है व्योकि यह अस्तर-सम्बन्ध में उत्पादन कुण्ठता में परिवर्तन को भी बताते हैं।

4. अधिकासित देशों में अपनी थम उत्पादकता जानने, इसे मापने आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। अतः वहाँ इस विचारधारा का सही एवं उचित उपयोग सम्भव नहीं हो सकता।

5. थम उत्पादकता के सूचकांकों की सहायता से सरकारी नीतियों का निर्धारण केवल एक अनुमान मात्र है। जिस आधार पर सूचकांक तैयार किए जाते हैं, वे अपने प्राप्त में सही नहीं हैं।

उत्पादकता सम्बन्धी विचारों के प्रकार (Types of Productivity Concepts)

उत्पादकता सम्बन्धी विचार विभिन्न संदर्भों तथा अर्थों में काम प्राप्त हैं—

1. भौतिक उत्पादकता (Physical Productivity)—जब किसी उत्पादन के साधन का उत्पादन में कितना योगदान है, उसे भौतिक रूप में व्यक्त करते हैं तो वह भौतिक उत्पादकता कहलाती है, जैसे प्रति मानव घण्टा तीन मीटर कपड़ा आदि।

2. मूल्य उत्पादकता (Value Productivity)—उत्पादकता सम्मूल्य (Homogeneous) नहीं होने पर तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन से तुलना सम्भव नहीं होने पर उन वस्तुओं की भौतिक मात्रा को बाजार मूल्यों पर गुणा करके मूल्य में व्यक्त करते हैं तो यह मूल्य उत्पादकता कहलाएगी, उदाहरणात् 3 मीटर कपड़ा, 4 लिलों सूत आदि का मूल्य ज्ञात करके उत्पादकता के रूप में व्यक्त करना।

3. औसत उत्पादकता (Average Productivity)—जब कुल उत्पादकता (Total Productivity) में थम की लगाई गई इकाइयों का भाग लगाया जाएगा तो हमें औसत उत्पादकता प्राप्त होगी। उदाहरणात्, कुल उत्पादकता 500 इकाइयाँ हैं तथा थमिक सख्ता 100 है तो औसत उत्पादकता 5 इकाइयाँ होगी।

4. सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity)—किसी वस्तु के उत्पादन में थम की एक अतिरिक्त इकाई के लगाने पर कुल उत्पादकता में जो वृद्धि

होती है, वही सीमान्त उत्पादकता होगी, जैसे 100 श्रमिकों की कुल उत्पादकता 500 इकाइयाँ हैं तथा 101 श्रमिकों की 510 इकाइयाँ तो सीमान्त उत्पादकता 10 इकाइयाँ होगी।

भारत में श्रम उत्पादकता एवं उत्पादकता आन्दोलन (Labour Productivity and Productivity Movement in India)

भारत एक विकासशील देश है जो पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सुनियोजित रूप में अपने तीव्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। ये पचवर्षीय योजनाएँ पूरी करने और सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने के उपरान्त भी हमारी श्रीयोगिक उत्पादन क्षमता बहुत कम है और उत्पादन लागत बहुत अधिक है। हमारे उद्योगों की उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रीय श्रीयोगिक क्षेत्र की उत्पादन की तुलना में काफी कम है। अतः भारत में उत्पादकता वृद्धि तथा उत्पादकता आन्दोलन का अपना विशेष महत्व है। उत्पादकता आज समृद्धि का प्रतीक है और भारत के लिए तो यह जीवन-मरण का प्रश्न है। हमें उत्पादन की विकसित और आवृत्तिकर्तम पढ़तियों, नवीनतम मशीनों और उपकरणों, थ्रेप्ट मानवीय सम्बन्धों एवं प्रबन्ध-गतिविधियों द्वारा श्रीयोगिक उत्पादकता को तेजी से बढ़ाना होगा, ताकि जन-सामान्य का जीवन-स्तर बाँधित रूप में ऊँचा हो सके।

स्वर्गीय प० नेहरू के ये शब्द आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं कि “यद्यपि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में सस्ती श्रम-शक्ति उपलब्ध है, फिर भी हम अन्य देशों से उत्पादन-कर्ता व लागत आदि में प्रतिस्पर्धी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम देश के अन्तरिक सुरक्षित बाजार में भी अधिक दिनों तक नहीं टिक पाते। इस वास्तविकता का उत्तर केवल एक ही बात में निहित है कि हम अपने सीमित साधनों का सर्वोपयुक्त ढग से उपयोग करें और उत्पादन की विकसित तकनीक एवं प्रबन्ध की थ्रेप्टम प्रणालियों को मान्यता प्रदान करें।” स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने भी उत्पादकता के महत्व को इंगित करते हुए कहा था कि “हमें लोगों का जीवन-स्तर उच्चतर करना है। उत्पादकता बढ़ाने से उत्पादन की लागत कम होती है जिससे बस्तुएँ कम कीमत पर बेची जा सकती हैं और बाजार का विस्तार होता है तथा विश्व के बाजारों में हमारी बस्तुएँ महत्वपूर्ण ढग से प्रतियोगिता कर सकती है।” डॉ० जाकिर हुसैन ने भी कहा था “यह एक विशेषज्ञान संगता है कि यद्यपि उच्च विकासित राष्ट्रों की तुलना में हमारे यहाँ मजदूरी का स्तर तीव्र है लेकिन जो बस्तुएँ हम तैयार करते हैं, वे सस्ती नहीं हैं बल्कि अधिक लागत की है, जिसमें उनके बिकने में कठिनाई बनी रहती है। इसका एक ही उत्तर है कि हम अपनी जन-शक्ति एवं अन्य साधनों का प्रभावशाली ढग से उपयोग करें ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।”

भारत में उत्पादकता आन्दोलन

हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धीय विचार नहा नहीं है। कई सरकारी, गौर-सरकारी संस्थाओं एवं मंगठनों ने उत्पादकता को प्रोत्तमाहित करने के लिए विभिन्न

ओद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया है। फिर उत्पादकता के सम्बन्ध में उद्योगों में उस समय अधिक ध्यान दिया गया जब 1952 और 1954 में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन (I. L. O.) की टीमों हमारे देश में आईं। इन टीमों ने अहमदाबाद और वर्माई की सूनी वस्त्र मिलों तथा कलकत्ता के कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों को अपना कार्य-क्षेत्र चुना। विभिन्न प्रबन्धकों तथा थम-संघ नेताओं द्वारा यह बताया गया कि थोड़े से परिवर्तनों के माध्यम से उत्पादन के तरीकों से उत्पादकता में बृद्धि की जा सकती है। थम सम्बन्धों तथा कच्चे माल के उपयोग के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए। अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के इस मिशन के कार्य तथा तिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के थम मन्त्रालय ने वर्माई में 1955 में उत्पादकता केन्द्र (Productivity Centre) की स्थापना की। इस केन्द्र द्वारा कार्य-अध्ययन पाठ्यक्रम, उच्च प्रबन्धकीय सेमीनार एव कार्यक्रम, सम्पुष्ट थम प्रबन्ध कार्य अध्ययन विभिन्न उद्योगों में रखे जाते हैं।

हमारे देश में उत्पादकता सम्बन्धी सही अर्काडो का अभाव है। हमारी उत्पादकता का सूचकांक अधिकांश दिक्षित देशों के उद्योगों के सूचकांकों से कम है। इस दिशा में हमें सूचकांक तैयार करने चाहिए जिससे हमन केवल अन्य देशों के उद्योगों के सूचकांकों से तुलना कर सकें बल्कि विश्व-बाजार में सफलता प्राप्त कर सकें। हमारे देश में विभिन्न उद्योगों में वहे पैमाने पर उत्पादकता आनंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 1956 में भारत सरकार के व्यापार एव उद्योग मन्त्रालय ने डॉ विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक टीम 6 सप्ताह के अध्ययन हेतु जापान भेजी। अध्ययन दल की सिफारिशों के विचार के लिए सरकार ने 1957 में एक सेमीनार आयोजित किया जिसमें आनंदोलन की प्रगति के आधारभूत सिद्धान्त निश्चिन्त किए गए, जो सक्षेप में इस प्रकार हैं—

1. उत्पादकता आनंदोलन को बल देने हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परियद की स्थापना की जाए।

2. सुधारी हुई तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन की मात्रा और गुण में सुधार किया जाए।

3. रोजगार सम्भावनाओं में बृद्धि उत्पादकता बृद्धि पर ही निर्भर है।

4. उत्पादकता बृद्धि के सम्पूर्ण लाभ सभी वर्गों-थम, पूँजी तथा उपभोक्ता-में समान रूप से वितरित किए जाएं।

5. उत्पादकता बृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने के लिए ओद्योगिक सम्बन्ध मधुर बनाए जाएं।

6. उत्पादकता आनंदोलन का क्षेत्र विस्तृत बनाया जाए अर्थात् लघु एव बृहत् तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी उद्योगों में इस आनंदोलन को एक साथ लागू किया जाए।

टीम की सिफारिशों के आधार पर 1958 में एक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (National Productivity Council or N. P. C.) को स्थापना की गई। इसका गठन एक स्वायत्त समग्रन के रूप में हुआ जिसकी सदस्य संसद्य अधिकतम 60 है। इन मदस्यों में नियोक्ताओं, धर्मिकों, सरकार और अन्य लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। बम्बई, मद्रास, बंगलौर और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण श्रीद्योगिक केन्द्रों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अन्तर्गत प्रांतीश्विक निदेशालय (Regional Directorates) स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के तहत देश में विभिन्न उद्योगों में उत्पादकता समितियाँ भर्ती की गई हैं तथा 1966 में भारत उत्पादकता वर्ष (India Productivity Year 1966) मनाया गया।

भारत सरकार ने उत्पादकता की प्रेरणा व उत्पादकता की विद्या की दृष्टि से भी 1956 से 'श्रमवीर' नामक राष्ट्रीय पुरस्कार भी देश के श्रीद्योगिक उत्पादकता आनंदोलन में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अतिरिक्त प्रसंस्थाओं के योगदान भी उल्लेखनीय हैं—(1) अमरपीठ सौलियकोटी में योगदान, कलकत्ता में विदेशी विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर सौलियकोटी योजना-उत्पादकता के प्रणिक्षण का प्रबन्ध किया है। (2) अहमदाबाद टैक्सिटाइन इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन ने वस्त्र उद्योग में गुण तिथ्वरण कला का विस्तार किया है। (3) राष्ट्रीय विकास परिषदों के अन्तर्गत प्लाण्ट प्रोटेक्ट कमेटी एवं योजना की श्रीद्योगिक प्रबन्ध अनुसन्धान इकाई तथा अन्य अनुसन्धान मन्थाओं द्वारा उत्पादकता वृद्धि में सम्बन्धित तकनीक में छानबीन के प्रयत्न किए जाते हैं। (4) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म मंगठन ने भारत को विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कर देस आनंदोलन को प्रोत्साहित किया है। (5) अमेरिका के तकनीकी सहयोग निशन ने भी विशेषज्ञों की सेवाओं तथा पुस्तकों के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को सहयोग दिया है।

इदिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा मार्च, 1972 में उत्पादकता पर त्रिपक्षीय सेमीनार आयोजित किया गया। इस सेमीनार में उत्पादकता वृद्धि के प्रयासों में और तेजी लाने तथा उत्पादकता वृद्धि में धर्म एवं प्रबन्ध के योगदान पर विचार-विमर्श किया गया।

भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमारे देश की गरीबी दूर करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाना होगा। आज हमे कम से कम लगात पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने वाली योजनाओं को प्राथमिकताएँ देनी होगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पादकता आनंदोलन के परिणामस्वरूप देश में उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो उस बड़े हुए उत्पादन के लाभों का हिस्सा किस तरह से प्राप्त किया जाए। यदि सभी वडे हुए उत्पादन के लाभ को अधिकारों में वितरित कर दिया जाता है तो इससे विभिन्न उद्योगों में मजदूरी में भिन्नताएँ

50 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

उत्पन्न हो जाएगी । इस सरह में इसके हिस्से का वितरण थमिको, मालिको और उपभोक्ताओं में सन्तुलित रूप में किया जाना चाहिए । यदि इसके लाभों का वितरण थमिको व मालिकों पर छोड़ दिया जाता है तो दोनों पक्ष समाज के अध्य वर्गों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगे । इसलिए एक उचित तरीका यह है कि इसका वितरण तीनों पक्षों—थमिको की मजदूरी में बढ़ि, मालिकों के प्रतिफल में बढ़ि और समाज को अच्छी किस्म व कम कीमत पर वस्तुओं की उपलब्धि के रूप में किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद द्वारा नियुक्त विपक्षीय समिति ने उत्पादकता के लाभों के वितरण के लिए निम्न मार्गदर्शक तत्व मुझाव है—

1. इस योजना के अन्तर्गत केवल प्रबन्धको और थमिको के बीच में ही लाभ की सहभागिता का वितरण नहीं होना चाहिए बल्कि इसका हिस्सा उपभोक्ताओं और समाज को भी मिलेना चाहिए ।

2. इसके अन्तर्गत निरन्तर आर्थिक विकास की उम्रति का समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।

3. डेस्यूलान की क्रियाशीलता में किसी तरह का अक्तिगत प्रभाव नहीं होना चाहिए ।

4. इस प्रकार की योजना के लागू करने से पूर्व इसका प्रकाशन करना आवश्यक है ।

लाभों की सहभागिता के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने मन् 1964 में एक स्टीरिंग ग्रुप नियुक्त किया । इस ग्रुप ने मजदूरी, आय और कीमत नीतियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया और एक आय नीति के सम्बन्ध में निम्न मार्गदर्शक तत्वों की सिफारिश की—

1. नकद मजदूरी में परिवर्तन के नियमन हेतु अर्थव्यवस्था की ऊच वर्षीय गतिशील शोधन उत्पादकता की ध्यान में रखना होगा ।

2. मजदूरी आय समायोजन हेतु हमें अधिकतम सीमा उत्पादकता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना होगा ।

3. विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में मजदूरी और नकद आय का समायोजन अर्थव्यवस्था में होने वाली उत्पादकता की दर के अनुमार होना चाहिए जिससे उद्योग अथवा क्षेत्र में उत्पादकता से बढ़ि की दर के अनुसार ही समर्योजन या नियमन सम्भव होगा ।

4. उत्पादकता से जुड़ी हुई मजदूरी योजनाओं में इस बाल का ध्यान रखना होगा कि उत्पादकता में हुई बढ़ि का लाभ समाज को भी अच्छी किस्म तथा निम्न कीमत वाली वस्तुओं के रूप में प्राप्त हो ।

ऊची मजदूरी की मितव्यमिता

(Economy of High Wages)

साधारणतः यह समझा जाता है कि नीची मजदूरी सस्ती होती है किन्तु यह

धारणा हमेंगा सही नहीं होती। कारण यह है कि नीची मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की कार्य-कुशलता कम होती है, जिससे उत्पादन कम होता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत ऊँची रहती है। इस तरह नीची मजदूरी वास्तव में ऊँची मजदूरी होती है।

इसके विपरीत, ऊँची मजदूरी की दशा में श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम पड़ती है। इस प्रकार ऊँची मजदूरी वास्तव में 'स्तरी' मजदूरी होती है।

किसी भी वस्तु का उत्पादन 'मजदूरी पर व्यय' (Outlay on Wages) तथा उत्पादन के सम्बन्ध को इटिंग में रखता है। इस विचार का आधुनिक अर्थ-शास्त्री 'मजदूरी की लागत' (Wage Costs) कहते हैं। ऊँची नकदी मजदूरी (High Money Wages) के कारण यदि श्रमिक अधिक उत्पादन करते हैं तो उत्पादक को वास्तव में मजदूरी की लागत नीची पड़ती है। इसके विपरीत यदि नीची नकदी मजदूरी देने पर श्रमिक कम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कम होता है और यह नीची नकदी मजदूरी ऊँची मजदूरी में परिवर्तित हो जानी है क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अत उत्पादक नीची दात्यक मजदूरी के स्थान पर नीची मजदूरी लागत (Low Wage-Costs) पर ध्यान रखता है। अत यह कहा जाता है कि यदि ऊँची नकदी मजदूरी से मजदूरी लागत नीची आती है तो यह उत्पादक को प्राप्त होने वाली मितव्ययिता होगी। इसे ही ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता (Economy of High Wages) कहा जाता है। ऊँची मजदूरी निम्न कारणों से मितव्ययितापूर्ण होती है—

1. ऊँची मजदूरी से श्रमिकों का जीवन-स्तर उठता है, उनकी कार्य-क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम आती है। दूसरे शब्दों में नीची मजदूरी-लागत (Low Wage Costs) आती है।

2. ऊँची मजदूरी देने से मालिकों प्रच्छे श्रमिक बाजार से प्राप्त होते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन अधिक होता है और उत्पादन लागत कम होने में नीची उत्पादन-लागत पड़ती है।

3. ऊँची मजदूरी होने से श्रमिकों और मालिकों के बीच मधुर सम्बन्धों को प्रोत्ताहन मिलता है। हड्डाले, तालावन्दी, धीमे कार्य की प्रवृत्ति आदि को कोई स्थान नहीं मिलता है। श्रमिक नवि लगाकर उत्पादन करते हैं और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन नियमित और अधिक होता है जिससे नीची मजदूरी लागत पड़ती है।

यतः ऊँची मजदूरी देने से उत्पादन अधिक होता है तथा नीची मजदूरी-लागत (Low Wage Costs) आती है और इसी के कारणस्वरूप बचते या मितव्ययिता प्राप्त होती है।

मजदूरी भुगतान की रीतियाँ (Methods of Wage Payment)

मजदूरी थम को उत्पादन के साधन के रूप में दिया जाते वाला पारिश्रमिक है। मजदूरी भुगतान का तरीका अभिको वी आमदनी को प्रभावित करता है। अलग-अलग देशों में मजदूरी भुगतान करने की विभिन्न-विभिन्न रीतियाँ हैं। एक आदर्श मजदूरी भुगतान प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वह दोनों पक्षों श्रमिकों व मालिकों के अनुकूल हो। इसके साथ ही उत्पादन में बढ़िया करने हेतु श्रमिकों ने प्रेरणात्मक भुगतान देने का भी प्रावधान हो। इसमें गैरिफ्टिक भगड़ों को दूर करने तथा उद्योग की सफलता हेतु दोनों पक्षों में मधुर मम्बन्ध उत्पन्न करने का गुण भी होना चाहरी है।

मजदूरी के भुगतान की विभिन्न रीतियाँ पाई जाती हैं फिर भी मजदूरी के भुगतान की रीतियों को घोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) समय के अनुसार मजदूरी, और (2) कार्य के अनुसार मजदूरी।

1. समयानुसार मजदूरी (Time Wage System)

यह मजदूरी भुगतान का मब्द सामाजिक तरीका है। इसके अन्तर्गत मजदूर को मजदूरी का भुगतान समय के अनुसार, जैसे—प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह के हिसाब से किया जाता है। प्रत्येक श्रमिक को यह विश्वास रहता है कि उसे एक निश्चित समय पश्चात् निश्चित मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। इसके अन्तर्गत कार्य की मात्रा तथा किस्म (Quality) के सम्बन्ध में कोई शर्तें नहीं रखी जाती हैं। मालिक द्वारा इस तरीके के अन्तर्गत भुगतान उस स्थिति में किया जाता है जबकि कार्य को न तो मापा जा सकता है और न ही उसका नरीकी सम्बन्ध होता है तथा कार्य की माप के स्थान पर कार्य की किस्म को अधिक महत्व दिया जाता है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति के लाभ (Advantages of Time Wage System)—इस पद्धति के अनुसार भुगतान करने के निम्न लाभ हैं—

1. सरल प्रणाली—यह पद्धति अत्यन्त सरल होने से श्रमिकों व नियोजकों को आनंदी रहती है। भारतीय श्रमिक अधिकांशतः अशिक्षित होने के कारण यह प्रणाली विशेष रूप से उपयोगी है।

2. सोकप्रिय प्रणाली—यह प्रणाली श्रमिकों के प्रत्येक वर्ग में तथा उनके समठतों द्वारा पसंद बी जाती है। इसके अन्तर्गत सभी श्रमिक वर्गों में एकता की भावना की प्रोत्तमाहन मिलता है।

3. निश्चितता एवं नियमितता—इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूरी के भुगतान में निश्चितता तथा नियमितता पाई जाती है। प्रत्येक श्रमिक को निश्चित वेतन नियमित रूप से मिलने का विश्वास रहता है। आय की निश्चितता तथा नियमितता

के कारण प्रत्येक श्रमिक अपने आय तथा व्यय में समायोजन द्वारा एक निश्चित जोखन-स्तर बनाए रखने का प्रयास करता है।

4. उत्पादन के साधनों का उचित उपयोग—इस पद्धति में कार्य सुचारू रूप में एवं तसल्ही से होने के कारण यन्त्र, औजार, कच्चे माल आदि साधनों का उपयोग ठग से होता है।

5. प्रशासनिक व्यय कम एवं आसानी से पूर्ण—इस पद्धति में निरीक्षण करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती है तथा उस पर व्यय अधिक न करने से प्रशासनिक व्यय भी कम होता है तथा आसानी में प्रशासन किया जा सकता है।

6. विभिन्न रुकावटों के अन्तर्गत उत्पादन होने पर भी यह पद्धति लाभपूर्ण है। ग्राहकिक कारणों विंम वर्षा आदि के कारण कार्य में रुकावट आने पर कार्य बन्द हो जाता है। इस स्थिति में यह पद्धति उचित होती है।

समयानुसार मजदूरी पद्धति के दोष (Demerits of Time Wage System)—समयानुसार मजदूरी पद्धति के अन्तर्गत हमें निम्न दोष देखने को मिलते हैं—

1. कुशल अभिज्ञों को कोई प्रेरणा नहीं—इस पद्धति के अनुसार श्रमिक मन लगाकर तथा ईमानदारी से काम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें यह मालूम रहता है कि एक निश्चित मजदूरी नियमित रूप में मिल जाएगी चाहे वे कम काम करें अथवा अधिक।

2. कुशल-अकुशल सब बराबर—इस पद्धति के अनुसार चाहे कुशल अभिज्ञ हो अथवा अकुशल सभी को समान मजदूरी मिलती है। परिणामस्वरूप कुशल अभिज्ञ भी कम रुचि रख कर कार्य करने लगते हैं और उनकी कार्य-क्षमता घट जाती है।

3. अकुशलता को प्रोत्साहन—कुशल अभिज्ञ व अकुशल अभिज्ञ दोनों को समान मजदूरी मिलने का अर्थ है कि अकुशल अभिज्ञ को पुरस्कृत किया जाता है और कुशल अभिज्ञ को दण्डित किया जाता है। इससे अकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है।

4. काम-चोरी—जब निश्चित मजदूरी नियमित रूप से मिलती है तो अभिज्ञ एक दिए हुए काम को एक लम्बे धर्म के द्वारा समाप्त करता है। वह काम से जो चुराता है।

5. धर्म-पूँजी सर्वर्थ—इस पद्धति के अनुसार मुश्तान करने से अकुशल व कुशल दोनों प्रकार के अभिज्ञों को समान मजदूरी दी जाती है जिससे कुशल अभिज्ञ हड्डाल, धीमे काम की प्रवृत्ति का सहारा लेते हैं।

निष्कर्ष—समयानुसार मजदूरी के गुण-दोषों को देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन कार्यों को मापा नहीं जा सकता—जैसे चिकित्सारी का कार्य, अध्यापक व डॉक्टर का कार्य प्रादि, उनमें यह पद्धति उपयुक्त है।

2 कार्यनुसार पद्धति

(Piece of Wage System)

कार्यनुसार मजदूरी का ग्रन्थ उस मजदूरी से है जहाँ श्रमिक अपने किए हुए कार्य के अनुरूप वेतन पाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत मुगतान की दर किए हुए कार्य के अनुरूप होती है और इसमें समय की व्यवस्था का मापन नहीं होता। इसमें श्रमिकों की मजदूरी कार्य के अनुसार घटनी-बढ़ती रहती है। जहाँ कर्मचारी कुशल न होंगे अथवा आलसी होंगे या कार्य न करने पर भी वेतन-भोगी होंगे वहाँ इस पद्धति में उन्हें हरनि उठानी पड़ेगी।

कार्यनुसार मजदूरी भुगतान के लाभ—कार्यनुसार दी जाने वाली मजदूरी पद्धति के निम्नांकित लाभ है—

इस पद्धति के अन्तर्गत मजदूर को उसके कार्यनुसार मजदूरी दी जाती है चाहे उसमें कितना ही समय क्यों नहीं लगे। जब मालिक कम लागत पर अधिक उत्पादन की भाँता चाहता है, तब यह पद्धति अपनाई जाती है। कार्य की भाँता ही मजदूरी के मुगतान का आधार होता है। जो धर्मिक अधिक कार्य करता है उसे अधिक मजदूरी दी जाती है तथा जो कम कार्य करता है उसको कम मजदूरी मिलती है।

1. योग्यतानुसार भुगतान—अधिक कार्य करने वाले योग्य श्रमिक को अधिक मजदूरी का भुगतान तथा कम कार्य करने वाले अप्रयोग्य मजदूर को कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

2. प्रेरणास्थक पद्धति—अधिक कार्य करने वाले को अधिक मजदूरी देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे कार्यकुशल श्रमिकों को अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

3. अधिक उत्पादन—श्रमिकों को कार्यनुसार मजदूरी मिलने से वे अधिक समय तक कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है।

4. उत्पादन-व्यय कम—इस पद्धति के अन्तर्गत उत्पादन अधिक करने के कारण प्रति इकाई उत्पादन लागत कम भानी है और परिणामस्वरूप श्रमिकों व समाज के संदर्भों को कम कीमत पर वस्तु सुलभ हो जानी है।

5. समय का सदृप्योग—इस पद्धति के अन्तर्गत श्रमिक अपने खानी समय में इधर-उधर घूमने की बजाय अपने आप को कार्य में लगाए रखता है जिससे उसके समय का सदृप्योग भी होता है और उसे अधिक मजदूरी भी प्राप्त हो जाती है।

6. श्रमिक-मालिकों में मधुर सम्बन्ध—कार्य की भाँता के अनुसार श्रमिकों को मुगतान प्राप्त होता है इसलिए वे धीमे कार्य करने की प्रवृत्ति तभा हृदयान् अगवि करने का प्रयत्न नहीं करते। दोनों पक्षों में प्रायः मधुर मन्त्र बते रहते हैं।

7. श्रमिकों की गतिशीलता से वृद्धि-कार्यनुसार मजदूरी मिलने के कारण जहाँ भी अधिक मजदूरी मिलेगी श्रमिक वही जाकर कार्य करना अधिक पसंद करेगा। समयानुसार मजदूरी की तुलना में कार्यनुसार मजदूरी पद्धति के अन्तर्गत श्रमिकों में अधिक गतिशीलता पाई जाती है।

8. अभिकों के जीवन-स्तर में सुधार—कार्यनिःसार मजदूरी मिलते के कारण अधिक मजदूरी अधिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को मिलती है। उनका जीवनस्तर ऊँचा उठता है और कार्य-क्षमता बढ़ती है।

9. निरीक्षण द्वय में कमी—इसके अन्तर्मत निश्चित कार्य की मात्रा तथा किसी निश्चित होने से कार्य निरीक्षण आदि करने की जरूरत नहीं होने से निरीक्षण द्वय कम होता है।

10. उपभोक्ता वर्ग को लाभ—उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन सागत कम आती है। परिणामस्वरूप दस्तुओं की कीमत भी कम होती है। इससे उपभोक्ता वर्ग को लाभ होता है।

कार्यनिःसार मजदूरी पद्धति के दोष (Demerits of Piece Wage System)—इस पद्धति के निम्नलिखित दोष हैं—

1. मजदूरी में कटौती—कभी-कभी यह देखने में आता है कि जब अभिक अधिक कार्य करके अधिक पारिथमिक प्राप्त करने लगता है तो नियोक्ता मजदूरी दर में कटौती करके पारिथमिक में मे कटौती कर लेते हैं।

2. स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव—‘अधिक कार्य अधिक मजदूरी’ के लोभ में अभिक अधिक कार्य करने लगते हैं। वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। बाद में इसका परिणाम यह होता है कि अभिक बीमार रहने लग जाना है। उसकी कार्य-क्षमता घटने लगती है।

3. उत्पादन की निम्न किसम—अभिक अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लोभ में अधिक कार्य तेजी से करता है। इससे उत्पादन की मात्रा में तो बढ़ि होती है, लेकिन उत्पादन की किसम बढ़िया के स्थान पर घटिया आने लगती है।

4. मजदूरी की अनियमिता तथा अनिश्चितता—अभिक की मजदूरी निश्चित तथा नियमित नहीं होती है। बीमार होने पर अवश्य कारखाना बंद होने पर अभिक को कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती है।

5. कलात्मक तथा बारीकी वाले कार्यों में अनुपयुक्त—यह पद्धति कलात्मक कार्यों जैसे चित्रकारी, खुदाई तथा अन्य बारीकी वाले कार्यों में उपयुक्त नहीं है।

6. अभिक संघों पर विपरीत प्रभाव—कार्यनिःसार मजदूरी देने के कारण अभिक ‘अधिक कार्य अधिक मजदूरी’ के लोभ में पड़े रहते हैं। वे अपने समाज के लिए समय नहीं निकाल पाते। इसका परिणाम सूख एवं सुमग्नित अभिक-संघों का अनाव होता है।

7. अभिकों में पारस्परिक एकता का अभाव—कार्यनिःसार मजदूरी के अन्तर्मत वे एक कुगर अद्वैत-कुशन एवं अकुगर वगों में बैठ जाते हैं। वे प्रायः एक-दूसरे के नज़दीक नहीं आते हैं। उनमें आधिक असमानता उत्पन्न हो जाने से प्रायः परस्पर स्नेह तथा एकता नहीं हो पाती है।

जब कम लागत पर अधिक उत्पादन करना होता है तथा योग्यतानुसार वेतन दिया जाना हो वहाँ पर कार्यनिःसार मजदूरी मुगलान पद्धति उचित है।

कार्यनिःसार पद्धति के कुछ रूप

प्रीमियम बोनस पद्धति—इस पद्धति के कारण कार्यनिःसार मजदूरी के दोपों की समाप्ति हो जाती है और मजदूरी दर एक वारमी ऊँचाई के साथ प्रारम्भ की जाती है। फिर आगे घटती दर से बढ़ती है। इसे प्रेरणात्मक प्रगतिशील प्रणाली, प्रीमियम बोनस पद्धति एवं प्रोत्साहन मजदूरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति प्रमाणी समय पर प्राप्तिशील है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय की अवधि निर्धारित कर दी जाती है। समय से पहले कार्य समाप्त करने पर उस व्यक्ति को अतिरिक्त मजदूरी प्राप्त हो जाती है। इसी अतिरिक्त मजदूरी को बोनस अथवा प्रविलाभीण कहने है। इसी विवेचना अनेक विद्वानों ने की है जिसमें श्री रोवन, हाल्से, टेलर, मेरिक, गैण्ट आदि प्रमुख हैं। इनके विवेचण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

रोवन पद्धति—सन् 1898 में श्री डेविस रोवन ने इस पद्धति का विकास किया। इस पद्धति में किसी कार्य को निर्धारित अवधि में ही समाप्त कर देना पड़ता है। उसके लिए मजदूरी भी निर्धारित कर दी जाती है। यदि कोई मजदूर निर्धारित अवधि के पूर्व ही उस कार्य को पूर्ण कर लेता है तो वचे हुए समय के प्रतिशत के बराबर ही उसको प्रतिशत लाभीण दिया जाता है—

**बचे समय
प्रथाति, निर्धारित अवधि × लिया हुआ समय × निर्धारित बेतन दर**

इस मूल को इस प्रकार समझा जा सकता है—मात्र लिया किसी कार्य को 6 घण्टों में पूरा करना है परन्तु कोई अभिक उस कार्य को केवल 4 घण्टे में ही पूरा कर लेता है, तब इसी बचे समय के लिए उसे अतिरिक्त मजदूरी मिलती है। इसी अतिरिक्त मजदूरी को रोवन पद्धति में मजदूरी-निर्धारण कहा जाता है। इसमें अभिको की मजदूरी घटे हुए समय की दर के प्रमुख बहनी है।

हाल्से पद्धति—श्री एक ए हाल्से ने सन् 1890 में इस पद्धति को निर्मित किया था। इसके अनुसार किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक समय निश्चिन्त कर दिया जाता है और यदि कार्य समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है तो उस बचे समय में कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी प्रदान की जाती है। इस पद्धति के अन्तर्गत प्रतिशत का कोई झगड़ा नहीं रहता। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उत्पादन का प्रमाण तथा प्रमाणित समय पहले से ही निश्चित रहते हैं। प्रत्येक अभिक के लिए एक न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित रहती है।

टेलर पद्धति—इस पद्धति में मजदूरी दो प्रकार से दी जाती है—प्रथम, साधारण कार्यनिःसार एवं द्वितीय, प्रमाणित कार्यनिःसार। दोनों पद्धतियों की मजदूरी की दरों में बहुत अन्तर रहता है। कभी कभी तो दूरे का अन्तर भी पछ जाता है। इस पद्धति में मजदूरी की दो दरें होती हैं—एक उदिन पद्धति और दूनरी निश्चित पद्धति। इसका निर्धारण कार्य के अनुसार होता है। दोनों दरों में निश्चित समय से अधिक कार्य करने पर उचित दर से और कम करने पर नीची दर से

भुगतान किया जाता है। कुशल कारीगरों के लिए यह पद्धति अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद्धति में अधिक कार्य करने वाले को पुरस्कार एवं कम कार्य करने वालों को स्वतः ही दण्ड मिलता है। टेलर के इस सिद्धान्त को कुछ श्रुटियों को समाप्त करने के लिए गैरिक ने एक पद्धति विकसित की जिसे गैरिक पद्धति कहते हैं। इसमें सीमावर्ती कठोरता को कम करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें मजदूरी की दो दरों के बजाय तीन दरें होती हैं। ये तीनों दरें तीन प्रकार के मजदूरी, जैसे नए मजदूर, और सत मजदूर एवं कुशल-मजदूर के लिए अन्य-अलग निश्चित होती हैं। मजदूरी दर का उद्देश्य अभियों को उचित मजदूरी प्रदान करना है।

गैरिक पद्धति— गैरिक पद्धति के अनुसार यदि कोई अधिक आदेशों के अनुसार चले और किसी कार्य को एक निश्चित समय के अनुसार पूरा कर ले तो उसे दैनिक दर के अतिरिक्त एक निश्चित बोनस भी प्रदान किया जाना है और यदि उसने दिए हुए कार्य को समयानुसार पूरा नहीं किया तो उसे मात्र उस दिन का वेतन ही दिया जाता है।

प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की रीतियाँ (Methods of Incentive Wage Payments)

मजदूरी भुगतान कार्यानुसार तथा समयानुसार दो रूपों में किया जाता है। लेकिन इन दोनों तरीकों द्वारा दी गई मजदूरी की आतोचना समय-समय पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रबन्ध विशेषज्ञों ने की है। इन दोनों ही रीतियों के अपने-अपने नाम तथा दोष हैं। इन दोनों ही रीतियों के मिलने से एक प्रगतिशील मजदूरी पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ है जिसे प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति (Progressive Wage System) अथवा मजदूरी भुगतान की प्रेरणात्मक रीति (Incentive System of Wage Payments) कहा जाता है।

इस मिश्रित प्रणाली (कार्यानुसार मजदूरी तथा समयानुसार मजदूरी) के अन्तर्गत अधिक को निश्चित भूलतम मजदूरी के अतिरिक्त और भी भुगतान किया जाता है जिसे अधिलाभांश (Bonus) अथवा प्रीमियम (Premium) कहते हैं। इसमें प्रमाप उत्पादन (Standard Output) के लिए एक निश्चित मजदूरी दी जाती है। इससे अधिक कार्य करने पर बढ़ती हुई दर से अतिरिक्त पारिधिक्य दिया जाता है जिससे योग्यता को पुरस्कार मिल सके तथा कार्य की किसी में गिरावट न आए।

उदाहरणत यदि एक कार्य 3 दिन में करना है और मजदूरी 4 रु. प्रतिदिन दी जाती है तथा कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया जाता है तो अधिक को दो दिन की मजदूरी 8 रु तथा एक दिन बचाने के लिए 2 रु और मिलेंगे। यत् कुन मजदूरी 10 रु होगी जो कि औसत मजदूरी 4 रु से अधिक है। प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की रीतियों का बर्गीकरण मजदूरी प्रेरणात्मक पद्धति से पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्त्वों के आधार पर किया गया है।¹ ये तत्त्व अर्थात् हैं—

1 Flippo, E. B. : Principles of Personnel Management, p. 302

1. उत्पादन की इकाइयाँ (Units of Output),
2. प्रमाप समय (Standard Time),
3. कार्य में लगा समय (Time Worked),
4. बचाया गया समय (Time Saved)।

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की पद्धति अपनाते समय मजदूरी-निश्चिरण में यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उत्पादन की इकाइयाँ कितनी हैं, समय कितना दिया गया है, कितना समय लगा और कितना समय बचा, आदि।

प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की विभिन्न रीतियाँ या पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं—

1 टेलर पद्धति (Taylor Piece Work Plan)—इसका प्रतिपादन वैज्ञानिक प्रबन्धक के जनक थी एफ. डब्ल्यू. टेलर ने किया। इसमें दो प्रकार की कार्यनिःमार दरों को घटित किया गया है—एक औसत उत्पादन से अधिक तथा दूसरी औसत उत्पादन तथा उससे कम उत्पादन करने पर दी जाने वाली मजदूरी। इन दरों में काफी अन्तर पाया जाता है।

उदाहरण के लिए 8 इकाई प्रतिदिन प्रमाप उत्पादन (Standard Output) तय किया गया है। इतना या इससे अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई दर 1 रुपया हो सकती है, परन्तु 8 इकाई (प्रमाप इकाई) से कम उत्पादन होने पर प्रति इकाई दर 75 पैसे हो सकती है। यह 8 इकाइयों का उत्पादन करने वाले को 8 रुपये, 10 इकाइयों उत्पादन करने वाले को 10 रु., लेकिन 7 इकाइयों का उत्पादन करने वाले को 75 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से 5 रु. 25 पैसे मिलेंगे।

इस प्रकार टेलर पद्धति कुशल अभियों के लिए विशेष रूप से प्रेरणात्मक है, क्योंकि ऊँची दर के द्वारा उनको अपने परिवर्तन का पुरस्कार मिलता है, परन्तु अकुशल अभियों को यह पद्धति दण्डित करती है। यह आय में असमानता को बढ़ावा देती है। वर्तमान समय में इस पद्धति का एक ऐतिहासिक महत्व रह गया है क्योंकि आय की असमानता के स्थान पर 'आय की समानता' पर अधिक जोर दिया जाने लगा है।

2 हैल्से प्रीमियम पद्धति (Halsey Premium System)—इस पद्धति का प्रतिपादन प्रो एफ. ए. हैल्से द्वारा किया गया था। इस पद्धति में कार्यनिःमार तथा समयानुसार मजदूरी भुगतान की रीतियों के लाभों का मिथ्या है तथा इनके दोपों को छोड़ दिया गया है। इसमें एक प्रमाप उत्पादन निश्चित समय में पूरा करना होता है। यदि कोई अभियों द्वारा हुए कार्यों को निश्चित अवधि से पूर्व ही समाप्त कर लेता है तो उसे बचाए हुए समय (Time Saved) के लिए प्रतिरक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि किसी कार्ये हेतु 10 घण्टे निश्चित किए गए हैं और कार्य 8 घण्टे में पूरा कर लिया जाता है तो अभियों को 8 घण्टे के पारिश्रमिक के अतिरिक्त बचाए गए समय (2 घण्टे) के लिए दर का 50% भुगतान किया जाएगा। यदि 10 रु. प्रति घण्टा समय मजदूरी है तो प्रीमियम $1/2 \times (10 \times 2) = 10$ रु. होगा तथा मजदूरी $8 \times 10 = 80$ रु. अर्थात् कुल भुगतान $80 + 10 = 90$ रु. किया जाएगा।

इस पद्धति के अन्तर्गत बचाए गए समय के लिए निश्चित दर पर प्रीमियम दिया जाता है तथा मजदूरी को समयानुमार मजदूरी की भी गारण्टी रहती है जिससे नियोक्ताओं को भी अधिक मजदूरी का मुगलान नहीं करना पड़ता है।

इस पद्धति को सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि मालिक किसी कार्य के करने का प्रमाप (Standard) अधिक रख देता है जो कि पूरा करना सम्भव न हो। उस स्थिति में श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है इसलिए कार्य का प्रमाप उचित एवं वैज्ञानिक प्रबन्धकों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

3. शत-प्रतिशत समय प्रीमियम योजना (The 100 Percent Time Premium Plan)—जहाँ समय अध्यवा कार्य अध्ययन द्वारा समय प्रमाप (Time Standards) निर्धारित किए जा सकते हैं वहाँ श्रमिकों को उनके द्वारा बचाए गए समय (Time Saved) के लिए शत-प्रतिशत दर पर प्रीमियम दिया जाता है।

उदाहरण के लिए 10 घण्टे किसी कार्य हेतु निश्चित किए जाते हैं तथा समय दर (Time Rate) 10 रु. प्रति घण्टा है। कार्य 8 घण्टे में पूरा किया जाता है तथा समय 2 घण्टे बचता है तो उसको 8 घण्टों के 80 रु मजदूरी तथा 2 घण्टे बचाने के कारण 20 रु प्रीमियम के रूप में अर्थात् कुल मुगलान 100 रु. किया जाएगा।

इस योजना में भी समयानुमार मजदूरी की गारण्टी दी जाती है तथा बचाए गए समय (Time Saved) हेतु दर वही रखी जाती है। कुशलता को इससे अधिक प्रेरणा मिलती है।

4. रोबन योजना (Rowan Plan)—इस पद्धति के प्रतिपादन का ध्येय भी जेम्स रोबन को है। इसके अन्तर्गत समय के आधार पर मजदूर को न्यूनतम मजदूरी की गारण्टी दी जाती है। एक प्रमाप समय किसी कार्य को पूरा करने हेतु निश्चित कर दिया जाता है। यदि दिए हुए समय से पूर्व ही कार्य कर लिया जाता है तो बचाए गए समय के लिए कुल समय के अनुपात में मुगलान किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कार्य 10 घण्टों में पूरा करना है और वह कार्य 6 घण्टों में पूरा कर लिया जाता है, वचाया हुआ समय 4 घण्टे है और समय दर 10 रु. प्रति घण्टा है तो इसके अन्तर्गत प्रीमियम होगा—

$$\frac{\text{बचाया गया समय (Time Saved)}}{\text{दिया गया समय (Time Allowed)}} \times \text{लिया गया समय (Time Taken)} \times \text{दर}$$

$$\frac{4}{10} \times 6 \times 10 = 24 \text{ रु}$$

अतः श्रमिक को 60 रु (6 × 10) मजदूरी तथा 24 रु. प्रीमियम अर्थात् कुल 84 रु प्राप्त होगे।

इस पद्धति के अन्तर्गत हैल्से पद्धति की तुलना में अधिक प्रीमियम प्राप्त होता है, लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब बचाया गया समय (Time Saved) दिए

हुए समय (Time Allowed) का 50% से कम हो। यदि वचाया हुआ समय 50% है तो दोनों में समान तथा 50% से अधिक होने पर हैल्से पद्धति के अन्तर्गत अधिक प्रीमियम प्राप्त होगा।

5. इमरसन योजना (Emerson Plan)—इसका प्रतिपादन प्रो. इमरसन ने किया। यह पद्धति रोबत पद्धति के अनुसार कार्यशमता के सूचकांक तथा किए गए कार्य के समय के मूल्य पर आधारित है। इसमें सूचकांक प्रमाप समय (Standard Time) में लिए गए वास्तविक रामय का भाग लगाकर जात करते हैं। उदाहरण के लिए 36 प्रमाप समय के घण्टों का कार्य 40 घण्टों में होता है तो कार्य-क्षमता या कार्यकुशलता 90 प्रतिशत होगी। विभिन्न कार्यकुशलताओं के लिए विभिन्न प्रीमियम की दरें निर्धारित ही जाती हैं। कम से कम 65% तक की कार्यकुशलताओं को प्रीमियम दिया जाता है। इस प्रकार की पद्धति उन छोटे कर्मचारियों के लिए लागू की जाती है जिनकी कार्य-क्षमता बहुत कम होती है तथा जो जरूर-प्रतिशत प्रीमियम योजना के प्रमाप को प्राप्त नहीं कर सकते।

6. गैण्ट की कार्यभार एवं बोनस पद्धति (Gantt Task and Bonus System)—इस पद्धति का प्रतिपादन श्री हेनरी एत. गैण्ट ने किया था। इसके अन्तर्गत हैल्से योजना के समान धीरे-धीरे काम करने वाले अभिकों को प्रति घण्टे की दर से और तेज़ काम करने वाले मजदूरों को इकाई दर से मजदूरी दी जाती है। माय ही टेलर पद्धति के समान यह प्रमाप (Standard) तक पहुँचने में समर्थ और असमर्थ मजदूरों में निश्चित रूप से भेद करती है। गैण्ट योजना सब योजनाएँ की प्रति घण्टे दर की गारण्टी देता है। यदि दिए हुए समय में कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो दी जाएगी लेकिन उसको बोनस प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह बोनस 20 से 25% तक होता है जो कि दिन के अन्त में काम में लाया जाता है।

उदाहरण के लिए किसी कारखाने में एक अभिक को 8 घण्टे कार्य करना होता है। मजदूरी 2 रु प्रति घण्टे है तथा काम भी 8 घण्टे में पूरा होने वाला होता है। यदि अभिक उस कार्य को 8 घण्टे में पूरा कर सकता है तो उसको 20% बोनस उसकी कुल मजदूरी का दिया जाएगा। 8 घण्टे की मजदूरी 2 रु प्रति घण्टे के हिसाब से 16 रु तथा 20% बोनस में 3 रु 20 पंसे अर्थात् कुल 19 रु 20 पंसे मिलेंगे। यदि 8 घण्टे में उस कार्य को पूरा नहीं करता है तो उसे केवल 16 रु मजदूरी के रूप में मिलेंगे लेकिन बोनस नहीं मिलेगा।

7. परिवर्तन पैमाना पद्धति (Sliding Scale System)—इस प्रद्धति के अन्तर्गत मजदूरी में परिवर्तन वस्तुओं की कीमतों तथा जीवन-निर्वाह लागत एवं ताखों में परिवर्तन के साथ किए जाते हैं। यदि वस्तुओं की कीमतों, जीवन-निर्वाह लागत तथा लाखों में वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में भी मजदूरी में वृद्धि की जाती है। यह पद्धति नियोक्ताओं द्वारा, उन वस्तुओं में जिनकी कीमतों में अधिक परिवर्तन होते हैं, चाही जाती है। फिर भी इस पद्धति का कई कारणों से विरोध

किया जाता है। कीमतों में होने वाले परिवर्तन सन्तोषप्रद तरीके से मापना कठिन है क्योंकि कीमतों पे परिवर्तन कई कारणों से होते रहते हैं। साथ ही बाजार की शक्तियों पर मजदूरी-निर्धारण हेतु श्रमिकों को नहीं छोड़ा जा सकता। इसके अतिरिक्त नियोक्ता तथा श्रमिक अपने-अपने फायदे के लिए कीमतों में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे।

मजदूरी भुगतान के तरीकों का श्रमिकों की आय स्वयं उनकी दबता, राष्ट्रीय लाभांश एवं आदिक कल्पाण वर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रो. पीगू के अनुसार यदि उत्पादन में हुई वृद्धि का विवरण श्रमिकों में उनके योगदान के अनुमार किया जाता है तो इससे उनके आर्थिक कल्पाण में वृद्धि होती है। यह उस स्थिति में ही सम्भव है जब मजदूरी का भुगतान सामूहिक सोइकारी के नियन्त्रण में कार्यानुसार किया जाए।

एक अच्छी प्रेरणात्मक मजदूरी की विशेषताएँ

(Characteristics of Good Incentive Wage System)

किसी भी कर्म या उद्योग द्वारा एक प्रेरणात्मक मजदूरी पढ़ति लागू करते समय उत्पादन, बचाव या समय, लिया या समय और प्रमाण समय आदि आधारभूत तत्वों को शामिल किया जाना है। इस प्रकार किसी भी योजना में निम्नांकित विशेषताएँ होनी चाहिए—

1. कोई भी पढ़ति मरल, समझने योग्य तथा श्रमिकों द्वारा गणना के योग्य होनी चाहिए।

2. उत्पादन तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के साथ-साथ आमदनी में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होना चाहिए।

3. श्रमिकों को तुरन्त उनकी आय प्राप्त होनी चाहिए।

4. कार्य प्रमाणों (Work Standards) को सुध्यवस्थित अध्ययन के पश्चात निश्चित करना चाहिए।

5. किसी भी परिवर्तन पर प्रेरणात्मक मजदूरी की मारणी की जानी चाहिए।

6. श्रमिकों को आधार घटा दर की मारणी दी जानी चाहिए। यदि दिया हुआ प्रमाणी कार्य पूरा नहीं होता है तो श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण देना चाहिए।

7. प्रेरणात्मक पढ़ति उद्योग तथा संस्थान के लिए मित्र्यवी होनी चाहिए, जिससे न केवल उत्पादन में ही वृद्धि हो बल्कि उत्पादकता में भी वृद्धि हो और प्रति इकाई लागत में कमी हो।

8. श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कल्पाण वर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

9. तकनीकी परिवर्तनों या योजना में परिवर्तन करने हेतु इस प्रकार की योजना लोचपूर्ण होनी चाहिए।

10. प्रेरणात्मक पद्धति से अमिको में सहयोग, एकना एवं आत्मत्व की भावना को बढ़ावा भिलता चाहिए।

किसी भी प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान की योजना को जलदाजी में लागू नहीं करना चाहिए। इससे स्थान अथवा उद्योग को लाभ होने के स्थान पर हानि होने के ही अधिक अवसर होगे। अतः इस प्रकार की योजना को लागू करते से पूर्व प्रमाण कार्य, प्रमाण समय, दक्षता आदि का सुध्यवस्थित ढग से अध्ययन करना चाहिए तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए जिससे कि वाँछनीय लाभ प्राप्त किए जा सकें।

प्रेरणात्मक मजदूरों योजना की बुराईयों के सम्बन्ध में सावधानियाँ (Precautions against Ill-effects of Incentive Wage System)

सभी प्रेरणात्मक योजनाएँ लाभपूर्ण नहीं होती हैं। उनमें कुछ खामियाँ भी होती हैं जिनको लागू करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये निम्नलिखित हैं-

1. अमिको की यह आदत बन जाती है कि प्रेरणात्मक योजना के अन्तर्गत वे उत्पादन की ओर ध्यान अधिक देते हैं जबकि उत्पादन की किसी की ओर ध्यान नहीं देते। घटिया किसी की वस्तु उत्पादित करने से बाजार में उम्मीद विक्री अधिक नहीं हो सकेगी तथा जिस स्थान में योजना लागू की गई है वहूं उसी के लिए धातक सिद्ध होगी। इस बुराई को दूर करने हेतु उत्पादन पर जाँच तथा निरीक्षण लागू करना होगा।

2. कभी-कभी प्रेरणात्मक योजनाओं को लागू करने में उनमें परिवर्तन-शोलता का अभाव पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की रीतियों, मणीनों, आधुनिकीकरण तथा विवेकीकरण आदि के लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। अतः इन परिवर्तनों को लागू करने हेतु प्रेरणात्मक योजना में नोच का गुण पाया जाना चाहिए।

3. प्रेरणात्मक योजना के अन्तर्गत अमिक 'अधिक कार्य अधिक मजदूरी' के लोभ से कार्य करते रहते हैं और प्रायः मुरक्का सम्बन्धी नियमों का ध्यान नहीं रखते। परिणामस्वरूप दुर्घटनाएँ अधिक होती हैं। दुर्घटनाओं को कम करने हेतु भी अमिको पर निभानी रखनी पड़ती है।

4. अधिक मजदूरी प्राप्त करने के लोभ से अधिक कार्य करने से अमिको के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इससे उनकी कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए प्रेरणात्मक प्राय की अधिकतम सीमा निश्चिन्त करनी चाहिए।

5. अधिक दक्ष अमिक को अधिक तथा कम दक्ष अमिक को कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसमें आय की असमानता बढ़ती है। इस असमानता के कारण अधिक दक्ष तथा कम दक्ष अमिकों में आपम में इच्छा की भावना उत्पन्न हो जाती है और उनमें एकता का अभाव पत्तपत्ता है। आय सम्बन्धी अन्तर यदि वैज्ञानिक ढग से चलाई गई योजनाओं के परिणामस्वरूप होता है तो किर अमिको

को आपस में किसी तरह को ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए थमिक संघों का दायित्व है कि वे अपने सभी सदस्यों के बीच मधुर सम्बन्ध एवं एकता की भावना पैदा करें।

6. भुगतान के प्रेरणात्मक तरीकों को कभी भी अच्छे थम-प्रबन्ध सम्बन्धों का प्रतिस्थापन (Substitute) नहीं समझना चाहिए। अतः अच्छे थम-प्रबन्ध सम्बन्धों का होना भी आवश्यक है।

लाभांश-भागिता (Profit-Sharing)

प्राचीन आर्थिक विचारधारा के अन्तर्गत लाभ पर सम्झौर्ण अधिकार पूँजीपति का माना जाता था। मानस के अनुसार 'लाभ चोरी की हुई मजदूरी है' तथा वर्तमान समय में समाजवादी विचारधारा तथा कत्यारकारी राजनीति की स्थापना हो जाने से किसी भी संस्थान या उद्योग में उत्पन्न लाभ पर न केवल माहसी का अधिकार माना जाता है बल्कि यह समझ जाने लगा है कि विना थमिकों के सहयोग के लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लाभ में से थमिकों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए।

लाभांश-भागिता की योजना सर्वप्रथम फ्रैंसीसी चित्रकार श्री एम. लेक्लेयर (M. Leclayer) ने 1820 में आरम्भ की। इसके अनुसार यदि लाभ का कुछ हिस्सा थमिकों को दे दिया जाए तो इससे और अधिक लाभ एवं व्यवहार होती है।

अर्थ (Meaning)—लाभांश-भागिता के अन्तर्गत नियोजक थमिकों को उनकी मजदूरी के अतिरिक्त लाभ में से कुछ हिस्सा देता है। यह दोनों पक्षों के बीच समझौते पर आधारित होता है। किसी भी संस्थान से प्राप्त लाभ औद्योगिक प्रणाली का अभिन्न भाग है और थमिकों के शोपण को समाप्त करने हेतु इस योजना के महत्व पर जोर दिया गया है।

लाभांश-भागिता की वांछनीयता

(Desirability of Profit-sharing)

लाभांश-भागिता की योजना से सामाजिक लाभ (Social Justice) प्रदान किया जा सकता है। किसी भी संस्थान में जो लाभ प्राप्त होता है वह थमिकों के कारण से होता है। यदि हम इस लाभ में से थमिकों को कुछ भी नहीं दें तो वह उनके प्रति अन्याय होगा।

यदि लाभ का हिस्सा थमिकों को न देकर पूँजीपति या साहसी रख नीता है तो इससे थमिकों व मानिक के सम्बन्ध मधुर नहीं रहते। इससे आए दिन हड्डताल, धीमी गति में कार्य करने की प्रवृत्ति से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आती है। अतः अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाए रखने तथा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु लाभांश-भागिता योजना आवश्यक है।

लाभांश-भागिता में थमिकों को मजदूरी के अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा मिलता है जिससे थमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और इसके परिणाम-

64 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

स्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे अच्छी योग्यता वाले अमिक आकर्षित होते हैं।

लाभांश-भागिता योजना को सीमाएँ

(Limitations of Profit-sharing Scheme)

लाभांश-भागिता योजना की कुछ सीमाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. थम संघ नेताओं द्वारा इस योजना का विरोध किया जाता है क्योंकि अमिक नेताओं का कहना है कि इन योजना से थम संघों को दुर्बंध बनाया जाता है। इससे अमिक मालिक पर आधिक होते हैं।

2. इस योजना के अन्तर्गत लाभ के लोभ में अमिक अधिक कार्य करते हैं। अतः उनकी कार्यकुशलता घटती है और निम्न वास्तविक मजदूरी मिलती है।

3. अमिकों को दिया जाने वाला हिस्सा प्राप्तानी से मातृम नहीं किया जा सकता है। लाभांश-भागिता की गणना एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग आधारों पर होगी। इससे अमिक में कम हिस्सा तथा अधिक हिस्सा पाने वाले दो बांग होंगे। इससे योद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

4. अमिकों को मिलने वाला हिस्सा अधिक न होने के कारण से मालिकों की हिमानिदारी में अविश्वास करने लगते हैं और इस प्रकार की योजना में अधिक दृढ़ि नहीं लेते।

5. मालिक भी इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जब अमिकों को उद्योग के लाभ में से हिस्सा दिया जाता है तो हानि होने पर अमिकों द्वारा हानि का भार भी वहन करना चाहिए। वे इस योजना को एक-पक्षीय योजना बताते हैं।

6. इस योजना के प्रन्तर्गत दोनों पक्ष अपना-अपना महस्त बनाते हैं कि लाभ उनके प्रयासों का परिणाम है और इससे उनमें भ्रष्टा उत्पन्न हो जाता है।

7. अमिकों को जब उद्योग के लाभ में हिस्सा दिया जाने लगता है तो वे सुरक्षा से कार्य करते हैं जिससे उत्पादन में गिरावट आती है।

इस प्रकार की योजना पूर्ण रूप से कही भी सफल नहीं हुई है क्योंकि इसकी कई सीमाएँ हैं। किंतु भी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की योजना की सफलता के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता है जिसमें दोनों पक्ष (अमिक व मालिक) एक-दूसरे पर विश्वास करते हैं। यह कहना कि इसमें योद्योगिक विवाद नहीं होंगे, विलकूल सही नहीं है। यह जहर है कि इस योजना के लाएँ करने से कुछ सीमा तक विवादों को कम किया जा सकता है।

भारत में लाभांश (बोनस) योजना : इतिहास और ढाँचा¹

मही अध्यो में बोनस के मुग्यतान की प्रथा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व-युद्ध के अन्तिम दिनों से हुआ था। इस प्रथा पर विचार-चिमर्श के दौरान ह्याइट्से भायोग ने अग्रीकृत गत व्यक्त किया था—

1. भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सनदर्भ सामग्री से सामार।

“हमारे कृत्तने का मनलब यह नहीं है कि अपनी कार्यकुशलता के मौजूदा स्तर के अनुसार, कामगर को पहले किसी ग्रीष्मीयिक प्रतिष्ठान के कारोबार में होने वाले लाभ में सदा ही उचित भाग मिला है या उसे अब मिलता है, लेकिन जब तक उमका संगठन उतना दुर्बल रहेगा, जितना कि आज है, तब तक इस बात का सदा खतरा बना रहेगा कि उसे उद्योग के कारोबार में (मुनाफे का) उचित भाग पाने में सफलता न मिले। समय-समय पर इस बात के मुभाव दिए गए हैं कि लाभ बाँटने की योजनाओं को आमतौर पर लागू करने से इस मुश्किल को आसान किया जा सकता है, लेकिन इस आनंदोलन ने भारत में जरा भी प्रगति नहीं की और ग्रीष्मीयिक विकास की मौजूदा स्थिति में ऐसी योजनाओं के लाभदायक या प्रभावी सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है।”

युद्ध बोनस

सन् 1914-18 के युद्धकाल में वस्तुओं के दाम बढ़ गए थे। नतीजा यह हुआ कि वास्तविक तनाखाहें तो कम ही गईं और दूसरी प्रोटर व्यापार में लाभ बहुत बढ़ गए। उस समय मजदूरों ने अतिरिक्त पेसे के लिए आनंदोलन किया। कुछ तो इसलिए कि वे अपने बेतन और वास्तविक तनाखाहों के बीच अन्तर कम करना चाहने थे और कुछ इसलिए भी कि उद्योगी हारा उस दौर में कभाए गए अतिरिक्त मुनाफों में भी हिस्सा बाँटने का उनका इरादा था। इस स्थिति ने कुछ ग्रीष्मीयिक इकाइयों को अपने मजदूरों को ‘युद्ध बोनस’ देने पर मजबूर कर दिया।

उस समय दिया जाने वाला बोनस दो तरह का था—(1) यह मालिकों द्वारा सद्भावना प्रदर्शन के रूप में केवल येरेच्युटी या अनुप्रह राशि के नाम पर दिया जाता था, (2) यह या तो महंगाई भत्ते के बदले दिया जाता था या वार्षिक अंजित अवकाश के स्थान पर मिलता था।

मजदूरी का अधिकार

दूसरे विश्व-युद्ध के दौरान युद्धकालीन बोनस का अपेक्षा भुगतान समझा जाने लगा जो कि युद्ध के दौरान कमाए गए अतिरिक्त मुनाफे में से मजदूरों को दिया जाता था। इण्डियन नेवर कॉन्फ्रेस (1943) मुनाफा बाँटने के बारे में बोनस पर विचार-विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि बोनस के प्रश्न पर महंगाई भत्ते के सवाल में अलग विचार करना चाहिए और यह एक ऐसा सवाल है जिसे मालिकों को अपने कर्मचारियों से बातचीत करके तथा करना है। उनके मालिकों ने स्वेच्छा से बोनस दिया, पर इस सवाल पर अनेक विवाद भी भारत रक्षा अधिनियम के अंतीन अदालतों में उठाए गए। अदालतों का फूहना या कि शम और पूँजी के सहयोग से ही मुनाफे हुए हैं, इनलिए मजदूरों को अधिकार है कि वे किसी समय विजेप में अतिरिक्त लाभ में हिस्सा बाँटने की मांग करें। अभी तक भी बोनस का दावा एक ज्ञानूनी अधिकार नहीं था। केवल उसे मजदूरी को मतुष्ट रखने की इच्छा से न्याय, तर्क और सद्भावना के मिदान्तों के आधार पर स्वीकार किया गया था।

बम्बई उच्च न्यायालय का फैसला

यह स्थिति तब तक चलती रही जब तक इस प्रश्न पर बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दे दिया कि बोनस की माँग मजदूर का अधिकार है। उसने कहा—“बोनस एक ऐसा मुगतान है जो किसी मालिक द्वारा कर्मचारियों को एक स्वप्न या निहित समझौते के अधीन किए गए काम के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में किया जाए।”

बोनस विवाद समिति

बम्बई के सूती कपड़ा मिल कामगरों को सन् 1920, 1921 व 1922 के लिए सन् 1921, 1922 व 1923 में भी बोनस दिया गया था। सन् 1923 के लिए बोनस न देने के विरोध में जनवरी, 1924 के अन्त में एक आम हड्डताल हुई थी। इसके फलस्वरूप बम्बई उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर नामंत मेवलीड की अध्यक्षता में एक बोनस विवाद समिति स्थापित की गई थी।

विवारार्थ विषय

समिति को निम्नतिवित विषयों पर विचार करना था—

(1) बम्बई की सूती कपड़ा मिलों द्वारा अपने कर्मचारियों को सन् 1919 से दिए गए बोनस की प्रकृति के आधार पर विचार करना और इस बात की घोषणा करना कि क्या हम बारे में कर्मचारियों का कोई पारम्परिक, कानून या माध्यता का दावा बन गया है? और (2) सन् 1917 से आलोच्य अवधि तक हर वर्ष के लिए मिलों द्वारा कमाए गए मुनाफों को जीच करना ताकि उनकी तुलना सन् 1923 में हुए मुनाफों से की जा सके और मिल मालिकों की इस माध्यता पर मत दिया जा सके कि विद्युत वर्षों की तरह सन् 1923 में बोनस देने का कोई अवित्य नहीं है वयोंकि सन् 1923 में सूती वस्त्र उद्योग ने कूत मिलाकर जो मुनाफा कमाया है उसके आधार पर बोनस नहीं दिया जा सकता।

समिति से कहा गया था कि वह इस बारे में कोई निर्णय या अमल के लिए सुझाव न दे बल्कि केवल तथ्य मग्नह तक ही सीमित रहे।

समिति के निष्कर्ष

मिल मजदूरों को पांच बरों तक जो बोनस दिया गया था उसकी प्रकृति और आधार की जांच-परख करने के बाद कमेटी ने यह घोषित किया कि मिल मजदूरों को वार्षिक बोनस के मुगतान का कोई ऐसा पारम्परिक, कानूनी या तकेसंगत दावा नहीं बनता जिसे अदालत में मही ठहराया जा सके। सन् 1917 के बाद के वर्षों में हुए मुनाफों की जांच-परख करने और सन् 1923 में हुए मुनाफों से उसकी तुलना करने के बाद समिति ने कहा कि सन् 1923 के लिए सूती वस्त्र उद्योगों ने कारबाह किया है। उससे मिल मालिकों की यह बात सही ठहरती है कि उसके आधार पर कोई बोनस नहीं दिया जा सकता।

वैसे समिति का विचार यह था कि मजदूरों ने अपने मालिकों के विछद जो दावा किया है, उसकी सही प्रवृत्ति को देखते हुए यह मालिकों और मजदूरों के बीच

सौदेबाजी का प्रश्न बन गया था, जिसमें तर्क या व्याय व श्रोतित्य के सिद्धान्तों के अनुरूप भी सोच-विचार किया जा सकता है। यह सवाल इस बात को निश्चित करने का नहीं है कि इन दोनों के बीच अनुदर्श का स्वरूप क्या है।

अहमदाबाद की समस्या

सन् 1921 में अहमदाबाद में भी उद्योग के सामने ऐसी ही समस्या उठ खड़ी हुई थी। बोनस की विस्तृत शर्तों पर विवाद हो गया था और तब प. मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थिता से ही इस समस्या का हल निकला था। मालवीय जो ने कहा था—

“मेरी स्पष्ट भाव्यता यह है कि अगर किसी मिल को अच्छा लाभ होता है, तो मजदूरों को आमतौर पर हर वर्ष के अन्त में एक मास के बेतन के बराबर बोनस दिया जाना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के निष्ठापूर्ण सहयोग से ही मिल ऐसा मुनाफा कमा पाती है। अगर फायदा बहुत ज्यादा हुआ हो तो मिल मालिकों को चाहिए कि मजदूरों को ज्यादा बोनस दें।”

स्वैच्छिक भुगतान

दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ने पर समस्त उद्योगों को अनिवार्य मेवारे (रख-रखाव) अध्यादेश के तहत ले आया गया था। असामान्य युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण कुछ कम्पनियों ने बहुत अधिक मुनाफे कमाए और ग्रीयोगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों ने खद इस बात को अच्छा समझा कि मजदूरों को खुश व सतुष्ट रखा जाए।

सन् 1941 से 1945 तक बम्बई के मिल मालिक सभी की सद+य मिलों ने स्वैच्छिक भुगतान से बोनस घोषित किया। सन् 1941 में यह रकम कर्मचारियों की वार्षिक बैसिक आय का 1/8 वाँ भाग और सन् 1942 से 1945 तक 1/6 वाँ भाग थी।

बहुत से मामलों में बोनस अदायगी कर दी गई, पर साथ ही वह भी कहा गया कि बोनस देने की बात अधिक मुनाफा होने से सम्बन्धित है। कुछ मामलों में तो स्वयं मजदूरों या कर्मचारियों ने यह स्वीकार कर लिया कि अगर कम्पनी को कोई खास मुनाफा न हुआ हो तो वे लोग बोनस के रूप में उसका हिस्सा पाने के अधिकारी नहीं होंगे। उस समय बोनस को ‘ब्रेक्शीश’ के रूप में समझा जाता था। अधिक अधिकार

बोनस के बारे में पहले समझा जाता था कि यह मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को अपनी मनमर्जी से दी जाने वाली मुक्त व स्वैच्छिक भेंट है, लेकिन यह विचार पुराना पड़ गया। किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी लोगों का सहयोग ही ग्रीयोगिक मस्यानों को ठीक व फगता-कूलता रखने के लिए जरूरी माना जाने लगा। अब उद्योगों के बारे में केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही नहीं सोचा-विचारा जाता था, इसका मानवीय पक्ष भी विचारणीय हो गया था। उद्योग लेने में शान्ति बनाए रखने की बात पर बहुत ध्यान जाने लगा था। बम्बई के मुख्य व्यायाधीश एम. सी. छागला ने कहा था—(1) मजदूरों को किसी साल विशेष में हुए ज्यादा मुनाफों में हिस्सा मांगने का अधिकार है और (2) ज्यादा

मुनाफे को बॉटने का अच्छा तरीका तनखाहे बहाना नहीं, बल्कि वापिक बोनस देना है। श्री छागला की इस बात से महागढ़ के ही नहीं, अन्य राज्यों के ल्यायाधीशों ने भी सहमति प्रकट की, लेकिन बोनस की परिभाषा निश्चित करने के लिए कोई फ़ॉर्मूला तयार करने की दिशा में कोशिश नहीं की गई।

'अनजाने सागर' की यात्रा

अप्रैल, 1948 में आपोजित इण्डियन लेबर कांग्रेस ने मुनाफा बॉटने के विषय पर विचार-विमर्श करते हुए कहा था कि यह मामला इस प्रकार का है कि इस पर विशेषज्ञों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने मुनाफा बॉटने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। समिति से कहा गया कि वह सरकार को निश्चितित बातों के लिए सिद्धान्त तय करने में अपनी सलाह दें—(अ) अधिक को उचित तनखाहे, (आ) उद्योगों में निवेशित पूँजी पर उचित लाभ, (इ) सम्भानों के रण-रक्खाव और विस्तार के लिए पर्याप्त संचित कोष की व्यवस्था और (ई) अधिशेष लाभ में मजदूरों के हिस्से का निर्धारण। इसे याम तौर पर (अ) व (इ) में किए गए उत्पादन प्रावधानों के अनुरूप तालमेल बैठाते हुए (कम या ज्यादा) तय किया जाता था।

समिति कोई ऐसी प्रक्रिया तय नहीं कर सकी, जिसके ग्राधार पर मुनाफे में वर्तमानियों के हिस्से की बात को उत्पादन के साथ तालमेल बैठाकर कम या ज्यादा राशि किया जा सके। समिति का विचार था—“इसलिए वहे पैमाने पर मुनाफे में बैठाकरे का प्रयोग करना एक अनजान-प्रतिवेदी सागर की यात्रा पर निकलने जैसा होगा।”

समिति ने सुझाव दिया कि कुछ सुधारस्थित उद्योगों में मुनाफा बॉटने की बात प्रायोगिक तौर पर लागू की जा सकती है। ये उद्योग हैं—(1) सूती वस्त्र, (2) जूट, (3) दस्पात (मुख्य उत्पाद), (4) सीमेन्ट, (5) टायर उत्पादन और (6) सिगरेट उत्पादन।

मुनाफा बॉटने का प्रयोग करने का सुझाव देने के पीछे ग्रौथोगिक शान्ति बनाए रखने की भावना ही काम कर रही थी। समिति का यह कहना था कि अधिशेष लाभ का अनुमान लगाने और उसे कानून के अनुसार बैठा जाए, इस बात को प्रमाणित करने की पूरी जिम्मेदारी कम्पनियों के बैंध रीति से नियुक्त सेपा परीक्षकों पर डाल दी जानी चाहिए।

केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद् ने उक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, लेकिन उस दिशा में कोई समझौता नहीं हो सका। व्यवहार रूप में मुनाफे के बैठाकरे की प्रक्रिया समय-समय पर ग्रौथोगिक अप्रत्यक्ष अधिकार द्वारा बोनस अदाएँगी के लिए देने के रूप में चलती रही। लेकिन उनके पंचाटी में इसके लिए कोई समरूप या स्टैट अधिकर उभर कर सामने नहीं आ सका।

अधिक अपीली ट्रिव्यूनल फार्मूला

इस पृष्ठभूमि में, घोड़े समय तक चले अधिक अपीली ट्रिव्यूनल (एल.ए.टी.) ने बोनस मुगवान के सिद्धान्त तय किए थे। उन् 1950 में सूती कपड़ा उद्योग

के विवाद पर जवाने फैसले में श्रमिक प्रपीली ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को बोनस देने से नस्वित मुख्य मिदान्तों का प्रारूप सामने रखते हुए कहा था—

“इसे (बोनस को) अब अनुग्रह मुग्राना नहीं माना जा सकता क्योंकि यह बात मानी जा चुकी है कि अगर बोनस के दावे का प्रतिरोध किया जाए तो उससे ऐसा ग्रीष्मोगिक विवाद उभरता है जिसका फैसला वंच है से गठित ग्रीष्मोगिक न्यायालय का ट्रिब्यूनल को करना होता है।”

सन् 1952 में एक-दूसरे मामले में इसने बोनस का परिमाण निश्चित करने वाले आधारों की व्याख्या करते हुए कहा था—

“इस ट्रिब्यूनल की लगातार यह नीति रही है कि श्रमिकों के निए ऐसी वेतन दर पर मान तय की जाए जो बेतनों की माम दशा-दिशा के अनुरूप होने के साथ-साथ कम्पनी की मुग्राना लमटा के अनुकूल भी हो अगर समझ हो तो इसे मुताफे के अधिक्षेप में ने बोनस देकर उसे आर्थिक लाभ पहुँचाया जाए। इन मामलों को किन्हीं सिद्धान्तों के प्रावधार पर निश्चित करना होगा, त कि आधारहीन बातों पर। क्योंकि अगर हम मिदान्त में अलग हट जाते हैं तो श्रमिक निर्णयों में एक-रूपता नहीं रहेगी और अनिश्चित आधारों पर फैसले देता ग्रीष्मोगिक सम्बन्धों के लिए घनतराक सिद्ध होगा।”

पहुँते मामले के सन्दर्भ में निश्चित किए गए फार्मूले के अनुसार, जो कि ‘पूर्ण पीठ फार्मूलों’ (फुल वैन्च फार्मूला) के नाम में जाना गया सकल लाभ में से निम्न-निश्चित खर्चों की व्यवस्था करने के बाद ही वैटवारे के लिए अधिक्षेप निश्चित किया जाएगा। वे हैं—

- (1) दूटे फूटे के लिए प्रावधान,
- (2) पुनर्वास के लिए सचित कोष,
- (3) चुकता पूँजी पर 6% लाभ, और
- (4) कार्य पूँजी पर चुकता पूँजी की तुलना में कम दर पर लाभ।

और इसके बाद बाकी रहे ‘उपलब्ध अधिक्षेप’ से श्रमिकों को साल के लिए बोनस के रूप में उचित हिस्सा दिया जाए।

श्रमिक अपीली ट्रिब्यूनल द्वारा निश्चित फार्मूले को आधार मानकर ही देश भर के ग्रीष्मोगिक ट्रिब्यूनलों ने बोनस अदाएँगी के फैसले दिए। हालाँकि समय-समय पर इस फार्मूले को संशोधित करने की माँग लगातार उठाई जाती रही। संशोधन की माँग का प्रमुख आधार श्रमिक अपीली ट्रिब्यूनल द्वारा पुनर्वास के प्रावधान को प्रायमिक खर्च मानना था। सन् 1959 में एमोसिएटेड बीमेन्ट कम्पनीज की अपील पर विचार के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह मुद्दा आया था। श्रमिक अपील फार्मूले में निश्चित सिद्धान्तों को उचित छहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के माथ यह कहा—

“अगर विधान मण्डल को यह महसूस होता है कि श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक व आर्थिक न्याय के दावों को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट आधार पर

परिभासित किया जाना चाहिए, तो वह उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और विधान बना सकता है। महं भी सम्भव है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग द्वारा इस प्रश्न पर सर्वांग विचार कराया जाए और आयोग से कहा जाए कि वह इस समस्या के भव पक्ष पर समस्त उद्योगों व मजदूरों की सब संस्थाएँ में घात करके हर हठिट से विचार करें।"

बोनस आयोग

स्थाई अम समिति ने इस मुद्दे पर नव 1960 में विचार किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर 6 दिसम्बर, 1961 को एक विपक्षीय आयोग का गठन किया गया। इसे लोग आमतौर पर बोनस आयोग के नाम से जानते हैं। इसका काम था लाभ पर आधारित बोनस की अदाएँ के प्रश्न पर सर्वांग-मम्पूर्ण विचार करना और सरकार को व्यपती सिफारिशें देना। यथ्यक्ष (श्री एम. आर. मेहर) के अतिरिक्त आयोग में दो स्वतन्त्र सदस्य और दो-दो सदस्य कर्मचारियों व मालिकों के (सार्वजनिक क्षेत्र सहित) थे।

सार्वजनिक क्षेत्र को भी इस आयोग के विचार क्षेत्र में शामिल करने की माँग जीर्णीर में उठाई थी। लेकिन फैसला यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन्ही संस्थानों को आयोग के विचार क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो विभागीय तौर पर नहीं चलाए जाते हैं और जो निजी क्षेत्र के ग्रन्ते जैसे प्रतिष्ठानों से प्रतिद्वन्द्विता करते हैं।

सरकार को बोनस आयोग की रिपोर्ट 21 जनवरी, 1964 को मिली। रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी और श्री दाँडेकर (मानिको के प्रतिनिधि) ने अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर बहुमत की सिफारिशों का विरोध किया था। आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय 2 सितम्बर, 1964 के एक प्रस्ताव द्वारा घोषित किए गए थे। इसमें सरकार ने निम्नलिखित सशोधनों के साथ आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था—

1. इस समय जारी मारे प्रत्यक्ष करों को बोनस की दृष्टि से, उपलब्ध अधिशेष का अनुमान लगाते समय प्रदेश भार के रूप में काट लिया जाना चाहिए।

2. इसके अन्ताबा आगे विकास करने की दृष्टि से माध्यन जुटाने के लिए उद्योगों को करों में जो छूटे दी जाती है, उनका इस्तेमाल कर्मचारियों को अधिक बोनस देने में तभी किया जाना चाहिए। दूसरी ओर अगर बर्तमान कर-कानून और विनियम पूरी तरह इस स्थिति को सुरक्षित नहीं बना पाते, तो कानून द्वारा इस बात को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि ऐसी कर छूटों में जो रकम जमा होती है वह सचमुच उन्ही कामों में लगाई जाए जिनके लिए करों में छूटे दी जाती है। इसके अलावा हिन्दुस्तान शिपियार्ड जैसी कुछ विशिष्ट कम्पनियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मन्त्रिमंडी को बोनस भुगतान के उद्देश्य से महत लाभ के हिसाब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

3. दोनम के उद्देश्य से 'उपलब्ध अधिशेष' का हिसाब लगाने से पहले पूँजी पर लाभ लाने वाले से प्रधम भार के रूप में काटी जाने वाली राशि का हिसाब

इस तरह होगा—अधिमानी शेयर पूँजी पर वास्तविक देय दर से, चुकता साधारण पूँजी पर 8.5 प्रतिशत (कर योग्य), और सचिन राशि पर 6 प्रतिशत (कर योग्य)। इस व्यवस्था को बैंकों के अनिवार्य दूसरे मंस्थानों पर लागू किया जाना चाहिए। बैंकों के मामले में तुलनात्मक दरे ये होनी चाहिए—अधिमानी शेयर पूँजी पर वास्तविक देय दर से, चुकता साधारण पूँजी पर 7.5 प्रतिशत (कर योग्य) और सचिन राशि पर 5 प्रतिशत (कर योग्य)।

4 बाद के निर्णयों में संशोधित बोनस आयोग की सिफारिशों के भूत्तलकी प्रभाव के बारे में यह उन्हे सन् 1962 के किसी भी दिन समाप्त होने वाले सेवा वर्ष से सम्बन्धित सब विवादास्पद बोनस सम्बन्धी मामलों पर लागू भासी जाना चाहिए। केवल वही मामले इसमें मुक्त रहेगे, जिनमें स्वतंत्र पहले ही समझौते हो चुके हैं या निर्णय दिए जा चुके हैं।

आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों के अनुसार, के बाद मजदूर संगठनों की ओर से सरकार को ऐसे अनेक प्रतिवेदन मिले कि नए फार्मले से कुछ मामलों में यह होने की आशंका है कि अभिकों को मिलने वाले बोनस का परिमाण कम हो जाएगा। तत्कालीन केन्द्रीय अम मन्त्री ने 18 सितम्बर, 1964 की सप्तद में एक बृत्तव्य में उस स्थिति को स्पष्ट करने हुए कहा कि आयोग की रिपोर्ट के बारे में प्रस्तावित विधेयक में इस बात को संरक्षित करने के समुचित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे कि बोनस के मामले तय करने में चाहे वर्तमान आवारो पर निर्णय हो या नए फार्मले के आधार पर, अभिकों को अधिक फायदे मिल सकें। बोनस सम्बन्धी विधेयक

सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस आयोग की सिफारिशों को आवाहानिक रूप देने के लिए प्रस्तावित विधेयक के मासीदे पर स्वायी शम समिति ने अपनी दिसम्बर, 1964 व मार्च, 1965 की बैठकों में विचार-विमर्श किया। सरकार ने जिस विधेयक को अनिवार्य रूप दिया उसमें विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए सुझावों का भी ध्यान रखा गया था। इसे 29 मई, 1965 को बोनस भुगतान अध्यादेश, 1965 के नाम से जारी किया गया। 25 सितम्बर, 1955 के बोनस भुगतान अधिनियम का स्थान 1965 के इस अध्यादेश ने ले लिया।

बोनस विधेयक को साँविधानिक चुनौती

29 मई, 1965 को बोनस अध्यादेश जारी होने के तुरन्त बाद ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधानों की साँविधानिक वैधता की चुनौती देते हुए अपीलें दायर की गईं। कानून की साँविधानिक वैधता को मवार्ग चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में दो रिट पिटीशन और बम्बई के अधियोगिक न्यायालय के निर्णय के विवर एक दीवानी अपील दायर की गई। पूरे अधिनियम की आलोचना की गई। सासांतीर पर आरा 10, जिसके तहत लाभ न होने की स्थिति में भी न्यूनतम बोनस भुगतान का प्रावधान था, आरा 33, जिसका सम्बन्ध कुछ अनिर्णीत विवादों पर अधिनियम को लागू करने से था, और

72 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

धारा 34 (2) को, जिसका सम्बन्ध बोनस की मौजूदा ऊँची दरों को सरकार देने से था, चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 अगस्त, 1966 को दिए गए अपने फैसले में धारा 10 की साँविधानिकता को उचित ठहराया था। प्रधिकतम प्रावधानों को बरकरार रखा गया। लेकिन धारा 33 और 34 (2) और साथ ही धारा 37 को भी (जो अधिनियम के प्रावधानों को व्याख्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार सरकार को देती है), साँविधानिक दृष्टि से अवैध घोषित कर गया दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बनी स्थिति से निपटने की कठिनाई

फैसले के तुरन्त बाद मजदूरों ने प्रतिवेदन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित प्रावधानों (विशेषकर उच्चतर बोनस की मौजूदा स्थिति को सरकार देने वाले) को किर से बहाल किया जाए। दूसरी ओर मानिकों का कहना था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दूसरी स्थिति पर स्थायी शम समिति और इसके बाद गठित डिप्लोम उपराजित द्वारा विचार किया गया। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर कोई समझौता नहीं हो सका और विरोधी प्रस्ताव पेश किए गए।

1969 में बोनस अधिनियम में सशोधन

मेटल बॉक्स कम्पनी और इसके कर्मचारियों के बीच बोनस विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धारा 6 (सी) के अधीन देय कर राशि का हिसाब लगाते समय बोनस अधिनियम के तहत दिए गए बोनस को सकल लाभ से घटाया नहीं जाएगा। इस फैसले के फलस्वरूप यह हुआ कि कर के नाम पर घटाई जाने वाली रकम वास्तविक देय कर से ज्यादा बैठ जाती थी और बोनस देने पर आयकर के अधीन मालिक को मिलने वाली कर छूट की पूरी रकम उसकी जेव में जाती थी। यह बात सरकार की रीनिं-रिवाज के विपरीत ठहरती थी। मजदूर तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 34 (2) को रद्द किए जाने से पहले ही दुखी थे। मेटल बॉक्स कम्पनी के मामले में दिए गए फैसले से और अधिक उद्देशित और वेचन हो गए वयोंकि इन दोनों निर्णयों से उन्हें मिलने वाली बोनस राशि पर दुष्प्रभाव पड़ा था। इसलिए 10 जनवरी, 1969 को एक अध्यादेश जारी करके अधिनियम की धारा 5 में सशोधन कर दिया गया। इस गतोंने वह स्पष्टीकरण दिया था कि किसी लेखा-वर्ष में मालिक को मिलने वाली रक्षणात्मक राशि बोनस बाले लेखा वर्ष के उपलब्ध अधिशेष में जोड़ना होगा। इस प्रकार कर छूट की राशि अब (प्रवर्ति लेखा वर्ष 1968 से आगे) मालिक और उनके निए कर्मचारियों के बीच 40-60 के अनुपात में बांटी जाएगी। बाद में एक संसदीय अधिनियम ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

राष्ट्रीय थम आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय थम आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी हैं—

वापिक बोनस देने की प्रणाली अस्तित्व ने ज्ञा गई है। उसने अपना स्थान बना लिया है और भविष्य में भी सम्भवतः जारी रहेगी। जहाँ तक बोनस के परिमाण को तय करने का प्रश्न है, उस सामूहिक सोदेवाजी के जरिए तय किया जा सकता है। लैंकिन ऐसे समझौतों को आधार बनाने वाले कार्मूर्ति को कानूनी होना होगा। 1965 के बोनस भुगतान अधिनियम को अधिक समय तक आजमा कर देखता चाहिए। कुछ कम्पनियों ने, जो बोनस अधिनियम पारित होने से पहले बोनस दिया करती थी, अब बोनस देना बन्द कर दिया है, क्योंकि यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। इन कम्पनियों को केवल इसी बात पर बोनस की अदायगी बन्द नहीं करती चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसी कम्पनियों के सदर्म में अधिनियम में उचित संशोधन करने की सम्भावना पर विचार करे।

मह तथा किया गया कि बोनस पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले पर विचार किया जाए।

बोनस पुनरीक्षण समिति का गठन

बोनस मुगतान अधिनियम में संशोधन करने, के लिए 9 अगस्त, 1966 को श्री चित्त वसु द्वारा राज्यमान में बोनस मुगतान (संशोधन) विधेयक, 1966 के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तावित संशोधन के मुख्य उद्देश्य थे—

- (1) अधिनियम की धारा 10 के अधीन देश न्यूनतम बोनस को लेखा वर्ष में अंजित वेतन मजदूरी के 4% से बढ़ाकर वापिक प्राप्तियों का 1/12 करना,
- (2) अधिनियम की धारा 11 को हटाना, जो अधिकतम बोनस को लेखा वर्ष के वेतन/मजदूरी के 20% तक सीपित करती है, और
- (3) धारा 32 द्वारा अलग किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावा उन सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम को लागू करना, जो कम्पनियों और निगमों की तरह चाहे जाते हैं।

मत्रालय से परामर्श करके और मन्त्रिमण्डल के निर्देशानुसार इस विधेयक का विरोध करने वाले और यह आश्वासन देने का फैसला किया गया कि सरकार उचित समय पर स्वयं एक उचित विधेयक पेश करेगी ताकि 1965 के बोनस मुगतान के अधिनियम को ऐसी व्यापारिक प्रतिटुनिवान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर लागू किया जा सके, जो वर्तमान में अधिनियम की धारा 20 के अधीन इससे छूटी रह गई हैं। उन्ह विधेयक को राज्यसभा ने 26 मार्च, 1971 को अस्वीकृत कर दिया। वहस के दौरान थम मन्त्री ने यह आश्वासन दिया कि सरकार अतीत के अनुभवों को देखते हुए कानूनी बोनस मुगतान की पूरी ओरना का पुनरीक्षण करेगी।

74 मजदूरी नीति एवं सामाजिक मुरक्खा

पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित आश्वासन के प्रनुष्ठण 28 अप्रैल, 1978 को एक समिति स्थापित की गई जिस पर सन् 1965 के बोनस मुगतान अधिनियम के व्यवहार के पुनरीक्षण की जिम्मेदारी थी। उसका स्वरूप व विचार क्षेत्र निम्नलिखित था—

1. स्वरूप—अध्यक्ष एवं सदस्य—(1) श्री एन. एन. भट्ट, (2) श्री हरीश महिंद्रा, (3) श्री आर. पी. विलीमोरिया, (4) श्री जी. रामानुजम, (5) श्री सतीश लुम्बा, (6) श्री महेश देसाई, (7) डॉ. एम. एल. पुनेकर।

2. विचार क्षेत्र—बोनस मुगतान अधिनियम, 1965 के संचालन को समीक्षा करना और उसमें प्रस्तावित योजना में उचित संशोधन मुझाना और साप्तीर पर निम्नलिखित पर मुझाव देना—

(1) क्या इन संस्थानों (कारखानों के मालावा) पर जहाँ 20 से कम थ्रिमिक काम करते हैं, इस अधिनियम को नागृ करना चाहिए। और यदि है, तो रोजगार की किस सीमा तक? क्या इन छोटे संस्थानों में बोनस मुगतान के लिए अलग फार्मूला होना चाहिए?

(2) क्या न्यूनतम बोनस (4%) की सीमा को बढ़ाने का मामला बनता है? यदि हाँ तो किस स्तर तक बढ़िया की जाए?

(3) क्या बोनस मुगतान को वर्तमान उच्च सीमा और सेट थ्रैन या अधिक मुगतान और सेट थ्रैक या मुजरा प्रणाली में किसी फेरबदल की जरूरत है? यदि हाँ, तो उस परिवर्तन की दिशा क्या होगी?

(4) क्या समूचे बोनस मुगतान को किसी न किसी रूप में संस्थान में उत्पादन में/उत्पादकता से सम्बुद्ध कर दिया जाना चाहिए?

(5) क्या वर्तमान 4% न्यूनतम बोनस जारी रहे और उत्पादन/उत्पादकता की समुचित योजना के अध्ययन से इसे और बढ़ाने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए?

(6) किसी भी सम्बन्धित / अनुपर्यामी मामले पर विचार करना और मुझाव देना।

समिति अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देने से पहले राष्ट्रीय अध्येत्यवस्था पर उनके सम्भावित प्रभाव का भी सावधानीपूर्वक अंकितन करेगी।

बोनस पुनरीक्षण समिति की अन्तिम रिपोर्ट

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 13 मित्रव्यंदि, 1972 को न्यूनतम बोनस, इसके मुगतान के तरीके, न्यूनतम बोनस में बढ़िया का उत्पादन-उत्पादकता से सम्भावित सम्बन्ध, प्रसार आदि प्रश्नों के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति के निष्कर्ष इस विषय पर प्रस्तुत हो अलग-अलग रिपोर्टों में संशिद्धि थे। एक रिपोर्ट अध्यक्ष, डॉ. एस. डी. पुनेकर, श्री एन. एस. भट्ट और श्री हरीश महिंद्रा की तरफ से पेश की गई थी और दूसरी रिपोर्ट पेश करने वाले थे श्री आर. डी. विलीमोरिया, श्री महेश देसाई, श्री जी. रामानुजम और श्री सतीश लुम्बा।

समिति द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निम्नलिखित कदम उठाए गए—

- (1) बोनस अधिनियम के तहत माने वाले श्रमिकों को मिलने वाले न्यूनतम कानूनी बोनस को 4% से बढ़ाकर लेखा वर्ष 1971-72 के लिए 8½% कर दिया गया।
- (2) बोनस भुगतान अधिनियम के तहत आने वाले समस्त व्यक्तियों को 8½% तक पूरा भुगतान नकद किया जाए। जहाँ कथित लेखा वर्ष में दिए जाने वाले बोनस की रकम 8½% से अधिक हो और कथित लेखा वर्ष में किए जाने वाले भुगतान और सन् 1970-71 लेखा वर्ष में किए गए भुगतान के बीच अगर कोई अन्तर (अनुकूल अर्थात् घन) हो, (यानी जहाँ यह भुगतान 8½% से अधिक रहा हो) तो देश की मीज़दा आर्थिक स्थिति को देखने हुए इसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करा दिया जाएगा।

उपर्युक्त (1) और (2) में निहित व्यवस्थाओं को गंर प्रतियोगी मार्वेजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जाएगा।

यह आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएं कि अधिनियम में आधिकारिक मशोधन होने तक, उन मार्वेजनिक प्रतिष्ठानों को भी (जिन्हें इस समय बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 20 की व्यवस्था के तहत, बोनस देने से दूट मिनी हुई है) उपर्युक्त आधार पर सन् 1971 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए भुगतान करना चाहिए, प्रीर

सरकार ने मालिकों के केन्द्रीय मंगठन से कहा कि वे अपने सदस्य मस्तानों को यह सलाह दें कि उन्हे 'खाड़िनकर फार्मूले' के तात्पर्य से प्रबन्धित फार्मूले के सन्दर्भ में कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम घन की वसूली करने पर और नहीं देना चाहिए।

बाद में एक संसदीय अधिनियम ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

1972-73 के लिए न्यूनतम बोनस

सन् 1965 के बोनस भुगतान अधिनियम में सितम्बर, 1973 में फिर संशोधन किया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि सन् 1972 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए तनाववाह या मजदूरी के 8½% की दर से न्यूनतम बोनस का भुगतान किया जाए, तथा कुछ फार्मूले मामलों में, बोनस के एक अंश को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाए। लेकिन श्रमिकों की ओर से ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें प्राप्य बोनस की राशि नकद दी जानी चाहिए और सरकार ने उनकी प्रार्वता स्वीकार करने का निश्चय किया। तदनुसार 14 दिसम्बर, 1973 को अधिनियम में संशोधन कर दिया गया।

1973-74 के लिए न्यूनतम बोनस

15 जुलाई, 1974 को हुई अपनी बैठक में राजनीतिक मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति ने हमारे नोट पर विचार-विमर्श किया, जो सन् 1973 के

किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के बारे में न्यूनतम देय बोनस मुगतान से मम्बन्धित था। समिति ने फैसला किया कि कोई अध्यादेश जारी करने के बड़ाद, यह कही अधिक अच्छा रहेगा कि भालिको के प्रमुख प्रतिनिधि संघों को अनौपचारिक रूप से सन् 1973-74 लेखा वर्ष के लिए 8½% की दर से न्यूनतम बोनस का मुगतान करने की सलाह दी जाए। केन्द्रीय अम मन्त्री ने उस मम्बन्ध में 22 जुलाई, 1974 को एक बैठक आयोजित की। राज्य मरकारों से भी कहा गया कि वे राज्यों के मालिक सगठनों को सन् 1973-74 लेखा वर्ष के लिए 8½% की दर से न्यूनतम बोनस मुगतान करने की सलाह दें। उनमें यह भी कहा गया कि वे यही मनाह मार्केजिक थेट्र के प्रतिष्ठानों को भी दें। बाइ देय बोनस मुगतान अधिनियम में 11 सितम्बर, 1974 को मंजोबन करके उम्मेद सन् 1973 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस के मुगतान की व्यवस्थाएँ जोड़ दी गईं। बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बोनस पुनरीक्षण समिति ने 14 अक्टूबर, 1974 को नई दिल्ली में अपनी अन्तिम रिपोर्ट मरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

बोनस मुगतान (सशोधन) अध्यादेश सन् 1975 का जारी होना।

बोनस पुनरीक्षण समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में दी गई तिकातियों के बारे में विभिन्न स्तरों पर काफी विस्तार से विचार-विमर्श किया जाए। गत सितम्बर के मध्य में सरकार द्वारा इन सिकारियों पर निरांय लिए गए और उन निरांयों के प्रत्युष्य 25 सितम्बर, 1975 को बोनस मुगतान (सशोधन) अध्यादेश जारी कर दिया गया।

“न्यूनतम बोनस की जो दर इस अधिनियम के तहत 4% है उसे सन् 1974 के किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए भी बरकरार रखा गया है। लेकिन अल्प वेतन पाने वाले मजदूरों को साम पहुँचाने की दृष्टि से कुल न्यूनतम बोनस की राशि क्रमशः 40 रुपये और 25 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये और 60 रुपये कर दी गई। बाद के दर्पों के लिए न्यूनतम बोनस का मुगतान 4 वर्ष के चक्र में उपलब्ध अधिशेष पर आधारित होगा। अगर अधिशेष बहुत कम है तब भी न्यूनतम बोनस का मुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर कोई अधिशेष नहीं है तो कोई बोनस देय नहीं होगा।”

हर वर्ष त्यौहारों के अवसर पर बोनस को लेकर बहुत अधिक आद्योगिक विवाद खड़े हो जाते थे और परिस्थितियों के दबाव के सामने उस अवसर पर तदर्याँ फैले कर लिए जाते थे। इस कारण इस मामले पर स्विरता लाने की तुरन्त आवश्यकता को देखते हुए, जेसा कि बोनस आयोग ने भी कहा था और किसी बजह से ही बोनस के बारे में कानून लागू करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, अधिनियम की धारा 34 (3) को निकाल दिया गया। जिन मस्थानों पर बोनस कानून लागू होना था, उनमें आपकर अधिनियम के तहत कठोरियों की अनुसन्ति के बल बोनस कानून के स्रबोन दिए गए बोनस पर ही प्रदान की गई थी।

बैंकों को बोनस की घेणी से अलग कर दिया गया। बैंकों, जीवन वीमा नियम, भारतीय आम वीमा नियम, बन्दरगाह व डॉक तथा अन्य मौर प्रतिशेषी सार्वजनिक संस्थानों में बोनस के बड़ले अनुग्रह भुगतान की अनुमति दी गई। इस भुगतान की अधिकतम दर 10% रखी गई।

अधिनियम में मौजूदा 20% की वर्तमान अधिकतम सीमा बरकरार रखी गई। यह भी ध्यास्था की गई कि अधिनियम के तहत अगर कर्मचारी अपने मालिकों से लाभ पर ग्राधारित वापिक देय बोनस की ग्रादायगी के बारे में कोई समझौता करते हैं, तो उस स्थिति में भी बोनस 20% से ज्यादा नहीं होगा।

अधिनियम से सरकार को यह अधिकार भी मिला है कि वह कम से कम दो महीने का नोटिस देकर ऐसे किसी भी संस्थान को, जिसमें 10 से कम कर्मचारी काम नहीं करते, अपनी अधिसूचना में उल्लिखित लेखा वर्ष के लिए अधिनियम के ग्रावधानों को लागू कर सकतो है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान कानून गैर-कारबाना इकाइयों के सन्दर्भ में उन्हीं संस्थानों पर लागू होता था, जहाँ कम से कम 20 व्यक्ति काम करते हों।

बोनस : अन्तिम फैसला (अगस्त, 1977)¹

18 अगस्त को जनता पार्टी की कार्यकारिणी की सिफारिश पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने यह फैसला किया कि मन् 1976 के वर्ष का बोनस आपातकाल से पहले की तरह 8.33% से कम नहीं होगा। इन्दिरा सरकार ने बोनस को वित्तमित अदायगी स्वीकार करते हुए न्यूनतम बोनस का प्रतिशत 8.33 निश्चित किया था। लेकिन आपातकाल लागू होने पर महेंगी कृषि नीति को सन्तुलित करने, मुद्रा प्रसार पर अकृष्ण लगाने और सार्वजनिक क्षेत्र का घाटा कम करने के लिए न्यूनतम बोनस समाप्त कर दिया गया। जनता पार्टी ने चुनाव धोपणापत्र में पुरानी दर से बोनस का बादा किया था।

1980 से 1985 तक की स्थिति²

कर्मचारियों से सम्बन्धित लाभ में बैंकों का अधिकार बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में निश्चित किया गया है। बोनस भुगतान (द्वितीय सशोधन) अधिनियम 1980 के अनुसार अधिनियम में कम से कम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये, जो अधिक हो देने की व्यवस्था है। चाहे इसके लिए विनिहित बचत की व्यवस्था उपलब्ध हो या नहीं। वार्षिक मजदूरी का अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत एक निश्चित कार्मूले के अनुसार ही भुगतान योग्य है। बोनस का भुगतान विनिहित बचत के स्थान पर उत्पादन/उत्पादकता से जुड़े हुए एक अन्य फार्मूले के अनुसार नियोजित एवं मजदूरों के बीच आपसी समझौते के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान में अपनाई जाने वाली कोई भी अन्य पद्धति नियम के विवर्द्ध होगी। यह

1 दिनभान, अगस्त मिन्टर, 1977.

2 भारत 1985, पृ० 563.

78 मजदूरी नीति एवं सामाजिक सुरक्षा

अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर लागू नहीं होता। सिवाय उनके जो निजी क्षेत्र के उपकरणों के साथ प्रतियोगिता कर रहे हों। यह अधिनियम लाभ के लिए काम न करने वाले सम्पादनों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निधि और विभागीय उपकरण आदि पर भी लागू नहीं होता। तथापि यह सभी बैंकों पर लागू होता है।

बोनस मुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धित उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी इस मुगतान के अन्तर्गत नहीं प्राप्त होते। यद्यपि रेल, डाक-न्दार और कुछ रक्षा संस्थानों तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को उत्पादन सम्बन्धी बोनस देने का फैसला किया गया है। रेल, डाक और तार कर्मचारियों के लिए एक योजना विचाराधीन रही।

अपने बजट भाषण में वित्त मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन के सम्बर्द्ध में ससद के दोनों मंदनों में बोनस मुगतान अधिनियम की धारा 12 को हटाने के लिए एक विशेषक पास किया गया। इस धारा को हटाने से वे कर्मचारी भी, जिनकी मानिक आय/मजदूरी 750 रुपये से अधिक 1600 किन्तु रुपये से कम है, अपनी आय/मजदूरी के अनुसार बोनस के हकदार होते। विभिन्न संगठनों से 1600 रुपये की अधिनियम दिया कि शीघ्र ही बोनस मुगतान अधिनियम, 1966 में विस्तृत मशोधन पेश किया जाएगा।

रिपोर्ट 1985-86¹

बोनस सदाय अधिनियम, 1965 में पात्र कर्मचारियों को 833 प्रतिशत की दर से न्यूनतम साँविधिक बोनस देने की व्यवस्था की गई है, परन्तु यदि आवेदनीय अधिशेष उपलब्ध हो तो 20 प्रतिशत तक बोनस दिया जा सकता है।

वर्ष 1985-86 के दौरान, अधिनियम की धारा 12 का बोनस सदाय (सशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा लोग किया गया ताकि प्रतिमाह 750 रुपये से 1600 रुपये के बीच देतने मजदूरी पाने वाले कर्मचारी अपने वास्तविक देतन/जारी करके उक्त सशोधन को वर्ष 1984 में किसी भी दिन आरम्भ होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया गया था।

इसके बाद बोनस की पात्रता के लिए प्रतिमाह 1600 रुपये की परिलिखियों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने हेतु श्रम समालय को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। समय-समय पर मजदूरी दरों में सशोधन होने के फैसले की कुशल कर्मचारी, उत्पादकता में जिनका भारी योगदान था, बोनस के लिए पात्र नहीं थे और इस तरह वे उक्त अधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर चले गए थे। चूंकि इस

¹ भारत सरकार की थम मतालिय वार्षिक रिपोर्ट 1985-86, भाग-I, पृष्ठ 11.

मुड़े से अधिक बर्ग में अणान्ति फैल रही थी और व्यापक असतोग बढ़ रहा था, इसलिए अम मन्त्रालय ने महसूस किया कि बोनस की पात्रता के लिए अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना अवैधित है और यह परिवर्तन अधिक बर्ग के उन लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुरन्त किया जाना चाहिए। तत्पश्चात्, सरकार ने, वित्तीय उनभन्नों की जीच करने के पश्चात् बोनस की पात्रता के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 1600 रुपये प्रतिमाह में 2500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निश्चय किया। तथापि प्रतिमाह 1600 रुपये और 2500 रुपये के बीच मजदूरी या बेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोनस की गणना इस तरह की जाएगी मानो उनका बेतन या मजदूरी प्रतिमाह 1600 रु. थी, इस नियंत्रण को लागू करने के लिए, बोनस सदाय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का 8) 7 नवम्बर, 1985 को प्रक्षापित किया गया था।

उपरोक्त दो अध्यादेशों को बदलने के उद्देश्य से, बोनस संदाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985 मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक को अपनी मंजूरी 19-12-1985 को दी थी।

अम मन्त्रालय के अनुसार 1985-86 में मजदूरी नीति और उत्पादकता

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर 25-26 नवम्बर को भारतीय अम सम्मेलन में चर्चा हुई। सम्मेलन में यह पर्याप्तता थी कि ऐसे समय तक जब तक यह व्यवहार्य हो, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत करना बाँछनीय होगा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी। यह भी सहमति हुई कि न्यूनतय मजदूरी में नियमित अवधि में संशोधन किया जाना चाहिए और इन्हे जीवन-निर्वाह लागत से सम्बद्ध करना चाहिए।

मजदूरी सेल सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में दी जा रही मजदूरी दरों तथा भर्तों के बारे में अधिकारी और मजदूरी के दोनों से सम्बन्धित जानकारी को एकत्र करने तथा उसे संकलित करने का काम करता रहा ताकि उससे न्यूनतम मजदूरी दरों के विशेष सदर्भ में मजदूरी नीति तैयार करने एवं इसे कार्यान्वयन करने, मजदूरी के स्तर में विद्यमान विपरीताओं को दूर करने, निर्वाह लागत में वृद्धि और जोखिम वाले कार्य के लिए मुआवजा देने, अधिक उत्पादकता के लिए प्रोत्साहन देने आदि में मदद मिले। मजदूरी सेल ने अम व्यूरो, केन्द्रीय सौलियरी संगठन और राज्य सरकारों द्वारा सकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृखलाओं का रिकार्ड रखा और मजदूरी नीति से सम्बन्धित विभिन्न मामलों में प्रयोग के लिए 'मजदूरी समझौता बैंक' की व्यवस्था जारी रखी।

अम मन्त्रालय को सात उद्योगों में गठित त्रिवक्षीय उत्पादकता बोर्ड से महयोजित किया गया।

मजदूरी सेल ने ऐसे मामलों में कार्यवाही की, जिनका प्रबन्ध अधिग्रहण करने, राष्ट्रीयकरण करने और राज्य यूनिटों को अच्छे यूनिटों के साथ मिला दिए जाने पर कर्मचारियों के हित पर प्रभाव पड़ा हो।

मजदूरी का प्रमापीकरण (Standardisation of Wages)

हमारे देश के अधिकों की एक महत्वपूर्ण समस्या उनकी मजदूरी में प्रमापीकरण का अभाव है। एक ही उद्योग तथा एक ही औद्योगिक केन्द्र पर एक ही प्रकार के व्यवसाय में विभिन्न मजदूरी की दरें पाई जाती हैं। इस प्रकार मजदूरी केबल एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ही भिन्न नहीं होती है बल्कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक कारखाने से दूसरे कारखाने तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में भी मजदूरी की दरे भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं। मजदूरी स्तर बर्बाद, प बगाल, दिल्ली आदि स्थानों पर ऊँचा है जबकि असम और उडीसा में यह नीचा है। इस प्रकार अधिकों की मूल मजदूरी (Basic wages) में अन्तर नहीं पाया जाता है बल्कि उनके महंगाई भी तथा जीवन निर्वाह तागत में भी भिन्नता पाई जाती है।

मजदूरी में प्रमापीकरण के अभाव के कारण मजदूरी की ये विभिन्न दरें कई दोषों को उत्पन्न करते वाली होती हैं—

1 एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक औद्योगिक केन्द्र से दूसरे औद्योगिक केन्द्र में मजदूरी में विभिन्नता के कारण अधिकों से प्रवासी प्रवृत्ति (Migratory tendency in workers) देखने को मिलती है। कम मजदूरी वाले उद्योग को छोड़कर अधिक अधिक मजदूरी वाले उद्योग में चले जाते हैं। इससे स्थायी अमर्शक्ति (Stable labour force) के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है।

2 एक ही औद्योगिक केन्द्र पर एक उद्योग में कम और दूसरे उद्योग में अधिक मजदूरी होने के कारण कम मजदूरी वाले अधिकों के दिमाग में घरन्तोष घर कर जाता है जिससे हडतालों, धीमे कार्य करने की आदत आदि को प्रोत्साहन मिलता है जो आगे औद्योगिक झगड़ों को जन्म देते हैं।

3 मजदूरी में भिन्नताओं के कारण अलग-अलग गर्भों के लिए प्रशासन, प्रबन्ध एवं संगठन का अलग-अलग ढाँचा तैयार किया जाता है। अलग-अलग प्रशासन, प्रबन्ध एवं संगठन के कारण समय, धन एवं धम का अपव्यय होता है।

इन दोषों को ध्यान में रखते हुए हमें मजदूरी की भिन्नताओं को समाप्त करना पड़ेगा। मजदूरी के प्रमापीकरण के अन्तर्गत हम यह देखते हैं कि एक ही उद्योग में समान कार्य करने वाले अधिकों को समान ही मजदूरी दी जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी अधिकों को समान मजदूरी दी जाए। इसका अर्थ है कि अधिकों की उचित और बाँधनीय मजदूरी दी जानी चाहिए जिसे कि समान रूप से कियान्वित किया जा सके।

मजदूरी का प्रमापीकरण तभी सम्भव हो सकता है जबकि अधिकों और भाविकों के प्रतिनिधि सहयोग और सद्भावना के बातावरण में परस्पर मिलकर निश्चित प्रमापीकरण का स्तर तय करें। एक हद तक मजदूरी के प्रमापीकरण की समस्या को मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी द्वारा दूर किया जा सकता है।

4

ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन; भारत में आंदोलिक एवं कृषि मजदूरों की मजदूरी; भारत में अमिकों का जीवन-स्तर

(State Regulations of Wages in U.K.,
U.S.A. and India; Wages of Industrial
and Agricultural Workers in India;
Standard of Living of Workers in India)

मजदूरी का राजकीय नियमन (State Regulations of Wage)

श्रमिकों को अपना श्रम बेचने के लिए स्वयं को उपनिषित करना पड़ता है। पहले साहसी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हिट अच्छी स्थिति में होने के कारण रोजगार की शर्तों आदि का निर्धारण स्वयं करता था और परिणामस्वरूप विभिन्न भिन्न होने से हस्तशितपी व कृषि श्रमिकों में वेरोजगारी फैल गई। उस समय मजदूरी को निश्चित करने हेतु कोई श्रम संघ भी नहीं थे। इसमें मजदूरी के निम्न स्तर पाए जाते थे।¹ 19वीं शताब्दी के अन्त में पूँजीपतियों ने मजदूरी-निर्धारण में 'वस्तु अप्टिकोण' (Commodity Approach) को छोड़ दिया। इसके स्थान पर श्रम उपादन तथा सामूहिक सौदाकारी को आधार नहीं माना गया। बीसवीं सदी में श्रमिक को एक मानवीय साधन माना गया और कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु मजदूरी-निर्धारण में विभिन्न सरकारों ने हस्तक्षेप आरम्भ किया।²

¹ Giri, V. V. Labour Problems in Indian Industry, p. 220

² Vaid, K. N. : State and Labour in India, p. 89.

जैसा कि डॉ भगोलीवाल ने लिखा है—यह धारणा कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप जरूरी है, दो मान्यताओं (Assumptions) पर आधारित है—

- (i) थमिकों के लिए स्वास्थ्य और मर्यादा (Health and Decency) के एक अच्छे स्तर पर रहना तथा ग्रीष्मोगिक प्रशासन में प्राजादी से हिस्सा लेना सामाजिक इष्ट में ठीक है, एवं
- (ii) राज्य को अपने नागरिकों के आर्थिक सम्बन्धों में वहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए जहाँ पूरे किए जाने लायक आदर्श नहीं होते।

वे महत्वपूर्ण बातें, जिनसे मजदूरियों का राज्य द्वारा नियमन आवश्यक है, डॉ. भगोलीवाल के अनुसार इस प्रकार हैं—

“(1) मजदूरी नियमन अस्तित्व जहरी होता है कि अम दाजार अपूर्ण (Imperfect) होते हैं तथा थमिकों का शोषण हो सकता है और होता है।

(2) थमिकों की सौदाकारी शक्ति सभी बाजारों में जहाँ उनकी पूर्ति ज्यादा होती है, कम होती है। अतः उनका हमेजा में ही शोषण हो सकता है और उनका शोषण (Sweating) पाया भी जाता है।

(3) मजदूरियों के नियमन में राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक स्थायित्व की इष्ट से भी जहरी होता है। खास तौर से परिवहनी देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग से भारी कमी योड़े से व्यक्तियों के हाथों में, जिनकी उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) कमजूर होती है, क्रय-शक्ति के सकेन्द्रण (Concentration of Purchasing Power) का सीधा नहीं जाता है। माँग में स्थायित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि अय-शक्ति उन व्यक्तियों के पास से, जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के पास, जिन्हें कुछ वस्तुएँ खरीदने के लिए और ज्यादा क्रय-शक्ति की ज़रूरत है, नहीं पहुँच पानी। इस तरह मजदूरी का नियमन उन्हें ऊँची करने की इष्ट से भी जहरी हो सकता है। एक ऊँची मजदूरी वाली अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ ज्यादा उत्पादकता, अच्छे ग्रीष्मोगिक सम्बन्ध माँग एवं कीमतों से ज्यादा स्थायित्व, ज्यादा लाभ, ज्यादा विनियोजन, राष्ट्रीय साधनों से ज्यादा अच्छे उपयोग तथा इस तरह के दूधरे लाभ हैं।

(4) राज्य द्वारा मजदूरियों के नियमन की ज़रूरत एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) के आदर्शों के कारण भी होती है जिसके राज्य हर नागरिक को न्यूनतम मुखिधाएँ (Minimum Amenities) देने की जिम्मेदारी लेता है। पाँचवें, मजदूरी नियमित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं आय के बोटवारे में सुधारों द्वारा थमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए हो सकता है।

(5) राज्य द्वारा मजदूरियों का नियमन थमिकों की सीमान्त उत्पादकता तथा ग्रोसरेन भजदूरियों के बास्तविक स्तर के बीच पाए जाने वाले अन्तर (Gap) के कारण जहरी और ठीक हो सकता है। चूंकि न्यूनतम मजदूरियों का थमिकों की सीमान्त उत्पादकता के स्तर के करीब नियत किया जाना खास तौर से सीमान्त

उत्पादकता की अनिश्चित प्रकृति के कारण मुमकिन नहीं मालूम होता, कानूनी कार्यवाही न्यूनतम मजदूरियों को ज्यादा से ज्यादा बाजार दर से, यदि वह श्रमिकों के बीच प्रतिस्पद्ध के कारण बहुत ज्यादा जोपण की प्रवृत्ति रखती है, कुछ ज़ंचा उठा सकती है।”¹

हाल ही के वर्षों में मजदूरियों के लेवल में सरकारी हस्तक्षेप के पीछे एक नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है। “अब मजदूरी का राज्य द्वारा नियमन कुछ जगहों पर जोपण की दशाओं को दूर करने, ग्रौद्योगिक शान्ति बढ़ाने और बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए ही नहीं किया जाता बरन् वह राष्ट्रीय आय के बेटवारे, आधिक विकास और वेकारी दूर करने के कार्यक्रमों से भी सम्बन्धित है। बहुत से देशों ने इन व्यापक राष्ट्रीय नीतियों के मुताबिक मजदूरी नीतियाँ अपनाई हैं।”

वास्तव में मजदूरी के तीन महत्वपूर्ण आधिक कार्य हैं² जो राज्य के हस्तक्षेप अथवा राज्य द्वारा मजदूरी नियमन की मांग करते हैं—

1. मजदूरी उद्योग के उत्पादन को आय के रूप में श्रमिकों में वितरित करती है। समाज का अधिकारीश हिम्मा श्रमिकों का है।

2. मजदूरी नागत के रूप में अर्थ-व्यवस्था में नागरिकों को विभिन्न उत्पादन स्रोतों में आवण्टन करने की क्रिया को प्रभावित करती है।

3 मजदूरी कीमत स्तर एवं रोजगार (Price Level and Employment) को निर्धारित करती है।

मजदूरी निर्धारण करने के सिद्धान्तों की आवश्यकता

(Need for Principles of Wage Fixation)

हमारे देश में मजदूरी-निर्धारण हेतु सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है व्योकि यहाँ की परिस्थितियाँ विभिन्न विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंडिया से भिन्न हैं।

1 हमारे श्रमिकों के अमरण्ठित और अशिक्षित होने तथा अस्थायी श्रम शक्ति (Unstable labour force) आदि के कारण नियोक्ताओं की तुलना में श्रमिकों की सीदाकारी शक्ति कमज़ोर (Weak bargaining power of workers) है।³ इससे उनका जोपण किया जाता है। अत इस दुर्बल सामूहिक सीदाकारी की स्थिति में मजदूरी-निर्धारण में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है।

2. कुछ उद्योगों अथवा संस्थानों में श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है व्योकि श्रमिकों की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में अत्यधिक होती है। इस जोपण की समाप्त करने हेतु मजदूरी का नियमन सरकार द्वारा नितान्त आवश्यक है।

1 दी. एन. भगोलीदाल : अर्थ-पर्यावरण एवं सामर्जित सुरक्षा, पृष्ठ 408-409.

2 Srivastava, G. L. : Collective Bargaining & Labour Management Relations in India, p. 315.

3 Vaid, K N : State & Labour in India, p. 89.

3. आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) बनाए रखने हेतु भी मजदूरी का नियमन सरकार द्वारा आवश्यक है। विकसित देशों की समस्या प्रभावपूर्ण माँग का कम होना तथा भारत जैसे विकासशील देशों में प्रभावपूर्ण माँग की अधिकता (Excess of Effective Demand) का पापा जाना है। विकसित देशों में मजदूरी बढ़ाकर अर्थात् अर्थिक क्रय शक्ति बाले लोगों से कम क्रय शक्ति बाले लोगों की ओर क्रय शक्ति का स्थानान्तरण करके आर्थिक स्थिरता रखी जा सकती है। अधिक ऊंची मजदूरी के कारण उत्पादकता में वृद्धि, अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध, माँग और कीमतों की स्थिरता, अधिक न्याय, अधिक विनियोग, राष्ट्रीय साधनों का अत्यधिक उपयोग आदि रूपों में लाभ प्राप्त होता है।

4. सामाजिक न्याय (Social Justice) प्रदान करने हेतु भी सरकारी नियमन आवश्यक है। सभी धर्मिकों को उनके उत्पादन में योगदान के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। समान कार्यों के लिए समान मजदूरी दी जाए।

5. कल्याणकारी राज्य के आदर्श को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक को कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं हेतु मजदूरी नियमन करना चाहिए। आधुनिक राज्य का कार्य न केवल आन्तरिक शान्ति व्यवस्था करना एवं बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कानून बनाने पड़ते हैं जिससे कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी न दी जाए।

6. धर्मिकों की कार्यकृतान्ता तथा उनको दी जाने वाली मजदूरी से प्रयत्न गम्भीर है। अतः इस दश्ता में वृद्धि करने के लिए मजदूरी का सरकारी नियमन आवश्यक है। वही हृदय मजदूरों से अधिक का स्वास्थ्य, उत्पादकता तथा आय का वितरण सुरक्षित है।

7. औद्योगिक शान्ति बनाए रखने हेतु मजदूरी का सहकारी नियमन आवश्यक है। अधिकांश औद्योगिक विनादों का कारण मजदूरी होता है। अतः मजदूरी का सरकारी नियमन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता है जिससे हडताल, तानावन्दी आदि रूपों में औद्योगिक विवाद उत्पन्न न हो सके।

राजकीय हस्तक्षेप की रीतियाँ (Methods of State Intervention)

मजदूरी नियमन करने हेतु सरकारी हस्तक्षेप, अर्थ-व्यवस्था में कुछ इए उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक है। यह हस्तक्षेप किसी एक प्रदेश में स्थित उद्योगों अथवा किसी एक उद्योग अथवा सभी उद्योगों के विषय में हो सकता है। सामान्यतया मजदूरी नियमन की तीन रीतियाँ काम में लाई जाती हैं। वे निम्नलिखित हैं¹—

1. सामूहिक सोदाकारी (Collective Bargaining)—यह मजदूरी नियमन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है, लेकिन इसकी सफलता के लिए

¹ Srivastava, G. L : Collective Bargaining & Labour Management Relations in India, p. 316.

सुव्वड, सुसंगठित थम समठन (Strong and Well-organised Trade Union) का होना आवश्यक है। हमारे देश में सुव्वड, सुसंगठित थम संघों का अभाव होने के कारण यह तरीका मजदूरी के नियमन में उपयुक्त नहीं होगा।

2. नियोक्ता अथवा अभिकौं द्वारा एक-पक्षीय मजदूरी नियमन (One-sided Regulation of Wages either by Employers or Employees)—इसके अन्तर्गत मजदूरी या तो नियोक्ताओं द्वारा निश्चित की जाती है अथवा अभिकौं द्वारा। इस तरीके का उदाहरण प्रथम महायुद्ध के पश्चात् बम्बई मिल मालिक संघ (Bombay Mill Owner's Association) द्वारा बम्बई हड़ताल जौच समिति, 1926-29 (Bombay Strike Enquiry Committee, 1926-29) के सम्मुख मजदूरी के प्रमाणीकरण को योजना प्रस्तुत करना था जो कि स्वीकार नहीं की गई।

3. मजदूरी का सरकारी नियमन /State Regulation of Wages)—इस तरीके के अन्तर्गत सरकार स्वयं अथवा किसी समिति के द्वारा विभिन्न उद्योगों हेतु मजदूरी निश्चित कर देती है जिसका क्रियान्वयन अधिनियम के तहत किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act of 1948) के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई है। इससे कम मजदूरी सम्बन्धित उद्योग में नहीं दी जा सकती है।

उपरोक्त सरकारी हस्तक्षेप अथवा मजदूरी नियमन के तरीकों को हम मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

1. प्रत्यक्ष तरीका (Direct Method)—इसमें सरकार स्वयं अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के मध्यम से न्यूनतम मजदूरी विभिन्न उद्योगों में निर्धारित कर देती है जिसका क्रियान्वयन किसी अधिनियम के तहत किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारतीय अभिकौं के तिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी देय होती है।

2. अप्रत्यक्ष तरीका (Indirect Method)—सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाती है और विभिन्न उद्योगों में मजदूरी से सम्बन्धित समझौते सम्पन्न कर लिए जाते हैं। इसका प्रभाव निजी सार्वियों पर भी पड़ने लगता है और वहाँ भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की मांग की जाती है।

मजदूरी नियमन के सिद्धान्त (Principles of Wage Regulation)

मजदूरी से सम्बन्धित निर्णयों में कनाडा सरकार ने सात तत्वों को प्रमुखता दी है, जो अग्रलिखित है—

1. Bhagatwal, T. N : Economics of Labour & Social Welfare, p. 291.

2. Gadgil, D. R : Regulation of Wages and Other Problems of Industrial Labour in India, 1954, p. 46.

1. सामान्य आधिक दशाएँ (General Economic Conditions)
2. नियोक्ता की वित्तीय स्थिति (Financial Condition of the Employer)
3. निवाह लागत (Cost of Living)
4. जीवन स्तर (Standard of Living)
5. समान व्यवसाय (स्थानीय) में तुलनात्मक मजदूरी (Comparative wages in similar trades in similar localities)
6. श्रम की सेवाओं का मूल्य (Value of Services of Labour)
7. आधिक एवं सामाजिक कल्याण के व्यापक सिद्धान्त (Broad Principles of Economic and Social Welfare)

भारत में उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट, 1949 (Report of the Fair Wages Committee, 1949) के अनुसार मजदूरी का निर्धारण निम्न तत्त्वों के आधार पर किया जाना चाहिए—

- 1 श्रम की उत्पादकता (Productivity)
- 2 समान स्थानीय व्यवसायों में पाई जाने वाली मजदूरी दरें (Wage rates prevailing in similar occupations in the neighbouring localities)
3. राष्ट्रीय प्राय का स्तर एवं इसका विनरण (Level of the National Income and its Distribution)
- 4 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का स्थान (The Place of Industry in the National Economy)

मजदूरी की विचारधारा (Concept of Wages)

मजदूरी में सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने पर हम मजदूरी की विभिन्न विचारधाराओं के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे देश में मजदूरी से सम्बन्धित विभिन्न विचारधाराएँ पाई जाती हैं—

1. वैधानिक न्यूनतम मजदूरी (Statutory Minimum Wages)—इसके अन्तर्गत सरकार अधिनियम पास करके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है और उसके क्रियान्वयन हेतु विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उदाहरणार्थ भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act of 1948) के अन्तर्गत इस प्रकार की मजदूरी निर्धारित की जाती है।

2. शाधारभूत या मूल न्यूनतम मजदूरी (Bare or Basic Minimum Wages)—इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हमारे देश में मजदूरी-निर्धारण में विभिन्न व्यायालब्दों द्वारा घोषित निरंयी से हुआ है।

3. न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage)
4. उचित मजदूरी (Fair Wage)
5. पर्याप्त मजदूरी (Living Wage)

इन तीनों विचारधाराओं का प्रादुर्भाव उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट (Report of the Committee on Fair Wages) से हुआ। इन विचारधाराओं की व्याख्या विभिन्न रूपों में की गई है।

6. आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (Need-based Minimum Wages)—इस विचारधारा का प्रादुर्भाव भारतीय अम मैट्रेसेन (Indian Labour Conference) की 15वीं बैठक, जो जुलाई 1975 में हुई थी, से हुआ था।

न्यूनतम, उचित एवं पर्याप्त मजदूरी की विचारधाराएँ (The Concepts of Minimum, Fair and Living Wages)

उचित मजदूरी समिति के अन्तर्गत विभिन्न मजदूरी के स्तरों को विभिन्न विचारधाराओं के नाम से सम्बोधित किया जाता है। समिति के अनुसार न्यूनतम मजदूरी उचित मजदूरी की निम्न सीमा है। न्यूनतम मजदूरी से अधिक उचित मजदूरी है तथा उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा पर्याप्त मजदूरी है। मजदूरी के ये विभिन्न स्तर स्थिर नहीं हैं बरन् आधिक विकास तथा सामाजिक न्याय के अनुसार परिवर्तनीय हैं।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

अधिकांश श्रमिकों देशों में श्रमिकों को जो मजदूरी दी जाती है वह इतनी निम्न स्तर की होती है कि जीवन-निर्वाह भी नहीं हो पाता है। इससे वर्ष-संघर्ष बढ़ता है, श्रमिकों की कायंकुशलता घटती है और परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी आती है। ऐसी स्थिति में एक कल्पणाकारी सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक श्रमिक की न्यूनतम आवश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र एवं मकान—पूरी करे। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु ही इन विचारधारा को प्रोत्साहन मिला है।

अर्थ (Meaning)—न्यूनतम मजदूरी की विचारधारा विभिन्न देशों में मजदूरी के विभिन्न स्तरों के विषय में बताती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट के अनुसार “हमारे देश में राष्ट्रीय आप का स्तर इतना निम्न है कि पर्याप्त मजदूरी की विचारधारा के अनुसार न्यूनतम मजदूरी किसी विधान द्वारा निश्चित करना सम्भव नहीं है। न्यूनतम मजदूरी से न केवल जीवन-निर्वाह ही हो सके बल्कि इससे श्रमिकों की दक्षता की भी बनाए रखा जा सके। इसलिए न्यूनतम मजदूरी में शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं वालि के मिलने का प्रावधान होना चाहिए।”¹

यह मजदूरों को दिया जाने वाला न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Remuneration) है जिससे कम मजदूरी न तो दी जाती है और न ली ही जाती है। सरकार कानून द्वारा यह न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देती है जिससे कम मजदूरी देना दण्डनीय होता है।

¹ Report of the Committee on Fair Wages, 1948, p. 8-9.

न्यूनतम मजदूरी का महत्व (Importance of Minimum Wages)---
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य है वयोंकि इससे श्रौद्धोगिक अभियोगों की कार्यकुशलता, स्वास्थ्य, जीवन-स्तर तथा नेतिकरता प्रभावित होती है। न्यूनतम मजदूरी का महत्व निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है—

१. सामाजिक न्याय (Social Justice)--- अभियोगों को इतनी मजदूरी जहर दी जानी चाहिए जो उनकी कार्यकुशलता को बनाए रखे। यह सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक (जिसमें अभियोगी भी आते हैं) को न्यूनतम आवश्यकताओं हेतु न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। अभियोगों का शोषण आधुनिक समय में सामाजिक अन्याय समझा जाता है।

२ समाज में स्थिरता (Stability in Society)--- समाज में स्थिरता तभी रह सकती है जब सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। जब अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) और अत्यधिक सम्पन्नता होती है तो समाज में वर्ग-संघर्ष उत्पन्न होता है और सामाजिक कानूनि (Social Revolution) को बढ़ावा मिलता है जो कि सामाजिक स्थिरता में वाधक होती है। गरीबी ही समस्त सामाजिक दोषों की जननी है (Poverty is the mother of all social evils)। अतः न्यूनतम मजदूरी देने से अभियोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करके देश में सामाजिक कानूनि से होने वाले दुष्परिणामों को रोका जा सकता है।

३. श्रौद्धोगिक शान्ति (Industrial Peace)--- श्रौद्धोगिक शान्ति बनाए रखने हेतु भी अभियोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि अभियोग किसी उद्योग में कार्य करता है और उसे मजदूरी नियोक्ता की इच्छानुसार होती ही दी जाती है कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो इससे उद्योग में नियोक्ता तथा अभियोगों के बीच मध्य सम्बन्ध नहीं रहते हैं। आए दिन हडताल, भीरे कार्य करने की प्रवृत्ति प्राविद को प्रोत्साहन मिलता है जिससे श्रौद्धोगिक शान्ति उत्पन्न होती है। तीव्र श्रौद्धोगिक रण में श्रौद्धोगिक प्रशान्ति विजेता वाधक होती है।

४ उद्योग के लाभ में अभियोगों का कानूनन हिस्सा (Rightful share in the prosperity of the Industry)--- आधुनिक समय में अभियोगों का वस्तु विट्टकोण (Commodity Approach) समाप्त हो गया है। अभियोग अब न केवल उत्पादन का मात्रबोय साधन ही है बल्कि श्रौद्धोगिक रण हेतु उपकार सहयोग होता भी जरूरी है। उद्योग की उभयति अभियोग के सहयोग का परिणाम है। जो भी लाभ होता है उसमें उसे लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए। उदाहरणार्थ भारत में बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 (Payment of Bonus Act, 1965) के प्रमाणत उद्योग के लाभ में से अभियोगों की मजदूरी का न्यूनतम ८·३३% एवं अधिकतम 20% भाग बोनस के रूप में दिया जाता है। अतः जिन उद्योगों में अभियोगों की सोदाकारी शक्ति कमज़ोर है वहाँ कानून द्वारा अभियोगों को लाभ में से हिस्सा दिया जाना चाहिए।

५ जीवन-स्तर एवं कार्यकुशलता में पृष्ठि (Raising the standard of living and the efficiency)--- यदि अभियोगों को उचित न्यूनतम मजदूरी दी जाती

है तो इससे उसका जीवन-स्तर उद्धर होता है, कार्यकुण्ठलवा बढ़ती है और परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे न केवल धर्मिकों व नियोक्ताओं को ही लाभ प्राप्त होता है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि तथा समाज को अच्छी किसी की वस्तुओं की पूति होने से लाभ होता है।

भारत एक विकासशील देश है जहाँ धर्मिकों को जो मजदूरी मिलती है वह बहुत ही कम है। कम मजदूरी होने के कारण धर्मिकों का जीवन-स्तर और उत्पादकता का स्तर निम्न है। उनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती अतः जीवन-स्तर एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए भारतीय धर्मिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान आवश्यक है। भारतीय धर्मिकों की नियोक्ताओं की तुलना में सौदाकारी शक्ति दुर्बल है वोकि भारतीय थम सध सुदृढ़ एवं सुसमित्र नहीं है इसलिए भी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण आवश्यक है। इसी प्रकार धर्मिकों को उनके उत्पादन के अनुसार मजदूरी नहीं दी जाती है और उनका शोषण होता है। उनकी सीमान्त उत्पादकता के भूल्य से कम मजदूरी दी जाती है। अतः धर्मिकों को उनकी उत्पादकता के मूल्य के अनुसार मजदूरी दिलाने के लिए भी मजदूरी का निर्धारण आवश्यक है।

न्यूनतम मजदूरी के उद्देश्य (Objects of Minimum Wages)

न्यूनतम मजदूरी से न केवल धर्मिकों को ही लाभ होता है बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक है। न्यूनतम मजदूरी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

1. उद्योग में अत्यन्त कठिन थम पर प्रतिबन्ध (To Prevent Sweating in Industry)—कुछ उद्योग में पाए जाते हैं जहाँ पर धर्मिकों को ग्रसमठित तथा दुर्बल सौदाकारी शक्ति वाले होने के कारण अधिक घण्टे कार्य करना पड़ता है, कार्य की दशाएँ भी खराब होती हैं और मजदूरी भी अत्यधिक कम दी जाती है और उनका शोषण किया जाता है। अतः उद्योगों में धर्मिकों द्वारा अत्यन्त कठिन थम कराए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।

2. धर्मिकों के शोषण पर प्रतिबन्ध (To Prevent Exploitation of Worker)—धर्मिकों को उत्पादन में योगदान से कम मजदूरी दी जाती है जिसमें उनका शोषण होता है। इस शोषण पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्य के घण्टे निर्धारित किए जाते हैं और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है।

3. श्रौद्योगिक शान्ति को स्थापना (To Promote Industrial Peace)—धर्मिकों को उचित मजदूरी न देकर अत्यधिक कम मजदूरी देने से व अधिक घण्टों सक कार्य कराने तथा खराब दशाओं में कार्य करवाने से धर्मिकों में असन्तोष उत्पन्न हो जाता है। इससे हड्डतालों, तालाबन्दियों, आदि रूपों में श्रौद्योगिक अनास्ति दैनंदी है। अतः श्रौद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए धर्मिकों के कार्य के घण्टे निश्चित

करना, कार्य की दशाओं में सुधार करना तथा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक है।

4. श्रमिकों की कार्य-शमता में वृद्धि (To Increase the Efficiency of Workers)—श्रमिकों का स्वास्थ्य तथा उनकी कार्य-शमता मजदूरी पर निर्भर करती है। यदि श्रमिकों को उचित मजदूरी दी जाती तो श्रमिकों का जीवन-स्तर उन्नत होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनकी कार्य-शमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि श्रमिकों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है तो उनका जीवन-स्तर निम्न रहता है और उनकी कार्यकुशलता कम होने से उत्पादन भी कम होता है। अतः कार्यकुशलता में वृद्धि करने हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक है।

5. कार्य की दशाओं में सुधार (To Improve the Conditions of Work)—न्यूनतम मजदूरी हारान के बहल श्रमिकों के जोपरण को समाप्त करके न्यूनतम मजदूरी ही दिलाई जाती है बल्कि इसके साथ ही कार्य के घट्टे, विधाम, साप्ताहिक छुट्टी तथा कार्य की दशाओं में भी सुधार किया जाता है। आधुनिकीकरण तथा विवेकीकरण की योजनाओं से उद्योग के प्रबन्ध में सुधार सम्भव होता है।

6. अन्य उद्देश्य (Other Objects)—उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। अम सगठन सुव्यवस्था एवं सुवर्गित करने तथा देश में जानित बनाए रखने के लिए भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ (Difficulties in Enforcing Minimum Wages)

न्यूनतम मजदूरी से सम्बन्धित प्रश्न बड़ा जटिल है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक श्रमिक ने दूसरे श्रमिक तथा एक पुरुष श्रमिक से एक स्त्री श्रमिक आदि में समय-भाष्य पर विभिन्न परिस्थितियाँ पाई जाती हैं।¹ श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय कई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थे, किस प्रकार के जीवन-स्तर को ध्यान में रखा जाए क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक श्रमिक वर्ग से दूसरे श्रमिक वर्ग का जीवन-स्तर भिन्न-भिन्न पाया जाता है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय श्रमिक परिवार के आकार का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। श्रमिक के परिवार में उसकी पत्नी व बच्चे ही जानित किए जाएंगे अथवा अन्य उसके सम्बन्धी भी? मजदूरी निर्धारित करने के लिए कोई समिति नियुक्त की जाएगी अथवा किसी अध्यादेश के आधार पर ही मजदूरी का निर्धारण हो जाएगा? अतः मजदूरी-निर्धारण में जीवन-स्तर, श्रमिक परिवार का आकार, समिति अथवा आयोग आदि के मन्त्रालय भी महत्वपूर्ण निशंख लेने पड़ते हैं।

1 Bhagatwal, T. N.: Economics of Labour and Social Welfare, p. 293.

उत्तर प्रदेश अम जॉच समिति (U. P. Labour Enquiry Committee) के अनुसार जीवन-स्तर के चार प्रकार हैं—

1. गरीबी स्तर (Poverty Level)—इस स्तर के अन्तर्गत अभिक अपनी कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं जुटा सकता है। अभिक की आवधि स्थिति कास्ती दुर्वंत होने से उनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ—रोटी, कपड़ा और मकान (Food, Clothing & Shelter) भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके परिणामस्वरूप उसकी कार्यकुशलता घट जाती है और उत्पादन भी घटने लगता है।

2. न्यूनतम जीवन-निवाह स्तर (Minimum Subsistence Level)—इसके अन्तर्गत अभिक अपनी आय से शारीरिक दक्षता को बनाए रख सकता है किन्तु अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए उनकी आय कम पड़ती है।

3. जीवन-निवाह से अधिक स्तर (Subsistence Plus Level)—इस प्रकार जीवन-स्तर के अन्तर्गत अभिक न केवल अपनी शारीरिक दक्षता को ही बनाए रखने में समर्थ होता है बल्कि वह अन्य मामाजिक आवश्यकताएँ भी पूरी कर सकता है, जैसे चिकित्सा तथा शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताएँ, आदि।

4. मुविधाजनक स्तर (Comfort Level)—इस स्तर में अभिक मुविधाजनक दण से अपना जीवन बिता सकता है। प्रो. श्रीवास्तव के अनुसार, इस प्रकार के जीवन-स्तर के अन्तर्गत अच्छे रहने लायक मकान, मनोरजन, बच्चों के लिए पर्याप्त कोप होना आवश्यक है।¹ उत्तर प्रदेश अम जॉच समिति ने न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण के लिए जीवन-निवाह से अधिक (Subsistence plus level) का स्तर निर्धारित किया है जो कि उचित ही प्रतीत होता है। इस स्तर को आधार मानकर यदि मजदूरी निश्चित कर दी जाती है तो इसमें अभिकों की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं और उनका स्वास्थ्य तथा दक्षता भी बनी रह सकेगी।

जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण हेतु अभिकों के परिवार के ग्राकार का प्रधन है उसमें अभिक की पत्नी और तीन छोटे बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए। अभिक को ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी व बच्चों को भी उचित जीवन-स्तर हेतु मजदूरी दी जानी चाहिए, जो कि एक सभ्य समाज के लिए बाधिनीय है।

अभिक के परिवार के आकार तथा जीवन-स्तर को निश्चित करने के पश्चात् न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रधन आता है कि एक अभिक को कितनी न्यूनतम मजदूरी दी जाए?

न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन (I. L. O.) के एक अध्ययन द्वारा दो रीतियों को आधार माना गया है—

1. शारीरिक स्वास्थ्य, आशाम आदि धोत्रों के विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित आधारों को व्यान में रखकर अभिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए।

¹ Srivastava, G. L.: Industrial Peace and Labour in India, p. 122

2. जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न आय-स्तरों के लिए प्रमापित बजटों (Standard Budgets) को आधार माना जाना चाहिए।

इन दोनों रीतियों को समृक्त रूप से आधार मानकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करना अधिक उपयुक्त होगा।

जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण से सम्बन्धित मशीनरी का प्रश्न है, इसे वैन्द्रीय सरकार निश्चित कर सकती है। राज्य सरकारें इन्हें आधार मानकर न्यानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती हैं।

न्यूनतम मजदूरी-निर्धारण में निर्वाह लागत का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस समस्या को दूर करने के लिए लागत मूल्यांक (Cost of Living Indices) तैयार किए जा सकते हैं तथा कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को इन आधार पर मालूम किया जा सकता है और उसी के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किए जा सकते हैं।

प्रो. के. एन. वैद के अनुसार “पर्याप्त मजदूरी को प्राप्त करना प्रत्येक सम्य सभाज का उद्देश्य है, जबकि सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी देना सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है।”¹

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय विभिन्न तस्वीरों को सत्तुनित रूप से काम में लेना होगा। उदाहरणार्थ, मानवीय आवश्यकताएँ, परिवार के कमाने वालों की भव्या, निर्वाह लागत और समान कार्य हेतु दी जाने वाली मजदूरी दरें आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना उचित एवं बौद्धिनीय होगा।

जुलाई, 1957 में भारतीय थम समितिन में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के आधार के घारे में सर्वप्रथम प्रस्ताव पात्र किया गया और यह बताया गया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकनाथों पर आधारित न्यूनतम मजदूरी (Need-based Minimum Wages) निर्धारित करनी चाहिए। इस समितिन में न्यूनतम मजदूरी समितियों (Minimum Wage Committees), बेतन मण्डलों (Wage Boards) और प्राधिकरणों (Adjudicators) आदि मजदूरी निर्धारण करने वाली मशीनरी हेतु न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न आधार स्वीकार किए गए²—

1. श्रमिक के परिवार में तीन उपभोग इकाइयों (Three Consumption Units) को शामिल करना चाहिए। श्रमिक की पली तथा उसके बच्चों द्वारा अद्वितीय आय वो ध्यान में नहीं रखना चाहिए।

2. डॉ आयकरोड़ हारा बताई गई कैलोरीज के आधार पर ही भोजन या खाद्य की आवश्यकता (Food requirements) के घारे में गणना करती होगी।

3. कपड़े की आवश्यकता (Clothing requirements) के अन्तर्गत प्रति इकाई उपभोग 18 गज होना चाहिए और मिलाकर 72 गज कपड़ा प्रति वर्ष दिया जाना चाहिए।

1. *Vaid, K. N. : State and Labour in India*, p. 90.

2. *Saxena, R. C. : Labour Problems and Social Welfare*, p. 550.

4. मकान किराया सरकारी औद्योगिक गुड़्योवना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधा के प्राधार पर दिया जाना चाहिए।

5. इंधन, डिजिटी तथा आन्य व्यय की मदों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 20% रखा जाना चाहिए।

इसके माथ ही प्रस्ताव में यह बताया गया कि इन आवारों पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से यदि कहीं मजदूरी कम है तो इसके लिए वहाँ के सम्बन्धित अधिकारियों को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। जहाँ तक उचित मजदूरी का प्रश्न है उसके लिए वेतन मण्डलों को उचित मजदूरी समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रख कर मजदूरी का निर्धारण करना होगा।

यह प्रस्ताव सदसे महत्वपूर्ण माना गया वयोंकि सर्वेत्रम न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए ठोग प्रस्ताव पास कर स्वीकार किए गए। मजदूरी मण्डल (Wage Boards) मजदूरी निर्धारित करते समय इन प्रस्तावों को ध्यान में रखने हैं।

पर्याप्त मजदूरी (Living Wages)

पर्याप्त मजदूरी, मजदूरी का वह स्तर है जो किमी श्रमिक की आविदार्य व आरामदायक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। मजदूरी से श्रमिक अपनी तथा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होना है ताकि एक मश्व समाज के लिए आराम से जीवन अवशील कर सके।

इस प्रकार पर्याप्त मजदूरी है जो कि श्रमिक व उसके परिवार को भोजन, कपड़ा व मकान सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करती है बल्कि इसमें बच्चों की शिक्षा, अम्बास्थ में सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था हेतु बीमा आदि के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है।¹

वेस्ट्स्लैण्ड औद्योगिक समझौता तथा पचनिर्णय अधिनियम (Queensland Industrial Conciliation and Arbitration Act) के अनुमार एक पुरुष श्रमिक को कम से कम इतना पारिश्रमिक (Remuneration) अवश्य देना चाहिए जिससे कि वह स्वयं, अपनी स्त्री तथा तीन बच्चों के परिवार को उचित आराम के माय रखने में समर्थ हो सके। यहाँ यह माना गया है कि पुरुष श्रमिक को ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना पड़ता है।

उत्तर प्रदेश श्रम जीवन समिति, 1946 (U. P. Labour Enquiry Committee, 1946) के अनुसार पर्याप्त मजदूरी वह मजदूरी का स्तर है जिसके अन्तर्गत श्रमिक का पारिश्रमिक उतना पर्याप्त होता चाहिए कि वह जीवन-निवाह पर व्यय करने के उपरान्त इतना धन बचा से कि अन्य सामाजिक आवश्यकताओं जैसे— यात्रा, मनोरंजन, दवा, पञ्चव्यवहार आदि की सन्तुष्टि कर सके।

¹ Vaid, K. N. : State and Labour in India, p. 90

उचित मजदूरी समिति, 1948 (Fair Wage Committee, 1948) के अनुसार पर्याप्त मजदूरी के प्रत्यागत पुष्ट प्रभावित व उनके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएँ, जैसे—भोजन, वस्त्र और मकान आदि ही पूरी नहीं, बल्कि यह इतनी होनी चाहिए कि उसमें बच्चों की शिक्षा, बीमारी से रक्षा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और दृढ़ावस्था सहित अन्य दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाओं ने बीमा आदि पूरे हो सकें। समिति ने यह भी मिफारिश की कि पर्याप्त मजदूरी निर्धारित करते समय राष्ट्रीय आय और उद्योग की मुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही पर्याप्त मजदूरी के लक्ष्य को पूरा करना अन्तिम लक्ष्य (Ultimate Goal) होना चाहिए। उचित मजदूरी समिति ने मजदूरी निर्धारण की अधिकतम या उच्च सीमा पर्याप्त मजदूरी तथा निम्नतम सीमा तक न्यूनतम मजदूरी निश्चित की।

उचित मजदूरी (Fair Wages)—उचित मजदूरी की समस्या काफी महत्वपूर्ण है जिसके बारे में विभिन्न देशों के अर्थशास्त्रियों ने विचार किया है। युद्धोत्तर काल में अधिकों व मालिकों के बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कई प्रयत्न किए गए। इसके लिए अधिकों एव मालिकों के व्यवहार तथा दृष्टिकोण में परिवर्तन ही आवश्यक नहीं है बल्कि अधिकों को भी कुछ पारिस्थितिक के रूप में अधिक मिलना चाहिए जिससे कि आपसी सद्भावना व महबोग का बातावरण तैयार किया जा सके। नाम महानागिना (Profit sharing) तथा उचित मजदूरी मम्बन्धी विचार इस दिशा में महत्वपूर्ण है। सन् 1917 में औदोगिक सम्मेलन में एक औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव (Industrial Truce Resolution) पास किया गया था जिसमें अधिकों को उचित मजदूरी दिलाने की मिफारिश की गई। इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने के लिए भारत सरकार ने उचित मजदूरी-निर्धारण एव क्रियान्वयन हेतु मन् 1948 में एक उचित मजदूरी समिति (Fair Wage Committee) नियुक्त की। इसकी रिपोर्ट सन् 1949 में प्रकाशित की गई। इस समिति की निफारिशों के प्रावार पर एक विन तैयार किया गया और इसे सन् 1950 में सदस् में पेश किया गया, लेकिन यह पास नहीं किया जा सका।

उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की न्यूनतम सीमा उच्चतम सीमा पर्याप्त मजदूरों को माना जाना चाहिए। उच्चतम सीमा का निर्धारण उद्योग की मुगतान-क्षमता (Capacity of Industry to Pay) के आधार पर होना चाहिए। उद्योग की मुगतान क्षमता निम्न तरहों पर निर्भर करती है—

1. थम की उत्पादकता (Productivity of Labour),
2. उसी उद्योग अधिवा पठोसी उद्योग में प्रचलित मजदूरी दर (Prevailing rates of wages in the same or neighbouring localities),
3. राष्ट्रीय आय का स्तर एव इसका वितरण (Level of National income and its distribution), और
4. देश की अर्थ-व्यवस्था में उद्योग का स्थान (Place of the Industry in the economy of the country)।

उचित मजदूरी समिति के अधिकारीगं सदस्यों का मत था कि उचित मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी तथा पर्याप्त मजदूरी के बीच में होना चाहिए। उचित मजदूरी को पर्याप्त मजदूरी प्राप्त करने का एक प्रगतिशील कदम माना गया है (Fair wage is a step towards progressive realisation of the living wage)।

प्रो. पिगौ (Prof A. C. Pigou) के अनुसार, "जिस प्रकार के व्यक्तियों के बीच जो एक-दूसरे के ममता नहीं है, उसी प्रकार मजदूरी के ममताघ में उचित से हमारा आशय यह है कि शास्त्रमिक लाभ तथा हानियों को ध्यान में रखते हुए, जो कुशलता के प्रनुपात में, किमी एक व्यक्ति की कुशलता का माप उसके वास्तविक उत्पादन से किया जाए।"¹

उचित मजदूरी का निर्धारण (Determination of Fair Wages)

उचित मजदूरी समिति को सिफारिश के अनुसार उचित मजदूरी न्यूनतम व पर्याप्त मजदूरी की सीमाओं में निर्धारित की जाएगी और यह सीमा उद्योग की भुगतान-क्षमता पर निर्भर करती है तथा स्वयं उद्योग की भुगतान-क्षमता अभिक की कायंक्रमता, उद्योग में प्रचलित मजदूरी दरों, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं वितरण तथा ग्रंथ-व्यवस्था में उद्योग का स्थान आदि पर निर्भर करती है।

कठिनाइयाँ (Difficulties)— उचित मजदूरी निर्धारण करने के आधार उचित मजदूरी समिति ने दिए हैं लेकिन इस निर्धारण में कई कठिनाइयाँ आती हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. उद्योग की भुगतान-क्षमता के निर्धारण में कठिनाई (Difficulty in determining the capacity to pay of the Industry)—उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा उद्योग की देय क्षमता (Capacity of Industry to pay) पर आधारित होनी चाहिए। संदानितक रूप से यह सही है कि उद्योग की देय क्षमता के आधार पर ही उचित मजदूरी की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। नियोक्ता इस बात का विरोध करते हैं तथा कहते हैं कि उद्योगों की देय क्षमता कम होने से अधिक मजदूरी नहीं दी जा सकती। दूसरे, श्रमिकों का कथन है कि अधिक मजदूरी, देने से श्रमिकों की वर्द्धकृत्यता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम आती है, बस्तु की मांग बढ़ती है। किन्तु उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करना एक कठिन समस्या है। उचित मजदूरी समिति ने अनुसार "उद्योग की देय क्षमता का निर्धारण करने के लिए किसी विशिष्ट इकाई अवधार देश के समस्त उद्योगों की क्षमता को आधार मानना चुटियुर्ण होगा। न्यायोचित आधार तो वह होगा कि निर्धारित दोष के

1. Pigou, A. C.: Economics of Welfare, p. 551.

किसी विशिष्ट उद्योग की क्षमता को आधार माना जाए, तथा जहाँ तक सम्भव हो सके, उस द्वेत्र की समस्त सम्बन्धित श्रोतुओंगिक इकाइयों के लिए समान मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए। स्पष्टत मजदूरी निर्धारण करने वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक श्रोतुओंगिक इकाई की देय क्षमता का माप करना सम्भव न होगा।"

उद्योग की देय क्षमता को मापने के लिए उद्योग का लाभ-हानि, उद्योग का क्य मूल्य, उत्पादन की मात्रा, बेरोजगारी आदि का ध्यान में रखना पड़ेगा, सेंद्रान्तिक दृष्टि से यह सही है, लेकिन व्यवहार में इसे लागू करना कठिन है। उचित मजदूरी समिति के अनुसार उचित मजदूरी अपने आप में ही उचित होनी चाहिए। वर्तमान स्तर पर न केवल रोजगार का स्तर बना रहे बल्कि मजदूरी स्तर से उत्पादन क्षमता भी बनाई रखी जा सके। इस महत्वपूर्ण विचार को ध्यान में रखकर ही बेतन मण्डलो (Wage Boards) को उद्योग की देय-क्षमता का अनुमान लगाना होगा। किसी एक विशिष्ट इकाई अथवा देश के सभी उद्योगों की मुग्धतान देय-क्षमता को आधार मानना भी गलत होगा। किसी विशिष्ट प्रदेश में किसी विशिष्ट उद्योग की देय क्षमता एक अच्छी कसोटी हो सकती है और जहाँ तक सम्भव हो सके उस प्रदेश में उद्योग की समस्त इकाइयों में एक ही मजदूरी निर्धारण की जानी चाहिए।

2. श्रोतुओंगिक उत्पादकता के निर्धारण में कठिनाई—उचित मजदूरी समिति के कथनानुसार थम उत्पादकता तथा मजदूरी में घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी उद्योग की उत्पादकता न केवल श्रमिकों की उत्पादकता पर ही निर्भर है बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य तत्त्व जैसे—प्रबन्ध-कुशलता, वित्तीय व तकनीकी क्षमता आदि भी इसे प्रभावित करते हैं। अत उत्पादकता का अध्ययन करते समय समस्त तत्त्वों को ध्यान में रखना होगा। वर्तमान मजदूरी का स्तर श्रमिक की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत अनुकूल मजदूरी निर्धारित करके पर्याप्त मजदूरी की ओर बढ़ना होगा जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और उत्पादन बढ़े।

3. उचित मजदूरी को लागू करने से कठिनाई—समयानुसार मजदूरी देते समय श्रमिक की कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर ही मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह जहरी नहीं है कि प्रत्येक श्रमिक उस नियत कार्यक्षमता के अनुसार ही कार्य करे। इसके अनुसार श्रमिक कार्यकुशल को प्रयिक दौर कम कार्यकुशल को कम मजदूरी मिलनी चाहिए लेकिन यह व्यवहार में नहीं पाया जाता है। जिन उद्योगों में कार्य की दशाएँ अच्छी हैं तथा जिनमें खराब दशाएँ हैं तो मजदूरी भी अनुग्रहलग होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।

अत उचित मजदूरी निर्धारित करते समय हमे राष्ट्रीय आय के स्तर और इसके वितरण को ध्यान में रखना होगा। प्रचलित मजदूरी दरें भी ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन असंगठित श्रमिकों की प्रचलित मजदूरी बहुत ही नीची हो तो

इसे बढ़ाना होगा। यह वृद्धि अभियों की कार्यकुशलता को ध्यान में रखकर करनी होनी।

प्रो. वी. वी. सिंह के कथनानुसार, "किसी भी देश में वास्तविक मजदूरी स्तर उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। किर भी मजदूरी नियमन और मजदूरी निर्धारण मशीनरी को ऐसा मजदूरी ढाँचा तैयार करना होगा जो उचित हो और देश की आर्थिक किया के स्तर के अनुसार हो।"¹

भारत में मजदूरी का राजकीय नियमन (State Regulation of Wages in India)

मजदूरी का नियमन

मजदूरी का मुगतान समय-समय पर सशोधित मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा नियन्त्रित होता है। मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 नियमितम के अतिरिक्त सारे देश पर लागू होते हैं। मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 फैक्टरी अधिनियम, 1948 मे फैक्टरी घोषित संस्थानों महित किसी भी फैक्टरी, रेलवे एवं औद्योगिक संस्थानों जैसे ट्राम-वे या मोटर परिवहन सेवा, वायु परिवहन सेवा, बन्दरगाह, अन्तर्देशीय पोत, खान, खदान या तेल कंक्री, वाणिज, कर्मचाला (जहाँ वस्तुएं उत्पादित होती हैं) तथा भवनो, सड़को, पुलों और नहरों आदि के निर्माण, विकास तथा अनुरक्षण कार्य करने वाले संस्थानों मे नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है।

यह अधिनियम केवल उन पर लागू होता है जो प्रति माह औसतन 1600 रुपए से कम मजदूरी प्राप्त करते हो।

अभियों द्वारा कमाई गई मजदूरी को मानिक रोक नहीं सकते, न ही वे अनविकृत रूप मे कटौतियाँ कर सकते हैं। अभियों की मजदूरी का मुगतान निश्चित दिवस के पूर्व कर देना चाहिए। केवल उन्हीं कृत्यों या अवहेलनाओं के लिए जुमानि किए जाते हैं जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य हैं। कुन जुमानि की राशि काम की अवधि मे दी जाने वाली मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यदि मजदूरी की अदाएं देर से की जाती है या गलत कटौतियाँ की जाती हैं तो मजदूर या उनके सब अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित रोजगारों मे समयोपरि मुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार विशिष्ट घन्थों मे कार्य कर रहे कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है। इस

1 Singh, V. B. : An Introduction to the Study of Indian Labour Problems, p. 87

अधिनियम में उपयुक्त समयान्तरों के बाद जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम भजदूरी की समीक्षा एवं सशोधन का प्रावधान है। जुलाई, 1980 में हुए धर्म मन्त्रियों के मम्पेलन ने यह सिफारिश की थी कि अधिक से अधिक दो वर्ष के अन्तरात पर, या उपभोक्ता मूल्य मूचकांक के 50 अंक बढ़ने पर दोनों में से जो भी पूर्व हो, न्यूनतम वेतन में सशोधन किया जाए।

थ्रमजीवी पत्रकार अधिनियम

समाचारपत्रों के संगठनों में काम कर रहे व्यक्तियों तथा थ्रमजीवी पत्रकारों की सेवा जर्ती को नियमित करने के लिए 1955 में थ्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी (सेवा-पूर्ति का नियमन) तथा अन्य सुविधाएँ अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को एक विशिष्ट धारा हारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं में कुछ सशोधनों को करके थ्रमजीवी पत्रकारों घर लागू किया गया। 26 जुलाई, 1981 को अध्यादेश हारा अधिनियम में सशोधन किया गया जिसका उद्देश्य 'थ्रमजीवी पत्रकार' शब्द की परिभाषा में प्रवर्द्धन करके अशकालिक सवाददाताओं को शामिल करना और समाचारपत्र संस्थानों हारा समाचारपत्र कर्मचारियों (अशकालिक सवाददाताओं सहित) की बलास्तियों (भेवामुक्ति) छोटी की रोकथाम करना है।

13 अगस्त, 1980 से अर्थात् जिस दिन द्रिङ्ग्रूपल ने अपनी सिफारिजों प्रस्तुत की, संशोधन को पूर्व-व्यापित दी गई। अध्यादेश को नदवन्तर अधिनियम में परिवर्तित किया गया जिने 18 सितम्बर, 1981 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए सरकार ने मजदूरी बोडे स्थापित करने का निश्चय किया है। भस्द में इस विषय पर 29 मार्च, 1985 को एक बत्तेव्वु जारी किया गया। तदनुसार मजदूरी बोडी की स्थापना पर कार्य चल रहा है।

पालेकर न्यायाधिकरण

सरकार के थ्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्रों के संगठनों में काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के वेतन की दरों को निर्धारित करने के लिए थ्रमजीवी पत्रकार व अन्य कर्मचारी (सेवा की जर्ती) तथा अन्य सुविधाएँ अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत गर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश श्री डॉ. जी. पालेकर की अध्यक्षता में फरवरी, 1979 में एक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। न्यायाधिकरण ने 13 अगस्त, 1980 को अपनी सिफारिजों सरकार को दी थी।

सरकार ने महेंगाई भत्ता सम्बन्धी सिफारिश को छोड़ अन्य सभी सिफारिजों को मान लिया है। इसमें कुछ सशोधन करके यादेश जारी कर दिए गए हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। न्यायाधिकरण हारा निर्दिष्ट कार्यालय के अनुसार सरकार ने महेंगाई भत्ते में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के विचार जानने के पश्चात् संशोधन किया

है। संघोधित महंगाई भत्ते की दरों सम्बन्धी आदेश 20 जुलाई, 1981 को प्रकाशित हो चुके हैं।

सिफारिशो के लागू होने तथा लागू करने से सम्बन्धित ममस्थाओं को देखने के लिए मंत्रियों की कमेटी नियुक्त की गई है। कमेटी ने कई वैठकों की तथा सम्बन्धित संस्थाओं को आवश्यक निवेश दिए। अब इस कमेटी का स्थान एक विपक्षीय कमेटी ने ले लिया है। राज्य स्तर पर ऐसी ही विपक्षीय कमेटी स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। अब तक मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उडीसा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, गोप्रा, दमण व दीव ने राज्य स्तर पर विपक्षीय कमेटियाँ स्थापित की हैं।

ठेका मजदूरी

ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970, जो फरवरी, 1971 से समूचे भारत में लागू किया गया, कुछ संस्थानों में ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमन करता है तथा कुछ परिस्थितियों में उसका उन्मूलन करता है। मजदूरी की अदाप्रणी न होने पर उसके लिए मुख्य मानिक को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है।
स्त्री तथा पुरुष श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 स्त्री तथा पुरुष श्रमिकों को समान कार्य या समान स्वरूप के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक और रोजगार के मामले में स्थियों के साथ किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध व्यवस्था करता है। अधिनियम के उपबन्ध मध्ये प्रकार के रोजगारों पर लागू किए गए हैं। अधिनियम में मलाहकार समितियों के गठन की व्यवस्था है जो स्थियों को रोजगार के अधिक अवसर देते पर मलाह देती। ऐसी समितियाँ केन्द्रीय सरकार के अधीन तथा अधिकांश राज्य सरकारे और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित कर दी गई हैं।
स्त्री श्रमिक

स्त्री श्रमिकों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर धम मन्त्रालय को सलाह देने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बताई गई है जिसे स्त्री श्रमिक दल (ग्रुप ऑफ बूमेन बोर्ड) कहा जाता है। नीतियाँ निर्धारित करते समय तथा स्त्री श्रमिकों के लिए योजना प्रायोजित करने समय इस दल की मिफारिशों को उचित महत्व दिया गया गया है। स्त्री श्रमिकों में सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

बन्धुआ मजदूर

बन्धुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन कानून, 1976 के अन्तर्गत 25 अक्टूबर, 1975 से सारे देश में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा समाप्त कर दी गई। यह कानून लागू होने पर सभी बन्धुआ मजदूर हर तरह की बन्धुआ मजदूरी के दायित्व से मुक्त हो गए और उनके कर्जों को माफ कर दिया गया। मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास बीस-सूची कार्यक्रम का अंग है।

इस कानून को सम्बद्ध राज्य सरकारे लागू कर रही है। वारह राज्यों में बन्धुप्रा मजदूरी की प्रथा के प्रचलन की सूचना मिली है। ये राज्य है—ग्रान्थ प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। फरवरी, 1985 तक 1,77,062 बन्धुप्रा मजदूरों का पता लगाकर उन्हें मुक्त करा दिया गया था। इनमें से 1,34,802 बन्धुप्रा मजदूरों का पुनर्वास कर दिया गया था तथा 42,260 का पुनर्वास करना बाकी था। इन बन्धुप्रा मजदूरों को या तो वेन्ड्र द्वारा प्रश्नोजित योजना या राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत फिर से घसा दिया गया था।

धम भन्नालय द्वारा बन्धुप्रा मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कियान्वयन लगातार सचालित और पुनरावलोकित करने का कार्य किया जा रहा है।

भारत में मजदूरी के नियमन और निधारण की प्रमुख वैधानिक व्यवस्थाएँ, जिनका हम विस्तार से विवेचन करें, ये हैं—

- (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (विभिन्न संशोधनों सहित)
- (ख) अधिकरण के अन्तर्गत मजदूरी नियमन
- (ग) बेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन
- (घ) मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 (संशोधनों सहित)
- (ङ) बान श्रमिक (निवेद व नियमन) विधेयक, 1986
- (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
(Minimum Wages Act, 1948)

अधिनियम का उद्गम (Evolution)

हमारे देश में एक गतावधी से कार्य की दशाओं तथा कार्य के घटों पर सरकार का नियन्त्रण रहा है, लेकिन मजदूरी के नियमन का प्रयास देश की आजादी के पश्चात् हो किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय धम सगठन (I. L. O.) की न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कन्वेन्शन, 1928 को हमारे देश में लागू करने के लिए शाही धम आयोग (Royal Commission on Labour) ने पहले निम्नतम मजदूरी तथा व्रसगठित श्रमिकों वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए मशीनरी नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सन् 1944 में रेगेट-कमेटी (Regulation Committee or Labour Investigation Committee) की नियुक्ति की गई जिसने 35 उद्योगों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस समिति ने भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की व्यवस्था हेतु सिफारिश की। धम स्थायी समिति (Labour Standing Committee) की कई बैठकों में इस विषय पर विचार-विमर्श कर सन् 1946 में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी वित्त पेश किया गया। लेकिन विधान सम्बन्धी परिवर्तनों से इसमें देरी लग गई और अन्त में मार्च, 1948 में यह अधिनियम पास

किया गया। 6 फरवरी, 1948 को न्यूनतम वेतन विधेयक, नए रूप में, बाबू जगजीवनराम द्वारा विधेयक संविधान निर्माणी परिषद के ममुख प्रस्तुत हुआ।

बिल के विवेदन को आवश्यकता पर प्रकाश ढानते हुए बाबूजी ने कहा—“जिन नियोजनों में मजदूर अपने नो संगठित करने की दशा में नहीं हैं, अपनी शिकायतें दूर नहीं कर सकते, नियोजनों से अपनी माँगें नहीं मनवा सकते, उनके लिए ऐसे विधेयक की बड़ी आवश्यकता है। यह विवेदन उन उद्योगों के लिए इतना घाँटीय नहीं है जहाँ मजदूर अधिक महवा में नियोजित हैं और जहाँ मजदूर आनंदोलन के कार्यकर्ताओं को सगठन बनाने की मुगमना तथा सुविधाएँ हैं, जितने कि उन मजदूरों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तरे पढ़े हैं, जहाँ मजदूर कार्यकर्ता पढ़ौचने व समाजित करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा जिनके लिए वे कोई वास्तविक कार्य नहीं कर पाते। इस मत का यह अनिवार्य परिणाम है कि उद्योगों की बड़ी महवा में, विशेषकर उनमें जो ग्रामीण क्षेत्रों अधिवा छोटे नगरों में स्थापित हैं, मजदूर काम में लगे थम के अनुरूप मजदूरी नहीं पाते। ऐसे उद्योगों को हम लोकसभा में कमर-तोड़ (स्वेटेड) उद्योग कहते हैं। कमर-तोड़ उद्योगों में लगे मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए कुछ करने हेतु यह बिल व्यवस्था करता है। अनुसूची जिसमें उद्योगों के नाम उल्लिखित हैं, पूर्ण नहीं है। मैं कहूँगा कि उन्हीं सूची के बाल उदाहरणात्मक हैं। प्रान्तीय सरकार जितने उद्योगों को अपने हाथों में लेना यथा समझव समझनी हैं अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है। पहली अनुसूची (नियोजनों) के लिए इस कानून के प्रावधानों के कार्यनिवयन के लिए दो वर्ष रख रहे हैं। दूसरी सूची के लिए (जिसमें खेतिहर मजदूरों का सम्बन्ध है) तीन वर्षों की अवधि रखती जा रही है। यह विवेदन बड़ा आवश्यक है। इसे कानूनों की पंजिका में बहुत पहले सम्मिलित हो जाना चाहिए था।”

बहुम का उत्तर देते हुए बाबू जगजीवनराम ने बताया कि “खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण के बिना औद्योगिक विकास तथा उत्पादन में दृष्टि सम्भव नहीं।” उनके ही शब्दों में ‘अभी तक हम कृपि के क्षेत्र में इस बात पर जोर देते हैं कि किसानों के लिए सिचाई, उत्तम कोटि के औजार, खाद की उपलब्धि तथा बेहतर बीजों की सुविधा हो, किन्तु अभी तक बिना उसकी आरध्यान दिए काश्तकारी को मिली मध्ये सुविधाएँ उत्पादन की दृष्टि में सहायक न होगी।’ भूमि के दो लाट देखें। एक उस व्यक्ति का जो खुद काश्त करता है तथा दूसरा उस व्यक्ति का जो मजदूरी पर प्रादमी लगा कर खेती करता है। ‘उस खेत में, बाबू जगजीवनराम के अनुसार, जिसमें कृषक स्वर्य काश्त करता है, कम से कम एक मन अप्प उपादा पैदा होता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि (दूसरों से काप्त करा कर) हम खाद्यान्धों ने कितनी बड़ी क्षति उठा रहे हैं। यह इसलिए होता है कि खेतिहर मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। वे खेत के उत्पादन में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं लेते, उन्हे उससे कोई भत्तलब नहीं। खेत में चाहूँ अधिक अन्न हो अधिवा मूला पढ़े। वह जानता है कि उसको दिन भर के कठिन परिथम के लिए

डेढ़ सेर अथवा दो सेर से अधिक ग्रनात नहीं मिलता है। हल से खरोची हुई जमीन से अधिक वह जमीन उत्पादन देनी है जिसमे हल धैसा कर चला हो। जब मजदूर को हल को धैसा कर चलाने मे वही मजदूरी मिलती है जिन्होंने कि जमीन को उसके द्वारा खरोचने से, तो वह क्यों अधिक शक्ति लगा कर हन जोते ? वह तब अधिक थम क्यों करे ? जगजीवनराम बाबू की इटिट मे यह बिल कान्तिकारी था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उसके बन जाने पर देश गलते के मामले मे आत्मनिर्भर हो जाएगा।"

श्री जगजीवनराम को न्यूनतम वेतन बिल प्रस्तुत कर, 'देश मे सामाजिक कान्ति' के पहले प्रयास के मुद्दा बनाने पर, श्री रंगा ने बधाई दी। बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "मुझे कुल मिलाकर इतना ही कहना है कि यह बिल इतना कान्तिकारी है कि उसके लिए किसी भी सरकार को विशेषकर हमारी सरकार को अभिमान हो सकता है।"

अधिनियम की सृष्टि, उसकी मुख्य व्यवस्थाएँ

6 फरवरी, 1948 को (विधायन) संविधान निर्मात्री परिषद् ने दिन भर की बहस के उपरान्त बिल को स्वीकार किया। 15 मार्च, 1948 को वह कानून बना। कृपि क्षेत्र मे उमका कार्यान्वयन तीन वर्षों बाद अर्थात् मार्च, 1951 से होना था, किन्तु अधिनियम के क्रियान्वयन मे देश और प्रदेशों की सरकारों को मार्ग मे आने वाली बाधाओं को हटाने मे अनेक वर्ष लग गए और अन्त मे तृतीय संविधान संशोधन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन की अन्तिम अवधि 31 दिसम्बर, 1959 निर्धारित हुई।

डॉ. टी. एन. भगोलीबाल ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की विशेष व्यवस्थाएँ संक्षेप मे इस प्रकार बताई है—

(१) यह शोपित (Sweated) थम बाने उद्योगों मे या उन उद्योगों मे जहाँ अभिको के शोपण के मीके पाए जाते हैं, न्यूनतम मजदूरियाँ नियत करने की व्यवस्था करता है। ऐसे किसी उद्योग के यारे मे न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं की जानी जिसमे सारे राज्य मे 1000 से कम थमिक नियुक्त हो (1957 के संशोधन अधिनियम ने इस सीमा को काफी छीला कर दिया है)।

(२) अधिनियम मे विभिन्न व्यवसायों एव थमिको के विभिन्न घरों के लिए ठीक इस तरह की दरें निर्धारित करने की व्यवस्था है।

(ग्र) समयानुसार काम की न्यूनतम मजदूरी-दर जिसे 'न्यूनतम समय-दर' (A minimum time-rate) कहा जाएगा;

(व) कार्यानुसार मजदूरी की न्यूनतम-दर जिसे 'कार्यानुसार न्यूनतम-दर' (A minimum piece-rate) कहा जाएगा,

(स) उन थमिको के लिए जो कार्यानुसार मजदूरी पर लगाए गए हैं, पारिथमिक को एक न्यूनतम-दर का निर्धारण समयानुसार न्यूनतम-दर दिलाने की इटि से करना जिसे 'सरकार समय-दर' (Guaranteed time-rate) कहा जाएगा; तथा

(द) अधिक समय (Overtime) काम करने के न्यूनतम-दर (चाहे वह समय-दर अथवा कार्यानुसार दर हो) दिसे 'अधिक समय दर' (An overtime rate) कहा जाएगा। उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित या संशोधित मजदूरी की न्यूनतम-दरों में से बातें शामिल होंगी—

(प्र) मजदूरी की मूल (Basic) दर तथा खास भत्ता (अधिनियम में इसे रहन-सहन भत्ते (Cost of living allowances) के रूप में बताया गया है जिसकी दर का समायोजन ऐसे मध्यान्तरों (Intervals) और ऐसे दौरों से किया जाएगा जो उपयुक्त सरकार निर्देश करे;

(व) रहन-सहन भत्ते के साथ या विना उसके मजदूरी की मूल (Basic) दर तथा जहरों वस्तुओं की रियायती विक्री की रियायती (Concessions) का नकद पूँजी,

(स) वह दर जिसमें मूल (Basic) दर, रहन-सहन भत्ता तथा रियायती का नकद पूँजी यदि यादि यादि शामिल हैं। आम तौर से अधिनियम के अन्तर्गत देय (Payable) मजदूरी का मुद्रातात नगदी (Cash) में करने की व्यवस्था है किन्तु इसने उपयुक्त सरकार जो न्यूनतम मजदूरी के जिम्म (Kind) में ही पूरे या अर्धांशिक रूप से मुगानान का अधिकार दिया है।

(iii) उपयुक्त सरकार इस नरह निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर समय-समय पर पुनर्विचार (Review) करेंगी। पुनर्विचार के बीच का समय 5 वर्ष से ज्यादा नहीं तोमा। फिर से विचार करने पर यदि जहरी समझे तो उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी-दरों में मंशोधन करेंगी। यदि किसी कारण ने उपयुक्त सरकार न्यूनतम मजदूरी-दरों में 5 वर्ष के मध्यान्तर पर फिर से विचार न का सके तो ऐसा 5 वर्ष खत्म होने के बाद भी किया जा सकता है। जब तक न्यूनतम मजदूरी-दरों में इस नरह से कोई मंशोधन नहीं होता तब तक 5 वर्ष की अवधि खत्म होने के पहले जो दरें चालू थी, वही दरें लागू रहेंगी।

(iv) उपयुक्त सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी की दरें नियन करने के बारे में जांच करने और सलाह देने के लिए समितियाँ नियुक्त करें। परामर्श समितियों (Advisory Committees) की नियुक्ति समन्वय कार्य (Co-ordination Work) और उसके बाद मजदूरी दर के संशोधन के लिए की जाएती है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देने और राज्य परामर्श बोर्डों के कार्य को मिलाने लिए केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रीय परामर्श बोर्ड की नियुक्ति करेंगी।

जैसा कि डॉ. भगोलीबान ने निखारा है कि—"सभी राज्य सरकारों द्वारा 1948 के अधिनियम की अनुमूल्यी के भाग 1 में दिए गए सभी उद्योगों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को कुछ ऐसे दूसरे उद्योगों पर लागू कर दिया है जो अनुमूल्यी के भाग 1 में दिए हैं। राज्यों में न्यूनतम मजदूरियाँ 31 दिसम्बर, 1949 तक निर्धारित कर दी गई थीं जोकि 1957 के संशोधन अधिनियम में यही आविर्ती तारीख तय की गई थी।

एक केन्द्रीय परामर्श बोर्ड और राज्यों में परामर्श अधिकारी (Authorities) भी नियुक्त किए गए। चूंकि सभी अनुमूलित उद्योगों में दिसम्बर, 1959 तक सभी राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकी थी, इसलिए मार्च, 1961 में अधिनियम में एक नया मंशोधन किया गया जिसने किसी उद्योग में राज्य सरकारों द्वारा जुलू में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की अन्तिम तारीख को सीमा को खत्म कर दिया।¹

"न्यूनतम मजदूरी कानून बनाने के लिलाफ इस देश में शायद ही कोई आपत्ति उठाई जा सकती है। यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का खास उद्देश्य बहुत नीची मजदूरियों के मुग्यान के द्वारा अधिक का शोषण रोकना था, इसके अन्तर्गत वे रोजगार भी शामिल किए गए हैं जिनमें अधिक या तो असमिति है या जहाँ उनका सुगठन कमजोर है। वर्ष दीतने पर राज्य सरकारों द्वारा मूल (Original) अनुमूली में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक बहुत में नए रोजगार बढ़ाए गए हैं। अधिनियम के लेन के इस तरह बढ़ने में उसके लागू करने में कठिनादयों समने आई हैं।"

मजदूरियों में क्षेत्र अन्तरे एवं किसी एक क्षेत्र में ही समय-समय पर विभिन्न परिस्थितियों के मुताबिक अन्तर तक के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में कोई स्थिर (Rigid) मापदण्ड (Criteria) निर्धारित करना न तो ठीक है और न जरूरी है। आवश्यक रूप से यह नोचपूर्ण (Flexible) होगा।

अधिनियम के दोष

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिकों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथापि इसके कुछ निम्नलिखित दोष विचारणीय हैं—

1. अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर यद्यपि अनेक रोजगार समिलित किए गए हैं तथापि इसका ग्रोवोगिक क्षेत्र अभी बहुत नकूलित है। अनेक महत्वपूर्ण और असंगठित उद्योगों का समर्वेश होना आवश्यक है।

2. अधिनियम के प्रयोग में शिक्षितता है। राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम का प्रयोग जिस ढंग से हुआ है यदि एक राज्य में किसी उद्योग को इस अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाता है तो दूसरे राज्य में उसे छोड़ दिया जाता है। यह स्थिति अधिकों में असन्तोष का एक कारण होती है।

3. अधिनियम में कुछ अमर्गत छूटें दी गई हैं। उदाहरणार्थ ऐसी छूटें दी जाना उद्दित प्रतीत नहीं होता कि उस उद्योग में न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है त्रिमासे सम्पूर्ण राज्य में 1000 से अधिक अधिक काम कर रहे हों।

4. परामर्शदाती समिति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। समितियों के कार्यों से अभी तक ऐसा प्रतीत हुआ है कि दरों के निर्धारण में मार्गों उनका कोई विशेष हाश न रहा हो।

5. अधिनियम के अनुसार 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' के निर्धारण की व्यवस्था नहीं है।

6. ऐसे प्रमुख व्यवसायों पर अधिनियम लागू नहीं होता जिनके श्रमिकों की दशा बहुत खराब है।

7. एक ही राज्य के विभिन्न भागों और विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरों में समानता नहीं है, एकीकरण का अभाव है।

(ख) अधिकरण के अन्तर्गत मजदूरी नियमन (Wage Regulation Under Adjudication)

हमारे देश में श्रीदौगिक विवादों को निपटाने हेतु अधिकरण मशीनरी (Adjudication Machinery) काम में लाई जाती है। जब मजदूरी के सम्बन्ध में श्रमिकों व मालिकों के बीच झगड़ा होता है तब भी इसके द्वारा विवाद निवापा जाता है। यह मशीनरी अमरण्ठित और कम संख्या में काम करने वाले उद्योगों के श्रमिकों की मजदूरी का विवाद नहीं निवापती है। जब भी विवादों को निवापाने के लिए अधिकरणकर्ता (Adjudicator) की नियुक्ति की जाती है तब उसे राज्य सरकार सिद्धान्ततः प्रस्तुत करनी है जिनके आधार पर विवाद को निपटाता है। जो भी फंसले (Awards) दिए जाते हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार की है तथा इस प्रकार के फंसले समय-समय पर दिए गए हैं जिनमें एकरूपता (Uniformity) नहीं पाई जाती है। जिनमें भी अवार्ड्स (Awards) दिए जाते हैं कि वे उचित मजदूरी समिति (Committee on Fair Wages) की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं। अधिकांश नियंत्रण में उद्योग की देय क्षमता (Capacity to pay of an Industry) का ध्यान रखा गया है। अम-गम्भान (Labour Bureau) के अनुसार "अब यह नभी सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम सीमा निर्धारित करते समय उद्योग की देय-क्षमता को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।" विभिन्न ट्रिब्यूनल द्वारा न्यूनतम मजदूरी आदि के निर्धारण में श्रमिकों की दशना, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं उसके विनाश आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कई विवादों में प्रश्नकल (Unskilled) श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण कर दिया गया है तथा कुशल (Skilled) और अद्वं-कुशल (Semiskilled) श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण करने का कार्य प्रबन्धकों व श्रमिकों पर छोड़ दिया गया है।

(ग) वेतन मण्डलों के अन्तर्गत मजदूरी नियमन (Wage Regulation Under Wage Boards)

प्रथम एंकवर्षीय योजना में यह विचार किया गया कि उचित मजदूरी के निर्धारण हेतु स्थाई एवं नियन्त्रण वेतन मण्डलों की स्थापना की जानी चाहिए जो कि समय-समय पर मजदूरी में सम्बन्धित आंकड़ों, जीव आदि का कार्य करके मजदूरी-निर्धारण का कार्य करते रहें, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं

उठाया गया। वैसे हमारे देश में स्वतन्त्रता से पूर्व भी बम्बई श्रौद्धोगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 (Bombay Industrial Relations Act of 1946) के तहत मजदूरी-निर्धारण हेतु ऐसे वेतन मण्डल दियमान थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार की मशीनरी को मजदूरी-निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया। “तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी यह बताया गया कि प्रबन्धकों व श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वेतन मण्डल की बहुमत सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना। चाहिए।”¹

विभिन्न उद्योगों के लिए वेतन मण्डल नियुक्त करने का सुझाव भवसे पहले केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) में 1957 में दिया था। 1958 की अनुगासन सहिता (Code of Discipline, 1958) में इन प्रस्तावों को समिलित किया गया है। वेतन मण्डल एक कानूनी संस्था नहीं है। इसे जिस उद्योग के लिए नियुक्त किया जाता है उसमें स्वतन्त्र रूप से मजदूरी निर्धारित की जाती है। “यद्यपि इन मण्डलों की नियुक्ति श्रमिकों व प्रबन्धकों के पारस्परिक समझौते के अधार पर होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक जीवन में इनकी नियुक्ति की माँग श्रम संघों द्वारा की जाती है। मामान्यतया एक वेतन मण्डल में श्रमिकों व मानिकों के दो-दो प्रतिनिधि, दो स्वतन्त्र व्यक्ति (एक सदसद् सदस्य तथा दूसरा अर्थशास्त्री) किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति की अध्यक्षता में नियुक्त किया जाता है।”² यह एक त्रिपक्षीय संस्था (Tripartite Body) है। इनमें सदस्यों की कुल संख्या 7 से 9 तक होती है। वेतन मण्डल का अध्यक्ष साधारणतया कोई जज होता है।

एक वेतन मण्डल का कार्य जिस उद्योग हेतु नियुक्त किया गया है, उसमें मजदूरी-निर्धारण का कार्य करना होता है। उचित मजदूरी समिति की मिकारिंगों को मध्येनजर रखते हुए उद्योग में मजदूरी निर्धारित की जाती है। अन्य बातें जो वेतन मण्डल ध्यान में रखता है, वे हैं—

1. एक विकासशील देश में उद्योगों की आवश्यकताएँ।
2. कार्यनुसार मजदूरी देने की पद्धति।
3. विभिन्न प्रदेशों तथा क्षेत्रों में उद्योग की विशेष विशेषताएँ।
4. मण्डल के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों की व्येहियाँ।
5. उद्योग में कार्य के घट्टे।

कुछ वेतन मण्डलों को मजदूरी-निर्धारण के अतिरिक्त बोनस अवधार ऐच्युटी के भुगतान के बारे में सिफारिंग करने को कहा गया था।

1957 से ही भारत सरकार ने केन्द्रीय वेतन मण्डलों की नियुक्तियों की। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग हेतु वेतन मण्डल नियुक्त किया गया। इसके बाद चीनी, सीमेन्ट, जूट, सौह एवं इस्पात, कॉफी, चाय, रबड़, कोयले की खानों, पत्रकारों,

¹ Third Five Year Plan, p. 256.

² Vaid, K. N., State and Labour in India, p. 101.

भारी रसायन एवं उर्वरक, इंजीनियरिंग, बन्दरगाहो, चमड़ा, विद्युत् और सड़क यातायात आदि उद्योग में वेतन मण्डल स्थापित कर दिए गए। ये सभी वेतन मण्डल अब कार्यशील नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अक्षितम् रिपोर्ट दे दी है। इत सभी वेतन मण्डलों को विभिन्न थमिकों की श्रेणियों का निर्धारण, उचित मजदूरी समिति की सिफारिशों के आधार पर मजदूरी-निर्धारण, कार्यानुसार मजदूरी की उचितता आदि के बारे में सिफारिशें करने को कहा गया था।

वेतन मण्डलों की नियुक्तियों ऐच्छिक फैसले को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। यह आशा की गई थी कि इनकी सिफारिशों को बहुमत से अभिक तथा नियोक्ता स्वीकार करेंगे। ऐच्छिक पच फैसले के सिद्धान्त को सफलता नहीं मिली क्योंकि मालिकों ने वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करने में बाधा ढाली। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वेतन मण्डलों की सिफारिशों को कानूनन रूप से लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया।

वेतन मण्डलों द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार जैचती है और फिर उनका प्रशासन करती है। सामान्यतया बहुमत से दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाता है। कुछ मामलों में इनका सशोधन करके लागू कर देने का अभ्यास रहा है। इसकी आलोचना की गई है कि यह प्रक्रिया थमिकों के पक्ष में गई है। समय-समय पर इन सिफारिशों के लागू करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से रिपोर्ट माँगी जाती है। इन सिफारिशों को लागू करने का कार्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की श्रीद्योगिक सम्बद्ध मशीनरी (Industrial Relations Machinery) द्वारा किया जाता है।

वेतन मण्डलों की सीमाएँ

(Limitations of Wage Boards)

वेतन मण्डल ऐच्छिक पच निलंब के सिद्धान्त को प्रोत्साहन देते हेतु एक तरीका काम में लाया गया। वेतन मण्डलों की सिफारिशों तथा उनके क्रियान्वयन की निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1. अम सघ वेतन मण्डलों का अनिवार्य प्रधिकरण तथा सामूहिक सौदाकारी की प्रक्रिया के विस्तार का एक प्रतिस्थापन माना जाना है। नियोक्ता भी इनकी सिफारिशों को लागू करने में उत्साह नहीं रखते हैं।

2. वेतन मण्डलों का कार्य उचित मजदूरी की गणना व निर्धारण करना है लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि इन्होंने उचित मजदूरी जिसका सम्बन्ध उद्योग की देय क्षमता से है, की अपेक्षा की है।

3. वेतन मण्डलों ने मजदूरी-निर्धारण में थमिकों और मालिकों के साथ ममकीता मशीनरी के रूप में काम किया है न कि एक मजदूरी-निर्धारण मशीनरी के रूप में।

¹ Vaid, K. N. State and Labour in India, p. 103.

4. महेंगाई भत्ते को मूल मजदूरी में मिलाने के रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सूती वस्त्र उद्योग में महेंगाई भत्ते का 75% मूल मजदूरी में मिला दिया गया है।

5. वेतन मण्डल उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर मजदूरी निर्धारित करते हैं और वाइ में भारतीय श्रम सम्मेलन की 15 वीं बैठक में किए गए प्रस्तावों को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इन दोनों में ही स्पष्टता देखने को नहीं मिलती। सूती वस्त्र उद्योग में मजदूरी में अन्तर (Wage Differentials) की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

6. विभिन्न वेतन मण्डलों ने यो वेतन-डाचि दिए हैं उनमें सम्बन्ध का प्रभाव है। विभिन्न क्षेत्रों में अवग मजदूरी दरे हैं। इन वेतन मण्डलों ने न तो आवश्यकता पर आधारित मजदूरी (Need-based Wage) का ही निर्धारण किया है और न मजदूरी में पाए जाने वाले अन्तर (Wage Differentials) को ही दूर किया गया है। इसके कारण श्रमिकों में आपसी ईर्पां की भावना को अन्म दिया गया है।

राष्ट्रीय श्रम उद्योग के सम्मुख वेतन मण्डलों द्वारा निर्धारित मजदूरी के सम्बन्ध में विभिन्न पक्षों ने निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं—

1. नियोक्तास्त्रो के मगठन ने यह बताया है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में मजदूरी-निर्धारण एक ही मशीनरी द्वारा निर्धारित करना उचित नहीं है। उद्योग की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मजदूरी निर्धारण का कार्य वेतन मण्डल, अधिकरण अथवा सामूहिक सौदाकारी द्वारा किया जा सकता है। यदि एक उद्योग समरूप (Homogenous) नहीं है तो उसमें वेतन मण्डल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अन्य सगठन ने बताया कि वेतन मण्डल की सिफारिशों में एकमत होने पर ही उनको क्रियान्वित करना चाहिए।

2. श्रम सगठनों ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को वेतन मण्डल के क्रियान्वयन के विषय में अपना असलोक बताया है। उनका कहना है कि जिन उद्योगों में मगठित श्रमिक हैं, भघ को मान्यता है तो वहीं वेतन मण्डल द्वारा मजदूरी-निर्धारण न करके सामूहिक सौदाकारी द्वारा होना चाहिए। कुछ सगठनों ने यह भी बताया है कि सिफारिशों को लागू करने में काफी देर लगती है और कुछ वृद्धि के रूप में उनको वेतन मिलने लगता है। श्रम सगठनों का कहना है कि वेतन मण्डल की सिफारिशें 5 महीने में प्राप्त हो जानी चाहिए और वेतन मण्डल का गठन कानूनन होना चाहिए।

राष्ट्रीय श्रम आयोग, 1969 (National Commission on Labour, 1969) ने वेतन मण्डलों के बारे में निम्न सिफारिशों दी थी¹—

1. वेतन मण्डल में स्वतन्त्र व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि जरूरी ही हो तो एक अर्थशास्त्री को समिलित किया जाना चाहिए।

¹ Report of the National Commission on Labour, 1969. See Chapter on 'Wages.'

2. वेतन मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति दोनों पक्षों—श्रमिक व प्रबन्धक की सहमति से होनी चाहिए। यह महमति नहीं हो तो पच नियंत्रण द्वारा नियुक्ति की जाए। एक व्यक्ति को एक समय में दो से अधिक मण्डलों का प्रबन्धक नियुक्त नहीं करना चाहिए।

3. वेतन मण्डल को अपनी सिफारिशों नियुक्ति से एक वर्ष की अवधि में देने को कहा जाना चाहिए। सिफारिशों को लागू करने की तिथि भी मण्डल द्वारा दी जानी चाहिए।

4. एक वेतन मण्डल की सिफारिशों पांच वर्ष के लिए लागू रहनी चाहिए।

5. केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय द्वारा एक केन्द्रीय वेतन मण्डल विभाग (Central Wage Board Division) की स्थाई रूप से स्थापना करनी चाहिए जो कि सभी वेतन मण्डलों का कार्य देखता रहेगा। इसका कार्य वेतन मण्डलों को आवश्यक कर्मचारी, आँकड़े और आवश्यक मूल्यांकों की पूर्ति होगा।

6. वेतन मण्डलों के कार्य विधि हेतु एक मैत्रियन नीतार किया जाना चाहिए।

(८) मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936

(Payment of Wages Act, 1936)

उद्योगों में काम करने वाले विशेष वर्गों के व्यक्तियों को मजदूरी के मुगतान का नियमन करने हेतु एक अधिनियम बनाया गया जिसे मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 कहा जाता है। श्रमिकों को मजदूरी समय पर नहीं देना तथा उसमें से कई कटौतियाँ आदि करना, इस अधिनियम के पूर्व प्रचलित था। इस अधिनियम द्वारा कोई भी नियोक्ता अपने श्रमिकों को नियर्पारित अवधि में बिना अनधिकृत कटौतियों के मजदूरी का मुगतान करेगा। कई प्रकार की अनधिकृत कटौतियाँ, जैसे—अनुशासनात्मक कारखों से जुर्माना, नियोक्ता को होने वाले नुकसान हेतु जुर्माना, कच्चा माल, ओजार आदि हेतु कटौतियाँ और अन्य गैर-कानूनी कटौतियाँ अनुचित थीं।

शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) की सिफारिशों के आधार पर मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 पास किया गया। यह अधिनियम मजदूरी का दो रूपों में नियमन करता है—(1) मजदूरी देने की तिथि, और (2) मजदूरी में से होने वाली कटौतियाँ। यह अधिनियम प्रत्येक कारखाने तथा रेलवे के उन श्रमिकों पर लागू होता है जिनकी औसत वार्षिक मजदूरी 1000 रु. में कम है (नवम्बर 1975 के मंगोधर से पूर्व यह सीमा 400 रु. से कम की थी)। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य मरकार किसी भी उद्योग अववास स्थान के श्रमिकों पर तीन महीने का नोटिस निकाल कर लागू कर सकती है। यह अधिनियम सन् 1948 में कोपले की खानी पर, सन् 1951 में समस्त खानों पर, सन् 1957 में निर्माणकारी उद्योगों पर, सन् 1962 में तेल क्षेत्रों पर तथा सन् 1964 में नागरिक वालु वरिवहन सेवाओं, सोटर परिवहन सेवाओं तथा वे संस्थान जो

कारखाना अधिनियम 1948 को धारा 85 के तहत आते हैं, पर लागू कर दिया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान की अवधि एक माह रखी गई है। जिन संस्थानों तथा उद्योगों में 1000 से अधिक अभिक कार्य करते हैं वहाँ मजदूरी का भुगतान-प्रवधि के 10 दिन में तथा 1000 से कम अभिक होने पहले 7 दिन के प्रबंद्ध भुगतान करना अनिवार्य है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियों को ही अधिकृत कटौतियाँ (Authorised Deductions) माना गया है तथा वाकी कटौतियों हेतु नियोक्ता पर न्यायालय में विवाद चलाया जा सकता है। अधिकृत कटौतियाँ निम्नलिखित हैं—

(1) जुर्माने की राशि, (2) कार्य पर अनुपस्थित रहने पर कटौती, (3) हानि अथवा क्षति के कारण कटौती, (4) मालिक, सरकार अथवा आवास बोर्ड प्रदत्त आवास मुविधाधो व सेवाधो हेतु कटौती, (5) अप्रिम दी गई राशि हेतु कटौती, (6) आय कर या प्रोविडेन्ट फण्ड हेतु कटौती, (7) कोयले की खाने में बद्दी व जूते हेतु कटौती, (8) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष या सुरक्षा बचत कोष हेतु कटौती, (9) साइकिल खरीदने, भवन-निर्माण हेतु ऋण लेने तथा अम-कल्याण निधि में से ऋण लेने पर कटौती करना।

जुर्माने की राशि 3 पैसे प्रति रूपया से अधिक नहीं होगी। जुर्माना रजिस्टर भी मालिक को रखना होगा।

अधिनियम के अन्तर्गत दावा करने की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन का कार्य अम विभाग के अम निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

आलोचना

अम जांच समिति (Labour Investigation Committee) के अनुसार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में कई दोष पाए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप अभिक वर्ग को पूर्ण ताक्ष प्राप्त नहीं हो पाया है तथा नियोक्ता भी इस अधिनियम के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ बरतते हैं। इसकी निम्नलिखित रूपों में आलोचना की जा सकती है—

1. बड़े-बड़े उद्योगों व संस्थानों में अधिनियम की विभिन्न घाराधों को पूर्ण रूप से नागू किया जाता है लेकिन ठेके के अभिको नवा छोटे छोटे उद्योगों व संस्थानों में जहाँ उचित लेखे-जोखे नहीं रखे जाते हैं वहाँ पर इस अधिनियम का उल्लंघन किया जाता है।

2. अम जांच समिति (Labour Investigation Committee) के अनुसार इस अधिनियम के लागू करने में निम्न उल्लंघन पाए जाते हैं¹—

(i) अनाधिकृत कटौतियाँ (Unauthorised Deductions),

- (ii) अधिनियम से सम्बन्धित रजिस्टर न रखना (Non-recording of Over-time Wages),
- (iii) मजदूरी के मुगतान में देरी (Delay in Payment of Wages),
- (iv) बोनस तथा महंगाई भत्ते का मुगतान न करना (Non-payment of Bonus & Dearness Allowance),
- (v) रजिस्टर न रखना (Non-maintenance of Registers) आदि।

3. अधिनियम के अन्तर्गत दावों को सुनाने हेतु परगता अधिकारी (SDO's) को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। उनके पास अन्य सामले तथा प्रशासनिक कार्यों का भार अधिक होने से इस प्रकार के दावों की तुरन्त सुनवाई तथा फैसला नहीं हो पाता है जिससे समय पर अभियोगों को राहत नहीं मिल पाती है। अत इन विवादों को शीघ्र निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

4. अम-निरीक्षकों की संख्या उनके क्षेत्र व कार्य को देखते हुए कम है। निरीक्षण नियमित रूप से नहीं हो पाते हैं। अत अम-निरीक्षकों की मत्त्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

5 मालियों पर जो जुर्माना किया जाता है वह करीब 52 ह० अथवा 100 ह० से अधिक नहीं होता है जबकि विवाद हेतु अम निरीक्षक के न्यायालय में आने-जाने में ही हजारों रुपये यात्रा-भत्ता आदि में व्यय हो जाते हैं।

6 नियोक्ता इस अधिनियम से बचने के लिए अभियोगों को स्वायी नहीं होने देते, उन्हे बताते हुड़ी (Forced Leave) देते हैं, आदि अनुचित व्यवहारों से अधिनियम से बचते हैं। उत्तर प्रदेश अम जौज समिति (U P Labour Enquiry Committee) के अनुसार, "अधिकांश अम सघों द्वारा यह शिकायत है कि मजदूरी में कमी की जानी है, विभिन्न कटौतियाँ की जाती हैं जिससे भविष्य में जाकर अभियोगों की वास्तविक ग्रामदनी घट जानी है।"¹

लेकिन मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 का क्रियान्वयन अब पहले से काफी मुघरा है।

राष्ट्रीय अम आयोग (National Commission on Labour) के अनुसार इस अधिनियम से अभियोग वर्गों को काफी लाभ प्राप्त हुआ है। पहले की भाँति अब अभियोगों को देरी से मजदूरी देना तथा उससे से अनधिकृत कटौतियाँ (Unauthorised Deductions) आदि की प्रबुत्ति कम हो रही है। अभियोग-मंदिरों वे विकास, अभियोग की जिज्ञा, मालियों के इष्टिकोणों में परिवर्तन तथा मरकार का करयालुकारी राज्य के रूप में महस्त्र बढ़ने से मजदूरी नियमित रूप से दी जाने लगी है तथा अनधिकृत कटौतियाँ भी काफी कम हुई हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जहाँ पर अभियोग दिखारे हुए तथा असंगतित हैं तथा जहाँ अधिकृत अभियोग हैं, नियोक्ता पुरानी विचारधारा बाले हैं, अम निरीक्षक अकृशल व अर्थहैं, वहाँ पर आज भी अभियोगों का शोषण देर से मजदूरी तथा अनधिकृत कटौतियों के रूप में होता है।

यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी को सुट्ट व ईमानदार बनाए और समय-समय पर मशीनरी द्वारा किए गए क्रियान्वयन का लेखा-जोखा ले।

अधिनियम में संशोधन

जैसा कि कहा जा चुका है, नवम्बर, 1975 में एक ग्राम्यादेश जारी करके अधिनियम उन थमिकों पर लगू कर दिया गया जिनकी ओसत मासिक मजदूरी 1000 रु से कम है। इस संशोधन से पूर्व 400 रु प्रतिमास की मजदूरी सीमा थी। अब मन्त्रालय की सन् 1976-77 की रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में भी और भी अन्य संशोधन कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है—

“सन् 1936 के मुरुख्य अधिनियम में संशोधन करके अन्य बातों के माथ-साथ मजदूरी का मुगतान चंक द्वारा करने या सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा लिखित प्राधिकार देने पर उनकी मजदूरी उनके बैंक लेखों में जमा करने की व्यवस्था की गई। यह आशंका व्यक्त की गई कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ कर्मचारियों पर यह दबाव ढाना जा सकता है कि वे अपनी मजदूरी मुगतान के बैंकल इन बैंकलिपक तरीकों द्वारा ही स्वीकार करें। हालांकि कर्मचारियों के लिए इन तरीकों द्वारा मजदूरी लेना अनिवार्य नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने प्रशासनिक मन्त्रालयों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के सभी उपकरणों एवं सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी करके इस प्रकार की आणकाश्रों को दूर करने और इस प्रकार की सम्भाव्य पटनाप्रो को रोकने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही की गई है कि संशोधित अधिनियम में परिकल्पन मजदूरी की बैंकलिपक प्रणालियों को किसी प्रकार का दबाव न डालकर केवल शमिकों की सलाह और महसूति से गिरात तथा अनुरोध की प्रक्रिया द्वारा अपनाया जाता है। बैंकिंग विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि वह जहाँ तक सम्भव हो सके, यह सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे कि चंक और/या कर्मचारियों के बैंक लेखों में उनकी मजदूरी मुगतान की व्यवस्था करने वाले नए विधान को लागू करने के लिए थमिकों के लिए विशेषकर खनन क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।”

(ड) बाल थमिक (नियधन नियमन) विधेयक, 1986

लक्ष्य के कारण

यह विधेयक 1986 का 31वाँ विधेयक है। इसके द्वारा कुछ विशेष प्रधार की नीकरियों में 14 वर्ष व 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार देना नियमित किया गया है। पूर्व निर्मित कई कानूनों में ऐसे प्रावधान तो थे किन्तु कार्य विधि नहीं प्रदान की गई थी। अतः इस कानून को द्वारा बाल थमिकों की कार्य दशा का नियमन किया गया है। जिससे उनका शोषण न किया जा सके।

विधेयक के मुरुख उद्देश्य

(1) विशेष प्रकार के कानून से उन बच्चों के रोजगार का नियेप जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं।

- (2) नौकरी या प्रक्रियाओं में प्रवन्ध सुधार व नियंत्रण की कार्यविधि को स्थापना ।
- (3) विशेष रोजगार में बाल धर्मिकों की कार्य शर्तों पर नियंत्रण ।
- (4) बाल धर्मिकों सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था ।
- (5) विभिन्न कानूनों में 'बच्चों' की परिभासा में एकहस्ता स्थापित करना ।

कानून का प्रबलंगन—विधेयक के प्रावधान तुरन्त लागू होगे । केवल भाग 3 के प्रावधान तभी लागू हो सकेंगे जब केन्द्र सरकार बजट में विभिन्न राज्यों के लिए इसकी घोषणा कर दे ।

परिभाषाएँ—विधेयक को धारा 2 में सरकार, बच्चा, दिन आदि शब्दों को परिभासित किया गया है । 'बच्चा' उसे समझा जाएगा जिसने अपनी आयु के 14 वर्ष पूरे नहीं किए हैं ।

बाल धर्मिकों को रोजगार देना नियिद्ध—धारा 3 बच्चों के रोजगार को नियिद्ध करती है । नियेव के क्षेत्र विधेयक की अनुमूली 'क' व 'ख' में वर्णित हैं । मध्येप में यह परिवहन रेलवे यार्ड व गोदामों में विशेष कार्यों से सम्बन्धित है । सरकार की अनुमति से तकनीकी सलाहकार समिति अनुमूली के कार्य क्षेत्रों का नियमन कर सकेगी यह भी प्रावधान विधेयक में दिया गया है ।

बच्चों के काम की शर्तों का नियन्त्रण—(1) विधेयक के भाग 3 में इस सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं । इसमें काम घण्टे 6 तक निर्धारित किए गए हैं जिसमें उसके विशाम तथा प्रतीक्षा का समय भी सम्मिलित है । 3 घण्टे के बाद 1 घण्टा अनिवार्य विशाम दिया जाएगा । (ii) रात्रि में 7 बजे से सुबह 8 के मध्य रोजगार नियिद्ध है । (iii) शोड़र टाइप या एक ही दिन में एक से अधिक प्रतिष्ठान में काम करना नियिद्ध है । (iv) साप्ताहिक छुट्टी (सप्ताह में एक बार) अनिवार्य होगी । प्रत्येक प्रतिष्ठान इसे उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

प्रतिष्ठानों द्वारा सूचना—ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहाँ बच्चे कार्यरत हैं सम्पूर्ण विवरण पदाधिकारी को भेजेंगे । यह 30 दिन में सूचित करना आवश्यक होगा । यह नियम ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा जो स्कूल में सरकारी अनुमति से या परिवार के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है ।

आयु सम्बन्धी विवाद—चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभाग पर में ऐसे विवाद निर्धारित होंगे । प्रत्येक प्रतिष्ठान बाल धर्मिक सम्बन्धी विवरणिका प्रत्येक समय निरीक्षक के निरीक्षण हेतु रखेगा ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी—नियम/उपनियम वनाए जा सकेंगे जो समय-समय पर ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे । इन नियमों में धूत, धुपी, सकाई प्रदूषण व अन्य खतरों से निवारणों हेतु प्रबन्धी के नियम निर्धारित किए जाएंगे ।

दण्ड का प्रावधान—विधेयक के भाग-4 में दण्ड का प्रावधान है—
 (i) धारा 3 की व्यवस्था (रोजगार नियेष) के उल्लंघन पर (न्यूनतम 3 माह की केंद्र जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा न्यूनतम 10,000 रुपये अर्थदण्ड जिसे 20,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है) दण्ड का प्रावधान है। (ii) अपराध की पुनरावृत्त पर न्यूनतम 6 माह की केंद्र (जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) का प्रावधान है। (iii) उपबन्धित सूचना देना या विवरणिका रखने में चूक करने पर या गलत विवरण देने पर 1 माह तक की केंद्र तथा 10,000 रुपये के अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

कार्यविधि—(1) कोई व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इन्सपेक्टर किसी भी अपराध की जिकायत सम्बन्धित क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट से कर सकेगा। (ii) आयु के तिए चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र तथा नाथ के लिए बच्चा स्वयं सक्षम गवाह हो सकेगा। (iii) मामले की सुनवाई प्रथम थेरेटी के मजिस्ट्रेट करेगे। (iv) विधेयक द्वारा नियुक्त इन्सपेक्टर भारतीय दण्ड सहित में बएगत 'सरकारी नौकर' समझा जाएगा।

नियम बनाने का अधिकार—गजट में अधिसूचित कर उपयुक्त सरकार नियम बनाने को अधिकृत है।

अन्य कानूनों पर प्रभाव—इस विधेयक को द्वारा

(अ) बच्चों को रोजगार कानून, 1938 रद्द कर दिया गया है।

(ब) निम्न कानूनों को मशोधित किया गया है—

(i) न्यूनतम वेतन कानून, 1948 की धारा 2;

(ii) वागान अधिक कानून, 1951 के भाग 2 धारा (क)व (ग), भाग 24, भाग 26,

(iii) व्यापारिक जहाजरानी कानून, 1958 का भाग 109,

(iv) मोटर परिवहन कर्मचारी कानून, 1961 के भाग 2 की धारा 'क' व 'ग'।

समीक्षा

इस विधेयक द्वारा बालथम का नियेष करने के साथ-साथ नियमन भी किया गया है। अर्थात् जिन उच्चोगो, संस्थानों या कार्यों में बाल थमिकों को कार्य करने की अनुमति है उनमें कार्य की दशाएँ व शर्तें निश्चित कर दी गई हैं।

विधेयक की इसी आधार पर आलोचना की गई है कि यह बाल थम को पूर्ण नियिद्ध करने के स्थान पर उसे प्रोत्साहित करेगा व इसका नियमन कर दिया गया है। यह आलोचना उचित नहीं है। बाल थम को पूर्ण नियिद्ध किया भी नहीं जा सकता क्योंकि एक सीमा के अन्तर्गत लोगों की परिविहितियों के अनुकूल उनके जीवन यापन हेतु पारिथमिक प्राप्त करने से उन्हें वचित कर देना अध्यावहारिक ही नहीं

अनुनित भी है। फिर बच्चों को उनकी आयु के अनुकूल कार्य दशाघो को नियमित कर देना भी इस विधेयक का सफल प्रयास हो सकता है।¹

कृपि उद्योग में न्यूनतम मजदूरी

आपान् स्थिति की घोषणा और 20 सूबी कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के बाद तथा थम मन्त्री सम्मेलन (जुलाई, 1975) के 26वें अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में लाभग सभी राज्यों ने 1976 के दीरान या उसके बाद कृपि में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया। असम और महाराष्ट्र ने संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया। पश्चिम बंगाल और पंजाब में न्यूनतम मजदूरी दरों को उपर्योक्ता मूल्य सूचकांक के साथ निक करने की पढ़ति है और विहार ने खाद्यान्न की मात्रा के अनुसार मजदूरी दरों अधिसूचित की है, जिससे कीमतों में वृद्धि के कारण मजदूरी दरों का आरक्षण नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय खेत्र के अन्तर्गत आने वाले कृपि उद्योग के रोजगार के सम्बन्ध में भी सितम्बर, 1976 में न्यूनतम मजदूरी दरों अधिसूचित की। संशोधन मजदूरी दरों भिन्न-भिन्न खेत्रों के अनुसार निम्न प्रकार रखी गई—²

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| अकृष्ण श्रमिक | 4.45 रुपये से 6.50 रुपये प्रतिदिन |
| अद्वंकुशल श्रमिक | 5.56 रुपये से 8.12 रुपये प्रतिदिन |
| कुशल-लिपिक श्रमिक | 7.12 रुपये से 10.40 रुपये प्रतिदिन |
| उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिक | 8.90 रुपये से 13.00 रुपये प्रतिदिन |

उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की दूसरी अनुसूची में ही कृपि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण मम्मिलित है। कृपि में न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण अधिकांशतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की शिकायत की जाती रही है कि कुछ मायकों में मजदूरी की दरों का फी कम है। अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के लायू न किए जाने के बारे में भी शिकायतें हुई हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि वे पुनरोक्तण का काम करें ताकि मजदूरी की उचित दरों सुनिश्चित हो और साथ ही उतको कारगर फग से लायू करने के लिए कार्यवाही भी की जाए। केन्द्रीय सरकार के फार्मों, संनिक फार्मों तथा बहुत सी व्यान्य स्थानों से सम्बन्धित फार्मों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गई है।

वस्तुतः ओपोनिक श्रमिकों की तुलना में कृपि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि—

1. कृपि श्रमिकों के मजदूरी सम्बन्धी अंकडे सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते,

1 प्रतिवेदिता विकास : फरवरी, 1987, पृष्ठ 30.

2 थम मन्त्रालय, भारत सरकार : वार्षिक रिपोर्ट 1976-77.

2. कृषि श्रमिकों के मजदूरी के कार्य के घट्टे निश्चित करने कठिन हैं क्योंकि अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग समय लग जाता है,

3. मजदूरी का मुग्धतान ग्रामीण दोशों में नकदी के साथ-साथ बस्तु में भी किया जाता है,

4. भारतीय किसान अधिकारित है यह मजदूरी, उत्पादन, कार्य के घट्टे आदि के सम्बन्ध में रिकार्ड नहीं रख सकते, एवं

5. इस सम्बन्ध में ऐसे संसानों की भी कमी है जो कृषि श्रमिकों की मजदूरी सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र करने का अभियान सनाएँ।

देश में कृषि श्रमिकों वीं न्यूनाम मजदूरी निर्धारित करने में एक बड़ी वाधा इसनिए आती है कि अधिकांश जोते छोटी हैं जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना अव्यक्तिनीय है। दूसरी ओर बड़ी जोतों पर इसे लागू करने से जोतों के अपनाण्डन का भय रहता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कृषि-दोष में व्यावहारिक बनाने के लिए अाधिक जोतों और कृषि श्रमिकों के सार्वित होने की योजना पर हेजी से अमल करना होगा।

नए बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन¹

नए बीस-सूत्री कार्यक्रम की मद सह्या 5 के कार्यान्वयन के अन्तर्गत कृषि में नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी मिक्किम, अरण्याचल प्रदेश, मिजोरम और लक्ष्मीप को द्योडकर थोप मध्मी राज्य सरकारों व संघ-राज्य क्षेत्रों ने निर्धारित की है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी मिक्किम में लागू किया जाना है लेकिन अरण्याचल प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को प्रकाशन के आदेशों के अधीन निर्धारित किया गया है। यह सूचित किया गया है कि मिजोरम और लक्ष्मीप में कृषि श्रमिकों की सख्त नगद्य है, इसलिए वहाँ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना अनिवार्य नहीं समझा गया है।

जुलाई, 1980 में हुए थम मन्त्री सम्मेतन के 31वें सत्र में सिफारिश की गई कि कम से कम दो वर्षों में एक बार या उपमोक्षा मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइटो की वृद्धि होने पर इनमें से जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य सरकारों व संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि वे कृषि में नियोजन के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा करने के लिए आवश्यक बदल उठाएं। इस सामर्जे की तेजी से एवं भी की गई। इन प्रशासनों के फलस्वरूप 1980 में 27 राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है। केंद्रीय सरकार ने कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में 1980 से न्यूनतम मजदूरी दरों में पांच बार मंशोधन किया है। इन दरों में मन्त्रिमंथ वार संशोधन 12 फरवरी, 1985 को किया गया था।

1 भारत सरकार, थम मन्त्रालय: कार्यिक खिंच 1985-86, १३५ ५.

कृपि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को बेहतर और प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से, मन्त्रालय के परिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों का दोरा कर रहे हैं ताकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने व उनमें मंशोचन करने तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को लागू करने के लिए की गई व्यवस्था का गहन अध्ययन किया जा सके और उनमें सुधार करने के उपायों के सुझाव दिए जा सके। थम मंत्रालय के अधीन थम व्यूरो भी कुछ राज्यों में कृपि श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने में ही प्रगति सम्बन्धी मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है।

थम सम्बन्धी 20-मूँची कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए थम सचिव की अध्यक्षता में अन्तविभागीय बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। इस बैठक में योजना आयोग, शृह मनात्म, ग्रामीण विकास विभाग और तीन राज्यों के प्रतिनिधियों को बारी-बारी से आमत्रित किया जाता है। अब तक ऐसी 19 बैठकें की जा चुकी हैं।

चार राज्यों अर्थात् राजस्थान, मध्य प्रदेश, उडीसा और मणिपुर में कृपि में न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू करने के लिए राज्यों में प्रवर्तन नन्द मुहूर्ड करने हेतु प्रायोगिक आधार पर केन्द्र द्वारा सचालित एक योजना गृह की जा चुकी है। इस योजना में उत्तराखण्ड में 200 ग्रामीण थमिक नियुक्त करने की परिकल्पना की गई है जिनमें अनुमूलिक जाति/अनुमूलिक जनजाति के 70 प्रतिशत से अधिक कृपि थमिक हैं। इस योजना को धीरे-धीरे अन्य राज्यों में लागू करने का प्रस्ताव है।
ग्रामीण थमिकों की स्थिति

भारत सरकार के वायिक सन्दर्भ अन्य 'भारत 1985' में ग्रामीण थमिकों के सम्बन्ध में जो विवरण दिया गया है, वह इस प्रकार है—

समय-समय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों और ग्रामीण थमिकों से की गई पृष्ठतात्त्व में पता चला है कि विभिन्न कानूनी और अन्य योजनाओं का ताभ ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुँचा है। इसका मरुप कारण यह है कि ग्रामीण थमिकों में संगठन की कमी है। सरकार ने महसूम किया कि ग्रामीण थमिक उचित ढंग में जिल्हित और समाजित होकर ही आर्थिक विकास से सामाजिक ताभ प्राप्त कर सकते हैं। अत ग्रामीण थमिकों को समाजित करने के लिए व्यष्ट स्तर पर मानव संयोजकों को नियुक्त करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। राज्य सरकारें इस योजना को लागू कर रही हैं और प्रत्येक संयोजक को 200 रुपये प्रतिमाह मानदेय और 50 रुपये प्रतिमाह याचा भत्ता दिया जाता है। संयोजक थमिकों को उनके अधिकारों और वर्त्तन्यों के बारे में जिल्हित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि संगठन का बया महत्व है। इसने थमिकों को महाकारी समितियों, मजदूर सघों और अन्य प्रकार के संगठन कार्यम करने में मदद मिलती है।

1983-84 के दौरान यह योजना 9 राज्यों के 595 खण्डों पर लागू कर दी गई। इनमें से 415 खण्डों में यह योजना पहले ही लागू कर दी गई थी।

1984-85 के दोगत 14 राज्यों के 1,000 लण्ठों में यह योजना लागू की गई है। इसमें पहले बाले खण्ड भी शामिल है। अब तक 777 मानव ग्रामीण संयोजक नियुक्त किए गए हैं।

सरकार ने अब तक चार अधिल भारतीय ग्रामीण धर्मिक सर्वेक्षण किए हैं। पहले दो सर्वेक्षण, जिन्हे खेतिहार धर्मिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1950-51 तथा 1956-57 में किए गए। अन्य सर्वेक्षण, जिन्हे ग्रामीण धर्मिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1963-65 में तथा 1974-75 में किए गए। अन्तिम दो सर्वेक्षणों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया तथा उसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू धर्मिक भी शामिल कर लिए गए।

ग्रामीण धर्मिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य के अन्तर्गत में ग्रामीण खेतिहार मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य मूच्छकांक की तुलनात्मक सारणी तैयार करना और कृषि/ग्रामीण घरेलू धर्म की महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक विशेषताओं के विश्वसनीय तथा अद्यतन अनुमान तैयार करना तथा उनके प्रवाह एवं परिवर्तन का अध्ययन करना है। इन सर्वेक्षणों में एकत्रित आंकड़े जनसांख्यकीय सरचना, रोजगार तथा बेरोजगारी की सीमा, आय, घरेलू उपभोग खर्च, व्यरुण आदि के साथ-साथ नवीननयन सर्वेक्षण खेतिहार मजदूरों में शिक्षा, मजदूर सघ तथा अन्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (तथा इसके अधीन निश्चित की गई मजदूरी) से सम्बन्धित हैं।

जून, 1975 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 29वें दौर के साथ दूसरे ग्रामीण सर्वेक्षण के क्षेत्रगत कार्य का समाप्ति किया गया। क्षेत्रों से प्राप्त सर्वेक्षणों की छठनी के पूरा हो जाने पर सारणियाँ बनाने का काम शुरू किया गया। इनके प्राधार पर सभी रिपोर्टें (तीन संक्षिप्त तथा चार विस्तृत) जारी कर दी गई हैं।

ग्रामीण धर्मिक सर्वेक्षण का एन.एस.ओ. के प्रत्येक पाँच साल में परिवर्तित रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण के साथ समाप्ति कर दिया गया है। तदनुसार रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण, (32वाँ चक्र जुलाई, 1977 से जून, 1978 तक) में ग्रामीण खेतिहार तथा घरेलू धर्मिकों से सम्बन्धित लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे जो ग्रामीण धर्मिक सर्वेक्षण 1974-75 में आते थे। इस दौरान सकलित आंकड़ों पर कार्य चल रहा है। 1983 के दौरान (एन.एस.ओ. का 38वाँ चक्र) सम्पूर्ण प्रवन्ध के अधीन अनुदर्ती चक्र चल रहा है।

कृषि धर्मिकों की कम मजदूरी के कारण

देश के सभी राज्यों में कृषि मजदूरी की स्थिति दयनीय है। कृषि धर्मिकों को कम मजदूरी मिलने के प्रधान कारणों को डॉ. सरमेना ने इस प्रकार गिनाया है—

- (i) बच्चों की मजदूरी न करने के सम्बन्ध में किसी सञ्चियम का अभाव,
- (ii) जमीदार, जागीरदार, मालिगुजारी, इस्यादि भू-पतियों द्वारा करण का देना और उनको जीवन भर दबाए रखना,

- (iii) कृषि श्रमिकों के संगठन के अभाव और उनका अलग-अलग माँदों में विवरा होना,
- (iv) उनको केवल कृषि के माँदम में ही मजदूरी मिलना,
- (v) छोटे बग्गे में जन्म लेने के कारण सामाजिक दबाव, तथा
- (vi) कृषि श्रमिकों में अशिक्षा, अज्ञानता एवं रुदिवादिता।

कृषि श्रमिकों का निम्न जीवन स्तर और उनमें सुधार की आवश्यकता

भारत में कृषि श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। निम्न आय और अर्हायस्तता के कारण भारतीय कृषि श्रमिक सदियों से दयनीय जीवन विता रहे हैं। हृषि-अम, जो मुझ्यनः आर्थिक एवं सामाजिक इटि में पिछड़े बग्गे द्वारा उपनिषद् कराया जाता है, निम्नलिखित चार बग्गे में विभाजित किया जा सकता है—

- (क) जमीदारों में बैंध हुए भूमिहीन श्रमिक,
- (ख) व्यक्तिगत रूप में स्वतन्त्र, किन्तु पूर्णतः औरों के लिए काम करने वाले भूमिहीन श्रमिक,
- (ग) छोटे किमान जिनके अधीन अत्यन्त छोटे-छोटे खेत हैं, ये अपना अधिकांश समय औरों के लिए काम करने में लगते हैं, और
- (घ) वे किसान जो आर्थिक इटि से पर्याप्त जोतो के स्वामी हैं किन्तु जिनके एक-दो लड़के या आश्रित अन्य समृद्ध किसानों के यहाँ काम करते हैं।

जैसा कि इददत एवं मुन्दरम् ने निखा है कि—

इनमें प्रथम बग्गे के श्रमिकों की स्थिति बहुत कुछ दासों या गुलामों की सी है। इन्हे बन्धुआ श्रम (Bonded Labour) भी कहते हैं। इन्हे आम तौर पर मजदूरी पैसे के रूप में नहीं, बस्तु के रूप में मिलती है। इन्हे मालिकों के लिए काम करना पड़ता है। ये अपने स्वामी की नौकरी छोड़कर अन्य स्वामी के अधीन काम करने के लिए स्वतन्त्र नहीं होते। इन्हें बैगार भी करनी पड़ती है। कभी-कभी उन्हें अपने स्वामियों को नकद धन और मुर्गे, बकरियाँ आदि भी मेंट करने पड़ते हैं। उपर्युक्त बग्गे में, दूसरे और तीसरे बग्गे के श्रमिकों का काफी महत्व है। भूमिहीन श्रमिकों की समस्या सर्वोदयिक विकास समस्या है।

कृषि श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर का विवर खोचते हुए डॉ. सर्वेना ने लिखा है कि—एक समझ रुक्ख-सूखा खाने वाले, दूटी-फूटी साधारण कुटिया में निवास करने वाले, अर्हायस्त एवं कई घण्टों तक अस्वस्थ परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिकों में हम जीवन बसर करने की ही आज्ञा मात्र कर सकते हैं। कृषि श्रमिकों के पारिवारिक बजटों के अध्ययन से स्पष्ट पता लगता है कि मात्रा एवं गुण दोनों ही इटियों से उनका भोजन प्रत्यन्त निम्न कोटि का होता है। प्रतीनी आय का 75% ये भोजन पर ही व्यय कर देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आरोपदायक पदार्थों पर व्यय करना उनके लिए आकाश के चाँद को पृथ्वी पर लाने के

समाज असम्भव है। विलासिता के पदार्थों का उपभोग उनके लिए स्वप्न मात्र है। 1980-81 में कृषि मजदूरों परिवार का ग्रीसत वार्षिक उपभोग व्यय 618 रुपये था। परिवार की ग्रीसत वार्षिक आय के 433 रुपये होने के फलस्वरूप प्रदेश परिवार को 181 रुपये का घाटा रहा जो बहुत कुछ पिछली बचतों तथा ब्रह्मणा आदि से पूरा हुआ।

कृषि श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के कारण

कुल मिलाकर कृषि श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर अब तकी हीन आर्थिक दशा के कारण ये हैं—

1. अधिकांश कृषि श्रमिक सुदीर्घकाल से उपेक्षित और दलित जातियों के सदस्य हैं। निम्न सामाजिक स्थिति के कारण भी दबग बनने का साहस नहीं रहा और उनकी स्थिति सदियों से निरीह मूक पशुओं की सी रही है।

2. कृषि श्रमिक अनपढ़, अजागरूक और असगठित है। वे अपने को धर्म संघों के रूप में सगठित नहीं कर पाए हैं। फलस्वरूप श्रम संघों के लाभों से बचत है और मजदूरी के सवाल को लेकर सौदेबाजी नहीं कर पाते।

3. कृषि श्रमिक जहाँ प्रस्त हैं। 'कृषि श्रम जाँच समिति' के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों के लगभग 45% परिवार जहाँ प्रस्त हैं और प्रति परिवार ग्रीसत जहाँ का अनुमान 105 रुपये है। समिति के अनुसार कृषि श्रमिकों का कुल जहाँ व्यवधारणा 8 लाख रुपये है, किन्तु वास्तव में उनकी जहाँप्रस्तता इससे कई गुना अधिक है।

4. कृषि श्रमिकों को पूरे वर्ष लगातार काम नहीं मिल पाता। डितीव श्रम जाँच के अनुसार कृषि श्रमिकों को साल में 197 दिन ही काम मिल पाता है, और शेष समय उन्हें बेकार रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार के अनावा धेकारी भी है। अल्प रोजगार और बेकारी दोनों भारतीय कृषि श्रमिकों की कम आय तथा हीन आर्थिक स्थिति के लिए उत्तरदायी है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि व्यवसायों की कमी भी श्रमिकों की कम मजदूरी तथा हीन आर्थिक दशा का मुख्य कारण है। गैरों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ भूमिहीन श्रमिकों की सख्ती तेजी से बढ़ रही है जबकि गैर-कृषि व्यवसायों की कमी और भौगोलिक मनिशीतता में कमी के कारण भूमि पर आबादी का दबाव अधिकाधिक होता जा रहा है।

कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए सुझाव

कृषि श्रमिकों की दशाओं में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। इस दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर विभिन्न सुझाव दिए जाते रहे हैं, जिनमें से कुछ मुख्य ये हैं—

1. कृषि दारसता, जो भारत के बहुत से भागों में विद्यमान है, समाप्त की जानी चाहिए। वन्धुआ श्रम के उन्मूलन और 20 सूची आर्थिक-कार्यक्रम के अधीन

जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें कृषि वापसी समाप्त होने के आसार काफी बड़गए हैं।

2 कृषि महिला श्रमिकों को सरकार दिया जाना आवश्यक है। इर्लैंड, इस्ट, अमेरिका, कनाडा आदि पिक्सित देशों में कृषि महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए अतेक वैधानिक व्यवस्थाएँ की गई हैं और भारत में भी उन्हीं आधारों पर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि डॉ मुखेन्द्रना ने लिखा है कि बालक के जन्म से दो माह पूर्व और 1 माह बाद तक महिला श्रमिकों में कोई काम नहीं लिया जाना चाहिए। बच्चे को दूध लिलाने तथा लिजाने के लिए बीच में कम से कम आधे घण्टे का अवकाश देना चाहिए। यामीण लेत्रों में बात कल्याण एवं प्रसूति केन्द्रों की स्थापना में भी वृद्धि होनी चाहिए। यहीं नहीं गर्भ वारण के काल में सरकार की ओर से निषुल्क चिकित्सा तथा कुछ आर्थिक महायता की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

3 कृषि बाल श्रमिकों का शोपण रोकने के लिए उन्हें समुचित सरकार दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ मुखेन्द्रना ने ये सुझाव दिए हैं—(i) कठिन कार्यों के बाल श्रम के उपयोग पर प्रतिवर्त्य लगा देना चाहिए। इसी प्रकार यत्तरे के कामों में भी बाल श्रम का उपयोग नहीं होना चाहिए, (ii) बच्चे को सम्बाह में एक दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए, (iii) शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था ऐसी हो कि 6 वर्ष से ऊर की आयु वाले बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य हो, (iv) बच्चों के लिए स्कूलों में एक निश्चित उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, (v) स्कूलों के पढ़ाई के घण्टों में बच्चों को काम पर लगाए जाने का पूरा प्रतिवर्त्य होना चाहिए, (vi) कमन बोने और काटने के सभी यामीण पाठ्यालालों व स्कूलों को बन्द कर देना चाहिए।

4 कृषि लेत्र में न्यूनतम मन्दूरी नियमों को विद्या ढाग से लागू किया जाना चाहिए। बंजाब को छोड़कर देश के अन्य भागों में कृषि श्रमिकों को वहाँ कम मन्दूरी मिलती है। केवल न्यूनतम मन्दूरी अधिनियम बना देना ही काफी नहीं है, उसे लागू करने के उपाय प्रभावी रूप में किए जाने चाहिए। यह बात ध्यान में रखनी होती कि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मन्दूरी अधिनियम बन चुके हैं किन्तु उन्हें उचित रूप में लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ हो रही हैं।

5. भूमिहीन कृषि श्रमिकों की पुनः दसाने के लिए आवश्यक बदल उठाए जाने चाहिए। जैसा कि सदवत एवं नुन्दरस् ने लिखा है—कृषि श्रमिकों को भूमि देना आवश्यक है। इसके अनेक ढाग हो सकते हैं, जिनमें एक यह है कि नई सुधारी भूमि के बल बौट दी जाए। दूसरा उपाय यह है कि विद्यमान भूमि को ही सब लोगों में फिर बौट दिया जाए। ऐसा स्वेच्छा से ही हो सकता है और बलात् भी। भू-दान आन्दोलन का उद्देश्य भू-पतियों में स्वेदितक रूप में जमीन दिलाना है। अन्य उपाय है—जोत की अधिकतम सीम द्वा निर्धारण ग्रांट

सरकारी खेती। इन उपर्योग से भूमिहीन अभिक भूमि प्राप्त करके अपनी आधिक दशा मुघार सकते हैं।

6. कृषि कार्य बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए सघन खेती तथा सिवाई विस्तार दोनों की अत्यन्त आवश्यकता है। इन उपर्योग से दोहरी कमन होने लगेगी फलस्वरूप अभिकों को पूरे बर्य काम मिल सकेगा। अभिक भी उत्पादिना में भी वृद्धि होगी जिससे उसकी मजदूरी भी बढ़ेगी। ग्रामीणों का प्रसार भी बहुत आवश्यक है ताकि ग्रामीण जनता को काम मिल सके।

7. सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। सरकार को गाँवों में अपनी परियोजनाएँ इस ढंग से अमन में लानी चाहिए कि रीते मौसम (Off season) में लानी अभिकों को काम मिल सके।

8. सरकारी खेती का विकास किया जाना चाहिए ताकि छोटे-बड़े किसानों में पाइ जाने वाली विप्रमता मिट सके।

खेतिहर मजदूरों पर सरकारी कार्यनीति और कार्यान्वयन की एक समीक्षा

भारतीय आर्थिकवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता गाँवों में रहने वाली एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो मुख्य रूप में कृषि पर निर्भर रहती है। शहरों के प्रति बहते ग्रामीण अनुराग के बावजूद आज भी एक बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है। ग्रामीण समाज में एक बहुत बड़ा अनुपात ग्रामीण अभिक वाले होता है जिसमें से अधिकांशतः खेतिहर मजदूर होते हैं। यह अभिक आमतौर से गाँवों के निम्न व कमज़ोर वर्गों के होते हैं। ये लोग फसलों के उत्पादन का कार्य करते हैं।

समय के माध्यमें इनकी ममता में कोई घिरावट नहीं आई प्रतिशुल्क यह बढ़ती ही चली गई। 1961 में देश में 3.15 करोड़ खेतिहर मजदूर थे जो कि 1971 में 4.75 करोड़ तक पहुँच गए अर्थात् 10 वर्षों में 1.60 करोड़ खेतिहर मजदूरों में वृद्धि हुई। इसके बाद 1981 में यह संख्या बढ़कर 5.4 करोड़ तक पहुँच गई। हालांकि यह संख्या बहुत है पर सन्तोष की बात यही रही कि बढ़ोतरी की संख्या 1961-71 की अवधि से काफी कम हो गई। वैसे इसमें एक बड़ा योगदान 1971 की जनगणना में ली गई अभिक परिभाषा का भी रहा। 1961 में अपने पुरुषों के साथ खेती पर काम करने वाली महिलाओं को कृपक वर्ग में रखा गया था जबकि 1971 में उन्हें मूल रूप से गृहिणी माना गया जिनका कि सहायक व्यवसाय कृषि था। फिर भी हमें इस बान को नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से 1981 के मध्य जनसंख्या में 24.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या 54.79 करोड़ से बढ़कर 68.79 करोड़ तक जा पहुँची।

इसके बाद आते हैं बहुत छोटे किसान, जिनकी आय का प्रमुख साधन कृषि जोतों के बहुत छोटे होने के कारण मजदूरी है। अतः वे दूसरे की भूमि पर

मजदूरी करते हैं या दूसरों की भूमि को ठेके पर लेकर खेती करते हैं या बटाई पर खेती करने हैं। राष्ट्रीय थम आपोम ने उन्हें भी खेतिहार मजदूर माना है। इनकी सूख्या 1961 में 9 95 करोड़ थी जो 1971 में घटकर 7·82 करोड़ रह गई पर अभने दस वर्षों में उसमें फिर बढ़ि दुई ग्रोर यह सूख्या 9 14 करोड़ पर जा पहुँची।

हालांकि यह भारत की जनसूख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है पर उसमें अभी वे लोग शामिल नहीं हैं जो इन पर आधित हैं। ऐसे कुन मिलाकर डाकी मस्त्या बहुत ही अधिक हो जाती है। इसके बावजूद ये आज अत्यन्त गरीबी का जीवन व्यनीत कर रहे हैं। इनकी मिति बहुत ही कमजोर व दृश्यनीय है। जिन्तु गी के हर थोक में इन्हे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था का यह अत्यन्त पिछड़ा हुआ दिस्सा है। इनकी समस्याओं का हूँ ढूँढ़े विना देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना असम्भव है।

आज अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो इनके ऊपर समस्याओं का पहाड़ खड़ा हुआ है। बहुत-सी जगह इनकी हानत गुलामों से बदतर होती जा रही है। इनसे जानवरों की तरह काम लेकर अत्यन्त कम मजदूरी दी जा रही है जो कि इन्हें नकद व वस्तुओं के रूप में मिलती है। हालांकि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है फिर भी इसका पालन बहुत कम लोग ही करते हैं। वैसे अभी हाल ही में स्वायी थम समिति ने देश के सभी भागों में समान मजदूरी की बात मान ली है। समिति की दो दिनों तक चली बैठक में अन्त थम राज्य-मन्त्री पी.ए. संगमा ने कहा कि वर्तमान मीजूद थम-शक्ति में 10 प्रतिशत असंगठित थोक हैं और इस फैमले में उन्हें निश्चित ही लाभ पहुँचेगा। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी में सभानता के लिए थोक को 6 भागों में बांटा गया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को न्यूनतम मजदूरी तय करने के सम्बन्ध में कुछ दिग्ग-निर्देश दिए हैं। केन्द्रानुसार न्यूनतम मजदूरी गरीबी रेखा के ऊपर होनी चाहिए। जिन राज्यों में अभी दरों को नया नहीं किया गया है उन्हें तुरन्त करने को कहा है। माथ ही न्यूनतम मजदूरी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश भी दिया है। किन्तु अब सबाल यही उठाना है कि सरकार डारा किए गए इस फैमले को आखिर कितनी गम्भीरता में लिया जाना है। केवल मात्र घोपणा करने व निर्देश देने से तो समस्या हल नहीं होती। इस दिग्ग में जल्दी ही कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब आया जाए इन लोगों की कार्यदग्धाओं पर जो कि बहुत ही ज्यादा अनुविधाजनक है। बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में इन्हें काम करना पड़ता है। कार्य-घण्टे अनिश्चित होते हैं। अवकाश व अन्य सुविधाओं का अभाव रहता है। साथ ही इन लोगों का जीवन स्तर भी काफी नीचा है। ये लोग अपनी आय का 75 प्रतिशत से भी अधिक भाग खाली पड़ायें पर ही खर्च कर देते हैं। कपड़े, मकान, चिकित्सा व अन्य सुविधाओं का अभाव ही सदैव ही बना रहता है।

एक और समस्या ब्रह्मग्रस्तता है। प्रतिक्रीयत खेतिहर मजदूरों को प्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रह्म लेना पड़ता है। वैसे पास्तोर पर ये लोग ब्रह्म सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे विदाह, भोज, जन्मोत्सव इत्यादि को पूरा करने के लिए लेते हैं। इन लोगों में अधिक्रीयतः दण्डन व उपेक्षण जातियों के सदम्य होते हैं जिससे इनकी सामाजिक वित्त बहुत नीची होनी है।

हालांकि स्थिति दुरी है पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने उनके लिए ममता-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं व कार्यक्रमों का निर्माण किया है।

आजादी के बादन से ही इस दिशा में प्रयत्न शुरू हो गए थे। 1951 में प्रथम खेतिहर धम जाँच समिति बनी जिसने प्रभागी समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया व कफलतों के उत्पादन कर रहे व्यक्तियों को खेतिहर मजदूर बताया। 1955-57 में द्वितीय खेतिहर धम जाँच समिति ने इस शैश्वरी में उन मजदूरों को भी जागित कर लिया जो खेती के अतिरिक्त ग्रन्थ कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन, वामवानी इत्यादि करते हैं।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 1948 में कृषि-सुवार समिति की सिफारिश के आधार पर प्रथम पचवर्षीय योजना में मध्यस्थों को समाप्त कर दिया गया। अब तक तो सभी राज्यों में अधिनियमों के माध्यम से मध्यस्थों का अन्त हो चुका है। कफलतव्य 2 करोड़ से अधिक काश्तकार भूमि के रखरं मालिक बन गए हैं। ये मध्यस्थ देश के 40 प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए थे। मध्यस्थों की समाप्ति से काश्तकारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मध्यस्थों की समाप्ति से लगभग 57.7 लाख हैक्टेयर भूमि को एक करोड़ काश्तकारों में बांटा गया है। मध्यस्थों को भूमि के बदले क्षतिपूर्ति का युगतान कुछ नकद व कुछ बाण्डों के रूप में किया गया है। विशेषत खोटे किसानों को नकदी में युगतान किया गया। बाण्डों में 2.5 प्रतिशत वापिक दर से व्याज भी दिया गया है।

कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए भारत में लगभग सभी राज्यों में काश्तकारी कानूनों में सुधार किए गए हैं। उन सुधारों में भू-स्वामित्व की सुरक्षा तागान में कमी, स्थायी सुधारों हेतु मुश्तकजे की व्यवस्था की गई है।

प्रथम पचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने मिफारिश की थी कि अधिकतम लगान कुल उपज का 1/4 या 1/5 भाग तक हो। द्वितीय व तृतीय योजनाओं में भी इस पर अधिक बन दिया गया। परिणामतव्य लगभग सभी राज्यों ने कानून में संशोधन कर लगान की दरें कम कर दी व लगान की व्यवस्था दर निश्चित कर दी। सभी राज्यों में दर एक समान नहीं है।

जमीदारों के दबाव से ऐच्छिक परित्याग के बहाने काश्तकारी की वेदवस्ती हुई। इस वेदवस्ती को रोकने व भू-धारक को सुरक्षा प्रदान बनने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कानून बना लिए गए व भू-धारक को सुरक्षा प्रदान कर उसे स्थाई स्वामित्व प्रविकार प्रदान किया गया। इसमें एक तरफ समान सामाजिक वितरण में सहायता मिली।

दूसरी ओर उत्पादन में भी वृद्धि हुई। लगान के प्रभावी नियमन के लिए काश्तकारों को पट्टै दारी की सुरक्षा प्रदान की गई। द्वितीय योजना में कहा गया कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ भूमि का पुनर्गण्डण सम्भव नहीं, काश्तकार की भूमि का मालिक बना दिया जाए। काश्तकार को भू-स्वामी बनाने के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्था को व सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा से भूमि के पुनर्वितरण को यथासम्भव सीमित रखा गया। इस प्रथत्न से कृपि मज़दूर व किसानों को सर्वोधिक लाभ मिला।

भूमि के व्यायपूर्ण वितरण हेतु कृपि जोतों की सीमा का निर्धारण किया गया व इस सीमा निर्धारण से जो अनिरिक्त भूमि प्राप्त हुई उसे भूमिहीन कृपकों तथा वैदेखित कृपकों में बांटा गया।

‘स्वतन्त्रता’ के बाद कृपि पुनर्गठन कार्यक्रमों में चकवन्दी भूदान आन्दोलन कानून व्यवस्था व सरकारी कृपित आते हैं। चकवन्दी के अन्तर्गत भूमि के बिखरे हुए टुकड़ों को एकत्रित किया गया। मह हमारी कृपि का मुख्य दोष है। इससे कृपि उत्पादन में बाधा तो पहुँचती ही है साथ ही किसान का समय व थम भी बरबाद होता है। स्वतन्त्रता के बाद कानूनी रूप से ग्रनिवार्य चकवन्दी का कार्य कई राज्यों में प्रारम्भ किया गया।

योजना आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्यों द्वारा भूमि तत्त्वों तथा अधिकारों का सही रिकार्ड रखा जाना चाहिए तथा राजस्व विभाग के प्रशासन को मज़बूत रखना चाहिए। कई राज्यों में भूमि बन्दोबस्त विभाग की स्थापना की गई। योजनाओं में भूमि प्रबन्ध सुधार पर पर्याप्त जोर दिया गया जिसके फलस्वरूप बंजर भूमि के उपयोग उत्तम बीजों व अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रयोग बढ़ा।

चोटे-चोटे भूमि के टुकड़ों को भिलाकर समुक्त खेती करना व इससे वैज्ञानिक उपकरणों व मुखियाओं का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है। सरकार ने ऐच्छिक महकारी खेतों को बढ़ावा देने के लिए विनीय सत्रायना, लगान व आयकर में रियायतें दी व एक राष्ट्रीय कृपि सलाहकार बोर्ड का निर्माण किया। पचवर्षीय योजनाओं में सहकारी कृपि पर अधिक जोर दिया गया।

दिभिन्न राज्यों में भी इन्हें काफी प्रोत्साहन मिला। मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य विकास अधिकारी ने विस्थापित व्यक्तियों को वसाने के लिए महकारी कृपि समितियों को भगठित किया। मैसूर राज्य में नुंगभद्रा सिचाई परियोजना के क्षेत्र में इनका विकास हुआ। आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी योदावरी व कृष्णा जिले में सहकारी कृपि समितियों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया।

भूमिहीन मज़दूरों को बसाने हेतु 1951 में आचार्य विनोद भावे के नेतृत्व मूदानमें आन्दोलन पारम्भ किया गया। इसमें स्वेच्छा से प्रत्येक भू-स्वामी से 1/6 भूमि दान में बौद्धी गई। हालांकि इसमें जो भूमि प्राप्त हुई उसमें से अधिकांश भूमि बंजर, सिचाई-रहित व भगड़े की है।

जनता पार्टी के विवटन के बाद इन्दिरा गांधी के सत्तारूढ होने पर 20-सूची कार्यक्रमों में भूमि सुधारों की जगह राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम व एकीकृत ग्राम

विकास पर जोर दिया गया जिन्हे कि ग्रामीण जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रमुख साधन माना गया।

उस समय 1981-82 तक सभी राज्यों ने काशनकारों को भूमि स्वामी बनाने का कानून बनाने की घोषणा की थी पर कही भी ऐसा नहीं हुआ। 31 मार्च, 1983 तक हृदवन्दी (चकवन्दी) से बची हुई भूमि को पूर्ण रूप से वितरण करने को कहा था। उसकी तारीख भी 31 मार्च, 1985 तक बढ़ा दी पर तब भी यह कार्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ। वैसे पांचवीं व छठी पञ्चवर्षीय योजना में कृषि भूमि की हृदवन्दी सम्बन्धी कानून लागू हो चुके हैं फिर भी इसमें हृद का अधिक होना एक बहुत बड़ा दोष है। सातवीं पञ्चवर्षीय योजना की एक जानकारी के अनुसार देश का भूमि भण्डार 1 करोड़ 70 लाख हैटेयर दृष्टि योग्य परती भूमि य 2 करोड़ हैटेयर पुरानी और तर्तमान बजर भूमि को शामिल करने से बढ़ाया जा सकता है। इस तरह करीब 3·5 करोड़ से 4 करोड़ हैटेयर तक कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है। भूमिहीन मजदूरों के लिए निश्चय ही यह वरदान साधित हो सकती है। हाल ही में प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित 20-सूची कार्यक्रम में एक बार पुन भूमि सुधारों को प्रमुखता प्रदान की गई है। यह निश्चय ही बहुत खुशी की बात है।

इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति से लेकर अभी तक विकास के उद्देश्य से भूमि-सुधारों के लिए हर तरह से प्रयत्न किए गए किन्तु वे परिणाम सामने नहीं आए जो आने चाहिए थे, वयोंकि उनमें बहुत-सी कमियाँ रह गई थीं।

पहली बात तो भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो अनेक नियम बनाए गए थे वे दोपूर्ण हैं। कानून के अनुसार जमीदारी-प्रथा को समाप्त कर लेतिहर मजदूरों को भूमि का मालिक बनाया गया लेकिन बास्तव में आज भी वह भूमि का मालिक नहीं है। आज सरकारी कर्मचारी, नेतागण, महाजन, व्यापारी तथा उद्योगपति नए जमीदारों के रूप में उभर रहे हैं।

भूमि सुधार हेतु सरकार ने कानूनी व्यवस्था तो बना दी है लेकिन उसका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाया है व इसके द्वारा बनाए गए कानून भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। जोत की सीमा भी प्रत्येक राज्य में अलग-अलग तिथियत की गई है। चकवन्दी कानून भी प्रनिवार्य न होकर ऐच्छिक बनाए गए हैं। खुदकाशन के अधिकार में यह व्यवस्था की गई है कि यदि जमीदार चाहे तो खुदकाशन के लिए अपनी जमीन वापिस ले सकता है। हालांकि इसमें कई बार सुधार बरने को कहा गया है व समय-समय पर इसमें सुधार भी हुआ है पर उसकी गति बहुत ही धीमी है। आप धीमी गति का अन्दाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार में 1948 में भारत के अन्तर सर्वप्रथम एक कानून बना जो कि 22 वर्षों बाद कार्यरूप में लागू किया गया।

जनता भूमि सुधार कार्यक्रम से बचने की कोशिश करती है। काशनकारों की अशिक्षा के कारण वे न तो कानून जानते हैं और न अपने शोषण से बचने के लिए

कानून की शरण लेते हैं। इस कारण वाइटकारो के शोपण का मही पता नहीं लग पाता है।

लाल फीताजाही व नौकरजाही के कारण भी भूमि सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। देश का प्रशासन भ्रष्टाचारी होने से कानून बने ही रह जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक पक्षों से भू-सुधार के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण होने से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। जैसे चौधरी चरणमिह का मानना है कि छठे ग्रोर सातवें दशक के भूमि सुधारों के बाद अब गाँवों में भूमि वितरण की कोई खास गैंजाइश नहीं है। किन्तु ऐसा नहीं है। मैंने ऊपर ही सातवीं वर्षीय योजना के 'एप्रोच पेपर' द्वारा दी गई जानकारी बताई है। देश में अभी तो साड़े तीन से चार करोड़ हैं क्षेत्रफल तक हृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो सकती है जो कि कुल हृषि योग्य भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा हो सकती है। सो जद तक ठोस रूप में एक विचारधारा नहीं होगी, कार्यक्रम सफल नहीं होगे।

देश में जौत की न्यूनतम सीमाएं निर्धारित करने सम्बन्धी कानून नहीं बनाए जाने के कारण भूमि के उप विभाजन, अपस्थिति, हस्तान्तरण आदि की समस्या आज भी बनी हुई है।

वैसे दोपतो हर व्यवस्था में निकाले जा सकते हैं। बस जल्हरत इसी बात की है कि भूमि सुधार में व्याप्त भ्रष्टाचार को बठोरता के साथ समाप्त किया जाए। सरकार को कड़ाई से नियमों का पालन करना चाहिए। बास्तविक खेतिहार मजदूरों को भूमि विलवानी चाहिए। भूमि सुधारों को लागू करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न रिया जाए। नर्वाधिक महत्वपूर्ण नव्यता तो यह है कि ऐसा सब कुछ करने से पहले सरकार किती भी तरह के राजनीतिक लाभ की परवाह न करे।¹

बन्धुआ मजदूर : मुक्ति की चुनौतियाँ²

केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय के भूतपूर्व महानिदेशक (श्रमिक कल्याण) श्री राक्षमीधर मिश्र ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग के सदस्य के रूप में बन्धुआ मजदूर प्रणाली के अन्वेषण के लिए ग्यारह राज्यों का दौरा किया। उन्होंने अपने लेख में बन्धुआ मजदूर प्रणाली के मामाजिक, आधिक आदि पहलुओं पर प्रकाश ढाला है और इनके कानूनी निहिताथों का भी वर्णन किया है। उनके विचार में बन्धुआ मजदूरों की पहचान के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और वास्तव में अपनाई जा रही है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। श्री मिश्र ने बन्धुआ मजदूरों के मुक्ति-कार्यक्रम के कार्यान्वयन की चुटियों की ओर सकेत किया है और बन्धुआ मजदूरी से मुक्त किए गए लोगों के पुनर्वास के लिए सामुदायिक दृष्टि अपनाने का सुझाव दिया है। श्री मिश्र के विचार, उन्हीं के शब्दों में, इस प्रकार है—

1 शहद उपाध्याय : योजना, 1-15 जून, 1987, पृष्ठ 7-9

2 योजना, मई, 1978.

“थम मन्त्रालय मे महानिदेशक (श्रमिक कल्याण) के रूप मे मुझे 1982-83 से 1984-85 के बीच बन्धुआ मजदूरी को हानिकारक प्रणाली (जो सामाजिक दृष्टि से मार्मिक और आधिक दृष्टि से ख़ूनीती भरी है) के अध्ययन के सिलसिले मे आनंद प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्यो का दौरा करने का मौका मिला। मैंने इस क्रम मे विभिन्न वर्गो के लोगों से बात की जैसे—कर्नाटक और आनंद प्रदेश के जीवन, गुजरात और मध्य प्रदेश के हानी, बिहार के कामिया, उडीसा के गोठी, राजस्थान के सागरी, तमिलनाडु के पॉडियान, केरल के आदिया, पॉडिया और कट्टनायकम्, जीनसार बाबर उत्तर प्रदेश के कोलटा आदि। सर्वोच्च न्यायालय के सामाजिक और कानूनी जीवन प्रायुक्त की हैसियत से मुझे विजयवाडा और फरीदाबाद के लदान मजदूरो की शोचनीय स्थितियो के अध्ययन का भी ध्वन्सर मिला। अपने इस कार्य के दौरान मैंने इन लोगो से हार्दिक सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की जो आमतोर पर सकोची और अन्तर्मुखी होते हैं और बाहर की दुनिया से प्राय अलग रहते हैं। मैं उनसे उस भावा मे बोलता था जिसे वे समझ सकते थे और इस तरह मैंने एक विश्वास का बातावरण बना निया: या जिसमे वे अपनी बात खुल कर कह सकते थे। इस बातालाप से जो निष्कर्ष निकला वह बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष यह कि सरकारी और गैर-सरकारी सम्बाधो के निष्ठापूर्ण प्रयासो के बाबजूद समाज के ये अभागे सदृश सम्यता मे बहिष्कृत हो रहे हैं। बन्धुआ मजदूरी की परिभाषा पर वर्षों से जोरदार बहस हो रही है जैसे जीवन और हाली उस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं या नहीं किन्तु उन अभागे लोगो (बन्धुआ मजदूरो) की मिति सामाजिक और आधिक दृष्टि से हीनतर होनी गई है। उनकी गरीबी और शोषण की बहानी शायद ही सामने आती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं?

कानून का विकास

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने 1919 मे बेगार उन्मूलन समझौता स्वीकृत किया था। किन्तु हमने बेगार उन्मूलन से सम्बन्धित सांविधानिक निर्देश (अनुच्छेद 23) के अनुसरण मे 30-11-1954 को इसे अधिकारिक रूप से अपनाया। अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के समझौते को अपनाने से हमारे ऊपर दायित्व यह आया कि हम राष्ट्रीय कानून बनाकर इसके उपबन्धो को लागू करें। समझौते के महान् उद्देश्यो को लागू करने के लिए राज्य के स्तर पर कानून बनाने के द्वुपूर प्रयास हुए थे जैसे उडीसा का ज्ञान (उन्मूलन) अधिनियम, 1961 आदि। किन्तु इनका प्रभाव धृत सीमित रहा। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गौड़ी द्वारा 1 जुलाई, 1975 को बीम-सूची कार्यक्रम की पोषणा के बाद केन्द्र के स्तर पर इस सम्बन्ध मे गम्भीर प्रयास शुरू हुए। पुराने बीम सूची कार्यक्रम की भद 5 के अन्तर्गत कहा गया कि बन्धुआ मजदूरो का उन्मूलन किया,

जाता है और जिस रूप में भी यह है उसे मंट-कानूनी घोषित किया जाता है। इस घोषणा ने उन निहित स्वार्थों का दिल दहला दिया होगा जो अब तक बन्धुआ मजदूर प्रणाली को जारी रखे हुए थे। इस जोरदार कारंबाई के परिणामस्वरूप 25 अक्टूबर, 1975 की बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अध्यादेश जारी किया गया जिसकी जगह फरवरी, 1976 में मंसूद के दीनों सदनों द्वारा पारित बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम ने ली जो उसी तारीख से लागू होता था जिस तारीख को राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया गया था। इस कानून के उदात्त संथाओं और उन्हे प्राप्त करने के रास्ते की अनेक कठिनाइयों का बहुत अच्छा वर्णन अम मन्त्री ने 27 जनवरी, 1976 को विधेयक प्रस्तुत करते हुए इन शब्दों में किया—“बन्धुआ मजदूरी से मुक्त किए गए लोगों के पास न उत्पादन के साधन होंगे और न उन्हे कहणे मुविधा होगी। इनके पास कोई हुनर भी नहीं होगा जिसके बल पर वे अपनी जीविका कमा सकें। अगर उसे किसी लाभदायक काम में लगाया जाएगा तो भी उत्पादन शुरू होने तक उसे कोई आमदनी नहीं होगी। चूंकि वह अधिवस्थ और गुलामी की हुनिया से ही परिचित होगा। अतः अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक नहीं होगा। कभी-कभी वह आर्थिक बहाली की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तैयार नहीं होगा और वापस अपनी गुलामी में जाना चाहेगा।”

हर कानून अपने समय की उपज होता है और वह उस समय के सामाजिक वातावरण, राजनीतिक मूल्यों और आर्थिक दर्शन को प्रतिविम्बित करता है। लेकिन कानून महज एक चौखट होता है जिसका नवाहक और एक हिट का समेतक। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दुराइयों अथवा प्रणाली की कमजोरियों के लिए रामबाण औपध नहीं हो सकती। अतः इन कारणों का विश्लेषण करना समीचीन होगा जो इस कानून के महान् उद्देश्यों को पूरा करने में वायक सिद्ध हुए।

बन्धुआ मजदूरी क्या है?

सबसे पहला सबसे महत्त्वपूर्ण बाररा है बन्धुआ मजदूर, बन्धुआ मजदूरी और बन्धुआ मजदूर प्रणाली की परिभाषा के सम्बन्ध में सन्देह और भ्रान्तियाँ बनी हुई हैं। बाबूजूद इस बात के कि कानून में इसकी व्याख्या बहुत साफ है और सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी, 1982 की याचिका संघर्षा 2135 पर 16 दिसम्बर, 1983 को जो ऐतिहासिक फैसला दिया था उसमें इसकी व्यापक उदार और विस्तृत व्याख्या की थी। दसके अतिरिक्त कानून में इसकी जो व्याख्या जोड़ी गई थी उसमें कहा गया था कि टेका मजदूर और प्रवासी मजदूर भी बन्धुआ मजदूर प्रणाली के अन्तर्गत आ सकते हैं, यदि वे निर्धारित फसीटी पर ठीक उत्तरते हो। अबहार में बन्धुआ मजदूर प्रणाली, कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले के सम्बन्ध का ही रूप है। कर्ज लेने वाला अपनी दिन प्रतिदिन की आर्थिक मजबूरियों के कारण उधार लेता है और कर्ज देने वाला जो शर्तें रखता है उन्हें वह मन्जूर कर लेता है। इस करार

को सबसे महत्वपूर्ण शर्त के रूप में बहु अपनी या अपने परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों की सेवा की एक निश्चित या अनिश्चित अवधि के लिए गिरवी रख देता है। असमान शर्तों पर हुए इस वर्गार से जा सम्बन्ध बनता है उसके कुछ निश्चित परिणाम होते हैं। किसी भी श्रम या सेवा का बाजार भाव पर उचित पारिश्रमिक मिलना आहिए किन्तु बन्धुआ प्रणाली में सेवा, कर्ज के बदले में या कर्ज के सूद के एवज में दी जाती है। यह पारिश्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से या बाजार की मजदूरी दर से कम होता है।

देनदार और लेनदार के सम्बन्ध में असमान शर्तों का पड़ना परिणाम होता है, देनदार को मजदूरी न मिलना या न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी मिलना। इसके और भी परिणाम हो सकते हैं, जैसे—

(क) भारत के किसी भी धोत्र में जान की स्वतन्त्रता मजदूर को न मिलना।

(ख) किसी अन्य रोजगार को चुनने की स्वतन्त्रता न होना।

(ग) अपनी मेहनत की या मेहनत के उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त करने का हक न होना। ये परिणाम व्यक्तिगत रूप में भी हो सकते हैं और सामूहिक रूप में भी। बन्धुआ मजदूरी के अस्तित्व के निर्धारण के लिए इतना काफी है कि वहाँ देनदार और लेनदार का सम्बन्ध हो और देनदार ने अपनी या अपने परिवार के किसी एक या सभी सदस्यों की सेवाएँ किसी निर्धारित या अनिर्धारित समय के तिए गिरवी रखी हो जिसका उपर्युक्त परिणामों में से कोई एक परिणाम होता है। यह जरूरी नहीं कि सभी परिणाम एक साथ होते हों।

दूसरे, इस प्रणाली के जन्म, विकास और इसके जारी रहने के सिफ़े एक कारण नहीं, कई हैं, जैसे—जाति, फिरके और धर्म की कृतिम वातों पर आधारित अत्यधिक थंगीबद्ध सामाजिक ढाँचा, उम अत्यधिक प्रसम्भ और अनेकिक जमीदारी प्रथा द्वारा छोटे गए धाव जो अद्भारहवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नाई गई और जिसमें प्रनिवासी जमीदारी और कूर लगान की बुराइयाँ आई भूमि और अन्य सम्पत्ति का अनुचित वितरण स्थिर रोजगार के साधनों का अभाव भूमि और मिट्टी का अलाभकर स्वरूप जिसके कारण भूमि निवेश की ग्राम और उत्पादकता कम होती है, रोजमर्रा के उपभोग या विवाह आदि उत्सवों के लिए जमीन गिरवी रख कर कर्ज लेने वी प्रथा जिससे छोटे और सीमान्त किमान भूमिहीन कृषि मजदूर धनने को बाध्य होते हैं। बटाईदारों का पजीकरण न होना और जिन लोगों का कर्ज लेने वाले की भूमि तथा अन्य सारी सम्पत्ति पर कब्जा होता है उनके छल के कारण उनका तागातार निर्धन होते जाना।

ऐसी स्थिति में बन्धुआ मजदूरों की पहचान का काम उतना सरल नहीं होता जैसा कि किसी चुनाव में पकड़ी स्याही के निश्चान और मतदाताओं की पहचान

करना या जर्नालिकीय के काम में आदमियों को गिनता। बन्धुआ मजदूरों की पहचान वास्तव में अस्तित्वहीन की खोज है क्योंकि यह व्यक्ति भले ही मानव के रूप में है लेकिन जिसे वर्षा के सामाजिक भेदभाव ने और अर्थात् शोषण ने (जिसे समाज ने अबूझ कारणों से बर्दाशत किया है) अस्तित्वहीन बना दिया है।

खोज की कार्य-प्रणाली का प्रभाव

जाहिर है इस तरह के अस्तित्वहीन की खोज की प्रक्रिया उम सामाजिक वातावरण में आसान नहीं है जिस पर इस जिला और सर्वडिवीजन के स्तर पर कानून के उपचारों को कार्यान्वयित करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और चौकसी समितियों की होगी लेकिन उसमें ठीक-ठीक कार्य-पद्धति निर्धारित नहीं की गई है। सन्तोष की बात है कि आन्ध्र प्रदेश समाज कल्याण विभाग के वर्तमान मुख्य सचिव श्री एम. आर. शंकरन ने बड़ी मूझ-दूझ और कल्पना में 1976 में ही एक कार्य-पद्धति तैयार की थी और उसे आन्ध्र प्रदेश के सभी समाहर्ताओं को उनके मार्गदर्शन के लिए परिचालित किया था। इस कार्य-पद्धति में तेलुगु भाषा में एक प्रश्नावनी है जिसमें कुछ संरल और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो खोज करने वाले अधिकारियों को गाँव के हरिक्रनवाड़े में आकर कृषि मजदूरों के समूह से पूछने होते हैं। जिनमें अधिकार्जन अनुमूलिक जातियों के मूमिहीन बटाईदार होते हैं। सवाल लोगों की समझ में आने वाली भाषा में बिलकुल अनोपचारिक ढंग से, सामान्य घातचीत की रूली में पछे जाते हैं ताकि उनके ठीक उत्तर मिल सके और उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय के जीव आयुक्त के रूप में भेरा अपना अनुभव बताता है कि बन्धुआ मजदूरों की पहचान के लिए जो कार्य-पद्धति अपनाई जानी चाहिए और जो वास्तव में अपनाई जानी है, उसमें बड़ा अन्तर है। समाज के निचले वर्गों के बन्धुआ मजदूर सकोची और अपने में मिमटे हुए होते हैं और अन्वेषण करने वालों के सामने अपनी कहानी सुनाने के लिए आसानी से आगे नहीं आते हैं। जब बन्धुआ मजदूर यह महसूस करता है कि उसके हित और प्रश्नकर्ता के हित एक ही हैं तभी थेव, सामाजिक स्तर और भाषा की कृत्रिम दीवार ढूटती है और वे सहजता तथा स्वतन्त्रता के साथ प्रश्नों का जवाब देने के लिए आगे आते हैं।

किन्तु वास्तविक घटहार में, चूंकि कानून ने कोई औपचारिक कार्य-पद्धति निर्धारित नहीं की है अतः मजदूरों के माय तादारम्य स्वापित करने का काम अधिकतर नौकरशाही के निचले कर्मचारियों पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि ये नौकरशाही के लोग होते हैं, यह उम्मीद करना वेकार होता है कि वे इस नाजुक और कठिन काम को भली प्रकार कर पाएंगे। अतः हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोचता पड़ेगा जो इन अस्तित्वहीनों की खोज करे और उन्हें विश्वास दिलाए कि वे अन्य सोगों की तरह ही स्वतन्त्र देश के नागरिक

है, उनके कुछ मूलभूत अधिकार हैं तथा अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरा करने का उनका हक है। इस काम के लिए जनता के स्तर पर काम करने वाली ऐसी असल्य स्थायी का सहयोग महत्वपूर्ण होगा जो मानवता की सकृचित एवं कृतिम दीवारों को तोड़ने जनसाधारण को चुप्पी और निर्भरता की संस्कृति से उठाने तथा उनमें सम्मान के माय जीने की भावना जगाने के लिए काम कर रही है।

मुक्ति की कार्य विधि

इसी से सम्बन्धित है गुलामी की जीरो से मुक्ति की सकलणा और उस मुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य विधि। यह देखा गया है कि अब तक शिवालिक बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए औपचारिक गैर-वचीली और कानून परक विधि ही अपनाई जाती है और सामान्य कार्य विधि से साक्ष्य लिए जाते हैं। प्रथम दृष्टि और कानून की नजरों में भी इसमें कोई प्राप्तिजनक बात नहीं है किन्तु इसमें साध्य की लम्बी प्रक्रिया के कारण मुकदमा लम्बा लिचता है। बन्धुआ मजदूर के हित में नहीं होता, क्योंकि अपनी गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन के कारण उसमें हृदयहीन कानूनी प्रक्रिया की कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता नहीं होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी, भूमिहीनता को देखते हुए जितने बन्धुआ मजदूरों की पहचान की जानी चाहिए और जितनों की पहचान हुई है, उसके बीच बड़ा अन्तर होने का कारण भी यही है। श्रम मन्त्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 30 जून, 1986 तक 11 राज्यों में दो लाख से अधिक बन्धुआ मजदूरों की पहचान हो चुकी थी किन्तु यह निश्चित नहीं है कि इन सभी को मुक्ति किया जा चुका है और सभी को औपचारिक मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है या नहीं।

जरूरत है नई दृष्टि की

मेरे विचार में सही और अधिक ध्यावहारिक दृष्टि यह होगी कि सम्बन्धित प्रभिकरणों से रिपोर्ट मिलने के बाद तुरन्त परीक्षण हो ताकि पहचान और मुक्ति माय-साथ हो सके। इन सभी सक्षिप्त परीक्षणों के दोरान बन्धुआ मजदूर को मालिक से अलग रखा जाए ताकि मजदूर को विश्वास में लिया जा सके और वह खुलकर अपने बारे में बता सके जिसके आधार पर सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट यह निष्कर्ष निकाल सके कि वह बन्धुआ मजदूर है और वह उसे तुरन्त स्वतन्त्र कर सके। प्रगर मजिस्ट्रेट के प्रादेश के बाद भी मालिक आनाकानी करे तो उसके लियाफ बन्धुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाए। इन नई कार्यविधि की मफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट में कितनी सूझ-बूझ और सबेदनशीलता है तथा वह इस प्रणाली के मूल रूप को और इसके समर्थकों एवं विरोधियों को कहाँ तक समझता है। इस तरह के

न्यायिक अधिकारियों की कमी नहीं होगी (अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य सरकारों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करनी होती है), किन्तु यह जहरी है कि वरिष्ठ अदानतों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाएं ताकि परीक्षण नहिं कानून के उपबन्धों का प्रवर्तन बत्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो।

समर्पण की भावना आवश्यक

जिला और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तथा उनकी अध्यक्षता में काम करने वाली सरकारी समितियाँ (अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत) बन्धुआ मजदूरी प्रथा की पहचान के लिए नीव के पत्थर हैं। इस सारे काम की सफलता उनकी सूझ-बूझ और समर्पण की भावना पर निर्भर है। यदि वे स्वयं समस्या के प्रति संवेदनशील होंगे तो वे दूसरे लोगों को भी संवेदनशील बना सकते हैं। दुर्भाग्य से, कानून के इस महत्वपूर्ण उपबन्ध का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है। इसमें सन्त्रेह नहीं कि कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय कानून बनाने के बाद सतर्कता समितियाँ बनाने की दिशा में काम किया है। ये समितियाँ (जिनका कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है) अधिकारी राज्यों में निर्णियत हो गई हैं। कुछ राज्यों ने सतर्कता समितियाँ बनाई ही नहीं, इस आधार पर कि उनके राज्य बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। इस तरह का निष्कर्ष तभी निकाला जाना चाहिए जबकि जिला और सब-डिविजन स्तर पर सतर्कता समितियाँ बने और उन्हें काफी समय तक काम करने का मौका मिले। कुछ राज्यों में समितियाँ तो बनी हैं, किन्तु उन्होंने इस काम को बहुत आकर्षित और रुटीन तरीके से लिया है और अभी तक कोई ठोस काम नहीं किया है। इस तदर्थवाद के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए। जिला और सब-डिविजन के स्तरों पर और उससे भी नीचे के स्तर पर प्रगासन की मामिक प्रतिवहना और नेतृत्व से बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

स्वतन्त्र किए गए व्यक्तियों का पुनर्वासि

घटनाक्रम और प्राथमिकता क्रम में इसके बाद आता है स्वतन्त्र किए गए बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वासि जो 14 अनवरी, 1982 को घोषित बीस सूबी कार्यक्रम के सूत्र 6 के अन्तर्गत आता है। बन्धुआ मजदूर की पहचान और मुक्ति का मतलब है उस मजदूर के लिए आजादी की नई जिन्दगी लेकिन उस आदमी के साथ असुरक्षा और ग्रनिशितता की दुनिया भी जुड़ी है जिसका सामना वह मजदूर स्वयं नहीं कर सकता। गुलामी और सुरक्षा (काल्पनिक) की दुनिया और आजादी तथा असुरक्षा की दुनिया के बीच चुनाव करना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र कराए गए मजदूर को कोई सहारा नहीं मिलेगा तो वह बापस अपने मालिक के पास जाना चाहेगा।

पुनर्वासि भौतिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी। भौतिक पुनर्वासि आर्थिक होता है जबकि मनोवैज्ञानिक पुनर्वासि बार-बार आश्वस्त करने की

प्रक्रिया से होता है। दोनो साथ-साथ होने चाहिए। मनोवैज्ञानिक पुनर्वासि के लिए पहली शर्त है कि मजदूर को पुराने माहील से अलग किया जाए और ऐसे माहील से रखा जाए जहाँ वह भूतपूर्व बन्धुशा मजदूर मालिकों के हानिकारक प्रभाव से बचा रहे। अगर उन्हें बार-बार यह आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि अब उसके भाग्य का नियमन कर्ज नहीं करेगा तो उसके बापस बन्धुशा मजदूरी से जाने की सम्भावना बनी रहेगी।

पुनर्वासि का स्वरूप

मूल रूप से पुनर्वासि के तीन चरण हैं। मुक्ति के बाद सबसे पहले तो उसके भौतिक निर्वाही की व्यवस्था करना ज़रूरी है। उसे नया जीवन शुरू करने के लिए अल्पकालिक मदद दी जाए होगी जैसे मकान बनाने के लिए घाट और आर्थिक सहायता देना, खेती के लिए जमीन, बैंग, सेती के ओज़ार तथा अन्य साधन जुटाना, लाभदायक रोज़ार के अवसर जुटाना, और सैरकार द्वारा स्वीकृत खुनतम मजदूरों नियमित रूप से दिलाने की व्यवस्था करना। अन्त में दीर्घकानीन उपाय किए जाने चाहिए जैसे भूमि का विकास (सिवाई की सुविधा महित), अल्पकालिक और साध्यकालिक ज़रूरी की व्यवस्था करना, पशु-पालन और पशु-चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करना जिसमें उत्तराइक परियोजनाओं का बीमा भी शामिल है, द्रायसम के माध्यम से वर्तमान कौशलों के विकास तथा नए कौशलों को प्राप्त करने का अधिकारण देना, छोटे कृषि-उत्पादों और नव-उत्पादों के लिए लाभकर कीमत की सुरक्षा प्रदान करना, प्रीड सदस्यों की अनौपचारिक साक्षरता और बच्चों की शौपचारिक साक्षरता की व्यवस्था करना, परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा, रोग नियोग तथा पीड़िक आहार का प्रबन्ध करना और अन्त में इन बन्धुशा मजदूरों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना जो अपने ज़म के कारण सामाजिक भेदभाव के शिकार रहे थे।

यदि बन्धुशा मजदूरी की पहचान अस्तित्वहीन की ओज है तो उनका पुनर्वास गरीबी के दलदल और आभद्र की गुलामी से उन्हें उबारना और उन्हें अस्तित्ववान मानव का दर्जा देना है ताकि वे मानव जाति की मुख्य धारा के साथ अपने को जोड़ सकें और मानव जीवन की गतिमां, मुन्दरता और उपादेयता का अनुभव प्राप्त कर सकें। प्रश्न है कि यह सब काम कैसे किए जाने चाहिए और कैसे किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में स्थायी पुनर्वासि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार और दूसरी एजेन्सियों के कार्यक्रम कहाँ तक पर्याप्त तथा कारगर हैं?

कार्यक्रम कारगर हो

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम की गुणात्मक समीक्षा के लिए किए गए 11 (थारह) राज्यों के दौरे में मुझे कुछ उत्साहजनक बातें भी दिखाई दी और कुछ निराशाजनक भी। पहले

में उत्तमाहवर्द्धक पहलुओं की चर्चा कर्हेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहाड़ी लेन्विकेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी परियोजना प्राधिकरण के माध्यम से अनेक परियोजना कायकर्त्ता नियुक्त किए हैं। इन कायकर्त्ताओं ने स्वतन्त्र हुए बन्धुआ मजदूरों की आवश्यकताप्रो, इच्छाओं और आकौशाओं तथा आदिवासी परियोजना प्राधिकरण के बीच पुन का काम किया है और ठिहरी भडवाल, उत्तराकांशी तथा देहरादून के जौनसार बाथर के कोलटाओं के रहन-ससन में स्पष्ट परिवर्तन तथा जागरूकता आई है। उनका उदाहरण अन्य राज्य सरकारों द्वारा अनुकरणीय है। केरल में यद्यपि बन्धुआ मजदूर प्रवा बड़े पैमाने पर है, भूमि उपनिवेशन योजना के माध्यम से, स्वतन्त्र किए बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बड़ी लग्न से प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए एक ही सूचना उपयोग किया गया है—जैसे मजदूरों की जरूरत और हमान के अनुसार विकास के लिए आवश्यक साधन जुटाना। केरल की योजना को उडीसा में निर्धन ग्रामीणों के आधिक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। यह योजना समन्वय का दृढ़त अच्छा प्रादर्श है। इसके कई घटक हैं जैसे भूमि पर आधारित, गैर-भूमि पर आधारित और कना शिल्प कोशल पर आधारित। उल्लेखनीय है कि उडीसा एक मात्र राज्य है जहाँ बन्धुआ मजदूरों की पहचान के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से सारे गांव बालों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उडीसा के कायं की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि 1979-80 के अन्त तक राज्य में 350 बन्धुआ मजदूरों का पता लगाया गया। देश में जिन 43,687 बन्धुआ मजदूरों की पहचान की गई थी, उनमें से 1985-86 तक 42,421 को स्वतन्त्र कराया जा चुका है और 30,256 को पुनर्स्थापित किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने पुनर्वास के लिए समेकित दृष्टि अपनाई है, इस कठिन काम को करते समय उसने कई स्रोतों से साधनों को इकट्ठा करके बड़ी सूझबूझ के साथ समेकित किया है। एक ही काम के लिए नहीं, उन विविध कामों के लिए जो पुनर्वास को स्तरीय और उपादेय बनाते हैं। रांगारेड्डी में 'सामुदायिक मुर्गीपालन कम्पलेक्स' में उसने पुनर्वास के लिए समूहगत राम्ता अपनाया है और यह समेकित दृष्टि का सर्वोत्तम आदर्श है। राजस्थान में यह कार्यक्रम कम धर्षा, अनुपज्ञाऊ भूमि और लगानार सूची के खतरे की कठिन स्थितियों में चलाया जा रहा है। यद्यपि राज्य और जिला स्तर के कुछ अधिकारियों में इस कार्यक्रम के प्रति अद्भुत उत्साह और समर्पण की भावना छिपी है और उन्होंने लाभान्वित व्यक्तियों की आम आजीविका तथा जीवन स्तर पर कार्यक्रम का ठोस प्रभाव पैदा करने का प्रयास किया है। केन्द्रीय धर्म मन्त्रालय ने, जिसने 1978-79 (30 मई, 1978) में इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को शुरू किया था, अब इनके लेन्विकेशन, कार्यक्रम और कार्यविधि को संशोधित करके उन्हें बहुत सरल और उदार बना दिया है। 1983-84 से पहले इन योजनाओं को केन्द्रीय स्तरीनिग कमेटी की समीक्षा के लिए दिल्ली भेजा जाता था किन्तु अब राज्य सरकार

की स्वीकारिता के लिए इनको जाँच करती है और इन्हें मंजूरी देती है। इस प्रक्रिया को और विकेन्द्रित करने के लिए जिस स्तर के अधिकारियों को यह प्रबिधिकार सौमने पर विचार किया जा रहा है। पहले स्वीकृत राशि को कई किसी में दिया जाता था किन्तु अब एक ही किसी में सारी राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मूक कराए गए प्रत्येक बन्धुआ मजदूर के लिए प्रनुदान की राशि जो 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,250 रुपये किया जा रहा है।

कमियाँ

ये सभी सकारात्मक और अभिनव परिवर्तन, कार्यक्रम के विद्यान्वयन में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं और कार्य-विधि को सरल बनाते हैं। किन्तु यह निश्चिन्त हूँ ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि इनमें अभीष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः मैं यहीं कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कुछ चिन्ताजनक पहलुओं की चर्चा करना चाहता हूँ।

समर्पण की भावना की कमी

पहली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम को किसी मन्त्रालय / विभाग के अलग-अलग कार्यक्रम के रूप में विद्या जाता है और इसके प्रति नैमिकता रखेया अपनाया जाता है जबकि इसके प्रति सामाजिक प्रतिवर्द्धन का रखेया अपनाया जाना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति अपनाया जाता है।

प्रतिकूल वातावरण

तियां वातावरण में इस कार्यक्रम को विद्यान्वयन किया जाता है वह अनुदून नहीं होता है। यह देखा गया है कि जो तत्त्व बन्धुआ मजदूर प्रथा का पोषण करते रहे हैं, वे ही गाँव के बीचन और उसकी अद्य-व्यवस्था पर हाथी हैं। स्वभावन वे उस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए प्राप्तानी में तेवार नहीं होते जिसमें मूक किए गए बन्धुआ मजदूरों को बन्धुआ मजदूर मालिकों के नमान दर्जा और स्वतन्त्र आदिक हैमियत मिलती है। दृढ़ सम्बन्ध है कि जहाँ ये तत्त्व हाथी हैं वहाँ पुनर्वास वे कार्यक्रम सफल न हो अथवा प्रारम्भ में कुछ सफलता के बाद वेपटीय-टीपि किए हो जाए।

लद्य को पूरा करने में जल्दवाजी

राजन्व और विकास विभाग के कर्मचारियों को अनेक कार्यक्रमों में लाव दिया गया है जैसे समेकित प्राप्त विकास कार्यक्रम, एन. प्रार. ई. पी., शार. एन. ई. पी. पी., ट्राइलनसम, भूमिहीनों की भूमि का विवरण, भूमि-मोमा का प्रबन्धन, प्रनुसूचित आतियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सामाजिक तथा आदिक विकास की योजनाएं आदि। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम ममयबद्ध हैं और लद्य अभिभूत हैं। इन कार्यक्रमों को ममय पर पूरा करने के लिए इन अधिकारियों को बड़ी राशि सौंधी गई है। इन समयबद्ध कार्यक्रमों को पूरा करने के उत्तम में, अधिकारीगण मानवोचित सीमाओं के पन्द्रह जल्दवाजी में पुनर्वास की योजनाओं को

बनाते हैं। इस प्रकार लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की रुचियों, क्षमताओं तथा जरूरतों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। इस कारण लाभान्वित होने वाले व्यक्ति उनके लिए बनाए गए अनेक कार्यक्रमों के प्रयोग के लिए गिरीषिग (परीक्षण जन्मतु) बन जाते हैं। इस तरह ये कार्यक्रम लक्षण तथा समूह प्रभिमुत्र होने के बजाय लक्ष्य प्रभिमुख बन जाते हैं।

असन्तोषजनक मूल ढाँचा

परिसम्पत्ति पर आधारित कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए कृपि, सिचाई, बन, मट्स्य-पालन, पशु-पालन और पशु चिकित्सा विभागों के अधिकारियों से पूर्ण प्रोत्साहन और सरकारी मिलना बहुत जरूरी है। किन्तु अस्पतालों और पोषणालयों की कमी, आवश्यक सहाया में प्रशिक्षित कर्मचारियों का न होना, औषधियों आदि की कमी, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को (जो अधिकतर अनजान और अनपढ होते हैं) अपनी परिसम्पत्तियों के उचित रख-रखाव के योग्य बनाने के लिए संगठित प्रधानों के अभाव आदि कारणों से उन्हें लम्बे समय तक पशु-पालन की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी है जिसका परिणाम होता है कि उत्तरादक परिसम्पत्तियाँ बोझ बन जाती हैं।

बिचौलियों का जाल

पांचवें, पुनर्वासि के प्रयास बढ़ा सफल नहीं हो सकते जहाँ मूल ढाँचे का अभाव हो और बहुत से बिचौलिए परजीवियों की तरह काम करके पुनर्वासि के अधिकारी लाभों को अपने लिए समेट लेते हैं। यह भी देखा गया है कि लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के एक समूह को मिलने वाली महायता की अनेक इकाइयों जब एक ही बिन्दु पर एकत्रित हो जाती हैं तो इन इकाइयों का प्रतियोगी स्वरूप नष्ट हो जाता है और निवेश पर होने वाली आमदनी घट जाती है। जरूरत इस बात की है कि आगे और पीछे की कढ़ियों को जोड़ते हुए तथा उपलब्ध मूल ढाँचे के स्वरूप को देखते हुए सावधानी और सूझ-बूझ के साथ योजना बनाई जाए।

कठिन सामाजिक बातावरण

स्वतन्त्र कराए गए बन्धुआ मजदूर समाज के निम्नतम स्तर से आते हैं प्रीर में अत्यन्त निर्धन होते हैं। वे स्वयं उस योजना का चुनाव नहीं कर सकते जो उनके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। उनकी इस अक्षमता की अभिव्यक्ति इस रूपमें होती है—“आप जो देना चाहे वे दे।” ऐसी स्थिति में पुनर्वासि योजनाएँ बनाने वाली को चाहिए कि वे अपने को बन्धुआ मजदूरी के स्थान पर मानकर ऐसी योजनाएँ बनाएं जो उनको स्वीकार हो तथा उनका सबसे अधिक हित साधने वाली हों। दुर्भाग्य से इस तरह का तन्त्र आज वास्तविकता से अधिक कल्पना की ओज है।

दयनीय स्थिति

मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वासि का काम किस कठिन सामाजिक बातावरण में हो रहा है, इसके दो उदाहरण आगे दिए

जा रहे हैं। दोनों उदाहरण बन्धुआ मजदूर मालिकों की यजीब समझ और कानून के एक दशक बाद भी बन्धुआ मजदूरों की दया येथे स्थिति के सम्बन्ध में मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं।

मैं और अम मन्त्रालय में मेरे एक सहयोगी दिसम्बर, 1982 में विहार में डाल्टनगंज (पलामू जिला मुख्यालय) लौट रहे थे। हम सिमरा गाँव (डाल्टनगंज से 19 किलोमीटर दूर) गए थे और यहाँ हमने अपनी आखो से कुछ मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूरों की सामाजिक तथा आर्थिक दपनीय स्थिति को देखा था। मेरे मन में यह प्राद अब भी ताजा है। सिमरा में मुक्त बन्धुआ मजदूरों के कुल 50 परिवार थे। 1975-76 में बन्धुआ मजदूरों में मुक्त होने के बाद उन्हें कुछ भैंस और बकरियाँ दी गई थीं। इन परिस्थितियों के दिए जाने के लगभग एक दशक बाद उनकी स्थिति या नो पहले जैसे ही थी या पहले से भी खराब थी। खेती के लिए उन्हें जो जमीन दी गई थी वह हमारी थी और वर्षा में उजाड़ पड़ी हुई थी। भूतपूर्व बन्धुआ मजदूर मालिक इन अभिग्राही लोगों के विलाप इस तरह एक झुट थे कि उनका सामाजिक पौर आर्थिक बहिष्कार ही कर दिया था। उनके बच्चे मुख्य वस्ती में बने स्कूल में नहीं जा सकते थे। उनके द्वारा निकटवर्ती जगल में चरने नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें जमीदारों के धान के खेतों से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ परिवारों से बातचीत के दौरान हमें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो भूतपूर्व मालिकों की मार-फिटाई से बिल्कुल प्रपाहिज हो गया था। जब वह डाल्टनगंज के अस्पताल में गया तो उनका इलाज नहीं किया गया क्योंकि डॉक्टर की माँग को वह पूरा नहीं कर सकता था। इस कहण-कथा को मुनने के बाद हम डाल्टनगंज लौट रहे थे कि ऊची जातियों के जमीदारों के एक दल ने हमारी गाड़ी को रोका। हमारा परिचय प्राप्त करने के बाद वे हमसे बोले, “ओ माहिब, आप मुबह-सुबह ठण्ड और धूस में इन कम्बलत लोगों से मिलने के लिए इतनी दूर दिल्ली से चल कर क्यों आए? ये लोग पिछले जन्म से ही हमारे बन्धुआ थे और आव भी हैं। आपके सारे कानून और संस्थाएँ इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को नहीं बदल सकती हैं।”

दूसरा उदाहरण पटना के निकट फटुआ विकास खण्ड के दौर का है। हम कुछ मुक्त बन्धुआ मजदूरों को (जो खेत मजदूर भी थे) न्यूनतम मजदूरी न दिए जाने की जांच करने गए थे। जमीदार के साथ हमारी जो बातचीत हुई वह उनके प्रतिक्रियावादी रखने को दिखाती थी। उन्होंने कहा, “उन्हें न्यूनतम मजदूरी माँगने का क्या हक है? उन्हें सरकार की तरफ से सहायता में कितनी ही चीजें मिली हुई हैं। अगर वे हमारे बन्धुआ न होते तो क्या ये चीजें उन्हें मिल सकती थीं? इन चीजों के लिए उन्हें हमारा अहमानमन्द होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए।”

सामूहिक विकास को आवश्यकता

ये तथ्य बताते हैं कि अलग-प्रलग व्यक्तियों के पुनर्वास की अपेक्षा सामूहिक पुनर्वास का रास्ता अधिक उपयोगी है। अलग-अलग व्यक्तियों के पुनर्वास में कई

कठिनाइयाँ हैं यद्योकि बन्धुमा मजदूर समाज के निम्न तरक्के से आते हैं और अपने जन्म तथा सामाजिक स्थिति के कारण जीवन की कई नुविधाओं से वे वित होते हैं। समाज के प्रभावी वर्ग उनके विलाप तथा उनके परिवार के सदत्तों के विलाप जो समठित हमले करते हैं उनका सामना वे नहीं कर पाते हैं। उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वैकं भी उनकी सहायता नहीं कर पाते। ग्राम और निकालना के कारण उनमें अपने अधिकारों की मांग करने तथा विकास के लाभों को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती।

इसके लाभ

इसके विपरीत सामूहिक दृष्टि से कई लाभ हैं। सर्वप्रथम लाभान्वित होने वाले अनेक व्यक्तियों को जिनाहत करने और एक बिन्दु पर इकट्ठा करने से सामाजिक समेकन की प्रक्रिया अगे बढ़ेगी। दूसरे, अनेक एजेंसियों के साधनों को एक जगह इकट्ठा करके गुणात्मक और स्थायी पुनर्वास के जमान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे, वडे पंचाने की किफायतों और वैज्ञानिक प्रवन्ध के कारण निवेश का बेहतर प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। चौथे, कई विभाग और अभिकरण सामूहिक प्रदाता में भाग ले सकते हैं तथा वैकं आदि का सहयोग भी आतानी से प्राप्त किया जा सकता है।

भूमि पर आधारित, परिसम्पत्ति पर आधारित और हुनर/कौशल पर आधारित सामूहिक प्रदाता की सफलता लिए कुछ पूर्व-शर्तें जरूरी हैं। पहली पूर्व-शर्त हैं ताभान्वित किए जाने वाले व्यक्तियों का चुनाव और उन जगह का चुनाव उहाँ उन्हें वसाया जाना है। दूसरी है सरकार के विभिन्न विभागों का स्वैच्छिक सहयोग। कृषि, सिंचाई, पशु-पालन, पशु-चिकित्सा, बन, मत्स्य-पालन विभागों का सहयोग सामूहिक पुनर्वास के प्रयास की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे, लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करना और इस प्रयास में स्वेच्छा से भाग लेने के लिए उन्हें तैयार करना भी जरूरी है। चौथे, इस सामूहिक प्रयास के कार्यान्वयन के लिए जो भी व्यवस्थातन्त्र हो उसका रवैया इस कार्यक्रम के प्रति तथा लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक मद्देनजरील और मानवीय हो। इस कार्यक्रम के साथ तथा लाभान्वित होने वाले लोगों के साथ उन व्यवस्थातन्त्र का तादात्म्य स्थापित हो और वह उनके सुख-दुःख में और सफलता-असफलता में भ्रष्टों को भागीदार समझे। प्रसन्नता की बात है कि आनन्द प्रदेश, उडीमा, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों ने (सीमित पंचाने पर) इस सामूहिक या समेकित विधि का अच्छा प्रयास किया है। इसे सारे भारत में अपनाया जाना चाहिए।

लोकहित में मुकदमे

अपनी बात समाप्त करने से पहले में लोकहित के बादों का जिक्र करना चाहता है जिन्हे स्वर्यसेवी संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में से जाते हैं। मैं बन्धुमा मजदूरों की पहचान मुक्ति तथा पुनर्वास के काम में

इन बादो के प्रभाव का भी सक्षेप में उल्लेख करना चाहता है। उन्हें ये मामले ग्रदालतों में इसनिए ले जाने पड़ते हैं कि कानून लागू करने वाले अनिकरण सबेदनशून्य और निष्प्रभावी होते हैं। इस प्रक्रिया में अन्याय और अत्यरचार की हृदय विदारक कहानियाँ सामने आती हैं। 1984 की याचिका संख्या 8143 (प्रसिद्ध एक्सियाड का मामला) और 1982 की याचिका संख्या 2135 (प्रसिद्ध फरीदांबाद पत्थर खदान का मामला) में ग्रदालत के निर्णय सफल लोकहित बादो के इतिहास में मील के पत्थर हैं। किन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि क्या बन्धुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वासी की समस्या का यह अन्तिम समाधान है?

ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएँ और सामाजिक कार्यकर्ता इल बहुत कम हैं जो पूरे उत्तराह और सकलप के साथ उच्च अधिकारियों में इन मामलों को ले जा सकते हैं। किन्तु सर्व ही यह समस्या बहुत बड़ी है और यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि स्वयंसेवी संस्थाएँ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दल सार देश में सभी बन्धुआ मजदूरों तक पहुंच सकेंगे और उनके मामलों को उत्तराह के साथ लड़ सकें। ग्रदालतों की भी अपनी सीमाएँ हैं, जहाँ परम्परागत मामले बहुत बड़ी संख्या में विचाराधीन रहते हैं। अतः इस समस्या का समाधान यह नहीं है कि बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए लोकहित बादो की सह्या बढ़े बल्कि इस बात में है कि कानून लागू करने वाले जड़तन्त्र को अधिक सक्रिय बनाया जाए जिसके लिए सही व्यक्तियों को सही जगह नियुक्त करना, उन्हें जमकर काम करने का अवसर देना और सोइश्य के निमित समर्पित भावना से काम करने के लिए उन्हें प्रोटोकॉल देना आवश्यक है। यत्मात कानूनतन्त्र को अपनी संकुचित हृष्टि छोड़नी चाहिए और लोकहित के बादो को उठाने वाली संस्थाओं को सन्देह की नजर से नहीं देखना चाहिए, अपितु जीवन की प्रावश्यकताओं को स्वीकार करना चाहिए। लोकहित बादो से तभी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं जब सदियों से अन्यायपूर्ण तथा वेतनगाम समाज व्यवस्था के शिकार इन अभागी लोगों के प्रति हमारे रवंये में मूलभूत बदलाव आएगा।”

बन्धुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या

बन्धक अधिक उन्मूलन सम्बन्धी कानूनों पर पूरी तरह कायांवियन करने के लिए प्रथम चरण है—बन्धुआ अधिक का पता लगाना। बन्धुआ मजदूरी प्रवा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के शावधानों पर अमल करने की जिम्मेदारी जिला भजिस्ट्रीटी तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट अधीनस्थ अधिकारियों पर होती है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार नवम्बर, 1985 तक 2,13,465 बन्धुआ मजदूरों का पता लगा लिया गया था। देश के विभिन्न राज्यों में बन्धुआ मजदूरों की कुल संख्या के अनुमानों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अनुमानों के प्रमुख स्रोत हैं—(1) गोदी शान्ति प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रीय अम संस्थान एवं (2) एन० एस० एम० औ० का सर्वेक्षण।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान (गांधी वीस फाउण्डेशन) ने (मई, 1978 से दिसम्बर, 1978 तक) अनुमान लगाया कि 10 राज्यों में बन्धुआ मजदूरों की कुल संख्या 26·17 लाख है। एक सर्वेक्षण में कुछ तकनीकी खामियाँ थीं। ऐन एस एस ओ के 32वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 1977 से जून, 1978) में अनुमान लगाया गया था कि 15 राज्यों में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 3·45 लाख है। दूसरी ओर, जैसा कि पहले उल्लिखित है, नवम्बर, 1986 तक राज्य सरकारों ने जो वास्तविक रूप से पता लगाया वह संख्या 2,13,465 रही। इनकी राज्यवार संख्या निम्नलिखित है—

बन्धुआ मजदूरों की राज्यवार संख्या

| क्र. सं. | राज्य | 30-11-86 तक | राज्यीय नमूना | गांधी शान्ति |
|------------|--------------------------|---|---|---|
| | | राज्य सरकार द्वारा पता लगाई गई संख्या | सर्वेक्षण समठन द्वारा अनुमानित संख्या | प्रतिष्ठान द्वारा अनुमानित संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आनंद प्रदेश | 24,788 | 7,300 | 3,25,000 |
| 2 | बिहार | 11,729 | 1,02,400 | 1,11,000 |
| 3 | झसम | — | 4,400 | — |
| 4 | गुजरात | 62 | 4,200 | 1,71,000 |
| 5 | हरियाणा | 295 | 12,900 | — |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | — | — | — |
| 7 | जम्मू-कश्मीर | — | 900 | — |
| 8 | कर्नाटक | 62,689 | 14,100 | 1,93,000 |
| 9 | केरल | 823 | 400 | — |
| 10 | मध्य प्रदेश | 5,627 | 1,16,200 | 5,00,000 |
| 11 | महाराष्ट्र | 740 | 4,300 | 1,00,000 |
| 12 | मणिपुर | — | — | — |
| 13 | मेघालय | — | — | — |
| 14 | नागालैण्ड | — | — | — |
| 15 | उडीमा | 43,947 | 5,400 | 3,50,000 |
| 16 | पंजाब | — | 4,300 | — |
| 17 | राजस्थान | 6,890 | 2,400 | 67,000 |
| 18 | तमिलनाडु | 33,180 | 12,500 | 2,50,000 |
| 19 | त्रिपुरा | — | — | — |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 22,695 | 31,700 | 5,50,000 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | — | 21,600 | — |
| 22 | सभी केन्द्र शासित प्रदेश | — | — | — |
| कुल | | 2 13,465 | 3,45,000 | 26,17,000 |

हंगलेण्ड में मजदूरी का नियमन (Regulation of Wages in U. K.)

यद्यपि इंग्लैण्ड में रोजगार की दशाएँ तथा शर्तें विना सरकारी हस्तक्षेप के ऐच्छिक पचफैसले से सामूहिक सौदाकारी द्वारा तथ की जाती हैं, फिर भी सरकार ने कुछ व्यवसायों में मजदूरी, छुटियाँ आदि का कानूनी नियमन किया है जहाँ कि श्रमिक अथवा नियोजक असंगठित हैं। इस प्रकार के कानूनी नियमन के अन्तर्गत लगभग 3 हजार मिनियन श्रमिक आते हैं। इस शर्ताब्दी के प्रारम्भ में विभिन्न वेतन मण्डल (Wage Boards) विद्यमान थे। मजदूरी परिपद् अधिनियम, 1945 (Wages Councils Act of 1945) ने इन विद्यमान व्यापार मण्डलों (Trade Boards) को समाप्त करके वेतन परिपदों (Wages Councils) की स्थापना की। इन वेतन परिपदों को काफी व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। इन परिपदों द्वारा साप्ताहिक गारण्टीयुक्त मजदूरी तथा वेतन सहित छुटियाँ देने का अधिकार है।

जिन मुहूर्य अधिनियमों द्वारा मजदूरी और कार्य के घण्टों का कानूनन नियमन किया जाता है, उनमें हैं—मजदूरी परिपद् अधिनियम, 1945 से 1948 (Wages Councils Acts, 1945 to 1948), केटरिंग मजदूरी अधिनियम, 1943 (Catering Wages Act, 1943), कृषि मजदूरी अधिनियम, 1948 (Agricultural Wages Act of 1948) और कृषि मजदूरी (स्कॉटलैण्ड) अधिनियम, 1949 (Agricultural Scotland Act, 1949)।

व्यापार मजदूरी अधिनियम, 1909 और 1918 (Trade Boards Acts, 1909 & 1918) के अन्तर्गत व्यापार मण्डल (Trade Boards) स्थापित किए गए थे। मजदूरी परिपद् अधिनियम, 1945 (Wages Councils Act of 1945) के अन्तर्गत इन व्यापार-मण्डलों को समाप्त करके मजदूरी परिपद् (Wages Councils) की स्थापना की गई। इन मजदूरी परिपदों में श्रमिकों व मालिकों के समान सम्बन्धों में प्रतिनिधि होते हैं तथा साथ ही तीन स्वतन्त्र व्यक्ति, जिनमें से एक अध्यक्ष होते हैं। इन मजदूरी परिपदों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये परिपदें सम्बन्धित उद्योग में कानूनन न्यूनतम पारिधिक (Statutory Minimum Remuneration) और छुटियाँ जो दी जाती हैं, के सम्बन्ध में निर्धारण हेतु अपने प्रस्ताव थम एवं राष्ट्रीय सेवा मन्त्री (Minister of Labour & National Service) को देती हैं। मन्त्री को यह अधिकार प्राप्त है कि मजदूरी परिपद् द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को आदेश देकर कानूनी रूप दे सकता है और मजदूरी का नियमन कानून के अन्तर्गत आ जाता है। इन आदेशों की पालना हेतु मजदूरी निरीकरकों (Wages Inspectors) की नियुक्ति मन्त्रालय के अन्तर्गत की जाती है।

इसी तरह की मजदूरी-निर्धारण की व्यवस्था कृपि एवं भोजनालयों में की गई है। किसी भी सम्बन्धीन अथवा उद्योग में मजदूरी परिपद् की स्थापना करने के पूर्व श्रम मन्त्री यह जांच करता है कि इस प्रकार के लाभ श्रमिकों व मालिकों के बीच समझौते से प्राप्त हो सकते हैं भ्रमवा नहीं। यदि ये लाभ दोनों पक्षों के समझौते

के समझौते के आधार पर प्राप्त नहीं होते हैं तो श्रम मन्त्री मजदूरी परिषदों की स्थापना कर देता है। श्रम मन्त्रालय इस प्रकार की जर्वि एक स्वतन्त्र आयोग द्वारा कंत्रालय है जिसमें स्वतन्त्र व्यक्ति तथा जिस उद्योग अवदा संस्थान हेतु मजदूरी परिषदों की स्थापना करती है, उनको छोड़कर अन्य उद्योगों के श्रमिक व नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।

इंग्लैण्ड को 1961 के ओद्योगिक सम्बन्धों पर प्रकाशित एक हस्त-पुस्तिका (Hand Book) के अनुसार बहुमत से श्रमिक जिनकी सूचा 3-4 मिलियन है, इन मजदूरी परिषदों के अन्तर्गत आते हैं। ये मजदूरी परिषदे एक समझौता करवाने का कार्य करती है जिसमें स्वतन्त्र मदस्य समझौताकारी (Conciliators) के रूप में काम करते हैं। सबसे पहले सभी श्रमिक व मालिकों के प्रतिनिधि समझौता करने का प्रयास करते हैं। स्वतन्त्र व्यक्ति इन परिषदों में मत नहीं देते फिर भी समझौता बहुमत में प्राप्त किया जाता है।

अमेरिका में मजदूरी का नियमन (Regulation of Wages in U. S. A.)

अमेरिका में श्रमिकों की मुरक्का हेतु समय-समय पर श्रम-विधान बनाए गए हैं जिनकी श्रमिकों की आयिक्क स्थिति नियोक्ताओं की तुलना में असमान है। नियोक्ता-श्रमिक सम्बन्धों में सबमें बड़ी असमानता हमें सरबिल श्रम (Servile Labour) के विवाद में देखते को मिलती है। रोजगार का युग 1863 में दासता की समाप्ति से समाप्त हो गया। इससे कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज के कारण जदरदस्ती कार्य के लिए नहीं रखा जा सकता। सब प्रकार के श्रम में मालिक और नौकर (Master & Servant) वाला सम्बन्ध समाप्त हो गया। अब श्रम में पैतृकवाद (Paternalism) पाया जाता है और विशेषकर घरेलू और कृषि श्रमिकों के रूप में देखते को मिलता है। अमेरिका में मजदूरी आज सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित दायित्व माना जाता है। सन् 1849 में श्रमिकों की मजदूरी पर कुछकी लगाकर अरण में जमा करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया गया।

ऐच्चिक रूप से श्रमिक द्वारा अपनी मजदूरी को छहउदाता को देने के लिए भी कई कार्यवाहियाँ करती हैं, जैसे निवित में हो, पति अवधा गती से स्वीकृति ली जाए और समझौते की एक प्रति भी हो। श्रमिक के घर की जगह तथा औजार छहउदाता द्वारा जब नहीं किए जा सकते। श्रमिकों, द्वारा नियोक्ता की सम्पत्ति अवदा उसके गाहक की मम्पत्ति से मजदूरी प्राप्त की जा सकती है। निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को मजदूरी न मिलने पर नियोक्ता की सम्पत्ति पर अपना अधिकार कर सकते हैं।

मजदूरी से सम्बन्धित कानून न केवल अमेरिका में सधीय स्तर पर ही है बल्कि अमेरिका के सभी राज्यों में विद्यमान है। नियोक्ता के दिवालिया होने पर सबसे पहले सम्पत्ति में से मजदूरी चुकाई जाएगी। सामान्य रूप से नियोक्ताओं ने

थ्रमिको की मजदूरी पर अधिक ध्यान दिया है और विधान सभाओं में भी समस्या, स्थान और मजदूरी मुगतान के तरीके आदि के नियमन से अधिक रुचि ली है। कुछ राज्यों में मजदूरी का मुगतान कार्यकाल में ही करने पर जोर दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी, अधिकतम कार्य के घण्टे और थ्रमिक (Minimum Wages, Maximum Hours and Child Labour)

अमेरिका के थ्रमिकों की मजदूरी कब, कहाँ और कैसे दी जाए इस तक ही थम कानून सीमित नहीं रहे बल्कि इस बात को भी कानूनों में सम्मिलित किया गया कि कितनी मजदूरी कितने समय के लिए और किस प्रकार के थ्रमिकों को दी जाए। कुछ कार्यों में बाल थ्रमिक व स्त्री थ्रमिकों को लगाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी, कार्य के घण्टे तथा बाल थ्रमिकों की समाप्ति आदि पर विभिन्न प्रान्तों तथा मूलिकियत स्थानों द्वारा द्रष्टव्यादेश जारी किए गए हैं। प्रमुख सर्वीस विधान उचित थम प्रमाण अधिनियम, 1938 (Federal Fair Labour Standards Act, 1938) है जिसे हम मजदूरी और कार्य के घण्टे का कानून (Wage of Hours Law) भी कह सकते हैं। इसकी बाल्त हीले सार्वजनिक प्रसविदा अधिनियम, 1936 (Walsh-Healey Public Contracts Act, 1936) द्वारा सहायता की जाती है। इसके अन्तर्गत सरकार को मजदूरी, कार्य के घण्टे और कार्य की दशाओं का नियमन करने का अधिकार प्राप्त है। यह सरकारी ठेके के 10 हजार डॉलर या अधिक होने पर लागू होता है। बैकन-डेविस मजदूरी कानून, 1931 (Bacon-Davis Wage Law, 1931) के अन्तर्गत 2 हजार डॉलर से अधिक के ठेके निर्माण अथवा सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत आदि आते हैं। कठोर कार्य वर्गे उद्योगों में स्त्री थ्रमिकों हेतु 8 घण्टे प्रतिदिन व 48 घण्टे प्रति सप्ताह अधिकतम सीमा रखी गई है और कुछ मायु से नीचे बाले बच्चों हेतु अनिवार्य स्कूल जाना कर दिया है।

उचित थम प्रमाण अधिनियम, 1938 में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं—

1. कुछ अपवादों को छोड़कर इसमें अन्तर्राजीय ध्यापार में नगे सभी थ्रमिकों को शामिल किया गया है।

2. प्रधिनियम का मूल उद्देश्य 40 सेन्ट प्रति घण्टा की न्यूनतम मजदूरी को निम्न प्रकार से सभी जगह लागू करना था—

(i) प्रथम वर्ष (1939) में प्रति घण्टा 25 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना।

(ii) अगले पांच वर्षों में (1945) प्रति घण्टा 40 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना।

(iii) इसके पश्चात् प्रति घण्टा 40 सेन्ट कानूनन न्यूनतम मजदूरी करना। न्यूनतम मजदूरी में इसके बाद सशोधन किया गया। सन् 1949 में 75 सेन्ट, 1955 में 1 डॉलर, 1961 में 1.15 डॉलर, 1963 में 1.25 डॉलर और सन् 1967 में 1.75 डॉलर प्रति घण्टा न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दरों पर अधिकतम कार्य के घण्टे 40 प्रति सप्ताह धीरे-धीरे प्राप्त किया जाए।

(i) प्रथम वर्ष 1939 में अधिकतम कार्य के घण्टे 44

(ii) दूसरे वर्ष 1940 में अधिकतम कार्य के घण्टे 42

(iii) इसके पश्चात् अधिकतम कार्य के घण्टे 40

(iv) कार्य के इन घण्टों से अधिक कार्य करने पर नियमित दर से 1 दुगुनी मजदूरी देनी होगी।

4. इस अधिनियम के अन्तर्गत 16 वर्ष से कम उम्र वाले बाल श्रमिक से कार्य लेने पर प्रतिवर्ध लगा दिया तथा कठोर कार्य वाले उद्योगों में यह उम्र 18 वर्ष से कम न हो।

अमेरिका में सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत प्रभावी मजदूरी दर वैधानिक न्यूनतम मजदूरी (Statutory Minimum Wage) से अधिक है। कही-कही यह न्यूनतम मजदूरी से दुगुनी है और इसमें निर्बाह नागत भी शामिल है। सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत शनिवार या रविवार को कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी दर की दुगुनी दर दिलाई जाती है। इसके साथ ही मजदूरी महित दी मप्ताह की वर्ष में छहटों दी जाती है।

सामूहिक सौदाकारी विशेष रूप से बहुमत नियम के सिद्धान्त के अन्तर्गत श्रमिक संघों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को मजदूरी कार्य की दशाओं और सौदाकारी इकाई में व्यक्तिगत श्रमिक की शिकायत पर व्यापक अधिकार दिए गए हैं।

अमेरिका में काफी समय तक विचारधारा यह नहीं रही कि मजदूरी और कार्य के घण्टों का नियमन करना अच्छा है वल्कि प्रश्न यह रहा कि न्यायाधीश इन पर स्वीकृति देंगे अथवा नहीं। काफी समय तक प्रान्तीय व संघीय सरकार के न्यायालयों में इस प्रकार के कार्यों को असाँविधानिक घोषित किया गया।

अब साँविधानिक विधान के अन्तर्गत मजदूरी, कार्य के घण्टे, स्त्री श्रमिक व बाल श्रमिक के कार्य-क्षेत्र आदि पर विधानमंभा और मंत्रिमंडल द्वारा नियमन किया जा सकता है और इसमें न्यायालय अब हस्तक्षेप नहीं करते। सन् 1936 से कोई भी महत्वपूर्ण संघीय मजदूरी नियमन कानून असाँविधानिक घोषित नहीं किया गया है।

एक संघीय प्रकार की सरकार में यह समस्या रहनी है कि मजदूरी नियमन का क्षेत्र कौन-सा होगा? यदि रोजगार स्थानीय है तो इसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। राष्ट्रीय सरकार सर्वोच्च होती है। जहाँ अनिश्चितता होती है वहाँ

स्थायात्रीय निश्चय करता है और नियमन के कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। उदाहरणार्थ प्रथम सभीय अमेरिकीय कानून असांविधानिक घोषित कर दिया गया। इसका आधार यह था कि स्थायीय कारखानों में कार्य करने वाले अनिक स्थायीय विषय हैं जो कि राज्य सरकार का धोड़ है (हेमर बनाम हैंगेट डेस मे—*Hammer V/s Dangehart, U. S. 251, 1918*)।

परिस्थितियों और परिवर्तनों के कारण अन्तर्राजीय व्यापार ने 'विस्तार हुआ। अन् 1937 में सर्वोच्च स्थायानय ने राष्ट्रीय अमेरिकी अनुपालन बनाम जोनस और लोफलिन स्टील कॉरपोरेशन (National Labour Relations Board V/s Jones & Laughlin Steel Corporation) डिकाइ में यह निर्णय दिया कि निमाणिकारी अन्तर्राजीय व्यापार के अन्तर्गत आता है। यह निर्णय गत 150 वर्षों के दिए गए निर्णयों से विकृत निर्णय हुआ।

उचित अमेरिकी प्रमाप अधिनियम और बाल्स हीले सार्वजनिक प्रसविदा अधिनियम का दियान्वयन प्रशासकों के हाथ में है। ये प्रशासक अमेरिकी अमेरिकाग के मजदूरी और कार्य के घट्टे और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों के विभागाध्यक्ष हैं। इनका कार्य अधिनियम की व्याख्या करना, निरीक्षण और अनुपालना तथा संशोधन आदि के लिए संसद को नीति सम्बन्धी सिफारिशें करना है। ये अधिनियम 24 मिलियन अमिको पर लायू होते हैं। इनके द्वारा अनुपालन मजदूरी अधिनियम कार्य के घट्टे और बाल अमिको पर रोक आदि का क्रियान्वयन किया जाता है।

मजदूरी, कार्य के घट्टे और सार्वजनिक प्रसविदा मण्डलों की रिपोर्ट 1959 (Report of the Wage of Hour of Public Contracts Divisions) से यह ज्ञात हुआ कि कई व्यक्ति छोटे व्यव्हात्रों से नार्य नेने को गैर-कानूनी नहीं समझते थे। सन् 1959 में 10,242 छोटे व्यव्हात्रों को असांविधानिक रूप से रोजगार में लगा रखा था।

मानवीय व्यष्टिकोण से अनुपालन मजदूरी, अधिनियम कार्य घट्टे और वालधम के नियमन से अमेरिका में बहुत से कम मजदूरी प्राप्त करने वाले अमिको को बहुत सहायता मिली है। बहुत से नियोक्ताओं ने अधिनियमों की अनुपालना शुरू कर दी तथा निरीक्षण और क्रियान्वयन के द्वारा बहुत से नियोक्ताओं को इसके अन्तर्गत लाया गया है। इससे बहुत में अमिकों की मजदूरी में कई सौ मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। यह पूर्ण रोजगार और उच्च जीवन स्तर के समय हुआ।

मजदूरी और रोजगार की गतों को निर्वाचित करने का तरीका पट्टे उत्पादन व गिरती मजदूरी के रूप में व्यवपूर्ण रहा है। सन् 1959 में इस्पात हड्डतान (Steel Strike) के कारण अमेरिकी अधिनियम रूप से नियमन हेतु कई प्रस्ताव रखे गए।

भारत में श्रोद्योगिक थमिकों की मजदूरी (Wages of Industrial Workers in India)

थमिक तथा उसके परिवार के सदस्यों का जीवन न्यर मजदूरी पर निर्भर करता है। थमिक को दी जाने वाली मजदूरी में मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते सम्मिलित किए जाते हैं। मजदूरी वह धूरा है जिसके चारों ओर थम समस्याएँ चक्कर काटती हैं। अधिकांश थम समस्याओं का मूल कारण मजदूरी है। भजदूरी थमिक के जीवन स्तर, कार्यकुशलता व उत्पादन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। कीमत स्तर में परिवर्तन होने के कारण निर्वाह लागत में भी बढ़ि हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप मजदूरी में भी बढ़ि करनी पड़ती है। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour) ने थम सांख्यिकी (Labour Statistics) में सुधार हेतु सिफारिश की थी तेकिन खानों व डागान थमिकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कोई विजेप प्रगति नहीं हुई है। फिर भी थम संस्थान (Labour Bureau) द्वारा समय-समय पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए जाते हैं और इसका प्रकाशन 'Indian Labour Journal' में किया जाता है।

सर्वप्रथम मजदूरी से सम्बन्धित थांकडो का संग्रहण थम जांच समिति, 1944 (Labour Investigation Committee, 1944) द्वारा किया गया। श्रोद्योगिक सांख्यिकी अधिनियम पास होने के बाद मजदूरी गणना (Wage Census) की जाती है और इनके द्वारा थमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, प्रेरणात्मक मुगतान आदि के सम्बन्ध में मूचना एकत्रित की जाती है।

भारत में मजदूरी की समस्या का महत्व (Importance of Wage Problem in India)

भारतीय थमिक अशिक्षित, अज्ञानी व रुद्धिवादी हैं। वे अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को भली-भांति समझने में प्रायः असमर्थ हैं। उनकी सामूहिक सोदाकारी शक्ति नियोक्ता की तुनवा में बमजोर है। परिणामस्वरूप मालिकों द्वारा थमिकों का शोषण किया जाता है और उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती है अतः मानवीय दृष्टिकोण से मजदूरी की समस्या का समाधान होना आवश्यक है। थमिकों को दी जाने वाली मजदूरी बहुत कम है, मजदूरी मुगतान करने का तरीका दोषपूर्ण है, मजदूरी की दरें भी भिन्न-भिन्न पाई जाती हैं।

सरकारी दृष्टिकोण से भी मजदूरी की समस्या का समाधान आवश्यक है। मानविक व्याप प्रदान करना सरकार का दायित्व है अतः थमिकों को उचित मजदूरी दिलाकर मजदूरी समस्या का समाधान किया जाए। मालिकों की दृष्टि से भी मजदूरी की समस्या महत्वपूर्ण है वर्तीकि यह उत्पादन मूल्य का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। श्रोद्योगिक प्रगति के लिए श्रोद्योगिक शान्ति आवश्यक है और श्रोद्योगिक शान्ति प्राप्त करने के लिए थमिकों की मजदूरी में सुधार आवश्यक है।

प्रचलित मजदूरी दरों का भी मजदूरी समस्या के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है। एक ही स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों, विभिन्न उद्योगों में विभिन्न मजदूरी, समान कार्य में भी भिन्न-भिन्न मजदूरी प्रचलित है। अतः मजदूरी के समानीकरण और प्रमापांकरण (Equalisation & Standardisation of Wages) हेतु भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन आवश्यक है। विश्व के सभी विकसित देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I. L. O.) द्वारा भी इस समस्या को महत्व दिया जाने लगा है। मजदूरी सभी पक्षों—श्रम, पूँजी, समाज एवं सरकार—को प्रभावित करती है अतः इन सभी पक्षों द्वारा भी मजदूरी की समस्या का अध्ययन किया जाने लगा है।

ऐतिहासिक सिद्धावलोकन

सन् 1880 से 1938 के बीच मजदूरी की दरों में परिवर्तन का अनुमान Dr. Kuczynski द्वारा दिए गए निम्न सूचकांकों में लगाया जा सकता है¹—

विभिन्न उद्योगों में मजदूरी (1900 = 100)

| वर्ष | सूती वस्त्र | जूट | रेहवे | खान | छातु-श्रमिक | निर्माण-कार्य | कालान |
|---------|-------------|-----|-------|-----|-------------|---------------|-------|
| 1880-89 | 80 | 84 | 87 | 71 | 75 | 90 | — |
| 1890-99 | 90 | 87 | 95 | 81 | 89 | 89 | 100 |
| 1900-09 | 109 | 106 | 109 | 116 | 112 | 109 | 104 |
| 1910-19 | 142 | 128 | 139 | 176 | 138 | 133 | 122 |
| 1920-29 | 273 | 194 | 245 | 255 | 190 | 195 | 170 |
| 1930-39 | 242 | 148 | 286 | 191 | 171 | 160 | 121 |

उपरोक्त ग्राफ़ों से स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी के अन्तिम दशकों में श्रोदोगिक श्रमिकों की मजदूरी की दरों में स्थिरता रही है। वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में सूती वस्त्र उद्योग व जूट उद्योग की दर श्रमिकों में श्रमिकों की मजदूरी की दरों से कुछ अधिक थी।

दूसरे महायुद्ध के समाप्त होने पर श्रम की मांग में कमी आई, किन्तु बाद में ग्राहिक पुनर्निर्माण के कार्य हेतु उनकी मांग में वृद्धि हुई। मूल्य-स्तर में वृद्धि होने से श्रमिकों की मांग, वेतन, मजदूरी व महंगाई भौति में वृद्धि हुई। यद्यपि मालिकों ने इस बात का विरोध किया था लेकिन सरकार ने उद्योगपतियों को मजदूरी में वृद्धि करने के लिए विधा कर दिया। इसी के परिणामस्वरूप सन् 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act, 1948) पास किया गया।

विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की सौदाकारी जक्ति और विभिन्न व्यायालयों के नियंत्रण के परिणामस्वरूप उनकी मजदूरी में नियन्त्रण वृद्धि हुई लेकिन यह वृद्धि समान रूप से नहीं हुई। उदाहरणार्थ—सूती वस्त्र मिलों में 400 रु. मासिक से कम कमाने वाले श्रमिकों की घोसत वार्षिक अवय सन् 1961 में 1722 रु. से

1 Quoted in 'Our Economic Problems' by Wadia & Merchant, p. 458.

वढ़कर सन् 1969 में 2694 रु हो गई। यह चूंचि 1½ गुनी थी। जूट मिलो में यह 1113 रु से बढ़कर 2251 रु हो गई अर्थात् यह दुगुनी हो गई।

हमारे देश के विभिन्न राज्यों में 400 रु. मासिक तक पाने वाले कारखाना शमिलों की ओसत वापिक आप विभिन्न है और वह असमान रूप से बढ़ी है। निम्न लिखित सारणी में हमारे देश में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में 1975 तक 400 रुपये से कम माहवार पाने वाले तथा 1976 और उसके बाद 1000 रु. माहवार से कम पाने वाले कारखाना मजदूरों की ओसत वापिक रूपाई दिखाई गई है—

कारखाना मजदूरों की प्रति व्यक्ति ओसत वापिक आय

| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | 1975 | 1980 | 1981 ¹ | 1982 ² |
|-----------------------------|------|------|-------------------|-------------------|
| आन्ध्र प्रदेश | 2824 | 5186 | 6095 | 6095. |
| असम | 2627 | 4494 | 5899 | 3999 |
| बिहार | 2158 | 5584 | 5760 | 5277 |
| गुजरात | 2749 | 8546 | 7447 | 7447 |
| हरियाणा | 3371 | 6401 | 7696 | 7544 |
| हिमाचल प्रदेश | 2745 | 4745 | 7022 | 7022 |
| जम्मू और कश्मीर | 2843 | 4069 | 5080 | 5157 |
| कर्नाटक | 2893 | 4903 | 7545 | 7545 |
| केरल | 2947 | 7146 | 6948 | 8192 |
| मध्य प्रदेश | 3942 | 7964 | 8295 | 8972 |
| महाराष्ट्र | 3459 | 7190 | 8762 | 8762 |
| उड़ीसा | 4194 | 6728 | 7497 | 8445 |
| पंजाब | 3089 | 5196 | 5645 | 5645 |
| राजस्थान | 3325 | 6698 | 7493 | 7493 |
| तमिलनाडु | 2543 | 6477 | 6845 | 7115 |
| त्रिपुरा | 2453 | 7937 | 7937 | 7937 |
| उत्तर प्रदेश | 3054 | 6376 | 6376 | 6376 |
| पश्चिम बंगाल | 3966 | 7977 | 8149 | 9208 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3300 | 4096 | 6270 | 6331 |
| दिल्ली | 3239 | 6228 | 6035 | 10106 |
| गोआ, इमण तथा दीव | 3792 | 5211 | 11768 | 7222 |
| पाञ्जाबी | 2615 | 8066 | 8694 | 5628 |
| सम्पूर्ण भारत | 3158 | 6097 | 7423 | 7711 |

1 अस्थायी

2 सारणी में रेलवे वर्कशाप, अल्पकालीन उद्योगों जिनमें आय तम्बाकू, सरब और निर्माण आदि की कंपनीों में काम करने वाले मजदूर शामिल नहीं हैं, किन्तु रक्षा प्रतिष्ठान शमिल हैं।

भारतीय कारखानों में श्रौद्योगिक थमिकों की मजदूरी
(Wages of Industrial Workers in Indian Factories)

थमिक की श्रीसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से सम्बन्धित आँकड़े मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of Wages Act, 1936) के अन्तर्गत मिलते हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (M) के तहत आँकड़े एकत्रित करके धर्म संस्थान, शिमला (Labour Bureau, Simla) को भेजे जाते हैं और वहाँ इन आँकड़ों को Indian Labour Journal में प्रकाशित किया जाता है। मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत जो आँकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनकी निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत 1,000 रु (नवम्बर, 1975 के सम्बन्धन से पूर्व 400 रुपये) प्रतिमाह से कम पाने वाले थमिकों को सम्मिति किया जाता है। लेकिन ये थमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राप्त वाले थमिकों से भिन्न हैं।

2. मजदूरी की परिभाषा भी दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न है।

मजदूरी मुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत आने वाले सभी कारखाने राज्य सरकारों को प्रायस्मिक सूचनाएँ नहीं भेजते हैं। केवल रिपोर्ट करने वाली इकाईयों द्वारा ही सूचना मिलती है अत आँकड़ों में प्रतिवर्ष भिन्नता पाई जाती है।

1. सूती वस्त्र उद्योग—यह भारत का प्रमुख भगठित उद्योग है। इसमें लगभग 10 लाख थमिक कार्य करते हैं। इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र महमदाबाद, बम्बई, शोलापुर, मद्रास, कानपुर और दिल्ली है। इस उद्योग के विकास के माध्यम साथ काम करने वाले थमिकों की आय में चूँड़ि हुई है तथापि महोगाई के कारण वास्तविक आय में विशेष सुधार नहीं हुआ है। अनेक उद्योगों की सुतना में इस उद्योग की श्रीसत आय पर्याप्त ऊँची है। इस उद्योग में कार्य करने वाले थमिकों की आय में काफी चूँड़ि हुई है, लेकिन महोगाई में चूँड़ि होने से उनकी वास्तविक आय में विशेष सुधार नहीं हुआ है। यह उद्योग सण्ठित उद्योग है जो सन्तोषजनक मजदूरी स्तर पर सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। इस उद्योग के भावी विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

2. जूट उद्योग—यह सबसे प्राचीन उद्योग है। मजदूरी में सम्बन्धित सूचना नहीं मिल पाती। क्योंकि एक तो उद्योग में विभिन्न व्यवसाय है और प्रमापोकरण की योजना का अभाव भी है। अम जौच भवित्व द्वारा मजदूरी एहता रा सर्वेक्षण किया गया था। इसके अनुमार मूल मजदूरी प. बगाल में सबसे अधिक है तथा विशुद्ध आमदनी कानपुर में सबसे अधिक है। इस उद्योग में लगभग 2 हजार थमिक काम कर रहे हैं। इस उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग की तुतना में प्रारम्भ में श्रौद्योगिक जांच रही है।

3. ऊन उद्योग—इस उद्योग को कई इकाइयों में मजदूरी में वृद्धि हुई है। महँगाई भत्ते की दरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सबसे ऊँची मजदूरी बम्बई में है।

4. चीनी उद्योग (Sugar Industry)—गोरखपुर व दरभंगा की चीनी मिलों को ढोकर चीनी उद्योग में मूल मजदूरी स्थिर रही है। सभी कारखानों में महँगाई भत्ते की निवाह लागत के अनुमार धनिपूति कर दी है। ठेके के थमिकों को गश्ते दो उत्तरने तथा चीनी को लदान करने के कार्य में लगाया जाता है जिनको नियमित थमिकों की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत कम मजदूरी दी जाती है।

5. बागान उद्योग (Plantations Industry)—चाय, कहवा और रबड़ के बगीचों में कार्य करने वाले थमिक अर्द्ध-कृपक हैं और इस उद्योग में मजदूरी के भूगतान की पद्धति कारखाना उद्योग में उपनधि पद्धति से बहुत भिन्न है। असम के चाय-बागानों में कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है। थमिकों को दिए जाने वाला कार्य का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश बागानों में थमिकों की मजदूरी समान है व्योकि बागान मालिकों ने आपस में समझौता कर रखा है। दक्षिणी भारत के बागान उद्योग में समानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है। चाय उद्योग में भारत में मजदूरी के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं, जैसे—कृपि हेतु भूमि, नि शुल्क आवास, डॉकटरी चिकित्सा, ईंधन एवं चारे की सुविधाएँ, सस्ते खाद्यान्न एवं वस्त्रों की सुविधाएँ।

6. खनिज उद्योग—इस उद्योग में मजदूरी और आय के अंकिठों को प्राप्ति का मुख्य स्रोत मुख्य खान निरीक्षक (Chief Inspector of Mines) की रिपोर्ट्स हैं। कोयला खान बोनस योजना, 1948 (Coal Mine Bonus Scheme, 1948) के अन्तर्गत आनंद प्रदेश, असम, दिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्वान और पंजाब में कार्य करने वाले थमिकों को जिनकी मजदूरी 300 हृ प्रतिमाह से कम है, मूल बेतन का एक तिहाई बोनस प्राप्त करने का अधिकार है।

7. परिवहन (Transport)—रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले पारिथमिक में बेतन, भत्ते, नि-शुल्क यात्रा, भविष्य निधि अंशदान, अपदान (Gratuity), पेन्शन लाभ और अनाज की दूकान सम्बन्धी रियायतें जामिल की जाती हैं। औसत वार्षिक आय तृतीय और चतुर्थ थेणियर्स के कर्मचारियों की दशा में पर्याप्त रूप से बढ़ गई।

मजदूरी की नवीनतम स्थिति (1985-86) पर सामूहिक वृष्टि

मजदूरी के सम्बन्ध में विभिन्न विद्यानों और विज्ञानों का उल्लेख पूर्व पृष्ठों में विस्तार से किया जा चुका है और बहुत-सी अन्य बातों पर विचार अगले अध्यायों में किया जाएगा। इस सम्बन्ध में जो नवीनतम सशोधन, विकास और नियंत्रण हैं उन्हें पर सामूहिक रूप से यहाँ विविध डालना उपयोगी होगा। यह 'सामूहिक वृष्टि' हमें यंत्र-तथा विकरी बातों की एक ही स्थल पर जानकारी दे सकेगी। नवीनतम स्थिति परं

श्रम मन्त्रालय की 'बाधिक रिपोर्ट 1985-86' में प्रस्तावनात्मक और सामान्य विवरण के रूप में निम्नानुसार प्रकाश ढाला गया है—

भारत की श्रम नीति का परिस्थितियों को विशिष्ट आवश्यकताओं के सन्दर्भ में तथा योजनावधु आधिक विकास व सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं के अनुहृष्ट विकास होता रहा। विशेषकर, स्वाधीनता के बाद देश के श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की दिलचस्पी इस तथ्य से स्वष्ट है कि समाज-सुरक्षा, सुरक्षा-कल्याण और अन्य मामलों में अनेक विधायी प्रधिनियम वर्ष 1947 के बाद ही पारित किए गए अवधा सुनारे गए। इस वर्ष के दौरान, चार केन्द्रीय प्रधिनियमों में संशोधन किया गया अर्थात् बीनम सदाय अधिनियम, 1965, बालक नियोजन अधिनियम, 1938, बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 और छंका थर्म (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970। उन प्रस्तावों को छोड़कर जिनके लिए विधेयक पढ़ते ही ससद में पेश किए जा चुके हैं, अनेक अन्य विधायी प्रस्तावों पर अलग-अलग ग्रवस्थाओं में जाँच की जा रही है प्रीर वे विचाराधीन हैं।

भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा 1982 में एक नए 20-सूची कार्यक्रम की घोषणा के फलस्वरूप श्रम मन्त्रालय इस कार्यक्रम की दो मर्दों अर्थात् मद संख्या-5 और 6 के लिए उत्तरदायी है। मद संख्या-5 हृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनर्नीक्षा करने तथा उन्हें प्रभावी ढग से लागू करने के बारे में है जबकि मद संख्या-6 का सम्बन्ध बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वासि से है। श्रम मन्त्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे कि राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में न केवल सध्य-ममत्प पर संशोधन करें परन्तु उन्हें उचित ढग से लागू भी करें। बास्तव में यह हृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के पुनरीक्षण तथा प्रवर्तन सम्बन्धी मूलना को नियमित रूप से मानिटर करना रहता है। केन्द्रीय सरकार ने चार राज्यों (अर्थात् मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान और मणिपुर) को सहायता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक आधार पर केन्द्र द्वारा संचालित योजना को भी मन्त्री दी है, ताकि वे हृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यनिवारण के लिए प्रवर्तन तत्व को सुदृढ़ कर सकें। इस योजना में उन विकास ब्लॉकों में 200 ग्रामीण थर्म निरीक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था है, जहाँ अनुगूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की तादाद 70 प्रतिशत से अधिक है।

बन्धुआ श्रमिकों के उचित और स्थायी पुनर्वास का प्रयास करने समय, श्रम मन्त्रालय ने ग्रुप-उन्मुख हृष्टिकोण को ध्यान में रखा है। इसके अतिरिक्त, मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों को केन्द्रीय दिन्दु (फोकल प्लाईंट) माना गया है, और पुनर्वास योजना-बनाने तथा उसे लागू करने के दौरान उसके अधिनायों, अनुभूत आवश्यकताओं, अभियाचि और कोशलों को ध्यान में रखा गया है। किर भी यह

एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न स्रोतों प्रथात् आई, और डी.पी.एन. आर ई.पी., टी.आर.वाई.एस ई.एम., अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशिष्ट घटक (कम्पोनेट) प्लान, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता, जनजातीय उपलब्धान, सशोधित क्षेत्र विकास योजना, विद्युद एवं परिपत्यक्त क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना, आदि से साधनों को एकत्र (पूल) करना है और सभूल्भ तथा कौशल के साथ उन्हें एकीकृत करना है ताकि वेहतर और अच्छी कोटि का पुनर्वास मुनिशिचन हो सके।

बन्धुआ थमिको के पुनर्वास में राज्य सरकारों के प्रदासों को अनुपूरित करने के लिए, श्रम मन्त्रालय ने 1978-79 में केन्द्र द्वारा सचालित योजना शुरू की, जिसके अन्तर्गत बन्धुआ थमिको के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को बराबर-बराबर अनुदान (50.50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रत्येक बन्धुआ थमिकों पर अधिकतम 6250-00 रुपये तक वी वित्तीय सहायता को परिकल्पना की गई है, जिसमें 500-00 रुपये नकद तथा शेष राशि जिस के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान, योजना शायोग ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, घारह राज्यों के बारे में प्रारम्भ में 30,593 बन्धुआ थमिकों का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए 5 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया। इस लक्ष्य के मुकाबले में, राज्य सरकारों ने अप्रैल, 1985 से दिसंबर, 1985 की अवधि के दौरान 9,463 बन्धुआ थमिकों के पुनर्वास की सूचना दी है। बन्धुआ थमिको के पुनर्वास की गति को बढ़ाने के लिए, पुनर्वास योजनाओं को मन्जूरी प्रदान करने तथा अनुदान राशि प्रदान करने की प्रक्रिया को 17 सितम्बर, 1985 से और सरल बना दिया गया है जिसके द्वारा राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है कि वे पुनर्वास योजनाओं को स्वीकृति के आधार, जिनास्तर पर स्कीनिंग मिमितियाँ गठित करके, जिला अधिकारी कलेक्टरों (डिवीजनल आयुक्तों) को सौंपें। इस प्रक्रिया से पहले, मन्जूरी के अधिकार राज्य सरकारों के पास होते थे। यह भी प्रस्ताव है कि बन्धुआ थमिकों का पता लगाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की व्यवस्था करने हेतु एक योजना शुरू की जाए। घारणा यह है कि इस योजना को 'पीपल्स एक्शन फार डंबल (इण्डिया)' (पी.ई.डी.आई.) के माध्यम से लागू किया जाए, जो एक स्वायत्त निकाय है तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय के अधीन काम कर रहा है। वर्ष 1985-86 के दौरान इस योजना के लिए 10-00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

अमंगठित क्षेत्र के थमिकों की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने समठित क्षेत्र के थमिकों की बास्तविक माय और कार्य-दशाओं में सुधार लाने की ओर से अपना ध्यान हटाया नहीं है। असंगठित क्षेत्र के थमिकों के हितों की रक्षा करने में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका अम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, मन्तराजियक प्रबोसी कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1966, बीडी कर्मकार

कल्याण निधि अधिनियम, 1976, उत्प्रवास अधिनियम, 1983, आदि दस्तावेजों का मुख्य हाय रहा है। इन वर्षों के दौरान, इन कानूनों को बेट्ठर ढग से लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भवत और निमाण उद्योग के श्रमिकों की काम करने की दशाओं को विनियमित करने के लिए विधान पेश करने पर विचार किया जा रहा है।

बाल श्रमिकों और महिला श्रमिकों के कल्याण के सम्बन्ध में कई मंचों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। नवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन ने यात्रा श्रमिक सम्बन्धी व्यापक विधान की सिफारिश वी खतरनाक जिसमें व्यवसायों में उनके रोजगार को प्रतिभिज्ज्ञरने की व्यवस्था हो और जहाँ वही अन्यथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हे नियोजित किया जाए वहाँ पर उत्तरी कार्य दशाओं दो विनियमित विधा जाए। इस बात की आवश्यकता को बाल श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने भी दोहरादा तथा तदनुसार नए विधान को यथाशीघ्र पेश करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम मन्त्रालय महिला श्रमिकों में सम्बन्धित श्रम कानूनों का भी पुनरीक्षण कर रहा है, ताकि जहाँ कही आवश्यक हो, विशेष संशोधन किए जा सकें।

कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय का सगठन ग्रीष्मोगिक और खनन सुरक्षा पहनुप्रो पर ध्यान देता है। श्रम मन्त्रालय का सम्बन्ध पत्तों और गोदियों में माल लादने और उत्तरने तथा खानों में नियोजित श्रमिकों के लिए नीति बनाने और सुरक्षा उपायों को लागू करने हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करने से है। यह सुरक्षा पुरस्कारों को भी प्रदान करता है। 1985-86 के दौरान, सरकार ने ग्रीष्मोगिक श्रमिकों की सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित मामलों के बारे में राज्य सरकारों और सब राज्य क्षेत्र प्रशासनों के श्रम सचिवों का विशेष सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन से हुए विचार-विमर्श के अनुसार, सरकार ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कुर्बानी कभी कार्रवाई योजना तैयार की जिसमें नियोजकों/श्रमिकों/ट्रेड यूनियनों और सरकारी विभागों, विजेष रूप से कारखाना नियोजित व्यवस्थाओं के श्रोत्रोगिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया था और इस योजना को नियोजकों द्वारा श्रमिकों के केन्द्रीय सगठनों, राज्य सरकारों, सब राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनकी कड़ाई से पालन करने के लिए भेजा गया था। सरकार ने खान सुरक्षा सम्बन्धी छटा सम्मेलन भी ग्रामोगित किया। इसमें खान सुरक्षा श्रमिकों की अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करके खान सुरक्षा नियोजित व्यवस्थाओं को सुट्ट करने हेतु उपायों के बारे में विशेष सिफारिजों की गई थी।

1985 में, सरकार ने 'प्रधान मन्त्री के श्रम पुरस्कार' नामक एक योजना शुरू की जिसके अनुसार श्रमिकों को कार्य निष्पादन के विषयात रिकाई, अत्यधिक कार्य निष्ठा, उत्पादकता के क्षेत्र में विजेष योगदान, प्रमाणित नव परिवर्तन लाने

की घोषिताएँ, मुध-बुध और असाधारण माहम, जिसमें ईमानदारी से अपनी दृश्यटी करते हुए, अपने जीवन का मर्वाच्च त्याग शामिल है, के सन्मान में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कुन मिलाकर ऐसे दस पुरस्कार हैं जिनकी घोषणा प्रति वर्ष स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व मन्त्रिया पर की जाएगी। इनकी चार श्रेणियाँ होगी जैसे—‘थम रत्न’, ‘थम भूपण’, ‘थम वीर’ और ‘थम श्री’/‘थम देवी’। इन पुरस्कारों में थम रत्न के लिए एक लाख रुपये, थम भूपण के लिए 50,000 रुपये, थम वीर के लिए 30,000 रुपये और थम श्री/थम देवी के लिए 20,000 रुपये का नकद पुरस्कार है तथा प्रधानमन्त्री द्वारा हस्ताक्षररुक्त ‘सानद’ भी है। पुरस्कार जीतने वालों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें महिलाओं और द्रष्टव्य अभियोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले जिन्होंने अपनी दृश्यटी करते समय महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 जिसने 1922 के उत्प्रवास अधिनियम का स्थान ले लिया है, इस मन्त्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में जो 30 दिसम्बर, 1983 को लागू हुआ और इसके अधीन बनाए गए नियमों में ऐसे भर्ती एजेंटों के पंजीकरण और ऐसे नियोजकों (भारतीय और विदेशी दोनों) को परमिट देने की प्रणाली की गई है, जो सीधी भर्ती करना चाहते हैं। इस मन्त्रालय का यह प्रयास रहा है कि ऐसे उत्प्रवासी अभियोगों को अधिक संरक्षण प्रदान किया जाए जो विदेशों में रोजगार अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। भर्ती के सम्बन्ध में शोधरणकारी प्रयाग्रों पर कानून पाने के लिए तथा एजेंटों और नियोजकों की दोहरी जिम्मेदारी की प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए अधिनियम में पर्याप्त दण्डात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है। पिछले अनुभव को देखते हुए, इसे आवश्यक समझा गया और तदनुसार उत्प्रवासियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना शुरू करने तथा इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में उचित रूप से सशोधन करने का निर्णय लिया गया। यानोच्च वर्ष के दौरान, उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि भारत और कानार सरकारों के बीच हिप्सीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। अभियोगों का आयात करने वाले कुछ देशों अर्थात् यूनाइटेड अरब अमीरात, जोड़न और ईराक ने इसी प्रकार के करारों पर हस्ताक्षर करने में यहाँ दिलचस्पी दिखाई दी है। अन्य देशों में जल्दीकृत निर्धारित की मन्त्रालय का पता लगाने और अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

मज़दूरी बोर्डों के गठन द्वारा मज़दूरी दरों के निर्धारण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू. एन. माचावत की अध्यक्षता में अमजीदी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए दो मज़दूर बोर्ड तथा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जे. एम. टण्डन की अध्यक्षता में चीनी उद्योग के लिए

तीसरा मजदूरी बोर्ड जुलाई, 1985 में गठित किए गए थे। यीनी उद्योग के मजदूरी बोर्ड ने श्रमिकों को अन्तरिम मजदूरी दर के सम्बन्ध में यथार्थ सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं। इस वर्ष के दौरान बोनस सदाय प्रधिनियम, 1965 में दो बार सशोधन किया गया ताकि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी, जो प्रतिमास 2500 रुपये प्रतिमास तक वेतन/मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, 1984 में किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेहा वर्ष से बोनस की आदायगी के पात्र बन सकें, लेकिन यह तात्पुरी कि 1600 रु. और 2500 रु. प्रतिमाह के बीच मजदूरी/वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मध्यमध्य में बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो उनकी मजदूरी/वेतन 1600 रु. प्रति माह हो।

समाज सुरक्षा एक ऐसा अन्य क्षेत्र है जहाँ मुख्य कार्य यह रहा है कि इसकी योजनाओं तथा कानूनों के सीमा क्षेत्र को बढ़ाया जाए और पहले से प्रदान की गई सुविधाओं में आवश्यक सुधार भी किए जाएं। केलेप्टर 1985 के दौरान, कर्मचारी राज्य बोमा योजना को सात नए श्रोताओं के केन्द्रों पर लागू किया गया और इसके अन्तर्गत आने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की सख्त लागभग 46,000 थी (वर्तमान केन्द्रों में नए प्रवेश पाने वालों सहित)। इसी प्रकार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लगभग 2200 नए प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया जिनमें 2 लाख कर्मचारी शामिल थे (अबन्तवर, 1984 से सितम्बर, 1985 तक सोमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वर्तमान प्रतिष्ठानों में नए सदस्यों महित)। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत आने के लिए मजदूरी भीमा को 1-9-1985 से 1600 रु. से बढ़ाकर 2500 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। भवत निर्माण प्रयोजन हेतु भविष्य निधि में धन निकालने की सीमा को 24 माह की मजदूरी से बढ़ाकर 36 माह की मजदूरी कर दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मचारी राज्य बीमा नियम ने इस वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा लाभानुभोगियों के प्रयोग के लिए 450 पलगों वाले चार अस्पताल शुरू किए। कर्मचारी धरिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन दाने वाले अब 1-4-1985 से 60 रु. से 90 रु. के बीच पेंशन में अनुपूरक वृद्धि पाने के हकदार हैं।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने श्रमिकों को ट्रेड संश्वाद की तकनीकों में प्रशिक्षण देने, जनतान्विक समाज में उनकी भूमिका और उसके दायित्वों तथा सामाज्य जन नेतृत्व को प्रोत्साहन देने जैसे कार्यक्रम जारी रखे। इस वर्ष से कामकाजी वालों को और उनके मातापिता की शिक्षा सम्बन्धी एक नई परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत शिवाकाशी क्षेत्र के बाल श्रमिकों के लिए प्रथम पाठ्यक्रम 14-11-1985 को शुरू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस बोर्ड ने फरीदाबाद के निकट पत्थर दादा के श्रमिकों के लिए शैक्षणिक कैम्पों का जनवरी, 1984 में शायोजन शुरू किया। 1985-86 के दौरान, इस कार्यक्रम के मन्तर्गत कुल 558 श्रमिक प्रशिक्षित किए

गए। बोड के विभिन्न कार्यक्रमों में महिला श्रमिकों के भाग लेने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। बोड के कामकाज, सणठन तथा श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव का जायजा लेने की इटि मे 9-11 जुलाई, 1985 को 'अगले दशक में श्रमिक शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार प्रोजेक्ट' का आयोजन किया गया।

देश में ग्रीष्मोगिक सम्बन्ध स्थिति के बारे में सूचना श्रम मन्त्रालय के श्रम सम्बन्ध मानीटरिंग यूनिट द्वारा नियमित रूप से मानीटर की जाती है। कुल मिलाकर ग्रीष्मोगिक सम्बन्ध स्थिति में खासा सुधार हुआ। हड्डतानों तथा तालाबन्दियों के कारण हानि हुई, श्रम दिनों की सख्ती में गिरावट आई। यह सख्ता 1984 में 560·3 लाख थी जो घटकर 1985 में (जनवरी से नवम्बर) 273। लाख हो गई। इसी तरह, इस यूनिट को सूचित किए गए विवादों (हड्डतानों और तालाबन्दियों) की सख्ती में तेजी से कमी हुई। यह सख्ता 1984 में 2094 (1689 हड्डतानों और 405 तालाबन्दियों) थी जो घटकर 1985 (जनवरी से नवम्बर) में 1413 (1062 हड्डतानों और 351 तालाबन्दियों) हो गई। यह सन्तोष की बात है कि केन्द्रीय ग्रीष्मोगिक सम्बन्ध तन्त्र बम्बई पत्तन, भारतीय खात्य निगम (बम्बई और मनमाड), कोचीन रिफाइनरीज़ लिमिटेड, डाक विभाग, टेलीफोन विभाग, विशावा रिफाइनरीज़, कुद्रेमुख यात्ररन और कम्पनी लिमिटेड, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन और न्यू मंगलौर पत्तन में विवादों का निपटारा करने तथा हड्डतानों को रोकने में सफल रहा। त्रिपथीय सलाहकार पद्धति को सुख्ख करने के उद्देश्य से, कई बत्तमान ग्रीष्मोगिक समितियों का पुनर्गठन किया गया है और वर्ष के दौरान इनकी बैठकें आयोजित की गईं।

1985-86 की अन्य प्रमुख घटना श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में नवम्बर, 1985 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन का आयोजन था, जिसने कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श किया और इसने स्थायी श्रम समिति को पुनः शुरू करने की सिफारिश की ताकि सम्बन्धित पत्रकारों के बीच लगातार बातचीत हो सके। यह आशा की जाती है कि इस पद्धति की व्यवस्था से ग्रीष्मोगिक शान्ति और अर्थव्यवस्था में चहुंमुली विकास का नया युग शुरू होगा।"

जीवन-स्तर की अवधारणा

(Concept of Standard of Living)

जीवन-स्तर का अर्थ

(Meaning of the Standard of Living)

जीवन-स्तर का क्या अर्थ है? इसकी परिभाषा देना बड़ा कठिन है। जीवन-स्तर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक वर्ग से दूसरे वर्ग और एक देश से दूसरे देश में भिन्न-भिन्न पाया जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर को मापने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। जब हम यह कहे कि 'अ' देश में 'ब' देश से जीवन-स्तर

ऊँचा है तो इसका पर्याप्त यह है कि यह समस्त समाज का स्तर है जिसका निर्धारण उस देश की प्राकृतिक सम्पदा, जनसंख्या व उसकी कार्यकुशलता और घोषणागत संगठन की प्रबन्धना द्वारा होता है। जीवन-स्तर को परिभाषित करने हेतु हमें अनिवार्य मुविधाएं एवं विवासिताओं की वस्तुओं के उपयोग को ध्यान में रखना पड़ता है। जिस समाज अथवा देश में इनका उपयोग अधिक किया जाता है वहाँ जीवन-स्तर उन्नत होता है। अत यहाँ भी समाज प्रबन्धना व्यक्ति के जीवन-स्तर के विचार को जानने के लिए उस व्यक्ति का समाज में स्थान, सामाजिक बातावरण, जलदायु आदि को ध्यान में रखना पड़ेगा।

जीवन-स्तर दो प्रकार का हो सकता है—ऊँचा और नीचा। ऊँचा जीवन-स्तर वह है जिसमें मनुष्य अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं (अनिवार्य मुविधाएं और विवासिताएं आदि) की सन्तुष्टि करता है—अर्थात् अच्छा भोजन, अच्छा भक्षण, अच्छे वस्त्र, वडों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था आदि। इसके विपरीत नीचा जीवन-स्तर वह जीवन-स्तर है जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपनी सीमित आय से बहुत ही कम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है।

जीवन-स्तर एक तुलनात्मक शब्द है। जब भी हम जीवन-स्तर का प्रध्ययन करते हैं तो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, एक समाज से दूसरे समाज और एक देश से दूसरे देश के जीवन-स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। भारतीय घोषणागत अभिक का जीवन-स्तर कृपि अभिक से ऊँचा है अथवा नहीं, यह भी तुलनात्मक रूप में ही जीवन-स्तर का प्रध्ययन होगा।

जीवन-स्तर के निर्धारक तत्त्व

(Determinants of Standard of Living)

किसी देश के समस्त व्यक्तियों का जीवन-स्तर समान नहीं होता। एक ही देश में विभिन्न व्यक्तियों, वर्गों, समाजों तथा स्थानों का जीवन-स्तर भिन्न-भिन्न पाया जाता है। जीवन-स्तर में समायानुसार परिवर्तन होता रहता है। तेजी में ऊँची औद्योगिक आय होने पर भी लोगों का जीवन-स्तर निम्न होता है क्योंकि अनिवार्य वस्तुएं भी आसानी से सुलभ नहीं हो पाती हैं। वर्तमान समय में भारत दृसी दौर से गुजर रहा है। अत जीवन-स्तर को प्रभावित करने अथवा निर्धारित करने वाले तत्त्व अनेक हैं जिन्हें मोटे तौर पर बातावरण व व्यक्तिगत तत्त्वों के हृष में विभाजित कर सकते हैं। बातावरण के प्रभावगत समय, आय और दर्दों को जामिल किया जाता है।

1. भौगोलिक परिस्थितियाँ (Geographical Conditions)—जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है वहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर उस दूसरे देश के निवासियों के जीवन-स्तर से जहाँ गर्मी पड़ती है और सूती वस्त्र धारण किए जाते हैं, प्रगल्ग होता है। भारत में गर्गा-दिन्धु के मैदान में रहने वाले लोगों का जीवन-स्तर देश के प्रम्य निवासियों से ऊँचा पाया जाता है।

2. समय तत्व (Time Factor)—प्राचीन समय में आवश्यकताएँ सीमित थीं लेकिन धर्ममान समय में विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति होने से सस्ती एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण काफी होने लगा है। रेडियो, गैंस का चूल्हा, रेफ्रिजरेशन आदि का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का भी यही लक्ष्य रहा है कि अधिकार्यिक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन हो जिससे कि यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर उन्नत हो सके।

3. सामाजिक रीति-रिवाज (Social Customs)—मनुष्य जिस समाज में जन्म लेता है और रहता है, उस समाज के रीति-रिवाजों का उस पर प्रभाव पड़ता है। उत्तराहरणार्थ, भारत में अधिकांश जीवन की कमाई मृत्यु-भोज, दहेज, विवाह, दावत और क्षणिक शान-जीकत पर व्यय कर दी जाती है और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम सीमा तक हो पाती है। अत. जीवन-स्तर अधिकांश निम्न पापा जाना है।

4. शिक्षा का विकास (Development of Education)—शिक्षा का प्रमार होने से व्यर्थ के व्यय को समाप्त कर दिया जाना है तथा सीमित आय को विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करके अधिकतम सन्तोष प्राप्त किया जाता है जिससे जीवन-स्तर ऊँचा उठता है।

5. धार्मिक प्रभाव—भारतीय नागरिक 'सादा जीवन उच्च चिचार' के आधार पर जीवन व्यतीत करता है लेकिन धार्मिक प्रभाव से कई अवसरों पर अपनी आय से अधिक व्यय कर देता है जैसे गगोज, नुकता प्रया आदि पर।

6. आय तत्व (Income Factor)—जीवन-स्तर के नियोरण में आय तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्य-शक्ति हारा उपभोग की मात्रा तथा किस्म प्रभावित होती है। यदि किसी व्यक्ति की आय का स्तर ऊँचा है तो अन्य बातें ममान रहने पर उसका जीवन-स्तर ऊँचा होगा। इसके विपरीत उसका जीवन-स्तर नीचा होगा।

7. व्यय करने का तरीका (Method of Spending)—अविवेकपूर्ण ढंग से व्यय करने पर उच्च आय वाले व्यक्ति को भी अधिक सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता जबकि दूसरी ओर उसमें कम आय वाला व्यक्ति भी विवेकपूर्ण व्यय करके अपने सन्तोष को अधिकतम कर सकता है और इससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है।

8. परिवहन के साधन (Means of Transport)—जीवन-स्तर को परिवहन के साधन भी प्रभावित करते हैं। जैसे-जैसे परिवहन के साधनों का विकास होता है, लोगों का समर्क शहरी धोतों से होता है। उसकी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे जीवन-स्तर ऊँचा उठता है।

9. जीवन का हृष्टिकोण (Outlook of Life)—यदि एक देश अथवा समाज के जीवन का हृष्टिकोण भौतिकबादी है तो वहाँ विभिन्न वस्तुओं का उपभोग

किया जाएगा और उनका जीवन-स्तर उन्नत होगा। उदाहरणार्थं पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों का इष्टिकोण 'खाओ, पीओ और मौज उडाओ' (Eat, drink and be merry) होने के कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा है तो भारत जैसे विकासशील देश में सादा जीवन व्यतीत करना जीवन-स्तर को ऊँचा नहीं उठाना क्योंकि सीमित आवश्यकता की पूर्ति की जाती है।

10. स्वास्थ्य का प्रभाव—प्रच्छे स्वास्थ्य वाला अच्छा खा सकता है और अच्छा पहन सकता है, लेकिन एक अस्वस्थ व्यक्ति अच्छा नहीं खा सकता और नहीं पहन सकता है। अतः अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति उच्च जीवन-स्तर वाला तथा अस्वस्थ व्यक्ति निम्न जीवन-स्तर वाला होता है।

11. परिवार का आकार (Size of the Family)—एक बड़ा परिवार जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है अधिक उपभोग कर सकता और उसका जीवन-स्तर नीचा होगा। दूसरी ओर छोटे परिवार के सदस्यों का उपभोग-स्तर अधिक ऊँचा होता है।

12. कीमतें और निवाहि लागत (Prices and Cost of Living)—जीवन-स्तर पर कीमतों व निवाहि लागत का भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि होने से निवाहि लागत में वृद्धि होती है और वास्तविक मजदूरी में गिरावट आती है जिससे उपभोग कम होता है और फलस्वरूप जीवन-स्तर निम्न होता है। इसके विपरीत कीमतों में गिरावट प्राप्ति से निवाहि लागत भी घटती है। वास्तविक मजदूरी बढ़ने से अधिक उपभोग सम्भव होता है और जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

अतः किसी भी देश के निवासियों अथवा किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के जीवन-स्तर को समस्या का अध्ययन करने के लिए हमें इन विभिन्न तरस्सों को ध्यान में रखना चाहिए।

जीवन-स्तर का माप

(Measurement of Standard of Living)

किसी भी देशवासियों, समाज, परिवार, वर्ग या व्यक्तियों का जीवन-स्तर उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व गुण पर निर्भर करता है। अतः समाज के किसी वर्ग के जीवन-स्तर का माप करने के लिए प्राय और व्याप की भद्रों को जानना आवश्यक है। इसके लिए पारिवारिक बजट (Family Budget) तैयार करने पड़ते हैं। सभी व्यक्तियों के बजट तैयार करना सम्भव नहीं है। पूर्ण सर्वेक्षण (Census Survey) तथा प्रतिनिधि सर्वेक्षण (Sample Survey) के आधार पर परिवार बजट तैयार किए जाते हैं। प्रतिनिधि सर्वेक्षण परिवार बजट के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसके प्रबन्धन बुद्ध प्रतिनिधि परिवारों का चुनाव किया जाता है जिसमें सभी विदेशीओं वाले परिवार प्राप्ति चाहिए। प्रतिनिधि परिवारों का चयन सावधानी से करना चाहिए जिससे कि सभी परिवारों

का प्रतिनिधित्व किया जा सके। इन बजटों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अमुक परिवारों या वर्ग वाले परिवार द्वारा अनिवार्य आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओं की मात्रा तथा गुण का किस अनुपात में उपभोग किया गया है। इसी आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि किस वर्ग या समाज का जीवन-स्तर दूसरे वर्ग या समाज से ऊँचा है अथवा नीचा।

हमारे देश में धमजीवियों के जीवन-स्तर का अनुमान लगाने के लिए इस रीति को अपनाया जा सकता है। किसी भी समाज या देश के निवासियों का जीवन-स्तर समान नहीं रहता। अलग-अलग आय वाले लोगों का जीवन-स्तर अलग-अलग होता है। कुछ व्यक्ति अधिक खर्च करते हैं तो अन्य कम खर्च करते हैं। कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं पर अधिक व्यय करते हैं तो दूसरे आरामदायक और अन्य आवश्यकताओं पर अधिक व्यय करते हैं। इन भिन्नताओं के कारण विभिन्न वर्गों के जीवन-स्तर में भी भिन्नताएँ पाई जाती हैं। सन् 1921-22 में बम्बई में श्रीदेवीगिक अभियोकों के परिवार बजट के सम्बन्ध में जांच की गई थी, लेकिन विस्तृत जांच भारत सरकार द्वारा निर्वाह लागत सूचकांक तैयार करने हेतु सन् 1943-45 में परिवार बजट जांचों (Family Budget Enquiries) द्वारा की गई। इसमें 28 केन्द्रों के 27,000 परिवार बजटों के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया गया था।

इसी प्रकार की जांच सन् 1947 में श्रमम, बंगाल और दक्षिणी भारत के कुछ चुने हुए बागानों के सम्बन्ध में की गई। सन् 1945 में भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के निर्वाह नागत सूचकांक तैयार करने हेतु परिवार बजट जांच का कार्य किया गया। भारतीय मार्गियकी संस्थान, बम्बई (Indian Statistical Institute) द्वारा भी बम्बई के मध्यम वर्ग परिवारों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं खुराक सर्वेक्षण किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं श्रम संस्थान, शिमला (Labour Bureau, Simla) द्वारा महस्त्वपूर्ण श्रीदेवीगिक केन्द्रों एवं परिवारों की परिवार बजट जांच की गई। इस प्रकार की जांच सन् 1946 व 1950 में श्रम संस्थान द्वारा बागानों के सम्बन्ध में की गई। सन् 1950 में डॉ अग्निहोत्री (Dr Agnihotri) द्वारा काशीपुर में 900 श्रमिकों के परिवारों के सम्बन्ध में जांच की गई। सन् 1958 में श्रम संस्थान द्वारा 50 चुने हुए केन्द्रों पर कारखाना, खानों व बागानों में लगे श्रमिकों के सम्बन्ध में परिवार जीवन सर्वेक्षण (Family Living Surveys) किए गए। यह श्रमिकों के उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने हेतु किया गया।

हाल ही के वर्षों में देश से विभिन्न राज्यों में परिवार बजट जांच कार्यक्रम शुरू किया गया। जहाँ तक कृषि श्रमिकों का सम्बन्ध है सन् 1950-51 व 1956-57 में कृषि श्रमिक जांच (Agricultural Labour Enquiries) की गई थी जिससे कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

सर्वेक्षण एवं जौधो से हमें ग्रीष्मिक श्रमिकों के जीवन-स्तर के सम्बन्ध में विस्तृत ध्याकड़े प्राप्त होते हैं। कार्य की दशाएँ, मजदूरी आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्नता होने के कारण मार्तीय श्रमिकों के सामान्य स्तर प्रीर निर्वाह लागत स्तर को जानना सम्भव नहीं है। परिवार बजट तैयार करना भी एक साधारण कार्य नहीं है। परिवारिक बजट तैयार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि परिवारों के सदस्यों की सूचा कितनी है? कितने सदस्य कमाने वाले पर निर्भर हैं आदि।

परिवार के व्यय की विभिन्न मर्दों जैसे—साचाना, वस्त्र, आवास, इंधन एवं विजनी, अन्य मर्दों आदि के सम्बन्ध में ध्याकड़े एकत्रित करने पड़ें। ग्रलग-ग्रलग श्रमिक दर्गों की आय में भिन्नता होने के कारण आय का व्यय किया जाने वाला भाग भी निष्ठ-भिन्न होता है।

भारतीय श्रमिकों का जीवन-स्तर (Standard of Living of Indian Workers)

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को जानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना होगा कि जीवन-स्तर नीचा है अथवा ऊँचा है—

1. आय (Income)—प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जीवन-स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। सन् 1961 में 400 रु. मासिक से कम आय वाले श्रमिकों की प्रति व्यक्ति शोस्त वार्षिक आय 1540 रु. थी जो कि सन् 1969 में बढ़कर 2564 रु. हो गई। यह दृष्टि विषय के विकसित देशों की तुलना में कम है। वे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं अतः उनका जीवन-स्तर निम्न है। इसी अवधि में (1961-69) मीट्रिक आय का सूचकांक ($1961 = 100$) 100 से बढ़कर 166 हो गया लेकिन वास्तविक आय सूचकांक 95 से घटकर 94 रह गया।

अम सह्यान (Labour Bureau) द्वारा अविल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया गया। योजनाकाल में मूल्य निर्वातर बढ़े हैं। कीमत सूचकांक सन् 1961 में 126 से बढ़कर सन् 1970 में 224 हो गया ($1949 = 100$)। अतः मूल्य दृष्टि से श्रमिकों का जीवन-स्तर निम्न है।

2. राष्ट्रीय आय का वितरण (Distribution of National Income)—भारतीय श्रमिकों की शोस्त वार्षिक आय 1500 रु. से भी कम है। इतनी कम आय में श्रमिक अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में घसघर्व रहता है, अतः जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

3. आयु (Age)—ऊँचे जीवन-स्तर से दीवे आयु होती है तथा निम्न जीवन-स्तर से अल्प आयु होती है। परिचमी राष्ट्रों—इंग्लैण्ड में पुरुष व स्त्री की औसत आयु 76 व 71 वर्ष है जबकि भारत में यह औसत 40 व 38 वर्ष ही है।

4. कार्यकुशलता (Efficiency)—जैवन स्तर होने से श्रमिक की कार्यक्षमता भी अधिक होती है जबकि निम्न जीवन स्तर वाला श्रमिक कम कार्यकुशल होता है। प्रो. रॉबर्ट के अनुसार अप्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा 4 गुना अधिक कार्यकुशल है।

5. आधारभूत बस्तुओं की प्राप्ति (Availability of Necessary Goods)—गुणात्मक हास्ति से भारतीय श्रमिकों को भोजन प्राप्त नहीं होता। भारतीय श्रमिकों के उपभोग्य पदार्थों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय अम-संगठन (I. L. O.) वस्त्र उद्योग जैव समिति तथा डॉ. राधाकर्ण मुकर्जी आदि द्वारा अध्ययन किया गया है। इनके अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हमारे देश में केवल 39% लोगों को पूरा भोजन मिलता है प्रोटो शेष व्यक्ति भूखमरी में रहते हैं। कपड़ा भी हमारे देश में औसत उपभोग 10 मीटर होता है जबकि अमेरिका में यह 65 मीटर है। आवास की स्थिति भी दयनीय है।

6. परिवार बजट (Family Budget)—श्रमिकों के सम्बन्ध ने समय-समय पर परिवार बजट तंत्यार किए गए हैं। उनके आधार पर भी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। श्रमिकों की आय का 60 से 70% भाग भोजन पर ही व्यय हो जाता है। भोजन की मात्रा व गुण भी कम होते हैं। कपड़ों पर उसे 14% तक मकान पर 4 से 6% ईधन व प्रकाश पर 5 से 7% व्यय किया जाता है। श्रमिकों के पास शिक्षा व मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं बचता। इससे श्रमिक का जीवन स्तर निम्न प्राप्त है।

भारतीय श्रमिकों के निम्न जीवन-स्तर के कारण

(Causes of Low Standard of Living of Indian Labour)

भारतीय श्रमिक के जीवन स्तर के निम्न होने के निम्नलिखित कारण हैं—

1. निम्न आय और ऊची निवाहि लागत (Low Income & High Cost of Living)—भारतीय श्रमिकों की आय अथवा मजदूरी इतनी कम है कि इन्हीं अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। दूसरे महायुद्ध नवा इसके पश्चात् मजदूरी में कुछ सुधार हुआ किन्तु कीमतों में वृद्धि होने से निवाहि लागत में वृद्धि होने से वास्तविक आय कम हो गई। श्री मी. डी. देवमुख ने सन् 1947 में कहा था कि भारत मजदूरी कीमत वृद्धि से पीड़ित है। श्रमिकों को दी जाने वाली अधिक मजदूरी अधिक निवाहि लागत द्वारा समाप्त कर दी जाती है। एशिया के विभिन्न देशों में निवाहि लागत में असामान्य अनुभाव में वृद्धि हुई है जबकि यूरोपीय देशों में इन्हीं वृद्धि नहीं हुई है। यह आगे दी हुई तालिकाओं से देखा जा सकता है।

निर्वाह लागत सूचकांक (आधार वर्ष 1937=100)

| वर्ष | इंडिया | अमेरिका | कनाडा | भारत |
|------|--------|---------|-------|------|
| 1939 | 103 | 97 | 100 | 100 |
| 1945 | 132 | 125 | 118 | 222 |
| 1948 | 108 | 167 | 153 | 286 |
| 1949 | 111 | 165 | 159 | 290 |

सन् 1959 में औसत सूचकांक (आधार वर्ष 1955=100)

| देश | योक मूल्य | निर्वाह लागत |
|---------------|-----------|--------------|
| भारत | 126 | 128 |
| कनाडा | 105 | 106 |
| मिस्र | 117 | 106 |
| आपान | 101 | 104 |
| मीदरलैण्ड | 104 | 111 |
| स्वीडन | 105 | 114 |
| स्विट्जरलैण्ड | 100 | 103 |
| इस्लैण्ड | 109 | 112 |
| अमेरिका | 107 | 109 |

भारतीय अधिको की वास्तविक आय और निर्वाह लागत सूचकांको की तुलना से यह एता चलता है कि उनका जीवन-स्तर गिरा है। महंगाई भर्ते में जितनी वृद्धि की गई है उससे ज्यादा सामान्य कीमत स्तर और निर्वाह लागत में वृद्धि हुई है। सामान्य कीमत स्तर और निर्वाह लागत वृद्धि का जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है।

2. जलवायु (*Climate*)—गर्म देशों में लोगों का जीवन-स्तर नीचा होता है क्योंकि उनको अधिक कष्ट का नहीं पहनने पड़ते और न ही वहे मकानों की जरूरत पड़ती है जबकि ठण्डे देशों में गर्म कष्ट का पहनने पड़ते हैं और वहे मकानों की आवश्यकता होती है।

3. प्रशिक्षा एवं रुदिकादिता—भारतीय अधिक अशिक्षित होने के कारण वे भाग्यवादी हैं। उनमें प्रगति की भावना नहीं होती है। वे मेहनती नहीं हैं तथा विभिन्न रुदियों से परत हैं। गोज, मुकलावा, भृत्य-भोज, विवाह ग्रादि पर किजूल वर्च होता है अतः उनका जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

4. निम्न कार्यकुशलता (*Low Efficiency*)—अधिक कार्यकुशलता अधिक होने पर उत्पादन अधिक होता है। अधिक उत्पादन से ऊची मजदूरी मिलती है और उससे जीवन-स्तर भी उच्चत होता है लेकिन भारतीय अधिक की कार्यकुशलता कम होने से मजदूरी कम मिलती और कम मजदूरी से जीवन-स्तर भी निम्न होता है। सर ब्लीमेंट सिम्पसन के अनुसार संकाशायर का एक अधिक प्रणे जैसे 2.67 भारतीय अधिक के बराबर कार्य करता है।

5. असंतुलित भोजन (Unbalanced Diet)—श्रमिक का स्वास्थ्य व कार्यक्षमता उसके द्वारा खाई गई खुराक पर निर्भर करते हैं। जब श्रमिक की अनिवार्य आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती हैं तो इससे औद्योगिक अकुशलता, अनुपस्थिति, प्रवास, दुर्घटनाएँ आदि बुराई उत्पन्न होनी हैं और इसके परिणामस्वरूप उसका जीवन-स्तर नीचा होता है। पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है और जो भोजन मिलता है वह भी संतुलित नहीं होता है।

6. जनाधिक्षण (Over Population)—हमारे देश की जनसंख्या $2\frac{1}{2}\%$ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। अधिक जनसंख्या होने से कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से प्रति व्यक्ति आय कम प्राप्त होती है। इससे जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

7. खराच आवास योजना (Bad Housing Scheme)—भारतीय औद्योगिक नगरों में जनसंख्या का भार अधिक है। वहाँ आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते हैं। परिवार साथ नहीं रख पाते हैं। इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर खराच प्रभाव पड़ता है तथा वे अच्छा जीवन-स्तर बनाए रखने में असमर्थ होते हैं।

8. धन का असमान वितरण (Unequal Distribution of Wealth)—हमारे देश की राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में कम है। इससे प्रति व्यक्ति आय कम होती है तथा आय व धन का वितरण भी असमान होने से धनी अधिक धनी और निर्धन अधिक निर्धन होते जा रहे हैं। इससे जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है।

जीवन-स्तर ऊँचा करने के उपाय

(Measures to Raise the Standard of Living)

भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को उन्नत करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. आय में वृद्धि (Increase in Income)—जीवन-स्तर पर आय का गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की आय बढ़ने पर उनका जीवन-स्तर भी बढ़ता है। श्रमिकों की मजदूरी ही समस्त श्रम-समस्याओं का केन्द्र बिन्दु है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ श्रमिकों की आय (मजदूरी) में भी वृद्धि की जानी चाहिए। निर्वाह लागत में वृद्धि कीमतों में वृद्धि का परिणाम है। इससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। इससे वह कम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर पाता है। अतः यहाँ हुई वास्तविक मजदूरी को रोकने के लिए निर्वाह लागत में वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए। इसके साथ ही श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी (Incentive Wages) भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि करके उनके जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक नियोजन द्वारा उत्पादन तथा रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है और इस वृद्धि के परिणामस्वरूप जीवन-स्तर को ऊँचा किया जा सकता है।

2. प्राप्य व धन का समान वितरण (Equal Distribution of Income & Wealth)—राष्ट्रीय धार्य में वृद्धि के बावजूद भी समाज का जीवन-स्तर नीचा रह सकता है। प्राप्य व धन के द्वितीय वितरण को दूर करके निर्धनता व सम्पदता की खाई को कम किया जा सकता है और धनी व्यक्तियों को प्राप्य व धन का एक भाग निर्धन वर्ग पर व्यय किया जा सकता है। इससे निर्धन व्यक्तियों (श्रमिकों) के जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है।

3. परिवार नियोजन (Family Planning)—भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर के निम्न होने का एक कारण उनके परिवार का बड़ा होना है। कमाने वाला एक तथा उस पर आधित सदस्यों की संख्या अधिक होती है जिससे उनकी अनिवार्य आवश्यकताएँ भी आमानी से पूरी नहीं हो सकती। उनका जीवन-स्तर भी इसलिए निम्न पाया जाता है अतः श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि करने हेतु परिवार नियोजन अपनाकर छोटा परिवार रखना होगा।

4. शिक्षा का प्रसार (Spread of Education)—एक शिक्षित श्रमिक—अच्छा उत्पादक व अच्छा उपभोक्ता बन जाता है। भारतीय श्रमिकों में अधिकांश श्रमिक अशिक्षित, अज्ञानी व रुदिवारी है। भारत सरकार ने सन् 1958 में श्रमिकों की शिक्षा हेतु केन्द्रीय मण्डल (Central Board for Worker's Education) की स्थापना की है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रान्तों से क्षेत्रीय केन्द्र (Regional Centres) स्थापित किए गए। शिक्षा के प्रसार से अच्छे ढंग से श्रमिक कार्य करेगा और विकेपूर्ण ढंग से व्यय करके अधिकतम सन्तोष प्राप्त करेगा। इससे जीवन-स्तर उन्नत होगा।

5. सामाजिक रीति-रिवाजों में सुधार (Improve in Social Customs)—भारतीय समाज एक पिछड़ा समाज है। इसमें कई रीति-रिवाज प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं। मृत्यु-भोज, गणोज, मुकलावा शादी आदि पर वेकिजूल व्यय करने से श्रमिकों की अनिवार्य आवश्यकताओं हेतु साधन बच नहीं पाते हैं और उनका जीवन-स्तर निम्न पाया जाता है। अतः इन सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाया जा सकता है।

6. सन्तुलित बजट (Balanced Budget)—श्रमिकों को अपने प्राप्य तथा व्यय का बजट तंपार करना चाहिए। उनकी धार्य किनती है तथा उनको किन-किन मद्दों पर व्यय किया जाएगा। जब प्राप्त धार्य को ढंग से व्यय किया जाएगा तो इससे श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिकतम सन्तोष प्राप्त हो सकेगा। पारिवारिक बजट को सन्तुलित रखने के लिए हमें भारतीय श्रमिकों में शिक्षा का प्रचार, प्रसार और सुविधाएँ प्रदान करनी होगी।

7. सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन (Balanced & Sufficient Diet)—श्रमिकों की कार्यकुशलता, उत्पादकता, मजदूरी व जीवन-स्तर सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन पर निर्भर करते हैं। भारतीय श्रमिकों को न तो सन्तुलित भोजन मिलता है

और न ही पर्याप्त भोजन अतः श्रमिकों को सन्तुलित एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इससे श्रमिकों का जीवन-स्तर उन्नत होगा।

8. धन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना—भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर में बढ़ि करने के लिए श्रमिकों की कल्याणकारी क्रियाओं (Welfare Activities) में बढ़ि करनी चाहिए। इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में बढ़ि होगी और जीवन-स्तर उन्नत होगा। इसके साथ ही श्रमिकों को उनकी अतिशिव्वत आप को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके दूर किया जा सकता है। इससे श्रमिक भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित रहता है और वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को सन्तुष्टि कर पाता है। इससे उसका जीवन-स्तर उन्नत होगा।

इस प्रकार भारतीय श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊचा करने के लिए हमें कई कदम उठाने पड़ेगे। डॉ. राधाकमल मुकर्जी के धनुसार किसी भी उद्योग की समृद्धि एवं सम्पन्नता उस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं उनके समृद्धि जीवन-स्तर पर निर्भर करती है। सामाजिक सुरक्षा द्वारा यह सम्पन्नता पर्याप्त सीमा तक प्राप्त की जा सकती है।

5

मजदूरी नीति, रोजगार एवं आर्थिक विकास

(Wage Policy, Employment and
Economic Development)

मजदूरी नीति (Wage Policy)

भारत विषय के याठ प्रमुख प्रौद्योगिक राष्ट्रों में से एक है, फिर भी यह एक अधिकसित राष्ट्र है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से ही सरकार ने आर्थिक-विकास प्रोग्रामाजिक पुनर्निर्माण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस प्रकार के विकास कार्यों का महत्वपूर्ण उद्देश्य श्रमिकों की वास्तविक आय और उनके जीवन-स्तर में बढ़िया करना है। निम्न मजदूरी होने से श्रमिकों की कार्य-क्षमता प्रभावित होती है और इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों की कार्य-क्षमता निम्न पाई जाती है। इसके साथ ही निम्न आय से वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग कम होती है और बाजार भी भक्ति छोड़ता है।

मजदूरी नीति उत्थान तथा राष्ट्रीय लाभांश का निर्धारण करती है, लेकिन इस नीति के अल्पकालीन व दोषकालीन उद्देश्यों के माध्य-साध्य निजी व सामाजिक उद्देश्यों में संघर्ष पाया जाता है। हमारा देश प्रजातन्त्र प्रणाली पर ग्राधारित है इसलिए यही एक उचित मजदूरी नीति के निर्धारण में बड़ी कठिनाई आती है। मजदूरी नीति, जिससे सन्तुष्ट और दक्ष श्रम शक्ति का विकास होता है, वह हमारी विकास सम्बन्धी योजनाओं की सफलता में हाथ बेटा मजबूती। मजदूरी नीति के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति निम्नलिखित प्राविष्टिकाओं से निहित है—

1. पूर्ण रोजगार एवं सभी साधनों का इष्टतम आवण्टन (Full employment and optimum allocation of all resources),
2. आर्थिक स्थिरता की अधिकतम मात्रा (The highest degree of economic stability),

3. समाज के सभी वर्गों हेतु अधिकृतम् आय सुरक्षा (Maximum income security for all sections of the community) ।

इसके साथ ही एक मजदूरी नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति के प्रनुसार उच्चतम् मजदूरी स्तर प्रदान करना होता चाहिए। आर्थिक विकास से देश की आर्थिक सम्पन्नता में से अमिक को उचित हिस्सा मिलना चाहिए। आर्थिक विकास से प्राप्त ताम्र अमिकों को उनकी मजदूरी में वृद्धि के रूप में होने चाहिए।

भारतीय अमिक सम्बन्धी नीति के आधारभूत तत्त्व

भारतीय अमिक सम्बन्धी-नीति की विवेचना करने के पूर्व इसके आधारभूत तत्त्वों का अध्ययन आवश्यक है। प्रो. वान डी. केनेडी ने एक लेख में इसको निम्नांकित 6 भागों में विभक्त कर व्याख्या करने का प्रयास किया है—

- (1) अप्रेजी परम्परा की देन।
- (2) पेंतूकतावाद।
- (3) अम-प्रवन्ध सौहार्द।
- (4) विश्वास एवं मान्यता।
- (5) उत्पादन की व्यपरेका।
- (6) व्यक्तिगत कारक।

(1) अप्रेजी परम्परा की देन—सर्वप्रथम अप्रेजी शासन की देन पर विचार करने से जात होता है कि भारतीय ग्रौदोगिक सम्बन्ध में अप्रेज शासकों ने ग्रौदोगिक सम्बन्ध को जैमा चाहा वैसा बनाने का प्रयास किया। अप्रेजों द्वारा प्रतिपादित शासकीय ढांचे को ही सरकारी कामकाज की व्यवस्था में आज तक अपनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय अमिक अधिनियम एवं भारतीय संविधान भी अप्रेजों द्वारा चालित माना गया है, इनमें भारतीयता की लेशमात्र भलक भी नहीं मिल पानी। अमिक खेतों में भी यह इसी प्रकार दिखाई पड़ता है।

(2) पेंतूकतावाद—पेंतूकतावाद की पवृत्ति ने भी भारतीय अमिक सम्बन्ध को दिशा दी है। अमिक अधिनियमों का अध्ययन करने पर इसमें पेंतूकत्व का लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भारतीय अम-कल्याण अविनियम को ही देखा जाए तो ऐसा ज्ञान होगा कि इसमें अमिकों को ग्रमहाय ग्रथवा छोटा समझा गया और अर्थात् रूप से उन्हें मात्र सन्तुष्ट कराने का ही प्रयास किया गया है। इसमें जो भी व्यवस्था हो, परन्तु सम्पूर्ण अमिक विवाद का मूल कारण सरकार एवं नियोक्ताओं का अमिकों के प्रति सकुचित हृष्टिकोण ही है। अमिकों के प्रति इसी पेंतूकतावाद ने नियोक्ता अमिक सम्बन्ध को प्रभावित किया है। नियोक्ता सोबता है कि अमिक अपना संघ वयों बनाते हैं, मर्गे वयों पेश करते हैं, भला इन सबकी उनको वयों आवश्यकता पड़ी जबकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नियोक्ता करते ही हैं। तत्कालीन अम-मन्त्री थीं वी. देसाई ने भी अमिक संघों की आवश्यकता पर वज़ दिया और इसके प्रति

1 दो देकेंड प्रनाय नाशयणमिहः ग्रौदोगिक सम्बन्ध एवं अम-ममस्यार्थ, पृष्ठ 58-59.

अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए—जब राज्य श्रमिकों को सारी सुविधाएँ दे ही रहे हैं तो ऐसी अवस्था में उन्हें श्रमिक संघों के गठन का कोई अधिकार ही नहीं दिया जाना चाहिए। श्रमिक संघों का विकास मात्र मनोरजन, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के लिए उपयोगी हो सकता है, न कि उथोग सचालन के लिए।

(3) श्रम-प्रबन्ध सीहार्ड—श्रम-प्रबन्ध सीहार्ड श्रीदोगिक परियोजनामों को चलाने के लिए आवश्यक है। आपसी भेदभाव को दूर करने के सभी सम्भव उपायों का अबलम्बन लेना चाहिए। एक मात्र गांधीजी के आदर्शों की दुहाई देने से ही आपसी सम्बन्ध नहीं सुधर सकते। इसके लिए दोनों पक्षों को अपने-अपने स्वायत्तों का त्याग कर उद्योग के आदर्शों को अपनाना चाहिए। श्री दान केनेडी ने भी अपने लेखों द्वारा पुरानी विचारवारा का त्याग कर आज की प्रगतिवादी व्यवस्था का निर्माण करने पर बल दिया है और आशा की है कि श्रीदोगिक शक्ति उसी से सम्भव है। विधानों ने श्रमिक-प्रबन्ध भागीदारी व्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। श्री गुलजारीलाल नन्दा ने इस श्रीदोगिक सीहार्ड की प्राप्ति के लिए सह-सहयोग एवं भागीदारी पर विशेष बल दिया था।

(4) विश्वास एवं मान्यता—मान्यताओं में विश्वास भारतीय व्यवस्था का स्वरूप माना जाता है। इस आधार पर सरकार को चाहिए कि वह श्रमिकों एवं नियोक्तामों में आदर्श की भावना जाग्रत करे। यदि किसी विवाद का निवारण आपसी समझौते से न हो तो विद्यनीय खोतो, अथवा न्यायाधिकरण की व्यवस्था द्वारा विवाद का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा होने से उद्योग में श्रमिक एवं नियोक्ता की आपसी बैंगनस्थता की भावना को तिरोहित किया जा सकता है।

(5) उत्पादन की रूपरेखा—अच्छे उद्योग को बनाने के लिए उत्पादन की चिन्ता होना अनिवार्य है। यदि उत्पादकता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छे सम्बन्धों का भी निर्माण किया जा सकता है। इसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भारतीय योजनाओं का भी श्रीगणेश हुआ और इसी के लिए उत्पादकता समितियों का सहयोग निया गया।

(6) व्यक्तिगत कारक—व्यक्तिगत के विकास से ही श्रम-सम्बन्धों एवं श्रमिक नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। व्यक्तिगत के विकास में श्रमिकों के सोचने एवं कार्य करने में सहायता मिलती है। श्रीदोगिक व्यवस्था में शामिल के प्रयास में श्री वी. वी. गिरि, श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री खण्डभाई देसाई तथा श्री जगजीवन राम आदि के नाम उल्लेख हैं। इनके व्यक्तिगत का प्रभाव है कि श्रमिकों के उत्थान में प्रगति होती गई।

मजदूरी नीति के निर्माण में समस्याएँ

(Problems in the Formulation of a Wage Policy)

मजदूरी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक उचित मजदूरी नीति का निर्माण करना होगा। इस नीति के निर्माण में अर्थात् समस्याएँ उत्पन्न होती हैं—

1. मजदूरी निर्धारण एवं मुगतान (Wage Determination and Payment),
2. मजदूरी-स्तर एवं मजदूरी सरचना (Wage Levels and Wage Structure), और
3. मजदूरी सुरक्षा (Wage Security)।

1. मजदूरी निर्धारण एवं भुगतान—विभिन्न देशों और उद्योगों में मजदूरी भुगतान के विभिन्न तरीके पाए जाते हैं। किर भी मोटे तौर पर मजदूरी समयानुसार तथा कार्यानुसार दी जाती है। अलग-अन्य अलग-अन्य मजदूरी भुगतान के तरीके के अलग-अलग गुण तथा दोष हैं। इन दोनों तरीकों को मिलाकर विभिन्न प्रकार की प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियाँ (Incentive Wage Systems) तैयार की गई हैं।

यह माना जाता है कि मजदूरों में प्रगतिशील स्थिति उत्पादकता में बढ़ि होने पर निर्भर करती है। भारतीय उद्योगों में अभी उत्पादकता की अधिकतम सीमा को प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ है। मजदूरी भुगतान का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिकों को प्रेरणा मिले और वे अधिक प्रयास से कार्य करें तथा बढ़ते हुए उत्पादन में उनका हिस्सा भी बढ़े। कार्यानुसार मजदूरी द्वारा ही यह सम्भव हो सकता।

कार्यानुसार मजदूरी भुगतान के तरीके के लिए समय और गति का अध्ययन करना पड़ेगा। कार्यभार का भी अध्ययन करना पड़ेगा। इस प्रकार इसमें कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

बेतन मण्डलों (Wage Boards) द्वारा मजदूरी निर्धारित करते समय कार्यानुसार मजदूरी भुगतान का तरीका हूँढ़ना चाहिए, साथ ही अधिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अधिकतम कार्य के घटने तथा न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जानी चाहिए। जो भी पद्धति निकाली जाए वह सरल, स्पष्ट और आसानी से प्रत्येक अधिक के समझ में आनी चाहिए अन्यथा इससे सन्देह और शौद्धिक विवादों को प्रोत्साहन मिलेगा।

2 मजदूरी-स्तर और मजदूरी सरचना—किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण अधिक तभी सम्भव हो सकता है जब केवल मजदूरी-स्तर अधिकतम ही बहिर्भवित उद्योगों और व्यवसायों में सापेक्षिक मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि इससे अम का विभिन्न उद्योगों व व्यवसायों में ऐसा आवण्टन हो कि राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम हो सके, अर्थ-व्यवस्था के सभी साधनों को पुराणे रोजगार प्राप्त हो सके और आर्थिक प्रगति की दर में बांधनीय बृद्धि सम्भव हो सके।

मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों व स्थानों पर पुराणे व स्त्री अधिकों की मजदूरी में अधिक अन्तर नहीं हो। अद्वि इस प्रकार की भिन्नता है तो उसे दूर करना होगा।

हमारे देश में मजदूरी में भिन्नता विभिन्न केन्द्रों में ही नहीं पाई जाती बहिक एक स्थान के विभिन्न उद्योगों में भी भिन्नता पाई जाती है।

हाल ही के वर्षों में विभिन्न अधिकरणों एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी-स्तरों में बढ़िया करने का प्रयास किया गया है। फिर भी कई उद्योगों तथा व्यवसायों में आज भी निर्वाह लागत के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती।

हमारे महायुद्ध के पश्चात् कुछ उद्योगों में बोनस तथा लाभ सहभागिता के अन्तर्गत श्रमिकों को कुछ मुगलान दिया जाने लगा था। अब बोनस मुगलान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को उसकी कुल वार्षिक मजदूरी का न्यूनतम 8 33% तथा अधिकतम 20% बोनस के रूप में मुगलान किया जाता है।

3. मजदूरी सुरक्षा (Wage Security)—किसी भी श्रमिक को कितनी मजदूरी दी जाती है उसकी सुरक्षा अवधा गारंटी देना जरूरी है। श्रमिक की मजदूरी की गारंटी तीन प्रकार से दी जा सकती है।

(i) गारंटी मजदूरी (Guarantee Wage) के अन्तर्गत प्रत्येक नियोक्ता श्रमिक को निश्चित समय या अवधि हेतु मजदूरी देने की गारंटी देता है चाहे कार्य हो या नहीं।

(ii) ले-आँफ नोटिस मुआवजा (Lay-off Notice Compensation) के अन्तर्गत नियोक्ता एक दी हुई अवधि हेतु श्रमिकों से कार्य हटाने पर, जबकि कार्य नहीं हो तब उसके लिए ने-आँफ का मुआवजा या क्षतिपूर्ति देनी होती है।

(iii) हटाने पर मजदूरी (Dismissal Wage) के अन्तर्गत श्रमिक को रोजगार से हटाने पर एक निश्चित अवधि के लिए मजदूरी दी जाती है।

हमारे देश में यह सम्भव नहीं है कि बेरोजगार अक्षियों को बीमा दिया जाए क्योंकि वित्तीय कठिनाइयाँ सरकार के मामने हैं। फिर भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act of 1947) के अन्तर्गत से-आँफ तथा छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।

मजदूरी और आर्थिक विकास (Wages & Economic Development)

किसी भी विकासशील देश में एक सुदृढ़ मजदूरी नीति का बड़ा महत्व है। भारत जैसे विकासशील देश में अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ श्रमिकों की सख्त्या में बढ़िया होती है और मजदूरी का सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। मजदूरी समस्या को आर्थिक विकास की समस्या से पृथक् नहीं किया जा सकता।

आर्थिक विकास में मजदूरी का महत्व मजदूरी के दो आर्थिक कार्यों से उत्पन्न होता है। प्रथम कार्य आय के रूप में श्रमिक को परिवर्थित किया जाता है जबकि दूसरी ओर लागत के रूप में नियोक्ताओं को इसका अध्ययन करना पड़ता है। अत मजदूरी दो विरोधी उद्देश्यों बाले पक्षों-श्रमिक व नियोक्ताओं को प्रभावित करती

है। मजदूरी कीमत-स्तर व रोजगार को भी प्रभावित करती है। सामान्य रूप से मजदूरी पूर्ण रोजगार के सभी उद्देश्यों को पूरा करने में महायक है, यदि मुद्रा-स्फीति उत्पन्न न हो तथा राजकोषीय, भौद्रिक एवं अन्य नीतियों को उचित तरीके से काम में लाया जाए।

मजदूरी नीति और आर्थिक विकास का घटिष्ठ सम्बन्ध है। समलिंग आर्थिक स्तर के आधार पर मजदूरी नीति ऐसी हो कि इससे श्रमिकों के जीवन-स्तर, अतिरिक्त रोजगार एवं पूँजी निर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों में प्रतिस्पद्धी न हो। अर्द्ध-समग्र स्तर पर मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि एक ऐसी मजदूरी संरचना तैयार की जाए जो कि आर्थिक विकास के अनुकूल हो। इकाई स्तर पर मजदूरी नीति ऐसी होनी चाहिए कि यह उत्पादकता बढ़ाने और मजदूरों की किस्म सुधारने हेतु प्रेरणा देने वाली हो।¹

विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी नीति (Wage Policy in a Developing Economy)

एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए अम नीति का सुटृट होना आवश्यक है। विकास के प्रारम्भ में मुद्रा-स्फीति उत्पन्न है जो भविष्य में देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकती है। इस भयकर समस्या का सामना करने के लिए निम्न बातें ध्यान में रखनी होगी—

1. मजदूरी, महेंगाई, बोनस तथा अन्य प्रकार के भत्तों में अनुचित व अत्यधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

2. मजदूरी में वृद्धि तभी की जाए जब उत्पादकता में वृद्धि हो। ऐसा करने पर कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं हो सकेगी।

3. मुद्रा-स्फीति के दबाव को कम करने लिए आवश्यक वस्तुएं श्रमिकों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास तथा उत्पादकता में वृद्धि तभी सम्भव है जब सभी वर्ग कठिन परिश्रम करें। एक विकासशील देश में भी तीव्र गति से आर्थिक विकास प्राप्त करने हेतु आर्थिक नियोजन (Economic Planning) अपनाया जाता है। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य देशवासियों के जीवन-स्तर को उन्नत करना है। हमारे देश में समाजवादी समाज की स्थापना हेतु आर्थिक नियोजन के मार्यां का चयन किया गया है। श्रमिक वर्ग सबसे निर्धन वर्ग है। आर्थिक विकास से प्राप्त फल पर सबसे पहला अधिकार उनका है। श्री वी. वी. गिरि के अनुसार, “एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार ऊँचा मजदूरी का स्तर प्राप्त करना है और इसके साथ ही इसके अन्तर्गत आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप वही हुई समन्वयता में से उचित हिस्सा श्रमिकों को दिया जाना चाहिए।”²

1. Pant, S. C. Indian Labour Problems, p. 217.

2. Giri, V. V. Labour Problems in Indian Industry, p. 218.

किसी भी देश की मजदूरी नीति का अर्थ है वह नीति जिसके अन्दरस्त सामाजिक और आधिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार मजदूरी-स्तर अथवा मजदूरी भरचना के लिए अधिनियम बनाती है। सरकार अपनी मजदूरी नीति द्वारा निम्न मजदूरी से बुद्धि करना उचित थम प्रमाप स्थापित करना और बढ़ती कीमतों के प्रभावों को कम करना आदि सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।

समाज के आधिक कर्त्तयाएं में बुद्धि करने हेतु भी मजदूरी नीति का होना आवश्यक है। आधिक कल्याण में बुद्धि सभी सम्बन्ध है जब मजदूरी नीति आधिक विकास में सहायक हो। यदि मजदूरी नीति सहायक होगी तो इससे धर्थव्यवस्था में थम साधन का विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में इकट्ठाम आवण्टन होगा, पूर्ण रोजगार मिलेगा और उत्पादकता में बृद्धि होकर जीवन-स्तर उभय होगा। दीर्घ-कालीन आधिक विकास हेतु पूँजी निर्माण आवश्यक है जबकि अल्पकालीन उद्देश्य अभियोंको के जीवन-स्तर में सुधार करना है। इन दोनों में आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (International Labour Organisation) के एक प्रकाशन के अनुसार एक विकासशील धर्थव्यवस्था में मजदूरी नीति के निम्नांकित उद्देश्य दिए गए हैं—

1. मजदूरी मुग्जतान में व्याप्त बुराइयों को दूर करना।

2. दुर्बल सौदाकारी वाले अभियों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना और थम सघों एवं सामूहिक सौदाकारी के विकास को प्रोत्साहन देना।

3. आधिक विकासों के फलों (Fruits of Economic Development) में अभियों को हिस्सा दिलाना। इसके साथ ही अधिक के उपभोग वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को नियन्त्रित करना जिसमें मुद्रा-स्फोटि उत्पन्न न हो।

4. मानव शक्ति का अधिक कुशल आवटन एवं उपयोग।

भारत जैसे विकासशील देश में अभियोंके अशक्ति, असमर्थित और अज्ञानी होने के कारण उनकी सौदाकारी शक्ति नियोक्ता की तुलना में दुर्बल होती है जिसके परिणामस्वरूप उनका शोषण किया जाता रहा है। न्यायालयों द्वारा भी प्रारम्भ में नियोक्ताओं का ही पक्ष लिया जाता रहा था। मजदूरी का निर्धारण थम की मार्ग व पूर्ति के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है तथा अभियोंको मानवीय साधन मानकर उसके साथ उचित व्यवहार किया जाने लगा है। अभियोंके शोषण को दूर करने के लिए सरकार ने अभियोंकी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी नियित की है तथा अब वेतन मण्डलों की स्थापना चीजाने लगी है जो कि उचित मजदूरी का निर्धारण का कार्य करते हैं। कई उद्योगों में ऐसे वेतन मण्डलों (Wage Boards) की सिफारिशोंको लागू किया गया है।

भारत जैसे देश में एक मुख्य मजदूरी नीति निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रावश्यक है—

1. नियोजित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मजदूरी नीति आवश्यक है जिसमें कि श्रीदौगिक शान्ति बनाई रखी जा सके। अधिनियमों तथा ग्रन्थ सरकारी विधानों द्वारा श्रीदौगिक शान्ति पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक उचित मजदूरी नीति आवश्यक है।

2. हमारे देश में समाजवादी समाज की स्थापना हेतु सामाजिक न्याय प्रदान करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी प्रदान किया जा सकता है जब सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों, सभी को समान आप प्रदान की जाए। इसके लिए एक समुचित मजदूरी नीति का होना जरूरी है।

3. हमारे देश में सुहृद एवं सुसंगठित थम सध आनंदोलन का अभाव (Lack of strong and well-organised Labour Union Movement) है। एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति द्वारा अधिकों को संरक्षण देना सरकार का दायित्व है।

4. हमारे देश में मजदूरी निर्धारण में विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक एवं अद्वैतिक इकाइयों की सहायता लेती पड़ती है। अतः इस विभिन्नता को दूर करने के लिए निश्चित सिद्धान्तों तथा तरीकों पर आधारित एक उचित राष्ट्रीय मजदूरी नीति का होना आवश्यक है।

पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरी नीति

(Wage Policy in Five Year Plans)

स्वतन्त्रता के पश्चात् अधिकांश थम कानून 1946-52 की अवधि में बनाए गए। राज्य थम नीति का सम्बन्ध थम विवाद बनाना, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उपाय, थम कल्याण केन्द्रों का संगठन, केन्द्र तथा राज्यों में थम विभाग का विस्तार करना तथा अनिवार्य अधिनियंत्रण (Compulsory Arbitration) लागू करने से रहा है। श्रीदौगिक शान्ति प्रस्ताव, 1947 (Industrial Truce Resolution of 1947) ने श्रीदौगिक विवादों को निपटाने हेतु कानून व मशीनरी का उत्तरोग, उचित मजदूरी निर्धारण करने की मशीनरी, पूँजी पर उचित प्रतिफल, थम समितियां और धावास समस्या की ओर ध्यान देने आदि के सम्बन्ध में सिफारिश की।¹

यांगिक विकास, हेतु आर्थिक नियोजन, ग्रन्थालय, राजा, है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक विवेकपूर्ण मजदूरी नीति होना आवश्यक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि योजना के मफल क्रियान्वयन हेतु लाभ और मजदूरी पर सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिए। कीमतों, लाभों व मजदूरियों में बूढ़ि हुई है। मुद्रा स्फीति द्वारा रोकने हेतु लाभ व मजदूरी पर सरकारी

1. Srivastava, G. L., 'Collective Bargaining & Labour Management Relations in India', p. 352.

नियन्त्रण आवश्यक है। मजदूरी में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को दूर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में से अधिकों को उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए। भूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को प्रभावपूर्ण ढग से क्रियान्वित करना चाहिए जिससे कि अधिकों के शोषण को समाप्त किया जा सके। योजना के अनुसार मजदूरी में वृद्धि उसी समय की जाए जबकि मजदूरी अत्यधिक कम है और युद्ध के पूर्व की वास्तविक मजदूरी स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पादकता में वृद्धि होने पर मजदूरी में भी वृद्धि की जाए। योजना में मजदूरी नीति के सम्बन्ध में भवित्य में इन विचारों पर ध्यान रखने की सिफारिश की गई—

1. सभी मजदूरी अन्तरों को समाप्त करना सामाजिक नीति का एक भग्नाना जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में से अधिकों को उसका उचित हिस्सा दिया जाना चाहिए।

2. पर्याप्त मजदूरी स्तर को प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में पाए जाने वाले अन्तरों को जहाँ तक सम्भव हो कम से कम किया जाए।

3. मजदूरी प्रमाणीकरण के कार्य को तीव्र गति से बढ़े पैमाने पर चलाया जाए।

4. विभिन्न व्यवसायों में उद्योगों में कार्य भार को वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किया जाए।

5. महंगाई भत्ते का 50% वेतन में मिला दिया जाए।

6. योजना काल में भूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को प्रभावपूर्ण ढग से क्रियान्वित किया जाए।

7. बोनस भुगतान से भव्यन्धित समस्या पर भी विचार करने की सिफारिश की गई।

8. मजदूरी निर्धारण हेतु केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरों पर त्रिपक्षीय वेतन-मण्डलों की स्थापना करने की सिफारिश की गई। इनकी स्थापना मजदूरी समस्या को समाप्त करने हेतु स्थायी रूप से करने की सिफारिश की गई। द्वितीय पचवर्षीय योजना

दूसरी योजना के अन्तर्गत थम के महत्व को प्रथम योजना की भाँति ही स्वीकार किया गया। लेकिन इस योजना में मजदूरी नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया गया। यह पहलू अधिकों को उनकी आयाधी और भावी समाज के द्वारे के अनुसार मजदूरी का भुगतान करने से सम्बन्धित था। मजदूरी के महत्व को जानने के लिए मजदूरी आयोग (Wage Commission) नियुक्त करने का विचार था। लेकिन पर्याप्त आँकड़ों व अन्य सूचनाओं के अभाव से यह विचार त्याग दिया गया। इसके स्थान पर मजदूरी गणना (Wage Census) करने पर जोर दिया गया। विभिन्न केन्द्रों पर निर्वाह लागत गुचकों के अनुसार मजदूरी में परिवर्तन करने के लिए जांच पर जोर दिया गया।

इस योजना के मन्त्रगत मजदूरी में बढ़िया थम उत्पादकता में बढ़िया होने पर ही सम्भव बताई गई। इसके लिए कार्यानुसार मजदूरी मुगतान की नीति अपनाने को कहा गया।

सीमान्त इकाइयों (Marginal Units) द्वारा मजदूरी सरचना पर रोक लगाने के कारण उचित मजदूरी सिद्धान्तों के आधार पर उचित मजदूरी निर्धारित करना सम्भव नहीं हो पा रहा था, अतः कहा गया कि इस प्रकार की इकाइयों को ऐचिद्धक रूप से बड़ी इकाइयों में मिला दिया जाना चाहिए। यदि जरूरी हो तो अनिवार्य रूप से इनको मिलाया जा सकता है। दूसरी योजना में इस बात की भी सिफारिश की गई कि उद्योगों के बड़े-बड़े क्षेत्रों के लिए औद्योगिक विद्यादों (मजदूरों से सम्बन्धित) को हल करने के लिए मजदूरी बोर्ड कायम करने चाहिए। दूसरी योजना में कई ऐसे मजदूरी बोर्ड घायित किए गए थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रमुख उद्योगों में मजदूरी-होमा। लेकिन जहाँ पर जरूरी होमा वहाँ पर मजदूरी-निर्धारण हेतु निपक्षीय स्थिति वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के दायित्व को स्वीकार किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण नम्बन्धीय मशीनरी को मुद्द करने की सिफारिश की गई। न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त विभिन्न श्रमिक वर्गों हेतु उचित मजदूरी निर्धारित करने एवं उत्पादन तथा किस्म को सुधारने हेतु श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी (Incentive Wages) देने पर जोर दिया गया। बोनस मुगतान हेतु विभिन्न पक्षों को मिलाकर एक आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की गई।

भारतीय थम सम्मेलन 1957 द्वारा आवश्यकना पैर आधारि मजदूरी तथा उचित मजदूरी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को मजदूरी-निर्धारण में काम में लेने की सिफारिश की गई। योजना में यह बताया गया कि श्रमिक वर्ग की मजदूरी तथा उच्च प्रबन्ध-स्तर के वेतनों में काफी असमानता है। योजना में इस बात की सिफारिश की गई कि मजदूरी अन्तरों, श्रमिकों की उत्पादकता की माप प्रोर उत्पादकता के हिस्से का वितरण आदि का अध्ययन किन-किन सिद्धान्तों पर आधारित हो।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना

चौथी योजना में इस बात को स्वीकार किया गया कि आर्थिक विकास की सकलता प्रोर विशेष रूप से चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक एकीकृत आय नीति (Integrated Income Policy) सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के मार्गदर्शन हेतु तंयार की जानी चाहिए। मूल्य स्थिरता की समस्या को मजदूरी नीति का आधार

माना गया है। कीमतों में वृद्धि होने पर मजदूरी में वृद्धि हेतु दबाव ढाले जाते हैं। उचित मजदूरी प्राप्त करना दीर्घकालीन उद्देश्य है। लेकिन अल्पकालीन उद्देश्य बढ़ती हुई कीमतों के अभिको से जीवन-स्तर पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव से अभिको की रक्षा करता है। महंगाई भत्ते को निर्वाह लागत से जोड़ने हेतु निर्वाह लागत सूचकांको हेतु कीमत और कामों और सूचनाओं को एकत्रित करने की सिफारिश की गई। अभिको की मजदूरी में तीन तत्त्वो—वेतन, महंगाई भत्ता तथा उत्पादकता से जोड़ना—होते। मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने के लिए मजदूरी प्रमाणीकरण तथा मजदूरी के अन्तरों को कम करने की सिफारिश गई है। मजदूरी कार्डनुपार पद्धति के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। सन् 1957 से कई उद्योगों में मजदूरी बोर्ड (Wage Boards) की स्थापना की गई है और अन्य उद्योगों में भी इनकी स्थापना करने की सिफारिश की गई।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

इस योजना में भी मजदूरी नीति को सुधार बनाने की सिफारिश की गई है। अभिको की मजदूरी में उनकी उत्पादकता के अनुसार वृद्धि करने की सिफारिश की गई। अभिको की मजदूरी बड़े-बड़े उद्योगों में सामूहिक सौदाकारी, सुलह, अधिनियंत्रण और अधिकारियों द्वारा नियंत्रित करने पर जोर दिया गया। अधिकारिक प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियाँ (Incentive Wage Systems) अपनाने की सिफारिश की गई जिससे कि अभिको की कार्यकुशलता बढ़ सके, जीवन-स्तर उन्नत हो सके।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)

पांचवीं पंचवर्षीय योजना को जनता सरकार ने अवधि के एक वर्ष पूर्व ही समाप्त करके अपनी छठी पंचवर्षीय योजना आवर्ती योजना (रोलिंग प्लान) के रूप में शुरू की। लेकिन अस्थिरता और अनिविच्छिन्नता का वातावरण छाया रहा और जनवरी, 1980 में सत्ता परिवर्तन होकर केन्द्र में श्रीमती गांधी पुनः सत्तारूढ़ हो गई। जनता सरकार की छठी योजना के प्रथम दो वर्षों को दो वार्षिक योजनाएँ मान लिया गया, आवर्ती योजना प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और पुरानी योजना प्रणाली के आधार पर ही श्रीमती गांधी ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) लागू की। छठी योजना में यह स्वीकारण गया कि “अम नीति का दर्शन और विषय-वस्तु सविधान में नियंत्रित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों से प्राप्त की गई है। इसके साथ स्थिति की आवश्यकताओं और योजनाबद्ध आर्थिक विकास की आवश्यकताओं और सामाजिक न्याय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको उनके अनुरूप बनाया गया है। यह त्रिपक्षीय विचार-विमर्श का गति है जिसमें कामदार, मालिक और सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर भाग लेते हैं। मग्नी पक्षों की साझेदारी से यह नीति सुधार होती है और यह राष्ट्रीय नीति का रूप ले लेती है। उत्पादन और काम करने की दशाओं में सुधार करना और कुल

मिलाकर समुदाय के व्यापक हितों को बढ़ावा देने के लिए कामगारी और मालिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता इसका मुख्य उद्देश्य है।"

छठी योजना के अन्तिम प्रारूप में पिछली अधिकी की शमनीति की समीक्षा करते हुए छठी योजना में उद्देश्य और कार्यनीति पर जो प्रकाश ढाला गया, वह इस प्रकार है—

समीक्षा—श्रौतोगीकरण के आरम्भिक वर्षों में शमनीति का मुख्य सम्बन्ध संगठित देश में काम कर रहे श्रमिकों से था। इसमें अब अधिक ध्यान असंगठित देश के हितों पर दिया जा रहा है परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अब संगठित देश के कामगार की काम करने की त्त्विति में और उनकी वास्तविक आमदानी बढ़ाने की ओर सरकार ने ध्यान देना छोड़ दिया है।

पिछले दशक में इस दिशा में जो कानून बनाए गए हैं संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों की उत्तरोत्तर पूर्ति करने के लिए शमनीति में विविधीकरण के प्रमाण हैं। सन् 1970 से जो अधिक महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, वे हैं—ठेके के मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, जिसमें ठेके के मजदूरों के रोजगार को नियमित करने और कुछ स्थितियों में उसको समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, बन्धुद्या काम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, जिसमें बन्धुद्या श्रम प्रणाली के उन्मूलन और उन्हें कारण जिन बन्धुद्या श्रमिकों को बँधा हुआ है उनको उन्मुक्त करना है, बीड़ी कामगार कल्याण अधिनियम, इसका उद्देश्य बीड़ी बनाने वाले कारखानों में काम कर रहे मजदूरों का कल्याण करना है, इसी प्रकार कच्चे लोहे, कच्चे मैग्नीज, चूता पत्थर और डोरोमाइट खान के कामगारों के कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियम विकल्प संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, जिसमें वित्तीय संवर्धन कर्मचारियों की सेवाएं विनियमित करने की व्यवस्था है, पुस्प और महिना कामगारों को एक समान मजदूरी देने के लिए एक समान मजदूरी अधिनियम और रोजगार के मामले में महिलाओं के स्थिति भेदभाव अपनाने के निराकरण, कर्मचारी परिवार पेशन योजना, कर्मचारियों की जमा पूँजी में सम्बद्ध बीमा योजना और अन्तर-राज्य प्रब्रजन श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के अधीन संविधान में एक नया अनुच्छेद 43-क भी जोड़ा गया है जिसमें प्रबन्ध में कामगारों की साझेदारी की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य श्रमिकों और प्रबन्ध में आपसी भेदभाविता वढ़ाना तथा उद्योग और कामगारों की समस्याओं के प्रति दोनों पक्षों द्वारा वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता देना है।

उद्देश्य और कार्यनीति—छठी योजना में इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम रखे गए हैं उनका उद्देश्य इन विभिन्न कानूनी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था की गई, उनकी कारगर ढंग से कार्यान्वयित करना, सबको कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी

भविष्य निधि योजना और परिवार पेशन योजना के अधीन ताना है। सेतिहर मजदूरों, कारीगरों, हायकरघा बुनकरों, मछुओं, चमड़े का काम करने वालों और द्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अन्य संगठित कामगारों को ताम पहुँचाने के लिए राज्य सरकारों को भी विशेष कार्यक्रम शुरू करने होंगे।

कामगारों की शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम हैं उनका दिस्तार बरता, उनके स्वर में सुधार करना और व्यापक राष्ट्रीय द्वित में उनके प्रति जागहकना पेंदा करना होगा जिससे कामगारों के प्रतिनिधि आर्थिक और सामाजिक जीवन में कारगर भूमिका निभा सकें।

महिला कामगारों की मुख्य दो समस्याएँ हैं—पुरुष—महिला के आधार पर अम बाजार में उनके प्रति भेदभाव और उनकी दोहरी जिम्मेदारी—कामगार के रूप में और माता के रूप में। इसनिए महिला कामगारों के लिए कामगार शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने होंगे। तेजी से बदलते हुए सामाजिक और आर्थिक परिवेश में मुख्य दबंग को भी विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें परम्परागत मूल्य बनाए रखने तथा बदलते हुए काम की प्रणाली और जीवन-निर्वाह की दशाओं के मध्य उनमें एक सम्भास्ता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसनिए युवा वर्ग के कामगारों की शिक्षा के लिए भी विशेष कार्यक्रम बनाने आवश्यक हैं।

संगठित द्वेष में इन बातों पर मुख्य बल दिया जाएगा—(1) कर्मचारी राज्य वीमा, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी परिवार पेशन योजनाओं के काम में सुधार करना, (2) प्रबन्ध में साफेदारी देकर कामगारों और मालिकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना, और (3) सम्भावित औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को बढ़ाना और काम बन्द न होने देने के लिए तत्काल कार्यवाही करना।

ऊर्जा संकट की गम्भीरता, संयन्त्र और उपकरणों का पुराना पड़ना और अतेक उद्योगों में अधिक असत्ता होना कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जो दृष्टी योजना की अवधि में उभरेंगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि (1) तेल के उपयोग और तेल के उपयोग पर आधारित औद्योगिक कार्यों में मित्रव्यविधि की जाए और तेल की खपत को घटाया जाए, (2) संयन्त्रों और उपकरणों का ठोक प्रकार से रख-रखाव रखा जाए, (3) जो संयन्त्र उपकरण बहुत पुराने पड़ गए हैं और काम करने लायक नहीं रहे हैं या जिन्हे ऊर्जा के नए माध्यमों के उपयोग के लिए प्रानुकूलित करना होगा, उन्हें बदला जाए, और (4) अमिक अधिक उत्पादन करने थोग्य बने और अनेक प्रकार की कुशलताएँ प्राप्त करें। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, काम की समय-सारिणी और प्रोत्साहन योजनाएँ बनानी होंगी।

मजदूरी कितनी दी जाए, इसका आकार इन समस्या से सम्बद्ध है कि निर्वाह योग्य मजदूरी किननी होनी चाहिए। यद्यपि निर्वाह योग्य मजदूरी में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अमिक की उचित मजदूरी क्या हो। किर मी इस

आधिक कुशलता और प्रोत्साहन पर भी ध्यान दिया जाता है। सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित समाज में मजदूरी की दर का निर्धारण केवल माँग और पूर्ति के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता। नीति का उद्देश्य यह है कि वर्तमान असमानताएँ कम की ओर मजदूरी की दर को और मजदूरी के मुगलान के सम्बन्ध में जो धाँचेवाजी होती है, उसे रामाप्त किया जाए। इसके विपरीत स्वतन्त्र संगठन और सामूहिक सीदेवाजी के सिद्धान्तों के अनुरूप काम करने से यह आवश्यक होगा कि सरकारी हस्तक्षेप कम में कम किया जाए और इसे केवल यह सुनिश्चित करने तक ही सीमित रखा जाए कि अधिकों के कमजोर वर्ग का जोपरा न हो। यहाँ पर नीति का काम है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और सशोथन करने की कसीटी बनाना और मजदूरी सम्बन्धी सरचना बनाना, परन्तु इस सम्बन्ध में सभी पक्षों को यह स्वतन्त्रता हीनी चाहिए कि वे आपसी सहमति से अपनी मजदूरी का निर्धारण कर सकें।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में दो पक्ष साथ-साथ काम करते हैं। एक पक्ष तो मुद्रांकित खेतक का है और दूसरा पक्ष विकेन्द्रीकृत खेतक का है जिसमें अधिक लोग अपना काम-धन्वचा करते हैं। इसलिए मजदूरी के अलावा अपना काम करने से कमाने वालों, अपना काम करने वालों, व्यावसायिक और इसी प्रकार के दूसरे काम करने वालों के बीच समानता लाने के लिए अधक प्रयास करने की ज़रूरत है। इस सन्दर्भ में यदि अर्थ-व्यवस्था की संरचनात्मक विशेषताओं के अनुरूप एकीकृत आय नीति अपनाई जाए तो उससे अच्छे प्रतिफल प्राप्त करने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार की नीति का कार्यान्वयन करने के लिए जो नीति तन्त्र होगा वह उससे विलकूल भिन्न और जटिल होगा जिसे विकसित देशों ने अपनाया है। विकसित देशों में मजदूरी सम्बन्धी नीति उनकी आन्तरिक समस्याओं अर्थात् बढ़ती हुई कीमतों और मुगलान संतुलन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इन देशों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि नकद भुगतान की जाने वाली मजदूरी की दर की वृद्धिर्धा घटाकर उसे उत्पादकता के विकास के अनुरूप बनाया जाए जिससे गूल्य वृद्धि न हो। इसके अलावा उन देशों की बेरोजगारी की स्थिति हमारे देश से विलकूल अलग है। भारत में अभी भी मुख्य ध्यान रोजगार देने और न्यूनतम मजदूरी देने की ओर दिया जाता है जिससे अधिकांश जनसंख्या गरीबी के स्तर से ऊपर आ जाए।

मजदूरी की नीति की जो खास समस्याएँ हैं उनका सम्बन्ध आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, जीवन-निर्वाह की लायत बढ़ाने पर मुआवजा देकर वास्तविक मजदूरी को संरक्षण देना, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देना, व्यावसायिक कठिनाइयों के लिए गुंजाइश रखना, कुशलताओं और उत्तर-दायित्वों के अनुसार विभिन्न मजदूरी और अन्य उपयुक्त कारण आवश्यक अन्य सुविधाएँ, बोनस और इसी प्रकार की अनुग्रह राशि का मुगलान, विकित्सा भविष्य-निधि, उपदान, परिवार पेंशन आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएँ आदि पर निर्भर हैं।

न्यूनतम् मजदूरी के स्तर में इस प्रकार वृद्धि करनी चाहिए कि जिससे आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम् मजदूरी का सिद्धान्त बास्तविकता में परिणाम हो जाए। बास्तविक मजदूरी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि जीवन-निवाह सूचकांक की लागत को ठीक प्रकार से निश्चित किया जाए और जिन क्षेत्रों में मजदूरी पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं उन सबके लिए इस बारे में एक सूची तैयार किया जाए। निपक्षीय विचार-विमर्श के बाद इस बारे में एक कसौटी निर्धारित करनी होगी कि किस प्रकार उत्पादकता को ध्यान से रखते हुए मजदूरी में वृद्धि की जा सकती है। काम और काम की स्थिति के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की मजदूरी निश्चित करने के लिए काम का वर्गीकरण और मूल्यांकन की तकनीक अपनानी होगी।

मजदूरी निश्चित करते समय देने की क्षमता, उत्पादकता और लाभ उपभोग यातों को ध्यान में रखना होता है परन्तु इसके साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था में जो विभिन्नता है उसका प्रभाव भी मजदूरी की असमानताओं में दिखाई देता है, इसलिए यह आवश्यक ही प्रतीत होता है कि मजदूरी की युक्तिसंगत प्रणाली पर राष्ट्रीय-मजदूरी नीति तथा की जाए जिसमें मजदूरी की विभिन्नता केवल आर्थिक कसौटी पर मान्य होगी। इस सन्दर्भ में कुछ मार्गदर्शी मिदान्त तथा किए जा सकते हैं, परन्तु सामूहिक सौदेबाजी का महत्व भी ध्यावद बते रहना चाहिए।

बोनस का मुण्डान और कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ का नूनी व्यवस्था के अन्तर्गत आए हैं। अभी हाल में रेलवे, डाक तार और कुछ विभागीय प्रतिष्ठानों ने उत्पादकता पर आधारित बोनस प्रणाली लागू की है। इसका लाभ यह है कि यह प्रोत्साहन प्रणाली उन क्षेत्रों में भी शुरू की जा सकती है जहाँ लाभ के साथ भुगतान को जोड़ना सम्भव नहीं। इन प्रणालियों को सुसंगत बनाकर स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, एक उद्योग के विभिन्न व्यवसायों और संगठित एवं असंगठित उद्योगों के मध्य और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य इन सभी मामलों में बहुत ज्यादा विभिन्नता है। कृषि/ग्रामीण असंगठित क्षेत्रक में उत्पादकता का कम होना, सामाजिक-आर्थिक स्थिति जिसमें गरीबी का व्यापक रूप में विद्यमान होना, बेरोजगारी/अर्थ रोजगार, लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के अवसरों का सीमित होना, कामगारों का संगठित न होना जिससे उनकी सौदाभास्ता कम हो जाती है, इस बहुत अधिक असमानता के कुछ कारण हैं। न्यूनतम् मजदूरी अधिनियम, 1948 में जो संरक्षण दिया गया है उससे कुछ सीमा तक प्रामीण असंगठित क्षेत्रों में शोषण को कम करने में सहायता मिली है। आमदनी और रोजगार में वृद्धि करने के बाद ही असंगठित क्षेत्रक में विद्यमान विषमताओं को कम किया जा सकता है।

संगठित क्षेत्रक में भी अधिक परिष्कृत शिल्पविज्ञान, इरतेमाल करने वाले हथोनो और वित्तीय सम्यानों और दूसरों के बीच असमानताएँ गौजूद हैं जिसके मुख्य कारण है—मजदूर संघों की अधिक कारणर ढग से काम करना, अधिक लाभ कमाना, उद्योग में निहित विशेषाधिकार और कठोरता से नियमों का पालन आदि। यदि न्यूनतम उत्पादकता के मानक से फंकिट्रो, खानों और वागानों में मजदूरी का कुछ भाग न्यूनतम उत्पादकता से जोड़ दिया जाए तो उपर्युक्त होगा और जहाँ तक वित्तीय सम्बन्धों और प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, उन्हें काम के सम्मत मानकों और वार्ष-नियादन से जोड़ दिया जाए।

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए औद्योगिक शान्ति बनाए रखना अपरिहार्य है। आर्थिक प्रगति को औद्योगिक शान्ति से सम्बद्ध करने की सामान्य बात यह है कि इस प्रकार की शान्ति से कामगारों और प्रबन्ध में अधिक सहयोग बना रह सकता है। इसका प्रतिफल यह होता है कि उत्पादक अच्छा और अधिक होता है जिससे देश की चहूँमुँबी प्रगति में योगदान होता है।

किसी उद्योग में औद्योगिक सम्बन्ध कैसे हैं इसका सबसे अच्छा सूचक हड्डताली और तालावन्दी के कारण जितने श्रम-दिवसों की हानि हुई है उनके आंकड़े हैं। 1970 से 1979 तक इस प्रकार जितने श्रम-दिवसों की हानि हुई है वे इस प्रकार थे—

| वर्ष | समय की हानि (लाख श्रम-दिवस) |
|--------------|-----------------------------|
| 1971 | 165 |
| 1972 | 205 |
| 1973 | 206 |
| 1974 | 403 |
| 1975 | 219 |
| 1976 | 127 |
| 1977 | 253 |
| 1978 | 283 |
| 1979 (मनितम) | 439 |

1974 के वर्ष को छोड़कर जिसमें रेलवे की लम्बी हड्डताल हुई थी, पहले छ. वर्षों में हुई श्रम-दिवसों की हानि सामान्य रूप से 220 लाख से कम थी। इसके बाद श्रम-दिवसों की हानि में निरन्तर वृद्धि होती गई और यह सबसे उच्च स्तर पर 439 लाख श्रम-दिवसों पर पहुँच गई। अधिकतर हड्डताल और तालावन्दियों के कारण मजदूरी और भत्ते, बोनस, कामिक और छेंटनी और काम की शर्तों के बारे में हुए विवाद थे। पारस्परिक समझौता, विवाचन और अधिनिरुद्धन से विवादों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया जो आंशिक रूप से ही सफल हुए।

ओद्योगिक शान्ति स्वत्थ ओद्योगिक सम्बन्धों पर निर्भर करती है। यह वात केवल मजदूर और मालिक के ही हित की नहीं है बल्कि यह सारे समाज के निए भी महत्वपूर्ण है। अन्तिम रूप से विश्लेषण करने पर ओद्योगिक सम्बन्धों की समस्या के बारे मे यही निष्कर्ष निकलता है कि यह मुख्य रूप से सम्बन्धित पक्षों के दृष्टिकोण और तीर-तरीकों पर निर्भर करती है। सहयोग की भावना का यह ग्रन्थ है कि यद्यपि मालिक और मजदूर अपने-अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र हैं परन्तु उन्हें समाज के हितों को भी ध्यान मे रखना चाहिए। ओद्योगिक शान्ति के जो तीन आयाम हैं, इसका उन सबके सम्बन्ध मे समान रूप से महत्व है।

ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 मुख्य कानूनी आधार स्वरूप है जिसके अन्तर्गत विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता, समझौता, विचारन और अधिनियंत्रण की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। आचार सहिताओं के माध्यम से भी स्वैच्छिक आधार पर ओद्योगिक सम्बन्ध सुलझाने का प्रयत्न किया गया था परन्तु सामान्य विचार यह था कि विवादों को रोकने और समझौता कराने के लिए विचार सम्बन्धाएँ काफी नहीं थीं। श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नए और विस्तृत ओद्योगिक सम्बन्धों के बारे मे कानून बनाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु कुछ मूलभूत विषयों जैसे—उन्नत और विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया, श्रम संगठनों को मान्यता देने की प्रक्रिया और कस्ती अर्थात् किसी धर्मिक संगठन के प्रतिनिधित्व के बारे मे सम्बन्धित यूनियनों के शुल्क देने वाले सदस्यों की जांच करके किया जाए या युक्त यत्पत्रों से किया जाए, सरकारी उद्यमों सहित व्याख्योगों को हड्डताल करने का अधिकार है, ओद्योगिक विवाद निपटाने मे सरकार की भूमिका प्रादि के बारे मे श्रम संगठनों द्वारा प्रलग-प्रलग अपनाएँ जाने के कारण ये सफल नहीं हो सके। यद्यपि सम्बन्धित पक्षों मे असहमति के दोष को कम करने के लिए और कानून और तन्त्र मे स्वीकार्य सुधार करने के प्रयत्न जारी रखे जाने चाहिए परन्तु ओद्योगिक सम्बन्ध मुधारने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले श्रम संगठनों से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों, ओद्योगिक विवाद और स्थाई प्रादेशों की कार्यहूप मे परिणाम किया जाए और इन बातों के सम्बन्ध मे फँसला न होने तक न रोका जाए। इन परिवर्तनों से वर्तमान प्रक्रिया को सुप्रभावी बनाने और धर्मिकों को शीघ्रता से न्याय दिलाने मे सकृदार्थ मिलेगी। इष्ट समय जो कर्मचारी धर्मिक कानूनों के अन्तर्गत नहीं प्राप्त हैं, उन्हें भी सेवा की सुरक्षा देने के लिए धर्मिक कानूनों के अन्तर्गत लाने पर विचार किया जाना चाहिए।

यदि पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो बहुत अधिक निवेश किया जा रहा है उससे बाह्यित प्रतिकल प्राप्त होते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण, उपाय करने मे देरी नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ—बिजली, ऊर्जा, कोयला, इस्पात और परिवेशन सहित यूनियनी धोषक को ओद्योगिक सम्बन्धों की अनिश्चितताओं से यथात्मव प्रलग निर्धारित कर उनसे काम लेना शुरू कर दिया जाए तो इन उद्योगों मे हड्डतालें और

प्राप्ताबन्दी बीते दिनों की बात हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी हड्डाल और तालाबन्दी तभी की जाए जब कोई अन्य उपाय न हो। मजदूर सम्मठनों के आपसी विवादों को निपटाने की भी ठीक-ठीक समुचित व्यवस्था की जाए और अचानकीय तरीके और गैर-जिम्मेदारी का आचरण करने को हतोत्साहित किया जाए।

प्रबन्ध में कामगारों की सहभागिता—उद्यम स्तर पर कामगारों की प्रबन्ध में सहभागिता श्रीद्योगिक सम्बन्ध प्रणाली में आवश्यक अंग बन गई है जो आधुनिक प्रबन्ध में एक प्रभावशाली साधन के रूप में कार्य करती है। इसे नियोन्काप्रो और कामगारों—दोनों के बीच सहयोग की स्थिति स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में परिवर्तित करना होगा जिससे कि देश को स्थाई श्रीद्योगिक आधार के साथ मजदूर, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिल सके। कामगारों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई उपाय किए गए हैं। यह कार्य साँविधिक कार्य समितियों की सीमित योजना से शुरू किया गया था और समुक्त प्रबन्ध परिषदों के रूप में स्वैच्छिक व्यवस्थाएँ की गई थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा चूने हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में साँविधिक व्यवस्था के रूप में कामगार निवेशक योजना और 1975 में निर्माण/सान् उद्योगों के लिए कामगार की सहभागिता की एक स्वैच्छिक स्कीम तथा 1977 में सरकारी क्षेत्र में वाणिज्यिक और सेवा संगठनों के लिए 20 सूची कार्यक्रम के आवश्यक अग के रूप में यह स्कीम शुरू की गई थी। 21 सदस्यों की एक समिति में नियोजकों, मजदूर संघों, सरकार और शिक्षाशास्त्रियों के प्रतिनिधि जामित थे, उसने इस सम्बन्ध में गहराई से अध्ययन किया और अन्य बानों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि कामगारों की सहभागिता की एक साँविधानिक स्कीम बनाई जाए जिसमें तीन श्रेणियों में विचार हो अर्थात् संघन्त में, भण्डारण के स्थान पर और नियम/बोर्ड स्तर पर/प्रचालन, आर्थिक और वित्तीय प्रचालन, कार्मिक, कल्याण और पार्यावरणीय क्षेत्रों में सम्बन्धित मामलों में सहभागिता के लिए एक व्यापक क्षेत्र की भी सिफारिश की है; यह माना गया है कि सामूहिक सौदा करने के क्षेत्र से बाहर किसी उद्यम में सम्बन्ध बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें नियोजक और कामगार विभिन्न हित समूहों और सम्पर्ण उद्यम के सामान्य हितों के लाभ के लिए संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। सलाह-मशाविरा करने और संयुक्त नियंत्रण करने की ऐसी प्रणाली द्वारा विभिन्न स्तरों पर संघर्षहित कार्य सचालन सुनिश्चित किया जाएगा, नौकरी में सन्तोष की भावना उपलब्ध कराई जाएगी, कामगारों में छिपी दुई मृजनात्मक शक्ति का विस्तार होगा, उनके मनमुटाव कम होगे और कामगारों में अच्छा कार्य करने के सामान्य आदर्श और प्रबन्ध व्यवस्था में समर्पण की भावना बढ़ेगी। किन्तु कामगारों और प्रबन्धक/पर्यंतेशीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए कारगर व्यवस्था करनी आवश्यक है ताकि उद्यम के व्यापक हित में कामगारों की सहभागिता को सफल बनाने में उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके: जिस पर दोनों पक्षों की भलाई

निर्मंत करती है। इसका निरीक्षण और सूत्याकान करने के लिए एक प्रभावशाली अभिकारण सहभागिता को सफल बनाने में बहुत सहायक होगा। -

यह भी आवश्यक है कि विपक्षीय परामर्शदात्री तन्त्र को बढ़ाया और व्यवस्थित किया जाए ताकि सभी इच्छुक सम्बन्धितों—मजदूर सघों, नियोजकों और भरकार के बीच पूरी तरह से विचार-विमर्श करने के बाद धर्मिक तीतियों और कार्यक्रमों की एक व्यापक आधार द्वारपत्र कर्त्तव्य सम्भव हो सके। उद्योग स्तर पर स्थाई विपक्षीय समितियाँ कठिनाइयों और कमियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। इस प्रकार के मंचों/साथीयों के नियमित और प्रभावी ढग से काम करने से वातचीत करने का अवसर मिलेगा और उचित उद्देश्य में सहायता मिलेगी जो आद्योगिक मम्बन्धों में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। इस कार्य में सहायता देने के लिए सचार और सूचना सहभागिता प्रणालियों को बढ़ाया जाना चाहिए और उचित परामर्श के बाद निर्णय किए जाने पर यात्रीघ कार्यान्वयित किए जाने चाहिए।

कृषि में मजदूरी का 'परिशोधन—प्रामीण गरीब तोनो के कुछ बगें' का स्तर ऊँचा उठाने के लिए जो एक और सुनात पहलू है वह है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों की प्रभावी ढग से लाभ करना। इसमें यह व्यवस्था को गई है कि प्रत्यगठित दोषको में कृषि और अन्य रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें समय-समय पर निर्धारित की जाएं और उनमें परिशोधन किया जाए। इस संरक्षण से खेतिहार मजदूरों और अन्य परिवर्त्तन वाले रोजगारों में काम करने वाले कामगारों को ही मूल्य लाभ मिलता है। केन्द्रीय सरकार के अधीन के रोजगारों को छोड़कर, जो इन शेषियों के अधीन अधिक नहीं प्राप्त इस केन्द्रीय कानून को कार्यान्वयित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस उपाय से सम्बन्धित मुख्य विषय है—नए रोजगारों की घीरे-घीरे इसके अन्दर लाना, उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम दरों का आवधिक परिशोधन के होने में विलम्ब का निराकरण करना और विद्यमान उपबन्धों को कारगर ढग से लाभ करना। इस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए जिन सुधार सम्बन्धी कार्रवाई की सिफारिश की गई है वे हैं—प्रवर्तन तन्त्र को बढ़ाने की आवश्यकता, इस अधिनियम के अधीन लाने और परिशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मजदूरी दर को जोड़ना, उक्त उपबन्धो के कार्यान्वयन के कृतम में प्रामीण कामगारों के सगठनों को शामिल करना। सौविधिक उपबन्धो में आवश्यक सदृश्यता शीघ्र किए जाने की सम्भावना है। नियमों को लाभ करने वाले तन्त्र को पर्याप्त रूप से बढ़ाने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उचित कार्यान्वयन की काटरपर व्यवस्था करना सम्भव होगा। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इन उपायों और इनके साथ राष्ट्रीय प्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत प्रामीण विकास आदि के साथ इन कार्यक्रमों को चलाने से यह प्रामीण गरीबों को वही सहाया में गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने के लिए एक समन्वित और परस्पर समर्पन देने के प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करेगा। कृषि कामगारों के लिए केन्द्रीय कानून बढ़ाया जाएगा।

सातवीं योजना में हमारी अम नीति : कितनी सार्थक ?

सातवीं योजना में धार्मता के उपयोग, कुशलता और उत्पादकता के सुधार पर विशेष रूप से बल दिया गया है। उत्पादन प्रक्रिया में पूर्ति और माँग दोनों पक्षों से अभिक का एक अदृष्ट सम्बन्ध होता है। पूर्ति और माँग दोनों का सात्यर्य उत्पादन बढ़ने से है क्योंकि उच्च उत्पादकता से ही उच्च वेतन निश्चित किया जा सकता है, उत्पादन की लागत कम की जा सकती है। अतः अभिक की भूमिका को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

उत्पादकता का मानदण्ड ही अर्थ-व्यवस्था का परिचायक होता है और वही अम नीति की सफलता का आधार होता है। लेकिन उत्पादकता स्तरों का निर्धारण करने के लिए प्रौद्योगिकी की स्थिति और तकनीकी घटक बहुत आवश्यक है। यह भी सच है कि कामगारों का अनुग्रामन और प्रोत्साहन, उनकी कुशलता औद्योगिक सम्बन्ध और कामगारों की सामेदारी, काम की स्थिति और सुरक्षा सम्बन्धी उद्याय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्रीद्योगिक रुग्णता

श्रीद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या उनकी रुग्णता की है। प्रतियोगिता बढ़ने से सरकार भी जीवित रहने वाले अविकाश उद्योग जीर्ण हो जाते हैं। पटसन और सूती कपड़ा जैसे परम्परागत उद्योगों में ही नहीं बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्थापित कई सार्वजनिक और निजी उद्योगों में चिरकाल रुग्णता की समस्या बनी हुई है। अतः समय-समय पर सगठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कामगारों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह ठीक है कि अधिकतम रोजगार सुलभ किए जाने चाहिए परन्तु मुख्य क्षेत्रों और रुग्ण श्रीद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादन प्रक्रियाओं में घटतन प्रौद्योगिकी को अपना कर अभिक उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

श्रीद्योगिक सम्बन्धों में सुधार आने से हड्डाल और तालाबन्दी का मसला स्वतः ही सुलभ जाएगा पर यह तभी सम्भव है जब प्रबन्ध में अभिकों की पर्याप्त भागीदारी हो और यूनियन गतिविधियाँ द्वे प्रभाव रहित और स्वस्य फिटिंग्स युक्त हो।

प्रशिक्षण

उत्पादकता बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि निभिक्र स्तरों पर कामगारों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकता के अनुहन हो कर सर्वोच्च किस्म का होना चाहिए। आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिए सामान की गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिक प्रशिक्षण स्थानों का आधुनिकीकरण करना बहुत ही आवश्यक है। पुरानी मशीनरी व उपस्करों का परिवर्तन, नई तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के पुराने ढरे व नड़रिए में पूर्ण बदलाव अपेक्षित है। यह

काम चरणबद्ध आधार पर किया जाएगा। सातवीं योजना में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है और पहले चरण में वे पुराने आधिकारिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राधिकारिकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

वेतन नीति

सातवीं योजना में अम नीति का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक उपयुक्त वेतन नीति तैयार की जाए। वेतन नीति के आधारमूल लक्ष्य हैं—उत्पादकता की वृद्धि के अनुसार वास्तविक आय के स्तरों में भी वृद्धि करना, उत्पादक रोजगारों को प्रोत्साहित करना, कुशलता में सुधार लाना, विधित थेटों में कार्य करना और असमानताओं को कम करना। वेतन नीति प्रतेक आर्थिक और व्यावहारिक कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भर्ते, बोनस व सामाजिक सुरक्षा जैसे कई सामाजिक महत्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं।

असंगठित शहरी व ग्रामीण श्रमिक

योजनावधि में ग्रामीण तथा शहरी दोनों थेटों में काम कर रहे असंगठित श्रमिकों के कल्याण और उनके काम व रहने की दशा में सुधार पर बहुत धिया जाएगा। इन श्रमिकों के रोजगार व वेतन के लिए कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इस दिशा में विद्यमान कानूनों विशेष रूप से ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा अन्तर्राजीय प्रब्रजन कामगार रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1979 के कारण कार्यन्वयन से भी असंगठित शहरी श्रमिकों की दशा सुधारने में काफी सहायता मिल सकती है।

ग्रामीण असंगठित श्रमिकों में भूमिहीन श्रमिक, छोटे और सीमान्त किसान, ग्रामीण कारीगर, बन श्रमिक, बटाईदार, मछुआरे और स्वरोजगाररत बाड़ी श्रमिक, चमड़े और हथकरघा कारीगर शामिल होते हैं। काम में मन्दी का मोसम, अद्य रोजगार, कम वेतन और शिक्षा और सगठन की कमी इनकी ज्वलंत समस्याएँ होती हैं। इनकी कार्यदशा में सुधार के लिए कई कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए बलिदान समर्पण और कठिन परिवर्तन की आवश्यकता है। इन कामगारों की कुशलता को बढ़ाने और इनके प्रशिक्षण पर बल देने के अलावा उन्हें कार्यक्रमों की सही जानकारी देकर शिक्षित करना होगा और उन्हें कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी देकर भी शिक्षित करना होगा। इस दिशा में स्वयंसेवी संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।
बन्धुआ मजदूर

सरकार देश से बन्धुआ मजदूरी को जड़ से मिटाने को कहत संकल्प है। सातवीं योजना में बन्धुआ मजदूर प्रणाली को मिटाने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं। इस अमानवीय कुप्रथा को जन्म देने वाली परिस्थितियों में भयकर गरीबी है। बड़ी सल्ला में भ्रसहाय व्यक्तियों को भरण-पोपण और सामाजिक

रोति-रिवाजों को निभाने के लिए ग्रामीण महाजनों पर आश्रित होना पड़ता है और उनसे प्राप्त यह कर्ज़ी ही उन भोले ग्रामीणों के लिए कभी न मिटने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली दासता की चक्की बन जाता है। सरकार ने संशोधित विधान के साथ व सच्चे अर्थों में उनेक कदम उठाए हैं और मुक्त हुए थमिकों के पुनर्वास के संरक्षणात्मक प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया है। इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रम कल्याण परियोजनाओं के लिए छठी और सातवीं योजना में निर्धारित राशि को देखने से इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है—

योजना का परिव्यय तथा व्यय—थमिक और श्रम कल्याण

(करोड़ रुपये में)

| छठी योजना | सातवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय | | |
|-------------------|---|-----------------|---------|
| | परिव्यय | प्रत्याशित व्यय | परिव्यय |
| केन्द्र | 73.50 | 49.06 | 95.44 |
| राज्य | 111.92 | 148.55 | 219.75 |
| संघ शासित क्षेत्र | 9.22 | 12.38 | 18.53 |
| कुल योग | 199.64 | 199.99 | 333.72 |

बाल थमिक

थम क्षेत्र में तत्काल कारंदाही की अपेक्षा रखने वाली प्रमुख समस्या बाल मजदूरी की है। यह समस्या प्रमुख रूप से गरीबी की देन है और बर्तमान आर्थिक विकास की स्थिति में इसका पूर्ण उन्मूलन भी सम्भव नहीं है। इस समस्या का निदान सामाजिक रूप से अधिक उदार परिस्थितियों के निर्माण में निहित है। संशोधित विधान के साथ सच्चे अर्थों में उनके क्रियान्वयन के लिए ऐसी स्वयंसेवी एजेंसियों की आवश्यकता है जो बाल थमिकों के स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षण का ध्यान रखें। इन बच्चों के अनौपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाना चाहिए। लेकिन ये लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए जिनके बच्चे मजदूरी करने के लिए जाते हैं और यह बाध्यता उनका सबसे बड़ा शोषण करती है।

महिला थमिक

जहाँ तक महिला थमिकों का प्रश्न है, उन्हे विशेष महत्व दिया जा रहा है तथा आर्थिक विकास में उन्हे सहायी बनाने के लिए कई विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं।

समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष लक्ष्य समुदाय माना जाएगा, पूँजी-सम्पत्ति कार्यक्रमों में महिलाओं का समान प्रधिकार, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, ऐसे तकनीकी उपस्करतया प्रणालियों को अधिक प्रोत्साहन जो महिलाओं को उदासीनता कम करें और उन्हे उत्पादकता बढ़ाने में अधिक सक्रिय कर सकें। इसके अलावा सातवी योजनावधि में परिवार नियोजन केन्द्र, अमिक महिलाओं के लिए बाल अनुरक्षण केन्द्र, राज्य स्तर बढ़ाने पर मार्केटिंग बस्तियाँ स्थापित करने और प्रबन्ध में महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष उपायों का प्रावधान है। महिला मजदूरों के लिए समान वैतन, उनके लिए आवश्यक कार्य के घट्टे आदि से सम्बन्धित वर्तमान कानूनों में सशोधन का भी प्रस्ताव है और इन कानूनों को अधिक विस्तृत किया जाएगा।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए 334 करोड़ रुपये के विनियोजन की एक विस्तृत योजना केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित राज्यों के लिए विशेष रूप से सातवी योजना में उपलब्ध कराई गई है। लेकिन योजनाएँ कितनी भी आकर्षक व लाभकारी नहीं न हो उनका सही लाभ केवल तभी सम्भव है जबकि व्यापक रूप से जागरूकता हो और ईमानदारी के साथ इनकी मफलता के लिए प्रयास किए जाएं। केवल जादूई करिश्मा ही इन्हे सफल नहीं बना सकेगा। नागरिकों की इच्छा शक्ति भी एक महत्वपूर्ण नियायिक है।¹

मजदूरी नीति और राष्ट्रीय भ्रम आयोग की रिपोर्ट (1969)

(Wage Policy and Report (1969) of National Commission on Labour)

केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1966 में एक राष्ट्रीय भ्रम आयोग थी पी. वी. गजेन्द्रगढ़कर की अध्यक्षता में स्थापित किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रगति, 1969 में दी जिसमें मजदूरी नीति से सम्बन्धित निम्नांकित सिफारिशों की गई—

सरकार, नियोक्ता, भ्रम सभी तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों ने सहमति प्रकट की कि मजदूरी नीति ऐसी हो जिससे आर्थिक विकास की नीतियों को प्राप्त किया जा सके।

1 न्यूनतम भजदूरी के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए आयोग ने इसके निर्धारण हेतु उच्चोग की मजदूरी देय क्षमता को ध्यान में रखने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार राष्ट्रीय न्यूनतम भजदूरी (National Minimum Wage) न सो सारे देश के लिए उचित है और न ही वाच्चनीय।

1 योजना, भई, 1986 (बीमती चन्द्रकला शक्तीक)

2 Report of the National Commission on Labour, p. 225.

विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रादेशिक न्यूनतम मजदूरी (Regional Minimum Wage) निश्चित करने की सिफारिश की।

2. आयोग ने सिफारिश की कि दिना उत्पादकता में वृद्धि के मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में निरन्तर वृद्धि सम्भव नहीं है। आयोग ने प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाओं (Incentive Wage Systems) को लागू करने की सिफारिश की। जीवन निर्धारित लागत में परिवर्तन के साथ-साथ मजदूरी में भी परिवर्तन करना चाहिए।

3. मजदूरी बोर्ड (Wage Board) को मजदूरी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही आयोग ने मजदूरी बोर्ड की सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू करना कानूनन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की।

4. कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की सिफारिश की। यह सबसे कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में पहले लागू किया जाए।

5. नियोक्ताओं ने आयोग के सम्मुख यह विचार पेश किया कि श्रोदीगिक मजदूरी का कृषि मजदूरी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से सम्बन्ध होना चाहिए। मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ दिया जाए तथा उचित मजदूरी सुधिति की सिफारिशों के आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाए।

6. श्रम सघों ने आयोग को कहा कि वास्तविक मजदूरी में गिरावट को दूर किया जाए जिससे कि श्रमिकों का जीवन-स्तर बनाए रखा जा सके। यह तभी सम्भव हो सकता है जब मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ दिया जाए।

7. राज्य सरकारों ने भी मजदूरी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। मजदूरी नीति श्रम के अनुकूल हो तथा उपभोक्ताओं के हित को भी ध्यान में रखने वाली हो। सरकार ने यह वायदा किया कि श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार किया जाएगा तथा धन और आय के भ्रस्तमान वितरण को भी दूर किया जाएगा।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजदूरों से सम्बन्धित सभी अधिनियमों को मिला कर कोई एकीकृत अधिनियम (Integrated Act) पास करने की सिफारिश नहीं की। आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजदूरी (Need-based Minimum Wage) निर्धारित करने समय किनारिकन नियमों तथा सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाए, कोई सिफारिश नहीं की गई।

**श्रम श्रीर मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले सम्मेलन,
तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले (1985-86)**

भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में 1985-86 वर्ष के दौरान श्रम और मजदूरी नीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों प्रोर बैठकों तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों का संक्षिप्त व्यूह।

दिया गया है। इससे हमें विषय वस्तु की मूर्खवान जानकारी प्राप्त होती है। रिपोर्ट में दिए गए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में कुछ प्रमुख सम्मेलनों का विवरण इस प्रकार है—

अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलन

(क) अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन—अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन का 71वाँ अधिवेशन जेनेवा में 7 जून से 27 जून, 1985 तक हुआ। इसके 151 देशों के 2000 सरकारी, नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने एक विपक्षीय शिष्टमण्डल भेजा। महानिदेशक की रिपोर्ट का मुख्य प्रसंग, श्रीयोगिक सम्बन्ध और विपक्षीयवाद के बारे में था। प्रायः सभी प्रतिनिधियों ने सुदृढ़ श्रीयोगिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने और विपक्षीयवाद को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस सम्मेलन ने दो वर्ष की अवधि 1986-87 के लिए सगठन के कार्यक्रम और 2530 लाख यू.एस.डॉलर की राशि के बजट को पारित किया। इस सम्मेलन की 17 जून को विशेष बैठक हुई जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सम्बोधित किया।

इस सम्मेलन ने (कं) व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा और (ख) अम सास्थिकी सम्बन्धी दो अभिसमयों को स्वीकार किया। रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर और समान व्यवहार के बारे में आम चर्चा हुई। रगभेद भाव पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ जो प्रतिवर्ष सम्मेलन का एक स्थायी विषय होता है और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद भाव की नीतियों से सम्बन्धित आई एल एम. घोषणा पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी निष्कर्षों को पारित किया गया।

इस सम्मेलन ने दो प्रस्ताव पारित किए। प्रथम प्रस्ताव में कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेषकर विकसित देशों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से अपील की कि वे अंतिरिक्त साधनों का आवाटन करके और सहायता तथा महयोग कार्यकलापों द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों को सुदृढ़ करके सूक्ष्म से प्रभावित अफ्रीकी देशों को अधिक मदद प्रदान करें। दूसरे प्रस्ताव में इस सम्मेलन ने बढ़ते हुए खतरों और गम्भीर हुर्दृटनाओं की बढ़ती हुई संख्या पर गहरी चिन्ता व्यक्त की जो खतरनाक पदार्थों तथा रासायनिक उत्पादों के प्रयोग से सम्बन्धित है। इस सम्मेलन ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे श्रमिक और नियोजन सर्गठनों के साथ पूरा परामर्श करके खतरनाक साधनों के प्रयोग तथा जोखिमपूर्ण पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, संचयन, हैन्डलिंग और विक्रय से सम्बन्धित खतरा निवारण के लिए समाकलित और व्यापक नीतियां स्वीकार करें। इसकी प्रस्तावना में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और प्रमुख प्रबन्धतन्त्र के अपने सभी सहायक यूनिटों के प्रबन्ध के सम्बन्ध और नियन्त्रण के बारे में वैसिक उत्तरदायित्व पर जोर डाला गया।

व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा अभिसमय और सिफारिश में जिसे सम्मेलन ने पारित किया, निर्धारक और बहुउद्देश्यीय इंटिकोए को निर्दिष्ट किया गया जिनमें नियोजक और अधिक पूरी तरह सहयोग देते हैं। नए दस्तावेजों के अनुसार इन सेवाओं का उद्देश्य न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए चिकित्सा ज्ञान प्रदान करना है बल्कि एक ऐसा चैनल बनाना है जिसके द्वारा अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान और अनुभव को सभी सम्बन्धित पक्षों के सहयोग से कार्य पर्यावरण में सुधार करने हेतु व्यावहारिक कार्यवाही की ओर अभिमुख किया जा सके। अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाले सदस्य देश सभी श्रमिकों के लिए जिनमें सांबंधनिक सेक्टर के अधिक और उत्पादन सहकारी समितियों के सदस्य शामिल हैं, आर्थिक कार्यकलापों की सभी शाखाओं में और सभी उपक्रमों तथा उपक्रमों के विशिष्ट सत्रों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का उत्तरोत्तर विकास करेंगे।

अभिसमय हारा निर्धारित सिद्धान्तों का संरण करने के पश्चात् सिफारिंग में निम्नलिखित क्षेत्रों में इन सेवाओं के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है, कार्य पर्यावरण की निगरानी, अधिकों के स्वास्थ्य की निगरानी, मूच्चना, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इम सिफारिश में यह बताया गया कि राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय उपक्रमों को जिनके एक से अधिक प्रतिष्ठान हैं, अपने सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे वह किसी भी जगह या देश में स्थित हों, अधिकों को बिना किसी भेदभाव के उच्चतम सेवा प्रदान करनी चाहिए।

सामाजिक और आर्थिक प्रगति की घोजना बनाने और उसे मानोटर करने तथा श्रीदोगिक सम्बन्धों के लिए विश्वसनीय अम आँकड़ों की आवश्यकतार की बजह से अम आँकड़ों सम्बन्धी अभिसमय और सिफारिश को सम्मेलन ने स्वीकार किया। इस क्षेत्र में पहले के दस्तावेजों में सशोधन करते हुए इस अभिसमय से सदस्य देश अम आँकड़ों को नियमित रूप से एकत्र करने, सकलित करने और प्रकाशित करने के लिए वचनवद्ध हो जाएंगे जिनका उत्तरोत्तर विस्तार किया जाएगा ताकि इसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या रोजगार, जहाँ संगत हो, वेरोजगारों और जहाँ सम्भव हो, स्पष्ट अल्प रोजगार, आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या की सरचना और उनका वितरण तथा औमत आप और कार्य घटी को लाया जा सके। यह सभी आँकड़े पूरे देश को प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके कार्यक्षेत्र में मजदूरी ढाँचा और चितरण, अम लागत, उपभोक्ता मूल्य मूच्छकांक, घरेलू व्यय, व्यावसायिक चोट और श्रीदोगिक विवाद भी आते हैं।

न केवल नियोजकों और अधिकों तथा उनके साथी व्यावसाय और अम प्राधिकरणों बल्कि सामाज्य-लोगों हारा भी एस्वेस्टास धूल के कारण खतरनाक प्रभावों के बारे में व्यक्त की गई अत्यधिक चिन्ता के प्रत्युत्तर में, सम्मेलन ने इस

सतरे के लिए व्यापक दृष्टिकोण हेतु आधार तैयार किया। यह मसौदा अभिसमय और सिफारिश के रूप में था ताकि इस पर और विचार-विमर्श किया जा सके और अगले वर्ष इसे पारित किया जा सके।

रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर और समान व्यवहार मम्बन्धी प्रस्ताव और निष्कर्षों को पारित करते हुए इस सम्मेलन ने कारंबंगही की घोषणा और ज्ञान की वैधता का पुनर समर्थन किया ताकि यू.एन. डीकेए फॉर वूमेन के प्रारम्भ में 1975 में पारित इस ममानता¹ को बढ़ावा दिया जा सके और आई.एल.ओ सदस्य राज्यों से अधीन की कि वे इस क्षेत्र में अभिसमयों और सिफारिशों का अनुसमर्थन करें और उन्हें लागू करें। इन निष्कर्षों ने महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने और उन्हें समान रोजगार के प्रबंधन प्रदान करने के उपायों का समर्थन किया, जाहे आर्थिक विकास की दर और रोजगार बाजार की परिस्थितियाँ कुछ भी हो ताकि वे अपने देश के मार्यादिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। इस सम्मेलन ने समान पारितोषिक के सिद्धान्त को पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता तथा यह सुनिश्चित करने का पुनर समर्थन किया कि कार्य वर्गीकरण और मूल्यांकन के मानदण्ड के कोई लिंग मम्बन्धी भेदभाव न हो।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने सम्मेलन और इसकी समितियों के विचार-विमर्श में कारगर रूप से भाग लिया। भारत के प्रधानमंत्री ने मुख्य भाषण दिया जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर प्रकाश आला गया और सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी वर्गों ने इसका जोरदार स्वागत किया।

(ख) शासी निकाय की बैठकों—शासी निकाय और उसकी समितियों के लीन अधिवेशन हुए अपर्याप्त फरवरी-मार्च में, मई-जून में और नवम्बर, 1985 में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व थम सचिव ने किया तथा थम मन्त्रालय और भारत के स्थायी दूतावास के अधिकारियों ने उन्हें सहयोग दिया। शासी निकाय द्वारा विचार-विमर्श किए गए महत्वपूर्ण मसले और लिए गए निर्णय, अन्य वातों के साथ-साथ, द्विवर्ष 1986-87 के लिए बजट और कार्यक्रम को पारित करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रमुख जोखिम नियन्त्रण और बेहतर सुरक्षा उपायों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता तथा कुछ सदस्य देशी द्वारा संघ बनाने की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित आई एल ओ मानदण्डों का पालन न करने से सम्बन्धित थे। शासी निकाय ने यह भी निर्णय लिया कि आई एल ओ कार्यकलापों के प्रयोजन हेतु इंजराइल को यूरोपीयन क्षेत्र का एक सदस्य समझा जाए। इसने अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलन के 73वें अधिवेशन की कार्य सूची को अन्तिम रूप भी दिया। शासी निकाय ने भेदभाव सम्बन्धी, औद्योगिक कार्यकलाप समिति, आपरेशनल प्रोग्राम समिति द्वारा सूचित किया गया आई.एल.ओ. कार्यकलापों की पुनरीक्षा की तथा टैक्नोलॉजी सम्बन्धी सलाहकार समिति की रिपोर्ट की भी जांच की।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन की ओर्योगिक समितियों की बैठकें—वर्ष 1985 के दौरान, आई.ए.ट.ओ की निम्नलिखित और्योगिक और सहश समितियों की बैठकें हुईं। विचार-विमर्श की गई मुख्य मद्दें रोजगार, प्रशिक्षण, कार्डशनाप्रो, पारिश्रमिक, विशेष वर्ग के व्यापिकों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के साधनों, जोतों का अधिकतम उपयोग, रोजगार अवसरों का सृजन, रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के निए समान व्यवहार, अधिक तकनीक सहयोग की आवश्यकता आदि जैसे विषयों से सम्बन्धित थीं। इन बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल ने समितियों के विचार-विमर्श में कारगर रूप से भाग लिया।

(घ) कामनवेल्थ रोजगार और थम मन्त्रियों की बैठक (जेनेवा, 6 जून, 1985)—कामनवेल्थ रोजगार और थम मन्त्रियों की चौथी बैठक 6 जून, 1985 को जेनेवा में हुई। मन्त्रियों ने कायंसूची में कई विषयों पर विचार-विमर्श किया और अधिकारी विकासशील देशों में वेरोजगार पर चिन्ता व्यक्त की तथा उप-सहारा अफ्रीका में स्थिति विशेष रूप से गम्भीर थी। मन्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरक्षणावाद रोजगार अवसरों के लिए एक गम्भीर खतरा है और व्यापार वाधाओं को, विशेषकर विकसित देशों में, कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी परिवर्तन की सुमिका पर बल दिया गया और महिलाओं के लिए समान रोजगार अवसरों सम्बन्धी नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने को स्वीकार किया गया। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्र-विभागीय पद्धति बनाने और उसके विकास को स्वीकार किया गया। कामनवेल्थ और्योगिक प्रशिक्षण और अनुभव कार्यक्रम (का.ओ.प्र.अ.का.) के बारे में मन्त्रियों ने यह सिफारिश की कि का.ओ.प्र.अ.का. की तकनीकी सहायता के लिए कामनवेल्थ विभि के अन्दर स्थापित किया जाए।

(इ) दसवां एशियन और प्रशान्त महासागर थम मन्त्री सम्मेलन (मैलबोन, अक्टूबर, 1985)—दसवां एशियन और प्रशान्त महासागर थम मन्त्री सम्मेलन 1-4 अक्टूबर, 1985 तक आस्ट्रेलिया में मैलबोन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की कायंसूची में दो मद्दे थे—अर्थात् युवकों पर राष्ट्रीय थम नीतियों का प्रभाव तथा एशियन और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में थम तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन देना।

युवकों से सम्बन्धित प्रथम मद्दे के बारे में सम्मेलन का मुख्य निष्कर्ष यह था कि युवकों के लिए रोजगार अवसरों का निर्धारण करने के लिए इड और सत्र आर्थिक विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक हैं और सदस्य-देशों को दीर्घकालीन रोजगार में ग्राहिक से अधिक वृद्धि करने के लिए उचित नीति शुरू करनी चाहिए। सम्मेलनों ने ऐसे भी महसूस किया कि युवकों को रोजगार अवसरों को प्रभावित करने में जन-संख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है और इस दबाव को कम करने के लिए, भाग लेने वाले सदस्यों को उपयुक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने चाहिए। इस

सम्मेलन ने मानव संसाधन विकास के महत्त्व की प्रोट विवेप ध्यान दिया और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जिनमें 'आर्ट एण्ड ग्राउंड द जॉब ट्रेनिंग' शामिल है। इस सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि स्वरोजगार और छोटे उपकरणों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए।

तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में, इस सम्मेलन ने इस आवश्यकता पर बल दिया कि यार्ड, एल. ओ. इस क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक साधनों के अनुपात में वृद्धि करे और तकनीकी सहयोग सहायता को विभेन्द्रित करने हेतु और कदम उठाए। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों और परियोजनाओं तथा यू. एम. डी. पी. और यू. एन. एफ. पी. ए. जैसी सम्बन्धित व्यूपक्षीय एजेंसियों के बीच भी अधिक सम्बन्ध पर बल दिया गया। इस सम्मेलन ने इस क्षेत्र में अम तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को प्रायोगिकताएँ पर विचार-विमर्श किया और युवकों की जरूरतों, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यदण्डाएँ और पर्यावरण, मानव संसाधन विकास महित रोजगार पर बल दिया जिनमें राष्ट्रीय विकास में महिलाओं के योगदान और प्रशासन को सुन्दर करना भी शामिल है।

(च) आई. एल. ओ. क्षेत्रीय सम्मेलन का दसवीं अधिवेशन (जफारा, 4-13 दिसम्बर, 1985) — आई एल ओ क्षेत्रीय सम्मेलन का दसवीं अधिवेशन जकर्ता में 4-13 दिसम्बर, 1985 तक हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय श्रममन्त्री की अध्यक्षना बाले त्रिपुरीय शिष्टमण्डल ने किया था। अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकायों ने पर्यावरण के अतिरिक्त 30 देशों की सरकारों, नियोजकों तथा असिको के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानवण्डों के प्रतिरक्त, अपर्ण अवक्षियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पुनर्वास पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को 'सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता' और क्षेत्र के लोगों के 'जीवन-स्तर का सुधार' करने हेतु अवधारों का पता लगाने की 'कुंजी' बताया। उन्नति तथा कल्याण में सच्चा योगदान करने के लिए इसे अधिकारों व्यक्तियों, यदि समस्त जनसम्म्या तक नहीं, के पाय पहुँचना होगा। तथा इसे कार्य आवश्यकताओं और विकास मम्भावना के अनुकूल होना होगा। विकल्प व्यक्तियों के उत्पादक रोजगार में एकीकरण को बढ़ावा देने के उपायों को अपनाते हुए, इस सम्मेलन ने अपर्णता को 'सामाजिक, आधिक और मानवीय समस्या' बताया। इस सम्मेलन ने प्रतिबन्धित व्यापार पदवियों का मुकाबला करने, उत्पादकता में सुधार करने, प्रमुख योग्यिक दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रेड यूनियन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने का भनुरोध किया।

(द) अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा एसोसिएशन (आई. एस. एस. ए.) की बैठक—भारत सरकार और कमंचारी राज्य द्वीपा निगम, अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा एसोसिएशन, जेनेवा के सम्बद्ध सदस्य हैं जबकि कमंचारी भविष्य निधि संगठन एक सह-सदस्य है। वर्ष 1985 के दौरान, विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/विचारणोंपरियों में भाग लेने के लिए उनमें शिष्टमण्डल विदेश भेजे गए।

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय धर्म मानको के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए विपक्षीय सलाह मशविरे से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन अभिसमय संख्या 144 का 27 फरवरी, 1979 को अनुसमर्थन किया था। इस अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाले देश जन प्रक्रियाओं को सागू करने के लिए बचतबद्ध हैं, जिनसे यह सुनिश्चित हो कि सरकार, नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के कार्यकलालो से सम्बन्धित मामलो पर आपस में प्रभावी सलाह मशविरा करें। ये मामले इस प्रकार हैं—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की कार्यसूची की मदों से सम्बन्धित प्रश्नावलियों के सम्बन्ध में सरकार के उत्तर और सम्मेलन द्वारा विचार-विभार्ज किए जाने वाले प्रस्तावित मूलपाठों पर सरकार की टिप्पणियाँ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के संविधान की धारा 19 के अनुसरण में अभिसमयों और मिफारिशों की प्रस्तुति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव;

(ग) समुचित अन्तरालों में ऐसे अभिसमयों और ऐसी मिफारिशों की पृष्ठ जांच जिन्हें अभी सागू नहीं किया गया ताकि वह विचार किया जा सके कि उन्हें सागू करने और उनका अनुसमर्थन कर सकने के लिए (इनमें से जो भी उचित हो) क्या उपाय किए जा सकते हैं;

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन के संविधान की धारा 22 के पर्याय अन्तर्राष्ट्रीय धर्म संगठन को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों से पैदा हुए प्रश्न; और

(ङ) अनुसमित अभिसमयों के प्रत्याख्यात सम्बन्धी प्रस्ताव।

अभिसमयों में यह अपेक्षा की गई है कि करारों द्वारा तय किए गए समुचित अन्तरालों में परन्तु कम से कम वर्ष में एक बार सलाह-मशविरा किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी के लिए यह भी जरूरी है कि वह सलाह-मशविरे से सम्बन्धित प्रक्रियाओं के कार्यकरण के बारे में वार्षिक रिपोर्ट दे। यह रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय धर्म मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के एक अध्याय के रूप में भी हो सकती है।

राष्ट्रीय सम्मेलन

(क) राज्य धर्म मन्त्रियों का 35वाँ सम्मेलन—राज्य धर्म मन्त्रियों का 35वाँ सम्मेलन 11 मई, 1985 को नई दिल्ली में केन्द्रीय राज्य धर्म मन्त्री की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में देश के वर्तमान श्रीदोगिक सम्बन्धों की स्थिति का सामान्य जायजा लिया गया और निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिए गए—

1. तालाबन्दी के कारणों की श्रीदोगिक सम्बन्ध-तन्त्र द्वारा जांच की जानी चाहिए और ऐसी जांच के परिणामों का सकलन करने पर स्थिति का सही अकिलन करना चाहिए।

2. इस बात की जांच की जानी चाहिए कि वया सालाबन्दी की परिभाषा

दिग्नृत की जाए ताकि संक्रिया या व्यापार को अस्थाई तौर पर बन्द कर ताला-बन्धो करने की परिपाटी से निपटा जाए ।

3. कामबन्धी, जबरी छुट्टी और छेंडनी से सम्बन्धित मामलों में आद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के बारे में स्थगन धारेशों के विश्व अपील करने के लिए उचित प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए ।

4. थम मामलों में न्याय-निर्णयन शीघ्र निपटाने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए । स्वैच्छक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

5. आद्योगिक सम्बन्धों को स्थिति को मानीटर करने के लिए व्यवस्था को सुट्ट करना चाहिए ।

6. अधिकों की देय राशियों को सर्वोच्च प्रायमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए सम्बन्धित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाएं ।

7. अधिकों की देय राशियों को अदायगी सुनिश्चित करने के लिए समुचित बीमा योजना के ब्योरे तंयार किए जाएं ।

8. कम्ती/यूनिटों के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा करने समय इस भाग्य का प्रभाग्यपत्र लेने की पद्धति की वार्षव्य/सेवानिवृत्ति की वचनवद्धता जैसे उपायान आदि के लिए अपेक्षित फण्डस विद्यमान हैं ।

9. मजदूरी/बोनस/उपदान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और केन्द्रीय भविष्य निधि की अदायगी से सम्बन्धित कानूनों को प्रभावी रूप में लागू किया जाना चाहिए ।

10. उपदान सदाय अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आने के लिए दियमान 1600-रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा को समाप्त किया जाए और इस अधिनियम के उपबन्धों को 10 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू करने के लिए समुचित सरकारों को शक्तियां प्रदान की जाए ।

11. अधिनियम के सीमादेय का विस्तार किया जाए ताकि काफी संख्या में महिला अधिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उसके प्रलग्नत लाया जा सके और इसके विस्तार को अधिक बढ़ाने के लिए त्रिपदीय विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ।

12. कर्मचारी राज्य बीमा निगम को बाल अधिकों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए कार्यक्रम शुरू करना चाहिए ।

13. राज्य सरकारों को शिथिल करने वाले प्रभाग्यन को कम करने की पूरी विमेशारी तेजी चाहिए ।

14. उन प्रतिष्ठानों के लिलाफ दाण्डक कार्रवाई चलानी चाहिए जिन्होंने अधिकों से निधियों की बसूली तो की है मगर उसे जमा नहीं कराया है और हमण हो गए या बन्द कर दिए या समापनाधीन हैं ।

15. दाइडक अभियोर्जन चलाने के अलावा, देय राशियों की वसूली करने के लिए यवासम्बन्ध शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

16. दुर्घटनाओं और वीमारियों को रोकने के हित में, मुख्य कारखाना निरीक्षक को जोखिमपूर्ण उद्योग में कार्यकलाप बन्द करने के आदेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदत्त की जानी चाहिए। जोखिमपूर्ण उद्योगों में सुरक्षा विनियमों का लगातार उल्लंघन करने पर अनिवार्यतः सजा दी जाए।

17. राज्य सरकार खतरनाक उत्पादन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में मॉडल नियमों और अनुसूचियों में निर्धारित नियन्त्रण उपायों को राज्य कारखाना नियमों में शामिल कर इन सभी उपायों को अपनाएंगी।

18. राज्य/मध्य-राज्य क्षेत्र सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में अपने नियमों की समीक्षा करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें सुरक्षा अधिकारियों की अपेक्षित अर्हताएँ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।

19. टास्क और फोर्सों की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकारें जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सूची बनाएंगी और व्यौरे कारखाना सलाह सेवा और अम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय को भेजेंगी, जो ऐसे जोखिमपूर्ण उद्योगों की एक सामान्य सूची बनाएंगे ताकि अखिल भारतीय आधार पर आम हित के अव्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए भविष्य की कार्रवाई योजना बनाई जा सके।

20. जोखिमपूर्ण रासायनिक उद्योगों में पर्यावरण की मानीटरिंग करने के लिए आवश्यक जन-शक्ति, उपकरणों और सुविधाओं सहित ग्रोशोगिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को राज्यों में स्थापित करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना बनाई जाए जिसमें 50% अंशदान राज्य सरकारे और 50% अंशदान केन्द्र सरकार करेंगी।

21. विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति राज्य स्तर पर गठित की जाएगी जिसका स्थोलक मुख्य कारखाना निरीक्षक होगा। यह समिति समय-समय पर जोखिमपूर्ण उद्योगों की सुरक्षा दशाओं की जांच करेगी और राज्य स्तर पर एक विपक्षीय समिति को उनके बारे में उपचारी उपायों की रिपोर्ट देगी।

22. यथ यन्त्री की अव्यक्तता में एक उच्च अधिकार प्राप्त विपक्षीय सुरक्षा समिति राज्य स्तर पर होगी। यह समिति राज्य भर के कारखानों में गमय सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मीति 'विषयक मामनों का निर्धारण करेगी।

23. देश में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक काढ़र बनाया जाएगा ताकि निम्नलिखित उपाय किए जा सकें—

(क) कारखाना सलाह सेवा और अम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा

* प्रशिक्षण और विकास के लिए समुचित कार्यक्रम बनाए जाएंगे और उन्हें सांगू किया जाएगा जिसमें वह एन.आई.सो एच.आई.आर.टी.सी. और राज्य सरकारों के कारखाना निरीक्षणालयों का सहयोग प्राप्त करेगा।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक स्वास्थ्य निदानिक केन्द्र स्थापित करेगा और वे केन्द्र कारखाना सलाह सेवा और अम विज्ञान केन्द्र के व्यावसायिक स्वास्थ्य बलीमिको, जिनकी सातवी पचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है, के पूर्ण सहयोग से काम करेंगे।

24. बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास कार्यक्रम को विद्यमान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।

25. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन उपलब्ध अनुदान, बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मिलने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा।

26. बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अनुदान को बैंकों से खुए लेने के लिए मूल धन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए तथावि यह स्वीकृत परियोजना लागत की सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

27. केन्द्रीय संकटर योजना के अधीन 4000 रुपये की सीमा काफी साल पहले निर्धारित की गई थी और इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

28. 4000 रुपये के अनुरूप अनुदान के अलावा पता लगाने के समय और कार्यक्रम शुरू होने के समय के बीच की अवधि के लिए अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाए।

29. बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्रों की शर्त-प्रतिशत प्राप्ति पर और न देते हुए रिलीज किया जाना चाहिए। यदि प्राप्त होने वाले उपयोग प्रमाण-पत्रों का 75 प्रतिशत भी प्राप्त हो जाए तो अनुदान रिलीज करने के प्रयोजनाथे उपयोग प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति को टाला जा सकता है।

30. जहाँ कही सम्भव हो, वहाँ स्वैच्छिक एजेन्सियों की सक्षमता और इच्छा का उपयोग किया जाए ताकि ग्रामीण समाज में मूलभूत परिवर्तन किए जा सकें। इन स्वैच्छिक एजेन्सियों में कामकाज को ग्रामीण समाजों की विद्यमान योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

31. जब कभी सार्वजनिक सेवा का उपकरण या सरकार प्रधान नियोजक हो तो ठेके में यह उपबन्ध किया जाना चाहिए कि ठेकेदार अपने ठेके श्रमिकों को कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की ग्रामीणी करेगा। ठेकेदार के सभी वित-

मुगतान के लिए केवल तभी पास किए जाएं जब प्रधान नियोजक यह प्रमाणित कर दे कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अदा की गई है।

32. औद्योगिकों के लिए आवास योजनाओं को आर्थिक रूप में कमजोर बर्गों के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विद्यमान आवास योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

33. एक राष्ट्रीय बान थम परियोजना शुरू की जाएगी ताकि जिन क्षेत्रों में बाल अधिक संकेन्द्रित हैं उनमें प्रभावी ढग से हस्तक्षेप किया जा सके।

34. जब दो या अधिक राज्यों में विद्यमान किसी अनुसूचित रोजगार में मजदूरी में व्यापक असमानता हो, तो वहाँ सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा इस असमानता को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

35. स्व-नियोजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों को सुट्ट करने के लिए केन्द्रीय योजना को, जो इस समय प्रायोगिक आधार पर 30 जिलों में चलाई जा रही है, यथासम्भव सारे देश में लागू किया जाना चाहिए।

36. सम्मेलन इस पक्ष में या कि रोजगार कार्यालयों के काम में कमबद्ध तरीके से कम्प्यूटर लगाया जाए ताकि रजिस्टर हुए व्यक्तियों और नियोजकों को तत्पर, उद्देश्यमुक्त और प्रभावी सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

37. प्रत्येक राज्य में कम से कम मौड़ल रोजगार कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यालय में समुचित स्टॉफ, उचित भदन, आगन्तुकों और रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले व्यक्तियों आदि के लिए उचित सुविधाएँ हों।

38. केवल महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कोई स्थानान्तरित किया जाए ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार किया जा सके।

39. निम्नलिखित मामलों की जांच करने के लिए थम मन्त्रियों का एक दल गठित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के थम मन्त्री इस दल के संयोजक होंगे—

1. औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होने से ही पृथक् निर्दिष्ट निधि का सूजन जिसका अधिकों को देय राशियों की अदायगी के लिए जहाँ कही आवश्यक हो, प्रयोग किया जा सके।
2. गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध में अधिक सहभागिता और सांविधिक उपबन्धों का प्रश्न।
3. उपदान वीमा स्कीम।
4. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी।
5. महिला अधिकों से सम्बन्धित थम कानूनों की समीक्षा।
6. कोई भय मद जिसे केन्द्रीय थम मन्त्री मिति के विचारार्थ निर्दिष्ट करें।

अम मन्त्रियों के प्रूप में 27-7-1985 और 23-9-1985 को ग्रपनी बैठकें की।

(ख) भारतीय अम सम्मेलन—भारतीय अम सम्मेलन का 28वाँ सत्र नई दिल्ली में अम मन्त्री की प्रध्यक्षता में 25-26 नवम्बर, 1985 को हुआ था। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों यानी इन्टक, हिन्द मजदूर सभा, भारतीय मजदूर सभा, यू.टी.यू.सी. (एल.एस.), टी.यू.सी.सी., एटक, एन.एन.ओ., सीडीओ और यू.टी.यू.सी. के प्रतिनिधियों और नियोजकों, साठनों, जिनमें एम्ब्लायर्स फॉडरेशन आँफ इण्डिया, आॉल इण्डिया आयनाइजेशन आँफ एम्ब्लायर्स और आॉल इण्डिया मैन्यूफॉर्चरर्स में भाग लिया। सम्मेलन में 28 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों और 18 केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। 21 राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के अम मन्त्रियों ने अपने राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

सम्मेलन की कार्यसूची में दो मर्दे थी, द्रथात् (1) आंशिक सम्बन्ध स्थिति की समीक्षा, (2) उद्योग में रुग्णता, (3) प्रबन्ध में अमिक सहभागिता और सांविधिक व्यवस्था करते का प्रश्न, (4) मूरुक्षा और स्वास्थ्य, (5) उपचान, बीमा योजना, (6) न्यूनतम मजदूरी, (7) व्यापक बाल अम विधेयक, (8) कल्याण निधियाँ, (9) कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भवित्य निधि पर टिप्पणियाँ, और (10) भारतीय अम सम्मेलन में अमिक संगठनों को प्रतिनिधित्व देने का मानदण्ड।

प्रधान मन्त्री ने सम्मेलन में भाग लेने वालों को 25-11-1985 को सम्बोधित किया। उन्होंने अम की उत्पादकता बढ़ाने और कार्य-प्राचार का विकास करने और उद्योग में प्रबन्धकों एवं अमिकों, दोनों की ओर से कार्य-संस्कृति और अनुशासन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अमिकों के लिए सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य की समस्या का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रबन्धकों से कहा कि वे ऐसे समुचित उपायों को विकसित करें जो हमारी विधियों के अनुकूल हो और जिन्हें अमिकों के पूरे सहयोग और कार्यशीलता से बनाया जाए। इसके अनावादा, हमें कौशल-विकास एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना है जिससे कर्मचारी की क्षमता के स्तर में बढ़ि हो। उन्होंने बाल अम की ममस्या का समाधान करने के लिए व्यावहारिक जोर देने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधान मन्त्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रसगित अमिकों की दशाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए।

दिसंतुत विचार-विमर्श के बाद, निम्ननिपत्ति विषयों के बारे में मतेवय हुए—

1. सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि स्थाई अम समिति को पुनः चालू किया जाए और इसकी बैठक छ. माह में एक बार होनी चाहिए। यह

समिति संबिधित होनी चाहिए और इसका गठन केन्द्रीय श्रम मन्त्री पर छोड़ दिया जाए।

2. सम्मेलन ने केन्द्रीय वित्त मन्त्री के इस सुझाव का स्वागत किया कि श्रम मन्त्रालय को एक छोटा सा दल गठित करना चाहिए जो सरकार की इस बात को देखने में मदद करेगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों से 35,000 करोड़ रुपये राशि के बराबर के आन्तरिक खोतों को जुटाया जा सके। सम्मेलन में महसूस किया गया कि वित्त मन्त्रालय से परामर्श कर एक विपक्षीय दल गठित किया जाए।

3. सम्मेलन ने औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति में हुए सामान्य सुधार को नोट किया। इसमें महसूस किया गया कि जहाँ तक सम्भव हो सके, विवादों को द्विपक्षीय सत्र के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। जहाँ यह सम्भव न हो, वहाँ त्रिपक्षीय सत्र का सहारा लिया जा सकता है या विवाद को स्वैच्छिक माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जा सकता है। न्याय निर्णयन की अपेक्षा स्वैच्छिक माध्यस्थम को वरीयता दी जानी चाहिए।

4. सम्मेलन ने श्रम मन्त्रालय द्वारा श्रमिकों के विवादों को निपटाने में किए जाने वाले दीर्घ विलम्बों के बारे में चिन्ता व्यक्त की। सम्मेलन ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह औद्योगिक सम्बन्ध आयोग स्थापित करने के बारे में सन्तुत मेहता समिति की सिफारिशों पर ध्यान दें।

5. औद्योगिक यूनिटों में बढ़ती हुई रुग्णता पर चिन्ता व्यक्त की गई और यह महसूस किया गया कि रुग्णता के कारणों की जांच करने के लिए तुरन्त निवारक कदम उठाने चाहिए और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपचारी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। रुग्ण यूनिटों के शीघ्र पुनर्वाप्ति और उन्हें फिर से चलाने के कार्यवर्षों पर जोर दिया जाना चाहिए। उद्योगों में रुग्णता की समस्या को मानीटर करने के लिए बन्द पड़े यूनिटों के हरेक मामले तथा सम्भाव्यता: रुग्ण होने वाले यूनिटों की स्थिति का गहन अध्ययन करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की जानी चाहिए। सम्मेलन ने संसद में पहले ही पेश किए गए रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 का सामान्यतः स्वागत किया। तथापि यह सुझाव दिया कि सरकार को रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को एवं सम्भाव्यता रुग्ण होने वाले यूनिटों को बन्द होने से रोकने के लिए उनको भी इनके सीमा धोत्र में साजे के लिए उक्त विधेयक में सशोधन करने पर विवार करना चाहिए। सम्मेलन में यह भी महसूस किया गया कि कर्मकारों को बोड़े में श्रमिकों के पक्षकारों को पूरणतः प्रतिनिधित्व दिया जाए और इसमें राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

6. सम्मेलन में सार्वजनिक/गैर-सरकारी एवं सहकारी क्षेत्रों के प्रबन्ध में बोड़े स्तर समेत विभिन्न स्तरों में श्रमिकों की सहभागिता सम्बन्धीय योजना को लागू

करने को सिद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। इस योजना को स्वच्छिक रूप से अपनाने या इसे विधान बना कर अपनाने और इसे लागू करने के तरीकों सम्बन्धी प्रश्न को स्थायी रूप समिति पर ही विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। उक्त समिति कार्यसूची के कागजातों में यथा प्रस्तावित ढाँचे और रूपरेखायों पर भी विचार कर सकती है।

7. सम्मेलन में महसूस किया गया कि श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यमान उपायों को बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें प्रभावी ढग से लागू किया जाना चाहिए और उन पर निगरानी रखनी चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि इत उपायों को नियोजकों और श्रमिकों के सक्रिय सहयोग के बिना लागू नहीं किया जा सकता और श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण से पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सम्मेलन ने यह भी नोट किया कि थम मन्त्रालय कारखाना अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है और यह इच्छा व्यक्त की कि प्रस्तावित सुझावों पर शोध कार्रवाई की जाए। यह भी महसूस किया गया कि कारखाना अधिनियम में सुरक्षा और स्वास्थ्य से सम्बन्धित उपबन्धों का बार-बार उल्लंघन करने के लिए अधिक कठोर दण्ड होना चाहिए।

8. थम मन्त्रालय द्वारा यथा प्रस्तावित उपदान बीमा योजना के बारे में मत्तेव्य था। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रबन्ध तन्त्र द्वारा बीमा किसी की अदायगी न करने की दशा में श्रमिकों के उपदान की अदायगी करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

9. सम्मेलन ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता पर चर्चा की। जब तक यह व्यवहार्य न हो, क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नियत करना बांधनीय होगा जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करे। न्यूनतम मजदूरी में नियमित अन्तरालों में संशोधन किया जाना चाहिए और इन्हें जीवन-निवाह लागत में होने वाली वृद्धि से सम्बद्ध करना चाहिए।

10. सम्मेलन में बात श्रमिकों सम्बन्धी व्यापक विधान बनाने के प्रस्ताव का समर्यान किया गया। तथापि यह राय व्यक्त की गई कि यह समस्या सामाजिक-आर्थिक मजदूरी से उत्पन्न होती है और इसे केवल विधान बनाकर नहीं सुलभाया जा सकता। यह महसूस किया गया कि इस समस्या को प्रभावी ढग से निपटाने का एक तरीका उन परिवारों की आर्थिक दशाओं में सुधार करना है जिन्हें परिस्थितियों से मजबूर होकर अपने बच्चों को काग पर भेजना पड़ता है। सम्मेलन में व्यक्त की गई चिन्ता को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि उन उद्योगों के बारे में, जहाँ बाल श्रमिक अधिक हैं, केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर श्रीबोगिक निपटीय समितियाँ गठित की जाएँ। ये समितियाँ न केवल नीतियाँ निर्धारित करें बल्कि इस सम्बन्ध में शुल्क की गई योजनाओं/कार्यक्रमों को भी मानीटर करें।

11. सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि प्रसंगठित क्षेत्र में कार्य की दशाओं में सुधार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने और कल्याण निधि के लाभी को इस क्षेत्र के कर्मकारों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए यदि आवश्यक हो तो और कल्याण निधियाँ बनाई जानी चाहिए। कल्याण निधि के लाभों का कर्मकार पर्याप्त रूप से लाभ उठा सकें, इसलिए निधियों से सहायता की पात्रता के लिए आय की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए।

12. सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सीमा क्षेत्र के विस्तार की उन मामलों में अनुमति दी जाए जहाँ पर्याप्त चैक्टिक व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं और इस सम्बन्ध में नियोजकों और कर्मचारियों द्वारा माँग की गई थी। तथापि सम्भावित वित्तीय संगठनात्मक और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि इस विषय को नियम की स्थाई समिति के विचारार्थ में भेज दिया जाए।

जहाँ तक कर्मचारी भविष्य निधि का सम्बन्ध है, यह सामान्य राय थी कि अपादान को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया जाए तथापि अधिकांश नियोजकों ने इस विषय पर असहमति व्यक्त की।

सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि भारतीय श्रम सम्मेलन के कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मानदण्ड के प्रश्न पर सेण्ट्रल ट्रेड यूनियन आर्गेनेशनों द्वारा विचार-विभाग तथा निर्णय लिया जाना चाहिए और उनमें किसी मतभेद के मामले में सरकार उम विषय पर निर्णय ले सकती है।

(ग) विपक्षीय श्रीदोगिक समितियाँ—इस वर्ष के दौरान रसायन उद्योग, इंजीनियरी उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, बागान उद्योग, सड़क परिवहन उद्योग, चर्म-शोधनशालाओं और चर्म-वस्तु निर्माण उद्योग, सीमेट उद्योग और भवन और निर्माण उद्योग सम्बन्धी विपक्षीय श्रीदोगिक समितियों को पुनर्गठित किया गया ताकि विपक्षीय परामर्शी तन्त्र को सुहृद किया जा सके। रसायन उद्योग, इंजीनियरी उद्योग, बागान उद्योग, सड़क परिवहन उद्योग और चर्म-शोधनशालाओं एवं चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग और जूट उद्योग सम्बन्धी श्रीदोगिक समितियों की इस वर्ष के दौरान बैठकें हुईं। इन बैठकों में श्रीदोगिक सम्बन्ध स्थिति, सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्रबन्ध में अमिक सहभागिता और समान सुरक्षा योजनाओं प्राप्ति से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा हुई।

रोजगार (Employment)

प्रत्येक देश में काम करने योग्य व्यक्तियों को काम मिलना आवश्यक है। यदि किसी देश के निवासियों को रोजगार नहीं मिलता है तो वह देश समृद्ध व सुखी नहीं हो सकता है। “रोजगार के अधिक अवसर होने पर सोगों को अपनी समृद्धि और वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने में सुविधा रहती है और

परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कल्याण में बृद्धि होती है।¹ हमारी समस्त आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करके सन्तोष प्राप्त करना है। वेरोजगारी तथा अद्वैत-वेरोजगारी आर्थिक दुर्दशा एवं गरीबी की प्रधानता का सूचक होती है।

पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें वेकारी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके अन्तर्गत—

1. थम की प्रभावपूर्ण माँग इसकी पूर्ति से अधिक होती है।

2. थम की माँग का उचित निवेशन होता है।

3. थम और उद्योग दोनों संगठित होने के कारण माँग और पूर्ति में समायोजन होता रहता है। पूर्ण रोजगार के साथ-साथ वेरोजगारी भी पाई जाती है जिसे घरेंगात्मक वेरोजगारी (Frictional Unemployment) कहा जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने वालों को रोजगार मिल जाता है। पूर्ण रोजगार में दो बातें सम्मिलित की जाती हैं।² —

1. वेरोजगार व्यक्तियों की तुलना में अधिक जगह खाली होती है।

2. मजदूरी उचित होती है जिस पर सब कार्य करने को तैयार होते हैं।

पूर्ण रोजगार की शर्तें

एक स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने हेतु निम्नांकित शर्तें होना आवश्यक है—

1. समुचित कुल व्यय बनाए रखना—यदि कुल व्यय अधिक होगा तो इससे विभिन्न उत्पादन के साधनों को रोजगार मिलेगा, आय प्राप्त होगी, व्यय करने और इसके परिणामस्वरूप उद्योग के उत्पादन की माँग बढ़ेगी। यह कार्य निजी उद्यमियों द्वारा नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में प्रत्येक सरकार का यह दायित्व हो गया है कि मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु सार्वजनिक व्यय में बृद्धि करे। सार्वजनिक व्यय में बृद्धि घटाए के बजट (Deficit Budget) द्वारा की जा सकती है और अधिक रोजगार के प्रदान पर उत्तर किए जा सकते हैं।

2. उद्योगों के स्थानीयकरण पर नियन्त्रण द्वारा भी पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। जब उद्योगों का स्थानीयकरण होगा तो इससे हमें आमानी से पता चल जाएगा कि किन उद्योगों में थम की कितनी-कितनी माँग है। इसके लिए बोधनीय स्थानीयकरण को प्रोत्साहन देना होगा।

3. नियन्त्रित थम की गतिशीलता (Controlled Mobility of Labour)—यह तभी सम्भव हो सकता है जब थम बाजार संगठित हो। यदि थम बाजार

¹ Saxena, R. C. : Labour Problems and Social Welfare, p. 899.

² Das Naba Gopal : Unemployment, Full Employment and India, p. 10.

संगठित नहीं होगा तो श्रमिकों को न तो पूर्ण रोजगार ही मिल सकेगा और न उचित भजदूरी ही। भारत जैसे विकासशील देश में श्रमिक अणिन्नित, अव्याहनी एवं रुद्धिवादी होने के साथ-साथ असंगठित भी होते हैं। इसलिए उनमें गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, उनकी सौदाकारी शक्ति दुबंल होती है और फलस्वरूप नियोक्ताओं द्वारा कम भजदूरी देकर उनका शोषण किया जाता है।

पश्चिमी देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ-साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति भी विचारना है लेकिन वेरोजगारी, अद्वैत-रोजगार और तिर्यकता के कारण सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ मुरु करने में असमर्थ होती है। भारत जैसे विकासशील देश में इन बुराइयों को दूर करने में सरकार असकल रही है क्योंकि विनीय समस्या सबसे महत्वपूर्ण समस्या है।¹

अविकसित देशों में हमें वेरोजगारी तथा अद्वैत-वेरोजगारी देखने को मिलती है। भारत जैसे विकासशील देश में कई पचवर्षीय योजनाओं के समान्त होने के बावजूद वेरोजगारी ज्यों की तर्थों बनी हुई है। प्रो. नकेसे के अनुसार, अद्वैत-विकसित देश हृषि प्रधान है और वहाँ पर हृषि वर्योग में 15 से 20% छिपी हुई वेरोजगारी (Disguised Unemployment) देखने को मिलती है।

“वेरोजगारी वह स्थिति है जिसके अन्तर्गत एक देश में कार्य करने योग्य व्यक्तियों की कार्य करने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें कार्य वर्तमान भजदूरी दरों पर नहीं मिलता है।”²

वेरोजगारी के प्रकार

रोजगार के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वेरोजगारी थ्रम की मांग और पूर्ति में असन्तुलन उत्पन्न होने से होती है। जब थ्रम की पूर्ति इसकी मांग से अधिक होती है तब वेरोजगारी होती है तथा इसके विपरीत पूर्ण रोजगार देखने को मिलता है। उनके अनुसार वेरोजगारी दो प्रकार की होती है—

1. धर्षणात्मक वेरोजगारी (Frictional Unemployment)—थ्रम की मांग और पूर्ति में असन्तुलन उत्पन्न होने से जब थ्रम वेरोजगार हो जाता है तो वह धर्षणात्मक वेरोजगारी कहलाती है।

2. ऐचिक वेरोजगारी (Voluntary Unemployment)—वह स्थिति है जिसके अन्तर्गत श्रमिक वर्तमान भजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार नहीं होते हैं। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वेरोजगारी थ्रम की मांग और पूर्ति के असन्तुलन का परिणाम है।

1 Das Naba Gopal, Unemployment, Full Employment and India, p. 23.

2 Saxena, R. C. . Labour Problems and Social Welfare, p. 899.

प्रो. कीन्स के प्रमुख बेरोजगारी सम्बन्ध की दशा में नहीं होती है। उन्होंने अनंचित बेरोजगारी (Involuntary Unemployment) का विचार दिया है। इसके अन्तर्गत कोई भी अभिक वर्तमान वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार होता है। किसी कार्य में लगे रहने मात्र से हम यह नहीं कह सकते कि बेरोजगारी नहीं है। जो व्यक्ति आंशिक रूप से कार्य पर लगे हुए है अथवा अपनी योग्यता से कम कार्य पर लगे रहना, वोड़े कार्य पर अधिक अभिक लगे रहना यह सब बेरोजगारी ही है।

इस प्रकार ऐचित्क बेरोजगारी (Voluntary Unemployment) वह बेरोजगारी है जिसमें अभिक वर्तमान मजदूरी दरों पर कार्य करने को तैयार नहीं होता है।

प्रो. कीन्स के प्रमुख अधिक बचत (Over-saving) और कम खर्च (Under-spending) जो कि आय के असमान वितरण का परिणाम है, बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। अतः बेरोजगारी को दूर करने के लिए अधिक खर्च और कम बचत की जाए जिससे उद्योग में वृद्धि होगी और प्रभावपूर्ण मांग (Effective Demand) अधिक होने से अधिक आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप अधिक गांधनों को रोजगार अधिक मिल सकेगा।

बेरोजगारी के कई रूप हो सकते हैं—

1. आर्थिक बेरोजगारी (Economic Unemployment)—वह बेरोजगारी है जो व्यापार चक्रों के उत्तार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक मर्दी के व्यापारिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने से देश में बेरोजगारी फैल जाती है।

2. शौद्योगिक बेरोजगारी (Industrial Unemployment)—जब कोई उद्योग ग्रसफल हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर कम अथवा बिल्कुल हो समाप्त हो जाते हैं तो वह शौद्योगिक बेरोजगारी का प्रकार होगा।

3. सौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)—वे उद्योग जो साल भर नहीं चलते हैं और शेष अवधि में उन्हें बन्द करने से बेरोजगारी फैला देते हैं, सौसमी बेरोजगारी के अन्तर्गत आते हैं।

4. पौत्रिक बेरोजगारी (Technological Unemployment)—उत्पादन तरीकों में परिवर्तन के कारण पुराने अभिक बेरोजगार हो जाते हैं, उन्हें किर से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह उद्योग में विवेकीकरण और आधुनिकीकरण (Rationalisation and Modernisation) का परिणाम है।

5. शिक्षित बेरोजगारी (Educated Unemployment)—शिक्षा के कारण जब शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलता है तो यह शिक्षित बेरोजगारी है।

6. छिपी हुई बेरोजगारी या अद्वैत बेरोजगारी (Disguised Unemployment or Under-employment)—यह वह स्थिति है जिसमें अभिक या व्यक्तियों

को कार्य तो मिला हुआ होता है, लेकिन पूरा कार्य नहीं मिला होता है। इदाहरणतया भारतीय कृषि में ऐसी ही स्थिति है। काम कम है, लोगों की सम्पदा अधिक है।

बेरोजगारी के कारण

बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होती है? अर्थात् इसके क्या कारण हैं? पूँजी की कमी, तकनीकी परिवर्तन, अधिक मजदूरी, अधिक जनसंख्या, अधिक कर भार, औद्योगिक धरान्ति, थ्रम संगठनों का अभाव आदि ऐसे तत्व हैं जिनके परिणामस्वरूप किसी भी देश के साधनों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना सम्भव नहीं होता है।

बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम विस्तृत पैमाने पर शुरू करने पड़े जिससे बेरोजगारी किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था से समाप्त की जा सके।

थ्रम की माँग और पूँजी में सन्तुलन स्थापित करने हेतु रोजगार कार्यालयों की स्थापना करनी चाहिए जिससे थ्रम के क्रेता तथा विक्रेता दोनों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। व्यापारिक चक्रों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सरकार को अपनी आर्थिक नीतियाँ, जैसे—मोट्रिक नीति, राजकोषीय नीति, मूल्य नीति, आवात-नियति नीति को उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित करना चाहिए।

मीमधी बेरोजगारी दूर करने हेतु अलग-अलग मौसम के उद्योगों को एक दूसरे से मिलाकर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। औद्योगिक अशान्ति को दूर करने के लिए सुबड़ एवं सुसंगठित थ्रम संघों को प्रोत्साहन देना, बेरोजगारी बीमा योजना शुरू करना, प्रबन्ध में सहभागिता, आदि कदम उठाएं जा सकते हैं।

भारत में रोजगार की स्थिति का एक चित्र

‘भारत सरकार के वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ 1985 में रोजगार सम्बन्धी अधिकारिक विवरण इस प्रकार दिया गया है—’

रोजगार

संगठित क्षेत्र, अर्थात् दस या इससे अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में रोजगार मार्च, 1983 में 239·5 लाख से बढ़कर मार्च, 1984 में 224·9 लाख (अस्थाई) हो गया। यह वृद्धि 1982-83 की 2·0 प्रतिशत की तुलना में 1·4 प्रतिशत थी। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि पिछले वर्ष के 3 प्रतिशत के मुकाबले 1983-84 में 2·6 प्रतिशत हुई। निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि 1982-83 में 0·3 प्रतिशत के मुकाबले 1983-84 में 1·2 प्रतिशत हुई।

एन. एस. एस. घो. के 32वें लोरे से प्राप्त अन्तिम परिणामों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में मार्च, 1980 में बेरोजगारी का अनुमान

दिया गया है। ये परिणाम आम स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा दैनिक स्थिति तीन घारणाओं पर प्राधारित हैं। आम स्थिति के अनुसार मार्च, 1980 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 1·14 करोड़ थी। साप्ताहिक स्थिति उन श्रीसत व्यक्तियों से सम्बन्धित है जिन्हें मार्च, 1980 में सर्वेक्षण वाले सप्ताह में एक घण्टे के लिए भी काम नहीं मिला या जो काम ढूँढ़ रहे थे यह काम के लिए उपलब्ध थे। मार्च, 1980 में ऐसे लोगों की संख्या जो 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के थे, 1·16 करोड़ थी। साप्ताहिक बेरोजगारी के ये अनुमान रोजगार की सही स्थिति नहीं दर्शाते, क्योंकि लाखों व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्हें हफ्तों कार्य नहीं मिलता। उन्हें कुछ दिन के लिए कार्य मिलता है परन्तु उसी सप्ताह में कुछ दिन कार्य नहीं मिलता। इसलिए बेरोजगार व्यक्तियों की बजाय बेरोजगार दिन श्रीमत दैनिक बेरोजगारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गिरे गए हैं। 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के श्रीसत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या मार्च, 1980 में 1·98 करोड़ थी।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

राष्ट्रीय रोजगार सेवा, 1945 में शुरू की गई। इसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाले अनेक रोजगार कार्यालय खोले गए हैं। ये रोजगार कार्यालय रोजगार की तलाश करने वाले सब प्रकार के व्यक्तियों की सहायता करते हैं, जिनमें शारीरिक रूप से वाधित व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, अनुमूदित जातियाँ, और जनजातियाँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा व्यासायिक और प्रबन्धक पदों के उमसीदवार भी शामिल हैं। रोजगार सेवा अन्य क्षम भी जरती है जैसे जनशक्ति के श्रेष्ठ उपयोग के लिए रोजगार परामर्श देना व्यावसायिक मार्ग दर्जन, रोजगार सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र और प्रचारित करना या रोजगार और धन्य सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अध्ययन करना। ये अनुसन्धान तथा अध्ययन ऐसे आधारभूत ध्याकड़े उपलब्ध कराते हैं जो जनशक्ति के कुछ पहलुओं पर नीति निर्धारण में सहायक होते हैं।

1959 के रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों का प्रतिवार्य ज्ञापन) अधिनियम के अन्तर्गत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में ऐसे गैर-कृति प्रतिष्ठानों का जिनमें 25 या 25 से अधिक आदमी काम करते हों, यह दायित्व है कि अपने मर्ही रिक्त स्थानों की सूचना (कुछ अपवादों के साथ) अधिनियम के अन्तर्गत व नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालयों को दें और समय-समय पर सूचित करें।

31 दिसम्बर, 1984 को देश में कुल 666 रोजगार कार्यालय ये जिनमें 79 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्ग दर्जन व्यूरो शामिल नहीं हैं। सारणी जो आगे दी गई है, इन रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों को दिखाती है—

रोजगार कार्यालयों की गतिविधियाँ

| वर्ष | रोजगार कार्यालयों की संख्या ¹ | पंजीकृत हो संख्या (हजारों में) | रोजगार पाने वाले अभ्यार्थियों की संख्या (हजारों में) | चालू रजिस्टर में शापित दिक्षिणीयों की संख्या (हजारों में) | स्थानों की संख्या (हजारों में) |
|------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1956 | 143 | 1670·0 | 189·9 | 758·5 | 296·6 |
| 1971 | 437 | 5129·9 | 507·0 | 5099·9 | 813·6 |
| 1976 | 517 | 5619·4 | 496·8 | 9784·3 | 845·6 |
| 1981 | 592 | 6276·9 | 504·1 | 17838·1 | 896·8 |
| 1982 | 619 | 5862·9 | 473·4 | 19753·0 | 819·9 |
| 1983 | 652 | 6755·8 | 485·9 | 21953·3 | 826·0 |
| 1984 | 666 | 6219·0 | 407·3 | 23546·8 | 707·8 |

प्रशासन

नवम्बर, 1956 से रोजगार कार्यालयों पर दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारों को सौप दिया गया है। अप्रैल 1969 से राज्य सरकारों को जनशक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध वित्तीय नियन्त्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र अल्प भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण कार्य विधि और मानकों के समन्वय, विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तथा प्रशिक्षण तक सीमित है।

प्रशिक्षण और अनुसन्धान

रोजगार सेवा में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय संस्थान, धर्म मन्त्रालय में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 1964 से कार्य कर रहा है। यह संस्थान ये कार्य करता है—(1) राष्ट्रीय रोजगार में कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण करना, (2) विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय रोजगार के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण देना तथा योजना बनाना, (3) रोजगार सेवाओं में आने वाली कठिनाइयों पर अनुसन्धान करना तथा (4) कैरियर सम्बन्धी साहित्य का सकलन और प्रकाशन और व्यवसाय मार्ग दर्शन तथा कैरियर परामर्श कार्यक्रमों में उपयोग के लिए धृत्य वृथत्य साधनों का उत्पादन।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न देशों के प्रति नियुक्त प्रशिक्षार्थी अफसरों के लिए यह संस्थान पाठ्यक्रम का प्रबन्ध करता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन

युवक युवतियों (ऐसे अभ्यार्थी जिन्हे काम का कोई अनुभव नहीं है) श्रमिक और प्रोड व्यक्तियों को (जिन्हे खास-खास कामों का अनुभव है) काम घन्थे से

1 इसमें 16 व्यावसायिक तथा कार्य पालक रोजगार कार्यालय जागिल हैं, तथा 79 विश्व-विद्यालय रोजगार सूचना एवं निर्दर्शन बुरो इसमें शामिल नहीं हैं।

सम्बद्ध मार्गदर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है। 1984 से 331 रोजगार कार्यालयों तथा 79 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन कार्यालयों में काम धन्ये सम्बन्धी मार्गदर्शन एकक काम रहे थे।

पहुँचे युवक-युवतियों को लाभदायक रोजगार दिलाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्य मार्गदर्शन और आजीविका परामर्श कार्यक्रमों को विस्तृत और व्यवस्थित किया गया है। रोजगार सेवा अनुसन्धान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है जो युवक-युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों को ध्यानसाप सम्बन्धी साहित्य देता है।

विकलांगों के लिए रोजगार कार्यालय ०

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय हैं, जो पटना, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलूर, लुधियाना, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जयपुर, तिळग्रनन्तपुरम, शिमला, गोहाटी, अगरतला, इमफाल, बडोदरा, सूरत, राजकोट तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं।

विकलांगों के लिए अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जलकत्ता, मद्रास, लुधियाना, भोतामडी, गोहाटी, भुवनेश्वर और तिळग्रनन्तपुरम में 14 व्यावसायिक पुनर स्थानन केन्द्र काम कर रहे हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक केन्द्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों में आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिए 17 प्रशिक्षण व मार्ग दर्शक केन्द्र दिल्ली, मद्रास, कानपुर, जयपुर, हैदराबाद, तिळग्रनन्तपुरम, सूरत, जबलपुर, ऐजल, रौचो, रंगलूर, हिमार, राउरकेला, इमफाल, कलकत्ता, नागपुर और गोहाटी में कार्य कर रहे हैं।

रोजगार की एक अभिनव योजना

रोजगार चाहने वालों की सल्ला दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है और सरकार इतनी बड़ी सल्ला में रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है। सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए भिन्न योजनाओं के तहत पानी की तरह पेसा बहा रहा है, किन्तु फिर भी इस समस्या पर काढ़ नहीं पाया जा सका है। जिलित छात्र अध्ययन करने के बाद नौकरी की तलाश में दूर-दूर भटकता रहता है और अन्त में अपनी योग्यता से भी नीचों काम करने के लिए तैयार हो जाता है किन्तु इसके उपरान्त भी उसे नौकरी नहीं मिलती है तो हताश एवं कुपित होकर गलत दिशा में बढ़ने लगता है।

इस समस्या पर काढ़ पाने के लिए मेरे विचार में 'व्यावसायिक संस्थान' की स्थापना की योजना कारगर साबित होती। यदि जासन इस योजना पर व्याप्त हो तो देश में 10 लाख शिक्षित एवं 50 लाख प्रशिक्षित लोगों को स्थाई रूप

से प्रतिवर्ष रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इतने बड़े विशाल पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की सामत प्रतिवर्ष सिर्फ दो अरब रुपये होगी अर्थात् सरकार दो अरब प्रतिरिक्त राशि खर्च करके 60 लाख लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष प्रदान कर सकती है। इस प्रकार एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए सरकार को सिर्फ 334 रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने पड़ेंगे जो कि उच्च व्यावसायिक शिक्षा पर सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रति छात्र के व्यय का 50 प्रतिशत होगा। इतनी कम राशि से बड़े पैमाने पर रोजगार 'व्यावसायिक संस्थान' की स्थापना करके उपलब्ध कराया जा सकता है।

व्यावसायिक संस्थान की स्थापना की आवश्यकता क्यों?

देश में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में वैतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है, जिससे ऐसे उच्च श्रेणी का ज्ञान प्राप्त प्रतिभा को भी उसकी इच्छा के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है, फलत् देश में प्रतिभाओं का पलायन होता जा रहा है।

इसलिए अब सभव की आवश्यकता के अनुसार हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जो शिक्षित एवं अशिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें और वे रोजगार के लिए सरकार का मुँह नहीं ताके, बल्कि वे स्वयं ही रोजगार के अवसर निर्मित कर लोगों को रोजगार प्रदान करें और यह कार्य देश में 'व्यावसायिक संस्थानों' की स्थापना के द्वारा ही हो सकता है।

इस स्थिति में जो छात्र शिक्षा प्राप्त करके निकलेगा वह 'साहसी' या 'उद्यमी' की डिग्री में विभूषित किया जाएगा। डिग्री लेकर निकलने पुर वह साहसी पा उद्यमी इतना योग्य हो जाएगा कि वह अपनी रुचि के अनुसार (उद्योग की जिस श्रेणी में डिग्री हासिल करेगा) कारखाने की स्थापना कर सकेगा। कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का संदर्भान्तिक एवं व्यावहारिक अध्ययन उसे रहेगा अतः उसके मार्ग में किसी प्रकार की बड़ी रुकावट नहीं आएगी। कारखाने की स्थापना से सम्बन्धित आवश्यक साधनों को जुटाने एवं निर्मित माल की विकी तक की सभी गतिविधियां उसके अपने दिमाग की योजना के अनुसार ही गंचालित होंगी। इससे एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि ऐसे साहसी उद्योग के सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी कर सकेंगे, जिसमें समाज को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ मिलेगा।

यदि ऐसे एक संस्थान से प्रतिवर्ष 100 छात्र डिग्री लेकर निकलें और वडे राज्यों 5 संस्थान एवं छोटे राज्यों में दो या तीन संस्थान हो तो देश में 100 संस्थानें हो तो कुल 10 हजार साहसी प्रतिवर्ष देश में तैयार होंगे और यदि एक कारखाने में 100 शिक्षित एवं 500 अशिक्षित लोगों को रोजगार मिला (जो कि नामुमकिन नहीं है) तो देश में प्रतिवर्ष 10 लाख शिक्षित एवं 50 लाख अशिक्षित लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

इस प्रकार की संस्था को स्थापना की आवश्यकता इसलिए भी है कि देश में उद्यमियों की बहुत कमी है और ऐसे उद्यमियों की भी कमी है जो सामाजिक दायित्व को निभाने में सफल रहे हों। देश में वर्तमान सन्य में किसी भी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है यथा—परिवहन सुविधा, पानी, विजली, कच्चा माल, पूँजी, मशीन, तकनीकी ज्ञान, कुशल अभिक एवं बाजार आदि।

यदि कमी है तो इन सभी साधनों के दोहन की ओर इन साधनों को संगठित करके इनसे प्राप्त लाभों को समाज को देने वालों की। यदि इस योजना पर हड्ड इच्छा शक्ति को ईमानदारी व लगन के साथ सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो देश में ऐसे संस्थान से उद्यमियों का पहला दल 1991-92 में आसानी से निकल सकता है और जब भारत 21वीं सदी में प्रवेश करेगा तब तक 6 करोड़ लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के साधन इस योजना के अन्तर्गत आसानी से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। हमारे देश के युवा प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी भारत को खुशहाल बनाने के लिए जी जात से जुटे हुए हैं और उनके सपनों का भारत जब 21वीं शताब्दी की दहलीज पर दस्तक देगा तब भारत पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगा। इस प्रकार की सबको रोजगार प्रदान करने वाली ग्रन्थिनव योजना का व्यावसायिक संस्थान की स्थापना है।

व्यावसायिक संस्थान का प्रारूप

व्यावसायिक संस्थान का पाठ्यक्रम अन्य व्यावसायिक कॉलेजों की तरह पांच वर्ष का ही रखा जाएगा। पांच वर्ष के पाठ्यक्रम का विभाजन इस प्रकार का होगा —

- (1) तीन वर्ष संदान्तिक अध्ययन
- (2) दो वर्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण

तीन वर्ष के संदान्तिक अध्ययन पर सरकार को (प्रारम्भ में किमी महाविद्यालय पर लागू करके) अलग से कोई अतिरिक्त राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी (किन्तु बाद में संस्थान का पूर्ण खर्च सरकार को अलग से करना होगा), यह संदान्तिक अध्यापन वर्तमान में प्रारम्भिक अवस्था में किसी महाविद्यालय में वाणिज्य सकारात्मक अन्तर्गत पढ़ाए जाने वाले विषयों में थोड़ा परिवर्तन करके तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है।

इसके अध्यापन के लिए वाणिज्य सम्बन्धित ज्ञान एवं रुचि रखने वाले प्राच्यापकों को लघु प्रशिक्षण देकर आसानी से लगाया जा सकता है। इस कार्य पर सरकार को नाम मात्र की राशि खर्च करनी होगी।

दो वर्ष के व्यावहारिक पाठ्यक्रम पर सरकार को अतिरिक्त राशि लचं करनी होगी और प्रारम्भ में ऐसा प्रशिक्षण नजदीक के घट्टर में स्थापित उद्योग के सहयोग से (कुशल व्यक्तियों के द्वारा जो उद्योग में कार्यरत हैं) दिया जा सकता है। बाद में ऐसी संस्था से निकले उच्चमी स्वयं कारसाना स्थापित करके प्रशिक्षण

संस्थानों में पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं, दिक्कत केवल 1-2 वर्ष की ही रहेगी फिर आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।

योजना पर अनुमानित व्यय

एक 'व्यावसायिक संस्थान' की अनुमानित लागत लगभग प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये होगी, जिसमें हर वर्ष थोड़ी-बहुत हृदि हो सकती है। इनमें भवन, अध्यापन आदि पर एक करोड़ एवं सम्बन्धित उद्योग की ब्रांच की स्थापना पर एक करोड़। इस प्रकार प्रारम्भ के कुछ वर्षों में ही व्यय होगा, बाद में जब संस्थान पूर्ण सुसज्जित (ब्रांचों से) हो जाएगा तब ब्रांचों पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा। इस प्रकार प्रति संस्थान लागत दो करोड़ होगी, देश में कुल 100 संस्थाएं ही स्थापित कर दी जाएं तो केवल 2 अरब रुपये का लग्न प्रतिवर्ष होगा। योजना से सम्बन्धित 'महत्वपूर्ण विन्दु'

योजना के महत्वपूर्ण विन्दु इस प्रकार होंगे—

1. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में व्यावसायिक घन्धों का संदानितक अध्ययन कराया जाए। व्यावसायिक घन्धों के तीन वर्ष होते हैं, यथा वाणिज्यिक घन्धे, उद्योग सम्बन्धी घन्धे और वैयक्तिक सेवाएं।

2. इन तीन वर्षों में से प्रथम वर्ष के घन्धे में व्यापार आता है अतः इसका केवल प्रारम्भिक संदानितक अध्ययन ही कराया जाना पर्याप्त होगा और तीसरे वर्ष के घन्धों का पर्याप्त विकास देश में हो चुका है। अतः इसके अध्ययन कराने की इस संस्थान में कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

3. अतः दूसरे वर्ष के उद्योग सम्बन्धी घन्धे ही इस योजना की रीढ़ की हड्डी है और इसी प्रकार के उद्योग से सम्बन्धित घन्धों का विस्तृत गहन एवं व्यावहारिक अध्ययन कराना ही व्यावसायिक संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है।

4. उद्योग से सम्बन्धित घन्धों की अलग-अलग श्रेणी बनाई जाए। इस उद्देश्य के निए उद्योगों को विभिन्न खण्डों में विभाजित करना होगा यथा उत्पत्ति उद्योग, निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग। इन ब्रांचों में से तीसरी ब्रांच रचनात्मक उद्योग का देश में पर्याप्त विकास हो चुका है अतः इसके अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही प्रथम प्रकार के उद्योग के तहत कुपि महाविद्यालय कार्यरत है अतः इसे भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

5. अतः निर्माण उद्योग को ही इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। निर्माणी उद्योग को भी चार विषयों में विभाजित किया जा सकता है यथा—विशेषणात्मक उद्योग, संयोजन उद्योग, प्राविधिक उद्योग और सांश्लेषिक उद्योग।

6. इस प्रकार व्यावसायिक संस्थान के अन्तर्गत उपर्युक्त चार विषयों को सम्मिलित किया जा सकता है।

7. इन चार विषयों का तीन बर्यं तक द्याव्रों को गहन सेंद्रान्तिक प्रध्ययन कराया जाए।

8. तीन बर्यं के पश्चात् प्रत्येक द्याव्र का मूल्यांकन किया जाए कि द्याव्र की रुचि इस विषय की ओर है और डिप्री लेकर वह किस उद्योग में उद्यमी के रूप में वास्तविक धरातल पर उतरेगा और किस उद्योग में वह सफल होगा। यह कार्य घड़ा कठिन है इन्हें यदि ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किया जाए तो विल्कुल सरल हो जाएगा। यदि यही गलती कर दी तो वाँछित परिणाम अनुकूल नहीं होगे।

9. समग्र प्रांकलन के बाद उस द्याव्र को उद्योग के उसी विषय का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण प्रारम्भ में नजदीक ही स्वापित कारखाने में दिया जा सकता है और बाद में धीरे-धीरे सम्पादन प्रपने स्वयं के कारखाने स्वापित करके निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं।

10. दो बर्यं का ऐसा व्यावहारिक प्रध्ययन करके जब उद्यमी की डिप्री लेकर द्याव्र निकलेगा तो वह वास्तविक जीवन में उद्योग के फील्ड में उत्तरणे योग्य होगा और मेरा विश्वास है कि वह युवक सफल उद्यमी होगा।

इस प्रकार दो शर्कर रुपये में 60 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना कितनी ही अच्छी बयो न हो, यदि इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा तो परिणाम अनुकूल नहीं होगे और योजना को ही गलत करार दे दिया जाता है। अतः प्रावश्यकता इस बात की है कि योजना को सही ढंग से लागू एवं क्रियान्वित किया जाए।

योजना को परखने के लिए शासन चाहे तो इस प्रकार के एक सम्मान की स्थापना करके इसकी सफलता का मूल्यांकन कर सकता है। मैं इस योजना के प्रारूप को, जिसका वर्णन मैंने ऊपर किया है, के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में अपने ज्ञान, विवेक, क्षमता एवं अपनी सीमाओं के दायरे में सहयोग देने के लिए तत्पर हूँ।¹

1 योजना, मार्च 1987, पृ. 25-27 : दी. एस. शौधरी: रोजगार की एक प्रभिन्न योजना।

6

ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका में रोजगार-सेवा संगठन : संगठन, कार्य एवं उपलब्धियाँ; भारत में अमिक भर्ती की पद्धतियाँ; भारत में रोजगार सेवा-संगठन

(Organisations, Functions & Achievements
of Employment-Service Organisation
in the U. K., U. S. A. in General; Methods
of Labour Recruitment in India;
Employment Service Organisation
in India)

रोजगार या नियोजन सेवा संगठन (Employment Service Organisation)

अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (International Labour Organisation) ने 1919 में एक प्रस्ताव पास कर प्रत्येक सदस्य देश को नि शुल्क रोजगार सेवा (Free Employment Service) की स्थापना की सिफारिश की। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि 1921 में की। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour) ने यह सिफारिश की कि जब मालिकों को कारखाने के दरवाजों पर आसानी से पर्याप्त सूखा में अधिक मिल रहे हैं तो फिर रोजगार कार्यालय चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग के इस विचार के बावजूद भी संश्रू रोजगार समिति, थम अनुसन्धान समिति, विहार एवं कानपुर थम जांच समितियाँ, नई नियोक्ताओं और अधिकों की परिपदों ने रोजगार सेवा चलाने हेतु प्रबल मर्मांन किया। युद्धकालीन विभिन्न प्रकार के अधिकों की माँग युद्धोत्तर कालीन पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्य आदि में इस प्रकार की सेवा का कार्य काफी सराहनीय रहा।

अर्थ (Meaning)

रोजगार या सेवा नियोजन कार्यालय वे कार्यालय हैं जो इच्छुक व्यक्तियों को उनकी शैक्षि तथा योग्यतानुसार काम तथा मालिकों को उनकी आवश्यकतानुसार अधिक उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, थम के त्रैता (मालिकों)

व विशेषता (थमिको) को एक-दूसरे के समार्थन में साकर थम की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने का चार्य करते हैं। ये एक और थमिक का नाम, योधपता, अनुभव और विशेष हचि से सम्बन्धित लेखा रखते हैं तो दूसरी ओर मालिको द्वारा दी जाने वाली नोकरी व उनके द्वारा डिच्छित थमिको के प्रकार में सम्बन्धित सूचना रखते हैं। जब भी खाली जगह निकलती है तो उसमें रखी गई योधपता, अनुभव तथा हचि आदि को देखकर इस प्रकार के थमिको के नाम निकात दिए जाते हैं और ये नाम इच्छित मालिक के पास भेज दिए जाते हैं। अन्तिम चरण मालिक पर निर्भर करता है। इस प्रकार नियोजन कार्यालय थम की माँग और पूर्ति का समायोजन इस तरह करते हैं कि उपयुक्त व्यक्ति के निए उचित नोकरी या कार्य मिल जाए।

रोजगार कार्यालय रोजगार के प्रवस्त्रों में वृद्धि ही नहीं करते हैं बल्कि वे अत्यकाल में ही थम की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। थमिको को सूचित करके रोजगार प्राप्त करने में सहायता करते हैं तथा दूसरी और मालिक को सूचित करके उसकी थम की माँग को तुरन्त पूरा करने में सहयोग देते हैं। इस प्रकार ये थम की गतिशीलता में वृद्धि करके उसकी उत्तरादकता में वृद्धि करते हैं जिससे देश में बैंकार पड़े साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि नीती है और देशवासियों के शारीक कल्याण में वृद्धि होती है।

-रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य

(Objectives of Employment Exchanges)

रोजगार कायातायों के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

1. थमिकों व मालिकों के बीच सम्बन्ध स्थापित करना—थम की माँग और पूर्ति दोनों में सन्तुलन स्थापित करके थम के विकेता (थमिक) और थम के नेता (मालिक) को एक-दूसरे के निकट साकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना इस कार्यालयों का उद्देश्य है।

2. थम की गतिशीलता में वृद्धि करना—रोजगार कार्यालयों से थमिकों को मालूम हो जाता है कि उनकी माँग कहाँ अधिक और कहाँ कम है। कार्यालय थमिकों को सूचित करके थम की कम माँग वाले क्षेत्र से अधिक माँग वाले क्षेत्र की ओर स्थानान्तरण करने का कार्य करते हैं।

3. थमिकों की भर्ती में व्याप्त भट्टाचार को समाप्त करना—रोजगार कार्यालय रोजगार देने वाले (मालिक) व रोजगार प्राप्त करने वाले (थमिक) के बीच, मध्यस्थ का कार्य करके नि शुल्क सेवा प्रदान करते हैं। पहले मध्यस्थों, जौवरों, दलालों आदि द्वारा थमिकों की भर्ती की जाती थी। ये थमिकों से विभिन्न प्रकार की रिश्वत लेते थे और उनका शोषण करते थे। रोजगार कार्यालयों के स्थापित हो जाने से भट्टाचार समाप्त हो गया है।

4. अधिक नियोजन में सहायक—प्रत्येक देश में योजना बनाकर आर्थिक विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारी, धीमा, धोजना,

पुनर्वास, पुनर्नियोग, आदि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं और इनको क्रियान्वित भी किया जा सकता है जो कि आर्थिक नियोजन का अभिन्न अंग है।

5. प्रशिक्षण व परामर्श की सुविधाएँ प्रदान करता—रोजगार कार्यालय थमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं तथा साथ ही किस-धर्वसाय में प्रवेश किया जाए, किस प्रकार की शिक्षा ली जाए, भावी अवसर कैसे है, इन सब पर बच्चों के माता-पिताओं अथवा संरक्षकों को व्यावसायिक परामर्श देने का कार्य करते हैं।

6. अनैच्छिक वेरोजगारी को कम करता—ग्रल्पकाल में ही इन कार्यालयों द्वारा खाली स्थान होने पर रोजगार दिलाकर वेकारी को कम किया जा सकता है। इससे वेकार पड़े भानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय शाय में वृद्धि करना सम्भव हो जाता है।

7. व्यवशेषक आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन—रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या, रोजगार दिलाए गए व्यक्तियों की संख्या, वेकार व्यक्तियों की संख्या आदि के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं। इन आंकड़ों की सहायता से सरकार देश में रोजगार नीति को नया मोड़ दे सकती है।

रोजगार दफतरों के कार्य

(Functions of Employment Exchanges)

रोजगार दफतरों के कार्य निम्नांकित हैं—

1. मध्यस्थता का कार्य—ये कार्यालय थमिकों और मालिकों के बीच एक कड़ी के व्यप में मध्यस्थता करके दोनों पक्षों में समन्वय कराते हैं। इससे थम की मांग और पूर्ति दोनों में सन्तुलन स्थापित हो जाता है।

2. थम की गतिशीलता में दृष्टि—रोजगार कार्यालय वेकार पड़े थमिकों को सूचित करके जहाँ उनकी मांग अधिक है वहाँ रोजगार प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। जहाँ थम का अभाव है वहाँ बचत वाले थेट्र से थमिकों को भेजकर उसकी गतिशीलता में वृद्धि करने का कार्य रोजगार कार्यालयों द्वारा ही सम्भव हो पाता है। अज्ञानता के कारण थम के असमान वितरण को रोजगार दफतरों द्वारा समान किया जाता है।

3. थमिकों की भर्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति—रोजगार कार्यालय सरकारी कार्यालय हैं। ये रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। थमिकों की भर्ती ठेकेदारों, मध्यस्थों, जॉबमं आदि होने पर वे थमिकों से रिश्वत लेते हैं, उनका शोपण करते हैं। अत मध्यस्थों द्वारा भर्ती प्रणाली में व्याप्त रिश्वत तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कार्य इन दफतरों द्वारा किया जाता है।

4. आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन—रोजगार दफतरों द्वारा वेरोजगारी और मानवीय जक्ति से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उन्हें प्रकाशित किया जाता है जिसमें थम बाजार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है।

5. विभिन्न योजनाओं को शुल्क करना और क्रियान्वित करना—रोजगार कार्यालय विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चालू करते हैं तथा उनके क्रियान्वयन का कार्य भी करते हैं। इससे सरकार को मदद मिलती है। ये योजनाएँ हैं—बेरोजगारी, योमा, पुनर्निर्माण व पुनर्वास का कार्य, आदि।

6. प्रशिक्षण और परामर्श का कार्य—रोजगार दफ्तर श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न व्यवसायों के सम्बन्ध में व्यावसायिक परामर्श देने का कार्य भी किया जाता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मेरे कार्यालय परामर्श सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

7. घर्यंगात्मक बेरोजगारी को कम करना—रोजगार दफ्तर अपनी नि शुल्क सेवाओं द्वारा घर्यंगात्मक बेरोजगारी को कम करने में सहायक होते हैं। यद्यपि ये रोजगार का सृजन करने वाले दफ्तर नहीं हैं किंतु भी जगह खाली होने तथा उससे भरने के बीच के समय को कम करने का कार्य करते हैं।

रोजगार दफ्तरों का महत्व

(Importance of Employment Exchanges)

सर्वप्रथम इन दफ्तरों का महत्व 1919 में स्वीकार किया गया जबकि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलनों द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया था कि प्रत्येक सदस्य देश द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे कार्यालय लोने जाएँ। 1947 में पूनः इस प्रश्न को उठाया गया और मभी सदस्य देशों से इन नियोजन कार्यालयों की कार्य प्रगति के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई। 1948 में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में इन कार्यालयों के प्रमुख कार्यों की रूपरेखा दी गई। इसके साथ ही इनको सकल बनाने के लिए मालिकों और मजदूरों के सहयोग की आवश्यकी गई।

रोजगार दफ्तरों के महत्व को निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

1. राष्ट्रीय सार्थकार में दृढ़ि—रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय सार्थकार में दृढ़ि करने में सहायक होते हैं। ये कार्यालय एक और अनैच्छिक बेकारी (Involuntary Unemployment) को समाप्त करके बेकार साधनों को रोजगार प्रदान करते हैं, दूसरी ओर जिस कार्य के लिए उपयुक्त है वह कार्य भी दिलाया जाता है।

2. धर्म की माँग और पूर्ति में सम्मुच्छन—रोजगार कार्यालय धर्म की माँग और पूर्ति में समायोजन करते हैं। जहाँ पर श्रमिकों की माँग अधिक है वही श्रमिकों को गूचना प्रदान करके कम माँग वाले स्थान से उनका स्थानान्तरण करते में सहायक होते हैं। श्रमिकों को ज्ञान नहीं होता कि कहाँ उनकी माँग है और न ही मालिकों को मासूम होता है कि कहाँ श्रमिक बेकार पड़े हैं। अतः इन कार्यालयों द्वारा सूचना देकर धर्म की माँग और पूर्ति में सम्मुच्छन स्पष्टित किया जाता है।

3. धर्म बाजार का विकास—मुद्रा तथा पूँजी का जही क्रय-विक्रय होता है वह मुद्रा और पूँजी बाजार कहलाता है। इनका विकास हो गया है, लेकिन धर्म के क्रय-विक्रय हेतु किसी संगठित धर्म बाजार का अभाव पाया जाता है। रोजगार कार्यालयों की सहायता से इस प्रकार के संगठित धर्म बाजार का विकास सम्भव हो पाया है।

४. जनता को निःशुल्क व निष्पक्ष सेवा प्रदान करना—रोजगार कार्यालय में कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है अपना नाम, पता, योग्यता, उम्र, अनुभव, इच्छान नौकरी आदि के सम्बन्ध में सूचना देकर अपना पंजीयन करवा लेता है तथा दूसरी ओर मालिक इन कार्यालयों को सूचित करता है कि किस प्रकार की जगह उनके पास खाली है। इन दोनों पक्षों से रोजगार कार्यालय कुछ भी नहीं लेते हैं। समय-समय पर दोनों को सूचित किया जाता है। यह सब निःशुल्क होता है।

५. रोजगार सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित करना—रोजगार कार्यालय से हमें रोजगार पाने वालों की संख्या, रोजगार दिलाने वालों की संख्या और बेरोजगारों की संख्या आदि के सम्बन्ध में सूचना मिलती है। इन सबके सम्बन्ध में ये कार्यालय आंकड़े, तंत्रियां करते हैं।

६. प्रशिक्षण व परामर्श सुविधाएँ—इन कार्यालयों का महत्व विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण व परामर्श सुविधाओं के रूप में भी देखा जा सकता है। ये बच्चों के माता-पिता को भी व्यवसाय के सम्बन्ध में परामर्श देने का कार्य भी करते हैं।

७. समस्त समाज और देश को लाभ—इन कार्यालयों का महत्व हम समस्त समाज और देश को प्राप्त होने वाले लाभों के रूप में देख सकते हैं। इनसे मुख्यतः निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं—

१. श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होने से रोजगार के अवसर मिलते हैं।

२. उपयुक्त कार्य पर उपयुक्त व्यक्ति के लगाने से उत्पादकता बढ़ती है और न केवल समाज को बल्कि समस्त देश को राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से लाभ मिलता है।

३. श्रमिकों को रोजगार दफतरों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक परामर्श से उनकी व्यक्तिगत कार्यकुशलता बढ़ती है, उनकी आय बढ़ती है और परिणामस्वरूप जीवन-स्तर उच्च होता है।

इंग्लैण्ड में रोजगार सेवा संगठन

(Employment Service Organisation in U. K.)

भारत में ब्रिटिश पद्धति के आधार पर ही रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। ब्रिटेन में सबसे पहले रोजगार दफतर 1885 में स्थापित किया गया था। ये निःशुल्क सेवा प्रदान करते थे, लेकिन जिन्हें नौकरी मिलती थी उनसे अशदान लिया जाता था। स्थानीय संस्थाओं को रोजगार दफतर स्थापित करने के अधिकार प्रदान करने हेतु अम-संस्थान अधिनियम, 1902 (Labour Bureau Act, 1902) पास किया गया था। बेरोजगार श्रमिक अधिनियम, 1905 (Unemployed Workmen's Act, 1905) के कारण 25 रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए थे। सबसे पहले वास्तविक रोजगार कार्यालय व्यापार-मण्डन (Board of Trade) के माध्यम से सरकार ने स्थापित किए। यह 1910 में शाही श्रम आयोग की तिफारियों के आधार पर श्रम कार्यालय अधिनियम, 1910 (Labour

Exchange Act, 1910) के तहत स्थापित किया गया। देश को इन कार्यालयों की स्थापना हेतु 11 प्रदेशों में विभाजित किया गया और केन्द्रीय कार्यालय सचिव में रखा गया। जब 1916 में अम मन्त्रालय खोला गया तो रोजगार कार्यालयों का प्रशासन व्यापार-मण्डल से इसके अन्तर्गत कर दिया गया। इन्हे अब रोजगार कार्यालय कहा जाता है। इन कार्यालयों की कार्य प्रगति हेतु एक समिति 1919 में नियुक्त की गई। इस समिति ने इन्हे राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की सिफारिश की और राष्ट्रीय बीमा योजना भी इन्ही कार्यालयों द्वारा चलाने की मिलारिय की। परिणास्वरूप वेरोजगार बीमा अधिनियम, 1920 (Unemployed Insurance Act, 1920) पास किया गया। इसके पास करने के पश्चात् इन कार्यालयों द्वारा लगभग 12 मिलियन श्रमिकों का बीमा किया गया। *

अम मन्त्रालय और राष्ट्रीय बीमा दोनों ही धर्म इंडसेंड में रोजगार सेवा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। अब रोजगार सेवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श को भी समिलित कर लिया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और परामर्श हेतु रोजगार और प्रशिक्षण अधिनियम, 1948 (Employment & Training Act, 1948) पास किया गया है। वर्तमान समाज में थ्रेट-ब्रिटेन में रोजगार सेवा प्रदान करने हेतु देश में रोजगार कार्यालयों का जाल-सर बिधाया हुआ है। इनकी संख्या 1500 के लगभग है। रोजगार कार्यालयों के प्रभावपूर्ण कार्य हेतु श्रमिकों और मालिकों का सहयोग होना आवश्यक है। इस हेतु स्थानीय रोजगार समितियाँ (Local Employment Committees) स्थापित कर दी गई हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 14 सरकारी प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधा प्रदान की गई है।

अमेरिका में रोजगार सेवा संगठन

(Employment Service Organisation in U S A.)

सर्वप्रथम 1834 में न्यूयॉर्क में रोजगार सेवाएँ प्रदान की गई। इसके अन्तर्गत मालिक श्रमिकों को प्राप्त करते थे। 1890 में ओहियो प्रान्त में सर्वप्रथम कानून के अन्तर्गत सार्वजनिक रोजगार सेवा शुरू की गई। प्रथम महायुद्ध में सधीय सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार सेवा शुरू की। जिन प्राप्तों में रोजगार सेवा नहीं थी वहाँ इस सेवा का उपयोग वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में किया जाता था। कई आधिक एवं अम समस्याएँ अन्तर्राजीय मृत्त्व की होने के कारण वेगनर पेसर अधिनियम, 1933 (Wanger Payser Act, 1933) पास किया गया जिसके अन्तर्गत निःशुल्क राष्ट्रीय रोजगार सेवाएँ राष्ट्रों के प्रधीन चलाई गईं। सधीय सरकार का कार्य विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाली रोजगार सेवा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना था। 1915 से पहले निजी क्षेत्र में भी रोजगार सेवा संस्थाएँ थीं। इन्हे लाइसेंस लेना पड़ता था। अब इस प्रकार की निजी संस्थाओं का नियमन कानून के अन्तर्गत किया जाता है। प्रथम महायुद्ध काल में इन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य किया तथा काफी लाभ कमाया। तीसा

की महान् मन्दी के समय रोजगार कार्यलिप बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने को प्राथमिकता देने का कार्य करते थे तथा नियुक्ति का कार्य गौण था। अधिकांश कर्मचारी जो इन कार्यालयों में काम करते थे उनका सम्बन्ध बेरोजगारी क्षतिपूर्ति प्रदान करना अधिक था और प्रार्थियों के लिए नौकरियाँ हूँदना कम। रोजगार स्थानीय कार्यक्रम समझा जाता था जबकि क्षतिपूर्ति देने का कार्य सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत होने से राज्य से सम्बन्ध रखता था। इन दुविधाओं के कारण रोजगार सेवाओं में विभिन्न राज्यों में असमानताएँ रही।

अब राज्य रोजगार सेवाएँ बहुत कार्यकृत हैं और पहले से इनका स्थान तथा महत्व समाज में अनिक है। सन् 1942 से 1946 तक इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वे अब केंद्रीय निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करती हैं। उनको राज्य की मानवशक्ति नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु काफी कोष प्रदान किया गया है।¹

भारत में थम भर्ती के तरीके

(Method of Labour Recruitment in India)

थम की भर्ती थम के रोजगार में पहला कदम है। रोजगार की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर है कि थमिकों को किस तरीके द्वारा सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है। थम प्रशासन और थम प्रबन्ध में किसी प्रकार के सिद्धान्त लागू नहीं हो पाते हैं। हमारे देश में थम भर्ती के सम्बन्ध का एकमात्र स्रोत द्वारीण क्षेत्र रहा है। थमिक द्वारीण क्षेत्रों से ग्राम्योगिक क्षेत्रों में आते हैं और वे कार्य करके वापिस गाँव चले जाते हैं। हमारे देश में स्थायी थम-शक्ति का अभाव होने के कारण थमिकों की भर्ती हेतु कई तरीकों को काम में लेना पड़ा है। भारत में थमिकों की भर्ती के लिए प्रायः निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं—

(क) मध्यस्थों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Intermediaries)

ग्राम्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में थमिकों की भर्ती हेतु मध्यस्थों की सहायता लेनी पड़ती थी। समठित और प्रसंगठित दोनों प्रकार के उद्योग थमिकों की भर्ती हेतु मध्यस्थों पर निर्भर थे। इन मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, जैसे जावर, सरदार, चौधरी, मुकद्दम, मिस्थी, ठेकेदार आदि। बड़े कारखानों में महिला जावने भी होती हैं जो कि महिला थमिकों की भर्ती में सहायता करती हैं। ये जांदसं कारखाने में काम करने वाले पुराने और अनुभवी थमिक होते हैं जिन पर मालिकों का पूरा विश्वास होता है। ये बाहरी व्यक्ति नहीं होते हैं। ये मध्यस्थ ही थमिकों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, छुट्टी स्वीकृत करने, नौकरी से हटाने, दण्डित करने, आवास व्यवस्था आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ ही ये थमिकों को समय-नामय पर पेशगी देते हैं। इस प्रकार थमिक इन-

1 Phelps Orme, W.: Introduction to Labour Economics, pp 352-53,

मध्यस्थों को अपना रक्षक समझते हैं जबकि मालिक भी श्रमिकों की शिकायत, हचि आदि जानने के लिए मध्यस्थों पर निर्भर करते हैं। इन जाँदर्स के अधिकार उन कारखानों में घघिक होते हैं जहाँ पर कारखानों के मालिक विदेशी हैं वयोकि वे श्रमिकों की भावा को नहीं समझ पाते हैं।

मध्यस्थों द्वारा भर्ती के गुण—श्रमिकों की भर्ती मध्यस्थों द्वारा करने पर निम्नांकित लाभ हैं—

1. मध्यस्थ श्रमिक और मालिकों के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। दोनों पक्षों के बीच अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने में सहायक होते हैं।

2. मध्यस्थों द्वारा मालिकों को आवश्यकतानुसार समय पर श्रमिकों की भर्ती करवाई जा सकती है वयोकि वे गाँवों से सम्पर्क रखते हैं। वे श्रमिकों की आदनों, हचि आदि से परिचित होते हैं।

3. सरकार को भी मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती करवाने में सहायता मिलती है और सरकार इस कार्य हेतु कमीशन देती है।

मध्यस्थों द्वारा भर्ती के दोष—मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती पद्धति के निम्नांकित दोष हैं—

1 श्रमिकों का शोषण—मध्यस्थों द्वारा जिन श्रमिकों की भर्ती की जाती है, उन श्रमिकों से रिश्वत के रूप में 'दस्तूरी' ली जाती है। जो श्रमिक अधिक धूस देने के लिए तैयार हैं उन्हें भर्ती कर लिया जाता है। दूसरे दक्ष श्रमिकों को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के श्रमिकों से व्यक्तिगत सेवाएँ भी ये मध्यस्थ करवाते हैं। इनको मध्यस्थ अग्रिम राशि के रूप में ऋण देते हैं जिस पर ऊँची व्याज-दर प्राप्त करके उनका शोषण करते हैं। स्त्री श्रमिकों का भी स्त्री जाँदर्स द्वारा शोषण किया जाता है और कभी-कभी उनको अतंतिक जीवन ध्यतीत करने के लिए भी बाध्य कर दिया जाता है वयोकि अनेक स्त्री मध्यस्थ प्रायः निम्न चरित्र वाली होती है।

2 अकुशलता को प्रोत्साहन—श्रमिकों की भर्ती करते समय मध्यस्थ श्रमिकों की कार्यकुशलता को ध्यान में नहीं रखते बल्कि उनको रिश्वत में मिलने वाली राशि को ध्यान में रखते हैं और अकुशल श्रमिक जो उनके मित्र, सम्बन्धी होते हैं, भर्ती कर लिए जाते हैं। इससे उत्पादन में और अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय आय में गिरावट आती है।

3. वर्ग संघर्ष—मध्यस्थ श्रमिकों की भर्ती करते हैं। मालिक मध्यस्थों पर श्रमिकों की भर्ती हेतु तथा श्रमिक अपनी नौकरी हेतु मध्यस्थों पर निर्भर करते हैं। कभी-कभी मध्यस्थ श्रमिकों का गलत प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके फलस्वरूप श्रमिकों और मालिकों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इससे हडतालें, साजाबन्दी, पीमे कार्य करने की प्रवृत्ति आदि बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

4. अनुपस्थिति और श्रम परिवर्तन में चुदि—मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों की भर्ती करने से उनका शोषण किया जाता है। श्रमिकों को गाँवों से बहका कर लाया

जाता है। बैंशहर में आकर स्थायी रूप से नहीं बस पाते हैं तो या वापिस गाँव को चले जाते हैं। इसी प्रकार अधिक रिक्वेट देने वाले श्रमिकों की भर्ती और कम रिक्वेट वाले श्रमिकों को निकाल दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप¹ श्रम-परिवर्तन (Labour Turnover) में बढ़ि हो जाती है। श्रमिकों का विभिन्न प्रकार से शोषण होने से भी वे गाँव चले जाते हैं और अनुपस्थित रहने लगते हैं।²

१८३८ शाही अम आयोग, 1931 (Royal Commission on Labour, 1931) के अनुसार श्रमिकों की मध्यस्थी द्वारा भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत, "मध्यस्थी की स्थिति बड़ी सुनुड है। यह कहना आश्वर्यजनक होगा कि इनके द्वारा श्रमिकों की स्थिति से लाभ नहीं उठाया जाता है। कुछ कारखाने ऐसे हैं जहाँ श्रमिकों की सुरक्षा मध्यस्थी के हाथ में नहीं है। अन्य उद्योग में श्रमिकों की भर्ती करने और उनको नौकरी से हटाने के अधिकार मध्यस्थी को प्राप्त है। यह बुराई एक उद्योग से दूसरे उद्योग और एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर कुछ मात्रा तक भिन्न-भिन्न है। नौकरी ले गाने हैं तु रिक्वेट तथा अनुपस्थिति के बाद फिर रोजगार देने हैं भी रिक्वेट प्राप्ति की जाती है।"³

"मध्यस्थी द्वारा भर्ती की बंत मान स्थिति और भवित्व" (Present position and future of the recruitment of Labour through intermediaries)— श्रमिकों की मध्यस्थी द्वारा की जाने वाली भर्ती को तरीका असन्तोषजनक व अव्यवस्थितीय है। हाल ही के वर्षों में इन मध्यस्थी के अधिकार छोनकट रिक्वेट खोरी व अप्टाचार को कम करने की दिशा में केंद्र उठाए गए हैं। वस्त्रई व शोनापुर जैसे केन्द्रों पर वैदेली श्रमिकों की भर्ती पर नियन्त्रण लगाने के बावजूद भी इन मध्यस्थी को न तो पर्याप्त रूप से समर्पित ही किया जा सका है और न भर्ती पर इनके प्रभाव को दूर किया गया है। "उत्तरी भारत मालिकों के संघ (North Indian Employers' Association) में भी मध्यस्थी द्वारा भर्ती पद्धति में पाए जाने वाली रिक्वेट खोरी और अप्टाचार को स्वीकार किया है लेकिन उन्होंने असमर्पित प्रकट की कि रोजगार चॉल रखने के लिए इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है।"⁴

१९४१ अम अनुसंधान समिति (Labour Investigation Committee, 1941) ने यह दिवार प्रकेट किया कि "वे हमारे श्रमिकों आमी इतने गतिशील और विकास के स्तर पर नहीं पहुँच पाए हैं कि उनकी भर्ती मध्यस्थी के बिना ही सम्भव हो सके।"

शाही अम आयोग ने यह सिफारिश की थी कि श्रमिकों की भर्ती और उनको कौपी से हटाने के जो वर्स के अधिकारों को समाप्त कर देना, चाहिए। इसके स्थान पर प्रत्येक कारखाने में अम अधिकारी, अववा, जनरल मैनेजर द्वारा श्रमिकों की प्रत्येक रूप से भर्ती की जाए।

हाल ही के वर्षों में श्रमिकों की भर्ती हेतु प्रत्येक कारखाने में वैदेली

1 Report of the Royal Commission on Labour, p. 24.

2 Birendra, R. C., "Labour Problems & Social Welfare," p. 31.

प्रणाली' (Badhi System) लागू कर दिया गया है। इसके साथ रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती करना भी सरकार ने अनिवार्य कर दिया है।

(ख) ठेकेदारों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Contractors)

अनेक भारतीय उद्योगों में श्रमिकों की भर्ती ठेकेदारों के द्वारा होती है। जिस प्रकार हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए ठेठा दे देते हैं, वैसे ही कारखानों में भी ठेकेदारों कार्य पूरा करवा लिया जाता है। श्रमिकों की यह भर्ती पद्धति इन्डियनरिंग विभाग, राज्य तथा केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे सूची वस्त्र उद्योग, सीमेट, कागज और खानों आदि उद्योगों में प्रचलित है।

इस प्रकार की भर्ती पद्धति के प्रचलन के कारणों में शीघ्र ही श्रमिकों की मौज़ पूरी हो जाना, कार्य शीघ्रता से पूरा करता, श्रमिकों की नियरानी की जहरत न होना आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही कारखानों के मानिक थम अधिनियमों जैसे-कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मानवत्व लाभ अधिनियम आदि नियमों को नागू करने से छुट जाते हैं और इससे उनको लाभ होता है। मालिकों को थम कल्याण पर भी व्यय न करने से वित्तीय लाभ प्राप्त होता है।

इस पद्धति के कई दोष भी हैं—

1 श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती है क्योंकि उनको भर्ती ठेकेदारों द्वारा की जाती है जो स्वयं भी उनकी भर्ती से लाभ कमाना चाहते हैं।

2 श्रमिकों से अधिक घटे कार्य लिया जाता है। इससे उनके स्वास्थ्य व कार्यकुण्डलता पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पादन में गिरावट आती है।

शाही थम आयोग ने इस पद्धति की आलोचना करते हुए सिफारिश की थी कि प्रदर्शकों को श्रमिकों के चयन, कार्य के घटे और श्रमिकों को मुग्यतान आदि पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहिए। बिहार थम जैन समिति ने भी इस पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की है क्योंकि इसके द्वारा श्रमिकों की असहाय स्थिति का शोणण किया जाता है। श्वर्वार्द्ध वस्त्र थम जैन समिति ने भी यह सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि ठेकेदारों द्वारा निम्न राशि पर ठेका प्राप्त किया जाता है तथा वे अपना व्यय कमाने हेतु श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी देकर उनका शोणण करते हैं।

इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए हमें ठेके के थम के स्थान पर भर्ती का प्रत्यक्ष तरीका अपनाना चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभागों में ठेका थम प्रमाणाद्यक है, वहाँ उसको नियमित किया जाना चाहिए। सभी कानून ठेका थम पर पूर्ण रूप से लागू किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में ठेका थम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पाई जाने वाली मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। अधिकांश श्रीद्वयिक समितियों ने ठेका थम को समाप्त करने की सिफारिश की है।

थम अनुसंधान समिति (Labour Investigation Committee, 1944)

के अनुसार सभी प्रकार के ठेका थम को समाप्त नहीं करना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ इसको समाप्त नहीं करना चाहिए जैसे कारखाने में दीवारों की पुताई, सावंजनिक निर्याएं विभाग के कार्य आदि। इसके अतिरिक्त जहाँ मानिक थम कानूनों से बचने के लिए थम का महारा लेते हैं, उसे किलकुल ही समाप्त किया जाना चाहिए।”¹

(ग) प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति

(Direct Recruitment System)

कारखाना उद्योगों में थमिकों की भर्ती बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। प्रत्यक्ष भर्ती बम्बई, मद्रास, पंजाब, विहार और उडीसा राज्यों में प्रचलित है। इस पद्धति के अन्तर्गत कारखाने के दरवाजे पर नोटिस लगा दिया जाता है कि इतने थमिकों की आवश्यकता है। जनरल मैनेजर स्वयं अथवा अन्य नियुक्त व्यक्ति दरवाजे पर आकर थमिकों का चयन कर लेता है। कभी-कभी पहले से बाम में लगे थमिकों को यह सूचित कर दिया जाता है कि इतने थमिकों की आवश्यकता है। वे अपने दोस्तों, सम्बंधियों प्रादि को इस विषय में सूचित कर देते हैं और वे निश्चित तिथि पर आ जाते हैं। यह पद्धति अकुशल थमिकों के लिए उपयुक्त है। अद्वैत-कुशल तथा कुशल थमिकों की भर्ती में कठिनाई आती है। इनकी भर्ती या तो पदोन्नति द्वारा कर दी जाती है अथवा प्रावेदन-पत्र आमन्वयत करके उनकी जांच, परीक्षा व साक्षात्कार द्वारा चयन कर लिया जाता है। कुछ अनियन्त्रित कारखानों (Un-regulated Factories) में भी इस पद्धति द्वारा थमिकों की भर्ती की जाती है। उदाहरणार्थ बीड़ी बनाना, नारियल की चटाइयाँ बनाना प्रादि उद्योगों में यह पद्धति अपनाई जाती है।

शाही थम आयोग ने मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोपो को समाप्त करने के लिए जनरल मैनेजर के अधीन थम अधिकारी (Labour Officer) नियुक्त करने की सिफारिश की थी। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष भर्ती हेतु इस प्रकार के थम अधिकारी सभी कारखानों व उद्योगों में नियुक्त कर दिए गए हैं।

(घ) बदली प्रथा

(Badhi System)

इस पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक माह की पहली तारीख को कुछ भुने हुए लोगों को बदली कार्ड दे दिए जाते हैं। नियमित रूप से कारखाने में याते रहते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु इनको प्राथमिकता दी जाती है। यह प्रथा मध्यस्थो के द्वारा भर्ती के दोपो को छोड़ करने के लिए घपनाई गई है। इसके अन्तर्गत थमिक स्थायी, अस्थायी, बदली आदि वर्गों में विभाजित किए जाते हैं।

(इ) थम अधिकारियों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Labour Officers)

शाही थम आयोग, 1931 ने मध्यस्थो द्वारा भर्ती के दोपो को समाप्त

करने हेतु, इस पद्धति की, सिफारिश की थी। इसमें कारखानों में थम, अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इनका कार्य अभियोगों को भर्ती करना है। ये अधिकारी ग्रामीण लोगों में लाकर, भर्ती का कार्य करते हैं। लेकिन ये अभियोगों से अपरिचित होने के कारण, उनका इतना विषयास-प्राप्त नहीं कर सकते हैं जितना कि स्थानीय परिचित थक्कि।

(च) थम संगठनों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Trade Unions) -

कुछ समठन-कारखानों अथवा यिलों में मुश्किल एवं मुसांगिट्स थम्स सघ होते हैं। इस संघों के पास रिक्त स्थानों की सूची होती है जो कि कॉम ढूड़ने वालों को सूचित करके उनके नाम की सूची भालिक को देख कर देते हैं। इससे उनकी भर्ती आसानी से की जा सकती है। ये अपने यिलों-तथा सम्बन्धियों को सूचित कर उनकी भर्ती करवा देते हैं।

(छ) रोजगार के दफतरों द्वारा भर्ती

(Recruitment through Employment Exchanges) -

अभियोगों की भर्ती की विभिन्न पद्धतियाँ 'दोपूर्ण' हैं। वैज्ञानिक शोधार पर अभियोगों की भर्ती करना विसी 'भौकारखानों' की संफलता का अधार है। अतः रोजगार कार्यालयों की स्थापना की मई है जो 'थेप को मैग शौर पूर्ति' में संतुलन स्थापित करने का कार्य करके 'उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त व्यक्ति' का 'ब्यन्न' करने में सहायक होते हैं।

आधुनिक सरकार कर्त्याणकारी सेरकार है। उसका 'दैवित्य' ने केवल प्राकृतिक साधनों वलि भानवीय भाधनों का अधिकतम उपयोग कर राष्ट्रीय आप में बढ़ि करके दोगो के 'जीवन-संतर को उच्चत करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घाज विभिन्न देशों में अभियोगों की भर्ती हेतु रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा संगठन (National Employment Service Organisation) के अन्तर्गत स्थापित कर दिए गए हैं।

विभिन्न कारखानों में भर्ती

(Recruitment in Various Industries)

जहाँ तक कारखाना उद्योगों (Factory Industries) की संख्याएँ है वहाँ अभियोगों की भर्ती-प्रत्यक्ष रूप से भी जाती है। बम्बई, मद्रास, पंजाब, बिहार और उडीसा राज्यों में इसी प्रकार की पद्धति प्रचलित है। कारखानों में रिक्त स्थानों की सूची लगा दी जाती है जिसे देखकर निश्चित तिथि पर अभियोगों को रखने के दरवाजे पर आ जाते हैं जहाँ पर जनरल मैनेजर अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा भर्ती कर ली जाती है। पुराने अभियोगों को भी रिक्त स्थानों की सूचना मिलने पर वे धैर्य विभिन्न विभिन्न रूप सम्बन्धियों को इसकी सूचना दे देते हैं। यह 'रद्दति' यकृताल अभियोगों के लिए उपयुक्त है। अद्द-कुशल और कुशल अभियोगों की भर्ती हेतु आवेदन-पत्र 'ग्रामनिवृति' किए जाते हैं और उनका टेस्ट लेकर भर्ती की जाती है। बंगाल की अधिकांश जूट यिन्होंने

प्रत्यक्ष भर्ती हेतु 'अम अधिकारी नियुक्त करने' दिए गए हैं। यह पैदेंटि लॉग्यू होने के बावजूद भी जांबंदी अभी भी विद्यमान है।

चीनी कारखानों (Sugar Factories) में भर्ती को कृष्ण रिस्ट स्टोर्नों को नोटिस निकाल कर किया जाता है। तेकनीकी संथां सुपरवैंइंजिनियरों के श्रमिकों को छोड़कर अन्य श्रमिकों को नोकरी से हटा दिया जाता है वेर्यीकि ये उच्चों मौसिमों उद्योग हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उद्योगों में भर्ती सम्बन्धी विशेष आदेश भी निकाले जाते हैं।

रेलवे में भर्ती (Recruitment in Railways) विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से की जाती है। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती या 'प्रत्यक्ष' रूप से अथवा द्वितीय श्रेणी की पैदेंट्रित हांरा की जाती है। तृतीय श्रेणी कर्मचारों की भर्ती रेल सेवा आयोग (Railway Service Commission) द्वारा की जाती है। निम्न और घोकुशल श्रेणी के कर्मचारियों व श्रमिकों की भर्ती प्रत्यक्ष होती है। रेलवे में बड़ी संख्या में ठंडकों श्रम भी पाया जाता है।

खान उद्योग (Mining Industry) में भर्ती ठेकेदारों द्वारा की जाती है। खानों में कार्य करने हेतु श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से लाए जाते हैं। ये स्थाई रूप से इस उद्योग में कार्य करते हैं।

कोयला उद्योग (Coal Industry) में भर्ती का सबसे पुराना तरीका जमीदारी पद्धति (Zamindari System) है। श्रमिकों को इन खानों के निकट मुफ्त या कुछ खाप्त पर भूमि कृपि के लिए दी जाती थी। लेकिन कृपि योग्य भूमि की सीमितता के कारण यह पद्धति सफल नहीं है। सकी। भर्ती बाले ठेकेदार (Recruiting Contractors) द्वारा भी इन खानों में श्रमिकों की भर्ती को कार्य किया गया। इनका कार्य श्रमिकों की पूति करना 'मार्टिया' 'प्रबन्धकीय' ठेकेदार (Managing Contractors) 'द्वारा' भी श्रमिकों की भर्ती की गई। ये 'कैबिल' श्रम की पूति का कार्य करते थे बहिक खानों के विकास और प्रबन्ध को कार्य भी करते थे। ये 'कोयला खानों' से निकल बाले वे 'उसे लदेवाने' का कार्य भी करते थे। युद्धकाल में कोपले की पूति बढ़ाने तथा शर्म को कम पूति के कारण सरकार ने भी ठेकेदारी का कार्य किया। एक न्यायिक जचि (Court Enquiry), 1960 की सिफारिश के आधार पर ठेकेदारी पद्धति को बीरे-धीरे 'समाप्त' करना स्वीकार किया गया। गोरखपुर अम सगठन (Gorakhpur Labour Organisation) का प्रशासन 1961 से रोजगार कायलिय 'निर्देशालय' के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया है।

लोहे की खानों (Iron-ore Mines) में भर्ती 'प्रत्यक्ष तंथो' ठेकेदारी पद्धतियों के आधार पर की जल्दी है। अंतिमीय श्रमिकों की भर्ती प्रत्यक्ष रूप से निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से की जाती है। पुराने श्रमिकों को सूचित कर दिया जाता है और वे अपने मित्रों, सम्बन्धियों व परिवार बालों को इस भर्ती के लिए सूचित कर देते हैं। ठेके के कार्य हेतु श्रमिकों की भर्ती 'सरदारी' (Sardars) द्वारा की जाती है।

अभ्रक खानो (Mica Mines) में भर्ती सरदारों द्वारा की जाती है। उन्हें प्रामीण क्षेत्रों में भेजकर इच्छुक थमिकों की भर्ती करने का कार्य सौंपा जाता है। इन सरदारों को कोई दलाली नहीं दी जाती बल्कि उनकी मजदूरी इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने कितने थमिकों की भर्ती की है। इन खानों में 82·6% प्रत्यक्ष रूप से तथा 17% ठेकेदारों द्वारा भर्ती की जाती है।

संक्षेप में खान उद्योग में थमिकों की भर्ती खान स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मध्यस्थी द्वारा और रोजगार दपतरों के माध्यम से की जाती है।

बागानों में थम (Labour in Plantations) की भर्ती विभिन्न रूपों में ही जाती है। प्रासाम के बगानों में थमिकों की भर्ती चाय वितरक समझौता थम अधिनियम, 1932 (Tea Distributors Agreement Labour Act, 1932) के अन्तर्गत की जाती है। यह पूर्ति निकटवर्ती प्रदेशों—प. बंगाल, उडीसा, उत्तर प्रदेश, व मध्य प्रदेश से की जाती है। थमिकों की भर्ती हेतु चाय जिला थम समूह (Tea Districts Labour Association) स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से थमिक बगानों में भेजे जाते हैं।

चाय के बगानों में थम भर्ती के तीन तरीके हैं—

(i) सिरदारी प्रणाली (Sirdari System) के अन्तर्गत थमिक स्थानीय प्रेक्षण एजेंसी (Local Forwarding Agency) द्वारा भर्ती करने वाले जिलों को भेज दिए जाते हैं।

(ii) स्थानीय भर्ती करने वालों द्वारा (Through Local Recruiters) थमिकों की भर्ती हेतु मालिक द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को थमिकों की भर्ती हेतु नियुक्त कर दिया जाता है।

(iii) पूल पद्धति (Pool System) के अन्तर्गत थम भर्ती स्थानीय प्रेक्षण एजेंसी के माध्यम से होती है। थमिक इन स्थानीय एजेंसियों के पास चले जाते हैं और वहाँ थम के लिए उनकी भर्ती कर लेते हैं।

1 दिसम्बर, 1960 से रोजगार दपतर अधिनियम इन बागानों पर लागू कर दिए गए हैं। मैसूर राज्य में भर्ती का कार्य न केवल रोजगार कार्यालयों द्वारा ही होता है बल्कि मालिकों की सुविधा के लिए भर्ती कर दिया जाता है।

रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों की अविवाद्य सूचना) अधिनियम, 1951 पास करके सभी उद्योगों पर लागू कर दिया गया है। सभी मालिकों को रिक्त स्थानों की सूचना देना अनिवार्य कर दिया है। 25 वा अधिक थमिक लगाने वाले मालिकों पर यह लागू होता है। इसका उल्लेखन करने पर प्रत्येक बार 500 रुपये दूसरी बार 1000 रु. जुर्माना करने का प्रावधान है।

भारत में रोजगार सेवा संगठन

(Employment Service Organisation in India)

रोजगार कार्यालय थमिकों की वैशालिक भर्ती को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण साधन है। ये थमिकों और मालिकों के बीच एक कड़ी का कार्य करते

है जिससे थम की माँग और पूति में सञ्चुलन स्थापित हो जाए। ये दपयुक्त स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने में सहायक होते हैं। यद्यपि रोजगार कार्यालय रोजगार अवसरों में बृद्धि नहीं करते हैं किर भी ये घर्षणात्मक बेकारी (Frictional Unemployment) को कम करने में सहायक होते हैं। इनसे थम की गतिशीलता में बृद्धि होती है, उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है और राष्ट्रीय आप में बृद्धि होने से आधिक कल्याण में भी बृद्धि होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय अम-समठन (I. L. O.) ने सन् 1919 के प्रस्ताव द्वारा यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक नियुक्त रोजगार सेवा शुल्क की जानी चाहिए। भारत ने इस प्रस्ताव को सन् 1921 में स्वीकार किया था। शाही थम आयोग ने सन् 1929 में इस प्रकार की सेवा शुल्क करने की योजना को अनुपयोगी व अनुपयुक्त बताया ब्योकि उस समय थमिकों की भर्ती करने में कोई कठिनाई नहीं थी। थमिकों की पूति उनकी माँग की तुलना में अधिक थी। लेकिन थम अनुमन्धान समिति, थम संघों और मालिकों तथा अन्य समितियों ने इस प्रकार की सेवा शुल्क करने पर जोर दिया।

दूसरे महायुद्ध में तकनीकी और कुशल थमिकों की कमी महसूस की गई और इनकी भर्ती हेतु 9 रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यालयों का कार्य तकनीकी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत आर्मी और युद्ध कारखानों हेतु तकनीकी थमिकों को प्रशिक्षण देना था। सन् 1945 में महायुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में लगे थमिक बेरोजगार हो गए। अतः युद्धोपरान्त पुनर्वास व पुनर्निर्माण हेतु इन दफतरों द्वारा कार्य लिया गया। इस समस्या के समाधान के लिए पुनर्स्थापन और रोजगार निदेशालय (Directorate of Resettlement & Employment) की स्थापना 70 रोजगार दफतरों के साथ की गई। सन् 1984 में इन रोजगार दफतरों के कार्यों में बृद्धि करके सभी प्रकार के थमिकों को इसके अन्तर्गत लाया गया। नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्राज्यीय कार्यालयों का समन्वय कार्य करता है।

रोजगार कार्यालयों की शिवा राव समिति का प्रतिवेदन (Shiva Rao Committee's Report on Employment Exchange)

रोजगार कार्यालयों के कार्यों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उनका पुनर्गठन करना आवश्यक समझा गया। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु योजना आयोग के मुहम्मद पर भारत सरकार ने सन् 1952 में श्री वी. शिवा राव, एम. पी. की अध्यक्षता में एक प्रशिक्षण और रोजगार सेवा संगठन समिति (Training & Employment Service Organisation Committee) नियुक्त की गई। इसमें थमिकों और मालिकों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् 1954 में दी। इस समिति की सिफारिशें प्रमाणित थीं—

— १५. रोजगार कार्यालय संगठन के स्थान पर इसका नाम ट्राप्टीय रोजगार सेवा के रूप में स्थाई संगठन के रूप में चलाई जाए। मालिकों द्वारा अकुशल व्यक्तियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को रिक्त जगह मनिवार्य रूप से घोषित की जाए।

२४ इन कार्यालयों का नीति-मिशनरीए, प्रमाणीकरण और समन्वय आदि का द्वायित्व, केन्द्रीय सरकार का हो, लेकिन निष्प्र प्रतिदिन का ब्रेशोर्सन चाहव सरकारों को दे दिया जाना चाहिए।

इति चतुर्थो सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा 'चलाए' जाने वाले रोजगार कार्यालयों के कुल व्यय का 60% बहन करना चाहिए।

४. श्रमिकों को अपनी पंजीयन कराने की स्वतंत्रता हो और उनसे कुछ भी नहीं लिया जाए। १३१, ३२० : १५६३ मार्च १९८५।

संमिति ने प्रकृशल थ्रेमिको के पर्जीपत के लिए कोई सुभाष नहीं दिया वयोंकि इससे रोज़गार कोवलियो का कार्यभार बढ़ जाएगा। लेकिन इसके पर्जीपत के अभाव में देश में मानवीय शक्ति का सही अनुमान कैसे लगाया जा सकेगा।

भारत में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का संगठन।

पुनर्वास तथा रोजगार महानिदेशालय (जिसे 'रोजगार' तैब प्रशिक्षण महानिदेशालय कहा जाता है) जुलाई, 1945 में सृजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सेविकों को प्रशिक्षित तथा पुनर्वासित करना था। देश के विभाजन के पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वासित करने के लिए इसके कार्य-प्रत्यय में खूबिंदि की गई थी। जनता को बढ़ती मार्गों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1948 के शुरू में रोजगार सेवा की 'सभी रोजगार चाहने वालों के लिए मेरी ओर प्रशिक्षण सेवा' को 1950 में सभी व्यसेनिकों परे लाना कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप इसका कार्य-भार बहुत व्यधिक बढ़ गया था। चूंकि रिलीज किए गए युद्ध सेवा कार्मिकों और विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास की आकस्मिक समस्या से निपटने के लिए संगठन को डल्टी में स्थापित किया गया था, इसलिए इसके पूर्णिमान्तरी की आवश्यकता थी, यदि इसे, नियुक्ति तथा प्रशिक्षण के लिए एक कारंगेर तंत्र के हृषि में कार्य करना था। तदनुसार, देश के आधिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में डी.जी.आर.एड.ई. को जारी रखने की आवश्यकता की सूल्योकन करने की ओर ऐसी आवश्यकताओं के सन्दर्भ में पहले सुभोव देने के लिए कि इसका भावी प्राकार वया होना चाहिए, प्रशिक्षण तथा रोजगार सेवा समिति (विवराव समिति) 1952 में स्थापित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों पर, रोजगार कार्यतियों और श्रद्धोगिक तंत्र सम्पर्क में जुड़ा जाना चाहिए।

१. अम. अन्नालय, (रोजपट एवं प्रगिक्षण), सारथ सरकार द्वारा आविष्कार मिस्ट्री, १९८६-८७,

प्रशिक्षण संस्थानों का दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य सरकारी/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 1-11-1956 से हस्तान्तरित कर दिया गया था। संगठन की लागत पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत तक खर्च केन्द्र द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा 31-3-1969 तक बहन किया जाना रहा था, जिसके बाद राष्ट्रीय विकास परिपद द्वारा मई, 1968 में हुई अपनी बैठक में लिए गए नियंत्रण के परिणामस्वरूप यह व्यवस्था बन्द कर दी गई थी। अतः जतशक्ति एवं रोजगार योजनाओं और जिम्मेदारी प्रशिक्षण संस्थानों (ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों) के लिए पूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी भी राज्य सरकारी/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को 1-4-1969 से हस्तान्तरित कर दी गई थी।

सितम्बर, 1981 में श्री पी सी नायक की अध्यक्षता में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का पुनर्गठन सम्बन्धी एक कार्य दल गठित किया गया था, जिसका कार्य रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के उद्देश्यों तथा कार्यकरण की पुनरीक्षा करना और इस मंगठन को अपनी जिम्मेदारियों निभाने में और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए उपाय सुझाना, कनियों, यदि कोई हो, का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के लिए उपाय-सुझाना था। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट 11-1-1982 को प्रस्तुत की। कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों की जाँच की गई है और अनुबर्ती कार्यवाही की गई है।

प्रत्येक कर्मिक व्यवर्धीय योजना के साथ केन्द्र तथा राज्यों में रोजगार सेवा और प्रशिक्षण सेवा के कार्यकलापों में विम्तार होता रहा है। दिसम्बर, 1986 तक कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों और ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों) की कुल संख्या क्रमशः 821 और 1724 थी।

क्षेत्र कार्यालय दर्शाते हुए संगठनात्मक संरचना का विवरण

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत में एक ऐसा शीर्ष संगठन है जो राष्ट्रीय आधार पर, रोजगार सेवा और महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विकास तथा समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, रोजगार कार्यालयों और ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासनिक तथा वित्तीय नियन्त्रण राज्य सरकारी/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक तथा भारत सरकार के समुक्त सचिव है, जो सीधे थम सचिव के प्रति उत्तरदायी हैं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय में रोजगार निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय, शिक्षुना प्रशिक्षण निदेशालय और सचिवालय विभाग मिलते हैं।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कार्य करने वाले प्रधीनस्व कार्यालयों का व्योरा आगे दिया गया है—

(क) रोजगार निदेशालय

- 1 केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
- 2-15 14 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र—बम्बई, हैदराबाद, जवलपुर, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, बगलौर, गोहाटी, जयपुर और मुकनेश्वर ।
- 16-33 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी 18 अध्ययन एवं मार्गदर्शन केन्द्र—दिल्ली, जवलपुर, कानपुर, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, राँची, इमाल, एजबल, बगलौर, हिसार, राउरकेला, नागपुर, गोहाटी और मण्डी ।

(ख) प्रशिक्षण निदेशालय

- 1-6 छ. उच्च प्रशिक्षण संस्थान—कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, हैदराबाद, लुधियाना और बम्बई ।
- 7 केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास ।
- 8-9 इसेंकटॉनिक्स तथा प्रोसेस इम्प्रूभेंटेशन सम्बन्धी 2 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और देहरादून ।
- 10 केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान, हावडा ।
- 11-16 छ. क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण, निदेशालय—बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद तथा फुरीदाबाद ।
- 17 राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
- 18-20 तीन क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान—बम्बई, बगलौर और त्रिवेन्द्रम ।
- 21-23 फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान—बगलौर और जमशेदपुर ।
- 24-27 चार क्षादर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—हैदराबादी (उत्तर प्रदेश), कालीकट (केरल), चौदार (उडीसा) और जोधपुर (राजस्थान) ।
(विकलांग महिला व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र अगरतला तथा बड़ीदा और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हिसार, कलकत्ता तथा तुरा स्वीकृति किए गए हैं) ।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा की कार्य-प्रगति¹

हमारे देश में रोजगार सेवा 1945 में प्रारम्भ की गई थी और आज इसके अंदीन दैश भर में रोजगार कार्यालयों का जाल-सा बिछा हुआ है। 1986 के अन्त में देश में राष्ट्रीय रोजगार सेवा में 821 रोजगार कार्यालय थे, जबकि 1985 में इनकी संख्या 800 थी। इस नेटवर्क में 80 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र (यू.ई.आई.जी.वी.), 16 व्यावसायिक और कार्यकारी रोजगार कार्यालय, 7 कोयला-खान रोजगार कार्यालय, 10 परियोजना रोजगार कार्यालय, विकसानीयों हेतु 23 विशेष रोजगार कार्यालय और बागान श्रमिकों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय भासिल थे।

कार्यकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोजगार सेवा का निष्पादन निम्नलिखित पंराश्राफों में दर्शाया गया है।

रोजगार कार्यालयों का मुख्य कार्य रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करना और नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों पर उनकी नियुक्तियाँ करवाना है। इस सम्बन्ध में 1985 की तुलना में 1986 के दोरान किए गए कार्य का आम प्रनाल्या निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है—

(लाखों में)

| कार्यकलाप | 1985 | 1986 |
|--------------------|-------|-------|
| पंजीकरण | 58.22 | 55.35 |
| अधिसूचित रिक्तियाँ | 6.75 | 6.23 |
| किए गए संप्रेपण | 53.88 | 53.13 |
| की गई नियुक्तियाँ | 3.89 | 3.51 |

1986 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या 30130 लाख थी, यह संख्या वर्ष के प्रारम्भ की तुलना से 14.7 प्रतिशत अधिक थी।

जनवरी से दिसम्बर, 1986 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरणों, रिक्ति अधिसूचनाओं, नियुक्तियों और विभिन्न राज्यों तथा सघ शासित क्षेत्रों में वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर प्रावेदकों के बारे में घोषित आगे दिए गए हैं।

1 भारत सरकार, अप मन्त्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण) की वार्षिक स्पोर्ट, 1986-87.

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य शेषों में रोजगार कार्यालयों और विद्युतियात्पर रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन के बाब्त हारा

1986 के बोरात किया गया कार्य

(हजारों में)

| कार्यालयों और इ. आई. कमीक राज्य/संघ राज्य देश | 1986 के प्रात में रोजगार कार्यालयों और इ. आई. जी. बी. की संख्या | जनवरी- दिसम्बर, 1986 के दोरात किए | जनवरी- दिसम्बर, 1986 के दोरात एवं प्रतीकरण कार्यालय जी. बी. | जनवरी- दिसम्बर, 1986 के दोरात की संख्या | जनवरी- दिसम्बर, 1986 के दोरात की संख्या | जनवरी- दिसम्बर, 1986 के भल्ले भालू नियुक्तियों की संख्या | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--------|---|---|
| राज्य | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. शान्त प्रदेश | 30 | 3 | 291·7 | 46·1 | 495·2 | 19·8 | 2461·8 | | |
| 2. गुरुग्राम | 44 | 3 | 209·1 | 12·6 | 150·3 | 5·2 | 812·3 | | |
| 3. बिहार | 55 | 6 | 553·3 | 33·7 | 312·3 | 22·7 | 2914·5 | | |
| 4. झज्जरात | 35 | 6 | 162·8 | 32·3 | 199·1 | 12·9 | 877·1 | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|----------------|----|----|-------|------|-------|------|--------|-------|
| 5. | हरियाणा | 84 | 3 | 217.4 | 36.0 | 218.5 | 14.7 | 492.8 | |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 14 | 1 | 79.3 | 11.1 | 252.1 | 7.0 | 346.8 | |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 14 | — | 37.8 | 2.9 | 23.8 | 1.9 | 106.8 | |
| 8. | फतेहपुर | 31 | 6 | 176.5 | 25.1 | 172.3 | 9.3 | 1084.7 | |
| 9. | करत्क | 33 | 4 | 343.7 | 32.2 | 155.3 | 15.3 | 2704.9 | |
| 10. | मध्य प्रदेश | 55 | 8 | 401.3 | 38.1 | 215.8 | 23.2 | 1772.0 | |
| 11. | महाराष्ट्र | 38 | 5 | 529.3 | 70.8 | 536.5 | 38.1 | 2876.6 | |
| 12. | मणिपुर | 9 | — | — | — | — | — | — | 258.8 |
| 13. | मेघालय | 7 | — | — | — | — | — | — | 22.7 |
| 14. | तामालैड | 4 | — | 41.7 | 4.0 | 39.7 | 0.9 | — | 20.4 |
| 15. | उड़ीसा | 20 | 4 | 204.4 | 21.3 | 322.9 | 15.4 | 856.8 | |
| 16. | पंजाब | 37 | 3 | 233.6 | 25.2 | 229.6 | 7.3 | 609.6 | |
| 17. | राजस्थान | 28 | 3 | 191.1 | 30.0 | 275.9 | 17.4 | 840.1 | |
| 18. | सिक्किम | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. | तमिलनाडु | 29 | 3 | 481.5 | 64.5 | 845.6 | 50.9 | 2444.8 | |
| 20. | त्रिपुरा | 4 | — | — | 14.4 | 2.4 | 15.5 | 2.0 | 107.4 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 79 | 14 | 742.0 | 50.3 | 369.9 | 31.8 | 3250.8 | |
| 22. | परिचमी बंगाल | 65 | 4 | 389.6 | 23.7 | 170.4 | 9.4 | 4252.6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

संघ राज्य क्षेत्र

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----|--------|-------|--------|-------|---------|
| 1. प्रधानमंत्र व नियोगार होपसमूह | — | — | 3.5 | 2.1 | 13.1 | 0.4 | 15.2 |
| 2. ग्राहणाबल प्रदेश | 1 | 1 | 23.3 | 3.9 | 32.1 | 1.7 | 132.8 |
| 3. चडीगढ़ | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4. दाहरा व नगर हैवेटी | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 5. दिल्ली | 17 | 3 | 163.3 | 37.0 | 173.0 | 41.5 | 680.8 |
| 6. योवा दमन व दीव | 1 | — | 16.9 | 4.0 | 39.5 | 0.7 | 66.8 |
| 7. लक्षद्वीप | 1 | — | 0.7 | 0.2 | 1.3 | @ | 6.6 |
| 8. मिजोरम | 3 | — | 7.7 | 2.5 | 19.1 | 0.6 | 30.6 |
| 9. पांडिचेरी | 1 | — | 9.4 | 2.3 | 23.8 | 0.4 | 84.1 |
| 10. केन्द्रीय रोजगार कार्यालय | — | — | — | 8.1 | — | — | — |
| प्राक्ति भारत जोड़ | 741 | 80 | 5535.4 | 623.4 | 5312.6 | 351.3 | 30131.2 |

नोट—1. * कोई रोजगार कार्यालय कायें नहीं कर रहा है।

2. ** इस सभ राज्य क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कायें कर रहा है जोकिन भाकड़े भारत नहीं हो रहे हैं।

3. @ भाकड़े 50 से कम हैं।

4. ऐसा ही स्थल है जिस पूर्णांकन के कारण सचिवार्द जोड़ से मेल नहीं आती हो।

रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्ति

रोजगार चाहने वाले पंजीकृत व्यक्तियों में से लगभग आधे जिक्षित (मैट्रिकुलेट तथा इससे ऊपर) हैं। रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1985 के ग्रन्त में 139·76 लाख थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 125·36 लाख थी। 1984 की तुलना में 1985 के दौरान रोजगार कार्योलयों द्वारा रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों को प्रदान की गई रोजगार सहायता की पुनरीक्षा निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है—

(लाखों में)

| शैक्षणिक स्तर | पंजीकरण | | नियुक्तियाँ | |
|---------------------------------------|---------|-------|-------------|------|
| | 1984 | 1985 | 1984 | 1985 |
| मैट्रिकुलेट | 19·23 | 18·13 | 0·89 | 0·79 |
| मैट्रिकुलेशन से ऊपर परन्तु डिप्ली से | | | | |
| कम | 8·18 | 8·17 | 0·42 | 0·38 |
| स्नातक तथा स्नातकोत्तर | 6·31 | 5·72 | 0·47 | 0·47 |
| रोजगार चाहने वाले सभी शिक्षित व्यक्ति | 33·72 | 32·03 | 1·78 | 1·63 |

नोट—पूर्णाङ्गों के कारण जोड़ मेल नहीं भी खा सकते।

जून, 1986 के ग्रन्त में रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 150·88 लाख थी। जनवरी-जून, 1986 के दौरान, चालू रजिस्टर पर मैट्रिकुलेटों की संख्या 80·45 लाख से बढ़कर 86·83 लाख हो गई, मैट्रिकुलेशन से ऊपर परन्तु स्नातक से कम शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 35·30 लाख से बढ़कर 38·06 लाख हो गई और स्नातको तथा स्नातकोत्तरों की संख्या 24·00 लाख से बढ़कर 26·00 हो गई। जनवरी-जून, 1986 के दौरान रोजगार चाहने वाले कुल 13·59 लाख व्यक्ति पंजीकृत किए गए और 0·74 लाख नौकरी पर लगाए गए।

विशिष्ट वर्गों के रोजगार चाहने वाले व्यक्ति

रोजगार कार्यालयों द्वारा विशिष्ट वर्गों के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों जैसे अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति, विकलांगों और महिलाओं को प्रदान की गई महायना पर चर्चा घग्गले अध्याय में की गई है।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना)

अधिनियम, 1959

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 जो पहली मई, 1960 से लागू हुआ, सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी

क्षेत्र के गैर-कृपि कार्यकलापों से लगे हुए ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 25 या अधिक संस्थिक नियोजित हैं। अधिनियम के अधीन नियोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थानों (अधिनियम के अन्तर्गत छट प्राप्त रिक्त स्थानों को छोड़कर) को निर्धारित रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करें और अपनी स्थापनाओं में रोजगार तथा रिक्तियों के बारे में कुछ प्रावधिक विवरणियाँ भेजें।

मार्च, 1986 के अन्त में यह अधिनियम 1.72 लाख प्रतिष्ठानों पर लागू था, जबकि मार्च, 1985 के अन्त में यह अधिनियम, 1.68 लाख प्रतिष्ठानों पर लागू था। इनमें से 1.30 लाख प्रतिष्ठान सरकारी क्षेत्र में थे और 0.42 लाख प्रतिष्ठान निजी क्षेत्र में थे।

अधिनियम के उपर्यन्थी को लागू करने के लिए 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विशेष प्रवर्तन मशीतरी स्थापित की गई है। रोजगार अधिकारी अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न अनुनयी तरीकों तथा प्रचार के माध्यम से नियोजकों द्वारा सहयोग प्राप्त करने हेतु, लगातार प्रयास भी करते हैं। तथापि, लगातार तथा अन्यत्त दोषी नियोजकों के मामले में अभियोजन चलाए जाते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के मूल्यांकन से यह पता है कि सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अधिकांश नियोजकों ने अधिनियम के उपर्यन्थी का अनुपालन किया।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिमूचना) नियम, 1960 विभिन्न फोरमों में की गई सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर संशोधन किये गए थे और संशोधनों के बारे में अधिमूचनाएँ भारत के राजपत्र में प्रकाशित ही गई थीं।

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिमूचना) अधिनियम, 1953 तथा तद्धीन बनाए यए नियमों के अधीन, केन्द्रीय सरकार में 425 रुपए (जिन संशोधन) और इससे ऊपर कम मूल वेतन वाली वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप की सभी रिक्तियों को केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली की अधिसूचित करता होता है, जो इन रिक्तियों को देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में परिवर्तित करता है, और यदि प्रावश्यक हो तो उन्हें समाचार-पत्रों में विज्ञापित करता है।

1986 के दौरान, कुल 8095 रिक्तियाँ केन्द्रीय-रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की गईं, जिनमें से 1611 रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के लिए और 1076 रिक्तियाँ अनुमूचित जनजातियों के लिए आरबित थीं। ये रिक्तियाँ 521 नियोजकों द्वारा अधिसूचित की गई थीं, जिनमें से केन्द्रीय सरकार के 416 कार्यालय और 163 शर्द्ध-सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। कुल 3407 रिक्तियाँ देश के सभी रोजगार कार्यालयों में उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्तिजित करने

के लिए परिचालित की गई, जिनमें से 613 अनुसूचित जाति और 368 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं। इसके अतिरिक्त, ऐसी रिक्तियों का व्यापक परिवालन करने के लिए 884 अनुरोध विभिन्न रोजगार कार्यालयों को प्राप्त हुए, जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार स्थानीय रोजगार कार्यालयों के पास उपलब्ध नहीं थे।

केन्द्रीय सरकार की ऐसी रिक्तियाँ जिन्हें भरना कठिन होता है तथा उनका व्यापक परिचालन करने की ज़रूरत होती है, सितम्बर, 1968 में चालू योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापित की जाती हैं। 1986 के दौरान 2 विशेष विज्ञापनों सहित 54 विज्ञापन जारी किए गए—जिनमें 4782 रिक्तियाँ शामिल थीं। इनमें से 980 रिक्तियाँ अनुसूचित जाति के लिए, 635 रिक्तियाँ अनुसूचित जनजाति के लिए और 101 रिक्तियाँ विकलांगों के लिए आरक्षित थीं। 237 नियोजकों द्वारा केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिविसूचित की गई 237 रिक्तियाँ सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों को स्थानान्तरित की गई थीं क्योंकि वे सी. ई. ई. के छेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती थीं। इसके अतिरिक्त, 515 नियोजकों ने रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के अन्तर्गत रिक्तियाँ अधिसूचित की, जिन्हें उनके द्वारा सीधे विज्ञापित किया गया।

फालतू/छेंटनी घोषित किए गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करना

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का एक विशेष सेल वित्त मन्त्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन अथवा प्रशासनिक सुधार लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के फालतू घोषित किए गए ग्रुप 'ब' के कर्मचारियों की रोजगार सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस सेल में 1 जनवरी, 1986 को 32 फालतू कर्मचारी ये तथा जनवरी-दिसम्बर, 1986 की अवधि के दौरान सारे देश के केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से ग्रुप 'ब' के कुल 198 अन्य कर्मचारियों के फालतू होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी अवधि के दौरान, विशेष सेल द्वारा 197 कर्मचारी वैकल्पिक रोजगार में नामोदिष्ट/नियुक्त किए गए थे और दिसम्बर, 1986 के अन्त में फालतू घोषित किए गए केवल 33 कर्मचारी रोजगार सहायता की प्रतीक्षा में थे। विशेष सेल ग्रुप 'ब' में ऐसे कर्मचारियों को पुनः नियोजित करने के लिए जिम्मेदार है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो और जिनकी केन्द्रीय सरकार के संगठनों को समाप्त कर देने के कारण छेंटनी कर दी जाती है।

रोजगार बाजार सूचना

सीमांकेन्त्र तथा विस्तार—रोजगार बाजार सूचना (रो. बा. सू.) कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के स्तरों के सम्बन्ध में धौकड़े विमासिक तौर पर रोजगार

कार्यालयों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इस ई. एम. आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था का बेकल संगठित क्षेत्र आता है, तामतः—

- (1) सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान, और
- (2) निजी क्षेत्र के ऐसे गैर-कृपि प्रतिष्ठान, जिनमें 10 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र नहीं आते हैं—

- (1) निजी क्षेत्र में कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप/सचालन, बागान को छोड़कर जिन्हें स्वैच्छिक आधार पर शामिल किया गया है,
- (2) घरेलू प्रतिष्ठान,
- (3) निजी क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 10 से कम श्रमिक नियोजित हो,
- (4) स्वरोजगार भूथवा स्वतन्त्र कर्मकार,
- (5) अशकालिक कर्मचारी,
- (6) रक्षा सेनायों में रोजगार,
- (7) विदेश में भारतीय मिशनों/दूतावासों में रोजगार,
- (8) ग्रेटर बम्बई और कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में 10-24 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-कृपि प्रतिष्ठान।

भौगोलिक तीर पर, रोजगार बाजार सूचना (ई.एम.आई.) कार्यक्रम के अन्तर्गत सिविकम, अरण्याचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली और लकड़ीप को छोड़कर देश के सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के 25 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-कृपि प्रतिष्ठानों से सूचना, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और तद्धीत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन एकत्र की जाती है परन्तु निजी क्षेत्र के 10 से 24 श्रमिकों को नियोजित करने वाले गैर-कृपि प्रतिष्ठानों से यह सूचना स्वैच्छिक आधार पर एकत्र की जाती है। निजी क्षेत्र के वागान से भी यह सूचना स्वैच्छिक आधार पर एकत्र की जाती है।

शामिल किए गए 'प्रतिष्ठानों की संख्या—31 मार्च, 1985' को कार्यवान के अन्तर्गत लाए गए प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 228 लाख (अन्तिम) थी। इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के 1.30 लाख और शेष 0.98 लाख निजी क्षेत्र के थे। रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 की परिधि के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या 1.72 लाख थी, जिनमें 1.30 लाख सार्वजनिक क्षेत्र के और 0.42 लाख निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान थे।

ग्रांकड़े प्रकाशित करना—ई.एम.आई. कार्यक्रम के अन्तर्गत एकत्र किए गए ग्रांकड़े तिमाही और वार्षिक रोजगार पुनरीक्षाओं के माध्यम से रिलीज़ किए

जाते हैं। 1982-83 के वार्षिक रोजगार पुनरीक्षा का मसीदा तैयार कर लिया गया है। रिलीज की गई अन्तिम निमाई रोजगार पुनरीक्षा जून, 1985 को समाप्त तिमाही के बारे में है। सितम्बर, 1985 को समाप्त निमाही के बारे में तिमाही रोजगार पुनरीक्षा तैयार की जा रही है। रोजगार सम्बन्धी आँकड़ों को फ़ीद्र रिलीज करने और इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, मंगलित क्षेत्र में रोजगार के त्वरित अनुमान मुहैया करने की एक योजना भी 31 मार्च, 1983 को समाप्त तिमाही से जुह की गई थी। जून, 1986 को समाप्त तिमाही तक रोजगार के त्वरित अनुमान पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं और सितम्बर, 1986 को समाप्त तिमाही से सम्बन्धित त्वरित अनुमान मंकित किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक शैक्षिक पैटन अध्ययन—रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के एक अंग के रूप मे, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय एकान्तर वर्षों मे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में आने वाले महत्वपूर्ण व्यवमायों में कमंचास्त्रियों के व्यावसायिक पैटन और उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं के बारे मे रिपोर्ट भी प्रकाशित करता रहा है। रिपोर्ट तैयार करने और उपयोगकर्ताओं को और प्रधिक अधितन आँकड़े उपलब्ध कराने मे समय अन्तराल को कम करने की दृष्टि से 1980 और 1981 को रिपोर्ट-छोड़ दी गई थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1982 (सरकारी क्षेत्र) से सम्बन्धित रिपोर्ट का मसीदा तैयार किया जा रहा है और 1983 (निजी क्षेत्र) और 1984 (सरकारी क्षेत्र) के बारे मे एकत्र किए गए आँकड़े प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों मे हैं। 1985 (निजी क्षेत्र) और 1986 (सरकारी क्षेत्र) इन्कावायरियों के लिए आँकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श—वर्दं 1986 के दौरान 357 रोजगार कार्यालयों मे व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श एकको ने कार्य किया। इसके अतिरिक्त देश मे 80 विश्वविद्यालयों मे विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों ने कार्य किया। इन एककों और केन्द्रों ने आवेदकों और युवकों को आजीविका नम्बन्धी अपनी योजना बनाने मे उनकी महायता की। पहले की तरह इन एकको ने व्यावसायिक सूचना एकत्र तथा मंकित की और अन्तिक्षण परामर्शदात्री सत्रों, दृष्टिक वार्ताओं, मामूलिक विचार-विमर्श, दुतिक त्रुमाडशों और किसी प्रदर्शनियों के माध्यम से व्यालिकाल रूप मे और युवों, दोनों मे इसका विद्यायियों, —ग्रन्थालयों, अभिभावकों और नोकरी चाहने वालों मे सोइश्य प्रमार किया। औद्योगिक प्रशिक्षण मंस्वानों मे शिन्पकार प्रशिक्षण और उद्योगों मे जिक्रुता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों और विद्यार्थियों को आवश्यक नहायता दी गई। आवेदकों को अंगकानिक/धुट्टियों मे रोजगार की व्यवस्था बनने मे तथा स्व-रोजगार अवसरों के लिए सहायता भी प्रदान की गई है।

अभिहचि परीक्षाएँ—रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अभिहचि परीक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में शिल्पकार प्रशिक्षणार्थियों और श्रीदोगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुता प्रशिक्षणार्थियों के वैज्ञानिक चयन के प्रयोजनों के लिए अभिहचि परीक्षाओं सहित मनोवैज्ञानिक जांचों का दिकास करना और उनका प्रयोग करना है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 इंजीनियरों व्यवसाय आते हैं। वर्ष 1986 के दौरान अनेक राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अभिहचि परीक्षाओं का आयोजन किया गया।

1969 में शुरू किए गए शिक्षुता के लिए प्रशिक्षणार्थियों के चयन के कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक 27 श्रीदोगिकी/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों ने डी. जी. ई. एंड टी. की अभिहचि परीक्षाओं का उपयोग किया है। ऐसे प्रतिष्ठानों के अधिकारियों को परीक्षाओं के प्रशासन तथा परिणामों के मूल्यांकन की तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समय-समय पर सेमिनार प्रायोजित किए जाते हैं। अभी तक 123 श्रीदोगिक संगठनों/प्रतिष्ठानों से 168 अधिकारियों ने अब तक अप्रायोजित 11 प्रशिक्षण सेमिनारों में भाग लिया है। ग्वारहवां प्रशिक्षण सेमिनार 17 नवम्बर, 1986 से 21 नवम्बर, 1986 तक आयोजित किया गया था।

चयन के दूलों के रूपों में अभिहचि परीक्षाओं की प्रभाविता का पता लगाने के लिए समय-समय पर अनुदर्भ अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों के परिणामों से यह पता चलता है कि रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय हारा तैयार की गई अभिहचि परीक्षाओं से उतनी ही परिमुद्रता के साथ प्रशिक्षणार्थियों का निर्धादन दर्शाती है, जिनमें परीक्षाओं से आशा की जा सकती है और इसलिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु अभिहचि परीक्षाओं पर विश्वास किया जा सकता है। हाल ही पजाव के श्रीदोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि चयन के लिए अभिहचि परीक्षाओं के प्रयोग से सामग्री और मानव संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

एक सामान्य अभिहचि परीक्षा बैटरी का विकास सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

स्व-रोजगार को बढ़ावा देना—बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार को बढ़ावा देना भटकार हारा अपनाई गई रोजगार नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्व-रोजगार में लगने के लिए युवाओं को प्रेरित करके और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता देकर रोजगार कार्यालय से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्राशा की जाती है, क्योंकि वह रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए समर्पक का प्रथम स्थान है। इस प्रयोजन के लिए, रोजगार कार्यालयों/विश्वविद्यालय रोजगार भूतना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों को सुइँकरने की एक योजना विभिन्न राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में चुने हुए 30 जिलों में श्रीदोगिक आधार पर 1983 में शुरू की गई थी।

अपेक्षित विशेष संलग्न अभी तक 30 जिलों में से 26 जिलों में रोजगार कार्यालयों में सृजित किए गए हैं। इनके शुरू होने से दिसम्बर, 1986 के अन्त तक इन संलों ने लगभग 88,650 व्यक्तियों को पंजीकृत किया और उनमें से 18,100 को स्थ-रोजगार पर लगाया। *

इस योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति का मूल्यांकन कार्य केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (सरटस) द्वारा पूरा कर लिया गया है। मूल्यांकन अध्ययन ने, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में चरणवद्ध तरीके से शेष जिलों में इस योजना का विस्तार करने की सिफारिश की। इस योजना के विस्तार की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है।

रोजगार कार्यालयों का मूल्यांकन—रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, अन्य बातों के साथ-साथ, रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी नीति और प्रक्रियाओं के बारे में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। अतः रोजगार सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकारी/संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से किया जाता है। एकीकृत मूल्यांकन की इस प्रणाली के अधीन जिसके अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों के सभी कार्यकलाप आते हैं, वर्ष 1986 के दौरान 22 रोजगार कार्यालयों और 4 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का मूल्यांकन किया गया है।

रोजगार कार्यालयों के कार्यों का आधुनिकीकरण—रोजगार चाहने वालों और नियोजकों द्वानों को कारगर सेवाएँ प्रदान करने की हाइट से, राज्य सरकारी/संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों को रोजगार कार्यालयों के कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों को कम्प्यूटरीकृत करने की सलाह दी गई है। कई राज्यों जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पांडिचेरी, दिल्ली और बंगलोर ने चयनात्मक कम्प्यूटरीकरण की इस दिशा में पहले ही कदम उठाए हैं।

रोजगार कार्यालयों के कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की एक योजना को 1986-87 के लिए सातवीं योजना स्कीम के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, वरावर-वरावर आधार पर अधिकतम एक लाख रुपये प्रति रोजगार कार्यालय/कार्यालयों के युप तक केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारी को ऐसे रोजगार कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर हार्डवेर और सॉफ्ट वेयर प्राप्त करने के लिए दी जाती है, जिनके चालू रजिस्टर पर एक लाख या अधिक उम्मीदवार दर्ज हैं (व्यक्तिगत रूप में या ग्रुप में)। इस बारे में प्रस्ताव विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक केन्द्रीय सहायता विभार के रोजगार कार्यालयों के लिए रिलीज की गई है।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के वर्तमान डाटा प्रोसेसिंग कार्यों को इनके स्थान पर कम्प्यूटर प्रणाली अपना कर आधुनिकीकृत किया जा रहा है। कम्प्यूटर लगाने के लिए चाल वित्तीय वर्ष 1986-87 के दौरान 12 लाख रुपये

का प्रावधान किया गया है। विभिन्न कम्प्यूटर प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए गठित तकनीकी समिति ने अब अपने मूल्यांकन पूरे कर लिए हैं और इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली की सिफारिश की गई है।

रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य-

अधिसूचना) अधिनियम, 1959

थ्रम मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 1976-77 के अनुमार—

1. यह अधिनियम, जो सन् 1960 में लागू हुआ, सरकारी क्षेत्र के सभी नियोजकों और निजी क्षेत्र के गैर-कृषि कार्यकलार्पों में रत ऐसे नियोजकों पर लागू होता है जिनके पास 25 वा अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। अधिनियम की घारा 4 के अधीन नियोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में वैदा होते वाले रिक्त स्थानों को भरने में पहले उन्हें (कुछ मामलों में दी गई छूट को छोड़कर) निर्धारित रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करें। अधिनियम की घारा 5 के अधीन नियोजकों के लिए निर्धारित रोजगार कार्यालय को अपने कर्मचारियों की संख्या, रिक्त स्थानों तथा कमियों के सम्बन्ध में त्रैमासिक विवरण और कर्मचारियों का च्यावसायिक विवरण दर्शाने वाली द्विवार्षिक विवरणी भेजना अनिवार्य है। वर्ष 1976-77 में इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के लगभग 0·82 लाख प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के 0·45 लाख प्रतिष्ठान आते थे।

2. विभिन्न राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों से प्राप्त अधिनियम के प्रवर्तन सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन से पता चलता है कि कुल मिलाकर दोनों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के नियोजक अधिनियम के उपबन्धों का अनुपासन करते रहे हैं। इन नियोजकों ने रिक्तियों को अधिसूचित किया और निर्धारित विवरणी रोजगार कार्यालयों को भेजी हैं तथापि, कुछ मामलों में नियोजक अपने प्रतिष्ठानों में सृजित कुछ रिक्तियां रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित न करने के सुनिश्चित कारण बताने में असमर्थ रहे हैं और त्रैमासिक विवरणीयों में अनिवार्य पूरी मुद्रण भी नहीं भेज सके हैं।

3. अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के उद्देश से अनेक राज्यों में प्रवर्तन तथा स्थापित किया गया है। कुछ अन्य राज्यों में ऐसे ही तन्त्र के सृजन के प्रत्याव॑री पर कार्यवाही की जा रही है। जहाँ रोजगार अधिकारियों द्वारा नियोजकों से सृज्योग प्राप्त करने और वैयक्तिक अनुवर्ती कार्यवाही जारी रखने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए, वहाँ राज्य सरकारों द्वारा उन नियोजकों को 'कारण बताओ नोटिस' भी जारी किए जाते हैं, जिन्होंने अधिनियम के उपबन्धों का नापातार उल्लंघन किया है।

4. अधिनियम के प्रभाव को कारण बताने के लिए राज्य सरकारों से अनुयोग किया गया है कि वे नियोजकों के अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए शक्तियों का और अधिक विस्तार करें। राज्यों को ऐसी अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे नम्बद्ध भावार पर नियोजकों के मिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के कार्यक्रम को तैज करें।

रोजगार कार्यालयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

देश में रोजगार कार्यालयों ने श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी है लेकिन नियोजक क्षेत्रों ने उनके महसूव को अभी भली प्रकार स्वीकार नहीं किया है। निजी क्षेत्र इनकी सेवाओं के उपयोग के प्रति काफी उदासीन रहा है, ही साथें निक्षेत्र में इनकी उपयोगिता को अधिकाधिक स्वीकारा जा रहा है। श्रमिकों, मानिकों और सरकार को श्रमिक की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित करने की दिशा में वयपि इन कार्यालयों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी सहयोग दिया है, तथापि ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी कम सुनने को नहीं मिलती कि अन्य उपायों से भर्ती अथवा नियुक्तियों को काफी प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे अनेक कारण हैं जो इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि रोजगार कार्यालयों को भर्ती के दोषों को दूर करने तथा वैज्ञानिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में असफलता वर्षों मिली है—

1. रोजगार कार्यालयों द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न कारखानों में भेजकर वहाँ भर्ती किए गए श्रमिकों की सहाया और उनका पंजीयन करके अपने प्रतिवेदन में इसका विवरण दे दिया जाता है। इससे वे अपना दिखावटी प्रस्तुत करते हैं।

2. कई भालिक व सरकारी अधिकारी श्रमिकों व कर्मचारियों का घ्यन कर लेते हैं और बाद में उसको रोजगार कार्यालय में पंजीयन करवा लेने को कहते हैं जिससे कि उसका नियमन हो जाए। यह एक अवौद्धनीय प्रक्रिया है जिससे रोजगार कार्यालयों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इससे भर्ती के दोषों को समाप्त नहीं किया जा सकता।

3. रोजगार कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों का व्यवहार वेरोजगारों के साथ सहानुभूतिपूर्ण नहीं होता है।

4. रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिए व्यक्ति जाने हैं वहाँ पर काफी समय लगता है। इसके साथ ही जब रिक्त स्थान हेतु साक्षात्कार होता है उसके लिए प्रार्थी को रोजगार कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की सूचना साक्षात्कार होने के पश्चात् मिलती है जिससे प्रार्थियों को समय पर नौकरी नहीं मिल पाती। यह सब कर्मचारियों की छिलमिल नीति एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण से होता है।

5. इन कार्यालयों में रिक्षतखोरी और पश्चात पाए जाने के भी आरोप प्रायः मुनने में आते हैं।

सुझाव

रोजगार कार्यालयों के कार्यों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. इन कार्यालयों को श्रम बाजार के मम्बन्ध में रिकॉर्ड ही नहीं रखने चाहिए वलिक श्रमिकों को प्रशिक्षण व परामर्श की सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए, जिससे एक नौकरी से दूसरी नौकरी प्राप्त करने में मदद मिल सके। विवेकीकरण अपनाने से होने वाले बेकार श्रमिकों को रोजगार दिलाया जाना चाहिए।

2. जो अभिक नौकरी प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं उन सभी अभिकों को रोजगार कार्यालयों द्वारा आधिक सहायता दी जानी चाहिए और बाद में इसकी कठोरी अभिकों की मजदूरी में से काट लेनी चाहिए।

3. साधारण रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इन कार्यालयों से विशिष्ट उद्योगों के अभिक जैसे जहाज पर, पत्तनों पर, घरों में और बागान और खानों में काम करने वाले अभिक भी लाभ उठा सकें।

4. रोजगार कार्यालयों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु मालिकों का सहयोग होना आवश्यक है। मालिकों को अभिकों की भर्ती करते समय रोजगार कार्यालयों को सूचित करना चाहिए और इनके माध्यम से भर्ती कार्य किया जाना चाहिए।

5. डॉ. राधाकमल मुकर्जी (Dr R. K Mukerjee) का कहना है कि एक रोजगार कार्यालय अधिनियम (Employment Exchange Act) पास किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के अन्तर्गत समूचे देश के रोजगार कार्यालयों का समन्वय किया जाना चाहिए और यह अम मन्त्रालय के अन्तर्गत होना चाहिए। सभी कस्बों में जहाँ 20 हजार से अधिक आबादी है वहाँ रोजगार कार्यालय स्थापित किए जाने चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करने वाले दिक्त स्थानों आदि के सम्बन्ध में रजिस्टर्स रखे जाने चाहिए।

रोजगार कार्यालयों के समस्त दोषों को समाप्त करके इसे प्रभावपूर्ण ढंग से चलाया जाए। इससे अभिकों, मालिकों और सरकार सभी को लाभ होगा। ये कार्यालय अपनी बहुमूल्य सेवाओं से अम की माँग और पूति में सन्तुलन स्थापित कर सकते हैं। इससे धर्मणात्मक वेरोजगारी कम की जा सकती है।

मानव-शक्ति नियोजन : अवधारणा और तकनीक; भारत में मानव-शक्ति नियोजन (Man-Power Planning : Concepts and Techniques; Man-Power Planning in India)

मानव-शक्ति नियोजन (Man-Power Planning)

किसी भी देश की प्रगति हेतु मानव-शक्ति समस्याओं का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की प्रगति उत्पादन पर निर्भर करती है। उत्पादन का उद्देश्य न केवल उत्पादन की मात्रा में ही बढ़िया करना है, बल्कि उत्पादन की किसी सुधारना भी है। इसकी प्राप्ति के लिए उत्पादन किया में भाग लेने हेतु पर्याप्त सहाया में मानव-शक्ति का होना आवश्यक है। “उत्पादन में बढ़िया हेतु अविकल्प मानव-शक्ति की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि मानव-शक्ति का कुशल होना भी आवश्यक है।”¹

भारतीय मानव-शक्ति के स्रोत या साधन एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। उपजाऊ मिट्ठियाँ, खनिज पदार्थ, बनस्पति और अन्य प्राकृतिक साधनों की भाँति मानवीय साधन भी मूलधार हैं। प्रावश्यकताओं को पूरा करने हेतु इन साधनों को वैज्ञानिक आधार पर गतिशीलता प्रदान करनी होगी। इस कार्य के लिए मोजनाबद्ध कार्यक्रम अपनाना होगा जिसे मानव-शक्ति नियोजन (Man-Power Planning) कहा जाता है। इसका सम्बन्ध वर्तमान समय में मानव-शक्ति को पूर्ति तथा इसकी मांग में है। “हमारे देश में अकुशल अधिकारों की अधिकता और कुशल, तकनीकी एवं वैज्ञानिक कर्मचारियों की कमी की समस्या के निवारण हेतु मानव-शक्ति नियोजन अपनाकर मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है।”²

¹ Tilak, V. R. K : Man-Power Shortages & Surpluses, p. 1

² Giri, V. V. , Labour Problems in Indian Industry, p. 27.

किसी देश की मानव-शक्ति उस देश की समूर्ण जनसंख्या पर विभंग करती है। आधिक हृष्टि से सक्रिय जनसंख्या के आधार पर ही मानव-शक्ति की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत जैसे आधिक नियोजन थाले देश में अतिरेक थम (Surplus Labour) को नियोजन के माध्यम से पूर्ण रोजगार प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य है। विकसित देशों में मानवीय साधनों की कमी होने से वहाँ पूँजी गहन उत्पादन के तरीके (Capital Intensive Technique of Production) को अपनाया जाता है जबकि भारत जैसे विकासशील देश में पूँजी का अभाव तथा थम का आधिकरण होने से थम गहन उत्पादन का तरीका (Labour Intensive Technique of Production) अपनाया जाता है। यहाँ तीव्र शौचोगीकरण हेतु कुशल श्रमिकों की कमी पड़ती है जबकि अकुशल श्रमिकों की पूर्ति काफी है। कृषि में विद्युत हुई बेरोजगारी और उद्योग तथा सेवाओं में अनेक्षिक बेरोजगारी पाई जाती है। इसके साथ ही कुशल शम-शक्ति का अभाव (Lack of Skilled Man-Power) है, जबकि इन्हें जैसे विकसित देश में सामान्य थम-शक्ति का अभाव है।

मानव-शक्ति की अतिरेक और आधिकरण सम्बन्धी समस्या का समाधान करने हेतु भावी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में उपलब्ध मानव-शक्ति और आवश्यक मानव-शक्ति का अनुमान लगाया जाना चाहिए। मानव-शक्ति का अधिकतम उपयोग करने हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय बजट की भाँति मानव-शक्ति बजट (Man-Power Budget) तैयार किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न व्यवसायों में मानव-शक्ति की आवश्यकता और वितरण की तुलना की जाती है। इस प्रकार के बजट से मानव-शक्ति की माँग और पूर्ति दोनों का अच्छा समायोजन किया जा सकता है। यह समायोजन रोजगार कार्यालयों (Employment Exchanges) द्वारा अच्छे ढंग से किया जा सकता है।¹ रोजगार कार्यालय रोजगार प्राप्त करने वाले तथा रोजगार देने वालों के मध्य एक कड़ी कामय करते हैं। इनके द्वारा यह सूचना भी एकत्रित की जा सकती है कि किस व्यवसाय में मानव-शक्ति का अभाव है और किस व्यवसाय में इनका आधिकरण है? इस कार्य हेतु रोजगार कार्यालय सरकार के अन्य कार्यालयों, उदाहरणार्थ शिक्षा, वैज्ञानिक, अनुसंधान, व्यापार और उद्योग से सहायता ले सकते हैं और आसानी से अधिकता व कमी का पता लगाया जा सकता है।

हाल ही के वर्षों में मानव-शक्ति की समस्या के हल के लिए कुछ समितियाँ नियुक्त की गई हैं—

1. वैज्ञानिक मानव-शक्ति समिति, 1947 (Scientific Man-Power Committee of 1947)—इस समिति द्वारा आने वाले 5 से 10 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी मानव-शक्ति के विभिन्न बगों हेतु अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण से पता चला कि इन्जीनियर, डॉक्टर, रसायनविज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, अध्यापकों (विज्ञान) आदि की कमी थी।

1 Tilak, V. R. K. : Man-Power Shortage & Surpluses, p. 5.

2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948 (University Education Commission, 1948)—यह आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। इसका कार्य भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याओं और भावी सुधार हेतु सुझाव देना था, यद्यपि इस आयोग का प्रत्यक्ष रूप में भारतीय मानव-शक्ति से सम्बन्ध नहीं था फिर भी इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, वकील और अन्य व्याकासायिक वर्ग आदि के विषय में वताया गया कि वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति के प्रत्यर्गत भी कमी है।

मानव-शक्ति की अधिकता तथा अभाव के विषय में सही रूप से सूचना नहीं मिलती है। मानव-शक्ति की अधिकता अथवा बचत इसकी माँग की तुलना में उत्पन्न होती है। जब मानव-शक्ति की माँग इसकी पूर्ति की तुलना में अधिक है तो यह अभाव (Shortage) होगा तथा माँग पूर्ति की तुलना में कम होने पर मानव-शक्ति का अतिरेक होगा।

भारत जैसे विकासशील देश में मानवीय संघर्षों के उचित एवं कुशल उपयोग को आधिक नियोजन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियोजन का उद्देश्य मानव-शक्ति की कमी को पूरा करना तथा अतिरेक मानव-शक्ति को लाभपूर्ण व्यवसायों में लगाना होता है। जब हम मानव-शक्ति के अभाव के रूप में अध्ययन करते हैं तो मानव-शक्ति हेतु नियोजन (Planning for Man-Power) कहलाता है तथा मानव-शक्ति का अतिरेक के सम्बन्ध में अध्ययन करने पर यह मानव-शक्ति का नियोजन (Planning of Man-Power) कहलाएगा। “नियोजन के दोनों पहलुओं का अध्ययन साथ-साथ करना चाहिए वयोंकि मानव-शक्ति की कमी और अतिरेक साथ-साथ पाई जाती है।”¹ यह हमारा प्रतुभव है कि अतिरेक वाले व्यवसायों में काफी वृद्धि होती रहती है जबकि प्रभाव वाली व्येणियों में सुधार नहीं हो पाता है।

मग्दि मानव-शक्ति का, जो कि अतिरेक (Surplus) है, उपयोग नहीं किया जाता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यह बर्बादी राष्ट्रीय साधनों के रूप में ही नहीं होती है, बल्कि एक अधिक के वेरोजगार होने पर वह स्वयं आत्म-स्वानि में डूब जाता है और परिणामस्वरूप मानवीय साधन के रूप में उसकी उपयोगिता नष्ट होने लगती है।

कुशल मानव-शक्ति की कमी से देश का आव्योगिक विकास नहीं हो पाता है। आधिक विकास तभी सम्भव होता है जब मानव-शक्ति को गतिशीलता प्रदान की जाती है तथा अम की कमी से आने वाली बाधाओं को समाप्त किया जाता है। मानव-शक्ति की गतिशीलता के दो पहलू हैं—

1. मानव-शक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।

2. मानव-शक्ति को उचित व्यवसायों में लगाया जाना चाहिए।

प्रभाव को रोकने के भी दो पहलू हैं—

1. सभी अन्तरों को पाट कर अभाव की पूर्ति की जानी चाहिए।
2. जिन वर्गों में मानव-शक्ति का प्रभाव हो, उनमें मानव-शक्ति का उचित प्रावण्टन किया जाना चाहिए।

अधिकांश विकासशील देशों में थम की कमी नहीं है। लेकिन आकृषण अधिक काफी मंस्ता में है जबकि कुशल अभिकों की मात्रा इसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होने से इस प्रकार की मानव-शक्ति का प्रभाव पाया जाता है। इस प्रकार के अभाव को दूर करने के लिए अधिक तैयार करने होंगे। कुशल अभिक प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। अभिक प्रकार की प्रशिक्षण योजनाएँ चलाई जानी हैं। ये प्रशिक्षण तीन प्रकार के होते हैं—

1. तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण (Training and Vocational Training)—नए लोगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु मुख की जाती है।

2. नवसिखिया प्रशिक्षण (Apprenticeship Training)—जिन्हें प्रशिक्षण केन्द्र पर नहीं मिला है उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण विभिन्न कारखानों ग्राम्यवा उद्योगों में दिया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण रोजगार की पहली मवस्था में दिया जा सकता है ग्राम्यवा प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण के साथ कुछ भत्ता देकर भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. उद्योग में प्रशिक्षण (Training within Industry)—इस प्रकार का प्रशिक्षण कोर्सेन ग्राम्यवा सुपरवाइजरी श्रेणी के कर्मचारियों को उद्योग में ही कुशलता प्राप्त करने हेतु दिया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देश में ग्राम्यवा विदेश में भी दिया जाता है।

किसी भी देश में मानव-शक्ति में कुशलता उत्पन्न करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है और यह प्रशिक्षण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाता है। इसमें निम्न वातों को ध्यान में रखना चाहिए—

1. इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र देश के विभिन्न क्षेत्रों ग्राम्यवा प्रान्तों में समान रूप से होने चाहिए ताकि इनमें प्रशिक्षणार्थी मासानी से पहुंच सकें।

2. किसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें समिलित प्रशिक्षणार्थी को से हैं। उनका उचित चयन होना जरूरी है।

3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें प्रशिक्षणार्थी आमानी से कुशलता प्राप्त कर सके। अधूरा ज्ञान उचित नहीं है

इसी भी प्रशिक्षण योजना की सफलता अधिक और सालिक दोनों पक्षों के पूर्ण सहयोग पर निर्भर रहती है। इससे अभिकों को कुशलता प्राप्त होगी और सालिकों को आवश्यकतानुसार अधिक मिल सकेंगे।

प्रो. हिक्स (Prof. Hicks) का कथन सत्य प्रतीत होता है कि “व्यवसायों में थम के विवरण वा बुद्धि साधनों से नियमन करना अत्यधिक ग्राम्यक है। कोई

भी समाज इसके बिना जीवित नहीं रह सकता है।”¹ किसी भी देश में वेरोजगारी दूर करके मानव-शक्ति का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक होता है। वेरोजगारी दूर करने के लिए सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money Policy), सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम (Public Works Programme) और उपभोक्ता सहायता (Consumers' Subsidies) को अपनाना चाहिए।

सस्ती मुद्रानीति से कम ब्याज दर पर माल प्रदान करके देश का तीव्र औद्योगिकरण किया जा सकता है। जब अधिक उद्योग खोले जाएंगे तो इससे रोजगार के अवसरों ने वृद्धि होने से वेरोजगारी दूर होगी।

सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सिचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कों व नहरों का निर्माण आदि आते हैं। इससे भी रोजगार अधिक मिलता है। लोगों को क्य शक्ति बढ़ने से प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि होती है और वेरोजगारी दूर करने में सहयोग प्राप्त होता है।

हमारे देश में श्रमिकों को सहायता देना बांधनीय नहीं है क्योंकि हमारे देश में समस्या प्रभावपूर्ण माँग में वृद्धि करना न होकर उत्पादन में वृद्धि करना है। यहाँ पर पूरक साधनों की कमी को पूरा करके श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना प्रमुख समस्या है।

ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ श्रमिकों का शोपण होता है तथा कृषि क्षेत्र में छिपी हुई वेरोजगारी पाई जाती है इस समस्या का समाधान ग्रामीण क्षेत्र से श्रमिकों का स्थानान्तरण शहरी क्षेत्र की ओर करना होगा।

भारत में मानव-शक्ति नियोजन (Man-Power Planning in India)

देश का तीव्र गति से आविष्कार करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र में आविष्कार नियोजन का महारा लिया गया है। हमारे देश में भी स्वतन्त्रता के पश्चात् आविष्कार नियोजन अपनाया गया है। प्रत्येक योजना में मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग कर उनको पूर्ण रोजगार प्रदान करने का धीड़ा उठाया जाता रहा है। वेरोजगारी को समाप्त करने हेतु पचवर्षीय योजनाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

(1) प्रथम पचवर्षीय योजना

(First Five Years Plan)

इस योजना में वेरोजगारी की समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया। हमारे देश में इस योजना में यह सोचा गया कि वेरोजगारी की समस्या न होकर अद्वैत-रोजगार की समस्या है। इस योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए निर्माणकारी कार्यों (Construction Activities) में अधिक रोजगार के अवसरों का मृजन करने हेतु निवेश की दर में वृद्धि करने पर और महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में पूँजी

1. Hicks, J. R. . The Social Framework, p. 61.

निर्माण पर जोर दिया गया। रोजगार के अवसरों में चुदि करने हेतु योजना का आकार 2,068 करोड़ रुपये में बढ़ाकर 2,378 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1935 में योजना आयोग द्वारा शिक्षित वेरोजगारी समाप्त करने हेतु विशेष शिक्षा विस्तार कार्यक्रम (Special Education Expansion Programme) शुरू किया गया। वेरोजगारी समाप्त करने हेतु योजना आयोग ने 11 सूची कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो इस प्रकार था—

- (1) छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता;
- (2) मानव-शक्ति के अभाव वाले धोनों में प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करना;
- (3) छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य और स्थानीय संस्थाओं द्वारा उनसे सहीद;
- (4) शहरों में प्रोड शिक्षा केन्द्र खोलना और ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रव्यापक पाठशाला खोलना;
- (5) राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना;
- (6) सड़क यातायात का विकास;
- (7) गन्दी बस्तियों का उन्मूलन और अल्प आय वालों हेतु कम लागत की अवास योजना;
- (8) निजी भवन निर्माण क्रियाएँ को तेलाहन;
- (9) शरणार्थियों को बसाने का कार्यक्रम;
- (10) निजी पूँजी से चलाए जाने वाली शक्ति योजनाओं के विकास को प्रोत्साहन; एवं
- (11) प्रशिक्षण कोष खोलना।

इन सभी उपायों का उद्देश्य वेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना था। योजनाकाल में बढ़ती हुई अम-शक्ति की तुलना में रोजगार के अवसरों की नहीं बढ़ाया जा सका और बेकारी घटने के बजाय बढ़ी। इस योजनाकाल में 75 लाख व्यक्तियों को काम दिलाने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु इस अवधि में केवल 54 लाख व्यक्तियों को ही रोजगार दिया जा सका।

(2) दूसरी पचवर्षीय योजना

(Second Five Year Plan)

प्रथम योजना के मन्त्र में 53 लाख लोग बेकार थे तथा दूसरी योजना में 100 लाख लोग बेकार होने का अनुमान लगाया गया था। इस समस्या के हल हेतु तीव्र युति से बढ़ती जनसंख्या पर नियन्त्रण लगाना आवश्यक समझा गया। इस योजनाकाल में सगभग 153 लाख लोगों को रोजगार देने की समस्या थी और अर्द्ध-रोजगार की समस्या थी। अतः योजना में पूर्ण रोजगार प्रदान करना घरमध्य माना गया। इस समस्या के हल हेतु दीर्घकालीन प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई। दूसरी योजना की अवधि में सगभग 96 लाख लोगों—16 लाख कृषि में और 80 लाख गैर-कृषि में—को रोजगार दिलाने का लक्ष्य का रखा गया।

लेकिन योजना के अन्त में 90 लाख लोग बेकार रहे तथा अद्वैत-रोजगार वालों की संख्या 150 से 180 लाख के बीच थी। योजनाकाल में शिक्षित बेरोजगारों (20 लाख) को भी रोजगार प्रदान करने हेतु उद्योग, सहकारी समितियों और प्रातायात आदि में योजनाएँ चालू की गईं।

दूसरी योजना रोजगार प्रदान करने वाली योजना कही जा सकती है वयोकि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना इसके उद्देश्यों में एक था।

योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या योजना के प्रारम्भिक बेरोजगारों से अधिक थी।

(3) तीसरी पंचवर्षीय योजना

(Third Five Year Plan)

योजनाकाल में 170 लाख व्यक्ति बेरोजगार होने का अनुमान लगाया गया तथा योजना के शुरू में 90 लाख लोग पहले ही बेरोजगार थे। अतः तीसरी योजनाकाल में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 260 लाख आँकी गई। इस योजनाकाल में 140 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। बेरोजगारी की समस्या को तीन दिशाओं के रूप में देखा गया—

1. यह प्रयत्न किया जाए कि अब अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का लाभ प्राप्त हो।

2. ग्रामीण औद्योगिकरण का एक विस्तृत कार्यक्रम अपनाया जाए। इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग सम्पत्ति का विकास, ग्रामीण उद्योगों की प्रोत्साहन और मानव-शक्ति को प्रभावपूर्ण रोजगार प्रदान करना आदि कार्यक्रम शामिल किए जाएँ।

3. छोटे उद्योगों द्वारा रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के अतिरिक्त ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (Rural Works Programme) चलाने पर भी जोर दिया जाए जिससे 100 दिन (एक वर्ष में) कार्य 2.5 मिलियन लोगों को दिया जा सके।

इन प्रयासों के बावजूद भी योजनाकाल में सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सका। योजना के अन्त में 90 लाख से 100 लाख व्यक्ति तक बेरोजगार वचे। अपूर्ण रोजगार वाले लोगों की संख्या लगभग 160 लाख थी।

(4) तीन वार्षिक योजनाएँ

(Three Annual Plans, 1966-69)

प्रार्थिक कठिनाइयों के कारण एचवर्डीय योजना के स्थान पर तीन वर्ष तक वार्षिक योजनाएँ चलाई गईं। इनमें बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास किए गए। लेकिन बेरोजगारी की समस्या का समाधान न हो सका।

(5) चौथी पंचवर्षीय योजना

(Fourth Five Year Plan)

इस योजना में भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर जोर दिया गया। विभिन्न योजना कार्यक्रमों में रोजगार बढ़ाने का प्रयोग किया गया। थम-गहन

(Labour Intensive Industries) पर जोर दिया गया जिससे बढ़ती हुई थम-शक्ति को रोजगार दिया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण, लघु एवं कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन जैसी सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया। योजना काल में गैर-कृषि क्षेत्र में 140 लाख और कृषि क्षेत्र में 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था।

लघु उद्योगों के विकास आयुक्त श्री के. एस. नजप्पा के अनुसार भारत सरकार ने वेरोजगार इन्जीनियरों को छोटे उद्योगों की स्थापना करने हेतु सहायता देने के लिए एक योजना तैयार की। इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु प्रत्येक राज्य को लगभग 30 लाख रुपये दिए जाने थे। प्रत्येक राज्य में 200 इन्जीनियरों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षण काल में ग्रेजुएट व डिप्लोमाचारी इन्जीनियरों को क्रमशः 250 रुपये और 150 रुपये मासिक देने की व्यवस्था थी। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं का नवयुवक इन्जीनियरों को प्रशिक्षण देना था।

फिर भी इस योजना काल में सभी श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जा सका और योजना के मन्त्र में योजना के प्रारम्भ से मध्यिक वेरोजगारी रही।

(6) पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना (Fifth Five Year Plan)

यह योजना 1 अप्रैल, 1974 से शुरू की गई। इस योजना में गरीबी को दूर करने हेतु रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करने पर जोर दिया गया जिससे बड़े पैमाने पर विद्यमान वेरोजगारी को समाप्त किया जा सके।

पांचवीं योजना के मंजोधित प्रारूप में यह अनुमान लगाया गया कि योजना-वधि में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत थम-बल की संख्या में 162 लाख और छठी योजना में 189 लाख की वृद्धि होगी। यह कहा गया कि राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के 27वें दोर द्वारा अनुमोदित थमबल की दर में 5 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल कर लिए जाने पर और सर्वेक्षण के लिए उपयोग में लाए गए विविध परिकल्प के कारण यह दर बढ़ जाएगी। फिर भी रा. प्र. स. के परिकल्पों पर आधारित अनुमानों के अनुसार पांचवीं पञ्चवर्षीय योजनावधि में थमबल की संख्या में वृद्धि लगभग 182.6 लाख से 189.6 लाख तक होगी और छठी योजना में 195.7 लाख से 203.9 लाख तक होगी। जैसी भारत की अर्थ-व्यवस्था है, ऐसी अर्थ-व्यवस्था में थमबल की पूर्ति के अनुमान प्रस्थिर रहते हैं।

पांचवीं पञ्चवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने मध्यिक से एक वर्ष पूर्व समाप्त करके आवर्ती योजना पराली के रूप में पञ्चवर्षीय योजना लागू कर दी, किन्तु दो वार्षिकी योजनाएँ पूरी होने के बाद ही सत्ता परिवर्तन के कानूनस्वरूप जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी पुनः मत्तालूङ हुई और आवर्ती योजना प्रणाली को समाप्त कर पुरानी योजना प्रणाली को पुनः आगामी हुए। अप्रैल,

1980 से छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) लागू की। इस प्रकार जनता सरकार द्वारा चालू की गई छठी योजना जारी नहीं रह सकी, पाँचवीं योजना और छठी योजना (1980-85) के बीच के वर्षों की योजना को वापिक योजनाएं मान लिया गया।

(7) छठी योजना (1980-85)

छठी पचवर्षीय योजना (1980-85) में जनशक्ति नियोजन के सम्बन्ध में जो उद्देश्य, कार्यनीति आदि अपनाई गई उसका विस्तार से बरण हम पिछले अध्याय में 'रोजगार' के सन्दर्भ में कर चुके हैं। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि छठी योजना में जनशक्ति की समस्या पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इसमें बहुत गरीब खेती के काम पर लगे किसान तथा ग्रामीण कारीगर और भूमिहीन मजदूरों के लिए हाथकरघा, हस्तकला, रेगम उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों के विकास की योजना इसके लिए कच्चे मात की सप्लाई, डिजाइन तैयार करने, ट्रेनिंग बोर्ड, बिन्दी तथा नियन्त्रित के लिए उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि एवं ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय बैंक की सुविधा, ग्रामीण कारीगरों को दी गई। छठी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी रखा गया कि देश में बेरोजगारी की सत्त्वा में कम्पी लाई जाए।

(8) सातवीं योजना (1985-90)

भारत में योजना प्रक्रिया छः सौपान पार करके सासवें चरण में प्रवेश कर गई है। सातवीं योजना में रोजगार के विस्तार को बुनियादी प्राथमिकता दी प्रिय किया गया है और सभी नीतियाँ और कार्यक्रम इसी लक्ष्य के अनुरूप तैयार किए गए हैं। विशेष महत्व की बात यह है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि रोजगार की प्रावश्यकता बाले लोगों की सत्त्वा में वृद्धि की तुलना में अधिक होगी। प्रधान मन्त्री ने धोपणा की कि देश की योजना प्रक्रिया के इतिहास में यह स्थिति पहली बार आएगी कि रोजगार जूटने के वर्तमान अपूर्ण लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही जाएगा, साथ ही पिछले वर्षों में लक्ष्य का जितना हिस्सा प्राप्त होने से रह गया था, उसे भी पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि सातवीं योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य से अधिक रोजगार के अवसर जूटने होंगे। रोजगार के अवसरों में चार प्रतिशत की वापिक वृद्धि का लक्ष्य है। जबकि रोजगार पाने वालों की संख्या प्रतिवर्ष 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। योजना अवधि में 4 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, जबकि रोजगार की आवश्यकता बाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 90 लाख रहेगी।

कृपि और उद्योग के विस्तार के अलावा रोजगार जूटने के वर्तमान कार्यक्रमों को जारी रखने का और उसका कार्य क्षेत्र बढ़ाने का भी योजना में संकल्प घक्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन

रोजगार गारण्टी कार्यक्रमों से आमीण इलाकों में दो अरब 40 करोड़ कार्य विकास के रोजगार की व्यवस्था की जा सकेगी। योजना में शहरों में गरीबी दूर करने के उद्देश्य से भी रोजगार उपलब्ध कराने की वहुमुखी योजनाएं चलाने की बात कही गई है, छपि दोनों में रोजगार वृद्धि की वापिक दर 3.5 प्रतिशत तक प्रत्यक्षेत्रों में 4.5 प्रतिशत घाँटी गई है। रोजगार जूटाने के लिए केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। यदि इस समिति की सिफारिशों स्वीकार करली गई तो सातवीं योजना में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

भारत में शिक्षण-प्रशिक्षण

भानव-शक्ति के समुचित उपयोग के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। भारत में युवाओं को किशोरावस्था में ही आजीविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू किया है। जहाँ तक सम्भव होता है, वे कार्यक्रम राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर एवं विदेशी सहयोग से भी तैयार होते हैं। देश में इस समय जो विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार के वापिक सन्दर्भ में ग्रन्थ 'भारत 1985' का विवरण इस प्रकार है—

प्रशिक्षण

युवाओं को किशोरावस्था में ही आजीवका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहाँ तक सम्भव होता है, वे कार्यक्रम राष्ट्र के प्रत्यर्गत रखे जाते हैं और विदेशी सहयोग से भी पूरे किए जाते हैं।
कारीगरों का प्रशिक्षण

15 से 26 साल की उम्र वाले युवक-युवतियों को 38 इंजीनियरी और 27 ग्रंथ इंजीनियरी धर्मों में प्रशिक्षण देने के लिए समूचे देश में शोधोगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इस समय 1268 संस्थाएं जिनमें कुल 2.40 लाख सीटें हैं, देश में कारीगरों को प्रशिक्षण दे रहे थे। इंजीनियरी धर्मों के लिए ट्रेनिंग काल 6 माह से 2 वर्ष का है, वरन्तु सभी ग्रंथ-इंजीनियरी धर्मों के लिए ट्रेनिंग काल 1 वर्ष है अधिकतर धर्मों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं या मैट्रिक्युलेशन से 2 वर्ष कम या इसके बराबर है। 65 धर्मों को छोड़कर राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धर्मों के प्रशिक्षण शामिल कर लिए।

कारीगरों का प्रशिक्षण पाने वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए डी० जी० ई० टी०, इंजीनियरी धर्मों के लिए प्रशिक्षण पाने वाले कारीगरों के चुनाव के लिए अभियाचि परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों में भी लागू कर दी गई है ताकि एप्रेनिटस अधिनियम, 1961 के अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेनिटस नियुक्त किया जा सके।

यह प्रशिक्षण विशेषज्ञों की समिति को सिफारिशों के अनुहृष्ट दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य कारीगारों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः समर्थित करना है। इस कार्यक्रम में पहले कारीगारों को व्यापक आधार वाले प्राथमिक प्रशिक्षण और बाद में आदर्श प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। 1981-82 में चार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों—हृतदवानी (उत्तर प्रदेश), काम्भिकट (केरल), जोधपुर (राजस्थान) और चोदवार (उडीसा)—की स्थापना की जा चुकी है।

शिल्प शिक्षकों का प्रशिक्षण

ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास, तुंचियाना तथा हैदराबाद के 6 केन्द्रीय संस्थानों में शिल्प प्रशिक्षकों को प्रतिवित किया जाता है। इन छ संस्थानों में से एक मद्रास स्थित संस्थान को छोड़कर सन् 1982 के दीरान अन्य पांचों को एडवॉस्ट प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। ये 6 संस्थान, जिनकी क्षमता, 1112 प्रशिक्षणार्थी लेने की है, विभिन्न कामों का प्रशिक्षण देते हैं। बम्बई संस्थान में रासायनिक वर्म के व्यापारों में और हैदराबाद संस्थान में होटल और खान-गान सम्बन्धी मामलों में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएं जुटा दी गई हैं तथा कानपुर और तुंचियाना के संस्थानों में कमशः छपाई और खेतीबाड़ी के यत्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान ने एक आदर्श प्रशिक्षण संस्थान सम्बद्ध है जिनमें प्रतिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

अक्टूबर, 1977 में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना नामक एक परियोजना कई प्रकार के उन उच्च तथा परिष्कृत कीशलों का प्रशिक्षण देने के लिए चालू की गई है जिनका प्रशिक्षण अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं दिया जाता। यह योजना बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास तथा तुंचियाना में स्थित 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और 15 राज्य सरकारों के अधीन चुने हुए 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाई गई है। आधुनिकीकरण करके उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न उच्च पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पूरे देश के लिए मद्रास का उच्च प्रशिक्षण संस्थान शीर्ष संस्था का काम करता है और अन्य पांच उच्च प्रशिक्षण संस्थान (जो पहले केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहलाते थे) जहाँ यह प्रणाली नायू की गई, प्रारंभिक संस्थानों के रूप में काम करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए 1974 में हैदराबाद में एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। इसमें घरेलू, औद्योगिक, चिकित्सा सम्बन्धी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रक्रिया उपकरणों के क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों के लिए दिसम्बर 1981 में देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक अन्य संस्थान की स्थापना की गई है।

फोरमेनों को प्रशिक्षण/सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण

फोरमेनों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना बंगलूर में 1971 में की गई थी। यह इस समय काम कर रहे 'फोरमेनों' और सुपरवाइजरों को तदा भविष्य में ऐसे पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को तकनीकी एवं प्रबन्धन अमता का और उद्योगों से आए श्रमिकों को उच्च तकनीकी हड्डियों का प्रशिक्षण देता है। दक्ष फोरमेनों की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सन् 1982 में जगदेश्वर में द्वितीय फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मालिकों के लिए खास-खास उद्योग में प्रशिक्षु का लगाना अनिवार्य है। यह आधारभूत प्रशिक्षण होता है जिसके साथ-साथ केन्द्रीय प्रशिक्षु परियद् के परामर्श पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण माननदण्डों के अनुसार ठीक काम के बारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 217 बगों के उद्योगों तथा 138 धनधों को (3 धनधों को छोड़कर) शामिल किया जाता है। 1973 के प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए स्थान सुरक्षित करने और इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिए रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था है।

यह अधिनियम लगभग 13,375 संस्थानों में लागू है। मार्च, 1985 के अन्त तक विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 134 लाख प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। मार्च, 1985 के अन्त तक अभियान्त्रिक औद्योगिकी से सम्बन्धित विषयों पर लगभग 71 प्रकार के ऐसे बोर्ड लेयार किए गए थे जिनमें लगभग 12,789 स्नातक तथा डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे थे।

औद्योगिक कामगारों के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण

जो लोग उद्योग में दिना किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं उनके लिए सध्याकालीन कक्षाएं आयोजित की गई हैं। इस पाठ्यक्रम ने वे औद्योगिक श्रमिक, उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रवेश पा सकते हैं जिन्हे किसी विशेष घन्थे में दो वर्ष का काम करने का अनुभव प्राप्त है और जिनका नाम उनके मालिक मिजवाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास तथा 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पांच ए टी. आई. में ये पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुसंधान

देशी प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए 1970 थे में कलकत्ता में केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। संस्थान में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उद्योगों से आए लोगों के लिए (जिनके नियन्त्रण, निदेशन और संचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं)

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा यह घन्धों और प्रशिक्षण विधियों सम्बन्धी अनुसंधान की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता-मामग्री तयार करता है और उद्योगों को आद्योगिक प्रशिक्षण विधियों में परामर्श देता है।

स्त्रियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में बदल दिया गया है। संस्थान अपने यहाँ महिलाओं के लिए विशेष व्यवसायों में प्रशिक्षक प्रशिक्षण, मूल प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण देता है। वम्बई, बगलूर तथा तिळूप्रभातपुरम में महिलाओं के लिए तीन क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं।

अम मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट : 1985-86 के अनुसार श्रमिकों की शिक्षा और उनके प्रशिक्षण को कुछ प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम

केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सरटस) रोजगार सेवा और नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों और माता-पिता के लिए उपयोगी आड़ीविका सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान के लिए रोजगार सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जनशक्ति के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण और अध्ययन नियमित आधार पर किए जाते हैं। सर्वेक्षणों और अध्ययनों सम्बन्धी एक तकनीकी समिति द्वारा डी.जी.ई. एण्ड टी और सर्टस के अनुसंधान और सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रस्तावों की तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक दृष्टिकोण से जांच की जाती है और चल रही अनुसंधान परियोजनाओं का प्रबन्ध भी किया जाता है। सरटस ने विभिन्न तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा प्रतिनियुक्त रोजगार अधिकारियों तथा विकासशील देशों द्वारा भेजे गए प्रशिक्षणार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने सम्बन्धी अपने कार्यक्रम को जारी रखा। वर्ष 1986 के दौरान रोजगार सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के 222 अधिकारियों के लिए सरटस के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा 15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सेमीनार) कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त सरटस ने आउट सर्विस ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत रोजगार सेवा के 43 अधिकारियों को उनके काम पर सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अन्य संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया। संस्थान अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अन्य विकासशील देशों को प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करता रहा। 1986 के दौरान 4 अधिकारी नेपाल, एक अधिकारी श्रीलंका और दो अधिकारी मालवी से आए जिन्होंने विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्ष 1987 के लिए एक प्रशिक्षण केंलेप्टर तयार किया गया और सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना नामक एक राष्ट्रीय योजना वर्षे 1950 में देश में ग्रीष्मोगिकीय विकास और ग्रीष्मोगिक प्रगति के लिए तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती हुई मौग को पुरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु शुल्क की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में कुशल कामगारों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करना, निपुण कामगारों को नियमित प्रशिक्षण देकर ग्रीष्मोगिक उद्यादन में गुणवता और मात्रा बढ़ाना और शिक्षित मुकामों में देशीजगती कम करने के लिए उन्हें उपयुक्त ग्रीष्मोगिक रोजगार के लिए तैयार करना है।

केन्द्रीय सरकार का अम मन्त्रालय इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करता है और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्चा और विभिन्न भानको तथा मानदण्डों का निर्धारण करता है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिपद (एन. सी. बी. टी.) जो एक एपेक्स गैर-सौदिकीय संसाहकार निकाय है सरकार को इस मामले में सलाह देती है। केन्द्रीय अममन्त्री इस परिपद के अध्यक्ष है। इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में ग्रीष्मोगिक प्रशिक्षण संस्थानों (राज्य सरकार तथा प्राइवेट) में 38 इजीनियरी तथा 26 गैर-इजीनियरी व्यवसायों के अनुसार छ भान से दो वर्ष तक होती है और प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वें दर्जे से मैट्रिक्युलेशन या समकक्ष होती है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों का राज्यवार विभाजन दर्शाया गया है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिवेशालय द्वारा अलिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिपद की ओर से सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। यह प्रमाण-पत्र सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार की स्थापनाओं में संगत अधीनस्थ पदों पर भर्ती के लिए एक भान्यता प्राप्त योग्यता है। इस योजना के अन्तर्गत सभी संस्थान सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन हैं। सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण या तो निःशुल्क दिया जाता है या माधूती शिक्षा शुल्क लिया जाता है। दर्ज किए प्रशिक्षणाधियों में से 50 प्रतिशत प्रशिक्षणाधियों को प्रति प्रशिक्षणार्थी 40 रुपये प्रतिमाह की दर में बुत्तिका दी जाती है। प्रशिक्षणाधियों को वर्कशाप के लिए मुफ्त कपडे, लैंकूद तथा चिकित्सा सुविधाएँ और जहाँ पर होस्टल आवास उपलब्ध होते हैं जैसी रियायतें भी दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए सीटों का आरक्षण करने की व्यवस्था भी है। व्यवसाय समितियों के विजेपन मार्गदर्शन के अन्तर्गत व्यवसायों की पाठ्यचर्चा आवधिक रूप से संशोधित की जाती है। नई सामग्रे आते वाली परिकृत ग्रीष्मोगिकी और तेजी से होने वाले नाना उपकरण के साथ मेल खाते हुए व्यवसायों जैसे कि रसायन कम्प्यूटर सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स

आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। टी. बी. एप रिकार्डर और वीसीआर आई भैमे सामान्य विजली उत्पादों के साधनों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए सविस तकनीशियनों की बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिए डी.जी.ई. एण्ड टी. द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सौजन्य से रेफिलो तथा टी.बी. अवसाय और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय के भूतपूर्व आई.टी.आई. प्रशिक्षणाधियों के प्रशिक्षण के लिए एक केश प्रोग्राम शुरू किया गया। डी.जी.ई. एण्ड टी. के उच्च प्रशिक्षण सम्पादनों में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 44 प्रशिक्षण संस्थानों के 56 अनुदेशक प्रशिक्षित किए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपकरण प्रदान किए गए। वर्ष 1986 के दौरान राज्य भरकार/संघ-शासित क्षेत्र के प्रशासन के सौजन्य से अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्रों में छ; मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

उद्योगों के विभिन्न कुशल क्षेत्रों में बुशल जनशक्ति की माँग के कारण श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की सख्ता में तेजी से बढ़ोतारी हुई है। छठी पञ्चवर्षीय योजना के शुरू में केवल 831 श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्र ये जिनकी सीटों की कुल क्षमता 1,92 लाख थी। इसी योजना अवधि के अन्त में इन संस्थानों की सख्ता बढ़कर 1,447 हो गई। 31-12-1986 को यह सख्ता और बढ़कर 1,724 हो गई और सीटों की क्षमता 310 लाख तक बढ़ गई।

इस तथ्य को मानते हुए कि कुशल कामगारों की गुणवत्ता श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण के स्तर पर सीधे निमंर करती है शिल्पकार प्रशिक्षण योजना से सम्बद्ध राज्य निदेशकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि एन सी.बी.टी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड संस्थानों के प्रबन्धन द्वारा बनाए रखे जाएं। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, अम मन्त्रालय ने सम्बद्ध प्रक्रिया तैयार की है जिसमें योजना के अन्तर्गत नए संस्थानों के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश और एन.सी.बी.टी. के साथ सम्बद्ध संस्थानों के बारे में ग्रनेक अन्य बातें शामिल हैं। सम्बन्धित राज्य निदेशक के अनुरोध पर स्वाई समिति द्वारा संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है और केवल उन्हीं संस्थानों/व्यवसायों को एन.सी.बी.टी. के साथ स्थाई सम्बद्ध नों को अनुमति दी जाती है जिन्हे निर्धारित मानदण्डों के अनुकूल पाया जाता है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में मुश्किलों की दृष्टि से अम मन्त्रालय ने हूल में केन्द्र द्वारा प्रत्योक्ति एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत VIIवीं पञ्चवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकार के उन श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो पुराने और घिसे-पिटे उपकरणों को बदलने के लिए 15 वर्ष से पुराने हैं। 10 राज्यों के मुख्यतः अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से आवाद क्षेत्रों में स्थापित चुने हुए श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से, 7वीं योजना के दौरान 20 लाख के कुल वित्तीय परिव्यय बाली केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी शुरू की गई है।

श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राज्यों के प्रशिक्षणाधियों के बीच स्वस्य प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के उद्देश्य से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा नियमित रूप से शिल्पकारों के लिए अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोत्तम शिल्पकारों को मेरिट स्टिफिकेट और 6000 ह का नकद पुरस्कार दिया जाता है। सर्वोत्तम राज्य को भी मेरिट स्टिफिकेट और रॉयल शॉल्ड/ड्राफ्ट प्रदान की जाती है।

श्रीद्योगिक कर्मकारों के लिए अंशकालिक कक्षाएँ

यह योजना थम मन्त्रालय द्वारा 1958 मे उन श्रीद्योगिक कर्मकारों के संदर्भित ज्ञान और व्यवहारिक कौशल को अद्वितीय तथा अपर्याप्त करने की दृष्टि से शुरू की गई थी जिनके पास संस्थानों का कोई उभयद्वय श्रीपञ्चारिक प्रशिक्षण नहीं होता और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उन्हे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सके। इस मन्त्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास मे प्रायोजित कर्मचारियों के निए शाम के समय भ्रशकालिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जो कर्मकार अनुदेशों को समझने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित पाए जाते हैं, उन्हें इन पाठ्यक्रमों मे भर्ती किया जाता है चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। अनेक प्रशिक्षण यूनिटों मे व्यवसाय के प्रकारों के आधार पर एक वर्ष से तीन वर्षों की अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन-तीन माह के प्रत्येक यूनिट मे बांटा जाता है जिसमे व्यवसाय सम्बन्धी विषय को प्रगामी रूप से जामिल किया जाता है और ट्रेड प्रेविटकल, बंकेशाप समरणना और इन्जीनियरिंग ड्राइंग जैसे सम्बद्ध अन्य विषयों को समुचित रूप से जामिल किया जाता है। 4 से 12 यूनिटों मे विभाजित पूरा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद प्रशिक्षणाधियों को एन.सी.बी.टी. के तत्त्वावधान मे प्रायोजित अखिल भारत व्यवसाय प्रतियोगिता मे प्राइवेट उम्मीदवारों के रूप मे बैठने की अनुमति दी जाती है और राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं जो अर्ध-कुशल श्रेणी के तकनीशियनों के अधीनस्थ पदो पर भर्ती के लिए एक माध्यता प्राप्त योग्यता है। इस कार्यक्रम से श्रीद्योगिक कर्मकारों को मान्यता प्राप्त तकनीकी योग्यता हासिल करने के बलावा पर्याप्त कौशल प्रदित करने मे प्रदद गिलती है। यह प्रशिक्षण योजना कुछ राज्यों/संघ सासित क्षेत्रों के चुने हुए श्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और डी.जी.ई.टी. के अधीन सी.टी.आई./ए.टी.आई.ज मे चलाई जा रही है जिनकी सीटों की कुल क्षमता 5000 है।

भूतपूर्व संनिकों का प्रशिक्षण

रक्षा सेवा के उन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जो चेता निवृत्त होने वाले हैं या सेवा-निवृत्त हो गए हैं। रक्षा

मन्त्रालय में डी. जी. आर. के सौजन्य से उनके प्रशिक्षण के लिए ये योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं—

(1) प्री-कम-पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग फॉर डिफेंस पर्सोनल (पी. सी. पी. आर. टी.),

(2) 'आन-दी-जॉब ट्रेनिंग स्कीम' फॉर डिफेंस पर्सोनल ।

पी. सी. आर. टी. के अन्तर्गत, समस्त देश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त होने वाले सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष व्यवसाय के कोशल के साथ सेवा-निवृत्त होने वाले सेवा कार्मिकों को मुसाजित करना है ताकि उन्हे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र के रूप में योग्यता हासिल हो सके। डी. जी. आर. द्वारा उन्हे सेवा निवृत्त होने से पहले प्रशिक्षणार्थियों के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है और समस्त देश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रयोजनायां 1,000 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। 'आन-दी जॉब ट्रेनिंग स्कीम' जो 1981 में शुरू की गई थी, के अन्तर्गत औद्योगिक उच्चमियों द्वारा 10 अलग-अलग व्यवसायों में डी. जी. आर. के परामर्श से निर्दिष्ट विशेष पाठ्यचर्चा के आधार पर सेवा निवृत्त कार्मिकों के लिए कोशल प्रशिक्षण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 9 माह है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एन. सी. डी. टी. के तत्वावधान में डी. जी. ई. एण्ड टी. थम मन्त्रालय के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा व्यवसाय परीक्षा आयोजित की जाती है और सफल कार्मिकों को विशेष व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रत्येक आई टी. आई. में 10 सीटें रक्षा सेवा कार्मिकों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

(शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत)

किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए मानव संसाधनों का विकास एक महत्वपूर्ण अग है। औद्योगिक विकास द्वारा लाई जा रही रिक्लॉ प्रोफाइल के बदलते हुए स्वरूप के कारण होने वाली तेजी से यह समस्या और भी अधिक जटिल बन गई है। इसे ध्यान में रखकर शिक्षु अधिनियम, 1961 की इन उद्देश्यों के साथ संरचना की गई थी—

1. उद्योग में शिक्षुओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम को विनियमित करना ताकि वह केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् द्वारा निर्धारित विहित पाठ्यचर्चा, प्रशिक्षण सम्बन्धी अवधि के मनुरूप हो, और

2. उद्योग में कृषल कामगारों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से ध्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1-1-1963 से वास्तविक रूप से कार्यान्वित किया गया। प्रारम्भ में अधिनियम में व्यवसाय, शिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए परिकल्पना की गई। 1973 में शिक्षु अधिनियम में मशोधन करके इसकी परिधि के अन्दर स्नातक और तकनीशियन शिक्षुओं के रूप में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक- तथा डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण को दाया गया। तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं के रूप में 10+2 व्यावसायिक स्ट्रीम से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को शिक्षु अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत लाने के लिए इसमें पुनः संशोधन किया गया। इस थेली के शिक्षुओं का प्रशिक्षण असेक्षित नियम अधिसूचित करने के बाद जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, शुरू किया जाएगा।

अधिनियम के अनुसार यह जल्दी है कि सावंजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के नियोजक नियमों के अन्तर्गत नियरित निर्दिष्ट व्यवसायों में अकृत कामगारों के अलावा कामगारों तथा शिक्षुओं के अनुपात के अनुसार व्यवसाय शिक्षुओं को नियोजित करे। शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अधिकतम सुविधाओं को पता लगाने के लिए, प्रतिष्ठानों में किए गए गहन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थानों का पता लगाया गया। व्यवसायों की ज़रूरत के अनुसार व्यवसाय शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सम्बन्धी अवधि छ. माह से चार वर्ष तक है। उच्चोग से व्यवसाय में विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सम्बन्धित व्यवसाय समितियों द्वारा आतंग-आतंग व्यवसायों के लिए पाद्यवर्यां तंयार की जाती है। सामान्यतः वर्ष में दो बार अर्थात् फरवरी-मार्च और अगस्त-सितम्बर में शिक्षु नियोजित किए जाते हैं।

केन्द्र सरकार सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों में और सम्बन्धित राज्य सरकारें राज्य के सरकारी विभागों/उपक्रमों और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में व्यवसाय शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। यह योजना थम मन्वालय के रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा चलकता, चम्बई, मद्रास, कानपुर, फरीदाबाद और हैदराबाद में स्थापित छ. क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के सहयोग से केन्द्रीय क्षेत्र में और सम्बन्धित राज्य शिक्षुता सनाहकारों द्वारा सम्बन्धित राज्यों में चलाई जाती है। चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण बोर्डों (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्वालय के अधीन स्वायत्त निकाय) द्वारा स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमाधारी शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कटोता किए जाते हैं। लेकिन शिक्षु अधिनियम के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी थम मन्वालय में केन्द्रीय शिक्षुता सनाहकार पर है।
व्यवसाय शिक्षु

31 दिसंबर, 1986 को केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र की स्थापनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं की संख्या 1,31,486 थी। शिक्षुओं की भर्ती में अनुसूचित जाति/व ज. जा., अल्पसंस्कृतों, विकलांगों और महिलाओं के साथ

उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के बारे में ध्यान रखा गया है। 31-12-86 को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1,31,486 व्यवसाय शिक्षुओं में से इन श्रेणियों से सम्बन्धित शिक्षुओं की संख्या अनुसूचित जांति 13,227, अनुसूचित जनजाति 3,441, अल्पसंख्यक 21,223, विकलांग 526 और महिलाएँ 3,721 थी। अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत 134 निर्दिष्ट व्यवसायों में शिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए उद्योगों की 217 श्रेणियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। इन 134 व्यवसायों को 29 व्यवसाय ग्रुपों जैसे कि मशीन शाप ट्रेड ग्रुप, काउंडरी ट्रेड ग्रुप, रेफिनरीटर और वातानुकूलन आदि में वर्गीकृत किया गया है।

शिक्षुओं के लिए जैशिक योग्यताएँ 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण या इसके समकक्ष से हायर सेकेण्डरी/पी.यू. सी उत्तीर्ण या इसके समकक्ष तक है। इन व्यवसायों में से प्रत्येक व्यवसाय के बारे में निर्दिष्ट व्यवसायों की सूची, प्रशिक्षण की अवधि और कुण्डल श्रमिकों के प्रतावा श्रमिकों में शिक्षुओं का अनुभात अनुबन्ध-IV में दिया गया है।

व्यवसाय और उद्योग की बद्दती हुई प्रौद्योगिकी की मांग को ध्यान में रखते हुए, शिक्षु-अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए पाठ्यचर्या की व्यवसाय समितियों द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। 1984-85 और 1985-86 के दौरान क्रमशः 55 और 22 निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए पाठ्यचर्या संशोधित और कार्यान्वित की गई। बाकी निर्दिष्ट व्यवसायों की पाठ्यचर्या की पुनरीक्षा करने के लिए व्यवसाय समितियाँ/विजेयज्ञ विचार कर रहे हैं।

सम्बद्ध अनुदेश (आर आई.)

सभी व्यवसाय शिक्षुओं को सम्बद्ध अनुदेश वेसिक प्रशिक्षण सहित समुचित मेंदान्तिक ज्ञान से सुसज्जित करने के लिए दिए जाते हैं। सम्बद्ध अनुदेश समुचित सरकार के खर्च पर प्रदान किए जाते हैं। तथापि जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब ये अनुदेश प्रदान करने के लिए सभी सुविधाएँ देने का खर्च नियोजक द्वारा बहुन किया जाता है और जिसकी बाद में प्रतिपूर्ति की जाती है। सम्बद्ध अनुदेश का खर्च हाल में 12 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति माह प्रति शिक्षु करके संशोधित किया गया है।

व्यवसाय परीक्षा

प्रशिक्षण के समाप्त होने पर शिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात् अप्रैल और नवम्बर में परीक्षा ली जाती है। सफल शिक्षुओं को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

शिक्षुओं के लिए कौशल प्रतियोगिता

शिक्षुओं में और उन प्रतिष्ठानों के बीच में भी, प्रतियोगिता की भावना, प्रतिपादित करने हेतु से 7 निर्दिष्ट व्यवसायों अर्थात् किटर, मशीनिस्ट, 'टर्नर', बैल्डर, मोल्डर, विजली मिस्ट्री, मैकेनिकल मोटर बाहुन में अखिल भारतीय आधार पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

पुरस्कार और योजना

- (i) अखिल भारत प्रतियोगिता में प्रत्येक व्यवसाय के सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सटिफिकेट और 6,000 रुपये का नकद इनाम ।
- (ii) अखिल भारत प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में सर्वोत्तम प्रतिष्ठान को भारत के राष्ट्रपति की ओर से ट्राफी घोर सम्मान सटिफिकेट ।
- (iii) ध्येत्रीय प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में प्रत्येक ध्येत्र. में प्रत्येक व्यवसाय के सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सटिफिकेट ।
- (iv) ध्येत्रीय प्रतियोगिता में सभी व्यवसायों में सर्वोत्तम प्रतिष्ठान को मेरिट सटिफिकेट ।
- (v) स्थानीय प्रतियोगिता स्तर पर प्रत्येक व्यवसाय में सर्वोत्तम शिक्षु को मेरिट सटिफिकेट ।

स्नातक और तकनीशियन शिक्षु

इस अधिनियम के अधीन स्नातक तथा तकनीशियन शिक्षुओं की शिक्षुता प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं का प्रशासन शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (एच. आर. डी.) द्वारा किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के 71 विषय निर्दिष्ट किए गए हैं।

वृत्तिका

शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक शिक्षु को निम्नलिखित त्यूनर्टम दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है—

| | |
|---|---------------------|
| (1) व्यवसाय शिक्षु | |
| प्रथम वर्ष | 230 रुपये प्रति माह |
| द्वितीय वर्ष | 260 रुपये प्रति माह |
| तृतीय वर्ष | 300 रुपये प्रति माह |
| चौथा वर्ष | 350 रुपये प्रति माह |
| (2) इंजीनियरी स्नातक | 450 रुपये प्रति माह |
| (संस्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए) | |
| (3) डिप्लोमा संस्थानों से सेंट्रिविच कोर्स के छात्र | 350 रुपये प्रति माह |
| (4) डिप्लोमाधारी | 320 रुपये प्रति माह |
| (संस्थागत प्रशिक्षण के बाद के लिए) | |
| (5) डिप्लोमा संस्थानों से सेंट्रिविच कोर्स के छात्र | 250 रुपये प्रति माह |

सभी येणी के शिक्षुओं को दी जाने वाली वृत्तिका की दरे बढ़ाने सम्बन्धी मामला केंद्रीय शिक्षुता परिषद् ने अनुमोदित कर दिया है और यह भारत सरकार के दिक्काराधीन है।

चूंकि शिक्षु अधिनियम, 1961 लगभग 26 वर्ष से कार्यान्वित किया जा रहा है, इसलिए इस अधिनियम की व्यापक पैमाने पर पुनरीक्षा करने की ज़रूरत महमूस की गई है। इस प्रयोजनार्थ गठित कार्यदल ने क्षेत्रीय मोटिव्यो के दौरान की गई सिफारिशों और प्रश्नावली के संदर्भ में प्राप्त उत्तरों के आधार पर कई सिफारिशें की हैं। केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् ने 27 नवम्बर, 1986 को हुई अपनी अन्तिम बैठक में ये सिफारिशें अनुमोदित की हैं। शिक्षु अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाने की इष्टि से इन सिफारिशों की आगे जाँच की जा रही है।

शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण

कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लुधियाना और हैदराबाद में स्थित उच्च प्रशिक्षण संस्थान (जो पहले सी टी आईजे थे)¹ और मद्रास में स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक प्रशिक्षणाधियों को आद्योगिक कौशल सम्बन्धी तकनीकों के घारे में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो बाद में उद्योग के लिए कुशल जन-शक्ति को प्रशिक्षित करते और उपलब्ध कराते हैं।

ये संस्थान एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों की शृंखला चलाते हैं, जो कौशल विकास एवं अध्यापन सम्बन्धी सिद्धान्तों दोनों में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पुनर्शर्यार्थ पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ताकि अनुदेशकों के ज्ञान और जानकारी को बढ़ाया तथा आधुनिक बनाया जा सके और उद्योग में प्रौद्योगिकीय विकास सम्बन्धी नवीनतम जानकारी से उन्हें अवगत कराया जा सके। ए. टी. आई., कानपुर और ए. टी. आई., हैदराबाद में पायलट आधार पर अगस्त, 1983 से शिल्प अनुदेशकों के लिए माइपूलर प्रकार के प्रशिक्षण को शुरू किया गया और इसका अगस्त, 1984 से सी टी आई., मद्रास में विस्तार किया गया।

सभीक्षाधीन अवधि के दौरान, विभिन्न व्यवसायों में उपरिलिखित छ: संस्थानों में सीटों की संख्या 1,144 थी। 31-12-1986 को हाजरी रजिस्टर पर 11,625 प्रशिक्षणार्थी दर्ज थे।

कुछ चुने हुए विशेष व्यवसायों में अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ जारी रखी गई जैसे उच्च प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई में बुनाई के व्यवसाय में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में होटल और केटरिंग के व्यवसायों में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में प्रिंटिंग के व्यवसायों में, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना में कार्म भेकेनिक के व्यवसायों में उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर, कलकत्ता और लुधियाना में मिल राइट के व्यवसायों में तथा उच्च प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता में प्रशिक्षण मेंडोलॉजी के उच्च पाठ्यक्रमों में।

व्यावसायिक महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिलाओं के लिए नाना प्रकार के प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने की इष्टि से, सीडा आई एन. घो. के सहयोग से मार्च, 1977 में महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), नई दिल्ली का दर्जा बड़ाकर उसे

राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, दिल्ली के नाम से, तबदील किया गया था और बद्वई, बगलौर और विवेन्द्रम में 3 धेशीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान तीन टायर टिस्टम में प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करते हैं तामतः प्रधिक रोडमार की सम्भावना धांडे कुद्द चूने हुए धृष्टसप्तमे में बुनियादी कौशल, उच्च कौशल और अनुदेशक प्रशिक्षण। स्कूल छोड़े हुए प्रशिक्षणार्थी, स्नातको और मोजूदा महिला कर्मकारों को शामिल किया जाता है (मनुवन्व 7)। इन संस्थानों द्वारा शृहणियों के लिए यथासम्बन्धीय कालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दिसम्बर, 1986 के मन्त्र तक इन संस्थानों द्वारा लगभग 4,911 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इन संस्थानों की प्रशिक्षण समता दिसम्बर, 1983 में 537 प्रशिक्षणार्थियों से बढ़ाकर दिसम्बर, 1986 में 684 कर दी गई।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं को विभिन्न राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुरुष और महिलाएँ दोनों दाखिल हो सकते हैं, तथापि महिलाओं के लिए अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि उपादान से उपादा महिलाओं को प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके। इस समय, महिलाओं के लिए अलग से 104 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों में महिलाओं के लिए कुल सीटों की अमता लगभग 1,500 है।

इस कार्यक्रम के मन्तर्गत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ बढ़ाने की हाईट से उपर्युक्त योजना सम्बन्धी स्कीमें तैयार की गई हैं जिन्हे 7वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयित करने के लिए योजना आयोग द्वारा पहले ही प्रनुभोदित कर दिया गया है। 7वीं पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 5 और धेशीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व रने के अलावा इन योजनाओं में मोजूदा सुविधाओं का विस्तार और कौशल के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नामांतरण की परिकल्पना की गई है। इसमें महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/विग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना भी शामिल है। एत. वी. टी. आई. नई दिल्ली के लिए एक भवन तो एडा, उत्तर प्रदेश से बन रहा है और अब भवन के तंयार होने के बाद इस सम्पादक को नए परिसर में ज़िपट करने का निर्णय लिया गया है।

उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण

उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और मन्तर्याष्ट्रीय थम संगठन (आई.एल.ओ.) की सहायता से 1968 में की गई थी जिसका उद्देश्य कार्यरत औद्योगिक मजदूरों और तकनीशियनों

के कौशलों को उन्नतिशील और व्यापक बनाने के लिए अल्प-अधिक के उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था। प्रशिक्षण सीटों की सदैव अत्यधिक बढ़ती हुई माँग के अनुरूप ये पाठ्यक्रम छह लाखदायक रिक्त हुए। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब मद्रास में स्थित यह सत्यान प्रशिक्षण माँग को अकेला पूरा नहीं कर सका और देश में अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) और अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (आई.एल.ओ.) के सहयोग से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन कार्यरत 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थान और 15 राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत 16 चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करते हुए एक परियोजना अक्टूबर, 1977 में उच्च व्योदसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के रूप में शुरू की गई।

इम प्रणाली के अधीन ये प्रशिक्षण कार्यक्रम माहूलर आधार पर बनाए गए हैं ताकि इस शृंखला से एक या इससे अधिक माहूलों का व्यवन करके एक कर्मकार अपने कौशल क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर सके। इस प्रणाली के अन्तर्गत घनेक उच्च कृशलता प्राप्त क्षेत्रों में 2 से 12 सप्ताह की अवधियों के नियमित पूर्ण-कालिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

दिसम्बर, 1986 के अन्त में ए.बी.टी.एस. परियोजना के अन्तर्गत 50,455 औद्योगिक कर्मकारों ने प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया। 1986 के दौरान परियोजना के अन्तर्गत लगभग 9,800 औद्योगिक कर्मकारों/तकनीशियों ने प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया।

डी.जी.ई.एण्ड.टी.के अधीन 6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में केवल देशी समाजों के साथ नए क्षेत्रों में विस्तार तथा नानारूपकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के चरण-1 के अन्तर्गत शामिल 22 केन्द्रों के अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने 25 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्रूमेंटेशन सम्बन्धी
उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम

हैदराबाद और देहरादून में स्थापित दो इलैक्ट्रॉनिक्स एवं प्रोसेस इस्ट्रूमेंटेशन संस्थानों में उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

हैदराबाद में इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इस्ट्रूमेंटेशन सम्बन्धी उच्च प्रशिक्षण संस्थान, स्वीडिग अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) की सहायता से स्थापित किया गया था, अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन इस परियोजना योजना के लिए कार्यकारी एजेंसी है। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(1) उद्योग की आवश्यकतानुसार औद्योगिक, मेडिकल और घरेलू इलैक्ट्रॉनिकी और प्रोसेस इस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्रों में तकनीशियन स्तर पर उच्च

कुशलता प्राप्त कामिको को विभिन्न प्रवधि के पाठ्यक्रमों को आयोजित करके प्रशिक्षित करना।

(2) उच्च प्रशिक्षण संस्थानों, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों प्रीर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों तथा अन्य चुने हुए द्वेषों में प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण पुस्तकर्चा एव अप्रेंटिंग प्रशिक्षण प्रदान करना।

जनवरी, 1976 में इस संस्थान ने अल्पावधि पाठ्यक्रम चालू करके कार्य करना शुरू कर दिया।

इलैक्ट्रॉनिक्स तथा प्रोसेस इन्स्ट्रूमेटेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में एक दूसरा उच्च प्रशिक्षण संस्थान दिसम्बर, 1981 में देहरादून (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया।

दिसम्बर, 1986 के अन्त तक अशक्तिकालिक तथा दीर्घकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। जिनमें 6554 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इन संस्थानों में आयोजित आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम उद्योग में लोकप्रिय हो गए हैं।

फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर और जमशेदपुर

बंगलौर और जमशेदपुर में स्थित एफ. टी. आई. मे उद्योग से पर्यवेक्षकों/फोरमैनों के कोशल और प्रीद्योगिकी योग्यता में सुधार सार्वत्री के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

जर्मन संघीय गणराज्य मे बड़ने बुबटम बग्गे राज्य के सहयोग से बंगलौर में स्थापित संस्थान, पूर्णकालिक और अशक्तिकालिक पाठ्यक्रमों द्वारा तकनीकी और प्रबन्धकीय कौशलों मे विद्यमान और सम्भावित जाप फोरमैनों पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा सचालित करने के लिए उत्तरदायी है।

पर्यवेक्षकों/फोरमैनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास मे निम्नलिखित 'उद्देश्य प्राप्त करना है—

- (क) उसके कोशल और तकनीकी योग्यता में सुधार लाना।
- (ख) अधिक शाप-डोर दायित्वों को स्वीकार करने के लिए उसका विकास करना।
- (ग) उसे उच्च उत्पादकता की आवश्यकता से संबंधित करना।
- (घ) व्यक्तियों, मशीनों और सामग्री के पूर्ण और प्रधिकतम उपयोग के लिए उसे औद्योगिक इंजीनियरी की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने मे प्रशिक्षित करना।
- (ड) उन व्यक्तियों के साथ समस्याओं का समाधान करना और शिकायतों को दूर करने सम्बन्ध उसके कोशल मे विकास करना, कर्मचारियों के मनोवृत्त और टीम भावना को सुधारना।

- (च) मधी स्तरों पर महयोग और समन्वय लाने की योग्यता का विकास करना ।
- (छ) अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए उसके कौशल का विकास करना ।
- (ज) सुधार और समूचित हाउस कोर्पिंग से उसे सचेत करना ।
- (झ) उपकरणों और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने और उसका उपयुक्त ग्रनुरक्षण करने में उसकी क्षमता का विकास करना ।
- (ञ) लागत कम करने, क्वानिटी सुधारने और उत्पादन बढ़ाने में उसकी समस्त क्षमता को विकसित करना ।

फोरमेनों और पर्यंवेक्षकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी, बड़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्टूबर, 1982 में जमशेदपुर में एक दूसरा फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया । इस संस्थान को जिसे छोटे पैमाने पर छूट किया गया था, बगलौर में स्थित दूसरे संस्थान के समान कार्य करेगा ।

दिसम्बर, 1986 के अन्त तक इन संस्थानों में 6,938 फोरमेनों/पर्यंवेक्षकों को दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है । इन पाठ्यक्रमों को प्रवन्धतन्त्र के निम्न और मध्यम स्तरों पर पर्यंवेक्षी कार्मिकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से तैयार किया गया है ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान, कर्मचारी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का विकास

केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्टारी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा जर्मन मधीय गणराज्य सरकार के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 1968 में की गई थी । यह संस्थान इन तीन विगो के माध्यम से अपने कार्यकलाप चलाता है—

(1) प्रशिक्षण विग—प्रशिक्षण विग का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक व प्रशिक्षण संस्थानों, उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशिक्षण विभागों के कार्यकारी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करना और उन्हें आयोजित करना तथा सारे देश में सरकार के और उद्योग के उच्च प्रशासकों के लिए जो औद्योगिक प्रशिक्षण की आयोजना प्रोर निष्पादन में सगे हुए हैं, सेमिनारों और कार्यशालाओं को आयोजित करना है ।

इस संस्थान ने अपने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा दिसम्बर, 1986 के अन्त तक 5,076 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया ।

(2) अनुसंधान विग—अनुसंधान विग का कार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिनिखित पहलुओं पर समस्या अभियुक्त अनुसंधान आयोजित करना है ।

- (क) व्यवसाय पाठ्यचर्चा सम्बन्धी विकास।
- (ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी पढ़तियों का विकास।
- (ग) प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्री का विकास पर्याप्त वेदीकृत प्रबन्ध वैकं।
- (घ) सर्वेक्षणों के माध्यम से गुणात्मक कोशल विश्लेषण।
- (इ) उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों को परामर्शदात्री सेवाएं।

अनुसंधान के क्षेत्र में, इस संस्थान ने प्रशिक्षण के लिए विभिन्न पहलुओं पर अभी तक 97 परियोजनाओं को पूरा किया है।

(3) विकास विग—विकास विग का कार्य, जिम्नलिंगित में श्रीदोषिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रयोगी निष्पादन के लिए, जैकलिङ्क सिद्धान्तों पर प्राप्तार्थित प्रशिक्षण सामग्रियों और सहायों को तैयार और उत्पादित करना है—

- (क) लिंगित अनुदेशात्मक सामग्री
- (ख) माहूल
- (ग) माहलो/प्रोटोटाइपो को ड्रॉइंग
- (घ) स्नाइड/ट्रासप्रेसीज

यह संस्थान, एक आधुनिक कार्यशाला, प्रयोगशालाओं, पाठ्यचर्चा विकास में, तकनीकी सूचना संन, सी. सी. टी. वी. के साथ दायर-श्रव्य मुविधाओं और चर्चा कम्बरों और प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रवेषण सहित अच्छे माटाक वाले एक पुस्तकालय में सुसज्जित है।

उपरोक्त करने वाले मंगठनों की लिंगित अनुदेशात्मक सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए, सुप्रसिद्ध प्रवाशनों द्वारा तैयार की गई पुस्तकों को प्रकाशित कराने की व्यवस्था भी की गई है। ये प्रकाशन श्रीदोषिक प्रशिक्षण संस्थानों और आग्रे प्रशिक्षण केन्द्रों को इन पुस्तकों की विक्री और वितरण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय थम संस्थान

राष्ट्रीय थम संस्थान ने 1 जुलाई, 1974 से कार्य करना आरम्भ किया। इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य जिम्नलिंगित की व्यवस्था करना है—

शिक्षा, प्रशिक्षण और दिशामान,
अनुसंधान जिम्मे कार्य अनुसंधान शामिल है,
परामर्श, और
प्रकाशन तथा ऐसे अन्य कार्यकलाप जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाए।

ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन—इस मम्बान ने विभिन्न राज्यों में ग्रनेक ग्रामीण अभियानों का आयोजन किया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य

ग्रामीण श्रमिकों के आयोजकों को ग्रामीण, श्रमिकों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों और विनियमों के उपबन्धों का ज्ञान प्राप्त कराना तथा उन्हें विकास कार्यकलापों (जो कि ग्रामीण श्रमिकों के नाभ के लिए बनाए गए हैं) में सहित विभिन्न केन्द्रीय और स्थानीय सरकार तथा स्वैच्छिक श्रमिकरणों के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करना है। नेतृत्व योग्यता का विकास करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं।

अनुसन्धान परियोजनाएँ—यह संस्थान विविध अनुसन्धान परियोजनाएँ चलाता है जो श्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित मामलों के बारे में हैं। इनमें से महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं—

- (1) मजदूरी विकास का अर्थशास्त्र।
- (2) उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के एक बड़े उपक्रम में पारिवारिक जीवन के स्तर और कार्य-जीवन के स्तर का अध्ययन।
- (3) दक्षिणी और पूर्वी एशिया में संरचनात्मक द्विविधत (स्ट्रक्चरल ड्यूटिज्म) के अन्तर्गत आर्थिक विकास, सन् 1950-70।
- (4) तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के एक सफल उपक्रम में संगठन में कार्य की नवीन प्रक्रिया सम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन।
- (5) भारत हैवी इलेक्ट्रॉकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में वर्क रीडिजाइन सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान।
- (6) दिल्ली में राजस्थानी प्रवासी श्रमिकों के सम्बन्ध में अनुसन्धान अध्ययन तथा उनके जीवन और समुदाय पर प्रभाव।
- (7) शिमला के एक डाकघर में कार्य-पद्धति और कार्य-जीवन के अव्ययन के लिए कार्य अनुसन्धान परियोजना।
- (8) संगठनात्मक बातावरण के सम्बन्ध में अस्पताल में कार्य के लिए प्रेरणा सम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन।
- (9) एलिप्रेनेशन इफियोसी तथा वर्क कमिटमेण्ट सम्बन्धी अध्ययन।
- (10) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, महरोनी रोड, शास्त्रा, गुडगांड में जॉब रीडिजाइन की संकल्पना का प्रयोग करते हुए श्रमिक सहभागिता सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान।
- (11) समाजित ग्रामीण क्षेत्र विकास सम्बन्धी नीति के मूल्यांकन का अनुसन्धान, पश्चिमी बंगाल में तीन मामला अध्ययन।
- (12) ग्रामीण असुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के कार्यालय में वर्क कमिटमेण्ट सम्बन्धी कार्य अनुसन्धान परियोजना।
- (13) पतन और गोदी के नियोजकों और श्रमिकों द्वारा स्वैच्छिक विदाचन स्थिति सम्बन्धी सर्वेक्षण।
- (14) प्रेरियन स्ट्रक्चर टेन्शन, मूवमेंट्स एण्ड पेजेन्ट अण्डेनाइजेशन इन इण्डिया।

परामर्श कार्यक्रम—इस 'संस्थान' का व्यावसायिक स्टॉफ अनेक संगठनों के नेतृत्वात् अध्ययनों, समस्याओं के समाधान के कार्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने तथा चलाने में लगा हुआ है।

प्रकाशन—यह संस्थान एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करता है जिसके राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान व्यापक ग्राहक हैं। यह संस्थान एक मासिक पचाट सार संग्रह भी प्रकाशित करता है जिसमें अम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अम मामलों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश दिया जाता है। इनके प्रतिरिक्त यह संस्थान अभिको से सम्बन्धित चुने हुए विषयों के बारे में सामयिक लेखा सीरीज भी जारी करता है।

भावी कार्यक्रम—इस संस्थान द्वारा अम अधिकारियों, केन्द्रीय शोधोगिक सम्बन्ध तन्त्र के अधिकारियों और राज्य एवं अद्व-सरकारी विभागों के अम कल्याण अधिकारियों के लिए चार-चार सप्ताह की अवधि के बर्य में तीन शिक्षा कार्यक्रमों का ग्राह्योजन करने का प्रस्ताव है।

सामाजिक सुरक्षा का संगठन और वित्तीयन; ब्रिटेन, संयुक्तराज्य प्रमेरिका और सोवियत संघ में सामाजिक सुरक्षा का सामान्य विवरण; भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति

(Organisation and Financing of Social Security; Social Security in U.K., U.S.A. and U.S.S.R.; General Position of Social Security in India)

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ

(The Meaning of Social Security)

“सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी राज्य के ढाँचे का एक खम्भा है। सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से राज्य प्रत्येक नागरिक को एक दिए हुए जीवन-स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करता है।”¹ “सामाजिक सुरक्षा एक गतिशील विचारधारा है जो कि विकसित देशों में निर्धनता, बेरोजगारी और बीमारी को समाप्त करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अत्यन्त आवश्यक धारा है।”² “वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा आधुनिक भुग की एक गतिशील विचारधारा है जो सामाजिक व धार्यक नीतियों को प्रभावित कर रही है। यह एक सीमित साधनों वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है जो कि अपने आप अयवा अन्य लोगों के संयोग से प्राप्त नहीं कर सकता है।”³

कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि प्रत्येक नागरिक को निश्चित जीवन-स्तर बनाए रखने में मदद करे। प्रत्येक व्यक्ति बचपन और वृद्धावस्था में दूसरे पर आश्रित रहता है। इन मवस्थाओं में उसको सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा अपने सदस्यों को

1 Vaid, K. N. : State and Labour in India, p. 109

2 Saxena, R. C. : Labour Problems & Social Welfare, p. 349.

3 Giri, V. V. : Labour Problems in Indian Industries, p. 246

उनके जीवन-काल में किसी भी समय घटने वाली प्रतेक आकस्मिकताओं के विहृद प्रदान की जाती है। इन आकस्मिकताओं में प्रशुतिका, बृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थना दुर्घटना, ग्रोटोगिक बीमारी, बेरोजगारी, मृत्यु, बच्चों का पालन-पोषण आदि प्रमुख हैं। इन आकस्मिकताओं के विहृद अकेला व्यक्ति अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है। इन सामाजिक सुरक्षा उपायों से व्यक्ति विभिन्न आकस्मिकताओं के विषय में निश्चिन्ता हो जाता है तथा हचि और मन नगार कर कायं करता है। इससे उनकी कायं-धनता पर बुरा भस्तर नहीं पड़ता है।

सर विलियम बेवरिज (Sir William Beveridge) के अनुसार, "सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एक ऐसी योजना से है, जिसके द्वारा आवश्यकता, बीमारी, भ्रान्ति, फिजूल खर्चों और बेकारी—जैसे राजसों पर विजय प्राप्त की जा सके।"

अन्तर्राष्ट्रीय थम समठन (International Labour Organisation) के अनुसार ऐसी आकस्मिकताएँ जो बाल्यावस्था से बृद्धावस्था और मृत्यु के अतिरिक्त बीमारी, प्रशुति, असमर्थना, दुर्घटना और ग्रोटोगिक बीमारी, बेरोजगारी, बृद्धावस्था कमाने वाले की मृत्यु और इसी प्रकार के अन्य सहारों से सम्बन्ध रखती है, के निए सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। एक व्यक्ति इन आकस्मिकताओं में सभ्य आवश्यक अन्य किसी व्यक्ति की सहायना से अपने आप मदद नहीं कर सकता है।¹

ग्रोटोगिकरण के पूर्व इन आकस्मिकताओं में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस समय सबुत्त परिवार प्रथा, जाति प्रथा, ग्रामीण समुदाय और धार्मिक सम्प्रताएँ विद्यमान थी। इन सम्प्रताएँ द्वारा मधी प्रकार की आकस्मिकताओं के विहृद सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ग्रोटोगिक विकास के साथ-साथ इन सम्प्रताओं का विचटन हो गया। ग्रामीण लोग शहरों में जाकर बसने लगे और उनका ग्रामीण क्षेत्र में कोई सम्पर्क नहीं रहा। ग्रोटोगिकरण से देश की प्रगति हुई और भौतिक कल्याण में भी बढ़दि हुई है। फिर भी इसके कारण से कई बुराइयों को भी जन्म मिला है, जैसे—ग्रोटोगिक बीमारी और दुर्घटनाएँ, बेरोजगारी, आदि। इसके साथ ही मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों में भी परिवर्तन आ जाने से इन आकस्मिकताओं के विहृद अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता।

प्रोफेसर सिंह एवं सरन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा प्राकृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और आविष्कार कारणों से उत्पन्न असुरक्षाओं के विहृद सुरक्षा प्रदान करने का एक उपाय है। प्राकृतिक सुरक्षा में मृत्यु या बीमारी, सामाजिक असुरक्षा में धारावास्था से ज्ञातपन्न दोष, व्यक्तिगत असुरक्षा कायंधनता का कम होना, आधिक असुरक्षा में कम भजद्वारी प्राप्त होना अथवा बेरोजगारी होना आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना, पुनरुद्धार करना और इन पर रोक लगाना होता है।

प्रो. बी. पी. ग्रामारकर के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा इसके सदस्यों को प्रदान की जाती है जो कि आकस्मिकताओं के शिकारी हो

¹ International Labour Office, Approach to Social Security, p. 1.

जाते हैं। ये जोखिमें जीवन की आकर्षितताएँ हैं जिनके विषद् व्यक्ति अपनी सीमित प्राय से लड़ाई नहीं तड़ सकता है और न ही वह इनके बारे में अनुमान लगा सकता है तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर भी सुरक्षा नहीं कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य (Aims of Social Security)

व्यक्ति की आकर्षितताओं की सुरक्षा हेतु समाज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सामाजिक सुरक्षा के उपाय तीन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं—

1. अतिपूर्ति करना (Compensation)—सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत अनिपूर्ति करने का सम्बन्ध प्राय से होता है। किसी श्रमिक की कार्य करते समय मृत्यु होने पर यथवा दुर्घटना होने पर उनके आयितों व स्वयं उसके लिए निश्चित रूप से आय प्रदान करना ही इसके अन्तर्गत आना है। भारत का क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act of 1923) इसका एक उदाहरण है।

2. पुनरुद्धार (Restoration)—इसके अन्तर्गत श्रमिक के बीमार होने पर उसका इनाज करवाना, फिर से रोजगार देना आदि आते हैं। भारतीय कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948) इसका एक उदाहरण है।

3. रोक लगाना (Prevention)—प्रौद्योगिक बीमारियों, बेरोजगारी, अममर्यादा आदि के कारण से उत्पादन क्षमता के नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इससे समाज का मानसिक और नैतिक कल्याण होता है।

सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र (Scope of Social Security)

सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक शब्द है। - इसमें सामाजिक बीमा (Social Insurance) और सामाजिक सहायता (Social Assistance) के अतिरिक्त व्यापारिक बीमा से सम्बंधित कुछ योजनाओं को भी शामिल किया जाता है। किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना में सामाजिक बीमा एक महत्वपूर्ण तत्व है।

सामाजिक बीमा वह योजना है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों, मालिकों और राज्य द्वारा एक कोष का निर्माण अंशदान द्वारा किया जाता है। इस कोष में से बीमा करने वाले श्रमिक को अधिकारपूर्ण लाभ मिलता है। ये लाभ बीमारी, छोट, प्रसूति, बेरोजगारी, वृद्धावस्था पेंशन आदि के समय मिलते हैं। उदाहरणार्थ हमारे देश में राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ इसके अन्तर्गत ही आते हैं।

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत विपक्षीय योगदान से एक कोष बनाया जाता है। श्रमिक का अंश कम रखा जाता है। श्रमिकों को निश्चित सीमाओं में लाभ प्रदान किए जाते हैं। यह अनिवार्य योजना है। यह व्यक्तिगत दुखों को दूर करता है।

सामाजिक सहायता (Social Assistance) वह सहायता है जो समाज द्वारा निर्धन और ज़हरतमन्द लोगों को स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। थमिकों की स्थितिपूर्ति करना, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था में पेशन आदि सामाजिक सहायता के अन्तर्गत आते हैं। सामाजिक सहायता पूर्ण रूप से सरकारी साधनों पर निर्भर है। यह व्यक्ति को निश्चित परिस्थियों या शर्तों पर ही प्रदान की जाती है।

सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा की पूरक है न कि स्थानापन्न। फिर भी सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अन्तर है। सामाजिक सहायता सरकारी योजना है जबकि सामाजिक बीमा थमिकों, मालिकों और सरकारी अधिकारी पर निर्भर है। सामाजिक सहायता निश्चित शर्तों पर ही जाती है जबकि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत बीमा कराए व्यक्ति को सीमित लाभ मिलेंगे। दोनों साध-साध चलती हैं।

सामाजिक बीमा और व्यापारिक बीमा (Commercial Insurance) दोनों में अन्तर है। सामाजिक बीमा अनिवार्य तथा व्यापारिक बीमा ऐच्छिक है। व्यापारिक बीमा के अन्तर्गत लाभ प्रीमियम के आधार पर दिए जाते हैं जबकि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत लाभ थमिकों के अधिकारी से अधिक मिलते हैं। व्यापारिक बीमा केवल व्यक्तिगत जोखिम के लिए प्रदान किया जाता है जबकि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत न्यूनतम जीवन-स्तर बनाए रखने के लिए लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक योजना है। इसमें सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दोनों को शामिल किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा का उद्गम और विकास

(Origin & Growth of Social Security)

सामाजिक जोखिमों को पूरा करने का तरीका भूतकाल में गरीब राहत पद्धतियाँ थीं। कई देशों में अधिनियम पास किए गए थे। सामाजिक सहायता देना समाज का दायित्व समझा जाता था। सबसे पहले 1601 में इंग्लैण्ड में सामाजिक सहायता हेतु निर्धन कानून (Poor Laws) पास किए गए। इसके पश्चात धीरे-धीरे सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता की मात्रा और किसमें सुधार किया गया। अब सामाजिक सहायता सामाजिक बीमा के पूरक रूप में सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण अग्र बन गई है। इंग्लैण्ड में अनिवार्य बेरोजगार बीमा (Compulsory Unemployment Insurance) के साथ-साथ बेरोजगारी सहायता योजनाएं (Unemployment Assistance Schemes) स्थाई और सुध्यवस्थित आधार पर चलाई जा रही हैं।

सामाजिक बीमा (Social Insurance) का उद्गम सर्वप्रथम जर्मनी में 1883 अनिवार्य दुर्घटना बीमा अधिनियम (Compulsory Accident Insurance Act, 1883) पास करने से होता है। इसके पश्चात वृद्धावस्था तथा बीमारी आदि के लिए भी अधिनियम बनाए गए। 1883 के पूर्व भी 1850 और 1833 में अमर्श: कौस और इटली सरकार ने सामाजिक बीमा योजना शुरू कर रखी थी।

1942 में सर बेवरिज द्वारा दी गई व्यापाक सामाजिक बीमा और अन्य सेवाओं पर प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पश्चात् एक कानून का सूत्रपात हुआ। यह रिपोर्ट इंग्लैण्ड में एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, समान कार्य हेतु समान मजदूरी या वेतन, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दोनों में समानता आदि मूलभूत अधिकार एवं जोखिम हैं जिनके लिए एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना अत्यन्त आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन (I.L.O.) ने भी अपने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय थम सम्मेलनों में सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किए हैं और उन प्रस्तावों व सिफारिशों को सदस्य देशों में लागू करवाने का प्रयास सराहनीय रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणों का निर्धारण किया है और इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को तयार करने, कियान्वयन करने और प्रशासन आदि के सम्बन्ध में सदस्य देशों को तकनीकी सलाह दी है। उदाहरणार्थ भारत में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना तयार करने हेतु तकनीकी सलाह दी है।

इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in U. K.)

सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम वर्तमान समय में ब्रिटेन के सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हो गए हैं। ब्रिटेन की सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन ऐतिहासिक क्रमानुसार तीन भागों में विभक्त कर किया जा सकता है—

1. प्राचीन व्यवस्था—निर्धन सहायता कानून,

2. बेवरिज योजना के पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था, एवं

3. बेवरिज योजना और सामाजिक सुरक्षा की अन्य वर्तमान व्यवस्थाएँ।

प्राचीन व्यवस्था

सामाजिक सुरक्षा की भावना ब्रिटेन में अति प्राचीन समय से ही विद्यमान थी। पहले दृढ़ो, निर्धनों तथा विधवाओं की गिरजाघरों द्वारा सहायता दी जाती थी। कुछ व्यक्ति निजी रूप में भी सहायता देते थे। किन्तु गिरजाघरों की अवस्था अच्छी न होने से इस सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। सन् 1536 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें अपाहिजों, निर्धनों और आलसियों को दो प्रकार के मदों में (काम न करने वालों को) बौट दिया गया। अपाहिज निर्धनों को लाइसेन्स दिए जाते थे और वे भिक्षा माँग सकते थे, किन्तु आलसियों को लाइसेन्स नहीं भिक्षा या और वे भिक्षा माँगने पर दण्डित किए जाते थे। इसी वर्ष एक अन्य अधिनियम पास करके निर्धनों को तीन श्रेणियों में बौट दिया गया—बृद्ध और अपाहिज जिनके लिए चन्दा एकत्रित करने की व्यवस्था की गई,

योग्य व्यक्ति जो कार्य चाहते हों, एवं आनंदी व्यक्ति जिनके लिए दण्ड की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम की व्यवस्था अधिक दिनों तक न चल सकी। 1547 में लन्दन में निर्धनों की सहायतार्थ कोष के लिए कर लगाए जाने की एक नई योजना चालू की गई। 1593 में एक तरा निर्धन अधिनियम बनाया गया। 1601 में एक महत्वपूर्ण चरिद्रता अधिनियम बना जिसके द्वारा पढ़ने के सभी अधिनियमों को समर्थित कर एक रूप दिया गया। 1782 के एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम 'गिलबर्ट अधिनियम' के अन्तर्गत न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम है, उन्हें वे 'निर्धन सहायता को' में सहायता दें। यह व्यवस्था अच्छी थी, किन्तु पूँजी अधिकारी ने इसका दुहरायोग किया। और अधिकारी को सहायता दिलाने के उद्देश्य से मजदूरी पटाना प्रारम्भ कर दिया। 1832 में निपुक्त निर्धन कानून आयोग (Poor Law Commission) के प्रतिवेदन के आधार पर 1834 में एक निर्धनना कानून संशोधन अधिनियम (Poor Law Amendment Act) बनाया गया जिसके अन्तर्गत निर्धनों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा कमिशनरों द्वारा निर्धारित की जाने की व्यवस्था की गई। 1905 में सरकार ने निर्धनना की समस्या और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए शाही आयोग बैठाया जिसने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, यथा सुधार-गुड़ों को समाप्त करना, विभिन्न प्रकार की सहायताओं में सांभङ्गिक स्थापित करना, आयु व चरित्र तथा साधनों के आधार पर सम्भालों का बनाना, लेदर एवं सेंजेज व्यवस्था करना, केन्द्र द्वारा निर्धन सहायता कार्य पर नियन्त्रण रखना आदि। आयोग के सुझावों को धीरे-धीरे कार्यान्वित किया गया। परिणाम-स्वरूप निर्धन गहायता की व्यवस्था समाप्त हो गई। सन् 1909 में दृढ़ावस्था पेशन अधिनियम और सन् 1911 में बीमा अधिनियम पारित हुए जिनसे निर्धनों को पर्याप्त लाभ मिला।

सन् 1919 में बेरोजगारी बीमा योजना (Unemployment Insurance Scheme) प्रारम्भ की गई। यह योजना अधिकारी, मालिकों और राज्य के आवादानों पर आधारित है। इसके अन्तर्गत एक व्यक्ति को वर्ष में 15 हफ्ते 7 शिलिंग का साप्ताहिक लाभ प्राप्त हो सकता था, जबकि 18 वर्ष से कम उम्र के अधिकारी इसका केवल आधा ही लाभ दिया जाता था।

सन् 1920 में अनिवार्य राज्य बीमा योजना को सभी जारीरिक प्रो-ज्ञारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों जिनको प्रतिवर्ष 250 पौण्ड से अधिक आय प्राप्त नहीं होती है, पर साधू कर दी गई। आवादान की दरों में वृद्धि कर दी गई। इसके अन्तर्गत योजने वाले लाभों में वृद्धि करके पुण्य अधिक के लिए 15 शिलिंग प्रति सप्ताह और 12 शिलिंग महिता अधिक के लिए कर दिए गए तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले अधिक को इनसे आधा लाभ मिलेगा। सन् 1931 में राष्ट्रीय अन्य-व्यवस्था-अधिनियम (National Economy Act, 1931) पास किया गया जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी बीमा आवादानों में वृद्धि तथा इससे प्राप्त लाभों में

करी कर दी गई। सन् 1934 में श्रमिकों को बगौं में विभाजित कर दिया गया। एक बगैंचह था जिसमें निर्धनता कानूनों के अन्तर्गत सहायता मिलती थी और दूसरे बगैंच में वे श्रमिक रखे गए जो कि बीमा में अवस्था अंशदान देते हैं। सन् 1936 में अंशदानों में परिवर्तन किए गए 1 पुरुष श्रमिक और मालिक द्वारा 9 शिलिंग प्रति सप्ताह तथा महिला श्रमिक द्वारा 8 शिलिंग और राज्य द्वारा इसी के बराबर अंशदान करना निश्चित हुआ। इसी वर्ष कृपि बेरोजगारी हेतु भी एक बेरोजगार बीमा योजना चालू की गई। इसमें मालिक, अनिक और राज्य द्वारा 4·6 शिलिंग और महिला श्रमिक के लिए 4 शिलिंग अंशदान रखा गया। लाभ की दरें पुरुष और महिला श्रमिक हेतु क्रमशः 14 शिलिंग और 12 शिलिंग 6 पैस प्रति सप्ताह तथा वयस्क और अवयस्क के लिए 7 शिलिंग और 3 शिलिंग रखे गए। युद्ध के पश्चात् बेरोजगारी दीमा योजना समाप्त कर दी गई और इसका स्थान सामाजिक सुरक्षा योजना ने ले लिया।

बेवरिज योजना के पूर्व सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था

(Social Security Measures before the Beveridge Plan)

ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के सन्दर्भ में प्राचीन व्यवस्था का उल्लेख हम कर चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में दूसरा चरण हम बेवरिज योजना के पूर्व की सामाजिक व्यवस्था को मान सकते हैं। 1942 में सर किलियम बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही व्यापक योजना प्रस्तुत की थी, जिसे बेवरिज योजना कहा जाता है। इस योजना के आधार पर ही सन् 1946 में कानून बनाकर इंग्लैण्ड के प्रत्येक नागरिक के लिए व्यापक 'सामाजिक सुरक्षा' के लिए की व्यवस्था कर दी गई है। इसमें जीवन में घटित होने वाले प्राय सभी सकटों से सुरक्षा का प्रबन्ध है। किन्तु इस बेवरिज योजना से पूर्व भी इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए जा चुके थे जिन्हे जानना भी उपयोगी है—

(क) श्रमिक क्षतिपूति (Workmen's Compensation)—ब्रिटेन में सर्वप्रथम 'श्रमिक क्षतिपूति' के अन्तर्गत व्यवस्था की गई कि यदि श्रमिक मिल-मालिकों की असावधानी के कारण दुर्घटना-ग्रस्त हो जाएं तो नियोक्ता को उन्हें क्षतिपूति करनी पड़ेगी। सन् 1897 में श्रमिक क्षतिपूति अधिनियम (Workmen's Compensation Act) पास हुआ जिसे उन उद्योगों में लागू किया गया जिनमें जोतिम अधिक थी। यह व्यवस्था की गई कि क्षतिपूति की राशि लेने के लिए श्रमिक न्यायलयों की शरण से सकेंगे। अधिनियम को और अधिक सुधारने के लिए सन् 1906 में एक नया अधिनियम पारित किया गया जो सभी उद्योगों में लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत वे सभी श्रमिक आ गए जिनकी वापिक आय 250 पौण्ड से कम थी। ग्रोटोपिक बीमारियों के लिए भी श्रमिकों की क्षतिपूति की व्यवस्था की गई। श्रमिक कारखानों में काम करते समय पूरी तरह धायल हो जाएं तो उन्हें आजन्म आयिक सहायता दिया जाना निश्चित किया गया।

मृत्यु हो जाने की स्थिति में श्रमिकों के आधिकारों को तीन साल की मजदूरी के बराबर क्षतिगूति दी जाने रुपी व्यवस्था की गई। अधिनियम का दुष्ययोग न किया जाए इसके निए यह शर्त भी रख दी गई कि क्षति जान-बूझकर अथवा श्रमिक की असावधानी के कारण न हुई हो। सन् 1923 में श्रमिक क्षतिगूति अधिनियम में एक सशोधन करके पन्द्रह वर्ष से कम आयु के आधिकारों को अंतिरिक्त सहायता दी जाने की व्यवस्था की गई। साप्ताहिक वृत्ति की दरें भी बढ़ाई गईं। दोपो के बावजूद श्रमिक क्षतिगूति सम्बन्धी यह योजना सन् 1946 तक चलती रही जब तक कि इसका स्थान 'नेशनल इंजरीजन इंडम्प्रूफ इंजरीज रकीम' (National Insurance Injuries Scheme) नहीं ले लिया।

(ख) स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance)—राष्ट्रीय स्वास्थ्य (National Health Insurance) सन् 1911 में चालू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 16 वर्ष से ऊपर और 65 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक जिनकी वार्षिक आय 250 पौंड से अधिक नहीं है, सम्मिलित किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत नकदी और चिकित्सा दो रूपों में लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को 15 शिलिंग, अविवाहित महिला को 12 शिलिंग, विवाहित महिला को 10 शिलिंग, 26 सप्ताहों के लिए बीमारी लाभ (Sickness Benefits) प्रदान करने का प्रावधान है। चन्दे और लाभ की दरों में सामयिक परिवर्तन किए जाते रहे हैं। असमर्थता लाभ (Disablement Benefits) भी क्रमशः 7 शिलिंग, 6 शिलिंग और 5 शिलिंग प्रदान किया जाता है। मातृत्व लाभ में 40 शिलिंग मिलते हैं।

(ग) वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pensions)—यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन अधिनियम, 1908 (Old Age Pensions Act, 1908) के अन्तर्गत चालू की गई। इस योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था सामान्य करों से की जाती है। सन् 1925 और सन् 1929 के अधिनियमों द्वारा सभी व्यक्ति जो स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते थे उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी शामिल कर लिया गया। सन् 1938 में श्रमिकों, महिलाओं और मालिकों को अंशदान क्रमशः 5½ पैस, 3 पैस और 5½ पैस थे। 65 और 70 वर्षों की आयु के बीच वाले पुरुष श्रमिक और महिला श्रमिकों को जिनका बीमा कराया हुआ है, 10 शिलिंग प्रति सप्ताह दिया जाता था। इसके साथ श्रमिकों की महिलाओं को भी 10 शिलिंग प्रति सप्ताह दिया जाता था। सन् 1925 में विधवा मातायों और निधनों को भी अंशदान के आधार पर पेंशन योजना का लाभ दिया जाने लगा।

सामाजिक बीमा योजनाओं के अंतिरिक्त पेंशन योजना, वर्धन योजना, वेरोजनारी लाभ योजना आदि मालिकों द्वारा चालू की गई थी। वेवरिज योजना के पूर्व प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सभी योजनाएँ दोषपूर्ण थीं। इन योजनाओं में किन्तु ही श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया गया था। तथा सामं व अशो के आधार पर भी सम्भवता का अभाव था।

बेवरिज योजना और अन्य व्यवस्थाएँ (The Beveridge Plan & Other Facilities)

सन् 1941 मेर सर विलियम बेवरिज को सामाजिक बीमा और अन्य सेवाओं का अध्ययन करने तथा इनके विषय मेर सुझाव देने हेतु नियुक्त किया गया। सन् 1942 मेर इन्होने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बेवरिज योजना (Beveridge Plan) कहा जाता है। यह एक व्यापक योजना है जिसके अन्तर्गत बेरोजगारी, बीमा अवयवा अविवाहित होने पर व्यक्ति और महिलाओं को समूचित आय प्रदान की जाती है और विवाह, प्रसूति और मृत्यु के समय भी सहायता दी जाती है।

बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता के कारणों के आठ तत्व बताए हैं और सभी आवश्यकताओं को विभिन्न बीमा लाभों से प्राप्त किया जाना सम्भव बताया है। ये निम्नांकित हैं—

1. बेरोजगारी—किसी समर्थ व्यक्ति को रोजगार न मिलने पर उसे रोजगार लाभ प्रदान किए जाते हैं।

2. असमर्थता (Disability)—बीमारी अवयवा दुष्टीता के कारण कारण करने में असमर्थ होने पर श्रमिकों को असमर्थता लाभ और औद्योगिक पेशन के रूप में लाभ प्राप्त होता है।

3. जीवन-यापन की हानि (Loss of Livelihood) होने पर श्रमिकों को प्रशिक्षण लाभ (Training Benefit) प्रदान किया जाता है।

4. सेवा-मुक्ति (Retirement)—उम्र के कारण सेवा-मुक्ति होने पर श्रमिकों की सेवा-मुक्ति पेशन प्रदान की जाती है।

5. महिला की विवाह सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विवाह अनुदान, प्रसूति अनुदान और अन्य आवश्यक लाभ प्रदान किए जाते हैं।

6. दाह संस्कार व्यय (Funeral Expenses) हेतु दाह संस्कार अनुदान प्रदान किया जाता है।

7. बाल्यावस्था (Childhood) हेतु बच्चों का भत्ता 16 साल की आयु तक शिक्षा प्रदान करने हेतु दिया जाता है।

8. शारीरिक बीमारी (Physical Disease) हेतु मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं द्वारा इलाज किया जाता है। यह व्यापक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा के बाद पुनर्वास द्वारा प्रदान किया जाता है।

योजना क्षेत्र (Scope of the Plan)—यह योजना देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। इस योजना के लागू करने के लिए देश की जनसंख्या को 6 बांगों मेर विभाजित किया गया है—

1. विना किसी आप-सीमा के सभी कर्मचारियों को जिनको बेतन तथा मजदूरी मिलती है और वे किसी प्रसंविदा के अन्तर्गत कार्य करते हैं,

2. मालिक और अन्य व्यक्ति जो ताम्बूरण व्यवसायों में गए हुए हैं,
3. कार्यशील आयु की शृंहपत्तियाँ,
4. कार्यशील आयु के अन्य व्यक्ति जो कि साम्पूर्ण व्यवसायों में नहीं लगे हुए हैं,
5. कार्यशील आयु से नीचे के व्यक्ति अर्थात् स्कूल छोड़ने की आयु से कम आयु वाले, अर्थात् 16 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, एवं
6. कार्यशील आयु से अधिक आयु वाले रिटायर्ड व्यक्ति।

इस प्रकार इंगलैण्ड की सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक दीपा और सहायता की विद्यमान सभी योजनाओं से व्यापक है तथा मह प्रत्येक व्यक्ति, महिला और बच्चे को किसी न किसी बिन्दु पर इसमें समिलित करती है। उपरोक्त वर्ग सम्पूर्ण जनसंख्या को शामिल करते हैं। मालिक और घनी व्यक्ति लाभ प्राप्त नहीं करते हैं लेकिन उन्हें अशदान देना आवश्यक है। बच्चे, रिटायर्ड व्यक्ति और शृंहपत्तियों को किसी प्रकार का अशदान नहीं देना पड़ता है।

योजना के अन्तर्गत अंशदान (Contribution under the Plan)—जहाँ तक योजना में अशदान देने का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत व्यक्ति और महिलाओं के लिए क्रमशः 4 शिलिंग 3 पैसे, और 3 शिलिंग 6 पैसे रखे जाने का प्रावधान या। अशदान में आयु अनुसार अन्तर पाए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्ति और महिला के लिए मालिक द्वारा दिया जाने वाला अंशदान क्रमशः 3 शिलिंग 3 पैसे और 2 शिलिंग 6 पैसे है।

योजना के अन्तर्गत लाभ (Benefits under the Plan)—इस योजना के अन्तर्गत जन्म से मृत्यु तक लाभ प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के पश्चात् आधिकों को लाभ मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न लाभ प्रदान किए जाते हैं—

1. शृंहपत्तियों को लाभ (Benefits for Housewives)—शृंहपत्ती को किसी प्रकार का अंशदान नहीं देना पड़ता है फिर भी उसको 5 प्रकार के लाभ मिलते हैं—

(a) विवाह हेतु अनुदान 10 पौंड तक।

(b) 25 पौंड का प्रसूति अनुदान—प्रत्येक जन्मे बच्चे के लिए (Maternity Grant for each child born) यदि रोजगार में लगी है तो।

(c) विधवापन लाभ (Widow's Pension)—प्रथम 26 सप्ताह तक 16 20 पौंड + प्रत्येक बच्चे के लिए 5 65 पौंड (पारिवारिक भत्ते सहित)।

(d) यदि विना यलती के तलाक दिया जाता है तो उसे विधवा लाभ दिया जाएगा।

(e) पत्नी को विधवा अन्य आधिकों को 9 80 पौंड + 6 10 पौंड के अन्य भत्तों की दर से (साप्ताहिक) दीपारी लाभ (Sickness Benefit) दिया जाता है। दीपारी लाभ की यह साप्ताहिक दर प्रत्येक बच्चे के लिए (पारिवारिक भत्तों सहित)

3·10 पौंड है। उल्लेखनीय है कि यदि पति कमा रहा है तो पत्नी को उपरोक्त बीमारी लाभ 6·90 पौंड प्रति सप्ताह ही मिलेगा, पर यदि पति सेवा निवृत्त हो तो वह स्त्री 4·80 पौंड प्रति सप्ताह पाने की हकदार होगी। 28 सप्ताह बाद बीमारी लाभ के स्थान पर, जहाँ आवश्यक हो, असमर्थता लाभ (Invalidity Benefit) लागू कर दिया जाता है जो उस समय तक लागू रहता है जब तक कि व्यक्ति की असमर्थना बनी रहती है अथवा जब तक कि बीमार व्यक्ति पेशन की आयु प्राप्त नहीं कर सकता।¹

2. बच्चों का भत्ता (Children's Allowance)—किसी भी परिवार में विवा माता-पिता की आय तथा पद को ध्यान में रखे हुए पहले बच्चे को छोड़कर शेष भभी बच्चों को 8 शिलिंग भत्ता मिलेगा। माता-पिता कमाने के योग्य न होने पर प्रयम बच्चे को भी भत्ता दिया जाता है।

3. वेरोजगारी और बीमारी लाभ (Unemployment & Sickness Benefits)—इसके अन्तर्गत अकेले व्यक्ति को 24 शिलिंग और विवाहित व्यक्ति को 40 शिलिंग प्रति हप्ते की दर से लाभ मिलने की व्यवस्था की गई है। एक वेरोजगार व्यक्ति जिसके दो दब्बे और पत्नी है तो उसे 50 शिलिंग प्रति हप्ते की दर से लाभ मिलेगा। यदि कोई 6 मास तक वेरोजगार रहता है तो उसे किसी प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेना होगा। वहाँ उसे वेरोजगारी भस्त्रों के बराबर प्रशिक्षण भत्ता मिलेगा।

इस योजना के अन्तर्गत 13 हप्ते की असमर्थता वाले व्यक्ति को बीमार मान लिया जाता है तो बीमार लाभ दिया जाता है। इसके पश्चात् साप्ताहिक मुनुदान उसकी आय के दो तिहाई के बराबर कर दिया जाता है जो कि प्रमाप दर से कम नहीं होगा।

इस योजना में अधिक धनिपूति का प्रावधान भी है। यदि दुर्घटना घातक है तो उसके आश्रितों को एक मुश्त में 300 पौंड का अनुदान दिया जाएगा।

4. दाह संस्कार अनुदान (Funeral Grant)—विभिन्न व्यक्तियों को आयु के अनुसार मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। वयस्क मृत्यु पर 20 पौंड, 10 से 21 वर्ष की आयु वाले की मृत्यु पर 15 पौंड, 3 से 10 वर्ष की आयु वालों की मृत्यु पर 10 पौंड और 3 वर्ष से कम आयु वाले की मृत्यु पर 6 पौंड दाह संस्कार के रूप में अनुदान देने का प्रावधान रखा गया।

5. वृद्धावस्था पेशन (Old Age Pensions)—इस योजना के अन्तर्गत व्यक्ति को 65 वर्ष तथा महिला को 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर वृद्धावस्था पेशन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। यह पेशन अकेले व्यक्ति को 23 शिलिंग और विवाहित जोड़े को 40 शिलिंग दिए जाने का प्रावधान किया गया।

¹ Fact Sheets on Britain, May 1975.

योजना का प्रशासन और लागत (Administration and Cost of the Plan) — सर बेवरिज का मत था कि इस योजना के प्रशासन के लिए एकीकृत प्रशासन का दायित्व होना चाहिए और इसके लिए सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एक सामाजिक बीमा कोष के साथ स्थापित करना चाहिए। प्रारम्भ में यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई लेकिन बाद में राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय (Ministry of National Insurance) का मूलन किया गया।

इस योजना की तारीख 1945 और 1965 में क्रमशः 697 पौण्ड और 858 पौण्ड आंकी गई। यह लागत और भी अधिक बढ़ी है व्योकि कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

योजना का क्रियान्वयन (Implementation of Plan) — सरकार हारा बेवरिज योजना को देश में सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा तैयार करने हेतु सामाज्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। युद्धोत्तर काल के पश्चात् द्वितीय सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने के लिए कई अधिनियम पास किए गए जो कि जूलाई, 1948 से लागू हुए। वर्तमान समय में परिवार भत्ता, राष्ट्रीय बीमा, श्रीदोगिक दुर्घटना बीमा, राष्ट्रीय सहायता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा आदि रूपों में इतनें प्रभुत्वमय बीवन-स्तर बनाए रखने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रचलित है।

इंडिएन में सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

(1) परिवार भत्ता अधिनियम, 1945 (Family Allowance Act of 1945) के अन्तर्गत सबसे पहली योजना प्रथम बच्चे को छोड़कर अन्य बच्चों को भत्ता देने के लिए चलाई गई। इन भत्तों की दर में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है।

(2) राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, 1946 (National Insurance Act, 1946) के अन्तर्गत वे सभी बच्चे आ जाते हैं जो कि स्कूल की छोड़ने की उम्र से अधिक के हैं। दूसरे व्यक्तियों, बच्चों, विवाहित महिलाओं और कम व्याप वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी को इसमें निश्चित अशदान प्रति मप्पाह देना पड़ता है। अशदान देने वालों को तीन वर्गों—नियोजित व्यक्ति, स्वयं नियोजित व्यक्ति और अनियोजित व्यक्ति—में बांटा गया है। अधिनियम के अन्तर्गत बीमारी, वेरोजगारी, प्रसूति, विधवा, सरक्षक भत्ता, रिटायर्ड पेंसन और मृत्यु प्रतुदान आदि विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। प्रथम वर्ग वाले व्यक्तियों को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरे वर्ग वाले व्यक्तियों को वेरोजगारी और श्रीदोगिक दुर्घटनाओं सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरे वर्ग में आने वाले व्यक्तियों को बीमारी, वेरोजगारी, श्रीदोगिक दुर्घटनाओं सभी लाभ मिलते हैं।

(3) राष्ट्रीय बीमा (श्रीदोगिक दुर्घटनाएं) अधिनियम, 1946 के अधीन

कार्य करते समय हुई दुर्घटनाओं और औद्योगिक बीमारियों आदि के लिए बीमा योजना चलाई गई है। औद्योगिक चोट अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक बीमारी अथवा दुर्घटनाओं और औद्योगिक चोट अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक बीमारी अथवा दुर्घटना पर तीन प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं—

(i) दुर्घटना अपदा बीमारी के कारण अस्थाई रूप से प्रति सप्ताह चोट भत्ता (Injury Allowance) दिया जाता है। यह चोट अथवा बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ होने पर दिया जाता है। यह लाभ 26 सप्ताह सक की अवधि हेतु दिया जाता है। प्रति सप्ताह भत्ता दर £ 12·55 + dependants' allowance है।¹

(ii) चोट अथवा बीमारी के परिणास्वरूप अभियान को असमर्थता लाभ (Disability Benefit) दिया जाता है। यह चोट सामाजिक समाप्ति के पश्चात दिया जाता है। यह अधिक से अधिक £ 19 + dependants' allowances हो सकता है।²

(iii) मृत्यु लाभ (Death Benefit) जब किसी दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण अभियान की मृत्यु हो जाती है तब उसके आश्रितों को दिया जाता है। वयस्क के लिए यह सामान्यतः 30 पीण्ड और बच्चों के लिए कुछ कम है।

(4) राष्ट्रीय सहायता अधिनियम, 1948 (National Assistance Act of 1948) के अन्तर्गत जल्दी अन्तर्गत व्यक्तियों को सहायता दी जाती है। जिन व्यक्तियों को भूतकाल में राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा सहायता दी जाती थी वे अभियान या व्यक्ति भी इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं। जो लोग सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथा अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ हैं उन सभी को वित्तीय सहायता दी जाती है। कुछ दशाओं में कल्याण-कारी सेवाएं जुरू की गई हैं जिनके अन्तर्गत बेघरदार और अपंग लोगों को जरूरारी गृहों में प्रवेश दिया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत सभी त्रिटिश नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती हैं, चाहे वे अशदान देते हैं अथवा नहीं। सभी लागत सरकार पर पड़ती है।

परिवार भत्तो, राष्ट्रीय बीमा और औद्योगिक चोट योजना के प्रशासन के लिए ऐनेंस और राष्ट्रीय बीमा अन्तर्लय (Ministry of Pensions & National Insurance) की स्थापना कर दी गई है। इसका मुख्यालय लन्दन में रखा गया है। प्रादेशिक और स्थानीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय सहायता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का प्रशासन क्रमशः राष्ट्रीय सहायता मण्डल (National Assistance Board) और स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा किया जाता है।

(5) बाल अधिनियम, 1948 (Children Act of 1948) के अन्तर्गत स्थानीय सरकारों का यह दायित्व है कि कोई भी 17 वर्ष से कम आयु का बच्चा जिसके माता-पिता नहीं है अथवा जिसे त्याग दिया गया है अथवा उसके माता-पिता उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, को अपनी देखभाल में ले लें। इसके अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक समठनों द्वारा भी कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ सामाजिक सेवाओं की राष्ट्रीय परिषद्, परिवार कल्याण सम्प्रति एवं बच्चा कल्याण की राष्ट्रीय परिषद्। ब्रिटिश रेडकॉर्स सोसाइटी ने भी महत्वपूर्ण कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान की हैं।

इस प्रकार इंग्लैण्ड में सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना बहुमान समय में है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् उसके आधिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जाते हैं।

किंतु पर्याप्त न ए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ

जैसा कि डॉ. टी. एन. भगोलीबाल ने लिखा है कि—“यू. के. मे 1975 में कुछ नए सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभ लागू किए गए हैं जिनमें बर्गर चन्दा दिए अयोग्यता पेंशन (Non-Contributory Invalidity Pension), अयोग्य देखभाल भत्ता (Invalid Care Allowance) तथा नया जनशीलता भत्ता (New Mobility Allowance) शामिल है। बर्गर चन्दे वाली अयोग्यता पेंशन लम्बी बीमारी या असमर्थता वाले पुलपो और अकेली (Single) महिलाओं को, जो लम्बे समय (कम से कम 28 लगातार हफ्तों) तक काम नहीं कर सकते और जिन्हें चन्दे वाला (Contributory) लाभ नहीं मिल सकता, 7·90 पौंड प्रति हपता की दर से देने की व्यवस्था है। अयोग्य देखभाल भत्ता उन्हें देय होता है जो बहुत ज्यादा अयोग्य (Severely Disabled) सम्बन्धियों की देखभाल करते हैं। बहुत ज्यादा अयोग्य (Disabled) प्रीड व्यक्तियों तथा 5 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को, जो चलने लायक नहीं हैं और जिन्हें कम से कम 12 महीने तक यह रकावट रह सकती है, नए जनशीलता भत्ता का अधिकार मिलता है। इसमें करीब 10 लाख ज्यादा अयोग्य (Severely Disabled) लोगों एवं बच्चों को लाभ मिलेगा।”

“सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 1973 के अन्तर्गत चन्दों को अप्रैल, 1975 से सेवायोजकों और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह आमदनी से सम्बन्धित, स्वयं के रोजगार वालों (Self-employed) के लिए आंशिक रूप से आमदनी से सम्बन्धित तथा देकार व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक कर दिया है।”

अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा


(Social Security in U. S. A.)

“कोई भी व्यक्ति जो किसान बनना चाहता था उसे 160 एकड़ भूमि अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। यह सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भिक

स्वरूप था।¹ अमेरिका एक धनी देश है जहाँ पर रोजगार का ऊँचा स्तर बनाए रखने में सफलता मिली है। फिर भी व्यक्ति स्वयं आद्योगीकरण से उत्पन्न जोखिमों से अपने आप रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए अमेरिकी सरकार ने भी इन जोखिमों से रक्षा करने हेतु सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ शुरू की हैं।

अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा का श्रीगणेश सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 (Social Security Act, 1935) के पास हीने के बाद हुआ। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा इस प्रकार है—

वर्तमान सामाजिक सुरक्षा की योजना



सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 एक संघीय अधिनियम है। यह अधिनियम वृद्धावस्था एवं उत्तरजीवी बीमा योजना को ही चलाता है और शेष योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा संघीय सरकार के कोपों की सहायता से चलाई जाती हैं। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत निम्न योजनाएँ चलाई गई हैं—

1. वृद्धावस्था, उत्तरजीवी और असमर्थता बीमा

(Old Age, Survivors & Disability Insurance)

इसका प्रशासन सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 में संघीय सरकार के अधीन है। वृद्धावस्था पेंगत पद्धति हेतु मालिक और कर्मचारी मुగ्यतान करते हैं। इस अधिनियम में 1939 में सशोधन करके रिटायरमेंट के पहले या बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को भी पेंशन देने का प्रावधान रखा गया। 1956 में असमर्थता के लाभ को भी इस अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

1. *Saxena, R. C. : Labour Problems & Social Welfare*, p. 453.

2. *Saxena, R. C. : Labour Problems & Social Security*, p. 706.

बृद्धावस्था और उत्तरजीवी बीमा का वित्त प्रबन्ध मालिकों और श्रमिकों को कार देय वापिक आय (4200 डॉलर तक) का 2-2 प्रतिशत तथा स्वयं नियोजित व्यक्तियों की आय का 3% द्वारा दिया जाता है। यह दर उस समय तक बढ़ाई जाती रहेगी जब तक मालिकों व श्रमिकों के लिए 4% और स्वयं नियोजित व्यक्तियों के लिए 6% न हो जाए।

व्यक्तियों को 65 वर्ष पर और महिलाओं को 62 वर्ष पर रिटायरमेंट पेन्शन दी जाती है। 1957 में अकेले व्यक्ति के लिए अधिकतम पेन्शन 108.50 डॉलर प्रतिमाह थी और विवाहित के लिए यह 162.80 डॉलर थी। एक विवाही, को 81.50 डॉलर, एक विवाही और एक बच्चे को 162.80 डॉलर, एक विवाही और दो बच्चों को 200 डॉलर दिया जाता है। यदि आधितों को अतिरिक्त नहीं दिया जाता है तो असमर्पित पेन्शन बृद्धावस्था पेन्शन ही होगी। इस अधिनियम में असमर्पित व्यक्तियों का शीघ्र पुनर्वास कराने का भी प्रावधान रखा गया है।

2 बेरोजगारी बीमा

(Unemployment Insurance)

तीसा की महान् मन्दी में कई लाल अमेरिकी बेरोजगार हो गए। बेरोजगार पाने में असमर्पित रहे। इस आवश्यकता को व्यापार में रखते हुए बेरोजगारी बीमा योजना चालू की गई। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 में ही इसका प्रावधान रखा गया है जिसका वित्त प्रबन्ध मालिकों के भवदान से होगा। सामाज्य प्रमाणों (General Standards) का निर्धारण सधीय सरकार करती है और विस्तार से प्रावधान राज्यों द्वारा तंयार किए जाते हैं। किसी भी उद्योग का भालिक यदि वर्ष में कम से कम 20 हफ्ते चार या चार से अधिक श्रमिकों को काम में लगाता है तो उसे बेरोजगारी बीमा कोष (Unemployed Insurance Fund) अगदान देना पड़ता है। अमेरिका का नियोजित व्यक्तियों का दो-तिहाई भाग इस योजना के अन्तर्गत आता है। बेरोजगार व्यक्तियों को दिया जाने वाला भुगतान व अवधि विभिन्न प्राप्ति में अलग-अलग है। सामान्यतया यह राशि श्रमिक की मजदूरी का आधार होती है। कुछ राज्यों में आधितों की संदर्भ के आधार पर इसमें बृद्धि कर दी जाती है। इस योजना से न केवल बेरोजगार व्यक्ति व उसके आधितों को ही सुरक्षा मिलती है बल्कि उसको यह अवसर प्रदान करती है कि उसकी योग्यता व अनुभव वाली लौकरी की तलाश कर सके। इसके साथ ही मन्दी से ग्रन्थव्यवस्था की रक्षा भी करती है।

3 सार्वजनिक सहायता

(Public Assistance)

1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार सहायता का प्रावधान रखा गया है। यह सहायता तीन वर्गों की प्रदान की जाती है—

(i) जरूरतमन्द बूढ़े व्यक्तियों को जिनको बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता या लाभ नहीं मिलते हैं उनको सार्वजनिक सहायता देकर उनकी मदद की जा सकती है।

(ii) वे बच्चे जिनको माता-पिता की मृत्यु, असमर्थता या अनुपस्थिति के कारण त्याग दिया गया है उन्हें भी इस प्रकार की सहायता देने का प्रावधान है।

(iii) जरूरतमन्द अन्धे व्यक्ति भी इसके अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

1950 में इस योजना को स्थायी या पूर्ण रूप से असमर्थता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी शामिल कर लिया गया है।

इस प्रकार की सहायता जरूरतमन्द व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। इसको वित्तीय सहायता संबोध सरकार द्वारा दी जाती है।

4 श्रमिक क्षतिपूर्ति

(Workmen's Compensation)

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1936 के अतिरिक्त राज्य व संघीय सरकार द्वारा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने का भी प्रावधान है। सबसे पहले संघीय कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1908 (Federal Employee's Compensation Act of 1908) पास किया गया था। धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी इस तरह के अधिनियम पास कर दिए गए हैं। 1948 से सभी राज्यों में इस प्रकार के अधिनियम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। मृत्यु होने पर दाह संस्कार व्यवस्था आधिकों को नकदी लाभ दिए जाते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत चोट की लागत को उत्पादन की लागत माना जाता है। विभिन्न राज्यों में स्थाई, अस्थाई असमर्थता तथा मृत्यु पर दिए जाने वाले मुआवजे की राशि अलग-अलग है। अस्थाई असमर्थता के लिए कर्मचारी की औसत मजदूरी का 2/3 भाग दिया जाता है। मुगलान अवधि भी विभिन्न राज्यों में 104 से 700 सप्ताह तक है। कुछ राज्यों में समयावधि और मुगलान की सीमाएँ निश्चित हैं जो क्रमशः 260 से 800 सप्ताह और 6500 डॉलर में 20,000 डॉलर तक हैं।

व्यावसायिक बीमारियों से होने वाली असमर्थता को भी चोट की भाँति लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। इसके विषय में भी विभिन्न राज्यों में कानून बनाए गए हैं।

5 बीमारी अवश्या अस्थाई असमर्थता

(Sickness or Temporary Disability)

अल्पकाल में बीमार होने पर बीमारी लाभ नकदी के रूप में प्रदान किए जाते हैं। दीर्घकालीन बीमारी की प्रारम्भिक अवस्था में भी यह लाभ दिया जाता है। इस प्रकार का लाभ मधीय और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग बयों के श्रमिकों को प्रदान किए जाते हैं। यह लाभ 20 सप्ताह तक के लिए श्रमिक की मजदूरी का भाग हिस्सा दिया जाता है।

पूर्सुंतया अपवा स्थाई रूप से असमर्थता होने पर स्वयं व उसके आधिकों को मामिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत असमर्थ व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास सेवा के संघीय राज्यीय कार्यक्रम (Federal State Programmes of Vocational Rehabilitation Service) के पुनर्वास को प्रोत्साहन दिया जाता है। संघीय सरकार द्वारा युद्ध में हुए अपने असमर्थ व्यक्तियों को भी अतिपूर्ति दी जाती है।

6. बच्चों के लिए कार्यक्रम

(Programmes for Children)

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत बच्चों को बीमा लाभ अपवा सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान रखा गया है। संघीय सरकार इन सरकारों को प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, अपने बच्चों की सेवा और अन्य शिशु-कल्याण सेवाओं के चलाने के लिए कानून बनाती है तथा इन सभी सेवाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान भी दिया जाता है।

उपरोक्त सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त ऐच्छिक आधार पर चार्ड जाने वालों विभिन्न स्वास्थ्य मध्यवा बीमारी बीमा सेवाएँ अमेरिकी थमिकों के लिए चलाई जाती हैं। निवी सस्याएँ भी सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ, उदाहरणार्थ बीमार और जहरतन्द, पाठशालाओं और अस्पतालों के लिए विभिन्न लाभप्रद सेवाएँ प्रदान करती हैं।

रूस में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in U.S.S.R.)

रूस में सामाजिक सुरक्षा उपायों की सार्विधानिक गरण्टी दी गई है और उनको प्राप्त करने के तीन कारण हैं—

1. रूस की श्रद्धावस्था का तीव्र गति से विकास हो रहा है तथा बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय में से हिस्सा दिलाने के लिए सामाजिक सुरक्षा लागू करनी होती है,

2. समाजवादी देश होने के कारण लोगों का कल्याण बढ़े, एवं

3. अम संघों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन से सहयोग से प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

रूस में सामाजिक सुरक्षा सभी थमिकों और कर्मचारियों पर लागू होती है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी, गारण्टीड रोजगार चिकित्सा सुविधा प्रसूति लाभ, थमिक क्षतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन, असमर्थता पेंशन, उत्तरजीवी पेंशन, व्यावसायिक बीमारियों के विछद बीमा, असमर्थ और वृद्धावस्था गुहों हेतु प्रावधान, स्वास्थ्य और सेनीटोरिया के लिए विस्तृत प्रावधान आदि उपाय अपवा योजनाएँ जारी की गई हैं। सामाजिक सुरक्षा सेवाएँ सामुदायिक फार्मों के कर्मचारियों को भी प्रदान की जाती हैं।

रूस में सामाजिक बीमा की विशेषताएँ (Features of Social Insurance in U.S.S.R.)

रूस में सामाजिक बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. केवल नियोजित व्यक्तियों का बीमा किया जाता है।

2. वेरोजगारी बीमा योजना नहीं है। कानून से वेरोजगारी को समाप्त कर दिया गया है।

3. बीमा के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने हेतु अम संघों का सदस्य होना पूर्व शर्त है। गैर-सदस्यों को केवल आधे लाभ दिए जाते हैं।

4. सामाजिक बीमा योजनाओं का संगठन, प्रशासन और निरीक्षण का कार्य अम संघों द्वारा किया जाता है। अम संघों की केन्द्रीय संस्था का स्वयं का अपना सामाजिक बीमा विभाग है।

5. सामाजिक बीमा की लागत का बहन सम्बन्धित संस्थान द्वारा किया जाता है। इसमें सम्बन्धित संस्थान द्वारा अंशदान दिया जाता है।

6. रूस की सामाजिक बीमा योजना न केवल अभियों के कल्याण में वृद्धि का साधन है, बल्कि यह आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि करने का भी एक प्रमुख साधन मानी जाती है।

7. यदि कोई अभियक सामाजिक बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों के प्रशासन और अम संघों के हस्तक्षेप से कोई विकास रखता है तो इसके लिए वह गारंटीड सामाजिक सुरक्षा लाभों हेतु स्थानीय न्यायालय में अपील कर सकता है।

वर्तमान समय में रूस में अभियक के अस्थाई असमर्थ होने पर सहायता यथा स्थाई असमर्थता व वृद्धावस्था के लिए पेशन देने का प्रावधान है। यदि किसी अभियक को चोट अथवा बीमारी के कारण अस्थाई असमर्थता हो जाती है तो उसे उसकी ओसत मजदूरी का शत-प्रतिशत सहायता के रूप में दिया जाता है।

सामाजिक बीमा योजना

रूस में प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण सामाजिक बीमा योजना के सिद्धान्तों को नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत सन् 1922 में शुरू किया गया। एक अम सहिता की घोषणा की गई। इसके अन्तर्गत चिकित्सा, अस्थाई असमर्थता पर लाभ, दाह-सस्कार हेतु भुगतान, असमर्थता, वृद्धावस्था अथवा मृत्यु के पश्चात् पेशन आदि का प्रावधान रखा गया था। रूस में सामाजिक बीमा योजना का वित्र प्रबन्ध-प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है। प्रबन्धक अभियों के मजदूरी विल का कुछ प्रतिशत सामाजिक बीमा कोप (Social Insurance Fund) में जमा कराते हैं। इमी अनुपात में वे अभियों की मजदूरी में से घटा लेते हैं। यह प्रतिशत 4·4 से 9·8 तक होता है जो कि उत्पादन की दशायों पर निर्भर करता है। अभियों को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ता है।

चिकित्सा महावता वस्तु के रूप में दी जाती है जो कि सामाजिक बीमा के अन्तर्गत न आकर सामाजिक सेवामो के अन्तर्गत आती है। सामाजिक बीमा योजना केवल नियोजित श्रमिकों पर ही लागू होती है। कृषि श्रमिक इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं क्योंकि उनकी रक्षा किसानों के सामूहिक संगठनों (Peasant's Collective Organisations) द्वारा की जाती है।

रूस की सामाजिक बीमा योजना के नियन्त्रितिवित सिद्धान्त हैं—

1. सन् 1933 से ही इस योजना का प्रशासन थम संघों द्वारा किया जाता है। इस योजना को संत्वाएँ कोप और कार्य सभी थम सबों के हैं।

2. इस योजना के अन्तर्गत केवल नियोजित व्यक्तियों का ही बीमा किया जाता है।

3. इस योजना में अशब्दान केवल नियजकों या मालिकों द्वारा ही दिए जाते हैं। मालिक एक मुक्त में ही सामाजिक बीमा कोप में श्रमिकों की भजदूरी विता का प्रतिक्रिया के रूप में जमा करा देता है।

4. इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने थम संघों की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो सदस्य नहीं हैं उनको केवल आधे लाभ ही मिलते हैं।

5. यह योजना सरकारी आन्दोलन के रूप में थम की स्थिरता और उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई जाती है। सबसे अधिक लम्बे समय तक कार्य करने वाले को ही अधिक लाभ मिलते हैं।

6. वेरोजगारी बीमा समाप्त कर दिया गया है। यह सन् 1930 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में मानव-शक्ति की माँग में वृद्धि करके समाप्त कर दिया गया है।

रोजगार के कारण बीमारी अथवा चोट से यदि अस्थाई असमर्थता हो जाती है तो औसत प्राप्तदनी का इन-प्रतिशत लाभ के रूप में श्रमिक को दिया जाता है। अन्य मामलों में नौकरी की अवधि के आधार पर लाभ प्रदान किए जाते हैं। उदाहरणार्थ 6 या अधिक वर्ष की नौकरी वाले को 100%, 3 से 6 वर्ष के रोजगार हेतु 80%, 2 से 3 वर्ष हेतु 60% और 2 वर्ष से कम को 50% औसत भजदूरी का भाग लाभ के रूप में दिया जाता है। थम संघों की सदस्यता न होने पर इन लाभों का भाग मिलेगा।

प्रत्येक व्यक्ति और महिला जिन्होंने क्रमशः 60 और 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पेशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रोजगार के कारण बीमारी और चोट में उत्पन्न स्थायी असमर्थता (Permanent Disability) हेतु भी पेशन दी जाती है। दूसरे मामलों में यह आयु और रोजगार की अवधि पर निर्भर करता है। पेशन की राशि श्रमिकों को अन्त में मिलने वाली भजदूरी पर निर्भर करती है। अधिकतम पेशन अन्तिम भजदूरी का 66% दी जाती है।

सामाजिक बीमा योजना के अलावा रूम में बीमारी की चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सामाजिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ निम्नलिखित हैं—

1. प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
2. किसी भी सस्थान में निरन्तर 11 माह तक कार्य करने पर 2 सप्ताह की देतन सहित छुट्टियाँ दी जाती हैं।
3. थम सघो और शौधोगिक सस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले विश्राम-गृहों का थमिकों द्वारा उपयोग करना। यह उपयोग उनकी नौकरी की अवधि पर निर्भर करता है।

4. रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों पर कस्बों में स्थित रेस्ट पार्क्स आदि का उपयोग करना।

5. सभी को प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क सुविधाएँ प्रदान करना।
6. प्रत्येक महिला को मातृत्व लाभ (Maternity Benefits) प्रदान करना।

माताओं का कल्याण और उनको संरक्षण प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व समझा जाता है। इसके विषय में कई थम कानून बनाए गए हैं। किसी भी मर्मांबती महिला को रोजगार देने से मना करना कानूनी अपराध है। इसके उल्लंघन पर 6 माह की जेल तथा 1000 रुपये ग्राहिक दण्ड दिया जा सकता है। महिला की मजदूरी में से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। गर्भावस्था में हड्का कार्य दिया जाता है। उनको ट्राम्स, रेल व बसों में मुरक्कित स्थान प्रदान किए जाते हैं। यदि 2 वर्ष का बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी माता को विशेष छुट्टी प्रदान की जाती है।

रूस में अविवाहित माताओं और उनके बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। बच्चे के पालन-पोषण हेतु राज्य की ओर से भत्ता दिया जाता है। अन्य माताओं को जो सुविधाएँ व लाभ मिलते हैं वे ही अविवाहित माताओं को भी मिलते हैं। अधिक बच्चों वाली माँ को रूस में विशेष भत्ता भी दिया जाता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

भारत में सामाजिक सुरक्षा एक नया दृष्टिकोण नहीं है। कर्तिपय नियोजक पर्याले से ही अपने श्रमिकों को पेशन, प्रोविडेण्ट फण्ड और ग्रेच्यूटी आदि लाभ देते थे और कल्याणकारी कार्य भी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में हमारे देश में थम कानूनों का भी अभाव नहीं रहा है। मन् 1947 से पूर्व ही हमारे देश में श्रमिक अतिपूर्ति अधिनियम, 1923 और विभिन्न प्रान्तों में मातृत्व लाभ अधिनियम पास किए जा चुके थे।¹

¹ Giri, V. V. · Labour Problems in Indian Industry, p. 262.

किसी भी काम मे सामाजिक सुरक्षा की योजना गुरु करने हेतु अन्य उपाय भी काम मे लेने पड़ते है उदाहरणार्थं पूर्ण रोजगार नीति, श्रमिकों की सुरक्षा और अच्छी कार्य दशाओं हेतु विधान, चिकित्सा, शिक्षा और आवास सुविधाएं, आदि। हमारे देश मे विशेष रूप से श्रीद्वयिक श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा शूल की गई है।¹

हमारे देश मे यद्यपि प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार प्रथा, पचापत, निर्धन गृहों आदि सामाजिक स्थानों द्वारा जल्लरतमन्दों को कुछ न कुछ सहायता की जाती रही है, तेकिन सामाजिक सुरक्षा पर दूसरे महायुद्ध तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया। शाही थम आयोग (Royal Commission on Labour, 1931) तक ने इस प्रकार की योजना की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया ब्योकि हमारे देश मे स्थायी थम-शक्ति का अभाव था और श्रमिक परिवर्तन (Labour Turnover) भी अधिक होता था।

बेवरिज रिपोर्ट (Beveridge Report) के प्रकाशन के पश्चात् भारत मे सामाजिक बीमा योजना पर ध्यान दिया जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विभिन्न देशों मे समाजवादी सरकारों की स्थापना हुई तथा श्रमिक असन्ताप के कारण श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु कई देशों मे सामाजिक बीमा योजना तैयार की गई। हमारे देश मे भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रारम्भ करने की दिशा मे विभिन्न कदम उठाए गए।

भारत मे सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान अवस्था²

श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम

1923 मे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित होने के साथ ही भारत मे सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ हुई। इसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को जिनकी अपने सेवा काल के द्वारा न किसी श्रीद्वयिक दुर्घटना और कुछ विशेष रोगों से ग्रस्त हो जाने पर, जिनके कारण मृत्यु या अपगता हो गई हो, मुआवजा देने का प्रावधान है। अधिनियम मे मृत्यु, पूर्ण अपंगता और अस्थाई अपगता के लिए अलग-अलग पैमाने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष खतरे वाले व्यवसायों मे लगे कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है पर इसमे वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत लाभान्वित हैं।

प्रसूति सम्बन्धी लाभ

1929 मे तत्कालीन बम्बई सरकार द्वारा प्रसूति लाभ का मूल को सार्पू कर अगला कदम उठाया गया। इसके तत्काल पश्चात् अन्य राज्यों ने (जिन्हे

1 Verd, K. N. : State & Labour in India, p 110.

2 भारत, 1985.

प्रोविन्स के नाम से जाना जाता था) इसी विषय पर कानून लागू किए। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध प्रसूति लाभों में एक रूपता लाने के लिए सरकार ने प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 पारित किया जिसने इस विषय पर विभिन्न राज्यों में लागू कानूनों का स्थान ग्रहण किया।

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 कुछ संस्थानों में प्रसव काल से पहले और बाद में कुछ समय तक के लिए महिलाओं के रोजगार का नियमन करता है और उनके लिए प्रसूति और दूसरे लाभ उपलब्ध कराता है। ऐसे कारखानों और संस्थानों के अतिरिक्त, जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के नियम फिलहाल लागू हैं, यह अधिनियम खानों, कारखानों, सर्कंस, उद्योग और बागानों तथा इसी प्रकार के अन्य सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा अन्य संस्थानों पर लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई वेतन सीमा निर्धारित नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पारित होना सामाजिक सुरक्षा के हित में बहुत महत्वपूर्ण कदम था। यह अब केवल उन कारखानों में लागू था जहाँ सारे साल काम होता है, मशीनें विजली से चलती हैं और कम से कम बीस आदमी काम करते हैं। लेकिन अब राज्य सरकारों द्वारा धीरे-धीरे उन छोटे कारखानों, होटलों, रेस्टरांओं, दुकानों, मिलेशायरों, आदि जहाँ 20 या 20 से अधिक आदमी काम करते हो, पर भी लागू किया जा रहा है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका प्रतिमाह वेतन 1,600 रु. से कम है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियों को आकस्मिक बीमारी, प्रसूति, रोजगार में चोट की अवस्था में उनके इलाज का प्रबन्ध करने और उन्हें नकद भत्ता देने तथा चोट से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पेशन देने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को, जो इस नियम के अन्तर्गत आता है, हर प्रकार के इलाज की सुविधाएँ उत्तरोत्तर दी जा रही हैं।

31 दिसम्बर, 1984 को 85 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 42 उप-अस्पताल थे जिनमें बिस्तरों की संख्या 22,674 थी और शोपथालयों की संख्या 1,200 थी। इस योजना को 61 34 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाया जा चुका है।

कर्मचारी भविष्य निधि

1952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य प्रावधान अधिनियम द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति पर कई प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं। 30 सितम्बर, 1984 तक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में 173 उद्योग प्रतिष्ठान थे, जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह कानून उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जो 1912 के सहकारी सोमाइटी

अधिनियम के अधीन रजिस्टर है या कोई अन्य कानून जो सहकारी भवितियों से सम्बन्ध रखता है और जिनमें 50 से कम लोग काम करते हैं तथा जिनकी मजलीं दिजली या भाप से नहीं चलती। यह योजना 2500 रुपये तक मासिक वेतन पाने वालों पर लागू होती है।

सितम्बर, 1985 से इस निधि के लिए भालिकों को, कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी व महंगाई भत्ते की कुल राशि के सबा छह प्रतिशत के बराबर अपना हिस्सा देना होता है (कुल राशि में कर्मचारियों को दी गई साथ रियायतों का तकदी मूल्य और अनुरक्षण भत्ता भी शामिल है)। इतना ही हिस्सा कर्मचारियों को भी देना होता है। 108 उद्योगों के लिए जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, यह हिस्सा बढ़ा कर 8 प्रतिशत कर दिया गया है।

31 मार्च, 1985 के अन्त में भविष्य निधि योजना में अशदाताद्वारा की संख्या 128 88 लाख थी।

मृत्यु होने पर सहायता

जनवरी, 1964 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मृत्योपरान्त सहायता निधि स्थापित की गई जिसका उद्देश्य गैर द्वाट प्राप्त मृत्यानों के मृतक के उत्तराधिकारियों या तामजद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसका लाभ मृतक के उत्तराधिकारियों या तामजद व्यक्तियों को मिलता है जिनका मासिक वेतन (मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि को मिलाकर) मृत्यु के समय 1,000 रुपये से अधिक नहीं है। सहायता की राशि 1,250 रुपये निश्चित कर दी गई है।

एम्प्लाईज डिपाजिट लिकड इश्योरेंस स्कीम

सामाजिक सुरक्षा की एक और योजना है एम्प्लाईज डिपाजिट लिकड इश्योरेंस स्कीम, 1976 अर्थात् भविष्य निधि में जमा धनराशि से जुड़ा बीमा। यह योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू हुई। इसके अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके बारिस को भविष्य निधि की धनराशि के अतिरिक्त एक और धनराशि मिलेगी जो विद्युत तीन वर्षों में निधि में औजूँ औसत धनराशि के बराबर होगी, बारत के निधि में औसत धनराशि 1,000 रुपये से कम न रही हो। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम मुगलान 10,000 रुपये होगा जिसके लिए कर्मचारी को कोई अशदान नहीं करना पड़ेगा।

पारिवारिक पेशन

ओद्योगिक मजदूरी की असामिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों के लिए सम्बी अवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की हिट से 1 मार्च 1971 से कर्मचारी परिवार पेशन योजना शुरू की गई। कर्मचारी भविष्य निधि योजनाद्वारा में मानिकों और कर्मचारियों के अशदान के एक भाग को अलग करके इसके लिए धन प्राप्त

किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार भी कुछ भाग जमा करती है। निधि की सदम्यता की अवधि के आधार पर परिवार पेंशन को राशि न्यूनतम् 60 रुपये से लेकर अधिकतम् 320 रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त 60 रुपये से 90 रुपये तक अस्थायी परिवार पेंशन की राशि प्रति माह देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

आनुतोषिक योजना

1962 के आनुतोषिक (प्रेच्युटी) अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, गोदियों, रेलवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, कम्पनियों, दुकानों, तथा अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी आनुतोषिक के हकदार हैं। 600 रुपये तक की मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी हर पूरे किए गए सेवा वर्ष के पीछे 15 दिनों की मजदूरी के हिसाब से इसके अधिकारी हैं और कुल राशि 20 महीनों की मजदूरी से ज्यादा नहीं हो सकती। परन्तु ऐसे कारखानों में, जहाँ सारा वर्ष कार्य नहीं होता, आनुतोषिक की दर प्रति क्रहण में 7 दिनों के वेतन के बराबर होगी। अगर किसी कर्मचारी को भालिक के साथ किए किसी अन्य निर्णय, अनुबन्ध या इकरार के अधीन इससे अच्छी शर्तें मिलें, तो उन पर अधिनियम का असर नहीं पड़ता।

अब हम भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों का विस्तार से विवेचन करेंगे—

1. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
2. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
3. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाई गई योजना
4. कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ
5. कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंकड) बीमा योजना, 1976
6. उपदान भूगतान अधिनियम, 1972

(1) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (Workmen's Compensation Act of 1923)

इस अधिनियम का उद्देश्य किसी श्रमिक दुर्घटना तथा श्रमिक बीमारी से श्रमिक को क्षतिपूर्ति करना होता है। दुर्घटना से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थाई एवं अस्थाई असमर्थता प्राप्त होती है। इस आकस्मिकता से बचाव करने हेतु नियोजक द्वारा श्रमिकों को क्षतिपूर्ति करना एक वैधानिक दायित्व है।

सोमा क्षेत्र—यह अधिनियम सभी रेल कर्मचारियों (प्रशासनिक कार्य में नियोजन कर्मचारियों के अलावा) तथा इस अधिनियम की प्रनुसूची II में यथा-

निर्दिष्ट किसी भी पद पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुमूल्य-II में कारखानों, खानों, बागानों, यत्र चालित वाहनों, निर्माण-कार्यों तथा कुछ अन्य जो लिमपूरण व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन विस्तार के लिए कोई मजदूरी सीमा नहीं है। तथापि, यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाया गया है।¹

लाभ एवं व्यवस्था—इस अधिनियम में अस्थायी/स्थायी विकलांगता के मामले में कर्मकारी को और मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को मुआवजे के मुग्धतान की व्यवस्था है। मृत्यु के मामले में मुआवजे की न्यूनतम राशि 20,000 ह. तथा स्थायी विकलांगता के मामले में 24,000 रुपये है। स्थाइ विकलांगता के मामले में मुआवजे की अधिकतम राशि 1,14,000 रुपये तक हो सकती है, जबकि मृत्यु के मामले में यह राशि 91,000 रुपये तक हो सकती है, जो मृत्यु के समय कर्मकारी की मजदूरी और उसके पर निर्भर करती है। अस्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा, मजदूरी का 50 प्रतिशत को दर से 5 वर्ष की अधिकतम अवधि तक देय है।

इस अधिनियम को सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है।

यदि श्रमिक को काम करते समय किसी दुष्टना से चोट लग जाए तो मानिक द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। यदि असमर्थता (Incapacity) 3 दिन में अधिक नहीं है तथा श्रमिक के अवयव के दोष के कारण चोट लग जाती है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाता है। व्यावसायिक बीमारियों (Occupational Diseases) हेतु भी अधिनियम की तीमरी अनुमूल्य-II में क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है। मुआवजा की राशि चोट की घट्कति तथा श्रमिक की आसत मासिक मजदूरी पर निर्भर करती है। चोट को तीन वर्गों में रखा गया है—उदाहरणार्थ चोट से मृत्यु को प्राप्त होना, स्थाई असमर्थता और असमर्थता। श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है। वैधानिक मानित तथा अवैधानिक आश्रित दोनों वर्गों को क्षतिपूर्ति नियोजक द्वारा दी जाती है।

इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोजक का यह दायित्व है कि वह किसी भी घातक दुष्टना की सूचना आमुल्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति (Commissioner for Workmen's Compensation) को दे। यदि वह इस दुष्टना का दायित्व स्वीकार कर लेता है तो उसे मुआवजे की राशि आमुल्त के पास में जमा करा देनी चाहिए। यदि मालिक दायित्व स्वीकार नहीं करता है

1 अम मध्यालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, 1985-86, भाग-I, प. 12.

तो आयुक्त मूरक के आश्रितों को उसके न्यायालय में इस सम्बन्ध में अपना अधिकार (Claim) माँग सकता है। मालिक इस सम्बन्ध में प्रसविदा द्वारा मुश्खावजा नहीं चुका सकता।

इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अब प्रत्येक राज्य सरकार ने आयुक्त, श्रमिक क्षतिपूर्ति नियुक्त कर दिए हैं जो कि मुश्खावजे सम्बन्धी मामलों की जांच, सुनवाई और फैसला देकर श्रमिकों की मदद करते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत दुर्घटना, मुश्खावजे की राशि आदि के सम्बन्ध में मालिक को प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। इस अधिनियम का समय-समय पर संशोधन करके इसके क्षेत्र को व्यापक कर दिया गया है।

दोष—इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों तथा उनकी क्रियाशीलता को देखने से पता चलता है कि यह अपने आप में एक पूर्ण अधिनियम नहीं है। इसकी निम्नलिखित सीमाएँ हैं—

1. मालिक इस अधिनियम को अनुचित बताते हैं। उनका कहना है कि श्रमिक की गलती के कारण मृत्यु होने पर मालिकों को क्षतिपूर्ति अदा करनी पड़ती है। इससे उन पर वित्तीय भार पड़ता है।

2. छोटे संस्थानों द्वारा श्रमिकों को क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। वे किसी न किसी तरह इस दायित्व को टालने में सफल हो जाते हैं। बड़े संस्थानों द्वारा भी छोटी चोटों की रिपोर्ट नहीं की जाती है।

3. क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मामलों को निपटाने में देरी लगती है। सम्बन्धित अधिकारियों का कार्यभार पहले ही अधिक होता है।

4. ठेका अम के सम्बन्ध में ठेकेदार ठेके द्वारा मुश्खावजा देता है। रसीद पूरी राशि की ली जाती है जबकि भुगतान कम राशि में होता है।

5. इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार की चोट अथवा व्यावसायिक वीमारी होने पर चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं किया जाता है। चिकित्सा का प्रबन्ध आवश्यक है।

इस अधिनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय अम आयोग (National Commission on Labour) ने सुझाव दिया है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति हेतु एक केन्द्रीय कोष (Central Fund for Workmen's Compensation) की स्थापना की जाए। इस कोष में सभी मालिकों द्वारा प्रतिमाह अपनी मजदूरी विल का कुछ प्रतिशत जमा करना चाहिए जिसमें कि अधिनियम के प्रशासन तथा दिए गए लाभों की नागरक को वहन किया जा सके। इस कोष का नियन्त्रण कर्मचारी राज्य वीमा निगम (Employee's State Insurance Corporation) द्वारा होना चाहिए। यह निगम दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों और उनके आश्रितों को समय-समय पर भुगतान करता रहेगा। यदि श्रमिक असमर्थता के कारण बेरोजगार रहता है तो उसको क्षतिपूर्ति की ऊँची दर दी जानी चाहिए।

(2) मातृत्व लाभ या प्रसूति अधिनियम, 1961
(Maternity Benefit Act of 1961)

मातृत्व लाभ महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म के पूर्व तथा पश्चात् कार्य से अनुशस्ति रहने के परिणामस्वरूप हुई मजदूरी की हाति के रूप में मुआवजा दिया जाता है जिससे महिला श्रमिक व उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़े तथा आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मण्डल (ILO) ने प्रस्ताव 1919 में ही पास कर दिया था। लेकिन भारत में इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भारतीय महिला श्रमिक प्रबाली होती है, बच्चा होने से पूर्व ही वे वापिस अपने घर लौट जाती हैं तथा चिकित्सा नुविधाओं का भी अभाव है। विभिन्न राज्यों में समय-संयय पर अधिनियम पास कर दिए गए हैं। लेकिन अधिनियमों में समरूपता का अभाव होने के कारण 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम प्रमूलि अधिनियम पास किया गया।

यह अधिनियम महिलाओं के रोजगार को बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में कुछ अवधि के सम्बन्ध में विनियमित करता है और प्रसूति तथा करियर अन्य लाभों की व्यवस्था करता है।

सीमांकेव—यह अधिनियम प्रथमत खानो, कारखानो, बागानो और सर्कंस उद्योगों पर लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के दर्गे पर लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम की परिधि लाने के लिए कोई मजदूरी सीमा नहीं है। तथापि यह, अधिनियम उस महिला कर्मकारों पर लागू होता है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के सीमांकेव में आती है।

लाभ—इस अधिनियम में छुट्टी पर जाने के स्वतंत्र बाद तथा प्रसूति की तारीख सहित और उस तारीख के बाद छह सप्ताह के लिए वास्तविक अनुशस्ति की अवधि के लिए ओसतन देनिक मजदूरी की दर से प्रसूति लाभ के भुगतान की व्यवस्था है। प्रसूति लाभ की कुल अवधि 12 सप्ताह है अर्थात् प्रसूति की तारीख तक तथा उस तारीख सहित छह सप्ताह तक और उस तारीख के तत्काल बाद छह सप्ताह। प्रसूति लाभ के लिए पात्र होने के लिए, महिला कर्मचारी की पिछले 12 महीने की अवधि के दौरान 160 दिनों की सेवा होनी चाहिए। इस अधिनियम में गर्भात के मामले में भी छह सप्ताह के लिए प्रसूति सुविधा लाभ देने की व्यवस्था है।

कार्यान्वयन—केन्द्रीय सरकार खानो तथा सर्कंस उद्योग में इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जबकि कारखानो, बागानो तथा अन्य प्रतिष्ठानों में इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन का काम छपलिखित प्राधिकरणों को सौंप दिया है—

जिन प्रतिष्ठानों के लिए वे उत्तरदायी हैं

- | | |
|--|----------------|
| (i) केन्द्रीय श्रीद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र | सर्कंस उद्योग |
| (ii) कोयला खान कल्याण आयुक्त | कोयला खाने |
| (iii) खान सुरक्षा महानिदेशक | मैर कोयला खाने |

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाई गई योजना

(Employee's State Insurance Act, 1948)

विभिन्न देशों में बीमारी बीमा सम्बन्धी योजना पर विचार किया गया। भारत में भी 1928 में इस पर विवान-सभा में विचार किया गया। शाही थम प्रायोग, 1931 ने भी बीमारी बीमा के सम्बन्ध में जाँच हेतु समिति नियुक्त करने की सिफारिश की। इसी के साथ एक ऐसी योजना चालू करने की सिफारिश की जो कि एक स्थान पर प्राप्तिरित हो। इस सिफारिश के अनुसार एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसके अन्तर्गत चिकित्सा लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो तथा वित्तीय लाभ मालिकों और थमिकों के संयोग से प्राप्त किया जाए। श्रीद्योगिक थमिकों हेतु बीमारी योजना हेतु प्रो अडारकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1944 में दी। प्रो अडारकर ने केवल एक बीमारी बीमा योजना दी थी। वाद में अन्तर्राष्ट्रीय थम-समग्र तन्त्र के दो विशेषज्ञों श्री स्टेक और श्री राव ने इस रिपोर्ट की जाँच करके एक बड़ी एकीकृत बीमा योजना को सिफारिश की। इसमें मातृत्व साभ, श्रीद्योगिक चोट लाभ और बीमारी योजना तीनों को जामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 पास किया।

पांच प्रकार के लाभ—इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को पांच प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, वे निम्नांकित हैं—

(i) बीमारी लाभ (Sickness Benefit)—यदि बीमा कराए हुए व्यक्ति की बीमारी का प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है तो उसे नकदी में मुगतान प्राप्त होता है। यह 365 दिनों में से अधिकतम 56 दिनों हेतु दिया जाता है। बीमारी लाभ की राशि दैनिक श्रीसत मजदूरी की आधी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को यह लाभ प्रिलंग है वह निर्धारित डिसपेन्सरी में रहेगा।

(ii) मातृत्व लाभ (Maternity Benefit)—इसके अन्तर्गत 12 सप्ताह के लिए नकद मुगतान दिया जाता है। लाभ की दर श्रीसत मजदूरी (दैनिक) के बराबर दी जाती है।

(iii) असमर्थता लाभ (Disablement Benefit)—रोजगार में चोट तथा बीमारी से उत्पन्न असमर्थता लाभ प्रदान किया जाता है। अस्थाई असमर्थन के लिए दैनिक श्रीसत मजदूरी का पूर्ण भाग लाभ के रूप में नकदी में दिया जाता

है। स्थाई असमर्थता होने पर श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली दर के आधार पर लाभ दिया जाता है।

(iv) आश्रितों का लाभ (Defendant's Benefit)—किसी श्रमिक की रोजगार में मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को लाभ प्रदान किया जाना है। विधवा स्त्री को पूरी दर का $\frac{1}{4}$ भाग, वैधातिक पुत्रों और अविवाहित लड़कियों को कुल दर का $\frac{1}{4}$ भाग 15 वर्ष की आयु तक प्रदान किया जाता है। यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो यह लाभ उनको 18 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। यदि मृतक के विवाह पत्नी, लड़के-लड़कियाँ नहीं हैं तो उसके माता-पिता को यह लाभ दिया जाएगा। लेकिन यह लाभ उसकी पूरी दर (Full rate) से अधिक नहीं दिया जाता है।

(v) चिकित्सा लाभ (Medical Benefit)—इसके अन्तर्गत बीमा कराए व्यक्ति को उस हृत्ते में भी चिकित्सा लाभ दिया जाता है जिसमें उसका प्रशादान दिया जाता है। बीमारी, मानृत्व प्रसूति और असमर्थता लाभ प्राप्त करने योग्य श्रमिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाता है। बीमारी, रोजगार, चोट और प्रसूति में नि-शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ये लाभ बीमा चिकित्सालय अथवा अस्पताल में प्रदान किए जाते हैं।

चिकित्सा रक्षा के लाभ यदि बीमा कराए गए श्रमिकों के परिवारों को भी दिए जाने लगे हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत बर्मचारी बीमा न्यायालयों (Employee's Insurance Courts) की स्थापना राज्यों द्वारा कर दी गई है जो कि इसमें सम्बन्धित भँगड़ों का निपटारा करेंगे। जिन स्थानों पर न्यायालय नहीं हैं, वहाँ विशेष अधिकरण (Special Tribunals) स्थापित कर दिए गए हैं।

थ्रम मंत्रालय की रिपोर्ट 1985-86 के अनुसार अधिनियम की कुछ अन्य बातें और उनका क्रियान्वयन

इस अधिनियम में डॉक्टरी देख-रेख और इलाज, बीमारी प्रसूति तथा काम करते हुए लागी चोट के दोरान नकद लाभ, काम करते हुए चोट लगने के कारण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पेंशन एवं बीमा शुद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में अन्तर्वेदित खर्च देने की व्यवस्था की गई है। इम अधिनियम के उपबन्धों को, जो प्रारम्भ में विजली का प्रयोग करने वाले पौर 20 या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले बारहमासी कारखानों पर लागू है, अब घोर-घोरे राज्य सरकारों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू किया जा रहा है—

(i) विजली का प्रयोग करने वाले एवं 10-19 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर और 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को

नियोजित करने वाले एवं विजली का प्रयोग न करने वाले, कारखानों पर,

- (ii) 20 या इसमें अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली दुकानों, होटलों, रेस्टरांओं, सिनेमाघरों, जिनमें पीड्यू रियेटर भी आते हैं, सड़कर मोटर परिवहन और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर यह अधिनियम अभी प्रतिमाह 1600 रु से अधिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।

व्यवस्था—कर्मचारी राज्य बीमा योजना की व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक एक निगमित (कार्पोरेट) निकाय करता है, जिसके सदस्य कर्मचारियों, नियोजको, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवस्था और मसद् के प्रतिनिधि हैं। इस निगम के सदस्यों में गठित की गई एक स्थाई समिति इस योजना की व्यवस्था के लिए कार्यपालिका निकाय के रूप में काम करती है। चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित मामलों के बारे में निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा सुविधा परिषद् भी विद्यमान है। महानिदेशक जो निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, निगम का और उसकी स्थाई समिति का पदेन सदस्य भी है।

सीमा-क्षेत्र—कर्मचारी राज्य बीमा योजना को, जिसे पहले फरवरी, 1952 में दिल्ली और कानपुर में लागू किया गया था, धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों केन्द्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अस्पतालों, औषधालयों, चिकित्सा आदि सुविधाओं की व्यवस्था—रिपोर्टधीन अवधि के दौरान निगम ने 450 पलंगों वाले चार सुव्यवस्थित अस्पताल, 20 पलंगों वाले एक परिचर्या गृह तथा 8 औषधालय खोले। निगम ने विद्यमान के रा. बीमा अस्पतालों में 139 अतिरिक्त पलंगों की भी व्यवस्था की। इस योजना के अन्तर्गत बीमा शुदा व्यक्तियों के लिए पूर्ण डॉक्टरी देल-रेख (अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधाओं सहित) की व्यवस्था की जा रही है तथापि बीमाशुदा व्यक्तियों के परिवारों को उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने एवं अन्य सुविधाएँ उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही हैं। प्रतिबन्धित चिकित्सा सुविधा इस समय के बाले एक केन्द्र में उपलब्ध है, जो उत्तर प्रदेश में पिपरी में है, जहाँ पर 50 पलंगों वाला एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल निर्मित किया जा रहा है। इस अस्पताल के बालू हो जाने पर, जिमकी 1987 के पूर्वांदे में पूरा हो जाने की आशा थी, इस केन्द्र में परिवारों को भी पूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हो जाएंगी तथा ऐसा कोई केन्द्र नहीं होगा, जहाँ पर बीमाशुदा व्यक्तियों के परिवार प्रतिबन्धित चिकित्सा सुविधा के पात्र होंगे। उन केन्द्रों के सम्बन्ध में जहाँ पर व्यापक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, राज्य सरकारों से नियोजित करने वाले अनुरोध किया जा रहा है कि वे (i) सरकारी अस्पतालों में भी पलंगों

का आरक्षण करके अतिरिक्त पलगों की व्यवस्था करके, (ii) अस्पतालों के निर्माण की प्रगति को तेज करके तथा (iii) अस्पतालों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का पता लगा करके, विस्तृत चिकित्सा सुविधा के स्वरूप में सुधार करके उसे पूर्ण चिकित्सा सुविधा में परिवर्तित करें।

नकद लाभों का भुगतान—नियम द्वारा दिए गए नकद लाभों की राशि इस प्रकार है—

(रुपये लाखों में)

| | 1984-85 | 1985-86 (दिसम्बर, 85 तक) |
|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 1. बीमारी लाभ | 4779.49 | 3373.78 |
| 2. प्रमूलि लाभ | 286.53 | 153.03 |
| 3. अस्थाई विकलांगता लाभ | 1591.77 | 983.68 |
| 4. स्थाई विकलांगता लाभ | 934.22 | 683.58 |
| 5. अधिक लाभ | 271.27 | 219.07 |
| कुल | 7783.28 | 5413.14 |

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि अधिनियम, 1952 और तदाधीन बनाई गई योजनाएँ

प्रयोग्यता—कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेशन निधि अधिनियम, 1952 को 1952 में 6 मुख्य उद्योगों पर शुरू करके दिसम्बर, 1980 के अन्त तक 163 उद्योगों/प्रतिष्ठानों के वर्गों पर लागू कर दिया गया था। प्रारम्भिक उद्योग थे—सीमेट, सिगरेट, बिद्युत, यान्त्रिकी और सामान्य इन्जीनियरिंग वस्तुएँ लोहा और इस्पात, कागज तथा बस्त्र-उद्योग जिनमें 50 या इससे अधिक अभिकलनीय अवधि लगे हो। अधिनियम ने केन्द्रीय सरकार को अधिकार दिया है कि इसे किसी भी कारबाने और अन्य उद्योगों पर लागू किया जा सकता है जहाँ 50 या इससे कम अधिक लगे हुए हो। 1960 में सशोधन करके 20 या इससे अधिक काम करने वाले संस्थानों में भी यह अधिनियम लागू कर दिया गया।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्णी उपबन्ध अधिनियम, 1952¹ में कारबानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, परिवार पेशन और जमा सम्बद्ध बीमा निधि की स्थापना की व्यवस्था की गई है। 1952 के मूल अधिनियम का लक्ष्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि स्थापित करना था जिसके लिए कर्मचारी और नियोजक को बरावर अंशदात करना था। तदनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना बनाई गई तथा 1-11-1952 से इसे

1 अम बन्धालय, भारत सरकार की वायिक खोटे, 1985-86, p. 14.

लागू किया गया। कई वर्षों तक इस योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने पर यह पाया गया कि भविष्य निधि नि.सन्देह एक वृद्धावस्था सथा उत्तरजीवी लाभ है, लेकिन कर्मचारियों की समय पूर्व मृत्यु के मामले में उनकी भविष्य निधि सचयन, उनके परिवार को लम्बी अवधि तक के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके परिणामस्वरूप पहली मार्च, 1971 से कर्मचारी परिवार पेशन योजना शुरू की गई। मृत कर्मचारियों के खाते में भविष्य निधि की जमा राशि को सम्बद्ध बीमा योजना प्रारम्भ करने के उद्देश्य से 1976 में इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया। तदनुसार, कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना बनाई गई और इसे 1-8-1976 से लागू किया गया।

सीमा क्षेत्र—यह अधिनियम, जो प्रारम्भ में छ: प्रमुख उद्योगों पर लागू किया गया था, अब 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले 173 उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के बगीं पर लागू होता है। उक्त तीन योजनाओं के अधीन सीमा क्षेत्र के प्रयोजनार्थ 'वित्त' की सीमा 1,600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1-9-85 से 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।

व्यवस्था—सभी तीन योजनाओं, अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी परिवार पेशन योजना और कर्मचारी जमा सम्बद्ध योजना बीमा योजना की व्यवस्था एक केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा की जाती है जो कि एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पांच प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के 15 प्रतिनिधि, कर्मचारियों के सगठन के छ. प्रतिनिधि तथा नियोजकों के सगठन के छ: प्रतिनिधि होते हैं। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि सगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा बोर्ड के सचिव के रूप में काम करते हैं। केन्द्रीय कार्यालयों के अलावा, इस समय विभिन्न राज्यों में बोर्ड के 16 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 37 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इस अधिनियम के उपरांधों तथा इसके अन्तर्गत बनाई गई तीन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं।

प्रशासन की लागत—कर्मचारी भविष्य निधि योजना प्रशासन की लागत का बहन इसके अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोजकों से प्रशासन नियोजित प्रभारों की उगाही में से किया जाता है। परिवार पेशन योजना के प्रशासन की लागत पूरांत, केन्द्रीय सरकार द्वारा बहन की जाती है, जबकि कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के मामले में प्रशासन की लागत अंशतः इसके सीमा क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के नियोजकों द्वारा तथा अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा बहन की जाती है।

व्याज की दर—सदस्यों की भविष्य निधि संचयनों (दूट न प्राप्त) में वर्ष 1985-86 के लिए जमा किए जाने वाले व्याज की दर 10.15 प्रतिशत प्रति वर्ष है जबकि 1984-85 में वह दर 9.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

निवेश और बैंकिंग घटवस्था—भविष्य निधि अंशदान का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के माध्यम से, जिसके पास प्रतिमूलियाँ सुरक्षित हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश के पैटर्न के अनुसार किया जाता है। ग्रन्थ बैंकिंग घटवस्था भारतीय स्टेट बैंक को सौंधी गई है। 30-9-1985 को कुल निवेश की राशि 12,553·03 करोड़ रुपये थी जिसमें से 5,513·82 करोड़ रुपये छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में तथा 7,039·21 करोड़ रुपये छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में थे।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठान—द्विनियम की धारा 17 और योजना के पैरा 27 और 27-क के अधीन उन प्रतिष्ठानों और सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपबन्धों में छूट दी जा रही है, जिनके निजी भविष्य निधि, पैशान या उपदान नियम मांविकिय योजना के नियमों से कम लाभदायक नहीं हैं। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या सितम्बर, 1984 में 2,846 से घटकर 1985 में 2,833 रह गई।

आरक्षित और जब्त लेखा—ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के मामले में जहाँ नियोजकों के अंशदान पदमुक्त सदस्यों को पूर्ण रूप से नहीं दिए जाते हैं वहाँ करिपय आक्रमिकताओं में भुगतान न की गई राशि और व्याज आरक्षित तथा जब्त लेखों में जमा की जाती है। इस निधि में सचिवित राशि विशेष आरक्षित निधि तथा मृत्यु सहायता निधि के अन्तर्गत आने वाले उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए दस्तेमाल की जाती है।

विशेष आरक्षित निधि—विशेष आरक्षित निधि जो सितम्बर, 1960 में मृजित की गई थालू है। इस निधि की राशि का उपयोग ऐसे पदमुक्त सदस्यों (छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में) या उनके नामित व्यक्तियों/वारिसों को भविष्य निधि सचिवन के भुगतान के लिए किया जाता है जहाँ नियोजक सदस्यों की मजदूरी में से काटी गई भविष्य निधि का पूर्ण या आंशिक भुगतान नहीं करते। आरक्षित और जब्ती लेखा से इस निधि में हस्तान्तरित 235 लाख रुपये की कुल राशि और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नियोजकों से बकाया राशि के रूप में बसूल किए गए 40·57 लाख रुपये की राशि में से 30 सितम्बर, 1985 तक 190·44 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था और 85·13 लाख रुपये की राशि देय थी।

मृत्यु सहायता निधि—ऐसे मृत सदस्यों के वारिसों को 1250 रुपए तक वित्तीय सहायता उपलब्ध है (जिनका वेतन मृत्यु के समय 1,000 रु से प्रति माह से अधिक नहीं है) और जिनके भविष्य निधि में जमा राशि 1,250 रुपए से कम है ताकि कुल राशि 1,250 रु. तक हो जाए।

भविष्य निधि सम्बन्धी देय राशियाँ तथा उनकी वसूली—छूट न प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों से प्राप्त करने वाले भविष्य निधि सम्बन्धी बकाया की कुल राशि

30 सितम्बर, 1985 को 5,399 30 लाख रुपये थी जबकि 30-9-84 को यह राशि 4,741·31 लाख रुपये थी।

कर्मचारी परिवार पेन्शन योजना, 1971—इस योजना में परिवार पेन्शन तथा जीवन बीमा लाभों की व्यवस्था की गई है। इसे पहली मार्च, 1971 से लागू किया गया।

सौमा धोत्र—यह योजना उन सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है जो पहली मार्च, 1971 को या उसके पश्चात् भविष्य निधि के सदस्य बन गए हैं परन्तु उन कर्मचारियों के लिए यह ऐच्छिक है जो उक्त तारीख से पहले भविष्य निधि के सदस्य बने थे। 31-3-85 को अशदाताश्वों की कुल संख्या 83·94 लाख थी।

योजना की वित्तीय व्यवस्था—कर्मचारियों तथा नियोजकों के भविष्य निधि अशदान के भाग में से कर्मचारियों के वेतन के $1\frac{1}{16}$ प्रतिशत के बराबर राशि को परिवार पेन्शन निधि में जमा कराके इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाती है। केन्द्रीय सरकार भी निधि के सदस्यों के वेतन का $1\frac{1}{16}$ प्रतिशत परिवार पेन्शन निधि में अंशदान देती है।

निधि की घनराशि का निवेश—परिवार पेन्शन निधि की सारी घनराशि लोक लेखा में जमा की जाती है और उस पर 1-4-81 से साढ़े सात प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है। इससे पहले ब्याज की दर साढ़े पाँच प्रतिशत थी।

इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ नीचे दिए गए हैं—

(i) **परिवार पेन्शन**—यदि किसी सदस्य की गणनीय सेवा के दौरान 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेन्शन का मुग्नतान नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि सदस्य ने कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए परिवार पेन्शन निधि में अशदान किया हो। पेन्शन अब सदस्य की मृत्यु की तारीख के अगले दिन से देय है—

सदस्य का प्रति माह वेतन

जिस पर परिवार पेन्शन निधि
का अशदान देय है

परिवार पेन्शन की मासिक दर

1. 400 रुपये से कम

वेतन की 30 प्रतिशत और न्यूनतम 60 रुपये तथा अधिकतम 120 रुपये होगी।

2. 400 रुपये और इससे अधिक

वेतन की 20 प्रतिशत और न्यूनतम 120 रु. और अधिकतम 320 रुपये होगी।

उपर्युक्त दरों पर पेन्शन के अतिरिक्त बर्तमान पेन्शन प्राप्तकर्ताओं को 60 रु से 90 रु. के बीच प्रतिमाह अनुप्रूप पेन्शन स्वीकृत की गई है। इस

अतिरिक्त पेन्शन से 1-4-85 से परिवार पेन्शन की न्यूनतम और अधिकतम राशि क्रमशः 60 रु. से 120 रु और 320 रु. से 410 रु प्रतिमाह कर दी गई है।

(ii) जीवन बीमा लाभ—यदि सदस्य की मृत्यु गणनीय सेवा के हीरान होती है और उस समय तक उसने एक वर्ष अन्यून अवधि के लिए परिवार पेन्शन निधि में अशादान दिया हो, तो उसके परिवार को जीवन बीमा लाभ के रूप में 2,000 रु की एक मुश्त घनराशि देय होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति व निकासी लाभ—सदस्यों की 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर या मृत्यु के अवाका किसी अन्य कारण से 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले परिवार पेन्शन निधि से सदस्यता समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति व निकासी लाभ देय हो जाता है। यह लाभ तभी देय होता है यदि सदस्य ने परिवार पेन्शन निधि में कम से कम एक वर्ष के लिए अशादान किया हो। सेवानिवृत्ति व निकासी लाभ के लिए निर्धारित दर दिए गए अशादानों के पूरे वर्षों की संख्या के घनुमार भिन्न-भिन्न है लेकिन न्यूनतम दर 110 रुपये (एक वर्ष के लिए दिए गए अशादान सहित) तथा अधिकतम दर 9,000 रुपये (40 वर्ष के लिए दिए गए अशादानों सहित) होगी।

कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976—यह योजना उन सभी कारबानों/प्रतिष्ठानों पर लागू है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और ब्रॉकीएं उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है। यह पहली अगस्त, 1976 से लागू की गई थी।

ऐसे सभी कर्मचारी जो छूट प्राप्त तथा छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त हैं।

बीमा निधि में अशादान—नियोजकों को कुल परिलिंग्यों अर्थात् मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा किसी खाद्यान्न रियायत का नकद मूल्य और प्रतिशत भत्ता, यदि कोई हो, के 0.5 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अशादान देना अपेक्षित है। जैसा कि नियोजकों के मामले में है, केन्द्रीय सरकार भी कुल परिलिंग्यों के 0.25 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अशादान देती है। यहाँको के लिए कोई अशादान देना अपेक्षित नहीं है।

बीमा निधि का निवेश—बीमा निधि से सम्बन्धित सारा घन केन्द्रीय सरकार के लोक सेवा में जमा रखा जाता है और इस पर पहली अप्रैल, 1982 से प्रतिवर्ष 7 $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से व्याज दिया जाता है। इससे पहले प्राप्त अशादानों का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाता था।

लाभ—किसी कर्मचारी को, जो कर्मचारी भविष्य निधि या छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, सेवा में मृत्यु हो जाने पर भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के भविष्य निधि सेवे में पिछले तीन वर्षों के हीरान या निधि के सदस्य होने की अवधि के दौरान, जो भी कम हो, असत शेय के वरावर अतिरिक्त राशि बदा की जाएगी वज्रते कि यह प्रौद्योगिकी

शेष राशि उवत अवधि के दौरान किसी भी समय 1,000 रुपये से कम नहीं थी। इस योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम लाभ की राशि 10,000 रुपये है।

(5) कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंडड) बीमा योजना, 1976

प्रयोज्यता—कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंडड) बीमा योजना, 1976 ऐसे सभी कारबानों/प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है। यह योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू हुई।

योजना का सीमा क्षेत्र—ऐसे सभी कर्मचारी, जो छूट प्राप्त तथा छूट न प्राप्त दोनों प्रकार के प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

बीमा निधि में अशादान—कर्मचारी सदस्यों को बीमा निधि में अशादान नहीं देना पड़ता। केवल नियोजकों को कुल परिलिंग्यों (अर्थात् मूल मजदूरी, मर्हगाई भत्ता तथा किसी खाद्यान्न रियायत का नकद मूल्य और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो) के 0.5% की दर से बीमा निधि में अशादान देना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार भी कुल परिलिंग्यों के 0.25 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अशादान देती है।

प्रशासनिक व्यय—इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोजकों को प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए कर्मचारी सदस्यों की कुल परिलिंग्यों के 0.1 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में प्रशासनिक व्यय का मुगतान करना अपेक्षित है। केन्द्रीय सरकार भी कर्मचारी सदस्यों की कुल परिलिंग्यों के 0.05 प्रतिशत की दर से घनराशि का बीमा निधि में मुगतान करके बीमा योजना के प्रशासन के सम्बन्ध में व्यय बहन करती है।

योजना के अन्तर्गत नामोंकरण—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पन्तर्गत या छूट प्राप्त भविष्य निधियों में किसी सदस्य द्वारा किया गया नामाङ्कन इस योजना के लिए भी माना जाएगा।

देय लाभ—किसी कर्मचारी को, जो कर्मचारी भविष्य निधि या छूट प्राप्त भविष्य निधि का सदस्य है, मेवा में मृत्यु हो जाने पर भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को मृत व्यक्ति के भविष्य निधि लेवे में विद्युते तीन वर्षों के दौरान औसत शेष राशि के बराबर अतिरिक्त राशि अदा की जाएगी, वर्षों कि यह औसत शेष राशि उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय 1,000 रुपये से कम नहीं थी। इस योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम लाभ की राशि 10,000 रु. है।

योजना से छूट—ऐसे कारबानों/प्रतिष्ठानों को, जिनमें इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले नामों में अधिक लाभ देने यारी कोई बीमा योजना है, कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। यदि अधिकांश कर्मचारी ऐसी छूट के हक

मे हो। व्यक्तिगत या कर्मचारियों के वर्ग को सामूहिक छूट भी कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है।

कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा देव राशि-30 सितम्बर, 1980 को कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा देव राशि 86 73 लाख रुपया थी।

निवेश और बैंकिंग व्यवस्था—बीमा निधि अशदानों का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई के माध्यम से, जिसके पास प्रतिभूतियाँ सुरक्षित हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित निवेश के पैटने के अनुसार किया जाता है।

(6) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972।

(The Payment of Gratuity Bill, 1972)

जिन उद्योगों में ऑफिडेण्ट फण्ड अथवा पेन्शन योजनाएँ नहीं हैं, उनमें उपदान या आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) की मांग की जाने लगी और उदार नियोजितों ने अम सघो से समझौता करके इस प्रकार की योजना चालू करने पर सहमति प्रकट की। सर्वप्रथम 1971 में केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य-सरकारों ने उपदान अधिनियम पास किए जिनके अन्तर्गत कारखानों, बागानों, दुकानों और अन्य स्थानों को शामिल किया गया। शीघ्र ही एक केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई और दिसंबर, 1971 में उपदान भुगतान विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया जो पारित होकर 1972 में अधिनियम बन गया।

सीमा स्तर—यह अधिनियम प्रत्येक कारखाना, स्थान, तेल थेज, बागान, पत्तन, रेलवे कम्पनी तथा दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू होता है। इस अधिनियम के इधीन केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के बर्ग, जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम के उपबन्धों को अब तक मोठर परिवहन उपकरणों, अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों, बजेटों, वाणिज्य और उद्योग चैम्बर वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के एसोसिएशन/फैंडरेशन, सालीसीटरों के कार्यालयों कम्पनियों, सोसाइटियो और एसोसिएशनों या मण्डल जो किसी अखाडे में सरकास का काम करते हैं या ऐसे तमाजे के लिए दर्शकों या जनता से प्रवेश के लिए रकम शदा करनी पड़ती है, पर लागू किया है। इस समय यह अधिनियम प्रति माह 1,600 रु से अन्तिक बेतन पाने वाले व्यक्तियों पर लागू है।

परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत उपदान देय हैं—इस अधिनियम में वार्षिकी की आम प्राप्त होने, सेवानिवृत्ति या रथागपत्र देने या मृत्यु या प्रर्पणता के कारण सेवा समाप्त होने पर उपदान के भुगतान की व्यवस्था है बश्ते कि कर्मचारी ने कभी मे कभी पांच वर्ष को सतत सेवा पूरी कर ली हो। मृत्यु या प्रर्पणता के मामलों में पांच वर्षों की सतत सेवा को शर्त लागू नहीं होती है।

उपदान की राशि—इस अधिनियम में मेडा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्षे नियमित श्रमिकों को 15 दिनों की मजदूरी की दर से और मोसमी श्रमिकों को 7 दिन की मजदूरी की दर से उपदान के मुगतान की व्यवस्था है। उपदान मुगतान की अधिकतम सीमा 20 माह की मजदूरी है।

अधिनियम का कार्यान्वयन—केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का केन्द्रीय नियन्त्रणाधीन प्रतिष्ठानों, एक से अधिक राज्यों में शाखाओं वाले प्रतिष्ठानों प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल धेनों या रेलवे कम्पनी में कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। शेष सभी मामलों में कार्यान्वयन का दायित्व सम्बन्धित राज्य या सरकारों का है। जहाँ तक केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन का दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धतंत्र का है।

तवम्बर, 1985 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में इस सुझाव पर विचार किया गया कि उपदान सदाय अधिनियम में उपयुक्त व्यवस्था की जाए ताकि अनिवार्य दीमा नियोजकों का दायित्व हो। उपदान की अदायगी के लिए पृथक् ट्रस्ट नियंत्रित की जाए और इस सुझाव को सामान्यतः स्वीकार किया गया। तदनुसार सरकार उपदान संदाय अधिनियम के अधीन उपदान दीमे की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

सामाजिक सुरक्षा की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Social Security)

औद्योगिक श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एकरूपता साने तथा प्रशासनिक व्यवय को कम करने के लिए एक एकीकृत योजना पर शुरू से ही विचार किया गया है। इसी उद्देश्य हेतु श्री वी. के. प्रार मैनत की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल ने निम्नलिखित सिफारिशों की थी—

1. कर्मचारी दीमा व प्रोविडेण्ट फण्ड अधिनियमों का प्रशासन एक होना चाहिए।
2. दीमा अधिनियम में मालिकों के हिस्से को 4% से बढ़ाया जाए तथा राज्य सरकारों के चिकित्सा व्यवय को घटाकर $\frac{1}{2}$ कर दिया जाए।
3. प्रोविडेण्ट फण्ड के तहत मालिकों और श्रमिकों के अशदान को बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। साथ ही 20 वाले इससे अधिक कार्यरत वाले संस्थानों पर भी यह अधिनियम लागू किया जाए।
4. प्रोविडेण्ट फण्ड को दृढ़ावस्था प्रेशन तथा ग्रेच्युटी में बदल दिया जाए। कर्मचारी राज्य दीमा रियू समिति ने भी सिफारिश की कि प्रशासनिक व्यवय को कम करने हेतु दोनों अधिनियमों का प्रशासन एक कर देना चाहिए। अत्पकालीन लाभ कर्मचारी राज्य दीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिए जाने चाहिए तथा दीर्घकालीन लाभ कर्मचारी प्रोविडेण्ट फण्ड अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दिए जाने चाहिए।

अभी तक सामाजिक बीमा योजना की प्रगति काफी नहीं हुई है। बीमारी, स्वास्थ्य, प्रसूति और क्षतिपूर्ति बीमा के क्षेत्र में कुछ अच्छी प्रगति हुई है।

जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की सामान्य योजना का प्रश्न है, वर्तमान परिस्थितियों में यह हमारे देश में सम्भव नहीं है। अतः सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी आर्योगिक श्रमिकों को साना होगा और वाद में धीरे-धीरे अन्य श्रमिकों को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय अम आयोग, 1969 (National Commission on Labour) का सुझाव था कि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें सभी धन एक ही कोप में एकत्रित किया जाए और इसी कोप में से जरूरतमन्द व्यक्तियों को मुగातान किया जा सके। अशदानों में वृद्धि करके एक अलग से कोप बनाया जाए जो कि सरकार के पास रहेगा। इस कोप में से श्रमिकों को अन्य आकस्मिकताओं के शिकार होने पर सहायता मिल सकेगी। गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना अपनाना आवश्यक है। अतः सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता को मिलाकर एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करना आवश्यक है।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन से भी हमें अब पता चला है कि हमारे देश में आर्योगिक श्रमिकों हेतु एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार की जाए। लेकिन इस प्रकार की व्यापक योजना तैयार करने व तागू करने में कई कठिनाइयाँ आतेंगी, जैसे चिकित्सा मुविधाओं की कमी वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयाँ, कृपि श्रमिकों और जनसंख्या के अन्य बगैंचों को शामिल करने में कठिनाइयाँ आदि। अतः वर्तमान परिस्थितियों में मोजूदा अधिनियमों के क्षेत्रों को व्यापक करना होगा और उनका क्रियान्वयन भी प्रभावपूर्ण करना होगा।

भारत में वर्तमान कारखाना अधिनियम

(Salient Features of Present Factory
Legislation in India)

सबसे पहले सूती वस्त्र मिल बम्बई के स्थानीय वस्त्र व्यापारी श्री सी. एन. डावर ने सन् 1851 में स्थापित की। इस उद्योग का तीव्र विकास हुआ और सन् 1872-73 में 18 सूती वस्त्र मिलें हो गईं जिनमें 10 हजार श्रमिक कार्य करते थे। इन मिलों में बच्चों और महिलाओं के कार्य की दशाएँ अमानवीय थीं। मेजर मूरे (Major Moore) ने बम्बई सूती वस्त्र विभाग के प्रशासन (Administration of Bombay Cotton Department) पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार इन मिलों में कार्य के लम्बे घण्टे, महिलाओं और छोटी उम्र के बच्चों की कार्य दशाओं का विवरण देखने को मिलता है।¹

प्राधुनिक उद्योगों के विकास के बाद भारतीय नियोजक विभाग किसी कारखाना अधिनियम की बाबा के श्रमिकों से किसी भी प्रकार से कार्य लेने में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र थे।²

सन् 1881 के पूर्व श्रम मामलों में सरकारी नीति एक स्वतन्त्र नीति थी। अधिकांश कारखानों में कार्य के घण्टे सूर्योदय से सूर्यास्त तक थे। महिला और बच्चे श्रमिकों को अधिक रोजगार दिया जाता था। श्रमिकों को न तो किसी अवधि के अनुसार और न ही साप्ताहिक छुट्टियाँ दी जाती थीं।³

हमारे देश में कारखाना श्रमिकों की दशाओं की ओर ध्यान हमारे उदार-बादी नियोजकों, राजनीतिज्ञों का नहीं गया बल्कि लकाशायर और मनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योगों के मालिकों ने यह महसूस किया कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग हेजी

1 Vaid, K. N. : State & Labour in India, p. 34.

2 Saxena, R. C. : Labour Problems and Social Welfare, p. 674.

3 Giri, V. V. : Labour Problems in Indian Industry, p. 127.

से विकास की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण यह था कि यहाँ पर कार्य के घट्टे मूर्योदय से मूर्योस्त तक के ये तथा धर्मिकों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, मात्र ही यहाँ पर किसी प्रकार का कारखाना कानून नहीं था। इस कारण थम लागत विदेशी धर्म लागत की तुलना में बहुत कम थी। बहाँ के मिल मालिकों ने भारत के मेंक्रोटरी और्क स्टैट में इसके विषय में निवेदन दिया। सन् 1875 में इसकी जीव हेतु एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने बताया कि सूर्योदय से मूर्योस्त तक धर्मिकों से कार्य लिया जाता है। साप्ताहिक छुट्टी का अभाव तथा दोटे बच्चों में कार्य लेना (8 बर्पे की आयु तथा कभी-कभी इससे भी कम आयु वाले बच्चों से कार्य) आदि के विषय में जानकारी दी गई। आयोग ने एक माधारण अधिनियम जिसमें कार्य के घट्टे, साप्ताहिक छुट्टी, बच्चों की आयु निश्चित करना आदि नियमित किए जाएं, पास करने की सिफारिश की। इस जानकारी के पश्चात् धर्मिकों में भी जागृति उत्पन्न हुई और कई जगह धर्मिकों ने विरोध प्रकट किया, हड्डाले हुई। परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 1881 पास किया गया। इसके बाद त्रिमास 1891, 1911, 1922, 1934 एवं 1946 में कारखाना अधिनियम बनाए गए। फिर पहले के सभी कारखाना अधिनियम समाप्त करके 1948 में कारखाना थम में सम्बन्धित एक व्यापक कानून पास किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1881 (Factory Act of 1881)

यह अधिनियम एक साधारण अधिनियम था जिसके अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का प्रावधान किया गया था। यह अधिनियम उन सभी संस्थानों पर लागू किया गया जिनमें 100 या इससे अधिक धर्मिक शक्ति से कार्य करते थे और जो चार माह में अधिक चलते थे।

अधिनियम में व्यवस्था की गई कि 7 बर्पे में कम आयु के बच्चे को कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा तथा 7 से 12 बर्पे की आयु वाले बच्चों से 9 घण्टे प्रतिदिन से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकेगा। प्रतिदिन बीच में एक घण्टे का रेस्ट दिया जाएगा तथा साप्ताहिक छुट्टी भी दी जाएगी।

खतरनाक मशीनों को टकने तथा कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति इस अधिनियम के विधान्वयन हेतु सिफारिश की गई। स्थानीय सरकारों को इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने के अधिकार प्रदान किए गए और जिला अधिकारियों को इसके प्रशासन के लिए अधिकार दिए गए।

इस अधिनियम के अन्तर्गत पुरुष महिला धर्मिकों के सरकार हेतु कोई प्रावधन नहीं था। यही कारण था कि धर्मिकों के हितेपी तथा सकाणायर व मैनचेस्टर मिलों के मालिक इस अधिनियम से असन्तुष्ट नहीं हुए। बम्बई सरकार ने सन् 1884 में कारखाना आयोग (Factory Commission) नियुक्त किया। इस आयोग ने बान व महिला धर्मिकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिनियम पास करने की सिफारिश

की, लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। सन् 1890 में बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में बाल तथा महिला श्रमिकों की दशा सुधारने की सिफारिश की गई। ब्रिटेन ने इन मिफारिशों को भारतीय कारखानों पर लागू करने के लिए कहा परिणामस्वरूप कारखाना अधिनियम, 1891 पास किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1891

(Factory Act of 1891)

यह अधिनियम उन कारखानों पर, जिनमें 50 या इससे अधिक श्रद्धिक जो शक्ति से कार्य करते हों, लागू किया गया। स्थानीय सरकारें यदि चाहे तो 20 या उसके अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों पर भी अधिनियम लागू किया जा सकता था। अधिनियम में व्यवस्था की गई कि 9 बर्ष से कम आयु वाले श्रमिकों को रोजगार न दिया जाए तथा 9 से 14 बर्ष की आयु वाले बाल श्रमिकों से 7 घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए। बाल और महिला श्रमिकों को रात को, 8 बजे साथ से 5 बजे प्रातः तक कार्य न कराने का प्रावधान रखा गया। महिला श्रमिकों हेतु प्रति दिन 11 घण्टे तथा 15 घण्टे का बीच में रेस्ट का प्रावधान रखा गया। सभी श्रमिकों हेतु साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान भी था। इस अधिनियम में निरीक्षण, सफाई और उजालदानों की व्यवस्थाओं हेतु भी नियम बनाए गए।

इस अधिनियम में प्रोड श्रमिकों के कार्य के घण्टों में कमी नहीं की गई। इसका विरोध किया गया। परिणामस्वरूप सन् 1906 में सूती वस्त्र समिति (Textile Committee, 1906) और सन् 1907 में कारखाना आयोग की नियुक्ति की गई। इनको मिफारिशों के आधार पर सन् 1911 में कारखाना अधिनियम पास किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1911

(Factory Act of 1911)

सन् 1905 में वर्मवई की मिलों में विजली आ जाने से, रात को अधिक कार्य के घण्टे काम लिया जाने लगा। कलकत्ता की जूट मिलों में भी अधिक कार्य के घण्टे हो गए। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम बार व्यस्क पुरुष श्रमिकों के लिए कार्य के घण्टे प्रतिदिन 12 रखे गए। बीच में एक घण्टे का रेस्ट भी दिया जाने लगा। किसी भी कारखाने में कोई भी श्रमिक साथकाल 7 बजे से प्रातः 5 बजे के बीच कार्य नहीं कर सकता था। बाल श्रमिकों के प्रतिदिन के कार्य के घण्टे घटाकर 6 कर दिए तथा रात को कार्य पर लगाना भना कर दिया। मौसमी कारखानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। बाल श्रमिकों हेतु प्रमाण-पत्र भ्रावश्यक कर दिया गया। स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा निरीक्षण सम्बन्धी प्रावधानों को ढग से लागू करने की मिफारिश की गई।

कारखाना अधिनियम, 1922

(Factory Act of 1922)

सन् 1914 में प्रथम महायुद्ध ख़िड़ गया। तीव्र औद्योगिक विकास से श्रमिकों

मेरे प्रपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। लाभ मेरे बढ़िया हुई, लेकिन वहाँ हुई कीमतों के कारण श्रमिकों की मजदूरी कम बढ़ी। 1919 मेरे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O.) की स्थापना होने से भी कारखाना अधिनियम मे परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया था। यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर लागू कर दिया गया जहाँ पर जक्कि से 20 श्रमिकों से कम काम नहीं करते थे। राज्य सरकारे 10 या 10 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों पर भी इस अधिनियम को लागू कर सकती थी। बयस्क श्रमिकों के लिए प्रतिदिन और प्रति सप्ताह क्रमशः 11 और 60 घण्टे नियुक्ति किए गए। बाल श्रमिकों के कार्य के घण्टे सभी प्रकार के कारखानों मे 6 घण्टे प्रतिदिन नियत किए गए। बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम आयु और अधिकातम आयु क्रमशः 12 वर्ष और 15 वर्ष रखी गई।

यह अधिनियम 1923 और 1926 मे संशोधित किया गया। 1928 मे शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour, 1928) की नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1931 मे पेश की। रिपोर्ट के आधार पर 1934 का कारखाना अधिनियम पास किया गया।

कारखाना अधिनियम, 1934 (Factory Act of 1934)

इस अधिनियम के प्रम्तुर्गत कारखानों को मौसमी और साल भर चलने वाले कारखानों को दो वर्षों मे दिभाजित किया गया। मौसमी कारखाने वे कारखाने माने गए जो कि वर्ष मे 180 दिन कार्य करते थे। वर्ष भर चलने वाले कारखानों मे वे कारखाने रखे गए जो साल मे 6 माह से अधिक चलते हो।

वर्ष भर चलने वाले कारखानों में अधिकातम कार्य के घण्टे बयस्क श्रमिकों हेतु 10 प्रतिदिन और 54 प्रति सप्ताह रखे गए। मौसमी कारखानों (Seasonal Factories) मे ये क्रमशः 11 प्रतिदिन और 60 प्रति सप्ताह रखे गए। बाल श्रमिकों के कार्य के घण्टे घटाकर 5 कर दिए गए। कार्य का फैलाव (Spread over) प्रथम बार इस अधिनियम मे रखा गया। इसमे बयस्क श्रमिकों और बाल श्रमिकों हेतु यह कार्य फैलाव क्रमशः 13 और 6½ घण्टे प्रतिदिन रखा गया। अतिरिक्त कार्य करने पर सामान्य दर का 1½ गुना का भुगतान श्रमिकों को किया जाएगा। इसमे प्रथम बार किशोर (Adolescents) का नया वर्ग रखा गया। 15 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वाले इसमे रखे गए। मज़बीनों को ढकने, सुरक्षा उपाय, कल्याणकारी कार्य तथा कृतिम नभी बनाए रखने आदि के सम्बन्ध मे भी अधिनियम मे प्रावधान रखे। इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर रखा गया। इसके लिए मुख्य कारखाना निरीक्षक और कारखाना निरीक्षकों की नियुक्तियाँ की गईं।

संशोधित कारखाना अधिनियम, 1946 (Amended Factory Act of 1946)

1934 का कारखाना अधिनियम 1936, 1940, 1941, 1944, 1946

तथा 1947 में संशोधित किया गया और अन्त में इसका स्थान वर्तमान कारखाना अधिनियम, 1948 ने लिया।

सातवें थम सम्मेलन, 1945 ने 48 घण्टे प्रति सप्ताह के मिछान्त को स्वीकार किया। इस संशोधित अधिनियम के प्रनुसार वर्ष भर चलने वाले कारखानों में कार्य के घण्टे 9 प्रतिदिन तथा 48 प्रति सप्ताह रखे गए तथा मौसमी कारखानों में घटाकर 10 प्रतिदिन और 54 प्रति सप्ताह रखे गए। कार्य का फैलाव (Spread over) वर्ष भर वाले कारखानों और मौसमी कारखानों में घटाकर क्रमशः 10 1/2 और 11 घण्टे कर दिए गए। अतिरिक्त कार्य हेतु साधारण दर का दुगुना मुगतान करने का प्रावधान रखा गया। 1947 के संशोधन द्वारा जिन कारखानों में 250 श्रमिकों से अधिक कार्य करते हैं, वहाँ केन्टीन का प्रावधान रखा गया।

कारखाना अधिनियम, 1948

(Factories Act of 1948)

1934 के अधिनियम में कई दोष थे। सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सम्बन्धी प्रावधान समुचित तथा सन्तोषप्रद नहीं थे। इस अधिनियम के अन्तर्गत छोटे संस्थानों तथा कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को शामिल नहीं किया गया था।

कारखाना अधिनियम, 1948 का उद्देश्य कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के रथा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहित करना है। यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू होता है। वे कारखाने जहाँ 10 या 10 से अधिक श्रमिक शक्ति से कार्य करते हैं तथा 20 या 20 से अधिक श्रमिक विना शक्ति से कार्य करते हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे किसी भी रोजगार पर यह अधिनियम लागू कर सकती हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत मौसमी तथा वर्ष भर चलने वाली सभी फैक्ट्रीज के अन्तर को समाप्त कर दिया गया है।

इस अधिनियम में विभिन्न बातें सम्मिलित की गई हैं। वे निम्नलिखित हैं—

1. कार्य के घण्टे (Hours of Work)—कम कार्य के घण्टे श्रमिक की कार्य कुशलता पर प्रभाव डालते हैं। अतः इस अधिनियम में वयस्क श्रमिकों हेतु अधिकतम कार्य के घण्टे प्रति सप्ताह 48 और प्रतिदिन 9 निश्चित किए गए हैं। 5 घण्टे के कार्य के बाद $\frac{1}{2}$ घण्टे का मध्यान्तर दिया जाएगा। कार्य का फैलाव (Spread over) $10\frac{1}{2}$ घण्टे से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे कुछ व्यक्तियों के कार्य के घण्टे, साप्ताहिक छुट्टी आदि छुट दे सकती हैं। फिर भी कुल कार्य के घण्टे 10 किसी भी दिन कार्य का फैलाव 12 घण्टे, अतिरिक्त कार्य हेतु दुगुनी मजदूरी दर आदि का पालन किया जाएगा।

2 सबेतन छुट्टी (Leave with Wages)—प्रत्येक श्रमिक को सबेतन

साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी। इसके प्रतिक्रिया निम्न दरों पर सबेतन वार्षिक छुट्टियाँ (Annual leave with wages) दी जाएंगी—

(i) एक प्रोड श्रमिक को 20 दिन कार्य करने पर 1 दिन सबेतन छुट्टी दी जाएगी, परन्तु वर्ष में न्यूनतम 10 दिन की सबेतन छुट्टी मिलेगी।

(ii) एक बालक को 45 दिन कार्य करने पर 1 दिन सबेतन छुट्टी मिलेगी और वर्ष में न्यूनतम 14 दिन की सबेतन छुट्टी मिल सकेगी।

(iii) यदि किसी श्रमिक को विना अंतिक्षण छुट्टियों का उपयोग किए ही सेवा से मुक्त कर दिया जाता है अथवा स्वयं नौकरी छोड़ देता है तो नियोजक का कर्तव्य है कि उन दिनों का वेतन उसे दिया जाए।

3. नवयुवकों को रोजगार (Employment of Children)—14 वर्ष से कम आयु वाले नवयुवकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। 15 और 18 वर्ष की आयु के बीच वाले श्रमिक को प्रोड (Adolescent) माना गया है। इन नवयुवकों को आयु सम्बन्धी डॉक्टरी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। उन्हें कार्य करते समय टोकन रखना पड़ेगा। यह प्रमाण-पत्र 12 महीने तक बैंध होगा।

4. महिला श्रमिकों को रोजगार (Employment of Women)—कोई भी महिला श्रमिक मशीन चालू करते समय सफाई, तेन डालने आदि का कार्य नहीं करेगी। कपास की धुनाई वाले यन्त्र का उपयोग करने पर वही महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। जहाँ 50 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ छोटे बच्चों को पालनों (Creches) की सुविधा दी जानी चाहिए।

कोई भी महिला श्रमिक 7 बजे साय से 6 बजे प्रातः के बीच काम नहीं करेगी। इसी अधिकार में बाल श्रमिकों से भी कार्य नहीं लिया जा सकेगा।

महिला श्रमिक के कार्य के अधिकतम धृष्टि सप्ताह में 48 और प्रतिदिन 9 से अधिक नहीं होंगे।

खतरनाक किया में महिला श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अतिरिक्त कार्य हेतु सामान्य दर का दुपुना मुगलान किया जाएगा।

5. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (Health and Safety)—इस अधिनियम के प्रत्यंगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण ग्रादेशों का प्रावधान है जिससे श्रमिक का स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जा सके।

स्वास्थ्य सम्बन्धी निम्न ग्रादेश इस अधिनियम में शामिल किए गए हैं—

(i) प्रत्येक कारखाने को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा और किसी तरह का कूड़ा-करकट कारखाने के किसी भी भाग में नहीं डाला जाएगा।

(ii) प्रत्येक कारखाने में शुद्ध वायु आने तथा अशुद्ध वायु जाने हेतु पर्याप्त खरोंसे होने आवश्यक है।

(iii) यदि किसी निर्माण क्रिया से घूल इत्यादि उड़ती है तो उसकी सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

(iv) कारखानों में अधिक शुल्कता अथवा नमी नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम नमी करने वाले कारखानों में इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े।

(v) इस अधिनियम के बाद बनाए गए कारखानों में प्रत्येक अमिक हेतु 500 क्यूबिक फीट स्थान तथा पूर्व के कारखानों में 350 क्यूबिक फीट स्थान होना जरूरी है। इससे अत्यधिक भीड़ को कम किया जा सकेगा।

(vi) कारखानों में कार्यरत अमिकों हेतु पर्याप्त प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ होकर अमिक आते जाते हैं वहाँ पर भा इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) प्रत्येक कारखाने में अमिकों हेतु पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ अमिक 250 या इससे अधिक हैं वहाँ पर रेफ्रीजरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

(viii) प्रत्येक कारखाने में पर्याप्त संस्था में पुरुषों व महिला अमिकों हेतु अलग-अलग शौचालय तथा पेशाव-घरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ix) प्रत्येक कारखाने में थूकने के लिए थूकदानों की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी नियन्त्रित उपायों का प्रावधान किया गया है—

(i) मशीनों को ढक कर रखा जाए तथा खतरनाक मशीनरी की देखभान प्रशिक्षित प्रोट व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए।

(ii) बाल तथा महिला अमिकों को खतरनाक मशीनों पर नहीं लगाया जाएगा।

(iii) यान्त्रिक शक्ति द्वारा चलाई जाने वाली मशीन को अच्छी तरह में कारखाने में फिट किया जाना चाहिए। भार उठाने वाली मशीनों तथा लिपट आदि की भी समय-समय पर देखभाल करनी चाहिए। इससे दुर्घटनाएँ कम होंगी।

(iv) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को अधिकार है कि वह बाल, पुरुष व महिला अमिकों द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को निश्चित करे। इससे अधिक भार नहीं उठाया जाए यदोकि वह अमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है।

6. कल्याणकारी उपाय (Welfare Measures)—इस अधिनियम के अन्तर्गत अमिकों के कल्याण में इंद्रि करने हेतु अप्रनिखित भादेशों का प्रावधान किया गया है—

(i) प्रत्येक कारखाने में श्रमिकों को घटने हाथ मूँह धोने की सुविधाएं होनी चाहिए।

(ii) कपड़े धोने, उन्हें सुखाने और टौगने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(iii) प्रत्येक कारखाने में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा (First Aid Appliance) प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) जिन कारखानों में 250 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं उनमें कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) जहाँ पर 150 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ पर आहार कमरों (Lunch Rooms) की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) जिन कारखानों में 50 या अधिक महिला श्रमिक कार्य करती हैं वहाँ उनके बच्चों के पालनों (Creches) की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vii) जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सभी कारखाना मालिकों का यह दायित्व है कि रोजगार के कारण उत्पन्न किसी बीमारी गथवा दुर्घटना के विषय में सूचना वे तत्काल सरकार तथा कारखाने हेतु नियुक्त चिकित्सकों को दे। नियुक्त चिकित्सकों को भी व्याक्षसायिक बीमारियों वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट मुख्य कारखाना निरीक्षक (Chief Inspector of Factories) को देनी चाहिए।

इस अधिनियम के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। मुख्य कारखाना निरीक्षक सदसे वडा अधिकारी होता है और उसके अन्तर्गत वरिष्ठ कारखाना निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक प्राप्त हैं जो अपने-अपने क्षेत्र में इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने का कार्य करते हैं।।

भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 के दोष

(Defects of the Indian Factories Act of 1948)

अम जांच समिति, 1946 (Labour Investigation Committee, 1946) ने विभिन्न कारखाना अधिनियमों में पाए जाने वाले दोषों का उल्लेख किया था। यह अधिनियम विद्यने कुछ बिंदुओं में अतिक दोषों का शिकार रहा है—

1 यह अधिनियम बड़े श्रोत्योगिक संस्थानों में सन्तोषप्रद ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, लेकिन छोटे और मोसमी कारखानों में यह अधिनियम सन्तोषप्रद ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। इन कारखानों में कार्य के घट्टों, अतिरिक्त कार्य, बालकों की नियुक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सफाई से सम्बन्धित आदेशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। नियोजकों द्वारा श्रमिकों के फूटे

प्रमाण-पत्र, अतिरिक्त कार्य हेतु दोहरे रजिस्टर आदि रखकर निरीक्षकों को घोषा दिया जाता है।

2. निरीक्षकों की संख्या कम होने से और कारखानों की संख्या अधिक होने से कई कारखाने साल भर में एक बार भी नहीं देख सकते हैं। निरीक्षक भी तकनीकी बातों की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं जबकि मानवीय समस्याओं की प्रायः उपेक्षा करते हैं। अतः निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे इस अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावपूर्ण ढग से हो सके।

3. कुशल एवं ईमानदार कारखाना निरीक्षकों की कमी है। अधिकांश निरीक्षक कारखाने का पूर्ण निरीक्षण किए विना ही निरीक्षण प्रतिवेदन तंयार कर लेते हैं तथा मालिकों से रिश्वत लेकर उनके दोषों को रिपोर्ट में नहीं दिखाते हैं।

4. अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने का प्रमुख कारण यह भी है कि दायितों पर दण्ड कम किया जाता है। एक मालिक पर 100-150 रु. का जुर्माना किया जाना है जबकि उसकी पैरवी के लिए निरीक्षक के आने-जाने में ही हजारों रुपये व्यय हो जाते हैं। अतः दोषी व्यक्तियों को दण्डित समय पर और पर्याप्त रूप में किया जाना चाहिए।

5. यह अधिनियम अनियन्त्रित कारखानों (Unregulated Factories) पर लागू नहीं होता है। इन कारखानों में श्रमिकों का शोषण किया जाता है तथा अमानवीय दशाओं में उनको कार्य करना पड़ता है। अतः इस अधिनियम को विस्तृत करके अनियन्त्रित कारखानों पर लागू किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु कारखाना निरीक्षकों की संख्या बढ़ाया जाना आवश्यक है। उनके अधिकारों और स्तर में भी वृद्धि की जानी चाहिए। ईमानदार और कार्यकुशल निरीक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित है। विभिन्न प्रान्तों में पाई जाने वाली असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए। श्रमिकों को भी इस अधिनियम के विभिन्न आदेशों के बारे में बताया जाना चाहिए।



10

भारत में अमिकों का आवास; नियोजक व अम-संघों तथा सरकार द्वारा दी गई अम कल्याण सुविधाएँ

(Housing of Labour in India; Labour
Welfare Facilities Provided by
Employers, Trade Unions and
Government)

भारत में अमिकों का आवास : समस्या का स्वरूप
(Housing of Labour in India : Nature of the Problem)

आवास का वित्त प्रबन्धन और कियाम्बवन निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता था। लेकिन यह नीति उस समय ही उचित है जब अधिकांश जनसम्पद कुर्सि में लैगी हुई हो। स्वतन्त्रता की नीति के कारण से श्रोद्योगीकरण हुआ और सीत्र श्रोद्योगीकरण स्थानीय केन्द्रों पर अधिक होने से आदादी दढ़ने लगी। इससे आवास की समस्या उत्पन्न हुई। बिना योजना के ही आवास-व्यवस्था की जाने लगी। इससे भूमि खोपडियों का विकास हुआ।¹

श्रोद्योगिक आयोग सन् 1918 (Industrial Commission) ने इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। लेकिन इस सिफारिश को और अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

रोटी, कपड़ा और मकान मानव की तीन आधारभूत आवश्यकताएँ हैं जिनमें मकान महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देश में आवास व्यवस्था बढ़ती हुई श्रोद्योगिक जनसंख्या की तुलना में कम रही। जगह की कमी, भूमि की ऊँची लागत आदि के कारण आवास व्यवस्था पूर्ण रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के निए पर्याप्त नहीं रही। धीरे-धीरे आवास-दशाओं की स्थिति बिगड़ती गई।

¹ Giri, V. V. : Labour Problems in Indian Industry, p. 303.

शाही अम आयोग ने प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों की आवास व्यवस्था का विवरण देते हुए बताया कि मकान एक-दूसरे से सटे हुए थे। उनमें कोई रोशनदान की तथा सफाई की व्यवस्था नहीं थी। एक ही कमरे में कई व्यक्ति रहते थे। सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता था। पानी की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। रात को इन वस्तियों में कोई भी आज्ञा नहीं सकता था।

आवास व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल चारदीवारी शामिल की जाती है, बल्कि आवास के आस-पास के बातावरण को भी शामिल किया जाता है। आवास व्यवस्था का अर्थ ऐसे आवास से है जहाँ श्रमिक आराम से रह सके, एक ऐसे बातावरण से है जो श्रमिकों हेतु स्वास्थ्यप्रद हो तथा ऐसी सुविधाओं से है जो कि श्रमिक के स्वास्थ्य व कार्य-क्षमता पर अच्छा प्रभाव डाले। श्रमिकों का निवास ऐसी जगह होना चाहिए, जहाँ स्वच्छ वायु, प्रकाश व जल आसानी से मिलते हों। चिकित्सा शिक्षा, घनोरंजन, बेनकूद आदि की सुविधाएँ भी श्रमिकों को मिलती चाहिए।

बुरी आवास व्यवस्था से औद्योगिक श्रमिक कई बुराइयों का शिकार बन जाता है, जैसे शराब पीना, वीमारी, अनैतिकता, अपराध, अनुपस्थितता आदि। इससे अधिक अस्पतालों और जेलों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आवास व्यवस्था एक मानवीय आवश्यकता है जिसे राष्ट्रीय योजना में शामिल करना आवश्यक है।

आवास की समस्या त्रिमुखी है—

1. सामाजिक समस्या (Social Problem)—यह गन्दी वस्तियों की समस्या से सम्बन्धित है। प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में अधिक भीड़-भाड़ से आवास ममुचित रूप में न मिलने के कारण इन निम्न वर्ग के लोगों द्वारा गन्दी वस्तियाँ बना ली गई हैं। मद्रास की चेरी, कानपुर के अहाता, कलकत्ता की वस्ती, बम्बई और अहमदाबाद की चाल वस्तियाँ, गन्दी वस्तियों के महस्वपूर्ण उदाहरण हैं। विश्व के सम्भवत किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की गन्दी वस्तियाँ देखने को नहीं मिलती हैं।

2. आर्थिक समस्या (Economic Problem)—आवास व्यवस्था का श्रमिक के स्वास्थ्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। खराब आवास से कई प्रकार की धीमारियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कार्य-कुगलता घटनी है और उत्पादन में गिरावट आ जाती है।

3. नागरिक समस्या (Civic Problem)—शहरी क्षेत्रों में अधिक जनभार से नागरिकों के आवास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रमिक भी एक नागरिक है और इस समस्या का समाधान होना आवश्यक है।

खराद आवास व्यवस्था के दोष (Defects of Bad Housing)

प्रो. आर. सी. सक्सेना के अनुसार, “अच्छे घरों का अर्थ गृह-जीवन की सम्भावना, मुख और स्वास्थ्य है तथा दुरे घरों का अर्थ है गन्दगी, शारावणोरी, बीमारी, व्यभिचार और अपराध”¹

I. खराब आवास व्यवस्था का स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। आवाम और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा ये दोनों ध्रीघोषिक अभिक की कार्य-कुशलता पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियाँ कंल जाती हैं।

2. खराद गृह-व्यवस्था के कारण ही धर्मिकों में प्रवास की प्रवृत्ति (Migratory Character of Labour) को प्रोत्तमाहन मिलता है। भारतीय धर्मिक यामीण देशों से आकर धौधोगिक देशों में कार्य करते हैं। लेकिन यामीण और शहरी आवास में रात दिन का अन्तर देखने को मिलता है। खुटी हवा, प्रकाश, शुद्ध जल तथा अच्छा वातावरण आदि का शहरी सेवों में अभाव होने के कारण वे कुछ दिन कार्य करते हैं और फिर बांधिस अपने गांव को चले जाते हैं।

3. खुराक आवास व्यवस्था के कारण कई सामाजिक बुराइयाँ (Social evils) उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरणात्मक—पश्चात्त्वारी, अनेत्रिकता, अपराध, जुधा खेलना आदि। श्रौद्धोगिक वस्तियों में स्त्री-युवती का अनुपात असमान होने के कारण अनेत्रिकता को बढ़ावा मिलता है। थमिक विना परिवार के रहने के कारण जुद्धात्त्वारी, शराबखोरी, अपराध आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है।

अपर्याप्त और खराब आवाम व्यवस्था के कारण ही श्रोदोगिक अशन्ति, अनुपस्थिति और धम परिवर्तन आदि को प्रोत्ताहन मिलता है। ये सभी श्रोदोगिक उत्पादन को कम करते हैं, जिसका राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

आवास व्यवस्था की इन अभाग्यशाली परिस्थितियों से विवश होकर हॉ. राधाक्रमल मुखर्जी ने ठीक ही लिखा है कि “भारतीय श्रीदोगिक वस्तियों की दशा इतनी भयकर है कि वहाँ मानवता को निर्दंशता के साथ अभिशापित किया जाता है। महिजाम्बों के स्तोत्र का अपमान किया जाता है एवं देश के भावी आधार-स्तम्भ शिशुओं को आरम्भ से त्रिप से सिचित किया जाता है।”¹²

आवास की इन खराब दशाओं का चित्रण करते हुए थी मीनू मसानी ने कहा या कि, “भगवान ने विश्व को बनाया, मनुष्य ने शहरों को और राक्षसों ने अन्दी बस्तियों को बनाया।”

1952 में श्वर्णीय नेहरू ने कानपुर की आवास व्यवस्था को देखकर गूससे मे कहा था, “इन गन्दी वस्तियों को जला दिया जाए !”

I *Saxena R C : Labour Problems & Social Welfare, p 246*

² Dr. R. K. Mukerjee : The Indian Working Class, p. 230.

आवास : किसका उत्तरदायित्व ? (Housing Whose Responsibility ?)

खराब आवास व्यवस्था के कारण अधिकों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अधिकों में प्रवासिता, ग्रीष्मीय अवश्यिता, अधिक परिवर्तन, अनुपस्थिति आदि सभी तत्त्वों के लिए खराब आवास व्यवस्था जिम्मेदार है। कई सामाजिक दृष्टियाँ उदाहरणार्थ शराबखोरी, जुगालखोरी, वैश्यागमन, अपराध आदि खराब आवास व्यवस्था के ही परिणाम हैं।

इन सभी बुरे प्रभावों को समाप्त करने हेतु एक अच्छी आवास व्यवस्था का होना आवश्यक है। हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छे मकान में सपरिवार सुखी और प्रसन्न रहे। एक अच्छी आवास व्यवस्था हेतु किसे जिम्मेदार बनाया जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अधिकों का कहना है कि आवास व्यवस्था करना मालिकों का उत्तरदायित्व है। सरकार को इसके लिए कारबाना अधिनियम, 1948 में संशोधन कर इसे शामिल किया जाए। जहाँ मालिक यह नहीं कर सकता है वहाँ अधिकों को आवास भत्ता दिया जाना चाहिए।

मालिकों का कथन है कि आवास व्यवस्था राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि आवास व्यवस्था के लिए भूमि प्राप्त करना और मकान बनाना एक महंगी व्यवस्था है जो कि मालिक द्वारा वहन नहीं की जा सकती है।

सरकार के कथनानुसार आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व मालिकों का है क्योंकि अच्छी आवास व्यवस्था से प्राप्त लाभ मालिकों को ही प्राप्त होगे। अच्छी आवास व्यवस्था से अधिकों की प्रवासिता, अनुपस्थिति, अधिक परिवर्तन, शराबखोरी, जुगालखोरी, वैश्यागमन आदि दोष कम हो जाएंगे। अधिकों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, उत्पादन अधिक होगा और इससे मालिकों के लाभ में वृद्धि होगी। कई समिनियों व आयोगों ने भी आवास के उत्तरदायित्व के बारे में अपने अलग-अलग विचार दिए हैं।

शाही अम आयोग के अनुसार आवास का उत्तरदायित्व सरकार और स्थानीय निकायों का है। राष्ट्रीय योजना समिति ने कहा था कि इसका उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से मालिकों पर ढाला जाना चाहिए। स्थानीय सर्वेक्षण एवं विकास समिति 1946 ने भी आवास का दायित्व सरकार पर ही ढाना है। अम अनुसन्धान समिति ने सुझाव दिया है कि आवास हेतु आवास मण्डलों (Housing Boards) की स्थापना की जानी चाहिए। आवास हेतु पूँजी वित्त का प्रबन्ध राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए और कियाशील व्यय वहन करने का दायित्व मालिकों और अधिकों पर होना चाहिए।

आवास व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसी एक पक्ष पर नहीं ढाला जा सकता

क्योंकि यह समस्या एक जटिल समस्या है तथा इसमें भूमि प्राप्त करना और मकान बनाने हेतु माल तथा वित्त का प्रबन्ध करना आदि कठिनाइयाँ आती हैं, जिन्हे किसी एक पथ द्वारा हल करना आसान नहीं है। अत आवास व्यवस्था हेतु न केवल राज्य सरकारों को ही उत्तरदायी बनाया जाए बल्कि स्थानीय सरकारों और मालिकों को भी इस हेतु तैयार किया जाना चाहिए। यह एक सयुक्त उत्तरदायित्व है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की समस्याओं, मालिकों तथा सरकारों का सहयोग अपेक्षित है।

गन्दी बस्तियों की समस्या

(Problem of Slums)

भारतीय श्रीधोगिक थमिकों की आवास व्यवस्था गच्छी नहीं है। वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं। इन गन्दी बस्तियों को विभिन्न श्रीधोगिक क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। बम्बई में चाल (Chawl), मद्रास में चेरी(Cherry), कलकत्ता में बस्टी (Basti) और कानपुर में अहाता (Ahatas) के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रीधोगिक क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों को प्रोत्साहन निर्माण नियमों में फिलाई, थमिकों को उदासीनता, भूमि का ऊँचा मूल्य आदि के कारण मिला है। गन्दी बस्तियाँ हमारे देश की दरिद्रता की निशानी हैं। शिक्षा की कमी, अधिक जनभार और योजना के भ्रभाव के परिणामस्वरूप गन्दी बस्तियों का विकास हुआ है।

गन्दी बस्तियाँ एक राष्ट्रीय समस्या बन गई हैं व्योंकि आवास मानव की एक प्रमुख आवश्यकता है जिसे पूरा करना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार का दायित्व हो जाता है। इन गन्दी बस्तियों के कारण कार्य-कुशलता में कमी, अनेतिकता, ज्ञानावधीरी, जुप्राणीरी, श्रीधोगिक ग्रजान्ति आदि रूपों में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए गन्दी बस्तियों का उन्मूलन अत्यन्त आवश्यक है। 1952 में हवधार्य नेहरूजी ने कानपुर की गन्दी बस्तियों को समाप्त करने अथवा उन्हे जला देने के लिए कहा था। सप्तद सदस्य थी बी. शिवाराव ने भी इन गन्दी बस्तियों को समाप्त करने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्य करने को कहा था।

गन्दी बस्तियों की समस्या का हल तीन दृष्टिकोणों द्वारा किया जा सकता है। प्रथम, गन्दी बस्तियों की सफाई (Slum clearance) करना। यह एक दीर्घ-कालीन समस्या है। योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या को हल करना होगा। दूसरा, गन्दी बस्तियों का सुधार (Slum improvement) करना। जहाँ गन्दी बस्तियों को सफ करना सम्भव नहीं है तथा सुधार सम्भव है, वहाँ यह कार्य किया जाना चाहिए। इसे वर्तमान समय में ही शुरू करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक मुख्यधारे, उदाहरणार्थ सड़कें, चिकित्सा और शिक्षा आदि प्रदान करनी चाहिए। तीसरी, गन्दी बस्तियों को रोकने (Slum prevention) का सरकार को कानून बनाना चाहिए जिससे गन्दी बस्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिले। योजनाबद्ध तरीके

से आवास व्यवस्था की जानी चाहिए। गृह-निर्माण मन्त्रालय नियमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु अधिनियम पंचवर्षीय योजनाओं में निश्चित कार्यक्रम रखे गए हैं और उन पर व्यय किया गया है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई को आवास सम्बन्धी नीति का आवश्यक अग्र माना गया। इसके लिए गृह-निर्माण की राशि 38.5 करोड़ रुपयों में से योजना बनाकर व्यय करने का प्रावधान रखा गया था। दूसरी योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था जिसे बाद में घटाकर 13 करोड़ रुपये कर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों के उन्मूलन और सुधार हेतु 28.6 करोड़ रुपये रखे गए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भी गन्दी बस्तियों के उन्मूलन तथा सुधार हेतु पर्याप्त धन दिया गया।

1958 में गन्दी बस्तियों की सफाई पर सलाहकार समिति (Advisory Committee on Slum Clearance) द्वारा दी गई रिपोर्ट में निम्न सिफारिजों की गई थी—

1. गन्दी बस्तियों की सफाई समस्या को नागरिक विकास समस्या का एक अभिन्न अग्र माना जाए।
2. सुगमतापूर्वक कार्य चलाने हेतु केन्द्रीय मन्त्रालय को यह कार्य-भार सौंप दिया जाए।
3. कार्य प्रारम्भ करने हेतु बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद की गन्दी बस्तियों को सुधारा जाए।
4. बत्तमान गन्दी बस्तियों में आधारभूत सुविधाएँ—सड़क, प्रकाश, जल, चिकित्सालय, पाठशाला आदि की व्यवस्था की जाए।
5. अधिक गन्दी बस्तियों वाले औद्योगिक क्षेत्र में अधिक धनराशि का उपयोग किया जाए।

भारत में श्रमिकों तथा अन्य वर्गों के आवास पर भारत सरकार का विवरण 1985-86

भारत में मकानों की कमी के दो पहलू हैं—कम संख्या और अवन्तोषजनक स्तर। आवास की यह समस्या कई वर्षों से लगातार जटिल होनी रही है। इसके मुख्यतः तीन कारण रहे हैं—(1) जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, (2) तीव्र गति से शहरीकरण और (3) मकानों की संख्या में अपेक्षाकृत कम वृद्धि। गांवों और शहरों की आवास समस्या में भी बहुत बड़ा अन्तर है। शहरी इलाकों में भीड़-भाड़, तग बस्तियों और अनधिकृत बस्तियों की समस्या है और यामीण क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति सही नहीं है तथा आवश्यक सेवाओं का अभाव है। भारत में

आवास समस्या का कोई भी व्यापक हल ढूँढ़ते समय इन कठिनाइयों की अवहेलना नहीं की जा सकती।

स्वाधीनता के पश्चात् भारत में काफी परिवर्तन आए हैं। स्वाधीनता के बाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य बढ़ गई। दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ लोगों की औसत आयु में भी बढ़ोत्तरी हुई। इन परिवर्तनों की स्पष्ट भलक इस बात से पिछती है कि मकानों की मांग करने वाले नए परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है तथा वे वैहतर मकानों में रहने की इच्छा करने लगे हैं। अतः भारत में आवास नीति में जहाँ एक भीर मकानों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया जाता है, वही लोगों को अपने निजी मकान बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि भारी संस्था में लोगों का जीवन स्तर वैहतर हुआ है लेकिन यह बात भी स्पष्ट रूप से सामने आई है कि मूलभूत असमानताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आवास आवश्यकताएँ

संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों में आवास की स्थिति को और बिंगड़ने से रोकने के लिए भ्रगले दो-तीन दशकों में प्रतिवर्ष एक हजार की आवादी के लिए आठ में दस मकान बनाए जाने चाहिए। यह अनुमान लगाया गया है कि 1971 तक प्रति हजार जनसंख्या के लिए केवल दो से तीन मकानों की वृद्धि हुई, जबकि जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए प्रति हजार आवादी के लिए पाँच मकानों की आवश्यकता थी। 1971 से 1981 के बीच यह वृद्धि दर बढ़कर प्रतिवर्ष चार मकानों की प्रति हजार हो गई। मकानों के मौजूदा स्तर में सुधार तथा पुराने मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण की आवश्यकता के कारण मकानों की कमी की समस्या और गहरी हुई है।

मध्यकृत राष्ट्र की आम सभा ने 1987 का वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय रूप से 'आवासहीनों के लिए आधय वर्ष' के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इसके मुख्य उद्देश्य है—(1) 1987 तक समीपवर्ती स्थानों पर रहने वाले निर्धनों व सुविधाहीन लोगों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना। (2) सन् 2000 तक निर्धनों व सुविधाहीन व्यक्तियों के लिए आवासीय मुविधा प्रदान करने से सम्बन्धित विभिन्न साधनों और संसाधनों में सम्बन्धित उच्चत जानकारियों का प्रदर्शन करना। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मनाए जा रहे 'आवासहीनों के लिए आधय वर्ष' के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार बचनबद्ध है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आवास योजनाएँ

आवास-निर्माण एक ऐसी नविनियोगि है जिसने विशेषतया अत्यधिक थ्रम की आवश्यकता पड़ती है। घर इससे उसी प्रकार का विकास होता है जिसकी परिकल्पना भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में की गई है। साथ ही आवास-

निर्माण में अकृशत श्रमिकों को रोजगार मिलता है और अपेक्षाकृत निर्धन लोगों को आय होती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के अतिरिक्त आवास-निर्माण में चौथी पंचवर्षीय योजना तक सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम रही है। समाज के कुछ चुने हुए आधिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सहायता मकान दिए गए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार शहरी क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण भूमिहीनों को भी आवास स्थल देने का प्रावधान किया गया।

छठी योजना में यह स्पष्ट कहा गया है कि आवास एक बुनियादी आवश्यकता है और इसे अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। आवास के सन्दर्भ में योजना के लक्ष्य इस प्रकार थे—(1) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को आवास स्थल प्रदान करना और निर्माण के लिए सहायता देना, (2) साधनों की अत्यधिक कमी को देखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र की सामाजिक आवास योजनाओं को इस प्रकार तंयार किया जाएगा कि इनसे अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित किया जा सके, विशेषकर आधिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए जिसमें वे मुग्हतान करने में स्वयं को समर्थ पा सकें, और (3) स्तरों की समीक्षा करते हुए सस्ती दैक्टिपक निर्माण मामनी का प्रयोग करके सार्वजनिक आवास योजनाओं में लागत को कम करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे।

सामाजिक आवास योजनाएं

आवास समस्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए चिन्ता का विषय रही है, विशेषकि लोगों की व्यक्तिगत तथा सामाजिक भलाई के लिए इसका बहुत महत्व है। स्वाधीनता के पश्चात् सरकार ने यह स्वीकार किया कि लोगों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। परिणामस्वरूप, राज्य/केन्द्र सरकार की यह भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती रही है कि आवास के लिए सरकारी व्यय म वरावर वृद्धि की जाती रही है।

देश में चल रही सामाजिक आवास योजनाओं के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार की भूमिका, इस विषय में, मोटे तौर पर सिद्धान्त निर्धारित करने, अवश्यक परामर्श देने, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शामित प्रदेशों को ज्ञाण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने और इन योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने तक ही सीमित रही है। राज्य सरकारों और केन्द्र शामित प्रदेशों के प्रशासनों को इन योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाएं तैयार करने, स्वीकृति देने और इन्हें कार्यरूप देने तथा सम्बन्धित निर्माण एजेंसियों को वित्तीय सहायता जारी करने के पूरे अधिकार दिए गए हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से राज्य को आवास सहित राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए 'एक मुश्त अनुदान' और 'एक मुश्त ज्ञान' के रूप में परी केन्द्रीय सहायता दी जाती रही है। परन्तु इस

विषय में राज्यों के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं तयारी जाती कि वे विकास के किसी विशेष कार्यक्रम अथवा योजना पर कितना धन खर्च करें। आवास और निर्माण मन्त्रालय वोस मूल्य कार्यक्रम के प्रत्यर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति पर भी नजर रखता है।

जून, 1982 तक देश में जो सामाजिक आवास योजनाएँ चल रही थी उनका विवरण (योजना शुरू होने के बर्द्द सहित) इस प्रकार है—

(1) श्रीधोगिक थमिको और समाज के आधिकर रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए समन्वित रियायती आवास योजना (1952), (2) कम आय वाले वर्ग के लिए आवास योजना (1954), (3) बागान मजदूरों के लिए रियायती आवास योजना (1956), (4) मध्यम आय वर्ग आवास योजना (1959), (5) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना (1959), (6) तग वस्तियों की सफाई/सुधार योजना (1956), (7) ग्रामीण आवास परियोजना (1957), (8) मूमिन अधिग्रहण तथा विकास योजना (1959) तथा ग्रामीण थेनों में भूमिहीन थमिको के लिए आवासीय स्थलों का प्रावधान (1971)।

बागान मजदूरों के लिए रियायती आवास योजना को छोड़कर, जो केन्द्रीय क्षेत्र में ही है, जुलाई, 1982 में सामाजिक आवास योजनाओं और मूमिहीन मजदूरों के लिए आवासीय स्थलों के प्रावधान की योजना का आय के आधार पर पुन वर्गीकरण करके इनकी चार श्रेणियाँ बना दी गई हैं। ये हैं—(1) आधिकर रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास योजना, (2) कम आय वर्ग के लिए आवास योजना, (3) मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजना और (3) राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना।

आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना

गाँवों के भूमिहीन थमिको के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना 18 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। छठी योजना में इसके लिए लगभग 354 करोड़ रुपये रखे गए थे। इनमें से 170 करोड़ रुपये आवास स्थल प्रदान करने के लिए रखे गए थे और लगभग 184 करोड़ रुपये निर्माण सहायता के रूप में देने का प्रावधान था। योजना के अनुसार विकसित आवास स्थलों, सम्पर्क सेतुओं और एक पवका दुग्रां बनाने पर प्रति परिवार 250 रुपये के हिसाब से खर्च किया गया। प्रत्येक परिवार को 500 रुपये निर्माण सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मकानों के निर्माण का खर्च योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार स्वयं करेंगे।

अनुमान है कि मार्च, 1985 तक आवास सहायता पाने योग्य परिवारों की संख्या लगभग 145 लाख होगी। 77 लाख परिवारों को छठी योजना के अनुम्भ होने से पहले ही आवासीय प्लाट प्राप्त हो गए हैं और 68 लाख परिवार ऐसे बचे हैं जिन्हे आवास स्थल दिए जाने हैं। छठी योजना में शेष सभी भूमिहीन

परिवारों को आवासीय प्लाट प्रदान करने का प्रस्ताव है। मार्च, 1985 तक 130·72 लाख परिवारों को आवास म्यल प्रदान कर दिए गए हैं। छठी योजना में सहायता पाने वाले 25 प्रतिशत परिवारों अर्थात् 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकारें और लोगों द्वारा अपने प्रयासों से मकानों अथवा भोपड़ों का निर्माण किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों से मार्च, 1985 तक 31·35 लाख घर बनाए जा चुके हैं।

आवास वित्त

आवास तथा अन्य निर्माण गतिविधियों में आवास के लिए धन जुटाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। आवास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की मूलिका उत्साहजनक होते हुए भी बहुत कम रही है। आवास के लिए अधिकतर पूँजी निजी क्षेत्र में ही लगने की आशा है।

हालाँकि आवास वित्त के लिए देश में हाल ही में अनेक विशेषज्ञ एजेन्सियाँ बन गई हैं, लेकिन अब भी अधिकांश धन कुछ चुनी हुई वित्तीय संस्थाओं से ही प्राप्त होता है। इन संस्थाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, आवास और शहरी विकास निगम (हड्डको), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इत्यादि जामिन हैं। राज्य आवास बोर्डों, आवास तथा शहरी विकास अधिकरणों, और सहकारी आवास वित्त समितियों और राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों के जरिए भी धन प्राप्त होता है।

शहरी विकास

छठी योजना में छोटे और मझोले शहरों तथा कस्बों के विकास पर बल दिया गया है। शहरी विकास को ग्रामीण विकास का पूरक माना गया है ताकि शहरीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली नीतियों से नगरों और उनके आस-पास के इलाकों के बीच सम्बन्ध सुटूँ हो सकें। छठी योजना का उद्देश्य है कि छोटे और मझोले नगरों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि आवास, जन-प्रापूति, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि पर अधिक धन लगाया जा सके। इन शहरों में नए उद्योग स्थापित करने तथा अन्य गतिविधियों के लिए रचनात्मक प्रोत्साहन दिए जाएंगे और विजली की सप्लाई तथा दूर सचार सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक लाख से कम जनसूच्या वाले छोटे और मझोले नगरों के विकास के लिए दिसम्बर, 1979 से एक केन्द्रीय योजना चलाई जा रही है।

छठी योजना अवधि के दौरान 231 छोटे और मझोले नगरों के समन्वित विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 96 करोड़ रुपये रखे गए हैं। केन्द्र सरकार आश्रय, परिवहन तथा अन्य प्राथिक गतिविधियों से समन्वित परियोजनाओं के लिए उनकी लागत का पचास प्रतिशत अथवा चालीस लाख रुपये, जो भी कम हो देगी। यह राशि देते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि राज्य की एजेन्सियों ने

परियोजना के लिए इतना ही धन दिया है। राज्य सरकार अपनी ओर से भी इस समन्वित परियोजना के एक अंग के रूप में जल आपूर्ति, सफाई, तग वस्तियों के सुधार तथा सामाजिक सुविधाओं पर धन खर्च करेगी। योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से कम लागत में सफाई का प्रबन्ध करने का मद भी शामिल किया गया है। कम लागत पर सफाई की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार 40 लाख रुपये के अलावा 15 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की भी अधिकारी हैं, बशर्ते कि वे अपने कोप से कम से कम 12 लाख रुपये की धन राशि कम लागत की सफाई योजनाओं पर खर्च करें। नगर और ग्राम आयोजन संगठन द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जा चुका है। इस प्रकार 237 नगरों में से 235 नगरों का चयन किया गया है और 31 मार्च, 1985 तक 63·44 करोड़ रुपये की केन्द्रीय देणे सहायता दी जा चुकी थी।

श्रम मन्त्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 का विवरण

तान और बीड़ी श्रमिकों को आवास सुविधाएं प्रदात वरने के लिए निम्न-लिखित योजनाएं बनाई गई हैं—

(i) टाइप-I आवास योजना—इस योजना के अन्तर्गत खान प्रबन्धों को मकान निर्माण हेतु प्रति मकान 7,500 रु या मकान की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, की दर से प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त खान प्रबन्धकों को साधारण क्षेत्रों में 1,000 रु और काली मिट्टी तथा उभरी हुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में 1,500 रु प्रति मकान की दर से विकास खर्च भी देय है ताकि खान स्थलों में मकानों को निर्मित किया जा सके और उन्हे पात्र कर्मचारियों को आवास दिया जा सके।

(ii) टाइप-II आवास योजना—इस योजना के अन्तर्गत खान स्थलों पर श्रमिकों के लिए मकान निर्माण हेतु प्रति मकान 15,000 रु या मकान की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, अध्रक से भिन्न खान प्रबन्धतन्त्रों को प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त साधारण क्षेत्रों में 1,500 रु और काली मिट्टी तथा उभरी हुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में 2,250 रु प्रति मकान की दर से विकास खर्च भी दिया जाता है।

(iii) अपना मकान स्वयं बनाओ—इस योजना के अन्तर्गत खगनों और बीड़ी उद्योग नियोजित श्रमिक अपनी भूमि या राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा दी गई भूमि पर अपना मकान स्वयं बनाने के लिए 1,000 रु. की दर से वित्तीय सहायता और 4,000 रु. का व्यय मुक्त करणे पाने के हकदार हैं।

(iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना—यह योजना बीड़ी उद्योग में कार्यरत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर लागू होती है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि की व्यवस्था की जाती है और राज्य सरकार द्वारा मकान निर्मित किए जाते हैं ताकि उन्हे आर्थिक रूप से कमजोर बीड़ी श्रमिकों

को आवंटित किया जा सके। राज्य सरकार को प्रति महान के लिए 3000 रु. या वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की दर से प्रतिपूति की जाती है।

(v) गोदाम और वर्क शेड—यह योजना विशेषकर उन बीड़ी अमिकों को सहायता देने के लिए तैयार की गई है जो बीड़ी कारखानों में नियोजित नहीं हैं और जिनके पास काम करने की कोई जगह नहीं है। ऐसे कर्मकारों को सहकारी समितियों के रूप में समर्पित करने के उद्देश्य से उन्हें गोदाम/वर्क शेड की लागत का 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है बशर्ते कि ऐसी सोसाइटियों में सदस्यों की संख्या कम से कम 100 हो और उनकी अपनी जमीन हो।

आवास समस्या के हल के लिए निर्माण एजेन्सियाँ और सरकारी योजनाएँ

'आवास' राज्य का दियप है। केन्द्र सरकार की भूमिका इस क्षेत्र में राज्य सरकारों के क्रियाकलापों के समन्वय, आँकड़े एकत्र करने और उनकी जाँच-पहचान करने, अनुसंधान को बढ़ाने और कम लागत के महानों तथा परम्परागत सामग्री जो महंगी और दुर्लभ हो गई है, के स्थान पर नई सामग्री के प्रयोग के सम्बन्ध में, उसके परिणामों का प्रचार करने और आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको), जीवन बीमा निगम (ए.ल.आई.सी.) तथा सामान्य बीमा निगम (जी.आई.सी.) के माध्यम से राज्य सरकारों तथा अस्थ आवास अभिकरणों के लिए ऋणों की व्यवस्था करने तक सीमित रही है।

सरकार का यह प्रयास रहा है कि (1) भौजूदा आवासों की संख्या को सुरक्षित रखा जाए और इस संख्या में वृद्धि की जाए, (2) भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास तथा स्थलों की व्यवस्था की जाए, (3) आवास तथा नगर विकास निगम और आवास बोर्डों जैसे सम्यागत अभिकरणों का समर्थन दिया जाए ताकि ये निम्न आय और मध्यम आय वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था कर सकें, (4) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए आवास-निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए, (5) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए सार्वजनिक निविधियों के उपयोग पर बल दिया जाए, और (6) सस्ती भवन-निर्माण सामग्री का गहन अमुसंधान एवं विकास किया जाए।

निर्माण एजेन्सियाँ

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड—राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 1960 में एक विशिष्ट उद्देश्य से की गई थी कि अच्छे स्तर के प्रति हचि का विकास हो, निर्माण लागत को कम किया जाए और दुर्लभ तथा कठिन इलाकों में निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सके। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम विशेष तथा जटिल निर्माण कार्यों को हाथ में लेता है और उन्हें पूरी तरह तैयार

करके देता है। निर्माण के माध्य-साथ भवन की योजना और डिजाइन भी निगम ही बनाता है। निगम ने लीबिणा तथा ईराक में विभिन्न कार्य हाथ में निए हैं जिसमें हवाई अड्डे, रिहायशी मकान बरितार्यां, छात्रावास, होटल, विश्वविद्यालय तथा जल-मल निकास प्रणालियों का निर्माण शामिल है।

आवास और शहरी विकास निगम—आवास और शहरी विकास निगम (हुड़को) केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है। इसे 1970 में निर्माण और आवास मन्त्रालय के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। यह एक शीर्ष संगठन है जिसका मुख्य काम देश में आवास-निर्माण तथा शहरी विकास कार्यक्रम के लिए जूहण प्रदान करना है। ऐसा करते हुए यह निगम आध वर्ग और आधिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए आवास-निर्माण को प्राथमिकता देता है।

यह निगम मुख्य तौर पर सरकार के शेषयों के माध्यम से भारतीय जीवन वीमा निगम से जूहण लेकर और प्रल्पकालीन जूहण पत्र जारी करके अपने लिए धन जुटाता है। छठी योजना में हुड़को द्वारा 600 करोड़ रुपये के जूहण और 1,050 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान था।

31 मई, 1985 तक कुल स्वीकृत जूहणों की राशि और वितरित राशि निम्न 1,731 74 करोड़ रुपये तथा 1,002 24 करोड़ रुपये है। अब तक स्वीकृत कार्यक्रमों की योजना लागत 2,642 38 करोड़ रुपये है। इससे 20·20 लाख मकानों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 'हुड़को' से प्राप्त जूहण का उपयोग 1,78 लाख घरों को विकलित करने के लिए किया जा सकेगा। इनमें से लगभग 88 प्रतिशत घरों समाज के कमज़ोर वर्गों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए होगे।

हिन्दुस्तान प्री-फैब लिमिटेड—हिन्दुस्तान प्री-फैब लिमिटेड, नई दिल्ली (जो पहले हिन्दुस्तान हाऊसिंग फंक्ट्री लि के नाम से जानी जाती थी) सरकार का एक उपक्रम है। यह कम्पनी पूर्व सरचित गृहों के निर्माण के अतिरिक्त पूर्व सरचित प्रवलित सीमेट कक्षीट के हिस्से, पूर्व प्रवलिट बीमेट कक्षीट के बिजली के सम्बन्धी, फोम कक्षीट के पैनल तथा विभाजन और विस्थाहन खण्ड आदि विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री बनाती है। इसमें लकड़ी की लुडाई का काम होता है और यहाँ इमारती लकड़ी को पकाने की उत्तर भारत की सबसे बड़ी भट्टी है। इसने व्यक्तिगत भवन निर्माणाद्वारा और निर्माण एजेंसियों के इस्तेमाल के लिए भवनों के कुछ पूर्वनिर्मित हिस्सों का मानकीकरण किया है। औडोगिक ढीचों के लिए जो पूर्व निर्मित हिस्से इस कारखाने ने बनाए हैं उनमें इस्पात की बचत के साथ-साथ निर्माण लागत में कमी और निर्माण कार्यों के पूरा होने में तेजी आई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी. डब्ल्यू. डी.) रेलवे, भैंचगर, रक्षा सेवायो, परमाणु ऊर्जा और आकाशवाही के निर्माण कार्यों को द्वोषकर, केन्द्र सरकार की गभी इमारतों के डिजाइन बनाने,

निर्माण, रख-रखाव तथा सरम्मत करने का काम करता है। यह दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव का काम करता है और केन्द्र शासित प्रदेशों के लोक निर्माण विभागों पर तकनीकी नियन्त्रण रखता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों के पास लोक निर्माण इंजीनियरी संगठन नहीं हैं वे अपने निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण संगठनों और सलाहकार संगठनों को ही सौंपते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अर्ब-मरकारी संगठनों के निर्माण और कार्य अनुबन्ध अपने हाथ में लेता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने वास्तुकला, भौतिक्य और बागवानी के साथ-साथ निर्माण कार्य तथा विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने में उल्लेखनीय विशेषज्ञता प्राप्त कर दी है। विभाग में तक्षम, वास्तु शास्त्र, डिजाइन तंत्रार करने के लिए एक केन्द्रीय डिजाइन-संगठन, परियोजनाएँ चलाने के लिए क्षेत्रीय एकांश और विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए एक विशृद्ध तथा यांत्रिक शास्त्र है।

श्रीद्योगिक आवास से सम्बन्धित विधान

(Legislation Relating to Industrial Housing)

स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे देश में श्रीद्योगिक आवास से सम्बन्धित एक ही अधिनियम था। वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1933 (Land Acquisition Act of 1933) था। इसके अन्तर्गत श्रमिकों हेतु मकान बनाने के लिए मालिकों द्वारा भूमि प्राप्त करने में सहायता मिलती थी। अश्वक खान थम कल्याण कोष अधिनियम, 1946 (Mica Mines Labour Welfare Fund Act of 1946), कोयला खान थम कल्याण अधिनियम, 1947 (Coal Mines Labour Welfare Fund Act of 1947) और नोहा खान थम कल्याण कोष अधिनियम, 1961 (Iron-ore Mines Labour Welfare Fund Act of 1961) आदि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए शृह-निर्माण का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त कई राज्यों द्वारा भी आवास व्यवस्था के लिए अधिनियम पास किए गए हैं। उदाहरणार्थ—धम्बई आवास मण्डल अधिनियम 1948, मध्य प्रदेश आवास मण्डल अधिनियम 1950, 1955 का भूमूल आवास मण्डल अधिनियम, 1952 का हैदराबाद थम आवास अधिनियम, 1956 का पञ्चाब श्रीद्योगिक आवास अधिनियम, 1955 का उत्तर प्रदेश श्रीद्योगिक आवास अधिनियम, आदि। इन अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए आवास व्यवस्था के प्रावधान रखे गए हैं।

आवास योजनाओं की धीमी प्रगति के कारण

(Causes of Slow Pace of Housing Scheme)

आवास व्यवस्था का दायित्व सरकार, मालिक, थम संघों तथा अन्य संगठनों पर समुक्त रूप से है। इसी मुकुट उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् इन वर्गों द्वारा विभिन्न आवास योजनाएँ चलाई गई हैं। इन आवास योजनाओं द्वारा श्रमिकों की बढ़ती हुई आवास व्यवस्था की माँग की तुलना

में पूर्ति कम हुई है। आवास योजनाएँ धीमी गति से चली हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण ये हैं—

1. सरकारी योजनाएँ लाल-फीतशाही का शिकार रही हैं। सरकारी कार्यधीरे-धीरे होने से आवास योजनाओं की प्रगति भी धीमी दर से हुई है।

2. मकान निर्माण हेतु कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा और समय पर मिलने में कठिनाई के कारण से भी धीमी प्रगति हुई है। सीमेण्ट, लोहा आदि मात्र पर्याप्त मात्रा में और समय पर नहीं मिल सका है।

3. कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक 10 लप्ये माहवार भी मकान किराया देने से असमर्थ होने से सरकार अधिक मकान बनाने में असमर्थ रही है।

4. मालिकों की सहायता तथा ऋण के रूप में मिलने वाली राशि के अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

5. भूमि अधिग्रहण करना, कच्चा माल प्राप्त करना आदि कठिनाइयों के कारण मालिकों द्वारा आवास योजना की प्रगति धीमी रही है।

6. अधिक अविक्षित तथा अज्ञानी होने के कारण अम महकारी समितियों बनाने में असमर्थ है और इनके अभाव में निर्माण की गति को बढ़ाया नहीं जा सकता।

7. अम सहकारी समितियों को भी मकानों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने तथा कच्चा माल—सीमेण्ट, लोहा आदि प्राप्त करने में कठिनाई आती है। इससे अम सहकारी समितियों द्वारा बनाए जाने वाले मकानों की संख्या अधिक नहीं बढ़ सकी है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास की सफलता हेतु उपाय (Measures for Successful Industrial Housing Scheme)

राज्य सरकारों, मालिकों और अम सहकारिताग्रों द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना में अधिक रुचि नहीं दिखाई है। इसकी सहायता हेतु श्री वी. वी. गिरि (V. V. Giri) ने जो सुझाव दिए थे, वे अनुकरणीय हैं—

1. जो स्थान काम करने के क्षेत्रों से दूर हैं और उनमें अधिकों की वस्तियाँ बस जाती हैं वहाँ से अधिकों के आने-जाने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय राष्ट्रग्रों को यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध करनी चाहिए।

2. अधिकों की वस्ती में सार्वजनिक मेत्रायों तथा अन्य दूसरी सुविधाग्रों को उपलब्ध किया जाना चाहिए, उदाहरणार्थे बाजार, डाकघर और स्कूल का प्रबन्ध।

3. जहाँ तक सम्भव हो सके प्रत्येक अधिकों को एक अलग भूमि का टुकड़ा दिया जाए, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएँ हो। अधिकों को वहाँ अपने अम से मकानों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. मजदूरी मुगतान प्रधिनियम, 1936 मे इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए कि राज्य सरकारें सीधे श्रमिकों के वेतन से ऋण की राशि प्राप्त कर सके।

5. यह योजना उन औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी काम में लाई जानी चाहिए जो राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के नीकर हैं।

6. जिन श्रमिकों के लिए मकान की व्यवस्था नहीं हो सकी है उनमें से कम से कम 20% के लिए भी यदि मालिक मकान बनवाना चाहें तो उन्हे वढ़ी हुई दर पर 3 से 5 साल तक के लिए वित्तीय सहायता और ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. वैधानिक रूप से बाध्य करने की नीति को काम में लाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मालिकों को उचित दर पर भूमि देने की व्यवस्था करें। वित्तीय सहायता और ऋण देने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया जाना चाहिए।

8. यदि कोई अन्य योजना बनाई जाती है तो उसके लिए भी वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. वित्तीय सहायता और ऋण मे वृद्धि करके श्रमिकों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। राज्य सरकार इन समितियों को 'न लाभ न हानि' के आधार पर अच्छी भूमि देने की व्यवस्था कर सकती है।

10. ऋण वापस लेने की किस्तों मे रियायत की जानी चाहिए, विशेष रूप से श्रमिकों की नहकारी समितियों के लिए।

अम कल्याण की परिभाषा और क्षेत्र (Definition & Scope of Labour Welfare)

विभिन्न समितियों, सम्मेलनों, आयोगों द्वारा अम कल्याण की परिभाषा और क्षेत्र के विषय मे भिन्न-भिन्न विचार दिए गए हैं।

शाही अम आयोग, 1931 (Royal Commission on Labour, 1931) के अनुसार 'अम कल्याण' एक लचीला शब्द है जिसके एक देश से दूसरे देश मे अलग-अलग अर्थ निकलते हैं। यह विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाज, औद्योगीकरण की मात्रा और श्रमिक का जीवितिक विकास आदि के अनुसार बदलता रहता है।¹

अम कल्याण कार्य के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए कृषि जीवि समिति (Agricultural Enquiry Committee) ने अपने प्रतिवेदन मे लिखा है कि अम कल्याण क्रियाओं के अन्तर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, जारीरिक, नैतिक एवं आर्थिक विकास के कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कार्य चाहे सरकार, नियोक्ता या अन्य संस्थानों द्वारा ही किए जाएं। अन्तर्राष्ट्रीय अम संघ की एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन की द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार, "अम कल्याण से ऐसी सेवाओं और सुविधाओं को समझा जाना चाहिए, जो कारखानों के इन्दर या निकटवर्ती स्थानों

¹ Report of the Royal Commission on Labour, 1931, p. 261.

मेरे स्थापित की गई हो। ताकि उनमे काम करने वाले अभिक त्वस्य और शान्तिपूर्ण परिस्थितियों मेरे अपना काम कर सके तथा अपने स्वास्थ्य और नीतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सकें।”¹

जून, 1956 मेरे अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की 39वीं बैठक के अनुसार निम्नलिखित सेवाओं और सुविधाओं को धर्म कल्याण क्रियाओं के अन्तर्गत रखा गया है—

1. स्थान मेरे प्रथवा पास में भोजन की व्यवस्था।

2. आराम और मनोरंजन की सुविधाएँ।

3. जहाँ सावंजनिक यातायात ग्रसमुचित प्रथवा व्यावहारिक है वहाँ अभिको के आने-जाने के लिए यातायात की सुविधा।

धर्म कल्याण क्रियाओं का सबसे प्रचलित विवरण धर्म अनुसंधान समिति, 1946 (Labour Investigation Committee, 1946) द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार, “धर्म कल्याण क्रियाओं मेरे वे सभी क्रियाएँ शामिल की जाती हैं जो अभिको की बौद्धिक, शारीरिक, नीतिक और आनिक उन्नति के लिए जाती हैं। ये कार्य चाहे नियोक्ता सरकार या अन्य संस्थानों द्वारा किया जाए तथा साधारण अनुबन्ध या विधान के अन्तर्गत अभिको को जो मिलना चाहिए उपके अलावा किए गए हो। इस परिभाषा के प्रत्यंगत हम प्रावास, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएँ, पोपाहार (केण्टीन की व्यवस्था), आराम और मनोरंजन की सुविधाएँ, सहकारी समितियाँ, नसंरी और पालने, सकाई की सुविधाएँ, सवेतन छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, ऐच्छिक रूप से अकेले प्रथवा मयुक्त रूप से अभिको के साथ मेरी मालिक द्वारा बीमारी और मातृत्व साखें योजनाएँ, प्रोविडेंट फ़ाउंडेशन्स और पेन्शन ग्रादि का समावेश कर सकते हैं।”²

धर्म कल्याण के सिद्धान्त (Principles of Labour Welfare)

धर्म कल्याण कार्य निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है—

(1) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त, (2) प्रजातान्त्रिक मूल्य का मिदान्त, (3) उचित मजदूरी का सिद्धान्त, (4) कार्यकुशलता का सिद्धान्त, (5) व्यक्तिगत विकास का मिदान्त, (6) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त, (7) समूर्यं कल्याण का सिद्धान्त।

इस सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन लघु प्रतिष्ठ निदान डॉ देवेन्द्र प्रतापनारायण मिह ने इस प्रकार किया है—

(1) उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व—उद्योग मेरे कार्य करने वाले कर्मचारियों के कल्याण की व्यवस्था का उत्तरदायित्व उद्योगपतियों पर है। यह

¹ Report II of the I. L. O. Asian Regional Conference, p. 3.

² Report of Labour Investigation Committee, p. 345.

सामाजिक मान्यता का एक अंग है। समाज कल्याण का आधार ही दो बातों पर निर्भर है—(1) दूसरों के दुखों को जानने की क्षमता और उनको मदद करने की इच्छा तथा (2) वास्तविकता की खोज करने की क्षमता।

इन्हीं दो स्तम्भों पर सामाजिक नीति की नीब डाली गई है। कर्मचारी वर्ग कमज़ोर है, भूखा है, बीमार है और उसमें अपने परिवार एवं समाज को उठाने की क्षमता नहीं है। इसलिए उद्योग की नीति सामाजिक दृष्टिकोण से दूसरों की मदद करने की क्षमता के रूप में होनी चाहिए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामाजिक एवं अधिक अधिनियमों का सृजन हुआ। गरीबों की रक्षा करना, नियोक्ताओं का सामाजिक धर्म है। थ्रमिकों का संगठित होना, संघों का निर्माण करना एवं क्रान्तिकारी भावना की जागृति के परिणामस्वरूप ही सामाजिक नीति के निर्माण की आवश्यकता पड़ी और उसमें शीघ्रता से सुधार होने लगा। राज्य, धर्म के आधार पर भी औद्योगिक थ्रमिकों के विकास के लिए आवास, शिक्षा एवं शारीरिक गठन आदि पर ध्यान देना आवश्यक माना गया है। इस प्रकार के कार्य अच्छे सम्बन्धों ग्रीष्म शान्ति स्थापना में सहायक माने जाते हैं।

(2) प्रजातान्त्रिक मूल्य—थ्रमिकों के कल्याण के लिए प्रजातान्त्रिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें थ्रमिकों को यह अधिकार हो कि वे अपने कार्यों को स्वाभाविक ढंग से पूरा करें। उन पर अनायास बन्धन न हो, जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपने कार्यों को करने की उन्हें स्वतन्त्रता हो। कठोर बन्धन उद्योग की प्रगति के हित में नहीं होता। इसलिए प्रजातान्त्रिक मूल्यों के आधार पर ही थ्रमिक कल्याण की व्यवस्था हो सकती है।

(3) उचित मजदूरी का सिद्धान्त—यह मान्यता है कि थ्रमिकों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन दिया जाए। यह तर्क कि थ्रमिकों को अनेक प्रकार की कल्याणकारी सुविधाएँ दी जाती हैं, इसलिए वेतन कम दिया जाए, उचित नहीं है। उद्योगपतियों का यह कथन कि वे थ्रमिकों को वेतन के क्षेत्र बोनस, भत्ता, नामीश आदि देते हैं इसलिए अधिक वेतन की कोई विजेय आवश्यकता नहीं, तर्कसंगत नहीं है। इसके विपरीत, अच्छे उद्योगों में, जहाँ मजदूरी अधिक है, अम कल्याण की व्यवस्था भी उतनी है। यह सिद्धान्त थ्रमिकों में आत्म-विश्वास को बढ़ावा देता है और अच्छे सम्बन्धों को बनाए रखने में सहायक होता है।

(4) कार्यक्षमता का सिद्धान्त—अच्छे थ्रमिक कल्याण का अर्थ ही है कि थ्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए। अर्थकारी शिक्षा, पौष्टिक भोजन एवं सुन्दर आवास कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक रहा है और रहेगा, उदाहरणार्थ जवान थ्रमिकों के विकास के लिए मलाहकारी व्यवस्था उनके बच्चों के लिए शिक्षा एवं उनकी दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति आदि।

(5) व्यक्तित्व विकास का सिद्धान्त—ग्रीष्मिक संस्थानों में थ्रमिकों का म हृत्व एकमात्र व्यक्तिगत कार्य से ही सम्बन्धित है। उद्योग में थ्रमिकों के व्यक्तित्व

विकास का प्रयास कैसे हो, क्या हो, यह वही उद्योगपति सोच सकता है जो मानव कल्याण के प्रति उदार हो। यह समझता है कि अच्छा कर्मचारी वही हो जो स्वयं सोचने समझने, कार्य करने और उद्योग की प्रगति में सहायक बनने की क्षमता रखता हो। व्यक्तित्व के विकास के लिए धर्मिकों के रहन-भ्रह्मन के स्तर को ऊँचा करना और उसके सोचने और कार्य में रुचि लेने के लिए जितना भी प्रयास समझ हो करना आवश्यक हो जाता है।

(6) सहउत्तरदायित्व—धर्म कल्याण के लिए धर्मिकों एवं नियोक्ताओं का महउत्तरदायित्व है। एकमात्र नियोक्ता ग्रवदा धर्मिक ही समस्याओं का नियाहरण नहीं कर सकता। नियोक्ता धर्मिक-कल्याण के साधनों को प्रदान करा सकता है, पर उसका उपयोग करने वाले धर्मिकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन कल्याण की सुविधाओं का सुनुपयोग कर सकें।

(7) सम्पूर्ण धर्म कल्याण—सम्पूर्ण कल्याण उसी समय पूर्ण माना जा सकता है जब उद्योग के प्रारम्भ से ही नियोक्ता एवं धर्मिक उसका साभ उठाएं। यदि यह क्षणिक दिखावा मात्र हो तो उसे धर्म कल्याण की महा नहीं दी जा सकती। धर्म कल्याण अधिकारी मात्र ही धर्म कल्याण नहीं कर सकता। इसके लिए सभी विभागों में सभी स्तर पर सभी अधिकारियों द्वारा पूर्णव्यैषण प्रयास किया जाना चाहिए। इन्हीं आधार-बिंदुओं पर लक्ष्यों को पूरा करने की परिकल्पना बनाई जाती है जिससे देश का कल्याण हो, धर्मिक एवं नियोक्ताओं में सौहार्द हो (प्रच्छे सम्बन्ध हो) और वे परिवर्तन की दिशा की ओर अपसर हो।

धर्म कल्याण कार्य का वर्गीकरण

(Classification of Labour Welfare Work)

धर्म कल्याण शब्द का एक व्यापक ग्रंथ में प्रयोग किया जाता है। धर्म कल्याण कार्यों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

1. वैधानिक कल्याण कार्य (Statutory Welfare Work)—ये कल्याण कार्य हैं जो मालिकों द्वारा धर्मिकों को कानूनी तौर पर प्रदान किए जाते हैं। विधान में धर्मिकों के कल्याण हेतु भूलक्षण स्तर निश्चित कर दिए जाते हैं और इनका उल्लंघन करने वाले मालिकों को दण्डित किया जा सकता है। इनमें कार्य की दशाएँ कार्य धर्म, प्रकाश, सकारई और स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषय आते हैं।

2. ऐचिक कल्याण कार्य (Voluntary Welfare Work)—ये ये कल्याण कार्य हैं जो मालिकों द्वारा स्वेच्छा से किए जाते हैं। ये उदारवादी हृदिकोण पर आधारित हैं। यदि हम इन्हें गहराई से देखें तो इस प्रकार के कार्यों से न केवल धर्मिकों की कुशलता में वृद्धि होती है बल्कि मालिक व धर्मिकों के बीच मध्ये सम्बन्ध स्थापित होने से आरोगिक भगटों में कमी आती है। इस प्रकार के कार्य ऐचिक सम्याजों जैसे वाई. एम. सी. ए. (Y. M. C. A.) द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं।

3. पारस्परिक अध्याएं संयुक्त कार्य (Mutual Welfare Work) —

ये कल्याण कार्य संयुक्त रूप से मातिकों और श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं। इसमें अम संघों द्वारा अम कल्याण हेतु किए गए कार्य शामिल किए जाते हैं।

अम कल्याण कार्य का दूसरा बर्गकरण भी दो बगों में विभाजित किया जा सकता है—

(i) कारखाने के अन्दर प्रदान किए जाने वाले कल्याण कार्य (Intra-mural Activities)—इसके प्रत्यंगत समिलित किए जाते हैं जैसे पीने का पानी, केष्टीन, पालने, चिकित्सा सुविधा और विश्रामालय आदि।

(ii) कारखाने के बाहर के कल्याण कार्य (Extra-mural Activities)—ये कारखानों के बाहर प्रदान किए जाते हैं और इनके प्रत्यंगत शैक्षणिक और मनोरजन की सुविधाएँ, लेलकूद और चिकित्सा सुविधाओं आदि का समावेश किया जाता है। बीमारी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि के समय दी जाने वाली वित्तीय मुविधाएँ भी इसके प्रत्यंगत आती हैं।

अम कल्याण कार्य के उद्देश्य

(Aims of Labour Welfare Work)

कल्याणकारी क्रियाओं का उद्देश्य मानवीय, आर्थिक और नागरिक आधार माना गया है।¹

1. मानवीय आधार (Humanitarian)—अम एक उत्पादन का मानवीय साधन है। श्रमिक कुछ सुविधाएँ अपने आप प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी निम्न आय है। वह निर्धन है अतः इन सुविधाओं को मानवीय आधार पर प्रदान किया जाता है।

2. आर्थिक आधार (Economic Basis)—अम कल्याण क्रियाओं से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है तथा अम और पूँजी के बीच मधुर सम्बन्ध होने से श्रीयोगिक विवाद भी कम हो जाते हैं। अधिक उत्पादन से न केवल मानिक को ही लाभ प्राप्त होता है बल्कि समूचे राष्ट्र और प्रत्येक समाज के बगों को भी होता है।

3. नागरिक आधार (Civic Basis)—अम कल्याण कार्यों से श्रमिकों के उत्तरदायित्व और इजजत में वृद्धि होती है। वह अपने आपको एक अच्छा नागरिक समझने लगता है।

भारत में कल्याण कार्य की आवश्यकता

(Necessity of Welfare Work in India)

भारतीय श्रमिक किन दशाओं में कार्य करते हैं और उनमें कौनसी विशेषताएँ पाई जाती हैं—इन बातों पर विचार करते हुए कल्याण कार्य की आवश्यकता का अप्रतिलिपि आधारों पर प्रधायन किया जा सकता है—

¹ Saranya, R. C.: Labour Problems & Social Welfare, p. 239.

1. भारतीय श्रमिक की कार्य दशाएँ खराब है। पहाँ श्रमिकों को कार्य के अधिक घटें, अस्वस्थ वातावरण आदि के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। इन दशाओं में कार्य करने के पश्चात् श्रमिक अपनी यकान को दूर नहीं कर सकता। वह वई सामाजिक बुराइयों का शिकार बन जाता है। उदाहरणार्थ शराबखोरी, जुगाड़खोरी, वेश्यागमन, अन्य अपराध आदि। अत इन बुराइयों को समात करने का एक मात्र साधन श्रम कल्याण कियाएँ प्रदान करना है।

2. श्रम कल्याण कार्य के अन्तर्गत जिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, मनोरंजन, आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती है। इससे श्रमिकों व मानिकों के बीच मधुर सम्बन्धों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। परिणामस्वरूप औद्योगिक शान्ति की स्थापना की जा सकेगी।

3. विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी क्रियाधों से श्रमिक विभिन्न कारखानों की ओर आकर्षित होंगे। वे हचि लेकर कार्य करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एक स्थायी एवं स्थिर श्रम शक्ति (Permanent & Stable Labour Force) का उदय होगा।

4. अच्छी आवास व्यवस्था, केष्टीन, बीमारी और अन्य लाभों के रूप में कल्याणकारी कार्य करने के फलस्वरूप श्रमिकों की मानसिक दशा में परिवर्तन होगा। वे कारखाने में अपना योगदान समझ सकेंगे। इससे श्रमिकों की अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन आदि में कमी होगी और श्रमिकों की कार्यकुण्ठता में बढ़ि होगी।

5. केष्टीन, मनोरंजन, चिकित्सा, मातृत्व प्राप्त वाल कल्याण सुविधाएँ और शैक्षणिक सुविधाधों से समाज को कई लाभ प्राप्त होंगे। केष्टीन से श्रमिकों को सस्ता और अच्छा भोजन, मनोरंजन से रिश्वतखोरी, शराबखोरी, जुगाड़खोरी आदि की समाप्ति, बीमारियों की समाप्ति और मानसिक दक्षता तथा आर्थिक उत्पादकता आदि रूपों से सामाजिक लाभ (Social Advantages) प्राप्त होते हैं।

6. हमारे देश ने तीव्र आर्थिक विकास हेतु आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया है। अत विभिन्न पचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक सत्तुष्ट श्रम शक्ति (Contended Labour Force) का होना आवश्यक है और इसके लिए श्रम कल्याण कार्य की आवश्यकता है।

भारत में कल्याण कार्य (Welfare Works in India)

हमारे देश में कल्याण कार्यों पर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ही ध्यान दिया जाने लगा। निमित वस्तुओं की मांग में बढ़ि, कीमतों में निरन्तर बढ़ि, औद्योगिक क्षेत्रों में आवास समस्या, औद्योगिक अशान्ति आदि तत्वों ने सरकार मणिकों, श्रमिकों और अन्य सामाजिक कायकताओं तथा सम्पाद्यों का ध्यान आकर्षित किया। श्रम कल्याण कार्य करने का थेय मुख्यतः निम्नलिखित सम्पाद्यों को है—

(1) केन्द्रीय सरकार, (2) राज्य सरकार, (3) उद्योगपति या मानिक, (4) श्रमिक सघ, (5) समाज सेवी संस्थाएँ तथा (6) नगरपालिकाएँ।

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कल्याण कार्य (Welfare Activities of the Central Govt.)

दूसरे महायुद्ध तक श्रम कल्याण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा बहुत कम कार्य किया गया। सन् 1922 में अखिल भारतीय कर्त्याण सम्मेलन (All India Welfare Conference, 1922) में कल्याण समस्याओं पर विचार किया गया तथा देश में कल्याण कार्य के सम्बन्ध पर अधिक जोर दिया गया। अन्नराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव के कारण सन् 1926 में कल्याण कार्य के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्रित करने हेतु प्रान्तीय सरकारों को आदेश दिए गए। द्वितीय महायुद्ध तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् श्रम कल्याण कार्य की ओर सरकार ने अधिक ध्यान देना शुरू किया। कोयला और अभ्रक खानों में श्रम कल्याण कोषों की स्थापना तथा प्रमुख उद्योगों में प्रोविडेंट फण्ड आदि के शुरू करने से इस क्षेत्र में कल्याण कार्यों की प्रोत्तमाहन मिला। भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कार्यदशाओं के नियमन और कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई अधिनियम पास किए। सन् 1944 और सन् 1946 में क्रमशः कोयला और अभ्रक खानों में श्रम कल्याण कोषों की स्थापना की गई जिनके अन्तर्गत मनोरजन, शिक्षा और चिकित्सा आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती है। कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान श्रम अधिनियम, 1952, मोटर परिवहन वर्मन्चारी अधिनियम, 1961; लोहा खान श्रम कल्याण अधिनियम, 1961, आदि के अन्तर्गत केण्टीन, पाननो, विद्यामालय, धोने की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधा और श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करना, कार्य की दशाओं का नियमन आदि प्रावधान है। इनसे श्रमिकों के कल्याण में बढ़ि होनी है तथा उनकी कार्यकुशलता बढ़नी है। उपरोक्त सभी कल्याण कार्य कानूनन हैं जिनको श्रमिकों को प्रदान करना प्रत्येक मालिक का दायित्व है।

कल्याण कार्यों के सम्बन्ध में वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त श्रम कल्याण कोषों के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण योजना का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इन कोषों में अंशदान स्वैच्छिक आवार पर श्रमिकों, सरकारों अनुदान, अर्थदण्ड की प्राप्तियाँ, ठेकेदारों से छूट, केण्टीन के लाभ, सिनेमाओं से प्राप्त आय आदि से प्राप्त होता है। यह योजना सन् 1946 में बनाई गई। इस प्रकार के कोष कई सरकारी संस्थानों में स्थापित कर दिए गए हैं। इनसे यान्तरिक और बाह्य सेवा, पुस्तकालय और वाचनालय, रेडियो, शिक्षा और मनोरंजन आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न संस्थानों और श्रम संघों द्वारा प्रसूति केन्द्रों, शालाओं और सामाजिक सेवा केन्द्रों को बलाने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं।

भारत सरकार के श्रम कल्याणकारी कार्यों और व्यवस्थाओं तथा काम की शर्तों का मुन्द्र विवरण वार्षिक सम्बन्ध में अन्य 'भारत 1985' में अग्र प्रकार दिया गया है—

काम की शर्तें और कल्याण

कारखानों में काम की शर्तें फैक्टरी अधिनियम, 1948 के द्वारा नियमिती की जाती हैं। इस अधिनियम के प्रनुसार प्रोड थमिकों के लिए सप्ताह में 48 घण्टे काम के लिए निश्चित हैं एवं किसी भी कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने की मताही है। अधिनियम के अन्तर्गत रोशनी, साफ हवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवा के यूनिटम मानक भी निश्चित हैं, जिनका पालन मालिकों को अपने कारखानों में बनाना पड़ता है। जिन कारखानों में 30 से अधिक महिला थमिक काम करती हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए वाले-गृहों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 150 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ कारखाने के मालिकों को उनके लिए आश्रय स्थल, विधाम-गृह तथा भोजन के लिए कमरों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 250 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ थमिकों के लिए अवश्यक सुविधाओं से युक्त केण्टीनों की भी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनमें कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है। खान अधिनियम, 1952, बागान मजदूर अधिनियम, 1951, बीड़ी और मिगार कर्मचारी (रोजगार की जरूरत) अधिनियम, 1966, ठेका मजदूर नियमन और उन्मूलन अधिनियम, 1970, मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 आदि के अन्तर्गत खानों और बागानों के कर्मचारियों के लिए भी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

कोयला, प्रभ्रक, लोह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, चूरंग प्रस्तर और डोलोमाइट खानों और धीही उद्योग में कार्य करने वाले थमिकों हेतु आवास, चिकित्सा, मनोरंजन और अन्य कल्याण सुविधाएँ नियोजित आधार पर प्रदान करने के लिए सांविधिक कल्याण निधि का सुन्नत किया गया है।

निधि के लिए धनराशि अध्रक नियंति पर लगे सीमा शुल्क पर उपकर, तोहा और मैग्नीज अयस्क नियंति के सीमा शुल्क पर उपकर, आन्तरिक स्वपत्ति पर लगे उत्पादन शुल्क और लोहा अयस्क, इस्पात संयन्त्र और सीमेण्ट तथा अन्य कारखानों में इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर और डोलोमाइट के उत्पादन पर उपकर लगाकर प्राप्त की जाती है। बीड़ी थमिकों की कल्याण निधि के लिए धनराशि तंयार बीड़ी पर लगे शुल्क पर उपकर लगाकर प्राप्त की जारही है।

वे अधिनियम जिनमें निधि स्थापित की गई है इस प्रकार है—लोह अयस्क खान और मैग्नीज अयस्क खान थमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1976, लोह अयस्क खान, मैग्नीज अयस्क खान तथा कोम अयस्क खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1976, चूरंग प्रस्तर और डोलोमाइट खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1972, कोयला खान थम कल्याण निधि अधिनियम, प्रभ्रक खान थम

कल्याण निधि अधिनियम, 1946 और बीड़ी कर्मचारी कल्याण उपकर (सशोधन) अधिनियम, 1981 ।

बागान मजदूर—बागान मजदूर अधिनियम, 1951 में बागान मजदूरों के कल्याण तथा बागानों में कार्य करने की शर्तों को नियमित करने का प्रावधान है। अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि अधिनियम को 1951 में पारित किया गया था परन्तु यह 1 अप्रैल, 1954 से लागू किया गया। इस दिन से भी केवल वही अनन्त्रेश लागू किए गए जो बगेर किसी नियम निर्धारण के लागू किए जा सकते थे। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने श्रम मन्त्रालय के निर्देशों का अनुमरण करते हुए अपने कानूनों का निर्माण सितम्बर, 1955 से अप्रैल, 1959 तक की अवधि के दौरान किया।

बागान मजदूर अधिनियम, 1951 के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा अधिनियम का क्षेत्र बढ़ाने के लिए बागान मजदूर (सशोधन) विधेयक, 1981 संसद द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी, 1982 से लागू कर दिया गया।

यह अधिनियम अम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है तथा इसके अन्तर्गत ऐसे समस्त चाय, काफी, रबड़, सिनकोता, इलायची बागान आते हैं जो 5 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के हैं और जिनमें 15 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे श्रमिक जिनका मासिक वेतन 750 हप्ते प्रतिमाह तक है, आते हैं। अधिनियम में अब बागानों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है।

अधिनियम के अन्तर्गत, समस्त बागानों में आवासीय, मजदूरी और उनके परिवारों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो कि बाहर निवास करते हैं परन्तु बागान में रहने की अपनी इच्छा लिखित में प्रकट कर चुके हैं वश्ते कि वह 6 महीने की नौकरी कर चुके हों, निवास स्थान की व्यवस्था करने का प्रावधान है। बागानों में मजदूरी के लिए अस्पताल और श्रोपधालय की भी व्यवस्था करना जरूरी है। कुछ बागानों में मजदूरी के वच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूलों की भी व्यवस्था है। चाय बोर्ड की सहायता से कुछ बागानों में सामाजिक हस्तकला जैसे—सिलाई, बुनाई और टोकरी बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर मनोरंजन की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

अम सुरक्षा—फैक्टरी अधिनियम, 1948 अधिकों की सुरक्षा की जारखी और स्वास्थ्य सुधार और समाज कल्याण की व्यवस्था का प्रावधान रखता है। यह उन फैक्टरियों में, जिनमें 1000 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और शारीरिक चोट, जहर या राज्य सरकारों द्वारा सूचीबद्ध बीमारियों के जॉकिमों से सम्बन्ध रखने वाली फैक्टरियों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। उनके अधीन तंदार अधिनियम और कानूनों को राज्य सरकार उनके फैक्टरी नियोगालय के द्वारा प्रशासित करती है।

गोदी मजदूर (रोजगार का नियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन गोदी मजदूरों के स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय सुनिश्चित करने तथा जो कर्मचारी गोदी मजदूर विनियम, 1948 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते, उनकी सुरक्षा करने के लिए गोदी मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना 1961 तंदार की गई थी।

फेंटरी सलाह सेवा महानिदेशालय और थम संस्थान, बम्बई श्रीद्योगिक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर सरकार, उद्योग और अन्य संस्थाओं को सलाह देने का सम्पूर्ण निकाय है।

जोखिम पर नियन्त्रण और व्यावसायिक स्वास्थ्य के बचाव तथा खतरनाक उत्पादन प्रतिक्रियाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने समन्वित कार्रवाई योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस कार्रवाई योजना में काम के बातावरण में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सरकार, प्रबन्ध तथा श्रमिक समठनों की जिम्मेदारियाँ निश्चित की जाती हैं।

वार्षिक रिपोर्ट 1985-86 का विवरण

अधक, लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क और कोम अयस्क, चूना पट्टर तथा डोलोमाइट खानों और बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नियोजकों और राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुप्रूपित करने के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत कल्याण निधियाँ स्थापित की गई हैं—

(क) अधक खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1946,

(ख) चूना पट्टर और डोलोमाइट खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1972,

(ग) लोह अयस्क/मैग्नीज अयस्क और कोम अयस्क खान थम कल्याण निधि अधिनियम, 1976;

(घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976।

इन निधियों की स्थापना खनिज प्रदार्थ के उत्पादन या खपत या निर्यात पर और बीड़ी के मामले में निर्मित बीड़ियों पर उपकर लगा कर की गई है। इन निधियों से चलाए जा रहे कल्याण उपाय चिकित्सा सुविधाओं के विकास, आवास, पेयजल की आपूर्ति, आविष्टों को शिक्षा देने के लिए सहायता, मनोरजन आदि से सम्बन्धित है। हालांकि अधिकारी कार्यक्रमों का समाप्तन कल्याण संगठन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों, नियोजकों को अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्रृत और अग्रिम सहायता भी दी जाती है।

विभिन्न कल्याण निधियों के अन्तर्गत अनेक योजनाओं को लागू करने के लिए देश में नो क्षेत्र बनाए गए हैं, अर्थात् इलाहाबाद, बगलौर, श्रुवनेश्वर,

भीतबाड़ा, गोवा, जबलपुर, नागपुर, करमा और हैदराबाद। प्रत्येक क्षेत्र का समग्र प्रभारी, कल्याण आयुक्त होता है और उसकी सहायता करने के लिए सहायक स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है।

विभिन्न निधियों के अन्तर्गत कार्यक्रम और नीति तैयार करने के प्रयोजन हेतु त्रिपक्षीय केन्द्रीय और राज्य सलाहकार निकायों के गठन के लिए भी व्यवस्था की गई है। विभिन्न कल्याण निधियों के अन्तर्गत सभी समितियों का गठन हो चुका है और इन समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

कल्याण उपायों के लिए खर्च में निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) जन-स्वास्थ्य और सफाई में सुधार, रोगों की रोकथाम और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमें सुधार,

(ii) जैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा उनमें सुधार,

(iii) जल आपूर्ति की व्यवस्था तथा उसमें सुधार और धुलाई की सुविधाएं,

(iv) रहन-सहन के स्तर में सुधार जिसमें आवास और पोषण, सामाजिक दण्डाओं में सुधार तथा मनोरजन सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है,

(v) ऐसी ग्रन्थ कल्याण सुविधाओं तथा उपायों की जो निर्धारित किए जाएं, व्यवस्था तथा उनमें सुधार, और

(vi) राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरणों या नियोजकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना की मदद के लिए अनुदान या आर्थिक सहायता देना।

चिकित्सा एवं देखरेख

विभिन्न कल्याण निधियों के अन्तर्गत चिकित्सा एवं देखरेख की व्यवस्था करने और उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पताल, औपचालय (एलोर्पिक और आयुर्वेदिक) निम्नानुमार स्थापित किए गए हैं—

(क) अस्पताल—अभ्रक खान थम कल्याण निधि के अन्तर्गत सात अस्पताल दो करमा में (50 पलगो वाला एक तपेदिक अस्पताल और 100 पलंगो वाला एक सामान्य अस्पताल), तिसरी, गंगापुर और कालिचेड (30 पलगो के) में एक-एक और तालपुर तथा साइडेपुरम में (10 पलगो के) दो धैत्रीय अस्पताल स्थापित किए गए हैं। लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान थम कल्याण निधि के अन्तर्गत चार केन्द्रीय अस्पताल जोड़ा, टिसका, बाराजमदा (50 पलगो के) और करोगानूर में (60 पलगो का) एक-एक स्थापित किए गए हैं। बीड़ी थ्रिमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत मैसूर (कर्नाटक) में 10 पलगो वाला एक अस्पताल और तिनतिता (पश्चिमी बगाल) में एक चैस्ट ब्लीनिक कार्य कर रहे हैं। लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क थ्रिमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत 50 पलगो वाले तीन अस्पतालों—मैसूर (कर्नाटक), सुधियाना, (पश्चिम बगाल) और मुक्काडाल (तमिलनाडु) में एक-एक की स्थापना के लिए प्रशासनिक

अनुमति जारी कर दी गई है। बीड़ी थमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) में 50 पलगो वाला एक अस्पताल और गुरुशार्द्ध (उत्तर प्रदेश) में 10 पलगो वाला एक अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

ओपथालथ—अब तक विभिन्न बगों के कुल 211 चिकित्सा संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें बीड़ी थमिक कल्याण निधि एवं चूना पत्थर और डोलोमाइट सान थमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान मंजूर किए गए रूमश, 12 और 2 ओपथालयों की मंस्था भी शामिल है।

(ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकलापों के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ में संगोष्ठन किया गया है—

(1) केसर के मरीज (खान थमिको) का इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में पलगों को आरक्षित करने की योजना यह योजना बीड़ी थमिको पर भी लागू कर दी गई है। अस्पतालों में पलगों को आरक्षित करने की व्यवस्था, केसर से पीड़ित खान और बीड़ी कर्मकारी का इलाज करने पर खर्च हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है।

(2) तपेदिक से पीड़ित लौह / मैग्नीज / और अयस्क और धन्त्रक खान थमिको के गृहोपचार सम्बन्धी योजना - तपेदिक से पीड़ित खान और बीड़ी थमिको के गृहोपचार सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कार्यदो को चूना पत्थर और डोलोमाइट खान और बीड़ी थमिको को भी देने की व्यवस्था की गई है।

(3) खान और बीड़ी थमिको के लिए तपेदिक अस्पतालों में पलग आरक्षित कराने की योजना इस योजना में निम्नलिखित उन्नवन्ध किए गए हैं—

(i) आरक्ष प्रभार 3,600 रु प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रु प्रति वर्ष कर दिए गए हैं।

(ii) पहले 9 महीनों की धरवधि के लिए 50 रु प्रति माह की दर से दिए जाने वाले निर्वाह भत्ते की दर को बढ़ा कर अब उसे 12 महीनों की धरवधि तक 150 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

(iii) बहिश्श और घंटरण मरीजों के लिए खाने के खर्च को प्रति दिन 2 रु. से बढ़ाकर प्रति मरीज के लिए 7 रु प्रति दिन कर दिया गया है।

(iv) पात्रता : पात्रता के लिए मजदूरी की अधिकतम मीमा को 500 रु प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

(4) खान प्रबन्धकों को एम्बुलेन्स वाहन की पूर्ति नम्बन्धी योजना - इस योजना के अन्तर्गत चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबन्धकों के सम्बन्ध में एम्बुलेन्स वाहन की खरीद के लिए विद्यमान व्यवस्था के अनुसार निर्धारित मनुदान सहायता की 30,000 रु. की राशि को बढ़ाकर 55,000 रु कर दिया गया है।

शिक्षा—खान और बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के लिए 1975-76 से एक योजना चल रही है। यह योजना उन श्रमिकों के बच्चों पर लागू होती है जिनकी मामिक आय 1,250 रु से अधिक नहीं है। छात्रवृत्तियों की दर 15 रु में 125 रु प्रतिमाह तक है। पात्रता की मीमा को 1,250 रु. से बढ़ाकर 1,600 रु करने के प्रस्ताव पर यह मन्त्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। वर्ष 1981-85 के दौरान 22,789 विद्यार्थियों की 65,60,879 रु. की राशि छात्रवृत्तियों के रूप में वितरित की गई। आनंद प्रदेश में अभ्रक खान थम कल्याण सगठन द्वारा चलाए गए स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन व स्टेशनरी प्रदान की जाती है। निधि सगठन के आवास / छात्रावास भी स्थापित किए हैं। चूना पत्थर और डोनोमाइट खान तथा लौह अयस्क / मैग्नीज अयस्क / कोम अयस्क श्रमिकों के मूल जाने वाले बच्चों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए प्रबन्धतन्त्र को बस की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या मामान्य बस के लिए एक साल रुपये और मिनी बस के लिए 50,000 रु. जो भी कम हो, की सहायता देने हेतु एक योजना आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त जिन बीड़ी श्रमिकों की मासिक परिलिंगियाँ 600 रु से अधिक नहीं हैं उनके बच्चों को एक जोड़ा ड्रेस देने की योजना भी लागू की गई है।

जलपूर्ति—खान प्रबन्धतन्त्रों को अभ्रक खान थम निधि के अन्तर्गत जलपूर्ति योजनाओं के लिए अनुमति या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत जो भी कम हो, और अन्य निधियों के सम्बन्ध में 50 प्रतिशत की दर से राशि दी जाती है।

मनोरंजन—श्रमिकों को मनोरंजन सुविधाएँ प्रदान करने के लिए वहुदेशीय मस्तान, चलते-फिरते मिनेमा, टूनिट कल्याण केन्द्र तथा उप कल्याण केन्द्र व पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सौस्कृतिक और मनोरंजन समारोह, टूनिट भी नियमित अन्तराल पर आयोजित किए जा रहे हैं। रेडियो सेंट और प्रोजेक्टरों की खरीद के लिए खान प्रबन्धतन्त्रों को सहायता अनुदान भी मजूर किया जा रहा है। खान श्रमिकों के लिए अमरण एवं अध्ययन दौरे की भी योजना बनाई गई है जो उन्हें महत्वपूर्ण धार्मिक व अन्य स्थ नों को देखने का अवसर प्रदान करती है। प्रति दौरे के लिए 10,000 रु की वित्तीय सहायता दी जाती है। बीड़ी श्रमिकों के लिए (जिनमें घर लाता बीड़ी श्रमिक भी आते हैं) लेल-कूद, सामाजिक और सौकृतिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए एक योजना प्रारम्भ की गई है। अभ्रक / लौह अयस्क / चूना पत्थर और डोनोमाइट खानों में नियोजित कर्मकारों के लिए अनेक एवं अध्ययन दौरे की एक अन्य योजना लागू कर दी गई है।

बीड़ी श्रमिकों को सहकारी संघों में संगठित करना—गरीब बीड़ी श्रमिकों

को (जिनकी सख्त्या अनुमानत 35 लाख है) मुनाफाखोरों के चगुन से और उनकी शोपणात्मक क्रियाओं से बचाने के उद्देश्य से सरकार उन्हें सहकारी सघों में संगठित करने पर विचार कर रही है। बीड़ी श्रमिकों को सहकारी सघों को संगठित करने के लिए एक अवैतनिक सलाहकार की नियुक्ति की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और थम मन्त्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके इस पर विचार कर रहा है। इस बीच, अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन से “बीड़ी श्रमिकों में ग्रोवोगिक महकारिता को बढ़ावा देगा” नामक परियोजना सम्बन्धी एक विचार प्राप्त हुआ है, मन्त्रालय जिसकी आवश्यकता परियोजना कर रहा है।

परिवार कल्याण— थम मन्त्रालय अपने कल्याण प्रभाग में स्थापित जनसंस्था सेल के तहत परिवार कल्याण कार्यक्रमों को समन्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम जनसंस्था शिक्षा और परिवार कल्याण के बारे में यू.एन.डी.पी. / आई एल ओ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की तहत चलाया जाता है।

अब तक नो परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। चल रही परियोजनाओं की सूची निम्न प्रकार से है—

(i) संगठित क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए डिप्लोमा सहयोग टेंक्सटाइल लैंबर एसोसिएशन, इलाहाबाद।

(ii) औद्योगिक बागानों में परिवार कल्याण शिक्षा-भारतीय चाय एसोसिएशन।

(iii) व्यापक परिवार कल्याण शिक्षा कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश सरकार।

(iv) संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा महाराष्ट्र सरकार।

(v) भारतीय चाय एसोसिएशन परिवार कल्याण परियोजना की प्रत्यक्ष शाखा (ए.बी.आई.टी.ए.)।

(vi) कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिवार कल्याण परियोजना।

(vii) ए.आई.पी.ई परिवार कल्याण परियोजना (फेज-II) आल इडिया आर्मनाइजेशन ऑफ एम्प्लायर्स।

(viii) इ एक आई परिवार कल्याण परियोजना (फेज-II) भारतीय नियोजक संघ।

इस तरह की निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है—

(i) आमीण श्रमिकों की परिवार कल्याण शिक्षा के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की परियोजना-केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड।

(ii) बीड़ी श्रमिकों के लिए परिवार कल्याण शिक्षा परियोजना—थम मन्त्रालय।

आदिरूपीय (प्रोटोटाइप) योजना—सांविधिक कल्याण निधि अधिनियमों

के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्रक/बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवार के सदम्यों के लिए चिकित्सा सुविधाओं वी व्यवस्था करने के उद्देश्य से निम्नलिखित आदिहनीय (प्रोटोटाइप) योजनाएँ अपनाई गई हैं—

1. तपेदिक के अस्पतालों में पलंगों को आरक्षित करना ।
2. चलते-फिरते चिकित्सा यूनिट ।
3. कृत्रिम अगों की सप्लाई ।
4. कैसर के इलाज के लिए पलंगों को आरक्षित करना ।
5. मानसिक बीमारियों से पीड़ित श्रमिकों का इलाज ।
6. सरकारी अस्पतालों में पलंगों को आरक्षित करना ।
7. खनिकों के लिए चश्मों की व्यवस्था ।
8. खान प्रबन्धों के लिए एम्बुलेंस गाड़ियों की व्यवस्था ।
9. श्रीपथालय का रख-रखाव करने के लिए प्रबन्धतन्त्रों को सहायता अनुदान ।
10. श्रीपथालय सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता ।
11. घातक और गम्भीर दुर्घटना लाभ योजना ।
12. कुण्ठ रोग की दशा में सहायता ।
13. तपेदिक के मरीजों का गृहोपचार ।

राज्य सरकारों द्वारा किए गए श्रम कल्याण कार्य (Welfare Activities of the State Governments)

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी कल्याणकारी कार्य किए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान में श्रम कल्याण केन्द्र (Labour Welfare Centres) चलाए जाते हैं। इन श्रम कल्याण केन्द्रों पर महिला विभाग और पुरुष विभाग हैं। महिला विभाग में महिला दर्जी तथा महिला सुपरवाइजर होती है। महिला दर्जी श्रमिकों की स्थियों को सिलाई सम्बन्धी कार्य सिखाती है जबकि महिला सुपरवाइजर छोटे-छोटे बच्चों तथा महिलाओं को पढाने का कार्य करती है। ये श्रमिकों के परिवारों में जाती है और इस प्रकार की क्रियाओं के विषय में जानकारी देती है। पुरुष विभाग में नेट्स सुपरवाइजर, समीत शिक्षक, बैच या कम्पाउण्डर होते हैं। आनंदिक व बाल्य खेलकूद, बाचनालय, पुस्तकालय, चिकित्सा सुविधा, रेडियो, फिल्म दिखाना आदि सुविधाएँ पुरुष विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनके ऊपर श्रम कल्याण निरीक्षक होता है जिसका कार्य सम्बन्धित कल्याण केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों को देखना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्य सरकारों ने भी श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों पर समीत शिक्षक द्वारा समीत की शिक्षा भी दी जाती है। इन केन्द्रों की सहया श्रीयोगिक श्रमिकों की सहया की तुलना में कम है। इन केन्द्रों की विभिन्न गतिविधियों को मुखारू रूप से

चलाने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। महिना विभाग के प्रन्तर्गत महिला दर्जी द्वारा चलाए जाने वाले कार्य में वृद्धि करने हेतु अधिक सिलाई मशीनें स्तरीयनी चाहिए तथा उनकी समय-समय पर मरम्मत भी की जानी चाहिए। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु भी अधिक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन कल्याण केन्द्रों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा केन्द्रों को चलाया जाना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे मालिक भी कल्याण कार्यों में अपना योगदान दे सके।

नियोजकों या मालिकों द्वारा कल्याण कार्य (Welfare Work by Employers)

नियोजकों द्वारा कल्याण कार्य स्वेच्छा से न करके विधान के प्रन्तर्गत प्रदान किए गए हैं। केष्टीन, पालने, विद्यामालय, स्नान घर, धोने की सुविधाएँ, चिकित्सा सुविधाएँ आदि विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं। कल्याण कार्य पर किए गए व्यय को मालिकों ने 'अपवृद्ध' (Waottage) माना है जबकि यह अध्ययन से पता चला है कि इसमें श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और इसे अपवृद्ध न मानकर विनियोग (Investment) माना जाना है। अधिकांश उद्योगपति कल्याण कार्यों के प्रति अमुदार भावना रखते हैं। फिर भी यह प्रगतिशील तथा उदारवादी विचारधारा वाले मालिकों ने विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अम कल्याण कार्य किए हैं, जो मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

(i) सूती वस्त्र उद्योग-बम्बई की सूती वस्त्र मिलों में चिकित्सालय, पालने, केष्टीन, अनाज की दूकानों की सुविधाएँ आदि प्रदान की जाती हैं।

नागपुर की एम्प्रेस मिल्स ने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। चिकित्सा सुविधाएँ सन्तोषप्रद हैं। एक पवित्र का भी प्रकाशन किया जाता है। बीमारी लाभ कोष की भी स्थापना की गई है।

देहली क्षेत्र एवं जनरल मिल्स ने कर्मचारी लाभ कोष ट्रस्ट बना रखा है। यह श्रमिकों और प्रबन्धकों के चूने व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। सम्बी बीमारी, शादी, दाह संस्कार और अच्छे विशेषज्ञों के इलाज आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हायर सेकेण्डरी, मिडिल तथा तकनीकी पाठ्यालाएँ चलाई जाती हैं। एक साप्ताहिक डी. सी. एम गजट भी प्रकाशित किया जाता है।

मद्रास की विधि एवं कर्नाटक मिल्स द्वारा अच्छा चिकित्सालय चलाया जाता है। महिलाओं को सफाई, बच्चों के पालन-नोयगण, रोगों को रोकने आदि का ज्ञान देने हेतु विशेष कक्षाएँ चलाई जाती हैं।

बगसीर में ऊनी, सूती और रेशम मिल्स द्वारा भी कल्याण कार्यों का अच्छा समन्वय किया गया है। चिकित्सालय, प्रमूति और दाल कल्याण केन्द्र आदि की सन्तोषप्रद सुविधाएँ उपनड्ड देती हैं।

अत अधिकांश सूती वस्त्र मिलों में श्रम कल्याण कार्य सत्तोप्रद है। फिर भी इन कार्यों में विभिन्न केन्द्रों पर समानता नहीं पाई जाती है।

(ii) जूट उद्योग (*Jute Mill Industry*)—इस उद्योग में श्रम कल्याण कार्य करने वाली एक मात्र सस्था भारतीय जूट मिल्स सघ (Indian Jute Mills Association) है। यह मालिकों की सस्था है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कल्याण केन्द्र चलाए जाते हैं। इसके द्वारा आन्तरिक व बाह्य खेल, मनोरजन सुविधाएं, पुस्तकालय, वाचनालय, प्राथमिक शालाएं, श्रमिकों के बच्चों को छात्र-वृत्तियाँ देना आदि कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं।

(iii) इंजीनियरिंग उद्योग (*Engineering Industry*)—कई मिलों में चिकित्सालय, केप्टीन, जैक्सनिक और मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जाती है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा 8 चिकित्सालयों और अच्छी साज-सज्जा द्वारा प्रस्तुताल की व्यवस्था की गई है। प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र भी चलाए जाते हैं।

कागज, चीनी, सीमेण्ट, चमड़ा, रासायनिक, पदार्थ तेल आदि उद्योगों में अस्पताल, चिकित्सालय, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं प्रादि मालिकों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

(iv) बागान (*Plantations*)—इस उद्योग में श्रम कल्याण कार्यों हेतु बागान श्रम अधिनियम, 1951 (*Plantations Labour Act of 1951*) के प्रावधान रखे गए हैं। गम्भीर बीमारी हेतु बागानों में अस्पतालों की व्यवस्था है। अस्म में 19 अस्पताल और 6 चिकित्सालय खोले गए हैं जहाँ पर बागान श्रमिकों का इलाज किया जाता है। कल्याण कार्यों हेतु असम बागान श्रमिकों हेतु प्रसम चाप बागान कर्मचारी कल्याण कोष अधिनियम, 1959 (*Assam Tea Plantations Employee's Welfare Fund Act of 1959*) पास किया गया है। इस कोष का निर्माण राज्य या केन्द्रीय सरकार के श्रनुदान, मालिकों से प्राप्त दण्ड राशियाँ, ऐच्छिक दान तथा अन्य उधार धन से दिया गया है।

कोयला, लोहा और अभ्रक की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण कोषों की स्थापना की गई है। इन कोषों की सहायता से चिकित्सा सुविधाएं, आन्तरिक एवं बाह्य खेलकूद, मनोरजन, वाचनालय, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

श्रम संघों द्वारा कल्याण कार्य (Labour Welfare by Trade Unions)

भारतीय श्रम संघों का कार्य अपने सदस्यों के बेतन तथा उनकी कार्य दण्डाओं में सुधार हेतु मालिकों से मंधर्ध करने तक ही सीमित रहा है। श्रमिकों के लिए रचनात्मक कार्य करने में उनका योगदान बहुत कम रहा है। श्रमिक सघ निर्धन होने से इस क्षेत्र में अपना योगदान देने में समर्थ नहीं रहे हैं। फिर भी कुछ सुदृढ़

थ्रेम सघो ने अपने सीमित कोरो से थ्रम कल्याण कार्यों के लिए मे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अहमदाबाद सूती वस्त्र थ्रम संघ (Ahmedabad Textile Labour Association) ने कल्याण कार्य के लिए मे प्रशमनीय कार्य किया है। यह सथ ग्रामी आप का 75% कल्याण कार्यों पर व्यय करता है। इसक ग्रन्तीत 25 केन्द्र चलते हैं जहाँ पर मांस्कृतिक कार्यक्रम, वाचनालय, पुस्तकालय, आन्तरिक व बाह्य खेल कूद, मनोरजन, चिकित्सा आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं। संघ द्वारा 9 सिद्धा मध्याएँ चलाई जाती हैं, जिनमे 6 स्कूल, 2 अध्ययन भवन तथा। बालिका छात्रावास है। संघ द्वारा थ्रमिको के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। इस संघ द्वारा 'मजूर सन्देश' (Majur Sandesh) नाम का पत्र भी निकाला जाता है।

कानपुर की मजदूर सभा (Mazdoor Sabha) द्वारा भी थ्रमिको के कल्याण के लिए वाचनालय, पुस्तकालय और चिकित्सालय की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

रेल कर्मचारी सघो ने भी अपने सदस्यों हेतु कलब खोलना, सहकारी नमितियाँ, मुकदमे की पैरवी आदि रूपों मे कल्याणकारी कार्य किए हैं।

इन्दौर की मिल मजदूर यूनियन (Mill Mazdoor Union, Indore) द्वारा एक थ्रम कल्याण केन्द्र चलाया जाता है। यह केन्द्र तीन विभागों के अन्तर्गत चलाया जाता है—बाल मन्दिर, पुण्य केन्द्र और महिला मन्दिर। इन केन्द्रो पर शिक्षा, स्वस्थ्य, सिलाई, शरीरिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

अधिकारी थ्रमिको के समाज ने थ्रम कल्याण कार्य मे ध्रष्टिक रूप नहीं दी है। इसका सबसे प्रमुख कारण वित्तीय कठिनाई का होना है।

समाजसेवी संस्थाओं द्वारा कल्याण कार्य (Welfare Work by Social Service Agencies)

कुछ समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी थ्रम कल्याण कार्य लेते मे उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन संस्थाओं मे 'बम्बई समाज सेवी लीग', 'सेवा सदन समिति', 'बम्बई प्रेसीडेन्सी भाहिला मण्डल', 'वाई. एम. सी. ए' आदि प्रमुख हैं। बम्बई की समाज सेवा लीग द्वारा यात्रिकालीन शिक्षण संस्थाएँ चलाई जाती हैं। इसमे थ्रमिको मे शिक्षा का प्रसार होगा। पुस्तकालय, वाचनालय, स्काउटिंग, मनोरजन व खेल कूद की व्यवस्था, सहकारी समितियों की स्थापना आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। पूना और बम्बई की सेवा सदन समितियों द्वारा बाल व महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सामाजिक कार्य कर्त्तियों को तैयार करते का कार्य भी करती हैं। पश्चिम बंगाल मे महिला समितियों द्वारा गाँव-गाँव न जाकर शिक्षा प्रसार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार थ्रम कल्याण कार्यों के लिए मे इन सामाजिक

सेवा संस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय रहा है। इसके प्रचार, प्रमार और प्रोत्साहन के कारण हमारे देश में थर्मिक कल्याण कार्य के क्षेत्र में कई कानून बनाए जा सके हैं।

नगरपालिकाओं द्वारा थम कल्याण कार्य (Labour Welfare Work by Municipalities)

नगर निगमों और नगरपालिकाओं द्वारा भी थम कल्याण कार्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया गया है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर, भद्रास और अजमेर के नगर निगमों द्वारा सहकारी साख समितियों की व्यवस्था की गई है। बम्बई नगर निगम द्वारा एक अलग से कल्याण विभाग (Welfare Department) चलाया जाता है। कानपुर व अजमेर में नगर निगमों द्वारा प्राथमिक शालाएँ चलाई जाती हैं। कलकत्ता नगर निगम द्वारा रात्रि शालाएँ, शिशु सदन तथा केण्टीन आदि चलाने की व्यवस्था है। दिल्ली और तमिलनाडु में ब्रौड जिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। कई नगरपालिकाओं में प्रोविडेण्ट फण्ड योजना भी चलाई जाती है। बम्बई की श्रोद्योगिक बम्तियाँ जिन्हे 'चाल' कहा जाता है, वहाँ थर्मिको हेतु आन्तरिक तथा बाह्य देलो, बाचमातयों तथा मनोरुजन सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाता है।

थम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलू (Various Aspects of Labour Welfare Work)

थम कल्याण कार्य के पहलू उद्योग की प्रकृति, उम्मीदों की स्थिति, काम में प्रगति एवं मगठन के ढंग और उसके परिणाम पर निर्भर करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण थम कल्याण कार्य के पहलू नीचे दिए गए हैं—

1. केण्टीन (Canteens)—किसी भी श्रोद्योगिक संस्थान में केण्टीन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसका संस्थान के थर्मिकों के स्वास्थ्य, कुशलता और कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। इसका उद्देश्य सस्ता और पोषाहारयुक्त भोजन मुनाफ़ कराना है। इससे थर्मिक एक-दूसरे के अधिक निकट आते हैं और प्रसन्नता का मनुभव करते हैं।

किसी भी संस्थान में केण्टीन की मफनता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें पर्याप्त वस्तुएँ हों, साफ-सुवर्णी जगह हों और अच्छे बातावरण में कारखाने में इसे स्थापित किया जाए। यह न लाभ न हानि (No Profit No Loss) के आधार पर चलाया जाना चाहिए। प्रबन्धकों द्वारा इसे अनुदान दिया जाना चाहिए। टाटा आर्थरन एण्ड स्टील कम्पनी, डी.सी.एम., लिवर ग्राउंडस आदि द्वारा बहुत ही मुन्दर केण्टीन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। कारखाना अधिनियम, 1948, खाना अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 250 या इससे अधिक थर्मिक होने पर कारखाने तथा खानों में मानिक द्वारा केण्टीन की व्यवस्था करनी पड़ती है। बागान थम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 150 या इससे अधिक होने पर केण्टीन की व्यवस्था करना आवश्यक है।

2. पालने (Creches)—छोटे बच्चों के लिए पालनों की व्यवस्था करना आवश्यक है योग्यि क महिला श्रमिक कार्य करती रहती है तबा बच्चों को मिट्टी आदि खाने, गन्दे होने आदि से बचाने के लिए इसकी व्यवस्था आवश्यक है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कानून द्वारा पालनों की व्यवस्था हेतु कानून बनाने का निर्देश दिया है। कारखानों में जहाँ 50 या इससे अधिक महिला श्रमिक कार्य करती हैं वहाँ पर पालनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। खान अधिनियम व बागान अधिनियम में भी पालने की व्यवस्था करने का प्रावधान है।

अम अनुसंधान समिति, 1946 ने कहा था कि श्रमिकों का आवास में पालनों की स्थिति असन्तोषजनक है। कार्य के स्थान से यह व्यवस्था दूसरे कोने पर की जाती है जहाँ पर उनकी देखभाव के लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया जाता है और न ही बच्चों को खेलने के लिए सिलोने आदि की व्यवस्था की जाती है।

पालने की अवधी व्यवस्था होने पर बच्चे की माँ अपने बच्चे की सुरक्षा और आराम से हथि लेकर कार्य करती है जिससे उसकी कार्य-कुशलता बढ़ती है। मदुरा मिल्स, बिकिंघम और कर्नाटक मिल्स तथा डो सी. एम में पालनों की व्यवस्था सन्तोषप्रद है।

3. मनोरंजन सुविधाएँ (Recreational Facilities)—अम अनुसंधान समिति (Labour Investigation Committee) ने मनोरंजन सुविधाओं पर जोर दिया है। सारे दिन का यका हुआ श्रमिक कार्य की घटावट, नीरसता आदि को स्वर्य के साधनों से दूर नहीं कर सकता। इस यकावट, नीरसता आदि को दूर करने हेतु नाटक, वाद-विवाद, मिनेमा, रेडियो, संगीत, बाबनात्य, पुस्तकालय व पारंग आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती चाहिए। मनोरंजन को सुविधाओं के अभाव में श्रमिक कई सामाजिक दुराइयों (Social Vices) उदाहरणार्थ—शराबखोरी, जुग्राखोरी, वेश्यागमन आदि का शिकार बन जाता है। मनोरंजन सुविधाओं की ओर मालिकों व सरकारों द्वारा कई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। अम अनुसंधान समिति ने सुझाव दिया है कि मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान करना मालिकों का ऐच्छिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक दायित्व नहीं होना चाहिए।

4. चिकित्सा सुविधाएँ (Medical Facilities)—श्रमिकों की कार्यकुशलता पर उनके स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अच्छे स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए। शीघ्रता और ख़रएव स्वास्थ्य के कारण श्रमिकों में अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन, श्रम प्रवासिता तथा औद्योगिक अकुशलता तथा असान्ति को प्रोत्साहन मिलती है।

समूचे देश में ही चिकित्सा सुविधाएँ प्रसमुचित तरीका अपवाहित है। मालिकों द्वारा प्रदान की गई ये सुविधाएँ भी असन्तोषजनक हैं। अम अनुसंधान समिति ने कहा है कि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का प्रमुख दायित्व सरकार का है फिर भी इन सुविधाओं हेतु मालिकों और श्रमिकों का सहयोग भी प्रयोक्तित है।

कारखाना अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत कुछ राज्यों में चिकित्सा सुविधाओं की देख-रेख हेतु चिकित्सा नियुक्ति की गई है।

5. धोने और नहाने की सुविधाएँ (Washing & Bathing Facilities) — कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कपड़े धोने तथा गन्दे हाथ पर धोने तथा नहाने की पूर्ण व्यवस्था का प्रावधान है। श्रमिकों को अपने गन्दे कपड़े धोकर सुखाने तथा टांकने की व्यवस्था भी की गई है। कारखाना अधिनियम के अतिरिक्त खाना अधिनियम, मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, आदि के अन्तर्गत धोने और नहाने की सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं।

6. शैक्षणिक सुविधाएँ (Educational Facilities) — श्रमिकों में शिक्षा कई बुराइयों की जनती है। अब श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार करना और इसकी सुविधाएँ प्रदान करना प्रत्येक कर्त्ताएँकारी राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता है। शिक्षा से श्रमिकों की मानसिक दक्षता और आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होती है। शौश्योगिक विकास के कारण तीव्र गति से उत्पादन के विभिन्न तरीकों में परिवर्तन हो रहा है। इसमें वही श्रमिक अधिक सफल हो सकता है जिसमें कुशनता प्राप्त करने की क्षमता है। अब अनुसंधान समिति (Labour Investigation Committee) ने शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों पर ज़िम्मेदारी डाली है। यही कारण है कि सन् 1958 में श्रमिकों की शिक्षा हेतु एक केन्द्रीय मण्डल (Central Board for Workers Education) की स्थापना की गई। इस बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों की शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। इस बोर्ड के अन्तर्गत सरकार द्वारा शिक्षा अधिकारियों (Education Officers) की नियुक्ति की जाती है। ये शिक्षा अधिकारी प्रादेशिक कार्यालयों में चुने हुए श्रमिकों को अम कानून तथा अन्य विधयों पर शिक्षा देते हैं। उन्हे श्रमिकों के अध्यापक (Workers' Teachers) कहा जाता है। ये बाद में अपने मस्थानों में वापस जाकर श्रमिकों में शिक्षा के प्रसार का कार्य करते हैं।

उपरोक्त अम कल्याण कार्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन विभिन्न पहलुओं को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने पर श्रमिकों को कार्य-कुशलता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इन पर जो व्यय किया जाना है वह अपव्यय न होकर विनियोग माना जाता है क्योंकि इससे श्रमिक के स्वास्थ्य, कार्य-कुशलता तथा जीवन-स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और लोगों का जीवन-स्तर उन्नत होता है। इन सब लाभों को ध्यान में रखते हुए सरकार, मालिकों, अम संघों तथा समाज सेवी संस्थाओं का यह दायित्व हो जाता है कि वे संयुक्त रूप से मिलकर इन विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करें। सरकार को धूनतम स्तर निर्धारित करके उनके प्रभापूर्ण क्रियान्वयन हेतु मशीनरी को सुदृढ़ करना चाहिए। मालिकों को इस

वैधानिक दायित्व को पूरी तरह निभाना चाहिए। मालिकों को इस दिशा में एक उदारवादी और प्रगतिशील विचारधारा को अपनाना होगा। उन्हे इस व्यय को अपव्यय न समझकर विवेकपूर्ण विनियोग (Rationale Investment) समझना चाहिए वयोंकि इससे अमिको की कार्य-कुशलता बढ़ती है और इसके परिणामस्वरूप उसके लाभों में बृद्धि होती है।

थम कल्याण कार्य को सरकार, मालिक और थम संघों द्वारा एक संयुक्त उत्तरदायित्व (Joint Responsibility) समझना चाहिए। कोई भी अकेला पक्ष इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है क्योंकि इस पर वित्तीय सागत अधिक आती है, जिसे अकेला पक्ष बहन नहीं कर सकता है।

हमारे देश में थम कल्याण कार्य के क्षेत्र में अच्छी शुहरात कर दी गई है। फिर भी इस कार्य के मार्ग में कई बाधाएँ आती हैं जैसे अमिको की प्रवासिता की विशेषता, थम संघों में प्रभावपूर्ण समठन की वसी, थम संघों के पास कोषों की कमी, अमिको की अशिक्षा तथा अन्य नामाजिक और आर्थिक दशाएँ जो वर्तमान समय में हमारे देश में हैं, लेकिन इन बाधाओं के बावजूद भी सभी पक्षों— सरकार, थम संघों और मालिकों को संयुक्त रूप से मिलकर यह करना चाहिए। इसे एक सुनियोजित योजना बनाकर सेजी से लागू किया जाता चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी।

Appendix—1

थम मन्त्रालय का ढाँचा ओर कार्य¹

थम मन्त्रालय का सम्बन्ध गुह्यतः श्रीदोगिक सम्बन्ध, मजदूरी, रोजगार, कर्मकारों के कल्याण तथा, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों से है जिनका उल्लेख भारत के संविधान की 7वीं अनुमूल्य की सधीय और समवत्तीं सूचियों में किया गया है और यह मन्त्रालय इन मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित करता है। रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, मुख्य पत्तनों, देंकों, बीमा कम्पनियों (जिनका जालाएँ एक से अधिक राज्यों में हैं) तथा ऐसे अन्य उपक्रमों जिनका उल्लेख सधीय सूची में किया गया है और जिनके थम सम्बन्धों के लिए केन्द्रीय सरकार सीधे जिम्मेदार है, को छोड़कर थम नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें सामान्यतः जिम्मेदार हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार सम्बन्ध कार्य करती है। यह मन्त्रालय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण-उपबन्ध अधिनियम, 1952 के कार्यान्वयन और खानों तथा बीड़ी उद्योग में थमिकों के सम्बन्ध में कल्याण निधि की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। यह मन्त्रालय व्यक्तियों के कोशल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करता है, ताकि उनको नियोजिता बेहतर हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज सुरक्षा संघ से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों के लिए यह मन्त्रालय नोडल संगठन के रूप में कार्य करता है। यह मन्त्रालय इन संगठनों की बैठकों और सम्मेलनों में प्रतिनिधियों के भाग लेने सम्बन्धी समन्वयन कार्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय थम मानकों और इन निकायों की अन्य सिफारिशों के कार्यान्वयन का कार्य करता है। थम मन्त्रालय को हाल ही में बनाए गए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन भारतीय थमिकों को विदेशों में नौकरी पर जाने तथा उनकी बापसी सम्बन्धी कार्य भी सौना गया है। इस नए कार्य को सम्भालने के लिए उत्प्रवास प्रोटोकटर के सात कार्यालयों सहित एक पूर्ण उत्प्रवासी प्रभाग जिम्मेदार है।

थम मन्त्रालय विभिन्न श्रीदोगिक सम्मेलनों और समितियों, थम मन्त्रियों तथा सचिवों के सम्मेलनों के लिए सचिवालय की भी व्यवस्था करता है। थम मन्त्रालय का एक संगठनात्मक चाटे परिशिष्ट—1 पर दिया गया है।

1 थम मन्त्रालय, वार्षिक रिपोर्ट, 1985-86.

इस मन्त्रालय के चार सम्बद्ध कार्यालय, 21 अधीनस्थ कार्यालय और -6 स्वायत्त संगठन हैं।

सम्बद्ध कार्यालयों के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं—

(1) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय सारे देश में नीतियाँ, प्रतियाप्रोत्था मानक निर्धारित करने और रोजगार सेवा प्रक्रियाओं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

(2) मुख्य अमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों में थम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार समुचित प्राधिकरण है। यह कार्यालय केन्द्रीय अधिकारी संगठनों से सम्बद्ध यूनियनों की सदृश्यता के सत्यापन के लिए भी जिम्मेदार है।

(3) कारबाना सलाह सेवा और थम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय कारबानों और गोदियों में अधिकों भी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित है। यह महानिदेशालय राज्य सरकारों द्वारा कारबाना अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन का समन्वय करने तथा इस अधिनियम के अधीन आदर्श नियम बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह भारतीय गोदी अधिक प्रविनियम, 1934 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों तथा गोदी कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण) योजना, 1961 को भी लागू करता है। यह गोदोगिक-व्यावसायिक बीमारियों, गोदोगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और गोदोगिक किजियालोजी में अनुसन्धान करता है। यह उत्तरादिता, गोदोगिक इजाहियरिंग, तकनीकी और प्रबन्धकोप सेवाओं में प्रशिक्षण भी देता है और गोदोगिक सुरक्षा में एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

(4) अम ब्यूरो निदेशालय रोजगार, मजदूरी दरों, ग्राम, गोदोगिक विवादों, कामकाज की दशाप्रो ग्रादि के बारे में मासिकीय तथा अन्य सूचना एकत्र और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। यह गोदोगिक तंत्रा कृषि अधिकों के सम्बन्ध में उपभोक्ता मूल्य सूचकोंक सकलित और प्रकाशित भी करता है।

अधीनस्थ कार्यालयों में से अधिक महत्वपूर्ण कार्यालय और उनके कार्य इस प्रकार हैं—

(1) खान-सुरक्षा महानिदेशालय को खान अधिनियम, 1952 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, और विनियमोंको लागू करने का काम सौंपा गया है। इसके प्रतिरिक्त यह निदेशालय गैरकोयना खानों सम्बन्धी प्रमूलि प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन बनाए गए खान प्रमूलि प्रसुविधा नियमों को लागू करता है। यह निदेशालय खानों और तेल क्षेत्रों को लागू भारतीय विज्ञी अधिनियम, 1910 के उपबन्धों का प्रबर्तन भी करता है।

(2) 'कल्याण किधि संगठन लोह' अमस्क, मैगनीज और क्रोम अयर्मक, अभ्रक, चूना पत्थर तथा 'डोलोमाइट खानों और बीड़ी उद्योग में विद्यमान है जो सम्बन्धित उद्योग में नियुक्त अधिकों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।

थम मन्त्रालय के छः स्वायत्त संगठनों द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं—

(i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें बीमारी, प्रमूति और रोजगार के दोरान सभी चोट के मामलों में चिकित्सा सुविधा और नकद लाभ की व्यवस्था है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोरण उपबन्ध अधिनियम, 1992 के अधीन स्वापित कर्मचारी भविष्य निधि सेवन, भविष्य निधि, परिवार पेन्शन तथा जमा सम्बद्ध बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

(iii) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् एक पंजीकृत संस्था है। इस परिषद् का उद्देश्य प्रत्येक खनिज को खान सुरक्षा सम्बेदन देना और उसे सभी प्रकार के सुरक्षा कार्यों के साथ सहयोगित कराना है।

(iv) राष्ट्रीय मुरक्खा परिषद् एक पंजीकृत संस्था है, जो प्रचार और प्रसार के विभिन्न साधनों प्रमुखत श्रव्य-दृश्य साधनों से खान श्रमिकों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ा देती है।

(v) केन्द्रीय थर्मिक शिक्षा बोर्ड एक पंजीकृत संस्था है, जो श्रमिकों को ट्रेड संघवाद के तकनीकों में प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना मन्त्रालय करता है। श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराना भी इस बोर्ड का कार्य है। बोर्ड ने ग्रामीण थर्मिक शिक्षा तथा क्रियात्मक प्रौद्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

(vi) राष्ट्रीय थम संस्थान एक पंजीकृत संस्था है, जो कार्योन्मुख अनुसन्धान करती है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्रेड यूनियन आन्दोलन में मूलभूत श्रमिकों को और औद्योगिक सम्बन्धों, कार्यक्रम प्रबन्ध, थर्मिक कल्याण आदि से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करती है।

Appendix—2

अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन¹

प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् सन् 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई जिसका एक लक्ष्य महान् उद्दोगों में अमिको की दिशा में सुधार करना भी था। इसी उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अम संगठन की स्थापना हुई और यह विश्व के विशाल जनसमूह के कल्याण का प्रतीक माना जाने लगा।

अमिक कल्याण के लिए सुभाव

अमिक कल्याण के लिए इसमें निम्नलिखित मुझाव दिए गए जिनका उल्लेख अमिक चार्टर में है—

(1) अमिकों को मात्र वाणिज्य की वस्तु न समझा जाए, उनका क्य-विक्रय न किया जाए, उन्हें उतना ही महत्व दिया जाए जितना देश के किंसी वरिष्ठ नागरिक को दिया जाता है।

(2) नियोक्ता एवं अमिको को संगठन बनाने के पूर्ण अधिकार दिए जाएं जिससे वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का मुच्चाह रूप से पालन कर सकें। इस संघ का उद्देश्य वैष्य लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होना है।

(3) अमिको को देश एवं काल के अनुरूप उचित मजदूरी अथवा वेतन प्रदान किया जाए जिससे राष्ट्रीय जीवन-स्तर में गिरावट न आने पाए।

(4) प्राठ घण्टे से अधिक किसी अमिक से कार्य न लिया जाए और कार्य की अवधि सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक न हो।

(5) प्रत्येक अमिक को 48 घण्टे साप्ताहिक कार्य के बाद 24 घण्टे का अवकाश साप्ताहिक भी मिलना चाहिए। इसमें साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था भी हो।

(6) बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए बच्चों से अम लेने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाए।

(7) स्त्री और पुरुष अमिको को समान कार्य के लिए समान मजदूरी की व्यवस्था की जाए।

1 डॉ. देवेन्द्र प्रहार नारायण सिंह : अमिक सम्बन्ध एवं अम समस्याएँ, पृष्ठ 440-48
का सारांश।

(8) देशी अथवा विदेशी श्रमिकों के आर्थिक क्रिया-कलापो में कोई अन्तर न किया जाए।

(9) प्रत्येक देश अपने श्रमिकों के लिए ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनको अपने कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार का अवरोध महसूस न हो। दूसरे शब्दों में, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रमिक अपने कार्यों को उचित ढंग से आगे बढ़ा सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय जेनेवा में स्थित है। इसकी शाखाएँ अन्य नीदेशों में भी हैं। इसका प्रमुख कार्य विषय-सामग्री इकट्ठी करना तथा अनुसंधान के कार्यों को सचालित करने में सहायता प्रदान करना है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम गोष्ठी के कार्य संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सामाजिक एवं औद्योगिक व्यवस्था भी इसके कार्य-क्षेत्र में आती है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण परिकारों भी प्रकाशित होती हैं, जैसे—(1) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक समीक्षा (मासिक), (2) उद्योग एवं श्रम (पार्श्विक)। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय में विभिन्न देशों के विशेषज्ञ कार्यरत हैं जो अपने देश के योजना-कार्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परामर्श देते हैं। कार्यालय का मुख्य अधिशासी महानिदेशक कहलाता है। इस कार्यालय की एक शाखा सन् 1928 से ही भारत में कार्यरत है। भारत में यह सामाजिक एवं आर्थिक विकास विषयक सूचना प्रसारित करता है।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

भारत पर इस संगठन का उत्तरदायित्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि भारत इस संगठन के साथ सहयोग करके अपने देश में सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को कार्यान्वित करा रहा है। पिछले 56 वर्षों से इस संगठन ने देश में शान्ति स्थापना में एवं उद्योगों में आपसी तनाव को दूर करने में सहायता प्रदान की है। भारतीय संविधान ने भी इस तथ्य पर जोर दिया है कि वह अपने नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। संविधान का यह प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख व्यंग्य है और यह तभी सम्भव है जब देश में जन-कल्याण द्वारा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा परम आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों की परिकल्पना की गई जो सभी समुदायों द्वारा स्वतंत्रता देती है।

कार्यक्रम

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यकलापों पर विचार व्यक्त करते हुए श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया है कि यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यक्रमों में सहयोग करता है तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उन कार्यक्रमों

द्वारा अपने पहाँ की थम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करे। अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने सन् 1950 के बाद ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया है जिनके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। भारतवर्ष भी इससे अनेक रूपों में लाभान्वित हुआ है, उदाहरणस्वरूप, सन् 1951 में थम संगठन से हुए समझौते के अन्तर्गत तकनीकी सहायता, विशेषत विशेषज्ञों के रूप में तथा प्रशिक्षण द्वावृत्ति के रूप में मिली है। इन विशेषज्ञों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य किए हैं—(1) सामाजिक सुरक्षा, (2) उत्पादकता, (3) औद्योगिक प्रशिक्षण, (4) रोजगार सूचना, (5) सताह, (6) दस्तकारी प्रशिक्षण, (7) सघु उद्योगों सम्बन्धी प्रशिक्षण, (8) औद्योगिक सम्बन्ध प्रशिक्षण, (9) थमिक शिक्षा, (10) औद्योगिक स्वास्थ्य, (11) खदानों की सुरक्षा, (12) प्रबन्ध में विकास, (13) औद्योगिक मनोविज्ञान तथा (14) औद्योगिक तकनीक आदि। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने नी विशेष वित्त कोष कार्यक्रम भी दिए हैं। इन सभी कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन का थमिक आनंदोलन से सम्बन्ध

भारतवर्ष के थमिक आनंदोलन को गति देने में अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सगठन के उद्देश्य इस बात का त्पत्तीकरण करते हैं कि थमिक उन लक्ष्यों के आधार पर अपने और अपनी सस्थानों को आगे बढ़ाएं और अपने अधिकारों एवं कार्यों के प्रति जागरूक हों। थमिकों की ज्ञानवृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय थमिक सगठन ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समय-समय पर भारतीय प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सम्मिलित होते रहे हैं और अन्य राष्ट्रों के थमिकों से सम्बद्ध विचारों का आदान-प्रदान करते हैं जिससे जागरण की नव-भावनाओं का उदय होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन का थम अधिनियम पर प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन ने भारतीय अधिनियम के विकास में भी सहायता प्रदान की है। अब तक भारत में अनेक महत्वपूर्ण थम अधिनियम बनाए जा चुके हैं। इन अधिनियमों के निर्माण में अन्तर्राष्ट्रीय थम संगठन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्वानों का यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन थमिकों की समस्याओं में जनता की हचि को बढ़ाने का कार्य करता है। इसने ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनसे थमिकों को प्रोत्साहन मिला है। ऐसे समय में यदि थमिक सगठन न रहा होता तो भारतीय थम के कार्यों में उतना सुधार भी नहीं हो पाता जितना हुआ है। प्रत्यक्ष रूप में भारतीय थम सुधार कार्यों में जो भी प्रगति हुई है वह अन्तर्राष्ट्रीय थम सगठन के सहयोग से ही हो सकी है। इस तथ्य को रायल थम आयोग (1929-31) तथा राष्ट्रीय थम आयोग (1969) ने भी स्वीकारा है।

अन्तर्राष्ट्रीय शम संगठन का भारतीय औद्योगिक सम्बन्ध पर प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय शम संगठन ने शमिक, नियोक्ता एवं सरकार इन तीनों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। भारत में भी विशेष रूप से द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् से प्रबन्ध एवं शमिक आपसी विवादों के निवारण के लिए त्रिदलीय समझौता का सहारा लेने लगे हैं। संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में औद्योगिक शान्ति और व्यवस्थित प्रबन्ध विशेष उल्लेखनीय है। इसने भारत की शम व्यवस्था को सुधारने में काफी सहायता प्रदान की है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी संघर्ष मिटाने में और राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने में शमिक संगठनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संगठन के भावी कार्यक्रमों के आधार पर भारत के औद्योगिक सम्बन्ध प्रगतिशील हैं।

Appendix—3



वर्तमान अम कन्सल्टेनो में संशोधन (अम मन्त्रालय की रिपोर्ट 1985-86)

बोनस सदाय (संशोधन) अधिनियम, 1985

मई, 1985 में बोनस अधिनियम, 1965 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा इस अधिनियम की धारा 12 का लोप कर दिया गया था जिसके अनुसार 1,600 रुपये प्रतिमाह भजदूरी/वेतन पाने वाले कर्मचारी बोनस की गणना के लिए पहले से विद्यमान सीमा के किसी प्रतिबन्ध के बिना अपनी चास्तिक मजदूरी/वेतन पर आधारित बोनस के पात्र होगे।

सितम्बर, 1985 को एक अध्यादेश जारी किया गया था और 1984 के दौरान किसी भी दिन शुरू होने वाले लेखा वर्ष और उसके बाद के प्रत्येक लेखा वर्ष के लिए बोनस के मुग्धान के सम्बन्ध में इस संशोधन को पूर्वप्रभावी कर दिया गया।

7 नवम्बर, 1985 को दूसरा अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा बोनस की पात्रता सीमा 1,600 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई थी। तथापि वे कर्मचारी जो 1,600 रुपये से 2,500 रुपये प्रतिमाह तक भजदूरी/वेतन पा रहे हैं उनके बोनस का निर्धारण उसी प्रकार होगा मानो उनकी भजदूरी/वेतन 1,600 रुपये प्रतिमाह है। इस संशोधन को भी 1984 में किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया गया। इन दो अध्यादेशों को बदलने के लिए ससद के शीतकालीन अधिवेशन में एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 19 दिसम्बर, 1985 को राष्ट्रपति जो द्वारा मंजूरी दिए जाने के पश्चात् यह एक अधिनियम बन गया (1985 का 67वाँ अधिनियम)।

बालक नियोजन अधिनियम, 1938

वर्ष 1985 के दौरान बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार कुछ नियोजनों में 14/15 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन के सम्बन्ध में इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का पहली बार और उसके बाद उल्लंघन करने के अपराधों के लिए निर्धारित दण्ड बढ़ा दिया गया है। इस मशोधित अधिनियम को शीघ्र ही लाग कर दिया जाएगा।

बन्धित श्रम पद्धति (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1985

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक, 1984 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे 24 दिसंबर, 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस संशोधन से ठेका श्रम और आन्तर्राजिक प्रवासी श्रमिकों को भी बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में परिभाषित वंधुआ श्रमिकों के समान ही माना जाएगा।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

राष्ट्रपति जी ने 28-1-86 को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार इस अधिनियम में उपयुक्त सरकार की परिभाषा को इस प्रकार बदला गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान के लिए श्रृंखलिक विवाद अधिनियम, 1947 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन उपयुक्त सरकार एक ही होगी। इस अध्यादेश को बदलने के लिए संसद के बजट अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

111708

Appendix—4

LIBRARY
SELECT BIBLIOGRAPHY

- DUE DATE
1. A. M. GOVT. GOBLE : *Economics of Indian Industries*.
2. V. B. Singh (Ed.) : *Labour Economics in India*.
- Bloom and Northrup : *Economics of Four Nations*.
- College Johari (Ed.) : *Issues in Indian Labour Policy*.
3. I. L. O. : Minimum Wage Fixing and Economic Development.
4. I. L. O. : Introduction to Social Security.
5. HMSO : British : An Official Hand Book.
6. J. H. Richardson : Economic and Financial Aspects of Social Security.
7. B. Gilbert : The Evolution of National Insurance in Great Britain.
8. The American System of Social Insurance.
9. M. R. Sinha (Ed.) : " Economics of Man-Power Planning.
10. J. N. Sinha & P. K. Banerjee : Wages and Productivity in Indian Industries.
11. V. B. Singh (Ed.) : Labour Research in India.
12. Government of India : Report of the National Commission on Labour.

Journals and Reports :

1. India Journal of 'Labour Economics', Lucknow.
2. Indian Labour Journal, Simla.
3. Indian Labour Year Book.
4. International Labour Review, Geneva.
5. British Journal of Industrial Relations.
6. Economic and Political Weekly.
7. भारत 1985-86
8. अम मन्त्रालय रिपोर्ट 1985-86 एवं 1986-87
9. योजना ।

